

प्रथम संस्करण की भूमिका

मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि हिंदी भाषा और साहित्य का एक छोटा सा इतिहास लिखूँ। हिंदी भाषा का इतिहास तो, कई वर्ष हुए, लिख लिया गया था, पर साहित्य का इतिहास अब तक न लिखा जा सका था। हिंदी भाषा का इतिहास पहले पहल पंडित महावीरसाद द्विवेदी ने लिखा था, पर वह केवल डाक्टर ग्रियर्सन के अनुसंधानों के आधार पर लिखा गया था। उस समय द्विवेदीजी ने अपने स्वतंत्र विचारों, अनुभवों और अनुसंधानों से विशेष काम नहीं लिया था। इससे जैसा चाहिए, वैसा वह न हो सका था। इसके अनंतर पंडित रामनरेश ग्रिपाठी ने एक इतिहास लिखा था पर उसमें भाषा और साहित्य का ऐसा सम्मिश्रण हुआ कि दोनों के इतिहास को अलग अलग करना बहुत कठिन था। मेरी इस वर्तमान पुस्तक में हिंदी भाषा के इतिहास का जो अंश दिया गया है वह पहले पहल “भाषा-विज्ञान” नामक पुस्तक के अंतिम अध्याय के रूप में तथा साथ ही अलग पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ था। उसके अनंतर वह परिवर्धित और संशोधित होकर हिंदी शब्दसागर की प्रस्तावना के प्रथम अंश के रूप में प्रकाशित हुआ। अब यह आवश्यक परिवर्तनों तथा संशोधनों के साथ स्वतंत्र रूप से, इस पुस्तक के प्रथम अंश की भाँति, प्रकाशित किया जावा है। इस इतिहास के लिखने में मुझे कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई है, यह मेरे कहने की बात नहीं है। यह तो विद्वानों के विचार और सम्मति के आश्रित है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यद्यपि भाषा और साहित्य का बड़ा घनिष्ठ संबंध है और दोनों का अलग अलग विवेचन करना कठिन है, किर भी जहाँ तक मुझसे हो सका है, मैंने दोनों को अलग अलग रखकर उनका विवेचन किया है।

हिंदी साहित्य का इतिहास पहले पहल शिवसिंह सेंगर ने लिखा था। उस समय न इतनी सामग्री ही उपलब्ध थी और न विवेचन का

बदमान ढंग ही समुख आया था । फिर भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि शिवसिंह सेंगर का उद्योग सर्वथा स्तुत्य था । उनके इसी प्रथ के आधार पर डाक्टर प्रियर्सन ने अँगरेजी में एक इतिहास लिखा था । इसकी विशेषता यह थी कि प्रमुख कवियों की कृतियों की साधारण समालोचना भी इसमें की गई थी । सन् १८००ई० से काशी नागरी-प्रचारिणी सभा ने हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों की खोज का काम आरंभ किया । इसके आधार पर तथा स्वतंत्र रूप से भी विशेष सामग्री का संचय करके मिश्र-बंधुओं ने तीन बड़े बड़े भागों में “मिश्रबंधुविनोद” नाम का भहत्त्वपूर्ण ग्रंथ लिखा । यह ग्रंथ बड़े परिश्रम, खोज और अध्यवसाय से लिखा गया था । हिंदी साहित्य का विवेचन करनेवाले के लिये यह ग्रंथ बहुत आवश्यक और उपयोगी है । इसके बिना उसका काम नहीं चल सकता । आनंद को बात है कि अब इसका दूसरा संस्करण भी निकल गया है और उसमें यथास्थान परिवर्धन और संशोधन भी किया गया है । मिश्रबंधु-विनोद के आधार पर मिस्टर की ने अँगरेजी में हिंदी साहित्य का एक छोटा सा इतिहास लिखा है । इसे हम मिश्रबंधुविनोद का संक्षिप्त संस्करण कह सकते हैं । मिस्टर प्रीब्स ने भी हिंदी साहित्य का दिग्दर्शन एक पुस्तिका के रूप में कराया है । इसकी विशेषता यह है कि मिस्टर प्रीब्स ने अपने स्वतंत्र विचारों से काम लिया है । इसके अनंतर पंडित रामचंद्र शुक्ल लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास निकला है । अब यह मेरा प्रथ प्रकाशित हो रहा है । प्रश्न किया जा सकता है कि इतने ग्रंथों के रहते हुए भी मेरे इस इतिहास की क्या आवश्यकता थी । इस इतिहास के प्रस्तुत करने में मेरा उद्देश्य कवियों की कृतियों का अलग अलग विवेचन करना नहीं है । मैंने प्रत्येक युग की मुख्य मुख्य विशेषताओं का उल्लेख किया है और यह दिखाने का उद्योग किया है कि साहित्य की प्रगति किस समय में किस ढंग की थी । इस विचार से यह अन्य इतिहासों से भिन्न है और यही इसके प्रस्तुत करने का मुख्य कारण है ।

साहित्य का इतिहास भावों, विचारों तथा चित्तवृत्तियों के विकास का इतिहास है और भाषा का इतिहास उन भावों, विचारों तथा चित्त-वृत्तियों के व्यंजन के ढंग का इतिहास है। जहाँ तक हो सका है, मैंने इस विभेद को ध्यान में रखकर इस पुस्तक के प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसमें मुझे कहाँ तक सफलता हुई है, यह विद्वान् समालोचकों तथा तथ्य-परीक्षकों के विचार की बात है।

इस पुस्तक के प्रस्तुत करने का विचार में कई वर्षों से कर रहा था, पर कार्य की अधिकता, समय के अभाव तथा सबसे बढ़कर अस्व-स्थता के कारण यह काम न हो सका। अब भी जो यह पुस्तक प्रस्तुत हो सकी, इसका अधिकांश श्रेय मेरे उन मित्रों को है जिन्होंने अत्यंत उदारतापूर्वक इस कार्य में मेरी सहायता की है। साहित्य के तीसरे अध्याय की समस्त सामग्री राय कृष्णदास की कृपा का फल है और उसे सुचारू रूप से सजाने तथा उस निमित्त सत्परामर्श देने में राय-वहादुर महामहोपाध्याय पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, बाबू काशी-प्रसाद जायसवाल, रायवहादुर बाबू हीरालाल, मिस्टर एन० सी० मेहता तथा डाक्टर हीरानंद शास्त्री ने जो मुझ पर कृपा की है, उसके लिये मैं इन मित्रों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। इसी प्रकार भाषा के इतिहास तथा साहित्य के अनेक अंशों को पढ़कर सत्परामर्श देने और आवश्यक सुधार करने की सम्मति देने की लिये मैं अपने सहायापक पंडित केशवप्रसाद मिश्र का अत्यंत अनुगृहीत हूँ। परंतु समस्त पुस्तक के लिये सामग्री के इकट्ठा करने तथा उसे सुचारू रूप से सजाने में मेरी जो सहायता मेरे प्रिय शिष्य नंददुलारे वाजपेयी ने की है, उसके लिये कदाचित् इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि इसके बिना अंथ न जाने किरने वर्षों तक मेरी विचार-गुफा में ही पड़ा रहता, उसे प्रकाश में आने का शोषण अबसर ही न मिलता। अंत में बाबू रामचंद्र वर्मा ने समस्त पुस्तक को आदि से अंत तक पढ़कर प्रेस-कापी तैयार करने तथा पंडित लल्लीप्रसाद पांडेय और उनके सहयोगियों ने उसके प्रूफ-संशोधन में जो मेरी सहायता की है, उसके लिये मैं इन मित्रों को भी

धन्यवाद देता हूँ। अनुक्रमणिका तैयार करने का श्रेय मेरे शिष्य जग-
आधप्रसाद शर्मा को प्राप्त है। सारांश यह कि यदि इन सब मित्रों
और शिष्यों आदि को उदार सहायता मुझे न प्राप्त होती तो यह मंघ
अभी बहुत दिनों सक योही पढ़ा रहता और प्रकाशित न हो पाता।
इसलिये मैं पुनः इन सबके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ।

X X X

अंत में मुझे इतना ही निवेदन करना है कि सन् १९५३ में जो
हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, हिंदी का कोश और हिंदी
का व्याकरण प्रस्तुत करने का संकल्प मैंने किया था, वह इस पुस्तक के
प्रकाशन के साथ पूरा होता है। इनमें से प्रथम दो पुस्तकों के प्रस्तुत
करने में मेरा हाथ रहा है, और चीसरी पुस्तक पंडित कामवाप्रसाद गुरु
ने तैयार की है।

आशा है, यह इतिहास हिंदी भाषा और साहित्य का मर्म
समझाने तथा उनके विकास का तथ्य अवगत करने में सहायता होगा।

काशी
ज्येष्ठ कृष्ण ५, १९५७ }

श्वामसुंदरदास

द्वितीय संस्करण की भूमिका

संवत् १९८७ में इस पुस्तक का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था। अब सात वर्ष के अनंतर इसके दूसरे संस्करण के प्रकाशित होने का अवसर आया है। यद्यपि मेरी इच्छा थी कि इस दूसरे संस्करण में बहुत कुछ उलट-फेर कर दिया जाय और आधुनिक अनुसंधानों को ध्यान में रखते हुए इसको ऐसा रूप दिया जाय जो सर्वथा समयानुकूल हो पर मैं इस इच्छा के अनुसार सर्वथा कार्यन कर सका, यद्यपि अनेक स्थानों पर परिवर्तन और परिवर्धन कर दिया गया है जिससे मैं समझता हूँ कि इस पुस्तक की उपयोगिता बहुत कुछ बढ़ गई है। भाषा-खंड में कुछ अध्याय इधर-उधर-कर-दिए गए हैं, दूसरे अध्याय में परिवर्तन कर दिया गया है और अंतिम अध्याय में बहुत कुछ बढ़ा दिया गया है। साहित्य-खंड में अनेक परिवर्तनों के अतिरिक्त योग-धारा पर एक नया अध्याय जोड़ दिया गया है और अंतिम अध्याय को दो अध्यायों में बांट दिया गया है। मुझे आशा है कि ये सब परिवर्तन और परिवर्धन पुस्तक की उपयोगिता को बढ़ाने में सहायक हुए हैं। .

इस संस्करण के प्रस्तुत करने में मुझे अपने अनेक शिष्यों से सहायता मिली है। इनमें पं० नंददुलारे वाजपेयी, डाक्टर पीतांवरदत्त बड़श्वाल और पं० पद्मनारायण आचार्य मुख्य हैं जिनके प्रति मैं कृतज्ञता प्रदर्शित करना अपना परम धर्म समझता हूँ।

हिंदी भाषा

पहला अध्याय

भारतवर्ष की प्राचीन भाषाएँ

संसार में जितनी भाषाएँ हैं, उन सबका इतिहास बड़ा ही मनो-रंजक तथा चिन्ताकर्पक है, परंतु जो भाषाएँ जितनी ही अधिक प्राचीन

होती हैं और जिन्होंने अपने जीवन में जितने विषय-प्रवेश

अधिक उल्ट फेर देखे होते हैं, वे उनी ही अधिक

मनोहर और चिन्ताकर्पक होती हैं। इस विचार से भारतीय भाषाओं का इतिहास बहुत कुछ मनोरंजक और मनोहर है। भारतवर्ष ने आज तक कितने परिवर्तन देखे हैं, यह इतिहास-प्रैमियों से छिपा नहीं है। राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिवर्तनों का प्रभाव किसी जाति की स्थिति ही पर नहीं पड़ता, अपितु उसकी भाषा पर भी बहुत कुछ पड़ता है। भिन्न भिन्न जातियों का संसर्ग होने पर परस्पर भावों और उन भावों के घोतक शब्दों का आदान-प्रदान होता है, तथा शब्दों के उच्चारण में भी कुछ कुछ विकार हो जाता है। इसी कारण के वशीभूत होकर भाषाओं के रूप में परिवर्तन हो जाता है और साथ ही उनमें नए नए शब्द भी आ जाते हैं। इस अवस्था में यदि कृद्ध भारत की भाषाओं की आरंभ की अवस्था से लेकर वर्तमान अवस्था तक में आकाश पाताल का अंतर हो जाय, तो कोई आश्चर्य की यात नहीं है। अब यदि हम इस परिवर्तन का तथ्य जान सकें, तो हमारे लिये वह कितना मनोरंजक होगा, यह सहज ही ध्यान में आ सकता है। साथ ही भाषा अपना आवरण हटाकर अपने वास्तविक रूप का प्रदर्शन उसी को कराती है, जो उसके अंग-प्रत्यंग से परिचित होने का अधिकारी है। इस प्रकार का अधिकार उसी को प्राप्त होता है जिसने उसके विकास का क्रम भली भाँति देखा है।

भाषाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है जो उनके इतिहास को और भी जटिल, पर साथ ही मनोहर, बना देता है। भाषाओं के विकास की साधारणतः दो अवस्थाएँ मानी गई हैं—एक वियोगावस्था और दूसरी संयोगावस्था। वियोगावस्था में सब शब्द अपने अपने वास्तविक या आरंभिक रूप में अलग अलग रहते हैं और प्रायः वाक्यों में उनके आसन्ति, योग्यता, आकांक्षा अथवा स्वराधात से उनका पारस्परिक

शासन करते हैं—वक्ता, लेखक और कवि। वैयाकरण वेचारा तो उन्होंने के राज्य में रहकर केवल लेखा लिया करता है। इसलिये पाणिनि ने जो अपने व्याकरण में ऐती पाती, लेन देन, घणिज व्यापार, चुंगी झरी, कर पोत, हुहारी मुनारी, बढ़ीगिरी, ढोल दमधम, चिड़िया चुनमुन, फूल पत्ती, नाप जोख आदि आदि के अतिरिक्त पूर्वी उत्तरी प्रयोग, मुहावरे बोलचाल आदि लिखे हैं, काल्यायन तथा पतंजलि ने जो अनेक व्यवहार-साहिक सूचम विवेचन किए हैं, वे उनके मन के मनस्वे नहीं, किंतु गंभीर गवेषणा, सार्वान् सर्वेक्षण, व्यापक विचार और उस व्याकरण-पद्धति के परिणाम में हैं जो अभी अभी थोड़े दिन हुए श्रृंगरेजी जैसी समृद्ध राजभाषा में फलीभूत हुए हैं।

पहले संस्कृत शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता था। ‘संस्कृता वाक्’* ठीक उसी भाषा को कहते थे जिसे उद्दूधाले “शुस्ता ज्ञायन” या श्रृंगरेजीदी Refined speech कहते हैं। प्रत्येक भाषा यदि वह व्यवहारक्षम, शिष्टप्रयुक्त और व्यापक है तो समय पाकर संस्कृत बन जाती है। हमारी आज की हिंदी यदि संस्कृत कही जाय तो कोई अनुचित नहीं। पीछे जैसे “उद्दू हिंदी” से केवल “उद्दू” रह गई, वैसे ही “संस्कृत-वाक्” से केवल ‘संस्कृत’ शब्द ही उस विशिष्ट भाषा के लिये प्रयुक्त होने लगा। सुंदर, व्यापक और सर्वगम्य होने के कारण साहित्य-रचना इसी में होने लगी; एवं उसका तात्कालिक रूप आदर्श मानकर व्यवस्था अजुराण रखने के लिये पाणिनि आदि वैयाकरणों ने नियम बनाए। इस प्रकार साहित्यकारों की कृति और वैयाकरणों को व्याख्या से संस्कृत परिच्छित होकर बहुत दिनों तक अखंड राज्य करती रही।

‘ ~ सब दिन घरावर नहीं जाते। संस्कृत सर्व-गुण-संपन्न थी सही, पर धीरे धीरे उसका चलन कम होने लगा। वह राष्ट्रीय से सांशदायिक हो चली। इसके कई कारण थे। एक तो वह सर्व साधारण की भाषा न होने के कारण प्रयोक्ता के मुख अयथा लेखनी से प्रत्येक भाव की अभिव्यक्ति के लिये अवृद्धिपूर्व न निकलकर उसकी अभिज्ञता की अपेक्षा रखती थी। दूसरे, इसके प्रयोगकर्ता आर्यजन किसी एक प्रदेश में ही अवश्यक न होकर उत्तरोत्तर अपना विस्तार करते, अन्य भाषा-भाषियों से संपर्क बढ़ाते तथा नित्य नए भावों और उनके अभिव्यञ्जक साधनों का आदान

* यदि वाच प्रदास्यामि दिजातिरिव संस्कृताम् ।

रायणं मन्यमाना मा सीता भीता भविष्यति ॥

प्रदान करते जाते थे। तीसरा और सबसे प्रधान कारण धार्मिक विस्तव्य था। महावीर स्वामी और बुद्धदेव ने प्रांतीय वोलियों में ही अपना धर्मोपदेश आरंभ किया। साधारण जनता पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा। उनके बहुत से अनुयायी हो गए। उनका धर्म भी भिन्न हो गया, भाषा भी भिन्न हुई। इस प्रकार इन दो धर्म-संस्थापकों का आश्रय पाकर प्रांतीय वोलियाँ भी चमक उठीं और संस्कृत से वरावरी का दाचा करने लगीं। उधर वैदिक धर्मानुयायी और अधिक दृढ़ता से अपनी भाषा की रक्षा करने लगे। इसका फल यह हुआ कि संस्कृत एक संप्रदाय की भाषा बन गई।

हम पहले कह चुके हैं कि वेदों की भाषा कुछ कुछ व्यवस्थित होने पर भी उतनी स्थिर और अपरिवर्तनशोल न, यी जितनी उसकी कन्या संस्कृत, पूर्वोक्त कारणों के अनुसार, बन गई। अपनी योग्यता से उसने अमरवाणी का पद तो पाया, पर आगे कोई न होने के कारण उसकी वह अमरता प्रक प्रकार का भार हो गई। उधर उसकी दूसरी घटिन जो रानी न बनकर प्रजापति के हितचिंतन में निरत थी, जो केवल आर्यों के अंवरोध में न रहकर अन्य अनार्य रमणियों से भी स्वतंत्रतापूर्वक मिलती जुलती थी, संतानवती हुई। उसका वंश वरावर चलता आ रहा है। संतानवती होने के कारण उसने अपनी माता से समय समय पर जो संपत्ति प्राप्त की, वह निःसंतान संस्कृत को न मिल सकी। यदि रूपक का परदा हटाकर सीधे शब्दों में कहें तो बात यह हुई कि वेदकालीन कथित भाषा से ही संस्कृत भी उत्पन्न हुई और अनार्यों के संपर्क का सहकार पाकर अन्य प्रांतीय वोलियाँ भी विकसित हुईं। संस्कृत ने केवल चुने हुए प्रचुरप्रयुक्त व्यवस्थित व्यापक शब्दों से ही अपना भंडार भरा, पर आर्यों ने वैदिक भाषा की प्रकृति-स्वच्छिंदता को भरपेट अपनाया। यही उनके प्राकृत (स्वाभाविक या अकृतिम) कहलाने का कारण है, यही उनमें वैदिक भाषा की उन विशेषताओं के उपलब्ध होने का रहस्य है जो संस्कृत में कहीं देख नहीं पड़तीं।

वैदिक भाषा की विशेषताएँ जो संस्कृत में न मिलकर प्राकृतों में ही उपलब्ध होती हैं उनके विषय में थोड़े से उदाहरणों का निर्देश करना अप्रासंगिक न होगा। प्राकृत में व्यंजनांत शब्द का प्रायः प्रयोग नहीं होता। संस्कृत के व्यंजनांत शब्द का अंतिम व्यंजन प्राकृत में लुप्त हो जाता है। जैसे—संस्कृत के 'तावत्' 'स्यात्' 'कर्मन्' प्राकृत में क्रमशः 'ताव' 'सिया' 'कम्म' हो जायेंगे। प्राकृत में यह निरपवाद, है। अब वैदिक भाषा लीजिए। उसमें दोनों प्रकार के प्रयोग मिलते हैं। 'कर्मणः'

कर्मणा' आदि भी और 'देवकर्मेभिः' (ऋ० १०। १३०। १) भी; 'पश्चांत्' (अथ० ४। १०। ३) भी और 'पश्चा' (अथ० १०। ४। ११, शत० ग्रा० ६। १। २। ५) भी; (प्राकृत में इसी से 'पच्छा' और हिंदी में 'पाल्छ' या 'पाल्छा' निकला है) 'युध्मान्' (ऋ० १। १६२। १४, तै० सं० १। १। ५) भी और 'युध्मा' (वा० सं० १। १३। १, श० ग्रा० १। २। ६) भी; 'उच्चात्' के स्थान में 'उच्चा' (तै० सं० २। ३। १४) और 'नीचात्' के स्थान में 'नीचा' (तै० सं० १। २। १४) भी। पर संस्कृत में इस प्रकार व्यंजन का लोप नहीं होता। 'पश्चार्थ' शब्द का प्रयोग देखकर कात्यायन को एक नया वार्तिक कहना पड़ा। प्राकृत में संयुक्त वर्णों में से एक का लोप कर पूर्ववर्ती हस्त स्वर को दीर्घ कर दिया करते हैं। जैसे— 'कर्तव्य = कातव्य', 'निश्वास = नीसास', 'दुर्हार = दूहार', (हिंदी—'धर्म = धाम', 'चर्म = चाम', 'दुर्लभ = दूलह', 'भिल्ल = भील', 'शुष्क = सूखा', 'मुद्ग = मूँग', 'निम्ब = नीम', इत्यादि)। वैदिक भाषा में भी ऐसा होता है—'दुर्दम = दूडम', (वा० सं० ३। ३६, ऋ० ४। ६। ८) 'दुर्नीश = दूणाश' (गु० य० प्रातिशा० ३। ४३)। स्वरमत्ति का प्रयोग दोनों भाषाओं में प्रचुरता से होता है। प्राकृत—'फ़िन्न = किलिन्न', 'स्व = सुव', (हिंदी—'मिश्र = मिसिर', 'धर्म = धर्म', 'गुप्त = गुपुत', 'ग्लास = गिलास'), वैदिक—'तन्वः = तनुवः' (तैत्ति० आर० ७। २२। १), 'स्वः = सुवः' (तैत्ति० आर० ६। २। ७) 'स्वर्गः = सुवर्गः' (तैत्ति० सं० ४। २। ३, मैत्र० ग्रा० १। १। १) 'रात्न्या = रात्रिया', 'सहस्र्यः = सहस्रियः' इत्यादि। दोनों ही में पद्गत किसी वर्ण का लोप करके उसे फिर संकुचित कर देते हैं। प्राकृत—'राजकुल = राउल' (मिलाओ—पु० हिं० राउर), 'कालायस = कालास' इत्यादि; वैदिक—'शतकतवः = शतकत्वः', 'पश्वे = पश्वे', 'निविविशिरे = निविविश्रे' इत्यादि। शैरसेनी प्राकृत में अकारांत शब्द प्रथमा के एकवचन में ओकारांत हो जाता है। जैसे 'देवः = देवो', 'सः = से' 'इत्यति॒', वैदिक भाषा में भी ऐसा 'अयेत् दुर्लभ नहीं'। 'संचित् = सो चित्' (ऋ० १। १६। १), 'संवत्सरः अजायत = संवरत्सरो अजायत' इत्यादि। इस यात की पुष्टि में शैरसेनी भी बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं कि प्राचीन वैदिक भाषा से ही प्राकृतों की उत्पत्ति हुई, अर्वाचीन संस्कृत से नहीं। यद्यपि लोगों ने समय समय पर प्राकृत को नियमित और शब्द करने का प्रयत्न किया, तथापि घोलचाल की उस भाषा का प्रधाह किसी न किसी रूप में चलता रहा, उसमें कोई रुकावट न हो सकी। यही 'प्राकृत' अथवा घोलचाल की आर्य-भाषा क्रमशः आधुनिक मार्तीय देशभाषाओं के रूपों में प्रकट हुई।

जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं, आरंभ से ही जन साधारण की बोलचाल की भाषा प्राकृत थी। बोलचाल की भाषा के प्राचीन रूप के ही आधार पर वेद-मंत्रों की रचना हुई थी और उसका प्रचार ब्राह्मण-ग्रंथों तथा सूत्र ग्रंथों तक में रहा। यीछे से वह परिमार्जित होकर संस्कृत रूप में प्रयुक्त होने लगी। बोलचाल की भाषा का अस्तित्व नष्ट नहीं हुआ, वह भी यही रही; पर इस समय हमें उसके प्राचीनतम उदाहरण उपलब्ध नहीं हैं। उसका सबसे प्राचीन रूप जो इस समय हमें प्राप्त है, वह श्रशोक के लेखों तथा प्राचीन वैद्य और जैन ग्रंथों में है। उसी को हम प्राकृत का प्रथम रूप मानने के लिये याध्य होते हैं। उस रूप को 'पाठी' नाम दिया गया है। यह नाम भाषा के साहित्यारूढ़ होने के पीछे का है जब कि इस पर शैरसेनी का पूरा पूरा प्रभाव पड़ा और उसी के अनुसार शोकारांत रूप इसमें प्रयुक्त होने लगे। पहले विनियोग की मूल पंक्तियों के लिये इसका प्रयोग होता था। है भी यह 'पंक्ति' शब्द से ही निकला हुआ। 'पंक्ति' से 'पंचि' 'पत्तो' (द० धेनुपत्तो; विद्यध-माधव प० १८); 'पत्ती' से 'पट्टी', (इसका प्रयोग 'कतार' के अर्थ में श्रव भी होता है) 'पट्टी' से 'पाटी' और उससे 'पाठी', इस पाठी को तंत्ति, मागधी या मागधी निवक्ति भी कहते थे। पर यह मागधी अर्वाचीन मागधी से बहुत भिन्न थी। यही उस समय बोलचाल की भाषा थी। बुद्धदेव यही बोलते थे। वैद्य इसी को आदि भाषा मानते और वडे गर्व से पढ़ा करते हैं—

‘था मागधी मूलभाषा नरा यायादिक्षिका ।

ब्रह्माणो च सुतालापा सबुद्धा चापि भासरे ॥’

‘आदि कल्प में उत्पन्न मनुष्यगण, ब्रह्मगण, संबुद्धगण, एवं वे व्यक्तिगण जिन्होंने कभी कोई शब्दालाप नहीं सुना, जिसके द्वारा भाव प्रकाशन किया करते थे वही मागधी भाषा मूल भाषा है।’ वैदिक भाषा में नहीं किंतु इसी भाषा में बुद्धदेव अपना धर्मचक्र प्रवर्त्तन करना चाहते थे, इस संवंध में विनयपिटक में एक कहानी है। उसमें लिखा है—यमेल और उतेकुल नाम के दो ब्राह्मण भ्राता भिन्न थे। उन्होंने एक दिन बुद्धदेव से नियेदन किया कि “भगवन्! इस समय भिन्न भिन्न नाम गोत्र और जाति-कुल के प्रवर्जित अपनी अपनी भाषा में कहकर आपके बचन दूषित कर रहे हैं। हम उन्हें छंद (= वेदभाषा = संस्कृत) में परिवर्तित करना चाहते हैं।” बुद्धदेव ने उनका तिरस्कार कर कहा—“भिन्नुओ! बुद्ध-घचन को छंद में कभी परिणत न करना। जो करेगा, वह दुष्ट का अपराधी होगा। हे भिन्नुगण! बुद्धघचन को अपनी ही भाषा में ग्रहण

करने की मैं श्रनुद्धा करता हूँ।" "अपनी भाषा" से बुद्ध्योप ने यहाँ मागधी भाषा ली है। इससे प्रतीत होता है कि बुद्धदेव जान बूझकर संस्कृत का वर्जन करना चाहते थे और अपना धर्म देशभाषा ही के द्वारा फैलाना चाहते थे। उसके अनंतर मध्य काल की प्राकृत और अंत में उत्तर काल की प्राकृत या अपम्रंश का समय आता है। इसी उत्तर काल की प्राकृत या अपम्रंश के अनंतर आधुनिक देशभाषाओं का प्रादुर्भाव हुआ है।

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, पहली प्राकृत या पाली के उदाहरण हमें ग्राचीन वैद्य ग्रंथों तथा शिलालेखों में मिलते हैं। शिलालेखों पहली प्राकृत या पाली में अशोक के लेख वडे महत्त्व के हैं। ये खतोषी और ग्राही दो लिपियों में लिखे हुए मिलते हैं। शहवाजगढ़ी और मानसेरा के लेख तो खतोषी में लिखे हुए हैं और शेष सब ग्राही लिपि में हैं। इन सब लेखों का विवेचन करने पर यह स्पष्ट प्रकट होता है कि अशोक के समय में कम से कम चार वोलियाँ प्रचलित थीं। उनमें से सबसे मुख्य मगध की पाली थी, जिसमें पहले पहल ये लेख लिखे गए होंगे, और उन्हीं के आधार पर गिरनार, जौगढ़ तथा मानसेरा के लेख प्रस्तुत किए गए होंगे। यद्यपि एक और शहवाजगढ़ी और गिरनार के लेखों की भाषा में और दूसरी और धैली, जौगढ़ आदि के लेखों की भाषा में वहूत कुछ समानता देख पड़ती है, और इसी समानता के आधार पर कुछ विद्वानों ने यह माना है कि अशोक के समय की पाली दो मुख्य भागों में विभक्त हो सकती है, तथापि इनमें विभिन्नता भी कम नहीं है। अतएव इन्हें एक ही कहना ठीक नहीं।

पाली के अनंतर हमें साहित्यिक प्राकृत के दर्शन होते हैं। इसके चार मुख्य भेद माने गए हैं—महाराष्ट्री, शैरसेनी, मागधी और अद्वैत-

दूसरी या साहित्यिक मागधी। इनमें से महाराष्ट्री सबसे प्रधान मानी गई है। प्राकृत के वैयाकरणों ने महाराष्ट्री के विषय में विशेष रूप से लिखा है; और दूसरी माझतों के विशेष नियम देकर यही लिख दिया है कि शेष सब वातें महाराष्ट्री के समान हैं। प्राकृत का अधिकांश साहित्य भी महाराष्ट्री ही में लिपा मिलता है। एक प्रकार से महाराष्ट्री उस समय राष्ट्र भर की भाषा थी, इसलिये महाराष्ट्र शब्द समस्त राष्ट्र का वोधक भी माना जा सकता है। शैरसेनी मध्यदेश की प्राकृत है और शैरसेन देश (आधुनिक ग्रज मंडल) में इसका प्रचार होने के कारण यह शैरसेनी कहलाई। मध्य देश में ही साहित्यिक संस्कृत का अभ्युदय हुआ था, और यहाँ की

बौल-चाल की भाषा से साहित्य की शैरसेनी प्राकृत का जन्म हुआ। अतपि यह अनिवार्य था कि इस प्राकृत पर संस्कृत का सध्ये अधिक प्रभाव पड़ता। इसी कारण शैरसेनी प्राकृत और संस्कृत में बहुत समानतादेख पड़ती है। मागधी का प्रचार मगध (आधुनिक विहार) में था।

प्राचीन काल में कुछ पंचाल तथा पश्चिम के अन्य लोग कोशल (अवध), काशी (वनारस के चारों ओर), विदेह (उत्तर विहार) और मगध तथा अंग (दक्षिण विहार) चालों को प्राच्य कहते थे। अब भी दिल्ली मेरठ आदि के रहनेवाले इधरवालों को पूर्विया और यहाँ की भाषां को पूर्वी हिंदी कहा करते हैं। इन्हीं प्राच्यों की प्राच्या भाषा का विकास दो रूपों में हुआ। एक पश्चिम प्राच्या, दूसरी पूर्व प्राच्या। पश्चिम प्राच्या का अपने समय में बड़ा प्रचार था, पर पूर्व प्राच्या एक विभाग मात्र की भाषा थी। प्राकृत वैयाकरणों के अनुसार हम पश्चिम प्राच्या को अर्ध-मागधी और पूर्व प्राच्या को मागधी कह सकते हैं। यह प्राचीन अर्ध-मागधी कोशल में बोली जाती थी, अतः बुद्धदेव की यही मातृ-भाषा थी। इसी से मिलती जुलती भारतवर्ष के पूर्व-खंडवासी आद्यों की भाषा थी जिसमें महावीर स्वामी तथा बुद्धदेव ने धर्मोपदेश किया था और जिसका उस समय के राजकुल तथा राजशासन में प्रयोग होता था। मध्य तथा पूर्व देशों में उपलभ्यमान एवं अशोक सम्राट् के शिलालेखों में प्रयुक्त तथा उसके राजकुल की भाषा में भी इस अर्ध-मागधी भाषा की बहुत सी विशेषताएँ पाई जाती हैं। उस समय राजभाषा होने के कारण इसका प्रभाव आजकल अँगरेजी की तरह प्रायः समस्त भारतीय भाषाओं पर था। इसी से इस अर्ध-मागधी की छाप गिरनार, शहवाजगढ़ी तथा मानसेरा के लेखों पर भी काफी पाई जाती है। पिपरहवा का पात्र-लेख, सोहगौरा का शिलालेख तथा अशोक की प्रूर्वीय धर्मलिपियाँ एवं मध्य-पश्चिया में प्राप्त घौट्ठ संस्कृत नाटक के लुप्तावशिष्ट अंश इसके प्राचीनतम प्रयोगस्थल हैं। जैनों के “समवायंग” में लिखा है कि महावीर स्वामी ने अर्ध-मागधी में धर्मोपदेश किया और वह भाषा प्रयोग में आते आते सभी आर्य, अनार्य, द्विपद, चतुष्पद, मृग, पशु, पक्षी, कीट, पतंग के हित, कल्याण तथा सुख के लिये परिवर्तित होती गई, अर्थात् इसी मूल भाषा से प्राणिमात्र की भाषा का जन्म हुआ। जान पड़ता है कि महावीर स्वामी ने इस भाषा को सर्वयोध्य घनाने के लिये तत्काल प्रचलित अन्य भाषाओं के सुप्रसिद्ध शब्दों का भी इसमें यथेष्ट सञ्चित्येश किया, जैसे कि आजकल के रमते साधु लोग भी धर्मोपदेश में ऐसी ही खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया करते हैं। ऊपर के अर्धवाद का दृहस्य तथा अर्ध-मागधी

नाम का अभिप्राय यही है। मागधी तो थी ही, अन्य भाषाओं के मेल से वह पूरी मागधी न रही, अर्ध मागधी हो गई। इसी अर्ध मागधी से अर्द्ध-मागधी अपभ्रंश और उससे आजकल की पूरवी हिंदी अर्थात् अवधी, वघेली तथा छत्तीसगढ़ी निकली हैं।

अर्ध-मागधी कोशल में योली जाती थी और कोशल शूरसेन तथा मगध के बीच में पड़ता है। अतः यह अनुमान हो सकता है कि वह शौरसेनी और मागधी के मिश्रण से बनी होगी; अनुमान क्या मार्कोडेय ने स्पष्टतः लिखा भी है कि “शौरसेन्या अदूरत्वादियमेवार्धमागधी” (प्रा० सर्व० १०३), पर वास्तव में यह बात नहीं है। अनेक अंशों में वह मागधी और महाराष्ट्री प्राकृतों से मिलती है और कुछ अंशों में उसका इनसे विभेद भी है, पर शौरसेनी से उसका बहुत विभेद है। फ्रान्सीश्वर ने संक्षिप्तसार (५४६) में स्पष्ट ही लिखा है—“महाराष्ट्री मिथार्धमागधी” अर्थात् महाराष्ट्री के मेल से अर्ध-मागधी हुई। आधुनिक देश भाषाओं के विचार से पश्चिमी हिंदी और विहारी के बीच की भाषा पूर्वी हिंदी है और उसमें दोनों के अंश वर्तमान हैं। आधुनिक भाषाओं के विवेचन के आधार पर अंतरंग, वहिरंग शौर मध्यवर्ती भाषाओं के ये तीन समूह नियत किए गए हैं। यदि हम अर्ध-मागधी को मध्यवर्ती भाषाओं की स्थानापन्न मान लें, तो प्राकृत काल की भाषाओं का विभाग इस प्रकार होगा—

वहिरंग प्राकृत—महाराष्ट्री और मागधी।

मध्यवर्ती प्राकृत—अर्ध मागधी।

अंतरंग प्राकृत—शौरसेनी।

अनेक विद्वानों ने पैशाची भाषाओं को भी प्राकृतों में गिना है। घररुचि ने प्राकृतों के अंतर्गत चार भाषाएँ गिनाई हैं—महाराष्ट्री, पैशाची,

पैशाची प्राकृत मागधी और शौरसेनी। हेमचंद्र ने केवल तीन

प्रकार की प्राकृतों के नाम गिनाएँ हैं—आर्ष अर्थात् अर्ध मागधी, चूलिका पैशाचिका और अपभ्रंश। दूसरी भाषा का दूसरा नाम भूतभाषा भी है, जो गुणाटक की ‘बृहूक्ष्य’ (बृहत्कथा) से अमर हो गई है, पर यह अंथ इस समय नहीं मिलता। हाँ, दो कश्मीरी पंडितों, क्षेमदेव और सोमदेव, को किए हुए इसके संस्कृत अनुवाद अवश्य मिलते हैं। कश्मीर का उत्तरी प्रांत पिशाच या पिशाश (कश्या मांस रानीयाला) देश कहलाता था, और कश्मीर ही में बृहत्कथा का अनुवाद मिलने के कारण पैशाची भाषा वहीं की भाषा मानी जाती है। कुछ लोग इसे पश्चिम-उत्तर प्रदेश की और कुछ राजपूताना और मध्यमारत

की भाषा भी मानते हैं। किंतु प्राचीन ग्रंथों में पिशाच के नाम से कई देश गिनाए गए हैं—

पाण्ड्यकेर्यगाहूलीकसिंहनेगलकुन्तलाः ।

सुदेष्ण-वौट-गन्धार-हैव-कन्द्रौजनास्तथा ।

एते पिशाचदेशाः स्युस्तदैश्यस्तदगुणो भवेत् ॥

इसमें कई नाम ऐसे भी हैं जिनकी पहचान अब तक नहीं हो सकी। मार्कंडेय ने अपने व्याकरण 'प्राकृतसर्वस्व' में पैशाची के जो नियम लिखे हैं, उनमें से एक है—'पञ्चस्वार्थावितरयोः'। इसका अर्थ यह है—पाँचों वर्गों में तृतीय और चतुर्थ वर्णों के स्थान में प्रथम और द्वितीय वर्ण होते हैं। इसकी प्रवृत्ति पंजाबी भाषा में देख पड़ती है। उसमें साधारणतः लोग भाई का पाई, अध्यापक का हत्तापक, घर का कर, धन्य का तक या इससे कुछ मिलता जुलता उच्चारण करते हैं। उसमें एक और नियम "युक्तविकर्पो बहुलम्" (संयुक्त वर्णों का विश्लेषण) भी देख पड़ता है। कस्ट, सनान, परस, पतनी आदि उदाहरण पंजाबी में दुर्लभ नहीं। इससे जान पड़ता है कि चाहे पैशाची पंजाब की भाषा न भी रही हो, पर उसका प्रभाव अवश्य पंजाबी पर पड़ा है।

राजशेखर ने, जो विकाम संवत् की दसवीं शताब्दी के मध्य भाग में था, अपनी काव्यमीमांसा में एक पुराना श्लोक उद्धृत किया है जिसमें उस समय की भाषाओं का स्थल-निर्देश है—गौड़ (घंगाल) आदि संस्कृत में स्थित हैं, लाट (गुजरात) देशियों की रुचि प्राकृत में परिमित है, मरुभूमि, टक (टाँक, दक्षिण पश्चिमी पंजाब) और भादानक (संभघतः यह राजपूताना का कोई प्रांत था) के वासी भूत भाषा की सेवा करते हैं, जो कवि मध्यदेश (कन्नौज, अंतर्वेद, पंचाल आदि) में रहता है, वह सर्व भाषाओं में स्थित है। इससे उस समय किस भाषा का कहाँ अधिक प्रचार था, इसका पता चल जाता है। मार्कंडेय और रामशर्मा ने अपने व्याकरणों में इस भाषा का विशेष रूप से उल्लेख किया है। डाकटर ग्रियर्सन ने अपने एक लेख में रामशर्मा के प्राकृत-कल्पतरु के उस अंश का विशेष रूप से वर्णन किया है, जिसमें पैशाची भाषा का विवरण है। उस लेख में बतलाया गया है कि रामशर्मा के अनुसार पैशाची या पैशाचिका भाषा के दो मुख्य भेद हैं—एक शुद्ध और दूसरा संकीर्ण। पहली तो शुद्ध पैशाची, जैसा कि उसके नाम से ही प्रकट होता है, और दूसरी मिश्र पैशाची है। पहली के सात और दूसरी के छार उपभेद गिनाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं—

(१) कैकेय पैशाचिका,

की इतनी प्राचीनता नहीं स्वीकार करते। कालिदास के 'विकमोर्वशीय' ग्रन्थ में विक्षिप्त पुरुरवा की उकि में छुंद और रूप दोनों के विचार से कुछ कुछ अपम्रंश की छाया देख पड़ती है, और इसलिये अपम्रंश का फाल और भी दो सौ वर्ष पहले चला जाता है, पर उसमें अपम्रंश के अत्यंत साधारण लक्षण—जैसे, पदांतर्गत 'म' के स्थान में 'व' और स्वार्थिक प्रत्यय 'इस' 'अस्ति' तथा 'ड'—न मिलने के कारण उसे भी याकोदी आदि बहुत से विद्वान् पाठांतर या प्रक्षिप्त मानते हैं। जो कुछ हो, पर यह कहने में कोई संकोच नहीं कि अपम्रंश के बीज इसा की दूसरी शताब्दी में प्रचलित प्राकृत में अवश्य विद्यमान थे।

आरंभ में अपम्रंश शब्द किसी भाषा के लिये नहीं प्रयुक्त होता था। साक्षर लोग निरक्षरों की भाषा के शब्दों को अपम्रंश, अपशब्द या अपभाषा कहा करते थे। पतंजलि मुनि ने अपम्रंश शब्द का प्रयोग महाभाष्य में इस प्रकार किया है—भूयांसो शपशब्दाः अलीयांसः शब्दाः। एकैकस्य शब्दस्य यह्योऽपम्रंशाः। तदथा। गौरित्यस्य गावी गोणी गोता गोपेतलिकेत्येवमादयोऽपम्रंशाः। अर्थात् अपशब्द बहुत हैं और शब्द थोड़े हैं। एक एक शब्द के बहुत से अपम्रंश पाए जाते हैं; जैसे—गो शब्द के गावी, गोणी, गोता, गोपेतलिका आदि अपम्रंश हैं। यहाँ अपम्रंश शब्द से पतंजलि उन शब्दों का ग्रहण करते हैं जो उनके समय में संस्कृत के बढ़ते स्थान स्थान पर योले जाते थे। ऊपर के अवतरण में जिन अपम्रंशों का उल्लेख है, उनमें 'गावी' वँगला में 'गामी' के रूप में और 'गोणी' पाली से होता हुआ सिंधी में ज्यों का र्यों अव तक प्रचलित है। शेष शब्दों का पता अन्वेषकों को लगाना चाहिए। आर्य अपने शब्दों की विशुद्धता के काटूर पक्षपाती थे। वे पहले अपशब्द ही के लिये म्लेच्छ शब्द का प्रयोग करते थे। पतंजलि ने लिखा है—न म्लेच्छतवै नापभापितवै म्लेच्छो ह या पप यदपशब्दः। अर्थात् म्लेच्छ = अपभाषण न करना चाहिए, फ्योंकि अपशब्द ही म्लेच्छ है। अमर ने इसी धातु से उत्पन्न म्लिष्ट शब्द का अर्थ 'अविस्पष्ट' किया है। इससे यह यात सिद्ध होती है कि आर्य शुद्ध उच्चारण करके अपनी भाषा की रक्षा का घड़ा प्रयत्न करते थे; और जो लोग उनके शब्दों का ढीक उच्चारण न कर सकते थे, उन्हें और उनके द्वारा उच्चरित शब्दों को म्लेच्छ कहते थे। म्लेच्छ शब्द उस समय आजकल की भाँति धृणा या निंदाव्यंजक नहीं था।

अस्तु; जब मध्यवर्ती भाषाओं (पाली, शैरसेनी, तथा अन्य प्राकृतों) का रूप स्थिर होकर साहित्य में अवरुद्ध हो गया एवं संस्कृत

के समान शिरों के प्रयोग में वह आने लगा, तब साधारण जनता ने फिर प्रचलित तथा ग्रादेशिक रूपों को अपनाना आरंभ कर दिया। भारत के पैशिचम और पश्चिमोत्तर प्रदेशों में उकारांत संज्ञा शब्द तथा अन्य नए रूप, जो पाँचवाँ या छठी शताब्दी में प्रयुक्त नहीं होते थे, प्रचुरता से काम में लाए जाने लगे; और पूर्व-निर्धारित प्राष्टों से भेद करने के लिये इस नवीन लक्षणवती भाषा का नाम अपम्प या अपम्रंश पड़ गया। पहले तो साक्षर इसका आदर नहीं करते थे, पर पीछे इसका भी मान हुआ और इसमें भी प्रचुरता से साहित्यरचना होने लगी। आजकल जैसे खड़ी योर्ली की कविता जब द्वाया की माया में पड़कर दुर्वोध हो चली है, तब साधारण जन अपना मनोरंजन, आलहा, विरहा, लुरकी, लचारी, चाँचर, रसिया अथवा भैरो की कजली से कर रहे हैं और जैसे इनका प्रचार कहीं ग्राम्यगीतों के संग्रह के रूप में और कहीं भैरो-संप्रदाय के रूप में बढ़ रहा है, ठीक वही दशा उस समय अपम्रंश की भी थी। हेमचंद्र ने ग्रामीन तथा प्रचुरप्रयुक्त पदावली का अनुसरण कर साहित्य में प्रतिष्ठित इस भाषा का व्याकरण भी लिख डाला। इस प्रकार अपम्रंश, नाटकों की प्राकतों और आधुनिक भाषाओं के मध्य में वर्तमान, सर्वमान्य भाषा हो गई।

यों तो पूर्वी भाषाएँ भी अपम्रंश के पुट से बची नहीं हैं; पर गुजरात, राजपूताना तथा मध्यदेश (दोश्चाय) में घोली जानेवाली भाषाओं में विशेषकर अपम्रंश के चिह्न दृष्टिगोचर होते हैं। दसवीं और परवर्ती शताब्दियों में मध्यदेश की शैरसेनी अपम्रंश एक प्रकार से समन्वय उत्तरपथ की साहित्यिक भाषा रही। मध्यदेश तथा गंगा की तराई में प्रतिष्ठित राजपूतों के राज्य तथा उनकी शक्ति ही इसका मूल कारण थी। गुजरात के जैनों ने भी इसकी बड़ी उन्नति की। यह प्रायः एक प्रकार की खिचड़ी भाषा हो गई थी। प्राकृतसर्वस्व में मार्केडेय ने तीन प्रकार की अपम्रंशों का निश्चय किया है। पहली नागर अपम्रंश जो प्रायः राजस्थानी-गुजराती की मूलभूत उन बोलियों पर आधित है जिनमें प्रचुरता से शैरसेनी का भी मैल पाया जाता था। दूसरी ग्राचड जो सिंध में प्रचलित थी; और तीसरी उपनागर, नागर और ग्राचड भाषाओं का मिश्रण थी जिसका प्रचार पश्चिमी राजपूताने तथा दक्षिणी पंजाब में था। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि जितने प्रकार की प्राकृत थी, उतने ही प्रकार की अपम्रंश भी थी और देशभेद के कारण ही उसके भेद उपभेद भी हुए थे। पर उनके उदाहरण नहीं मिलते। पूर्व में अशोक के अनंतर वहाँ की ग्रादेशिक भाषा की कुछ भी उन्नति नहीं हुई।

कम से कम मागधी की तो नहीं ही हुई। यह एक बहुत सी हीन भाषा मानी जाती थी, जैसा नाटकों में नीच पात्रों के लिये इसके प्रयोग का निर्देश घतलाता है। अर्ध-मागधी और मागधी के प्रदेशों में भी शौर-सेनी ही साहित्य के लिये उपयुक्त समझी जाती थी। अपम्रंश काल के पूरव के कविजन भी अपनी प्रांतीय विभाषा का प्रयोग न कर शौरसेनी अपम्रंश ही का प्रयोग करते थे। यह परंपरा बहुत दिनों तक चली। दसवीं से तेरहवीं शताब्दी तक की पुरानी बँगला कविताओं में भी इसी शौरसेनी अपम्रंश का प्रयोग होता रहा। मिथिला के विद्यापति (१४५० वि०) ने मैथिली के साथ साथ ‘अवहट्ट’ या “अपम्रष्ट” में भी कविता की। यह ‘अवहट्ट’ शौरसेनी अपम्रंश का ही अर्वाचीन रूप था। इधर वज-भाषा को भी उसी अपम्रंश की विरासत मिली थी, जिसे अब खड़ी योलीवाले छीनना चाहते हैं। इस प्रकार यह अपम्रंश उस समय के समस्त आयों की राष्ट्र-भाषा थी, जो गुजरात और पश्चिमी पंजाब से लेकर बंगाल तक प्रचलित थी।

डाक्टर कीथ ने अभी थोड़े दिन हुए “संस्कृत साहित्य का इति-हास” लिखा है। उसके पहले खंड में उन्होंने भाषाओं का विवेचन किया है। अपम्रंश के विषय में उनकी सम्मति हमारे निष्कर्ष के प्रति-कूल है। अतएव उस संबंध में यहाँ थोड़ा सा विचार कर लेना अप्रासंगिक न होगा। उन्होंने दंडी और रुद्रट का आश्रय लेकर यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि अपम्रंश कभी किसी रूप में देश-भाषा न थी। यह आभीर, गुर्जर आदि विदेशी आकमण-कारियों की भाषा थी और उन्हों के साथ साथ उसका प्रसार और उसकी प्रतिष्ठा हुई, अतएव उसे मध्यकालीन ग्राहकों और आधुनिक आर्य-भाषाओं की विचली कड़ी मानना ठीक नहीं है। इस मत के प्रवर्तक पिशल और ग्रियर्सन दोनों ने भ्रम फैलाया है, इत्यादि। हमें यहाँ पिशल और ग्रियर्सन का पक्ष लेकर उनके मत का समर्थन नहीं करना है, हमें तो केवल यह कहना है कि अपम्रंश देश-भाषा क्या एक प्रकार से राष्ट्र-भाषा थी और उसका प्रचार समस्त उत्तरापथ में था। डाक्टर कीथ ने जिनके आधार पर अपना मत स्थिर करने का प्रयत्न किया है उनका आशय ही कुछ और है, जो डाक्टर कीथ के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। दंडी ने अपने काव्यादर्श में लिखा है कि काव्यों (दश्य और अव्य दोनों) में आभीर आदि की योली को तथा शालों (व्याकरण आदि) में संस्कृत-भिन्न भाषामात्र को अपम्रंश कहते हैं। केवल इस उल्लेख के आधार पर यह सिद्धांत नहीं निकाला जा सकता कि अपम्रंश आभीर आदि विदेशियों

की बोली थी। नाट्य ग्रंथों में जहाँ जहाँ भिन्न भिन्न पात्रों की वोलियों का निर्देश रहता है उसका तात्पर्य यह नहीं होता कि उस पात्र की परंपराग्रास अथवा जातीय बोली वही है। नाट्यकार इस विषय में केवल पूर्वाचार्यों का अनुसरण कर पात्रविशेष की भाषा का निर्देश कर देते हैं। उससे यह कदापि न समझना चाहिए कि जिस पात्र की जो भाषा नाट्यशास्त्र में लिखी है वह उसकी मातृभाषा है। अथवा यदि यह मान भी लिया जाय कि आरंभ में जब आमीर आदि जातियों ने भारत में प्रवेश किया उस समय यहाँ प्रचलित ग्राकृतों में उन्हीं के विकृत उच्चारण और उन्हीं के कुछ स्वकीय शब्दों के मेर्ल से भ्रष्टता उत्पन्न हुई हो और इसी नाते अपभ्रंश का संवंध आमीर आदि जातियों से जोड़ा गया हो, तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि आरंभ से अंत तक अपभ्रंश उन्हीं की बोली थी और उस दशा में भी उसमें इतना अधिक वाड्मय प्रस्तुत हुआ कि भारतवर्ष के प्रामाणिक अलंकारियों ने संस्कृत और ग्राकृत के समान ही अपभ्रंश साहित्य का उल्लेख करना भी आवश्यक समझा। जिस प्रकार विदेशी मुसलमानों के संसर्ग से वनी हुई 'हिंदुस्तानी' भाषा मुसलमानों की भाषा नहीं किंतु समस्त देश की राष्ट्र-भाषा है उसी प्रकार आमीर आदि के संपर्क से उत्पन्न अपभ्रंश भी समस्त देश की भाषा थी जिसमें प्रचुरता से साहित्य निर्माण हुआ। मार्केंडेय ने अपने 'ग्राहृत-सर्वस्व' में आमीरों को विभाषा लिखकर अपभ्रंश का पृथक् निर्देश किया है। इससे स्पष्ट है कि आमीरों की जो बोली थी वह साहित्यिक भाषा नहीं थी। मार्केंडेय ने 'ग्राहृतचंद्रिका' के श्लोक उद्धृत कर घटुत सी अपभ्रंशों का उल्लेख किया है जो सब प्रांतीय विभाषाएँ संप्रति भी व्यवहार में आती हैं। इससे यह कोई नहीं कह सकता कि अवधी हिंदी ही हिंदी है, प्रायः समस्त उत्तरापथ में प्रचलित हिंदो हिंदी नहीं है। कीथ ने दूसरा प्रमाण रुद्रट का दिया है और उससे मालूम नहीं क्या समझकर यह निर्णय निकाला है कि अपभ्रंश कभी देश-भाषा नहीं थी। आद्यर्थ है कि जब रुद्रट ने स्पष्ट शब्दों में "पष्टसु भूरिमेदो देशविशेषादपभ्रंशः" लिखकर देशभेद के कारण अपभ्रंश की विभिन्नता का उल्लेख किया है और उसके टीकाकार नमिसाधु ने इस विषय को उदाहरणों के द्वारा नितांत विशद कर दिया है तब भी कीथ को कैसे संदेह हुआ। उसे पढ़कर कोई दूसरा अर्थ लगाया ही नहीं जा सकता। देशभेद के कारण जिस भाषा का भेद हो उसको देश-भाषा नहीं तो और क्या कहते हैं। अस्तु, इस प्रसंग को हम और अधिक घढ़ाना नहीं चाहते। हमारा

तात्पर्य केवल इतना ही है कि कीथ ने जिन आधारों पर अपने नए मत का निश्चय किया है वे ठीक नहीं हैं, अतएव वे सिद्धांत भी भ्रमात्मक हैं।

आगे चलकर प्राकृत की भास्ति अपभ्रंश भी व्याकरण के नियमों से जकड़ दी गई और केवल साहित्य में व्यवहृत होने लगी। पर उसका

पुरानी हिंदी स्वाभाविक प्रवाह चलता रहा। कमशः वह भाषा

एक ऐसे रूप को पहुँची जो कुछ अंशों में तो हमारी आधुनिक भाषाओं से मिलता है और कुछ अंशों में अपभ्रंश से। आधुनिक हिंदी भाषा और शौरसेनी अपभ्रंश के मध्य की अवस्था कभी कभी 'अवहट्ट' कही गई है। 'प्राकृतपैंगल' में उदाहरण रूप से सन्निविष्ट कविताएँ इसी अवहट्ट भाषा में हैं। इसी अवहट्ट को पिंगल भी कहते हैं और राजपूताने के भाट अपनी डिगल के अतिरिक्त इस पिंगल में भी कविता करते रहे हैं। कुछ विद्वानों ने इसे 'पुरानी हिंदी' नाम भी दिया है। यद्यपि इसका ठीक ठीक निर्णय करना कठिन है कि अपभ्रंश का कब अंत होता है और पुरानी हिंदी का कहाँ से आरंभ होता है, तथापि घारहव्वी शताब्दी का मध्य भाग अपभ्रंश के अस्त और आधुनिक भाषाओं के उदय का काल यथाकथंचित् माना जा सकता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि पहले मूल भाषा से वैदिक संस्कृत की उत्पत्ति हुई और फिर उसने कट्टृंड या सुधरकर साहित्यिक रूप धारण किया; पर साथ ही वह बोल-चाल की भाषा भी बनी रही। प्राचीन काल की बोल-चाल की भाषा को कुछ विद्वानों ने 'पहली प्राकृत' नाम दिया है। हमने उसका उल्लेख मूल भाषा के नाम से किया है। आगे चलकर यह पहली प्राकृत या मूल भाषा दूसरी प्राकृत के रूप में परिवर्त्तित हुई, जिसकी तीन अवस्थाओं का हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं। इन्हीं तीन अवस्थाओं का हमने पहली प्राकृत या पाली, दूसरी प्राकृत या शौरसेनी आदि प्राकृतें, और अपभ्रंश नामों से उल्लेख किया है। जब इन भिन्न भिन्न अवस्थाओं की प्राकृतें भी वैयाकरणों के अधिकार में आकर साहित्यिक रूप धारण करने लगीं, तब अंत में इस मध्य प्राकृत से तीसरी प्राकृत या अपभ्रंश का उदय हुआ। जब इसमें भी साहित्य की रचना आरंभ हुई, तब बोल-चाल की भाषा से आधुनिक देश-भाषाओं का आरंभ हुआ। ये आधुनिक देश-भाषापाँ भी अब कमशः साहित्य का रूप धारण करती जाती हैं। इस इतिहास का यहाँ तक विवेचन करके यह कहना पड़ता है कि बोल-चाल की भाषा तथा साहित्य की भाषा में जब विशेष अंतर होने लगता है, तब वे भिन्न भिन्न मार्गों पर लग जाती हैं और उनका पृथक् पृथक् विकास होने लगता है।

आयों के सप्तसिंधु में घन जाने के उपरांत उनके पाई रहते समय ही उनकी भाषा ने यह रूप धारण किया था, जिसे आजकल लोग प्राचीन संस्कृत कहते हैं। पर उस समय भी उसके कर्ण प्रांतीय भेद और उप-भेद थे। आजकल मारतवर्ष में जितनी आर्यभाषाएँ याली जाती हैं, उन सबकी उत्पत्ति उन्हीं प्रांतीय भेदों और उपभेदों से हुए हैं। हमारे प्राचीन धर्म-ग्रंथों में जो संस्कृत भाषा मिलती है, उसका विशास भी उन्हीं भेदों से हुआ था।

दूसरा अध्याय

भारतवर्ष की आधुनिक भाषाएँ

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, आधुनिक भारतीय भाषाओं के विवेचन से सिद्ध होता है कि कुछ भाषाएँ तो पूर्वागत आर्यों की भाषाओं से विभिन्न हैं, जो इस समय भी मध्य देश रग भाषाएँ अतरंग और वहि- के संबंध रखती हैं, जो इस समय भी मध्य देश के चारों ओर फैली हुई हैं, और कुछ परागत आर्यों की भाषाओं से संबद्ध हैं। इस आधार पर हार्नले

और ग्रियर्सन ने भारत की आधुनिक भाषाओं के दो मुख्य विभाग किए हैं। उनमें से एक विभाग की भाषाएँ तो उन प्रदेशों में बोली जाती हैं जो इस मध्य देश के अंतर्गत हैं; और दूसरे विभाग की भाषाएँ उन प्रदेशों के चारों ओर के देशों में अर्थात् कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, सिंध, महाराष्ट्र, मध्य भारत, उड़ीसा, विहार, बंगाल तथा आसाम में बोली जाती हैं। एक गुजरात प्रदेश ही ऐसा है, जिसमें बोली जानेवाली भाषा का संबंध वहिरंग भाषाओं से नहीं, वरन् अंतरंग भाषाओं से है; और इसका कारण कदाचित् यही है कि किसी समय इस गुजरात प्रदेश पर मधुरावालों ने विजय प्राप्त की थी और मधुरा नगरी उसी मध्य देश के अंतर्गत है।

इन अंतरंग और वहिरंग भाषाओं में ऊई पेसे प्रत्यक्ष अंतर और विरोध हैं, जिनसे इन दोनों का पार्थक्य स्पष्ट प्रकट होता है। पहले तो दोनों के उच्चारण में एक विशेष अंतर है। अंतरंग भाषाओं में बहुधा “स” का ठीक उच्चारण होता है; पर वहिरंग भाषाओं के भाषी शुद्ध दंत्य दोनों भाषाओं में मेद “स” का उतना स्पष्ट उच्चारण नहीं कर सकते।

वे उसका उच्चारण कुछ कुछ ताल्लु “श” अथवा मूर्द्धन्य “प” के समान करते हैं। ईरानी शासा की फारसी आदि भाषाओं में बहुत प्राचीन काल से “स” के स्थान में “ह” कर देने की प्रवृत्ति देखने में आती है; जैसे, सप्त के स्थान में हक्क। यही बात वहिरंग भाषाओं में भी पाई जाती है। पंजाबी और सिंधी में “कोस” का “कोह” हो जाता है। इधर बँगला तथा मराठी में दंत्य “स” के स्थान में ग्रायः “श” बोला जाता है। पूर्वी बंगाल तथा आसाम में घटी “চ” और “স” के बीच का एक नया उच्चारण हो जाता है; और पश्चिमी

सीमा-ग्रांत तथा कश्मीर आदि में वही शुद्ध “ह” हो जाता है। दोनों विभागों की संज्ञाओं के रूपों में भी एक विशेष अंतर देखने में आता है। अंतरंग भाषाओं के प्रायः सभी मूल प्रत्यय नष्ट हो गए हैं और उनका काम विभक्तियों से लिया जाता है, जो शब्दों के साथ जोड़ी जाती हैं; जैसे का, को, से, ने आदि। पर वहिरंग भाषाएँ इनकी अपेक्षा कुछ अधिक विकसित हैं।

भाषा-विज्ञान का सिद्धांत है कि भाषाएँ पहले वियोगावस्था में रहती हैं; और तब क्रमशः विकसित होते होते संयोगावस्था में आती हैं। प्रायः सभी अंतरंग भाषाएँ इस समय वियोगावस्था में हैं; पर वहिरंग भाषाएँ विकसित होते होते संयोगावस्था में हैं। वहिरंग भाषाओं और अंतरंग भाषाओं में एक और अंतर यह है कि वहिरंग भाषाओं की भूतकालिक क्रियाओं के साधारण रूपों से ही उनका पुरुष और वचन मालूम हो जाता है; पर अंतरंग भाषाओं में सभी पुरुषों में उन क्रियाओं का रूप एक सा रहता है। हिंदी में “मैं गया”, “वह गया” और “तू गया” सबमें “गया” समान है; पर मराठी में “गेलौं” से ‘ही “मैं गया” का वोध होता है; और “गेला” से “वह गया” का। थँगला का “मारिलाम्” शब्द भी यही सूचित करता है कि उसका कर्त्ता उसम पुरुष है। तात्पर्य यह कि वहिरंग भाषाओं की भूतकालिक क्रियाओं में सर्वनाम भी अंतर्भुक्त होता है; पर अंतरंग भाषाओं में यह यात नहीं पाई जाती।

इस मत का अब खंडन होने लगा है और दोनों प्रकार की भाषाओं के भेद के जो कारण ऊपर दिखाय गए हैं, वे अन्यथा सिद्ध हैं, जैसे ‘स’ का ‘ह’ हो जाना केवल वहिरंग भाषा का ही लक्षण नहीं है, किंतु अंतरंग मानी जानेवाली पश्चिमी हिंदी में भी ऐसा ही होता है। इसके तस्य-तस्स-तास = ताह - ता (ताको, ताहि इत्यादि), करि-प्पति-करिस्सदि-करिसइ-करिहइ-करिहै एवं केसरी से केहरि आदि यहुत से उदाहरण मिलते हैं। इसी प्रकार वहिरंग मानी जानेवाली भाषाओं में भी ‘स’ का प्रयोग पाया जाता है; जैसे—राजस्थानी (जय-पुरी)-करसी, पश्चिमी पंजाबी—करसी इत्यादि। इसी प्रकार संस्कृत-घाचकों में ‘स’ का ‘ह’ प्रायः सभी मध्यकालीन तथा आधुनिक आर्य-भाषाओं में पाया जाता है। यथा पश्चिमी हिंदी में—ग्यारह, वारह, चौहत्तर इत्यादि; एवं वहिरंग भाषाओं की भूतकालिक क्रियाओं में सर्वनाम का अंतर्भुक्त होना और अंतरंग भाषाओं में ऐसा न होना जो बड़ा भारी भेदक माना गया है, वह भी एक प्रकार से दुर्वल ही है। उस

विषय का थोड़ा सा दिग्दर्शन यहाँ कराया जाता है। मध्यकालीन आर्य भाषाओं (पाली, प्राकृत आदि) से तिङ्गत (साध्यावस्थापन्न) क्रियाओं का लोप हो चला था। सकर्मक क्रियाओं का भूतकाल भूतकालचाची धातुज विशेषणों की सहायता से बनाया जाने लगा था। कर्म इन धातुज विशेषणों का विशेष्य होता था और कर्त्ता में करण की विभक्ति लगाई जाती थी। सकर्मक क्रियाओं के भूतकाल में इस प्रकार का कर्मणि-प्रयोग प्रायः सभी आधुनिक भारतीय आर्य-भाषाओं ने अपनी अपनी मूलभूत अपम्रियों से प्राप्त किया है। यह कर्मणि-प्रयोग वहिरंग मानी जानेवाली पश्चिमी और दक्षिणी भाषाओं अर्थात् पश्चिमी पंजाबी, सिंधी, गुजराती, राजस्थानी और मराठी में जिस प्रकार प्रचलित है उसी प्रकार अंतरंग मानी जानेवाली पश्चिमी हिंदी में भी है। हाँ, पूर्वी हिंदी तथा मागधी की सुताओं ने अवश्य इसका पूर्ण रूप से परित्याग कर कर्त्तरि-प्रयोग ही को अपनाया है। इनमें भी उन्हीं धातुज विशेषणों के रूपों में पुरुषवोधक प्रत्यय लगाकर तीनों पुरुपों के पृथक् पृथक् रूप बना लिए जाते हैं। पश्चिमी पंजाबी और सिंधी में इस प्रकार के प्रत्यय तो लगते हैं, पर उनमें कर्मणि-प्रयोग की पद्धति ज्यों की त्यों अचुरण है। यह इसलिये प्रतीत होता है कि क्रिया-वोधक धातुज के लिंग और वचन कर्म ही के अनुसार बदलते हैं। इन भाषाओं में इस प्रकार के प्रत्यय लगाने का कारण यह जान पड़ता है कि इनमें सप्रत्यय कर्त्ता का प्रयोग नहीं होता, अपितु उसका केवल विकारी अप्रत्यय रूप काम में लाया जाता है। अतः पुरुष वोधन के लिये तादृश प्रत्यय लगा देना सप्रयोजन समझा जाता है। इस विषय में इनकी पड़ोसी ईरानी भाषाओं का भी कुछ न कुछ हाथ है। मिलाइए फारसी कर्दम (मैंने किया), पश्तो-कर्डम्। चाहे जैसे हो, पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी पंजाबी आदि में सांसिद्धिक साधर्थ्य अवश्य है। अब यदि इन भाषाओं का भेद कर सकते हैं तो यों कर सकते हैं कि पूर्वी भाषापाणँ कर्त्तरिप्रयोग-प्रधान और पश्चिमी कर्मणि-प्रयोग-प्रधान होती हैं।

पश्चिमी भाषाएँ

(कर्मणि-प्रयोग)

पश्चिमी हिंदी—मैंने पोथी पढ़ी ।

गुजराती—मैं पोथी चाँची ।

मराठी—मीं पोथी चाचिली ।

सिंधी—(मूँ) पोथी पढ़ी-मे ।

पश्चिमी पंजाबी—(मैं) पोथी पढ़ी-म् ।

(यहाँ में, मीं, मूँ, मैं सभी 'मया' से निरुले हुए करण विभक्त्यत्वं रूप हैं। 'मैंने' में करण की दोहरी विभक्ति लगी है)।

पूर्वी भाषाएँ

(कर्त्तरि-प्रयोग)

पूर्वी हिंदी—मैं पोथी पढ़ेँउँ।

भोजपुरिया—हम पोथी पढ़लौँ।

मैथिली—हम पोथी पढ़लूँहुँ।

बँगला—आমি পুরী পোড়িলাম।

(मुझ पुरी पोड़िली—लुम्)

उड़िया—आম्बे পোথি পোড়িলুঁ (मुँ पोथि पोड़িলी)

विचार करने की वात है कि इस प्रकार भेद रहते हुए बँगला आदि पूर्वी भाषाओं को सिंधी, पश्चिमी पंजाबी आदि के साथ नाथकर स्थको वहिरंग मान लेना कहाँ तक ठीक है। पवं अंतरंग और वहिरंग भेद का प्रयोजक आर्यों का भारतवर्ष में अनुभित पूर्वागमन और परागमन भी असंदिग्ध नहाँ माना जा सकता, क्योंकि इसके विकल्प आर्यों का पहले ही से सप्तसिंधु में निवास करना एक प्रकार से प्रमाणित हो चला है। अस्तु; यह विषय अभी बहुत कुछ विवादग्रस्त है। कोई पक्ष अभी तक सर्वमान्य नहाँ हुआ है। इस अवस्था में आवृत्तिक आर्यभाषाओं के अंतरंग और वहिरंग विभेदों को ही मानकर हम आगे बढ़ते हैं।

अंतरंग भाषाओं के दो मुख्य विभाग हैं—एक पश्चिमी और दूसरा उत्तरी। पश्चिमी विभाग में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और भाषाओं का बगँकरण पंजाबी ये चार भाषाएँ हैं; और उत्तरी विभाग में पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी ये तीन भाषाएँ हैं। वहिरंग भाषाओं के तीन मुख्य विभाग हैं—उत्तर-पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी। इनमें से उत्तर-पश्चिमी विभाग में कश्मीरी, कोहिस्तानी, पश्चिमी पंजाबी और सिंधी ये चार भाषाएँ हैं। दक्षिणी विभाग में केवल एक मराठी भाषा है; और पूर्वी विभाग में उड़िया, विहारी, बँगला और आसामी ये चार भाषाएँ हैं। जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं, इन अंतरंग और वहिरंग भाषाओं के बीच में एक छाट विभाग है, जो मध्यवर्ती कहलाता है और जिसमें पूर्वी हिंदी है। इस मध्यवर्ती विभाग में अंतरंग भाषाओं की भी कुछ वातें हैं और वहिरंग भाषाओं की भी कुछ वातें हैं। यहाँ हम इनमें से केवल पश्चिमी हिंदी, विहारी और पूर्वी हिंदी के संघर्ष की कुछ मुख्य मुख्य वातें दे देना चाहते हैं।

अपने भाषा सर्वे में प्रियर्सन ने भिन्न भिन्न भाषाओं के उच्चारण तथा व्याकरण का विचार करके इन भारतीय आर्यभाषाओं को तीन वर्गीकरण उपशाखाओं में विभक्त किया है—(१) अंतरंग, (२) वहिरंग और (३) मध्यवर्ती। वह वर्गीकरण वृक्ष द्वारा इस प्रकार दिखाया जाता है—

क. वहिरंग उपशाखा

{ १६२१ में
वोलनेवालों की संख्या

(१) पश्चिमोत्तरी वर्ग	करोड़ लाख
१—लहंदा	०—५७
२—सिंधी	०—३४
(२) दक्षिणी वर्ग	
३—मराठी	१—८८
(३) पूर्वी वर्ग	
४—आसामी	०—१७
५—बंगाली	४—६३
६—उड़िया	१—०
७—विहारी	३—४३

ख. मध्यवर्ती उपशाखा

(४) मध्यवर्ती, वर्ग ८—पूर्वी हिंदी	२—२६
---	------

ग. अंतरंग उपशाखा

(५) केंद्र वर्ग	
६—पश्चिमी हिंदी	४—१२
१०—पंजाबी	१—६२
११—गुजराती	०—६६
१२—भीली	०—१६
१३—खानदेशी	०—२
१४—राजस्थानी	१—२७
(६) पहाड़ी वर्ग	
१५—पूर्वी पहाड़ी अथवा नैपाली	०—३

करोड़ लाख

१६—केंद्रवर्ती पहाड़ी^{*}

...

१७—पश्चिमी पहाड़ी

०—१७

इस प्रकार १७ भाषाओं के ६ वर्ग और ३ उपशाखाएँ मानी जा सकती हैं, पर कुछ लोगों को यह अंतरंग और वहिरंग का भेद ठीक नहीं प्रतीत होता। डा० सुनीतिकुमार चैटजी ने लिखा है कि सुदूर पश्चिम और पूर्व की भाषाएँ एक साथ नहीं रखी जा सकतीं। उन्होंने इसके लिये अच्छे प्रमाण भी दिए हैं और भाषाओं का वर्गीकरण नीचे लिखे ढंग से किया है।

(क) उदीच्य (उत्तरी) वर्ग

१—सिंधी

२—लहंदा

३—पंजाबी

(ख) प्रतीच्य (पश्चिमी) वर्ग

४—गुजराती

५—राजस्थानी

(ग) मध्यदेशीय (विचला) वर्ग

६—पश्चिमी हिंदी

(घ) प्राच्य (पूर्वी) वर्ग

७—पूर्वी हिंदी

८—विहारी

९—उड़िया

१०—थंगला

११—आसामी

(ङ) दाकिणात्य (दक्षिणी) वर्ग

१२—मराठी

सूचना—पहाड़ी वोलियों को डा० चैटजी ने भी राजस्थानी का रूपांतर माना है पर उनको निश्चित रूप से किसी भी वर्ग में रख सकना सहज नहीं है। उनका एक अलग वर्ग मानना ही ठीक हो सकता है।

* १६२१ की मनुष्य गणना में केंद्रवर्ती पहाड़ी के वोलनेवाले हिंदी-भाषियों में गिन लिए गए हैं अतः वे उल ३८५३ मनुष्य इसके वोलनेवाले माने जाते हैं अर्थात् लाख में उनकी गणना नहीं हो सकती।

इस प्रकार हम ग्रियर्सन और चैटर्जी के नाम से दो पह्लों का उल्लेख कर रहे हैं—एक अंतरंग और वहिरंग के भेद को ठीक मानने-वाला और दूसरा उसका विरोधी। पर साधारण विद्यार्थी के लिये चैटर्जी का वर्गीकरण स्वाभाविक और सरल शात होता है; क्योंकि प्राचीन काल से आज तक मध्यदेश की ही भाषा सर्वप्रथान राष्ट्रभाषा होती आई है, अतः उसे अर्थात् 'पश्चिमी हिंदी' (अथवा केवल 'हिंदी') को केंद्र मानकर उसके चारों ओर के चार भाषा-वर्गों की परीक्षा करना सुविधाजनक होता है। इसी से स्वयं ग्रियर्सन ने अपने अन्य लेखों में सर्वप्रथम 'हिंदी' को मध्यदेशीय वर्ग मानकर वर्णन किया है और दूसरे वर्ग में उन भाषाओं को रखा है जो इस मध्यदेशीय भाषा (हिंदी) और वहिरंग भाषाओं के बीच में अर्थात् सीमांत पर पड़ती हैं। इस प्रकार उन्होंने नीचे लिखे तीन भाग किए हैं—

क. मध्यदेशीय भाषा

१—हिंदी (हिं०)

ख. अंतर्वर्ती अथवा मध्यग भाषाएँ

(अ) मध्यदेशीय भाषा से विशेष घनिष्ठतावाली

२—पंजाबी (पं०)

३—राजस्थानी (रा०)

४—गुजराती (गु०)

५—पूर्वी पहाड़ी, खसकुरा, अथवा नैपाली (पू० प०)

६—केंद्रस्थ पहाड़ी (के० प०)

७—पश्चिमी पहाड़ी (प० प०)

(आ) वहिरंग भाषाओं से अधिक संबद्ध

८—पूर्वी हिंदी (पू० हिं०)

ग. वहिरंग भाषाएँ—

(अ) पश्चिमोत्तर वर्ग

९—लहंदा (ल०)

१०—सिंधी (सिं०)

(आ) दक्षिणी वर्ग

११—मराठी (म०)

(इ) पूर्वी घर्ग

१२—निहारी (नि०)

१३—उड़िया (उ०)

१४—बंगाली (ब०)

१५—श्रासामी (श्रा०)

सूचना—भीली-गुजराती में और खानदेशी राजस्थानी में अंतर्भूत हो जाती है।

हम ग्रियर्सन के इस अंतिम वर्गोंकरण को मानकर ही आधुनिक देशभाषाओं का संक्षिप्त परिचय देंगे।

भारतवर्ष के सिंधु, सिंध और सिंधी के ही दूसरे रूप हिंदु, हिंद और हिंदी माने जा सकते हैं, पर हमारी भाषा में आज ये भिन्न भिन्न

हिंदी

शब्द माने जाते हैं। सिंधु एक नदी को, सिंध पक्ष

देश को और सिंधी उस देश के निवासी को कहते हैं, तथा फारसी से आए हुए हिंदु, हिंद और हिंदी सर्वथा भिन्न अर्थ में आते हैं। हिंदू से एक जाति, एक धर्म अथवा उस जाति या धर्म के माननेवाले व्यक्ति का वोध होता है। हिंद से पूरे देश भारतवर्ष का अर्थ लिया जाता है और हिंदी एक भाषा का धाचक होता है।

प्रयोग तथा रूप की दृष्टि से हिंदी या हिंदी शब्द फारसी* भाषा का है और इसका अर्थ 'हिंद का' होता है, अतः यह फारसी शब्दों में हिंद

हिंदी शब्द के भिन्न देश के वासी और हिंद देश की भाषा दोनों अर्थों में आता या और आज भी आ सकता है। पंजाब

का रहनेवाला दिहाती आज भी अपने को भारत-धासी न कहकर हिंदी ही कहता है, पर हमें आज हिंदी के भाषा संवंधी अर्थ से ही विशेष प्रयोग अवश्य है। शब्दार्थ की दृष्टि से इस अर्थ में भी हिंदी शब्द का प्रयोग हिंद या भारत में घोली जानेवाली किसी आर्य अथवा अनार्य भाषा के लिये हो सकता है, किंतु व्यवहार में हिंदी उस बड़े भूमिभाग की भाषा मानी जाती है जिसकी सीमा पश्चिम में जैसलमेर, उत्तर-पश्चिम में अंबाला, उत्तर में शिमला से लेकर नेपाल के पूर्वी छोर

* कुछ लोग स्वयं "हिंदी" शब्द के फारसी वर्तलाते हैं और कहते हैं कि इसमें हिंद शब्द के अत में जो "ई" है, वह फारसी की "याए निस्वती" (संवंध-धाचक या ई) है। ऐसी दशा में प्रश्न हो सकता है कि फिर अवधी, विहारी और मराठी आदि में जो ई है वह कैसी है ? दूसरे इस अर्थ का वोधक ई प्रत्यय पाली में भी लगता है। जैसे—अप्पमत्तो अथ गधो याय तगरचदनी (धम्मपद ४५६)। अतः यह कहना कि यह फारसी का प्रत्यय है ठीक नहीं है। यह विषय हमारे प्रस्तुत प्रसंग से कुछ बाहर है, इसलिये इसे हम यहीं छोड़ देते हैं। यहाँ हम केवल इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं कि यह हमारी भाषा है और इस समय सारे भारत की राष्ट्रभाषा हो रही है।

तक के पहाड़ी प्रदेश, पूर्व में भागलपुर, दक्षिण-पूर्व में रायपुर तथा दक्षिण-पश्चिम में खंडवा तक पहुँचती है। इस भूमिभाग के निवासियों के साहित्य, पञ्च-पञ्चिका, शिक्षा-दीक्षा, बोलचाल आदि की भाषा हिंदी है। इस अर्थ में विहारी (भोजपुरी, मगही और मैथिली), राजस्थानी (मारवाड़ी, मेवाती आदि), पूर्वी हिंदी (अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी), पहाड़ी आदि सभी हिंदी की विभाषाएँ मानी जा सकती हैं। उसके बोलनेवालों की संख्या लगभग ११ करोड़ है। यह हिंदी का प्रचलित अर्थ है। भाषा-शास्त्रीय अर्थ इससे कुछ भिन्न और संकुचित होता है।

भाषा-शास्त्र की दृष्टि से इस विशाल भूमिभाग अथवा हिंदी खंड में तीन चार भाषाएँ मानी जाती हैं। राजस्थान की राजस्थानी, विहार तथा बनारस-गोरखपुर कमिश्नरी की विहारी, उत्तर में पहाड़ों की पहाड़ी और अवध तथा छत्तीसगढ़ की पूर्वी हिंदी आदि पृथक् भाषाएँ मानी जाती हैं। इस प्रकार हिंदी केवल उस खंड की भाषा को कह सकते हैं जिसे प्राचीन काल में मध्य देश अथवा अंतर्वेद कहते थे। अतः यदि आगरा को हिंदी का केंद्र मानें तो उत्तर में हिमालय की तराई तक और दक्षिण में नर्मदा की घाटी तक, पूर्व में कानपुर तक और पश्चिम में दिल्ली के भी आगे तक हिंदी का क्षेत्र माना जाता है। इसके पश्चिम में पंजाबी और राजस्थानी बोली जाती हैं और पूर्व में पूर्वी हिंदी। कुछ लोग हिंदी के दो भेद गानते हैं—पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। पर आधुनिक विद्वान् पश्चिमी हिंदी* को ही हिंदी कहना शास्त्रीय समझते हैं। अतः भाषा-वैज्ञानिक विवेचन में पूर्वी हिंदी भी 'हिंदी' से पृथक् भाषाएँ मानी जाती है। पेतिहासिक दृष्टि से भी देखें तो हिंदी शौरसेनी की धंशज है और पूर्वी हिंदो अर्धमागधी की। इसी से ग्रियर्सेन, चैटर्जी हिंदी का शास्त्रीय अर्थ आंदि ने हिंदी शब्द का पश्चिमी हिंदी के ही अर्थ में व्यवहार किया है और ग्रज, कन्नौजी, बुंदेली वाँगरु और खड़ी बोली (हिंदुस्तानी) को ही हिंदी की विभाषा माना है—अवधी, छत्तीसगढ़ी आदि को नहीं। अभी हिंदी लेखकों के अतिरिक्त अँगरेजी लेखक भी 'हिंदी' शब्द का मनचाहा अर्थ किया करते हैं इससे भाषा-विज्ञान के विद्यार्थी को हिंदी शब्द के (१) मूल शब्दार्थ, (२) प्रचलित और साहित्यिक अर्थ, तथा (३) शास्त्रीय अर्थ को भली भाँति समझ लेना चाहिए। तीनों अर्थ ठीक हैं पर भाषा-विज्ञान में वैज्ञानिक खोज से सिद्ध और शास्त्र-प्रयुक्त अर्थ ही लेना चाहिए।

* पश्चिमी हिंदो के बोलनेवालों की संख्या केवल ४ करोड़ १२ लाख है।

(१) हिंदी (पश्चिमी हिंदी अथवा केंद्रीय हिंदी-आर्य भाषा) की प्रधान पाँच विभागाएँ हैं—खड़ी बोली, याँगरु, ब्रजभाषा, कन्दौजी और सड़ी बोली खुँदेली । आज खड़ी बोली राष्ट्र की भाषा है—साहित्य और व्यवहार सब में उसी का बोलवाला है, इसी से वह अनेक नामों और रूपों में भी देख पड़ती है । प्रायः लोग ब्रजभाषा, अवधी आदि प्राचीन साहित्यिक भाषाओं से भेद दिखाने के लिये आधुनिक साहित्यिक हिंदी को 'खड़ी बोली' कहते हैं । यह इसका सामान्य अर्थ है, पर इसका मूल अर्थ लै तो खड़ी बोली उस बोली को कहते हैं जो रामपुर रियासत, मुरादाबाद, विजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून, अंदाला तथा कलसियां और पटियाला रियासत के पूर्वी भागों में बोली जाती है । इसमें यद्यपि फारसी-अर्थी के शब्दों का व्यवहार अधिक होता है पर वे शब्द तद्देव अथवा अर्धतत्सम होते हैं । इसके बोलनेवालों की संख्या लगभग ५३ लाख है । इसकी उत्पत्ति के चिपय में अब यह माना जाने लगा है कि इसका विकास शौरस्तेनी अपन्नश से हुआ है । उस पर कुछ पंजाबी का भी प्रभाव देख पड़ता है ।

यह सड़ी बोली ही आजकल की हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी तीनों का मूलधार है । खड़ी बोली अपने शुद्ध रूप में केवल एक

उच्च हिंदी बोली है पर जब वह साहित्यिक रूप धारण करती है तब कभी वह 'हिंदी' कही जाती है और कभी 'उर्दू' । जिस भाषा में संस्कृत के तत्सम और अर्धतत्सम

* यह एक विचित्र बात है कि जहाँ अन्य भाषाएँ भिन्न भिन्न प्रदेशों में बोली जाने के कारण उस उस प्रदेश के नाम से अभिहित होती है, जैसे अवधी, ब्रज, मुँदेली, यहाँ सड़ी बोली का नाम सबसे भिन्न देख पड़ता है । इसना नाम-करण किसी प्रदेश के नाम पर, जहाँ इसका मुख्यतया प्रचार है या उद्घव हुआ है, नहीं है । हिंदी साहित्य में यह नाम पहले-पहल लल्लूजी लाल के लेख में मिलता है । मुहलमानो ने जब इसे अपनाया तब इसे रेखता का नाम दिया । रेखता का अर्थ गिरता या पड़ता है । क्या इसी गिरी या पड़ी हुई भाषा के नाम का विरोध सूचित करने के लिये इसका नाम खड़ी बोली रखा गया ? कुछ लोगों का कहना है कि यह 'खड़ी' शब्द 'परी' (टक्साली) का निगड़ा रूप है । जो हो, इस नामकरण का दैर्घ्य प्रामाणिक कारण अब तक नहीं जात हुआ है । क्या इसका नाम अतबेंदी रगना अनुपसुक होता ? पर अब सड़ी बोली नाम चल पड़ा है और उसे बदलने की चेष्टा व्यर्थ है ।

शब्दों का विशेष व्यवहार होता है वह हिंदी (अथवा योरोपीय विद्वानों की उच्च हिंदी) कही जाती है। इसी हिंदी में वर्तमान युग का साहित्य निर्मित हो रहा है। पढ़े लिखे हिंदू इसी का व्यवहार करते हैं। यही खड़ी बोली का साहित्यिक रूप हिंदी के नाम से राष्ट्रभाषा के सिवासन पर बिठाया जा रहा है।

जब वही खड़ी बोली फारसी-अरबी के तत्सम और अर्धतत्सम शब्दों को इतना अपना लेती है कि कभी कभी उसकी वाक्य-रचना पर

उर्दू भी कुछ विदेशी रंग चढ़ जाता है तब उसे उर्दू कहते हैं। यही उर्दू भारत के मुसलमानों की साहित्यिक भाषा है। इस उर्दू के भी दो रूप देखे जाते हैं। एक दिल्ली लखनऊ आदि की तत्सम-बहुला कठिन उर्दू और दूसरी हैदराबाद की सरल दक्षिणी उर्दू (अथवा हिंदुस्तानी)। इस प्रकार भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि में हिंदी और उर्दू खड़ी बोली के दो साहित्यिक रूप मान्य हैं। एक का ढाँचा भारतीय परंपरागत प्राप्त है और दूसरी को फारसी का आधार घनाकर बिकसित किया जा रहा है।

खड़ी बोली का एक रूप और होता है जिसे न तो शुद्ध साहित्यिक ही कह सकते हैं और न डेठ बोलचाल की बोली ही कह सकते हैं।

हिंदुस्तानी है। वह है हिंदुस्तानी—विशाल हिंदी प्रांत के लोगों की परिमार्जित बोली। इसमें तत्सम शब्दों

का व्यवहार कम होता है परंतु व्यवहार के शब्द देशी-विदेशी सभी काम में आते हैं। संस्कृत, फारसी, अरबी के अतिरिक्त अँगरेजी ने भी हिंदुस्तानी में स्थान पालिया है। इसी से एक विद्वान् ने लिखा है कि “पुरानी हिंदी, उर्दू, और अँगरेजी के मिश्रण से जो एक नई जगान आप से आप बन गई है वह हिंदुस्तानी के नाम से मशहूर है।” यह उद्धरण भी हिंदुस्तानी का अच्छा नमूना है। यह भाषा अभी तक बोल-चाल की बोली ही है। इसमें कोई साहित्य नहीं है। किससे, गजल, भजन आदि की भाषा को, यदि चाहें तो, हिंदुस्तानी का ही एक रूप कह सकते हैं। आजकल कुछ लोग हिंदुस्तानी को साहित्य की भाषा बनाने का यज्ञ कर रहे हैं, परंतु वर्तमान अवस्था में वह राष्ट्रीय बोली ही कही जा सकती है। उसकी उत्पत्ति का कारण भी परस्पर

* हिंदुस्तानी का साहित्य के आसन पर विराजने की चेष्टा करना हिंदी और उर्दू और दोनों के लिये अनिष्टकर सिद्ध हो सकता है। इसके प्रचार और विकास तथा साहित्योपयोगी होने से हिंदी उर्दू दोनों अपने प्राचीन

विनिमय की इच्छा ही है। जिस प्रकार उर्दू के रूप में सड़ी बोली ने मुसलमानों की माँग पूरी की है उसी प्रकार अँगरेजी शासन और शिक्षा की आधारणकाताओं की पूर्ति करने के लिये हिंदुस्तानी चेष्टा कर रही है। वास्तव में 'हिंदुस्तानी' नाम के जन्मदाता अँगरेज आफिसर हैं। वे जिस साधारण बोली में साधारण लोगों से—साधारण पढ़े और घेपढ़े दोनों दंग के लोगों से—धातचीत और व्यवहार करते थे उसे हिंदुस्तानी कहने लगे। जब हिंदी और उर्दू साहित्य-सेवा में विशेष रूप से लग गई तब जो बोली जनता में यब रही है उसे हिंदुस्तानी कहा जाने लगा है। यदि हम चाहें तो हिंदुस्तानी को चाहे हिंदी का, चाहे उर्दू के बोलचाल का सप कह सकते हैं। अतः हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी तीनों ही सड़ी बोली के रूपांतर भाग हैं। साथ ही हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि शाखों में सड़ी बोली का अधिक प्रयोग एक प्रांतीय बोली के अर्थ में ही होता है।

(२) धाँगर—हिंदी की दूसरी विभाषा धाँगर बोली है। यह धाँगर अर्थात् पंजाब के दक्षिण-पूर्वी भाग की बोली है। देहली, करनाल, रोहतक, हिसार, पटियाला, नाभा और झोंद आदि की ग्रामीण बोली यही धाँगर है। यह पंजाबी, राजस्थानी और सड़ी बोली तीनों की खिचड़ी है। धाँगर बोलनेवालों की संख्या बाईस लाख है। धाँगर बोली की पश्चिमी सीमा पर सरस्वती नदी घहता है। पानीपत और कुख्नेन के प्रसिद्ध मैदान इसी बोली की सीमा के अंदर पड़ते हैं।

(३) ब्रजभाषा—ब्रजमंडल में ब्रजभाषा बोली जाती है। इसका विद्युद रूप आज भी मथुरा, आगरा, अलीगढ़ तथा धौलपुर में बोला जाता है। इसके बोलनेवालों की संख्या लगभग ७६ लाख है। ब्रजभाषा में हिंदी का इतना घड़ा और सुंदर साहित्य लिया गया है कि उसे बोली अथवा विभाषा न कहकर भाषा का नाम मिल गया था, पर आज तो यह हिंदी की एक विभाषा भाग कही जा सकती है। आज भी अनेक कवि पुरानी अमर ब्रजभाषा में काव्य लिखते हैं।

(४) कन्नौजी—गंगा के मध्य दोआव की बोली कन्नौजी है। इसमें भी अच्छा साहित्य मिलता है पर यह भी ब्रजभाषा का ही साहित्य माना जाता है, क्योंकि साहित्यिक कन्नौजी और ब्रज में कोई विशेष अंतर नहीं लिखित होता।

गैरव और परपरा से पृथक् हो जायेगी और दोनों अपभ्रंश होकर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करेंगी, जो भारतीय भाषाओं के इतिहास की परपरा में उथल-पुथल कर देगी।

(५) बुंदेली—यह बुंदेलखण्ड की भाषा है और ग्रजभाषा के क्षेत्र के दक्षिण में बोली जाती है। शुद्ध रूप में यह भासी, जालौन, हमीर-पुर, घालियर, भूपाल, ओडिशा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी तथा होशंगाबाद में बोली जाती है। इसके कई मिथित रूप दतिया, पन्ना, चरखारी, दमोह, चालाघाट तथा छिंदवाड़ा के कुछ भागों में पाए जाते हैं। बुंदेली के बोलनेवाले लगभग ६६ लाख हैं। मध्यकाल में बुंदेलखण्ड में अच्छे कवि हुए हैं पर, उनकी भाषा ग्रज ही रही है। उनकी ग्रजभाषा पर कभी कभी बुंदेली की अच्छी छाप देख पड़ती है।

‘मध्यवर्ती’ कहने का यही अभिप्राय है कि ये भाषाएँ मध्यदेशी भाषा और वहिरंग भाषाओं के बीच की कड़ी हैं अतः उनमें दोनों के मध्यवर्ती भाषाएँ लक्षण मिलते हैं। मध्यदेश के पश्चिम की भाषाओं में मध्यदेशी लक्षण अधिक मिलते हैं पर उसके पूर्व की ‘पूर्वी हिंदी’ में वहिरंग वर्ग के इतने अधिक लक्षण मिलते हैं कि उसे वहिरंग वर्ग की ही भाषा कहा जा सकता है।

जैसा पीछे तीसरे ढंग के वर्गीकरण में स्पष्ट हो गया है, ये मध्यवर्ती भाषाएँ सात हैं—पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, पूर्वी पहाड़ी, केंद्रीय पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी और पूर्वी हिंदी। ये सातों भाषाएँ हिंदी को—मध्यदेश की भाषा को—धेरे हुए हैं। साहित्यिक और राष्ट्रीय दृष्टि से ये सब हिंदी की विभाषाएँ (अथवा उपभाषाएँ) मानी जा सकती हैं पर भाषाशास्त्र की दृष्टि से ये स्वतंत्र भाषाएँ मानी जाती हैं। इनमें से पहली छः में मध्यदेशी लक्षण अधिक मिलते हैं पर पूर्वी हिंदी में वहिरंग लक्षण ही प्रधान हैं।

पूरे पंजाब प्रांत की भाषा को ‘पंजाबी’ कह सकते हैं। इसी से कई लेखक पश्चिमी पंजाबी और पूर्वी पंजाबी के दो भेद करते हैं पर भाषा-पंजाबी शास्त्री पूर्वी पंजाबी को पंजाबी कहते हैं अतः हम भी पंजाबी का इसी अर्थ में ‘व्यवहार करेंगे। पश्चिमी पंजाबी को लहँदा कहते हैं। अमृतसर के आसपास की भाषा शुद्ध पंजाबी मानी जाती है। यद्यपि स्थानीय बोलियों में भेद मिलता है पर सभी विभाषा डोग्री ही है। जंबू रियासत और काँगड़ा जिले में डोग्री बोली जाती है। इसकी लिपि तकरी अथवा टकरी है। टक्क जाति से इसका संबंध जोड़ा जाता है। पंजाबी में थोड़ा साहित्य भी है। पंजाबी ही एक पेसी मध्यदेश से संबद्ध भाषा है जिसमें संस्कृत और फारसी शब्दों की भरती नहीं है। इस भाषा में वैदिक-संस्कृत-सुलभ रस और सुंदर पुरुषत्व देख पड़ता है। इस भाषा में इसके बोलनेवाले

बलिष्ठ और कठोर किसानों की कठोरता और सादगी मिलती है। प्रिय-र्सन ने लिखा है कि पजावी ही पक ऐसी आधुनिक हिंदी—आर्य भाषा है जिसमें वैदिक अथवा तिव्यत चीनी भाषा के समान स्वर पाप चाते हैं।

पजावी के दक्षिण में राजस्थानी है। जिस प्रकार हिंदी का उच्चर-पश्चिम की ओर फैला हुआ रूप पजावी है, उसी प्रकार हिंदी का दक्षिण राजस्थानी और गुजराती पश्चिम विस्तार राजस्थानी है। इसी विस्तार का अंतिम भाग गुजराती है। राजस्थानी और गुजराती वास्तव में इतनी परस्पर संबद्ध है कि दोनों को पक ही भाषा की दो विभाषाएँ मानना भी अनुचित न होगा। पर आजकल ये दो स्वतंत्र भाषाएँ मानी जाती हैं। दोनों में स्वतंत्र साहित्य की भी रचना हो रही है। राजस्थानी की मेचाती, मालची, मारवाड़ी और जयपुरी आदि अनेक विभाषाएँ हैं, पर गुजराती में कोई निश्चित विभाषाएँ नहीं हैं। उच्चर और दक्षिण की गुजराती की बोली में थोड़ा स्थानीय भेद पाया जाता है।

मारवाड़ी और जयपुरी से मिलती-जुलती पहाड़ी भाषाएँ हिंदी के उच्चर में मिलती हैं। पूर्वी पहाड़ी नेपाल की प्रधान भाषा है इसी से पहाड़ी यह नेपाली भी कही जाती है। इसे ही परवतिया अथवा खसकुरा भी कहते हैं। यह नागरी अदरों में लिखी जाती है। इसका साहित्य सर्वेथा आधुनिक है। केंद्रवर्ती पहाड़ी गढ़वाल रियासत तथा कुमाऊँ और गढ़वाल ज़िलों में बोली जाती है। इसमें दो विभाषाएँ हैं—कुमाऊँनी और गढ़वाली। इस भाषा में भी कुछ पुस्तकें, थोड़े दिन हुए, लिपी गई हैं। यह भी नागरी अदरों में लिखी जाती है। पश्चिमी पहाड़ी बहुत सी पहाड़ी बोलियों के समूह का नाम है। उसकी कोई प्रधान विभाषा नहीं है और न उसमें कोई उत्तेजनीय साहित्य ही है। कुछ प्राचीन भर मिलते हैं। इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। संयुक्तप्रांत के जोनसार—चाचर से लेकर पजाव भ्रांत में सिरमोर रियासत, शिमला पहाड़ी, कुड़ी, भंडी, चंवा होते हुए पश्चिम में कश्मीर की भद्रवार जारी तक पश्चिमी पहाड़ी बोलियाँ फैली हुई हैं। इसमें जौनसारी, कुड़ली, चंवाली आदि अनेक विभाषाएँ हैं। ये टकरी अथवा तकरी लिपि में लिखी जाती हैं।

इसे हिंदी का पूर्वी विस्तार कह सकते हैं पर इस भाषा में इतने अद्वितीय भाषाओं के लक्षण मिलते हैं कि इसे अर्ध विहारी^१ भी कहा जा

* अर्धमार्गी का ही अनुवाद अर्ध विहारी है। पूर्वी हिंदी प्राचीन काल की अर्धमार्गी प्राकृत के ज्ञान में ही बोली भी जाती है। व्याज देने की वात

सकता है। यही एक ऐसी मध्यवर्ती भाषा है जिसमें वहिरंग भाषाओं के अधिक लक्षण मिलते हैं। यह हिंदी और विहारी के मध्य की भाषा है। इसकी

पूर्वी हिंदी

तीन विभाषाएँ हैं—अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी को ही कोशली या वैसवाड़ी भी कहते हैं।

धास्तव में दक्षिण-पश्चिमी अवधी ही वैसवाड़ी कही जाती है। पूर्वी हिंदी नागरी के अतिरिक्त कैथी में भी कभी कभी लिखी मिलती है। इस भाषा के कवि हिंदी-साहित्य के अमर कवि हैं जैसे तुलसी और जायसी।

इनका सबसे बड़ा भेदक यह है कि मध्यदेश की भाषा अर्थात् हिंदी की अपेक्षा ये सब अधिक संहिति-प्रधान हैं। हिंदी की रचना सर्वथा वहिरंग भाषाएँ व्यवहित है पर इन वहिरंग भाषाओं में संहित रचना भी मिलती है। वे व्यवहित से संहिति की ओर रही हैं। मध्यवर्ती भाषाओं में केवल पूर्वी हिंदी कुछ संहित पाई जाती है।

यह पश्चिम पंजाब की भाषा है, इसी से कुछ लोग इसे पश्चिमी पंजाबी भी कहा करते हैं। यह जटकी, अच्छी, हिंदकी, डिलाही आदि लहँदा नाम से भी पुकारी जाती है। कुछ विद्वान् इसे

लहँदा लहँदी भी कहते हैं पर लहँदा तो संश्ला है अतः उसका खोलिंग नहीं हो सकता। लहँदा एक नया नाम ही चल पड़ा है; अब उसमें उस अर्थ के घोतन की शक्ति आ गई है।

लहँदा की चार विभाषाएँ हैं—(१) एक केंद्रीय लहँदा जो नमक की पहाड़ी के दक्षिण प्रदेश में बोली जाती है और जो टकसाली मानी जाती है, (२) दूसरी दक्षिणी अथवा मुलतानी जो मुलतान के आस-पास बोली जाती है, (३) तीसरी उत्तर-पूर्वी अथवा पोठवारी और (४) चौथी उत्तर-पश्चिमी अर्थात् धन्नी। यह उत्तर में हजारा जिले तक पाई जाती है। लहँदा में साधारण गीतों के अतिरिक्त कोई साहित्य नहीं है। इसकी अपनी लिपि लंडा है।

यह दूसरी वहिरंग भाषा है, और सिंध नदी के दोनों तटों पर घसे हुए सिंध देश की बोली है। इसमें पांच विभाषाएँ हैं—विचोली,

सिंधी

सिरैकी, लारी, थरेली और कच्छी। विचोली

मध्य सिंध की टकसाली भाषा है। सिंधी के उत्तर में लहँदा, दक्षिण में गुजराती और पूर्व में राजस्थानी है। सिंधी का भी साहित्य छोटा सा है। इसकी भी लिपि लंडा है पर गुरुमुखी और नागरी का भी प्रायः व्यवहार होता है।

है कि साहित्यिक और धार्मिक दृष्टि से अर्धमागधी भाषा का सदा से ऊचा स्थान रहा है पर राष्ट्रीय दृष्टि से मध्यदेश की भाषा ही राज्य करती रही है।

कच्छी बोली के दक्षिण में गुजराती है। यद्यपि उसका लेख पहले वहिरंग भाषा का लेने रह चुका है पर गुजराती मध्यवर्ती भाषा मराठी है। अतः यहाँ वहिरंग भाषा की शृंखला दूट सी गई है। इसके पाद गुजराती के दक्षिण में मराठी आती है। यही दक्षिणी वहिरंग भाषा है। यह पश्चिमी घाट और अरब समुद्र के मध्य की भाषा है। पूना की भाषा ही टकसाली मानी जाती है। पर मराठी धरार में से होते हुए यस्तर तक बोली जाती है। इसके दक्षिण में द्रविड़ भाषाएँ बोली जाती हैं। पूर्व में गराठी अपनी पड़ोसिन छत्तीसगढ़ी से मिलती है।

मराठी की तीन विभाषाएँ हैं। पूना के आसपास की टकसाली बोली देसी गराठी कहलाती है। यही थेड़े भेद से उत्तर कौंकण में बोली जाती है, इससे इसे कौंकणी भी कहते हैं। पर कौंकणी एक दूसरी मराठी बोली का नाम है जो दक्षिणी कौंकण में बोली जाती है। पारिमापिक अर्थ में दक्षिण कौंकणी ही कौंकणी मानी जाती है। मराठी की तीसरी विभाषा धरार की बरारी है। हल्वी, मराठी और द्रविड़ की खिचड़ी बोली है जो यस्तर में बोली जाती है।

मराठी भाषा में तदितांत, नामधातु आदि शब्दों का व्यवहार विशेष रूप से होता है। इसमें वैदिक स्वर के भी कुछ चिह्न मिलते हैं।

पूर्व की ओर श्राने पर सबसे पहली वहिरंग भाषा विहारी मिलती है। विहारी के बहल विहार में ही नहीं, संयुक्त प्रांत के पूर्वी भाग अर्थात् विहारी गोरखपुर-बनारस कमिशनरियों से लेकर पूरे विहार प्रांत में तथा छोटा नागपुर में भी बोली जाती है।

यह पूर्वी हिंदी के समान हिंदी की चर्चेरी वहिन मानी जा सकती है। इसकी तीन विभाषाएँ—(१) मैथिली, जो रंगा के उत्तर दरभंगा के आसपास बोली जाती है। (२) मगही, जिसके केंद्र पटना और गया हैं। (३) भोजपुरी, जो गोरखपुर और बनारस कमिशनरियों से लेकर विहार प्रांत के शारा (शाहाबाद), चंपारन और सारन ज़िलों में बोली जाती है। यह भोजपुरी अपने वर्ग की ही मैथिली—मगही से इतनी भिन्न होती है कि चैट्जों भोजपुरी को एक पृथक् वर्ग में ही रखना उचित समझते हैं।

विहार में तीन लिपियाँ प्रचलित हैं। छपाई नागरी लिपि में होती है। साधारण व्यवहार में कैथी चलती है और कुछ मैथिलों में मैथिली लिपि चलती है।

श्रीद्री, उत्कली अथवा उड़िया उड़ीसा की भाषा है। इसमें कोई विभाषा नहीं है। इसकी एक खिचड़ी बोली है जिसे भवी कहते हैं।

उड़िया भवी में उड़िया, मराठी और द्रविड़ तीनों आकर मिल गई हैं। उड़िया का साहित्य अच्छा बड़ा है।

बंगाल की भाषा बंगाली प्रसिद्ध साहित्य-संग्रह भाषाओं में से एक है। इसकी तीन विभाषाएँ हैं। हुगली के आसपास की पश्चिमी

बंगाली बोली टकसाली मानी जाती है। बँगला लिपि देवनागरी का ही एक रूपांतर है।

आसामी यहिरंग समुदाय की अंतिम भाषा है। यह आसाम की भाषा है। यहाँ के लोग उसे असामिया कहते हैं। आसामी में प्राचीन

आसामी साहित्य भी अच्छा है। आसामी यद्यपि बँगला से बहुत कुछ मिलती है तो भी व्याकरण और उच्चारण में पर्याप्त भेद पाया जाता है। यह भी एक प्रकार की बँगला लिपि में ही लिखी जाती है। आसामी की कोई सब्दों विभाषा नहीं है।

तीसरा अध्याय

हिंदी का ऐतिहासिक विकास

हिंदी का विकास क्रमशः प्राकृत और अपन्नंश के अनंतर हुआ है। पर पिछली अपन्नंश में भी हिंदी के बीज घटत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं, इसी लिये इस मध्यवर्ती नागर अपन्नंश को कुछ हिंदी के विकास की विद्वानों ने पुरानी हिंदी माना है। यद्यपि अपन्नंश अवस्थाएँ

की कविता घटत पीछे की चर्नी हुई भी मिलती है, परंतु हिंदी का विकास चंद वरदाई के समय से स्पष्ट देख पड़ने लगता है। इसका समय वारहवाँ शताब्दी का अंतिम अर्ध भाग है, परंतु उस समय भी इसकी भाषा अपन्नंश से घटत भिन्न हो गई थी। अपन्नंश का यह उदाहरण लीजिए—

भल्ला हुआ तु मारिया बहिया महारा कतु ।

लज्जेज्ज तु वयसिश्राह जह भगा घर एतु ॥ १ ॥

पुच्चे जाए कवणु गुणु अवगुणु कवणु मुएण ।

जा वप्पी को भुड्डी चमिजइ अवरेण ॥ २ ॥

दोनों दोहे हेमचंद्र के हैं। हेमचंद्र का जन्म संवत् ११४५ में और मृत्यु सं० १२२६ में हुई थी। अतएव यह माना जा सकता है कि ये दोहे सं० १२०० के लगभग अथवा उसके कुछ पूर्व लिखे गए होंगे। अब हिंदी के आदि कवि चंद के कुछ छंद लेकर मिलाइए और देखिए, दोनों में कहाँ तक समता है।

उच्छिष्ठ छद चदह वयन मुनत सुजपिय नारि ।

ततु पवित्र पावन कविय उकति अगूढ उधारि ॥

ताड़ी खुल्लिय वल दिक्षित इक असुर अदब्मुत ।

दिष्प देह चरण सीस मुण्ड करना जस जप्तत ॥

हेमचंद्र और चंद की कविताओं को मिलाने से यह स्पष्ट विदित होता है कि हेमचंद्र की कविता प्राचीन है और चंद की उसकी अपेक्षा घटत अवधीन। हेमचंद्र ने अपने व्याकरण में अपन्नंश के कुछ उदाहरण दिए हैं, जिनमें से ऊपर के दोनों दोहे लिए गए हैं, पर ये सब उदाहरण स्वयं हेमचंद्र के बनाए हुए ही नहीं हैं। संभव है कि इनमें

से कुछ स्वयं उनके बनाए हुए हों; पर अधिकांश अवतरण मात्र हैं और इसलिये उसके पहले के हैं।

विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के द्वितीय चरण में वर्तमान महाराज भौज का पितृव्य द्वितीय वाकपतिराज परमोर मुंज जैसा पराक्रमी था, वैसा ही कवि भी था। एक बार वह कल्याण के राजा तैलप के यहाँ कैद था। कैद ही में तैलप की वहन मृणालवती से उसका प्रेम हो गया और उसने कारागृह से निकल भागने का अपना भेद अपनी प्रणयिनी को बतला दिया। मृणालवती ने मुंज का मंसूबा अपने भाई से कह दिया, जिससे मुंज पर और अधिक कड़ाई होने लगी। निम्नलिखित दोहे मुंज की तत्कालीन रचना हैं—

जा मति पच्छइ संपज्जइ सा मति पद्धिलो होइ ।

मुंज मणाइ मुणालवइ विश्वन न वेढइ कोइ ॥

(जो मति पीछे संपन्न होती है, वह यदि पहले हो, तो मुंज कहता है, हे मृणालवती, कोई विघ्न न सतावे ।)

सायर खाई लंक गढ़ गढ़वइ दससिरि राड ।

भगवत्य सो भजि गय मुंज म करि विसाड ॥

(सायर खाई, लंका गढ़, गढ़पति दशकंधर राजा भाग्य क्षय होने पर सब चैपट हो गए। मुंज विपाद मत कर ।)

ये दोहे हिंदी के कितने पास पहुँचते हुए हैं, यह इन्हें पढ़ते ही पता लग जाता है। इनकी भाषा साहित्यिक है, अतः रुद्धि के अनुसार इनमें कुछ ऐसे शब्दों के प्राकृत रूप भी रखे हुए हैं जो वोलचाल में प्रचलित न थे, जैसे संपज्जइ, सायर, मुणालवइ, विसाड। इन्हें यदि निकाल दें तो भाषा और भी स्पष्ट हो जाती है।

इस अवस्था में यह माना जा सकता है कि हेमचंद्र के समय से पूर्व हिंदी का विकास होने लग गया था और चंद्र के समय तक उसका कुछ कुछ रूप स्थिर हो गया था; अतएव हिंदी का आदि काल हम सं० १०५० के लगभग मान सकते हैं। यद्यपि इस समय के पूर्व के कई हिंदी कवियों के नाम बताए जाते हैं, परंतु उनमें से किसी की रचना का कोई उदाहरण कहाँ देखने में नहीं आता। इस अवस्था में उन्हें हिंदी के आदि काल के कवि मानने में संकोच होता है। पर चंद्र को हिंदी का आदि-कवि गानने में किसी को संदेह नहीं हो सकता। कुछ लोगों का यह कहना है कि चंद्र का पृथ्वीराज रासो यहुत पीछे का बना हुआ है। इसमें संदेह नहीं कि इस रासो में बहुत कुछ प्रक्षिप्त अंश है, पर

साथ ही उसमें प्राचीनता के बिहु भी कम नहीं हैं। उसके कुछ अंश अवश्य प्राचीन जान पड़ते हैं।

चंद का समकालीन जगनिक कवि हुआ है जो बुंदेलखण्ड के प्रतापी राजा परमाल के दरबार में था। यथापि इस समय उसका घनाया कोई ग्रंथ नहीं मिलता, पर यह माना जाता है कि उसके घनाय प्रथ के आधार पर ही आरंभ में “आलखण्ड” की रचना हुई थी। अभी तक इस ग्रंथ की कोई प्राचीन प्रति नहीं मिली है; पर संयुक्त प्रदेश और बुंदेलखण्ड में इसका बहुत प्रचार है और यह घटायर गया जाता है। लिखित प्रति न होने तथा इसका रूप सर्वेषा आलहा गानेवालों की स्मृति पर निर्भर होने के कारण इसमें बहुत कुछ प्रक्रिया अंश भी मिलता गया है और भाषा में भी फेरफार होना गया है।

हिंदी के जन्म का समय भारतवर्ष के राजनीतिक उलझफेर का था। उसके पहले ही से यहाँ मुसलमानों का आना आरंभ हो गया था और इस्लाम धर्म के प्रचार तथा उत्कर्पवर्धन में उत्साही और दृढ़संकल्प मुसलमानों के आक्रमणों के कारण भारतवासियों को अपनी रक्ता की चिंता लगी हुई थी। ऐसी अवस्था में साहित्य-कला की वृद्धि की किसको चिंता ही सकती थी। ऐसे समय में तो ये ही कवि सम्मानित हो सकते थे जो केवल कलम बलाने में ही निपुण न हों, घरन् तलयार चलाने में भी सिद्धहस्त हों तथा सेना के अप्रभाग में रहकर अपनी धारा सैनिकों का उत्साह बढ़ाने में भी समर्थ हों। चंद और जगनिक ऐसे ही कवि थे, इसी लिये उनकी स्मृति अब तक बनी है। परंतु उनके अनंतर कोई सौ वर्ष तक हिंदी का सिंहासन सूना देख पड़ता है। अतएव हिंदी का आदि काल संवत् १०५० के द्वारा आरंभ होकर १३७५ तक चलता है। इस काल में विशेषकर वीरं-काव्य रचे गए थे। ये काव्य दो प्रकार की भाषाओं में लिखे जाते थे। एक भाषा का ढाँचा तो विलकुल राजस्थानी या गुजराती का होता था जिसमें प्रारूप के पुराने शब्द भी बहुतायत से मिले रहते थे। यह भाषा, जो वारणी में बहुत काल पीछे तक चलती रही है, दिगल कहलाती है। दूसरी भाषा एक सामान्य साहित्यिक भाषा थी जिसका व्यवहार ऐसे विद्वान् कवि करते थे जो अपनी रचना को अधिक देशव्यापक घनाना चाहते थे। इसका ढाँचा पुरानी द्वजभाषा का होता था जिसमें थोड़ा बहुत खड़ी या पंजाबी का भी मेल हो जाता था। इसे ‘पिंगल’ भाषा कहने लगे थे। वास्तव में हिंदी का संबंध इसी भाषा से है। पृथ्वीराज रासो इसी साहित्यिक सामान्य भाषा में लिखा हुआ है। वीसलदेव रासो की भाषा साहित्यिक

नहीं है। हाँ, यह कहा जा सकता है कि उसके कवि ने जगह जगह अपनी राजस्थानी बोली में इस सामान्य साहित्यिक भाषा,(हिंदी) को मिलाने का प्रयत्न अवश्य किया है।

डिगल के प्रथम में प्राचीनता की भलक उतनी नहीं है जितनी पिंगल प्रथम में पाई जाती है। राजस्थानी कवियों ने अपनी भाषा को प्राचीनता का गौरव देने के लिये जान बूझकर प्राकृत अपभ्रंश के रूपों का अपनी कविता में प्रयोग किया है। इससे वह भाषा वीरकाव्योपयोगी अवश्य हो जाती है, पर साथ ही उसमें दुरुहता भी आ जाती है।

इसके अनंतर हिंदी के विकास का मध्य काल आरंभ होता है जो ५२५ वर्षों तक चलता है। भाषा के विचार से इस काल को हम दो मुख्य भागों में विभक्त कर सकते हैं—एक सं० १३७५ से १७०० तक श्रौत दूसरा १७०० से १६०० तक। प्रथम भाग में हिंदी की पुरानी बोलियाँ घटलकर ब्रजभाषा, अवधी श्रौत खड़ी बोली का रूप धारण करती हैं; श्रौत दूसरे भाग में उनमें प्रौढ़ता आती है; तथा अंत में अवधी श्रौत ब्रजभाषा का मिथ्यण सा, हो जाता है श्रौत काव्य-भाषा का एक सामान्य रूप खड़ा हो जाता है। इस काल के प्रथम भाग में राजनीतिक स्थिति डाँवांडिल थी। पीछे से उसमें क्रमशः स्थिरता आई जो दूसरे भाग में दृढ़ता को पहुँचकर पुनः डाँवांडिल हो गई। हिंदी के विकास की चौथी अवस्था संबत् १६०० में आरंभ होती है। उसी समय से हिंदी गद्य का विकास नियमित रूप से आरंभ हुआ है श्रौत खड़ी बोली का प्रयोग गद्य श्रौत पद्य दोनों में होने लगा है।

मध्य काल के पहले भाग में हिंदी की पुरानी बोलियों ने विकसित होकर ब्रज, अवधी श्रौत खड़ी बोली का रूप धारण किया श्रौत ब्रज तथा अवधी ने साहित्यिक बाना पहनकर प्रौढ़ता प्राप्त की। पुरानी बोलियों ने किस प्रकार नया रूप धारण किया इसका क्रमवद् विवरण देना अत्यंत कठिन है, पर इसमें संदेह नहीं कि वे एक बार ही साहित्य के लिये स्वीकृत न हुई होंगी। इस अधिकार श्रौत गौरव को प्राप्त करने में उनको न जाने कितने वर्षों तक साहित्यिकों की तोड़-मरोड़, सहनी, तथा उन्हें घटाने-घटाने की पूर्ण स्वतंत्रता दे रखनी पड़ी होगी। मध्य युग के धार्मिक प्रचार संबंधी श्रांदेलन ने प्रचारकों को जनता के हृदय तक पहुँचने की आवश्यकता का अनुभव कराया। इसके लिये जन साधारण की भाषा का ज्ञान श्रौत उपयोग उन्हें अनिवार्य ज्ञात हुआ। इसी आवश्यकता के वशीभूत होकर निर्गुणपंथी संत कवियों ने जन-साधारण की भाषा को अपनाया श्रौत उसमें कविता की; परंतु

वे उस कविता को माधुर्य आदि गुणों से अलंकृत न कर सके और न किसी एक बोली को अपनाकर उसके शुद्ध रूप का उपयोग कर सके। उनके अपढ़ होने, स्थान स्थान के साधु-संतों के सत्संग और भिन्न भिन्न प्रांतों तथा उसके उपर्युक्तों में जिहासा की तृती के लिये पर्यटन एवं प्रवास ने उनकी भाषा में एक विचित्र खिचड़ी पका दी। काशी-निवासी कवीर के प्रभाव से विशेष कर पूरबी भाषा (अवधी) का ही उसमें ग्रावल्य रहा, यद्यपि खड़ी बोली और पंजाबी भी अपना प्रभाव डाले थिना न रही। इन साधु-संतों द्वारा प्रयुक्त भाषा को हम सधुकड़ी अवधी अथवा साहित्य में प्रयुक्त उसका असंस्कृत अपरिमार्जित रूप कह सकते हैं। आगे चलकर इसी अवधी को प्रेमाल्यानक मुसलमान कवियों ने अपनाया और उसको किंचित् परिमार्जित रूप में प्रयुक्त करने का उद्योग किया। इसमें उनको बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त हुई। अंत में स्वाभाविक कोमलता और सगुण भक्ति की रामोपासक शाखा के प्रमुख प्रतिनिधि तुलसीदास ने उसे प्रौढ़ता प्रदान करके साहित्यिक शासन पर सुशोभित किया। प्रेमाल्यानक कवियों ने नित्य के व्यवहार में आनेवाली भाषा का प्रयोग किया और तुलसीदास ने संस्कृत के योग से उसको परिमार्जित और प्रांजल बनाकर साहित्यिक भाषा का गैरव प्रदान किया।

ब्रजभाषा एक प्रकार से चिर-प्रतिष्ठित प्राचीन काव्य-भाषा का विकसित रूप है। पृथ्वीराज रासो में ही इसके ढाँचे का बहुत कुछ आमास मिल जाता है—“तिहि रिपुजय पुरहरन को भद्र प्रथिराज नर्दिद।”

सूरदास के रचना-काल का आरंभ संवत् १५७५ के लगभग माना जाता है। उस समय तक काव्य-भाषा ने ब्रजभाषा का पूरा पूरा रूप पकड़ लिया था, फिर भी उसमें भया किया, क्या सर्वनाम और क्या अन्य शब्द सबमें प्राकृत तथा अपन्नंश का प्रभाव दिखाई देता है। पुरानी काव्य-भाषा का प्रभाव ब्रजभाषा में अब तक लक्षित होता है। रक्खाकर जी की कविता में भी अभी तक ‘मुक्काहल’ और ‘नाह’ ऐसे न जाने कितने शब्द मिलते हैं। तुलसीदासजी की रचना में जिस प्रकार अवधी ने प्रौढ़ता ग्रास की उसी प्रकार अष्टद्वाप के कवियों की पदाघली में ब्रज-भाषा भी विकसित हुई। घनानंद, विहारी और पञ्चाकर की कविता में तो उसका पूर्ण परिपोष हुआ।

यहाँ पर यह बात विशेष ध्यान देने चाहिये है कि जिस प्रकार अवधी में मिथण के कारण साधु-संत हुए उसी प्रकार ब्रजभाषा में मिथण के कारण राजा लोग हुए। यदि ऊपर कहा जा चुका है कि

ब्रजभाषा पुरानी सार्वदेशिक काव्य-भाषा का विकसित रूप है। उत्तर भारत की संस्कृत का केंद्र सदा से उसका पश्चिम भाग रहा। बड़ी बड़ी राजधानियाँ तथा समृद्धि-शालिनी नगरियाँ, जहाँ राजा लोग मुक्त-हस्त होकर दान देने के प्रभाव से दूर दूर देश के कवि कोविदों को खाँच लाते थे, वहाँ थे। इसी से वहाँ की भाषा ने काव्य-भाषा का रूप प्राप्त किया, साथ ही दूर दूर देशों की प्रतिभा ने भी काव्य भाषा के पक्तव स्थापित करने में योग दिया। इस प्रकार का कलिपत पक्तव प्रायः विशुद्धता का विरोधी होता है। यही कारण है कि ब्रजभाषा भी बहुत काल तक मिथित रही। रासो की भाषा भी मिथित ही है। चंद ने स्वयं कहा है—“पट् भाषा पुरानं च कुरानं कथितं मया ।”

इस पट् भाषा का अर्थ स्पष्ट करने के लिये भिखारीदास का निम्नलिखित पदांश विचारणीय है—

“ब्रज मागधी मिलै अमर नाग यमन भाखानि ।

सहंज पारसी हू मिलै पट विधि कहत वखानि ॥”

मागधी से पूर्वी (अवधी और विहारी) का तात्पर्य है, अमर से संस्कृत का, और यमन से अरवी का, पर नागभाषा कौन सी है यह नहाँ जान पड़ता। जो कुछ हो, पर यह मिथिण ऐसा नहाँ होता था कि भाषा अपनापन छोड़ दे।

ब्रज भाषा भाषा रुचिर कहाँ सुमति सब कोइ ।

‘ मिलै संस्कृत पारस्यै पै अति प्रगट जु होइ ॥

प्रत्येक कवि की रचनाओं में इस प्रकार का मिथिण मिलता है, यहाँ तक कि मुलसीदास और गंग भी, जिनका काव्य-साम्राज्य में बहुत ऊँचा स्थान है, उससे न बच सके। भिखारीदासजी ने इस संबंध में कहा है—

तुलसी गंग दुवौ भए सुकविन के सरदार ।

जिनकी कविता में मिली भाषा विविध प्रकार ॥

अब तक तो किसी चुने उपयुक्त विदेशी शब्द को ही कविगण अपनी कविता में प्रयुक्त करते थे; परंतु इसके अनंतर भाषा पर अधिकार न रहने, भावों के अभाव, तथा भाषा की आत्मा और शक्ति की उपेक्षा करने के कारण अरुचिकर रूप से विदेशी शब्दों का उपयोग होने लगा और भाषा का नैसर्गिक रूप भी परिवर्तन के आवर्त्त में फैस गया। फारसी के मुहाविरे भी ब्रजभाषा में अजीब स्वाँग दिखाने लगे। इसका फल यह हुआ कि ब्रजभाषा में भी एक विशुद्धतावादी आंदोलन का आरंभ हो गया। हिंदी भाषा के मध्यकालीन विकास के दूसरे अंश की विशेष-

पता ब्रजभाषा की विशुद्धता है। भाषा की इस प्रगति के प्रमुख प्रतिनिधि घनानंद हैं। ब्रजभाषा का यह युग अब तक चला आ रहा है, यद्यपि यह अब क्षीणप्राय दशा में है। घर्तमान युग में इस विशुद्धता के प्रतिनिधि पंडित श्रीधर पाठक, वावृ जगन्नाथदास रत्नाकर और पंडित रामचंद्र शुक्ल आदि वताप जा सकते हैं।

किसी समय भी खोलचाल को ब्रजभाषा का प्रया रूप था, इसका पता लगाना कठिन है। गद्य के जो थोड़े बहुत नमूने चौरासी वैष्णवों और देव सौ वावन वैष्णवों की धार्ता तथा वैद्यक और साहित्य के ग्रंथों की टीका में मिलते हैं वे संस्कृत-गर्भित हैं। उनसे इस कार्य में कोई विशेष सहायता नहीं मिल सकती।

ब्रज और अवधी के ही समान प्राचीन होने पर भी खड़ी बोली साहित्य के लिये इतना शीघ्र नहीं स्वीकृत हुई, यद्यपि बहुत प्राचीन काल से ही वह समय समय पर उठ उठकर अपने अस्तित्व का परिचय देती रही है। मराठा भक्त प्रबर नामदेव का जन्म संवत् ११६२ में हुआ था। उनकी कविता में पहले पहल शुद्ध खड़ी बोली के दर्शन होते हैं—

“पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी।
लैकरि ढैंगा टँगरी तेरी लंगत लंगत जाती थी॥”

इसके अनंतर हमको खड़ी बोली के अस्तित्व का बराबर पता मिलता है। ‘इसका उल्लेख हम यथास्थान करेंगे।

कुछ लोगों का यह कहना है कि हिंदी की खड़ी बोली का रूप प्राचीन नहीं है। उनका मत है कि सन् १८०० ई० के लगभग ललूजी-लाल ने इसे पहले अपने गद्य ग्रन्थ प्रेमसागर में यह रूप दिया और तब से खड़ी बोलों का प्रचार हुआ। ग्रियर्सन साहब ‘लालचंद्रिका’ की भूमिका में लिखते हैं—

“Such a language did not exist in India before.... When, therefore, Lallujilal wrote his Premsagara in Hindi, he was inventing an altogether new language.”

अर्थात्—“इस प्रकार की भाषा का इससे पहले भारत में कहाँ पता न था....। अतएव जब ललूजीलाल ने प्रेमसागर लिखा, तब वे एक यिलकुल ही नई भाषा गढ़ रहे थे।”

इसी धात को लेकर उक्त महोदय अपनों Linguistic Survey (भाषाओं की जाँच) की रिपोर्ट के पहले भाग में लिखते हैं—

“This Hindi (i.e., Sanskritized or at least non-Persianized form of Hindustani), therefore, or as

it is sometimes called 'High Hindi', is the prose literary language of those Hindus who did not employ Urdu. It is of modern origin, having been introduced under English influence at the commencement of the last century. Lallulal, under the inspiration of Dr. Gilchrist, changed all this by writing the well-known Prem-Sagar, a work which was, so far as the prose portion went, practically written in Urdu with Indo-Aryan words substituted wherever a writer in that form of speech would use Persian ones."

अर्थात्—“अतः यह हिंदी (संस्कृत-बहुल हिंदुस्तानी अथवा कम से कम वह हिंदुस्तानी जिसमें फारसी शब्दों का मिश्रण नहीं है) जिसे कभी कभी लोग “उच्च हिंदी” कहते हैं, उन हिंदुओं की गद्य साहित्य की भाषा है जो उर्दू का प्रयोग नहीं करते । इसका आरंभ हाल में हुआ है और इसका व्यवहार गत शताब्दी के आरंभ से अँगरेजी प्रभाव के कारण होने लगा है । लल्लूलाल ने डा० गिलकिस्ट की प्रेरणा से सुप्रसिद्ध प्रेम-सागर लिखकर ये सब परिवर्त्तन किए थे । जहाँ तक गद्य भाग का संवंध है, वहाँ तक यह ग्रंथ ऐसी उर्दू भाषा में लिखा गया था जिसमें उन स्थानों पर भारतीय आर्य शब्द रख दिए गए थे जिन स्थानों पर उर्दू लिखनेवाले लोग फारसी शब्दों का व्यवहार करते हैं ।”

ग्रियर्सन साहब ऐसे भाषात्त्वविद् की लेखनी से ऐसी वात न निकलनी चाहिए थी । यदि लल्लूजीलाल नई भाषा गढ़ रहे थे तो क्या आवश्यकता थी कि उनकी गढ़ी हुई भाषा उन साहबों को पढ़ाई जाती जो उस समय केवल इसी अभिप्राय से हिंदी पढ़ते थे कि इस देश की योली सीखकर यहाँ के लोगों पर शासन करें ? प्रेमसागर उस समय जिस भाषा में लिखा गया, वह लल्लूजीलाल की जन्मभूमि 'आगरा' की भाषा थी, जो अब भी घटुत कुछ उससे मिलती जुलती योली जाती है । उनकी शैली में ब्रजभाषा के मुहाविरों का जो पुष्ट देख पड़ता है, वह उसकी स्वतंत्रता, प्रचलन और प्रौढ़ता का धोतक है । यदि केवल अरवी, फारसी शब्दों के स्थान में संस्कृत शब्द रखकर भाषा गढ़ी गई होती तो यह वात असंभव थी । कल के राजा शिवप्रसाद की भाषा में उर्दू का जो रंग है, वह प्रेम-सागर की भाषा में नहीं पाया जाता । इसका कारण स्पष्ट है । राजा साहब ने उर्दू भाषा को हिंदी का कलेवर दिया

है और लल्लूजीलाल ने पुरानी ही खोल आँढ़ी है। एक लेखक का व्यक्तिगत उसकी भाषा में प्रतिविवित है तो दूसरे का उसके लोक व्यवहार-शान में। दूसरे, लल्लूजीलाल के समकालीन और उनके कुछ पहले के सदल मिथ्र, मुंशी सदासुख और सैयद इशाउल्लाखाँ की रचनाएँ भी तो खड़ी थोली में ही हैं। उसमें ऐसी प्रौढ़ता और ऐसे विन्यास का आभास मिलता है जो नई गढ़ी हुई भाषा में नहीं, किंतु प्रचुर-प्रयुक्त तथा शिष्ट-परिगृहीत भाषाओं में ही पाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त तेरहाँ शताब्दी के मध्य भाग में वर्तमान अमीर खुसरो ने अपनी कविता में इसी भाषा का प्रयोग किया है। पहले गद्य की सृष्टि होती है, तब पद्य की। यदि यह भाषा उस समय न प्रचलित होती तो अमीर खुसरो ऐसा “घटमान” कवि इसमें कभी कविता न करता। स्वयं उसकी कविता इसकी साक्षी देती है कि वह चलती रोजमर्त में लिखी गई है, त कि सोच्च सोच्चर गढ़ी हुई किसी नई थोली में।

कविता में खड़ी थोली का प्रयोग मुसलमानों ने ही नहीं किया है, हिंदू कवियों ने भी किया है। यह बात सच है कि खड़ी थोली का मुख्य स्थान मेरठ के आस-पास होने के कारण और भारतवर्ष में मुसलमानी राजशासन का केंद्र दिल्ली होने के कारण पहले पहल मुसलमानों और हिंदुओं की पारस्परिक वातचीत अथवा उनमें भावों और विचारों का विनिमय इसी भाषा के द्वारा आरंभ हुआ और उन्हीं की उत्तेजना से इस भाषा का व्यवहार बढ़ा। इसके अनंतर मुसलमान लोग देश के अन्य भागों में फैलते हुए इस भाषा को अपने साथ लेते गए और उन्होंने इसे समस्त भारतवर्ष में फैलाया। पर यह भाषा वहीं की थी और इसी में मेरठ प्रांत के निवासी अपने भाव प्रकट करते थे। मुसलमानों के इसे अपनाने के कारण यह एक प्रकार से उनकी भाषा मानी जाने लगी। अतएव मध्य काल में हिंदी भाषा तीन रूपों में देख पड़ती है—गजभाषा, अवधी और खड़ी थोली। जैसे आरंभ काल की भाषा प्राकृत-प्रधान थी, वैसे ही इस काल की तथा इसके पीछे की भाषा संस्कृत-प्रधान हो गई। अर्थात् जैसे साहित्य की भाषा की शोभा बढ़ाने के लिये आदि काल में प्राकृत शब्दों का प्रयोग होता था, वैसे मध्य काल में संस्कृत शब्दों का प्रयोग होने लगा। इससे यह तात्पर्य नहीं निकलता कि शब्दों के प्राकृत रूपों का आभाव हो गया। प्राकृत के कुछ शब्द इस काल में भी वरावर प्रयुक्त होते रहे; जैसे भुआल, सायर, गय, घसह, नाह, लोयन आदि।

उत्तर या धर्तमान काल में साहित्य की भाषा में ब्रजभाषा और अवधी का प्रचार घटता गया और खड़ी बोली का प्रचार बढ़ता गया। इधर इसका प्रचार इतना बढ़ा है कि अब हिंदी का समस्त गद्य इसी भाषा में लिखा जाता है और पद्य की रचना भी घुलता से इसी में हो रही है।

आधुनिक हिंदी गद्य या खड़ी बोली के आचार्य शुद्धता के पक्ष-पाती थे। वे खड़ी बोली के साथ उर्दू या फारसी का मेल देखना नहीं चाहते थे। इंशाउल्ला तक की यही सम्मति थी। उन्होंने 'हिंदी छुट' किसी की पुट' अपनी भाषा में न आने दी; यद्यपि फारसी रचना की छूत से वे अपनी भाषा को न चका सके। इसी प्रकार आगरा-निवासी लख्लूलाल की भाषा में ब्रज का पुट है और सदल मिश्र की भाषा में पूरबी की छाया धर्तमान है, परंतु सदासुखलाल की भाषा इन दोपें से मुक्त है। उनकी भाषा व्यवस्थित, साधु और वे-मेल होती थी। आज-कल की खड़ी बोली से सीधा संबंध इन्हों की भाषा का है, यद्यपि हिंदी गद्य के क्रमिक विकास में हम इंशाउल्ला खाँ, लख्लूलाल और सदल मिश्र की उपेक्षा नहीं कर सकते।

आगे चलकर जब मुसलमान खड़ी बोली का 'मुशिकल जवान' कहकर विरोध करने लगे और अँगरेजों को भी शासन संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार तथा राजनीतिक चालों को सफलता के उद्देश्य से शुद्ध हिंदी के प्रति उपेक्षा भाव उत्पन्न हो गया तब राजा शिवप्रसाद, समय और स्थिति की प्रगति का अनुभव कर, उसे फारसी मिश्रित बनाने में लग गए और इस प्रकार उन्होंने हिंदी की रक्षा कर ली।

इसी समय भाषा में राष्ट्रीयता की एक लहर उठ पड़ी जिसके प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अभी कुछ ही दिन पहले मुसलमान भारतवर्ष के शासक थे। इस बात को वे अभी भूले नहीं थे। अतएव उनका इस राष्ट्रीयता के साथ मिलना असंभव सा था। इसलिये राष्ट्रीयता का अर्थ हिंदुत्व की वृद्धि था। लोग सभी बातों के लिये प्राचीन हिंदू संस्कृति की ओर मुक्ते थे। भाषा की समृद्धि के लिये भी धूँगला के अनुकरण पर संस्कृत शब्द लिए जाने लगे, क्योंकि प्राचीन परंपरा का गौरव और संबंध सहज में उच्छिन्न नहीं किया जा सकता। उसको बनाए रखने में भविष्य की उन्नति का मार्ग प्रशस्त, परिमार्जित और सुदृढ़ हो सकता है। यही कारण है कि राजा शिवप्रसाद को अपने उद्योग में सफलता न प्राप्त हुई और भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रदर्शित

मार्ग पर चलकर हिंदी ऊँचा सिर किए हुए आगे बढ़ रही है। इस समय साहित्यिक हिंदी संस्कृत-भर्तिहासी हो रही है।

परंतु अब राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों के द्वा मिलने से तथा हिंदुओं के उनका मन रखने की उद्धिगता के कारण एक नई मिथिति उत्पन्न हो गई है। वही राष्ट्रीयता, जिसके कारण पहले शुद्ध हिंदी का आंदोलन चला था, अब मिथ्रण की पहचानिनी हो रही है और अपनी गौरवान्वयत परंपरा को नष्ट कर राजनीतिक स्वर्गलाभ की आशा तथा आकांक्षा करती है। अब प्रयत्न यह हो रहा है कि हिंदी और उर्दू में लिपिभेद के अतिरिक्त और कोई भेद न रह जाय और ऐसी मिथित भाषा का नाम हिंदुस्तानी रखा जाय। हिंदी यदि हिंदुस्तानी घनकर देश में एकच्छुत राज्य कर सके तो नाम और वेश-भूषा का यह परिवर्तन महँगा न होगा, पर आशंका इस बात की है कि अध्रुव के पीछे पड़कर हम धूप को भी नष्ट न कर दें।

इस एकता के साथ साथ साहित्य और घोलचाल तथा गद्य और पद्य की भाषा को एक करने का उद्योग वर्तमान युग की विशेषता है।

ऊपर जो कुछ लिखा गया है, उसका विशेष संबंध साहित्य की भाषा से है। घोलचाल में तो अब तक अवधी, ग्रजभाषा और खड़ी घोली अनेक स्थानिक भेदों और उपभेदों के साथ प्रचलित हैं; पर साधारण घोलचाल की भाषा खड़ी घोली ही है।

चौथा अध्याय

हिंदी पर अन्य भाषाओं का प्रभाव

पीछे हम इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि किस प्रकार वैदिक प्राकृत से भिन्न भिन्न प्राकृतों का विकास हुआ और इनके साहित्यिक धातु-मेद रूप धारण करने पर अपम्रंशों का कैसे उदय हुआ;

धारण करने लगाँ, तब आधुनिक देश-भाषाओं की कैसे उत्पत्ति हुई। हिंदी के संवंध में विचार करने के समय यह स्मरण रखना चाहिए कि इसका उदय क्रमशः शैरसेनी और अर्धमागधी प्राकृतों तथा शैरसेनी और अर्धमागधी अपम्रंशों से हुआ है। अतएव जब हम हिंदी के शब्दों की उत्पत्ति नथा उसके व्याकरण के किसी अंग पर विचार करते हैं, तब हमें यह जान लेना आवश्यक होता है कि प्राकृतों या अपम्रंशों में उन शब्दों के क्या रूप या व्याकरण के उस अंग की क्या व्यवस्था होती है। हमारे यहाँ अत्यंत प्राचीन काल में शब्दों की उत्पत्ति के विषय में बहुत कुछ विवेचन हुआ है। यास्क ने अपने निरुक्त में इस बात पर बहुत विस्तार के साथ विचार किया है कि शब्दों की उत्पत्ति धातुओं से हुई है। यास्क का कहना था कि सब शब्द धातु-मूलक हैं; और धातु के क्रियावाचक शब्द हैं जिनमें प्रत्यय आदि लगाकर धातुज शब्द बनाए जाते हैं। इस सिद्धांत के विरुद्ध यह कहा गया कि सब शब्द धातु मूलक नहीं हैं; क्योंकि यदि सब शब्दों की उत्पत्ति धातुओं से मान ली जाय, तो “श्रश्” धातु से, जिसका अर्थ ‘चलना’ है, अश्व शब्द बनकर सब चलनेवाले जीवों के लिये प्रयुक्त होना चाहिए; पर ऐसा नहीं होता। इसका उत्तर यास्क ने यह दिया है कि जब एक किया के कारण एक पदार्थ का नाम पड़ जाता है, तब वही किया करनेवाले दूसरे पदार्थों का वही नाम नहीं पड़ता। फिर किसी पदार्थ का कोई मुख्य गुण लेकर ही उस पदार्थ का नाम रखा जाता है, उसके सब गुणों का विचार नहीं किया जाता। इसी मत का अनुसरण पाणिनि ने भी किया है और इस समय सब भाषाओं के संवंध में यही मत माना भी जाता है। संस्कृत में १७०० धातु हैं जिनके तीन मुख्य विभाग हैं—

(क) प्रथम प्रकार के धातु (१) या तो एक स्वर के बने होते हैं, जैसे 'इ'; (२) या एक स्वर और एक व्यंजन से, जैसे "अद्"; (३) अथवा एक व्यंजन और एक स्वर से, जैसे "दा"। किसी भाषा के इतिहास में इस प्रकार के धातु, जिन्हें हम मूल धातु कह सकते हैं, सबसे प्रधान होते हैं; पर चिकासो-मुख विचारों और भावों को व्यंजित करने में इनकी शक्ति साधारणतः बहुत अस्पष्ट होती है। इसलिये कमशः इनका स्थान दूसरे प्रकार के धातु और दूसरे प्रकार के धातुओं का स्थान तीसरे प्रकार के धातु प्रहण कर लेते हैं।

(ख) दूसरे प्रकार के धातु एक व्यंजन, एक स्वर और एक व्यंजन से बने होते हैं, जैसे "तुद्"। आर्य भाषाओं में इस श्रेणी के धातुओं का अंतिम व्यंजन प्रायः बदलकर अनेक अन्य धातुओं की सूचि करता है, जैसे, तुप्, तुभ्, तुज्, तुट्, तुर्, तुह्, तुस्। इन सब धातुओं के अर्थ में मूल भाव एक ही है, पर विचारों और भावों के सूचम भेद प्रदर्शित करने के लिये इन धातुओं के अंतिम व्यंजन का परिवर्तन करके शब्दों की शक्ति की व्यापकता का उपाय किया गया है।

(ग) तीसरी श्रेणी के धातुओं के चार उपभेद होते हैं, जो इस प्रकार बनते हैं—

(१) व्यंजन, व्यंजन और स्वर; जैसे "ल्लु"।

(२) स्वर, व्यंजन और व्यंजन; जैसे "अद्"।

(३) व्यंजन, व्यंजन, स्वर और व्यंजन; जैसे "स्पश्"।

(४) व्यंजन, व्यंजन, स्वर, व्यंजन और व्यंजन; जैसे "स्पन्द्"।

इस श्रेणी के धातुओं में यह विशेषता होती है कि दो व्यंजनों में से एक अंतस्थ, अनुनासिक या ऊर्घ होता है और उसमें विपर्यय होकर अनेक धातु बन जाते हैं, जो भावों या विचारों के सूचम भेद व्यंजित करने में सहायक होते हैं।

इस प्रकार धातुओं से संस्कृत के शब्द-भांडार की शीघ्रता हुई है। प्रोफेसर मैकसमूलर का अनुमान है कि यदि विचार और परिश्रम किया जाय, तो संस्कृत का समस्त शब्द-भांडार १७०० से घटकर प्रायः ५०० धातुओं पर अवलंबित हो जाय।

इन्हीं धातुओं से संस्कृत का समस्त शब्द-भांडार बनता है। संस्कृत शब्दों में से अनेक शब्द हमारी हिंदी में मिल गए हैं। ऐसे शब्दों

शब्द-भेद फौ, जो सीधे संस्कृत से हमारी भाषा में आए हैं,

तत्सम शब्द कहते हैं। हमारी आजकल की भाषा

में ऐसे शब्दों का समावेश दिनों दिन बढ़ता जाता है। भाषा की उन्नति

के लिये यह एक प्रकार से आवश्यक और अनिवार्य भी है। ये तत्सम शब्द अधिकतर संस्कृत के प्रातिपदिक रूप में लिए जाते हैं; जैसे, देव, फल, और कुछ संस्कृत की प्रथमा के एकवचन के रूप में हिंदी में सम्मिलित होकर प्रयुक्त होते हैं और उसके व्याकरण के अनुशासन में आते हैं; जैसे—राजा, पिता, दाता, नदी आदि।

इनके अतिरिक्त हिंदी में ऐसे शब्दों की बड़ी भारी संख्या है जो सीधे प्राकृत से आए हैं अथवा जो प्राकृत से होते हुए संस्कृत से निकले हैं। इनको तद्देव कहते हैं। जैसे—संौप, काज, घड़ा आदि। इस प्रकार के शब्दों में यह विचार करना आवश्यक नहीं है कि वे संस्कृत से प्राकृत में आए हुए तद्देव शब्द हैं अथवा प्राकृतों के ही तत्सम शब्द। हमारे लिये तो इतना ही जान लेना आवश्यक है कि ये शब्द प्राकृत से हिंदी में आए हैं।

तीसरे प्रकार के शब्द ये हैं जिन्हें अर्ध-तत्सम कहते हैं। इनके अंतर्गत ये सब संस्कृत शब्द आते हैं जिनका प्राकृत-भाषियों द्वारा युक्त विकर्प (संयुक्त वर्णों का विश्लेषण) या प्रतिभासमान वर्ण-विकार होते होते भिन्न रूप हो गया है। जैसे, अग्नि, वच्छ, अच्छर, किरण आदि।

इन तीनों प्रकार के शब्दों की भिन्नता समझने के लिये एक दो उदाहरण दे देना आवश्यक है। संस्कृत का “आश्वा” शब्द हिंदी में ज्यों का त्यों आया है, अतएव यह तत्सम हुआ। इसका अर्धतत्सम रूप आग्नी हुआ। प्राकृत में इसका रूप “आणा” होता है जिससे हिंदी का ‘आन’ शब्द निकला है। इसी प्रकार “राजा” शब्द तत्सम है और ‘राय’ या ‘राव’ उसका तद्देव रूप है। ये तीनों प्रकार के—अर्थात् तत्सम, अर्ध-तत्सम और तद्देव—शब्द हिंदी में मिलते हैं; परंतु सब शब्दों के तीनों रूप नहीं मिलते। क्रियापद और सर्वनाम ग्रायः तद्देव हैं, परंतु संज्ञा शब्द तत्सम, अर्ध-तत्सम और तद्देव तीनों प्रकार के मिलते हैं। इन तीनों प्रकार के शब्दों के कुछ और उदाहरण नीचे दिए जाते हैं—

तत्सम	अर्ध-तत्सम	तद्देव
वत्स	घच्छ	घड़ा
स्वामी		साई
कर्ण		कान
कार्य	कारज	काज
पक्ष		पंख, पाख
वायु		घयार

तत्सम	अर्ध-तत्सम	तद्रव
अद्वार	अच्छर	अवखर, आखर
रात्रि	रात	
सर्वे		सब
दैव	दई	

कुछ शब्द ऐसे भी मिलते हैं जिनकी व्युत्पत्ति का कोई पता ही नहीं चलता। संभव है कि भाषा-विज्ञान की अधिक चर्चा होने तथा शब्दों की व्युत्पत्ति की अधिक खोज होने पर इनके मूल आधार का भी पता चल जाय। ऐसे शब्दों को 'देशज' कहते हैं। जैसे, तेंदुआ, खिड़की, (खड़किक—कादम्बरी टीका?) घूआ, डैस इत्यादि। पर इस समय तक तो इन शब्दों का देशज माना जाना अल्पशता का ही सूचक है।

हिंदी भाषा में एक और प्रकार के शब्द पाप जाते हैं जो किसी पदार्थ की वास्तविक या कलिपत धनि पर बने हैं और जिन्हें 'अनुकरण' शब्द कहते हैं, जैसे—खट्खटाना, चट्चटाना, फड़फड़ाना, धमकाना इत्यादि। संसार की सब भाषाओं में ऐसे शब्द पाप जाते हैं। इसी अनुकरण सिद्धांत पर मनुष्यों की भाषा का विकास हुआ है। इनके अतिरिक्त हिंदी में धहुत से ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिन्हें कहने को तो तत्सम कहते हैं, पर वे तत्सम नहीं हैं। इनमें से कुछ शब्द तो वहुत दिनों से चले आते हैं; जैसे—धाप, प्रण, चत्राणी, सिंचन, अभिलापा, सृजन, मनोकामना आदि; और अधिक आजकल अल्प-संस्कृतशब्दों के गढ़े हुए चल रहे हैं; जैसे—राष्ट्रीय, जागृत, पौर्वार्त्य, उद्घायक आदि आदि। इन्हें चाहे तो तत्समाभास कह सकते हैं।

कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिन्हें न तत्सम कह सकते हैं, न तद्रव और न देशज। जैसे, 'संस्कृत 'मातृभ्वसा' से प्रसिद्ध लीत्व-व्यंजक 'ई' प्रत्यय लगाकर जो 'मौसी' शब्द बना है वह तो तद्रव है, पर उससे बना पुंलिंग 'मौसा' शब्द न तत्सम है, न तद्रव और न देशज। ऐसे शब्दों को अर्धतद्रव या तद्रवाभास कहें तो कह सकते हैं। किंतु अब तक विद्वानों ने इन्हें कोई नाम नहीं दिया है। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो या तो दो भाषाओं के शब्दों के समास से, जैसे—'कौंसिल निर्वाचन', 'सबूट पादप्रहार', 'अमन समा', 'जगन्नाथ वरुण', 'रामचौज' आदि आदि; या विजातीय प्रकृति अथवा प्रत्यय के योग से; जैसे—उजड़ता, रसदार, अकाठ्य, गुरुदम, लाट्टव आदि बनते हैं। दो भाषाओं से बने होने के कारण यदि इन्हें 'द्विज' कह दिया जाय तो, आशा है, किसी को दुरा न लगेगा।

कभी कभी किसी शब्द का प्रकार, सादृश्य या संबंध वोधन करने के लिये आंशिक आवृत्ति कर दी जाती है, जैसे, लोटा औटा अर्थात् लोटा और तत्सदृश अन्य घस्तुएँ। इसी प्रकार की प्रकारार्थक द्विरुक्ति आधुनिक आर्यभाषा एवं द्रविड़ भाषाओं में ही देखी जाती है। जैसे—हिंदो—घोड़ा-ओड़ा; बँगला—घोड़ा-ओड़ा; मैथिली—घोड़ा-तोड़ा; गुजराती—घोड़ा-योड़ा; मराठी—घोड़ा-योड़ा; सिंहली—अश्वया-वश्वया; तामिल—कुदिरइ-किदिरइ; कनड़ी—कुदिरे-गिदिरे; तेलुगु—गुर्मु-गिर्मु। इसी प्रकार, हिंदी—जल-बल या जल ओल अर्थात् जल-जलपान; बँगला—जोल-टोल; मराठी—जल-विल; तामिल—तरणीर किरणीर; कनड़ी—नीह-नीह आदि।, हिंदी में इस प्रकार के प्रतिध्वनि शब्दों की सृष्टि पर बहुत कुछ द्रविड़ भाषाओं का प्रभाव समझना चाहिए।

तत्सम और तद्दव शब्दों के रूप-विभेद के कारण प्रायः उनके अर्थ में भी विभेद हो गया है। विशेषता यह देखने में आती है कि तत्सम शब्द कभी सामान्य अर्थ में प्रयुक्त होता है, पर उसी का तद्दव रूप विशेष अर्थ देता है; जैसे—गर्भिणी और गमिन; स्थान और थान। कभी तत्सम शब्द से महत्व का भाव प्रकट किया जाता है और उसी के तद्दव रूप से लघुता का, जैसे—देखना और दर्शन। यह भी देखने में आता है कि कभी कभी एक ही द्वयार्थक शब्द के तत्सम और तद्दव रूपों में भिन्न भिन्न अर्थ हो जाते हैं; जैसे—‘धंश’ शब्द के तत्सम रूप का अर्थ कुड़य और तद्दव रूप वाँस का अर्थ तुण-विशेष ही लिया जाता है। एक ही शब्द नानार्थक कैसे हो जाता है अथवा एक ही प्रकार के भाव का घोतन करने के लिये अनेक पर्यायों की कैसे सृष्टि होती है, या किसी एक पर्याय की अवयवार्थ-वोधकता अन्य पर्याय को, चाहे उसका अवयवार्थ कुछ और ही हो, कैसे प्राप्त हो जाती है, जैसे—भोगी साँप को भी कहते हैं और भोग करनेवाले विलासी को भी। साँप का पर्याय-वाचक भुजंग शब्द वेश्या का उपभोग करनेवाले विलासी के लिये प्रयुक्त होता है, यद्यपि भुजंग का अवयवार्थ है टेही चाल चलनेवाला। इन अनेक वातों की स्वतंत्र विवेचना होनी चाहिए। पर इस प्रसंग को हम यहाँ नहीं छेड़ना चाहते।

आधुनिक हिंदी में तद्दव शब्दों से क्रियापद बनते हैं; पर तत्सम शब्दों से क्रियापद नहीं बनते। उनमें ‘करना’ या ‘होना’ जोड़कर उनके क्रियापद रूप बनाए जाते हैं; जैसे ‘देखना’ और ‘दर्शन करना’ या ‘दर्शन होना’। पुरानी कविता में तत्सम शब्दों से क्रियापद बनाए गए हैं और उनका प्रयोग भी बहुत कुछ हुआ है। आजकल कुछ क्रियापद

तरसम शब्दों से बनकर प्रयोग में आने लगे हैं; जैसे, 'दर्शाना'। ज्यों ज्यों खड़ी बोली में कविता का प्रचार बढ़ेगा, त्यों त्यों उसमें ऐसे कियापद्मों की संख्या भी बढ़ेगी। भाषा फी व्यंजक शक्ति बढ़ाने और उसके संक्षेप में भाव प्रकट करने में समर्थ होने के लिये ऐसे नामधातुओं की संख्या में घृणि होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है।

इस प्रकार हम हिंदी के शब्द-भांडार का विश्लेषण करके इस सिद्धांत पर पहुँचते हैं कि इसमें (१) संस्कृत या प्राकृत भाषाओं से आगत शब्दों, (२) देशज शब्दों तथा (३) अनुकरण शब्दों के अतिरिक्त (४) तरसमाभास, (५) अद्वैतद्वय या तद्वयाभास, (६) द्विज और (७) प्रतिध्वनि शब्द भी पाए जाते हैं।

हमारी भाषा पर भारतवर्ष की अन्यान्य भाषाओं तथा विदेशियों की भाषाओं का भी कम प्रभाव नहीं पड़ा है। द्रविड़ भाषाओं फे चहुत विदेशी प्रभाव से शब्द संस्कृत और प्राकृतों में मिल गए हैं और

उनमें से होते हुए हमारी भाषा में आ गए हैं। ट्वर्गों अक्षरों के विषय में चहुतों का यह कहना है कि इनका आगमन संस्कृत और प्राकृत में तथा उनसे हमारी भाषा में द्रविड़ भाषाओं के प्रभाव के कारण हुआ है। डाक्टर ग्रियर्सन की सम्पत्ति है कि द्रविड़ भाषाओं के केवल शब्द ही हमारी भाषा में नहीं मिल गए हैं, बरन् उनके व्याकरण का भी उस पर प्रभाव पड़ा है। वे कहते हैं कि हिंदी की कुछ विभक्तियाँ भी द्रविड़ भाषाओं की विभक्तियों के अनुरूप दराई गई हैं; जैसे—कर्म और संप्रदान कारकों की विभक्तियाँ तो संस्कृत के "कृते" से निकलकर "कहुँ" होती हुई 'की' हो गई हैं। पर द्रविड़ भाषाओं में इन्हीं दोनों कारकों की विभक्ति 'कु' है। विभक्तियों के विषय में हम आगे चलकर विशेष रूप से विचार करेंगे। यहाँ इतना ही जान लेना आवश्यक है कि हिंदी विभक्ति 'को' की द्रविड़ विभक्ति 'कु' से चहुत कुछ समानता है; पर इससे यह सिद्धांत नहीं निकल सकता कि वह द्रविड़ भाषाओं से हिंदी में आई। डाक्टर ग्रियर्सन ने भी यह सिद्धांत नहीं माना है। उनके कहने का तात्पर्य इतना ही है कि द्रविड़ विभक्तियों की अनुरूपता हमारी विभक्तियों के जिस रूप में पाई गई, वही रूप अधिक ग्राह्य समझा गया। मिस्टर केलाग का कहना है कि ट्वर्ग के अक्षरों से आरंभ होनेवाले अधिकांश शब्द द्रविड़ भाषा के हैं और प्राकृतों से हिंदी में आए हैं। उन्होंने हिंदू लगाकर घताया है कि प्रेससागर के ट्वर्ग के अक्षरों से आरंभ होनेवाले ८८ शब्दों में से २१ संस्कृत के तरसम और ६८ प्राकृत के तद्वय हैं; और 'क' से आरंभ होनेवाले

१२८ शब्दों में से २१ तद्देव और १०७ तत्सम हैं। इससे ये यह सिद्धांत निकालते हैं कि भारतवर्ष के आदिम द्रविड़ निवासियों की भाषाओं का जो प्रभाव आधुनिक भाषाओं पर पड़ा है, वह प्राकृतों के द्वारा पड़ा है।

अब कई आधुनिक आर्य-भाषाओं के भी शब्द हिंदी में मिलने लगे हैं; जैसे—मराठी के लागू, चालू, घाजू आदि; गुजराती के लोहनी, कुनवी, हड्डताल आदि और धूंगला के प्राणपण, चूड़ांत, भद्र लोग, गल्प, नितांत, सुविधा आदि। इसी प्रकार कुछ अन्यार्य-भाषाओं के शब्द भी मिले हैं, जैसे—तामिळ पिलहर्से पिल्ला, शुलुट्टु से चुरूट, तिव्यती—चुंगी; चीनी—चाय; मलय—सावू इत्यादि।

हिंदी के शब्द-भांडार पर मुसलमानों और थ्रैगरेजों की भाषाओं का भी कुछ कम प्रभाव नहीं पड़ा है। मुसलमानों की भाषाएँ फारसी, अरबी और तुर्की मानी जाती हैं। इन तीनों भाषाओं के शब्दों का प्रयोग मुसलमानों द्वारा अधिक होने के कारण तथा मुसलमानों का उत्तरी भारत पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ने के कारण ये शब्द हमारी योलचाल की भाषा में बहुत अधिकता से मिल गए हैं और इसी कारण साहित्य की भाषा में भी इनका प्रयोग चल पड़ा है। पर यहाँ इस यात का ध्यान रखना चाहिए कि इनमें से अधिकांश शब्दों का ध्वन्यात्मक विकास होकर हमारी भाषा में आंगम हुआ है। यह एक साधारण सिद्धांत है कि ग्राह्य भाषा का विजातीय उच्चारण ग्राहक भाषा के निकटतम सजातीय उच्चारण के अनुकूल हो जाता है। इसी सिद्धांत के अनुसार मुसलमानी शब्दों का भी हिंदी में रूपांतर हुआ है। ये परिवर्तन हम संदेप में नीचे देते हैं—

(१.) ख और छ हिंदी में त हो जाते हैं; जैसे खलू का तलव थ्रैटर, क्रूज़ का तकरार।

(२) च छ थ छू थ्रैटर से हिंदी में स हो जाते हैं; जैसे चाउट का सायित, साईप्स का साईस, चाहब का साहिय या साहव। छ का ग्रायः श हो जाता है, यद्यपि योलचाल की भाषा में वह भी ग्रायः स ही रहता है।

(३) झ फ़ फ़ू थ्रैटर सब हिंदी में ज हो जाते हैं; जैसे झ, फ़ का जरा, फ़ू मीन का जमीन, फ़ूमीन का जामिन, फ़ूल का जाहिर। कहाँ कहाँ अंतिम झ द में भी परिवर्तित होता है; जैसे फ़ूकांग का कागद।

(४) ट थ्रैटर ट हिंदी में ह हो जाते हैं; जैसे टूल का हाल, टूफ़ का हर। शब्दों के अंत में आया हुआ ट जो ग्रायः विसर्ग के समान उच्चरित होता है, हिंदी में आ में परिवर्तित हो जाता है; जैसे टूफ़ का शुभा, टूफ़ू का पर्दा, टूफ़ू का मुर्दा या मुरदा, टूफ़ू का प्यादा।

(५) और है हिंदी में क्रमशः क, ख और ग हो जाते हैं; जैसे ल, व का कौल, च का हक, ट का खाक, घ का गम, ख्लाम, बुव का गरीब।

(६) हिंदी में फ हो जाता है; जैसे अपि का फायदा, कुक्का का फिकर, अंडा का शरीफ। इस अक्षर के विदेशी उच्चारण का प्रभाव कुछ अधिक व्यापक जान पड़ता है। यद्यपि यह प्रायः फ हो जाता है, पर बोलचाल में इसने अपना प्रभाव कुछ कुछ बना रखा है; और कहीं कहीं तो युद्ध संस्कृत शब्दों के फ का भी लोग धोखे से फ के समान उच्चारण कर चैठते हैं; जैसे 'फूल' को 'फू़ल' न कहकर 'फू़ल' और 'फिर' को 'फिर' न कहकर 'फिर' कहते हैं। प्रायः गुजरातियों के उच्चारण में यह दोष अधिक पाया जाता है।

(७) और, का कभी लोप हो जाता है। जब शब्द के वीच में आता है, तब उसका लोप होकर उसके पूर्व का अर्धोच्चरित अदीर्घ हो जाता है; जैसे معلوم का मालूम, भाँति का माफिक।

ये सब उदाहरण भाषा के व्यनिविकास के भिन्न भेदों के अंतर्गत आते हैं। मुसलमानी भाषाओं से आए हुए शब्दों में आगम, विषय और लोप संबंधी भेद भी प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं; जैसे मर्द से मरद, फिक्र से फिकर, अमानत से अनामत।

इन भाषाओं से आए हुए कुछ शब्दों का यदि यहाँ निर्देश कर दिया जाय तो अनुचित न होगा। सुझाते के लिये इनके विभाग कर दिए जायें तो और अच्छा हो।

राजकाज, लड़ाई, आखेट आदि के—

अमीर, उमरा, खानदान, खिताब, स्पाल, खास, तस्त, ताज, दरवार, दौलत, नकीथ, नवाब, चादशाह, मिर्जा, भालिक, हजूर, हजरत, कूच, कतार, काबू, खंजर, जखम, जंजीर, जमादार, तबक, तंबू, तोप, दुश्मन, नगद, नेजा, फौज, फौत, बहादुर, चंजीर, मनसवदार, रसद, रिसाला, शिकार, शमशेर, सरदार, हल्का, हिम्मत आदि आदि।

राजकर, शासन, और दंडविधान आदि के—

ओलाद, मर्दुमशुमारी, आवाद, इस्तमरारी, चासिल, कञ्जा, कसवा, खजाना, खारिज, गुमाश्ता, चाकर, जमा, जमीन, जायदाद, तहबील, ताल्लुक, दारोगा, दफतर, नाजिर, प्यादा, फिहरिस्त, वाय, चीमा, महकमा, माफ, मोहर, रैयत, शहर, मन, सरकार, सजा, हृद, हिसाय, दिस्सा, आइना, अदालत, इजहार, इलाका, उज्ज, कसूर, काजी, कानून, खिलाफ, सिरिश्ता, सुलहनामा, जौजे, जवान, जब्त, जारी,

जिरह, तकरार, तामील, दरखास्त, दखील, दस्तखत, नावालिग, नालिश, पेशा, फरियादी, करार, घररा, याजाव्ता, मुकद्दमा, मुंसिफ, रद, राय, रुजू, शिनाख्त, सफाई, सालिस, हक, हाकिम, हाजत, हुलिया, हिफाजत आदि।

धर्म संबंधी आदि—

वजू, औलिया, अल्ला, ईंजील, इयादत, ईमान, इसलाम, ईद, कघर, कफन, कलंदर, काफिर, काचा, गाजी, जल्लाद, जुम्मा, तोया, ताजिया, दरगाह, दरवेश, दीन, दुआ, नवी, नमाज, निकाह, नूर, फरिश्ता, रोजा, चिस्मिल्ला, बुजुर्ग, मसजिद, मुहर्रम, मुरीद, मोमिन, मुल्ला, शरीयत, शहीद, शिरनी, शिया, हदीस, हलाल आदि।

विद्या, कला, साहित्य संबंधी—

अद्व, आलिम, इज़ज़त, इस्तिहान, इल्म, खत, गज़ल, तरजुमा, दरद, कसीदा, मज़लिस, मुंशी, रेखता, शरम, सितार, हरूफ आदि।

विलासिता, व्यवसाय, शिल्प आदि संबंधी—

अस्तुरा, आइना, अखनी, अंगूर, अचकन, अतर, आतिशयाजी, आवनूस, अर्क, इमारत, कागज, कलफ, कुलुफ, कीमख्वाय, किशमिश, घफ्फाँ, कोर्मा, कसाई, खरवूजा, खाल, खानसामाँ, खस्ता, गज, गिर्द, गुलाय, गोश्त, चरखा, चश्मा, चपकन, चाबुक, चिक, जरी, जर्द, जवाहिरात, जामा, जुलाय, ताफता, तकमा, तराजू, तसवीर, तकिया, दालान, दस्ताना, दवा, दूर्वीन, दवात, नारंगी, परदा, पाजामा, पुलाय, फर्याश, फानूस, फुहारा, वरफ, वागीचा, वादाम, बुलबुल, मखमल, लवादा, मलहम, मसाला, मलाई, मिश्री, मीना, मेज, रफू, रुमाल, रिकाय, रेशम, लगाम, शहनाई, शाल, शीशी, संदूक, सुखर्णी, सुराही, हौदा, हलुवा, हुक्का, हैज आदि।

मित्र भिन्न देशवासियों के नाम—

अरव, अरमनी, यहूदी, उजवक, तिब्बती, चिलायती, हवशी इत्यादि। साधारण वस्तुओं और भावों के लिये—

अंदर, आवाज, अक्सर, आवहवा, आसमान, असल, इल्लत, कदम, कम, कायदा, कारखाना, कमर, खवर, खुराक, गरज, गरम, गुजरान, चंदा, जलदी, जानवर, जहाज, जिद, तलाश, ताजा, दखल, दम, दरकार, दगा, दाना, दुकान, नगद, नमूना, नरम, निहायत, नशा, पसंद, परी, फुरसत, घदजात, घंडेवस्त, घादहव्वाई, बेवकूफ, मज़बूत, मियाँ, मुर्गा, मुखुक, यार, रकम, रोशनाई, वजन, सादा, साफ, हफ्ता, हजार, हजम, होशियार, हजूम आदि।

थोड़े से तुर्की शब्दों का पृथक् विग्रहण कराना भी उप-योगी होगा—

आगा, उजवक (ओजवेक), उर्दू (ओर्दू=खेमा), कलेंगा (क्लेगः), कंची (कैंची), कावू (कापू=चाल, अवसर, अधीनता, अधिकार, पकड़), कुली (कुली=गुलाम), कोतका =ठेंगा (कुतका=दंडा), कोमां (क्युमां), खातुन =महिला (खातून), खान, खाँ (खान, खाकान), गलीचा (क्लीचा), चकमक (चकमक), चाकू (चाक), चिक (फां चिग, तु० चिक्), तकमा (तमगा), तुपक, तोप, तगाड़ =सुखीं चूने का गड्ढा (तगार), तुर्क (तुर्क), दरोगा (दारोगा), वक्सी (फां घखशी, तु० वक्सी), बावर्ची (बावर्ची), बहादुर, धीरी, वेगम (वेगुम), बकचा =बंडल (बकचा), मुचलका, लाश, सौगात, सुराक =पता (सुराग), और 'ची' प्रत्यय जैसे मशालची, खज्जानची इत्यादि। इनके अतिरिक्त पठान (पश्तान) रोहिला (पश्तो 'रोह' =पहाड़) आदि कुछ शब्द पश्तो भाषा के भी मिलते हैं।

युरोपियन भाषाओं के शब्द भी, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, हमारी भाषा में मिल गए हैं; और वर्तमान समय में तो यहुत अधिकता से मिलते जाते हैं। इन शब्दों में से थोड़े से शब्द तो पुर्णाली भाषा के हैं, जैसे Camera से कमरा, Martello से मारतौल, Lelloo से नीलाम, कुछ फैच भाषा के, जैसे Cartouche से कार्टूस, Franchis से फरासीसी, Anglais से अँगरेज; कुछ डच भाषा के, जैसे Troef से तुर्ख (ताश का खेल), Boom से बम (गाढ़ी फा); पर अँगरेजी भाषा के शब्दों की संख्या हमारी भाषा में यहुत अधिक हो गई है और नित्य बढ़ती जा रही है। इनमें से कुछ शब्द तो तत्सम रूप में आप हैं, पर अधिकांश शब्द तद्देव रूप में आप हैं। तत्सम रूप में आप हुए शब्दों के कुछ उदाहरण ये हैं—इंच, फुट, अमोनिया, बैच, विल, थोर्ड, थोट, थार्डर, वजेट, वटन इत्यादि। तद्देव शब्दों के संवंध में आगम, विर्यय, लोप और विकार के नियमों का स्पष्ट प्रभाव देख पड़ता है; जैसे (१) Sample से सैपुल, Recruit से रंगरूट, Dozen से दर्जन; (२) General से जनरल, Desk से डेक्स; (३) Report से रपट, Pantaloons से पतलून, Magistrate से मजिस्ट्रर, Lantern से लालटेन, Hundred-weight से हंडर या हंडरवेट, Town-duty से ट्रून इटी, Time से ट्रैम, Ticket से टिकट, Quinine से कुनीन, Kettle से केतली। इन उदाहरणों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि शब्दों के ध्वन्यात्मक विकास

में आगम, विपर्यय, लोप और विकार के नियमों में से कोई एक नियम किसी एक शब्द के रूप के परिवर्तित होने में नहीं लगता, घरन् दो या अधिक नियम एक साथ लगते हैं। यदि हम प्रत्येक शब्द के संबंध में सूचम् विश्लेषण न करके एक व्यापक नियम के आधार पर विचार करें, तो सब काम चल जाता है। वह नियम यह है कि जब एक भाषा से दूसरी भाषा में कोई शब्द आता है, तब वह शब्द उस ग्राहक भाषा के अनुरूप उच्चारण के शब्द या निकटतम् भित्राल्पर शब्द से, जो उस भाषा में पहले से वर्तमान रहता है, प्रभावान्वित होकर कुछ अक्षरों का लोप करके अथवा कुछ नए अक्षरों को जोड़कर उसके अनुकूल बना लिया जाता है।

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे यह मुख्य सिद्धांत निकलता है कि हिंदी भाषा में प्राचीन आर्य भाषाओं के अथवा विदेशी भाषाओं के जो शब्द आए हैं, वे या तो तत्सम रूप में आए हैं अथवा तद्देव रूप में। अधिकांश शब्द तद्देव रूप में ही आए हैं, तत्सम शब्दों की संख्या घटत कम है। पर साथ ही यह प्रवृत्ति भी देख पड़ती है कि जो लोग प्राचीन आर्य भाषाओं के अथवा विदेशी भाषाओं के आता हैं, वे उन भाषाओं के शब्दों को तत्सम रूप में ही व्यवहृत करने का उद्योग करते हैं। यह प्रवृत्ति यहाँ तक बढ़ रही है कि धन्यातमक विकास के सिद्धांतों की भी परवा न करके लोग उन शब्दों को शुद्ध विदेशी या प्राचीन रूप में ही अपनी भाषा में रक्षित रखना चाहते हैं। इससे एक और तो नए उच्चारणों के लिये, जो हमारी भाषा में वर्तमान नहीं हैं, नए चिह्नों के बनाने की आवश्यकता उपस्थित हो गई है और दूसरी ओर हमारी भाषा की पाचन-शक्ति में व्याधात पहुँच रहा है। जिस प्रकार कोई जीवधारी पाचन-शक्ति के मंद पड़ जाने अथवा उसके कमशः नष्ट हो जाने के कारण अपनी शारीरिक क्रियाएँ संपन्न करने में असमर्थ हो जाता है, उसी प्रकार जब किसी भाषा की पाचन-शक्ति का नाश हो जाता है, अर्थात् जब उसमें दूसरी भाषाओं के शब्दों को लेकर तथा उन्हें अपने नैसर्गिक रूप में परिवर्तित करके अपना अंग बनाने की शक्ति नहीं रह जाती, तब वह कमशः क्षीण होकर या तो नष्टप्राय हो जाती है अथवा ऐसा विलुप्त रूप धारण करने लगती है कि उसके पूर्व-ऐतिहासिक रूप का पता लगना भी कठिन हो जाता है। संस्कृत, फारसी और अङ्गरेजी के विद्वानों को यह ध्यान रखना चाहिए कि अपने पांडित्य की कौंध के आगे वे कहीं अपनी मातृभाषा को विवरणी और द्विज्ञ-भिन्न न कर दें।

यहाँ हम इतना और कह देना चाहते हैं कि जहाँ नई जातियों के संसर्ग तथा नए भावों के उदित होने से हमारी भाषा में नए शब्दों का आगम रोकना असंभव है, वहाँ अपने पूर्व रूप को न पहचानने के कारण अपने प्राचीन शब्द-भांडार से सहायता न लेना भी अस्वाभाविक है। आवश्यकता के बल इस बात की है कि अपना नैसर्गिक रूप न भूला जाय और भाषा को दासत्व की बेड़ी न पहनाई जाय।

हम पहले लिख चुके हैं कि हिंदी में प्राचीन आर्थभाषाओं के शब्द भी तत्सम, अर्ध-तत्सम या तद्भव रूप में आए हैं। जैसा कि हम पहले

प्राचीन भारतीय निर्देश कर चुके हैं, अनेक अवस्थाओं में एक ही भाषाओं का प्रभाव शब्द के तत्सम और तद्भव दोनों रूप प्रयोग में आते हैं। पर ऐसे दोनों रूपों के अर्थों में कुछ सूझ विसेद हो गया है; जैसे, मेघ—मेह, स्थान—थान या थाना, दर्शन—देखना। इनमें से कहीं तो प्रायः ऐसा देखा जाता है कि तद्भव शब्द के अर्थ में कुछ विशिष्टता आ जाती है और कहीं तत्सम शब्द आदर अथवा महत्त्व का सूचक हो जाता है। तत्सम संश्लाघाचक और विशेषणाचक शब्द संस्कृत से अधिकतर प्रातिपदिक रूप में और कुछ संस्कृत के प्रथमा एकवचन के रूप में आकर हिंदी व्याकरण के शासनाधीन होते हैं। फल, धृत, पशु, सुंदर, कुरुप आदि शब्द प्रातिपदिक रूप में ही लिप द्युय हैं। दाता, सरिता, राजा, धनवान्, तेजस्वी आदि प्रथमा एकवचन के रूप में आते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि हिंदी के कारक चिह्न स्वतंत्र हो गए हैं और संस्कृत के कारक चिह्नों का प्रयोग हिंदी में लुप्त हो गया है।

विशेषणों के तारतम्य-सूचक प्रत्यय भी हिंदी में प्रायः लुप्त हो गए हैं, और उनके स्थान पर अप्रत्यय शब्दों से काम लिया जाता है। कहीं कहीं इन प्रत्ययों का जो प्रयोग भी होता है, वह संय तत्सम शब्दों के साथ। जैसे, अष्टतर, पुण्यतर, मंदतम्।

हिंदी के संत्याचाचक विशेषणों तथा सर्वनामों में यहुत विकार हो गया है। अब ये सर्वथा तद्भव हो गए हैं। तत्सम नामधातुज मियाओं के रूप फविता में तो मिलते हैं, पर गद्य में वहाँ मिलते। इधर किसी किसी का प्रयोग गद्य में हीने लगा है; पर अधिकांश कियाएँ तद्भव ही हैं; और जहाँ कहीं तत्सम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ तत्सम संश्लाघाचक शब्द के साथ करना, होना, सेना आदि तद्भव कियाएँ लगा दी जाती हैं।

हिंदी में तन्द्रव शब्दों की संख्या बहुत अधिक है। ये संस्कृत से प्राप्त या अपभ्रंश द्वारा विद्युत होकर हिंदी में आए हैं। इनके विद्युत होने में आगम, लोप, विषय तथा विकार के नियम लगते हैं। ये विकार शब्द के आदि, मध्य या अंत में होते हैं। सबसे अधिक परिवर्तन शब्दों के भ्रष्ट में होता है; इसके अनंतर आरंभ के परिवर्तनों की संख्या है; और अंत में तो यहुत कम परिवर्तन होते हैं। इस विषय पर एक स्वतंत्र पुस्तक ही लिखी जा सकती है; अतः हम यहाँ केवल यही घतला देना चाहते हैं कि प्रधानतः प्रयोगाध्य, स्वरसाम्य और गुण-साम्य आदि के कारण अनेक प्रकार के परिवर्तन हुआ करते हैं।

पाँचवाँ अध्याय

साहित्यिक हिंदी की उपभाषाएँ

हमने ऊपर हिंदी के विकास के भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न धोलियों के नाम दिए हैं। इनमें मुख्य राजस्थानी, अबधी, ग्रजभाषा हिंदी की उप- और खड़ी धोली* हैं। तुँदेलखंडी स्थूल दृष्टि से ग्रज भाषा के अंतर्गत आती है। अब हम भाषाएँ या धोलियों इन पर अलग अलग विचार करेंगे।

(१) राजस्थानी भाषा—यह भाषा राजस्थान में धोली जाती है। इसके पूर्व में ग्रजभाषा और तुँदेली, दक्षिण में तुँदेली, मराठी, भीली, खानदेशी और गुजराती, पश्चिम में सिधी और पश्चिमी पंजाबी तथा उत्तर में पश्चिमी पंजाबी और बांगरु भाषाओं का प्रचार है। इनमें से मराठी, सिधी और पश्चिमी पंजाबी बहिरंग शाखा की भाषाएँ हैं और शेष सब अंतरंग शाखा की भाषाएँ हैं।

जहाँ इस समय पंजाबी, गुजराती और राजस्थानी भाषाओं का, जो अंतरंग भाषाएँ हैं, प्रचार है, वहाँ पूर्व काल में बहिरंग भाषाओं का प्रचार था। क्रमशः अंतरंग समुदाय की भाषाएँ इन स्थानों में फैल गईं और बहिरंग समुदाय की भाषाओं को अपने स्थान से च्युत करके उन्होंने उन स्थानों में अपना अधिकार जमा लिया। आधुनिक राजस्थानी में बहिरंग भाषाओं के कुछ अवशिष्ट चिह्न मिलते हैं; जैसे आ, ए, ऐ और ओ के उच्चारण साधारण न होकर उससे कुछ भिन्न होते हैं। इसी प्रकार छ का उच्चारण स से मिलता जुलता और युद्ध स का ह के समान होता है। इसके अतिरिक्त राजस्थानी भाषाओं की संज्ञा का, विकारी रूप बहिरंग भाषाओं के समान आकारात्म होता है और संवंध कारक का चिह्न बँगला के समान र होता है।

बहिरंग भाषाओं को उनके स्थान से हटाकर अंतरंग भाषाओं के प्रचलित होने के प्रमाण कई ऐतिहासिक घटनाओं से भी मिलते हैं। महाभारत के समय में पंचाल देश का विस्तार चंबल नदी से हरद्वार

* साहित्यिक हिंदी और भाषा-शास्त्रीय हिंदी में जो अंतर है उसका उल्लेख इष्ट २८-२९ पर हो चुका है।

तक था; अतएव उसका दक्षिणी भाग राजपूताने का उत्तरी भाग था। पाश्चात्य पंडित तथा उनके अनुयायी अन्य विद्वान् यह मानते हैं कि गांधाल लोग उन आर्यों में से थे जो पहले भारतवर्ष में आए थे; इसलिये उनकी प्राचीन भाषा वहिरंग समुदाय की थी। जब अंतरंग समुदाय की भाषा बोलनेवाले आर्य, जो पीछे भारतवर्ष में आए, अधिक शक्ति-संपन्न होकर चारों ओर फैलने लगे, तब उन्होंने वहिरंग भाषाओं के स्थान में वसे हुए आर्यों को दक्षिण की ओर खदेड़ना आरंभ कर दिया। इसी प्रकार अंतरंगवासी आर्य वहिरंग आर्यों को चीरते हुए गुजरात की ओर चले गए और समुद्र के किनारे तक वसे गए। महाभारत के समय में द्वारका का उपनिवेश स्थापित हुआ था और उसके पीछे कई धार आर्य लोग मध्य देश से जाकर वहाँ वसे थे। डाकटर ग्रियर्सन का अनुमान है कि ये लोग राजपूताने के मार्ग से गए होंगे क्योंकि सीधे मार्ग से जाने में मरु देश पड़ता था जहाँ का मार्ग घटुत कठिन था। पीछे की शताव्दियों में आर्य लोग मध्य देश से जाकर राजपूताने में वसे थे। वारहांशताव्दी में राठोरों का कबीज छोड़कर मारवाड़ में वसना देतिहास-प्रसिद्ध था त है। जयपुर के कछुवाहे अवध से और सोलंकी पूर्वी पंजाब से राजपूताने में गए थे। यादव लोग मध्य देश से जाकर गुजरात में वसे थे। इन धारों से यह स्पष्ट अनुमान होता है कि मध्य देश से जाकर आर्य लोग गंगा के दोशावे से लेकर गुजरात में समुद्र के किनारे तक वसे गए थे और वहाँ के वसे हुए पूर्ववर्ती आर्यों को उन्होंने खदेड़कर हटा दिया था। इससे यह भी स्पष्ट है कि आधुनिक राज-स्थानी भाषा बोलनेवाले मध्य देश के परवर्ती आर्य थे; और ऐसी दशा में उनकी भाषा में वहिरंग भाषाओं का कुछ कुछ प्रभाव वाकी रह जाना, स्वाभाविक ही है।

राजस्थानी भाषा की धार बोलियाँ हैं—मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। इनके अनेक भेद उपभेद हैं। मारवाड़ी का पुराना साहित्य डिगल नाम से प्रसिद्ध है। जो लोग ग्रजभाषा में कविता करते थे, उनकी भाषा पिंगल कहलाती थी; और उससे भेद करने के लिये मारवाड़ी भाषा का उसी की धनि पर गढ़ा हुआ डिगल नाम पड़ा। जयपुरी में भी साहित्य है। दादूदयाल और उनके शिष्यों की वाणी इसी भाषा में है। मेवाती और मालवी में किसी प्रकार के साहित्य का पता नहीं चला है। इन भिन्न भिन्न बोलियों की वनावट पर ध्यान देने से यह प्रकट होता है कि जयपुरी और मारवाड़ी गुजराती से, मेवाती ग्रजभाषा से और मालवी बुँदेलखण्डी से वहुत मिलती

जुलती है। संक्षा शब्दों के एकवचन रूप प्रायः समान ही है, पर वह-
वचनों में अंतर पड़ जाता है; जैसे, एकवचन धर, धोड़ा, धट्टी; पर
व्युत्थचन में इनके रूप क्रमशः धन्या, धोड़ी, धट्टी हो जाते हैं। जयपुरी
और मारवाड़ी की विभक्तियाँ इस प्रकार हैं—

कारक	जयपुरी	मारवाड़ी
संवध	यो, का, वी	रो, रा, री
सप्रदान	नै, कै	नै
अपादान	सूँ, सैं	सूँ, ऊँ

ब्रजभाषा में अपादान की विभक्ति सौं, तैं और युँदेलखंडी की
सौं, सैं होती है जो जयपुरी और मारवाड़ी द्वीनों से मिलती है। ब्रज-
भाषा और युँदेलखंडी में तो संवंध कारक की विभक्ति परस्पर मिलती
है, पर मारवाड़ी की भिन्न है।

व्यक्तिवाचक सर्वनामों की भी यही अवस्था है। ब्रजभाषा
और युँदेलखंडी में एकवचन फा मूल रूप मो, मुज, मे या तो, तुज, तै
है, पर राजस्थानी में मुँ, त, तू है, जो गुजराती से मिलता है। वह-
वचन में हम, तुम की जगह महाँ, थाँ हो गया है। राजस्थानी में एक-
वचन के पहले व्यंजन को हफारमय करने की भी प्रवृत्ति है; जैसे महा।
सारांश यह कि व्यक्तिवाचक सर्वनामों में कहाँ गुजराती से और कहाँ
ब्रजभाषा या युँदेलखंडी से साम्य है और कहाँ उसके सर्वथा स्वतंत्र रूप
हैं। निश्चयवाचक सर्वनामों की भी यही अवस्था है।

राजस्थानी भाषाओं की क्रियाओं में एक घड़ी विशेषता है। उनमें
कर्मणि-प्रयोग धरावर मिलता है जो परिचमी हिंदी में वहुत ही कम होता
है। इन भाषाओं की क्रियाओं में धातु रूप ये ही हैं जो दूसरी आधुनिक
भारतीय भाषाओं में मिलते हैं; केवल उनके उच्चारण में कहाँ कहाँ भेद
है। राजस्थानी क्रियाओं में विशेषता इतनी ही है कि धर्तमान काल में
उत्तम पुरुष वहुवचन का प्रत्यय आँ होता है, पर प्रथम पुरुष वहुवचन
का प्रत्यय विशेषण के समान आ होता है। जैसे—

वचन	जयपुरी *	मारवाड़ी
वर्तमान काल—		
एकवचन		
उ० पु०	छूँ	हूँ
म० पु०	छूद	हूद
अ० पु०	छूइ	हूइ
बहुवचन		
उ० पु०	छों	हों
म० पु०	छो	हो
अ० पु०	छूइ	हूइ
भूत काल—		
एकवचन पु०	छो	हो
बहुवचन पु०	छा	हा

राजस्थानी में कियाओं के रूप प्रायः पश्चिमी हिंदी के समान होते हैं। भविष्यत् काल में राजस्थानी के रूप दो प्रकार के होते हैं— (१) एक तो प्राकृत के अनुरूप; जैसे, प्रा० चलिस्त्वामि, चलिहामि, चलस्यूँ, चलहाूँ; और (२) दूसरा “गा” या “ला” प्रत्यय लगाकर; जैसे चलूँलो, चलौँला, चलूँला, चलूँगो, चलौँगा।

राजस्थानी भाषा वाक्य-विन्यास के संबंध में गुजराती का अनुकरण करती है। पश्चिमी हिंदी में बोलने का अर्थ देनेवाली कियाओं के संबंध में जिससे बोला जाय, उसका रूप अपादान कारक में होता है, जैसे—‘राम गोविंद से कहता है’। पर गुजराती में इसका रूप संप्रदान कारक का सा होता है; जैसे “राम गोविंद ने कहे छे”। पश्चिमी

हिंदी में जब कोई सकर्मक किया सामान्य भूतकाल में प्रयुक्त होती है, श्रौत कर्म सप्रत्यय रखा जाता है, तब उसका रूप पुँजिंग का सा होता है, पर गुजराती में कर्म के अनुसार लिंग होता है; जैसे (प० हिं०) 'उसने खीं को मारा'; (गु०) 'तेण खीं ने मारी'। राजस्थानी में देनाँ प्रकार के प्रयोग होते हैं।

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसका सारांश यही है कि राजस्थानी भाषा पर गुजराती का बहुत प्रभाव पड़ा है। संदाच्रों के फारक रूपों में यह गुजराती से बहुत मिलती है, पश्चिमी हिंदी से नहीं। राजस्थानी की विभक्तियाँ अलग ही हैं। जहाँ कहाँ समानता है, वहाँ गुजराती से अधिक है, पश्चिमी हिंदी से कम।

(२) अवधी—इस भाषा का प्रचार अवध, आगरा प्रदेश, घघेलखंड, छोटा नागपुर और मध्य प्रदेश के कई भागों में है। इसकी प्रचारसीमा के उत्तर में नेपाल की पहाड़ी भाषाएँ, पश्चिम में पश्चिमी हिंदी, पूर्व में चिहारी तथा उड़िया श्रौत दक्षिण में मराठी भाषा बोली जाती है।

अवधी के अंतर्गत तीन मुख्य बोलियाँ हैं—अवधी, घघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी और घघेली में कोई अंतर नहीं है। घघेलखंड में बोली जाने के ही कारण वहाँ अवधी का नाम घघेली पड़ गया है। छत्तीसगढ़ी पर मराठी श्रौत उड़िया का प्रभाव पड़ा है और इस कारण वह अवधी से कुछ यातों में भिन्न हो गई है। हिंदी-साहित्य में अवधी भाषा ने एक प्रधान स्थान प्रहरण किया है। इसके मुख्य दो कवि मलिक मुहम्मद जायसी श्रौत गोस्वामी तुलसीदासजी हैं। मलिक मुहम्मद ने अपने ग्रंथ पद्मावत का आरंभ संवत् १५६७ में और गोस्वामी तुलसी-दासजी ने अपने रामचरितमानस का आरंभ संवत् १६३१ में किया था। दोनों में ३०-३५ वर्ष का अंतर है। पर पद्मावत की भाषा अपने शुद्ध रूप में, जैसी वह बोली जाती थी, ऐसी ही है; और गोस्वामी तुलसी-दासजी ने उसे साहित्यिक रूप देने का सफलता पूर्ण उद्योग किया है। अवधी के भी दो रूप मिलते हैं—एक पश्चिमी, दूसरा पूर्वी। पश्चिमी अवधी लंखनऊ से कन्नौज तक बोली जाती है; अतएव अज्ञभाषा की सीमा के निकट पहुँच जाने के कारण उसका इस पर बहुत प्रभाव पड़ा है और यह उससे अधिक मिलती है। पूर्वी अवधी गोडे और श्रेयोध्या के पास बोली जाती है। यहाँ की भाषा शुद्ध अवधी है। इस विभेद को स्पष्ट करने के लिये हम दोनों के तीन सर्वनामों के रूप यहाँ देते हैं।

वर्तमान हिंदी	पूर्वी अवधी		पश्चिमी अवधी	
	अविकारी	विकारी	अविकारी	विकारी
कौन	के	के	के	का
जो	जे.	जे	जो	जा
वह	से, ते	ते	से	ता

क्रियापदों में भी इसी प्रकार का भेद मिलता है। पश्चिमी अवधी में व्रजभाषा के समान साधारण क्रिया का नांत रूप रहता है; जैसे आवन, जान, करन। पर पूर्वी अवधी में उसके अंत में व प्रत्यय आता है; जैसे—आउव, जाव, करव। इन साधारण क्रियापदों में कारक चिह्न या दूसरी क्रिया लगने पर पश्चिमी अवधी का नांत रूप बना रहता है; जैसे—आवै काँ, करन माँ, आवन लाग, पर पूर्वी अवधी में साधारण क्रिया का वर्तमान तिङ्गन्त (साध्यावस्थापन) रूप हो जाता है, जैसे—आवै काँ, जाय माँ, आवै लाग, सुनै चाहौ। करण के चिह्न के पहले पूर्वी और पश्चिमी दोनों प्रकार की अवधी में भूत घट्ट का रूप हो जाता है; जैसे—आए से, चले से, आए सन्, दिए सन्। पश्चिमी अवधी में भविष्यत् काल में प्रथम पुरुष एकवचन का रूप व्रजभाषा के समान 'है' होता है; जैसे—करिहै, सुनिहै, पर पूर्वी अवधी में 'हि' रहता है; जैसे होइहि, आइहि। क्रमशः इस 'हि' में के 'ह' के घिस जाने से केवल 'इ' रह गया, जो पूर्व इसे मिलकर 'ई' हो गया; जैसे आई, जाई, करी, खाई। अवधी साहित्य में दोनों रूप एक ही अंथ में एक साथ प्रयुक्त मिलते हैं।

संझा श्रीर सर्वनाम के कारक रूपों में भोजपुरी से अवधी बहुत मिलती है। इसके विकारी रूप का ग्रन्थ ए होता है। अवधी की विभक्तियाँ भी वही हैं जो भोजपुरी की हैं; केवल कर्म कारक श्रीर संप्रदान कारक का चिह्न अवधी में 'काँ' और विहारी में 'के' तथा अधिकरण कारक का चिह्न अवधी में 'माँ' और विहारी में 'मे' है। ये 'काँ' और 'माँ' विभक्तियाँ अवधी की विशेषता की सूचक हैं। सर्वनामों के कारक रूपों में भी विहारी से अवधी मिलती है। व्यक्तिगत सर्वनाम के संबंध कारक एकवचन का रूप पश्चिमी हिंदी में मेरो या मेरा है, पर

विहारी में यह मोर हो जाता है। अवधी में भी विहारी के समान 'मोर' ही रूप होता है। क्रियापदों में अवधी शौरसेनी की ओर अधिक मुक्ती है। उदाहरण के लिये अवधी का 'मारा' शब्द ले लीजिए। संस्कृत में यह मारितः था, शौरसेनी में 'मारिदा' हुआ जिससे ग्रन्थभाषा में मार्ण्यो थना। इस उदाहरण में पहले त का द हुआ और तय उस द का लोप हो गया। पूर्वी समुद्राय की भाषाओं में इस द के स्थान में ल हो जाता है; जैसे मारल। इससे प्रतीत होता है कि अवधी ने शौरसेनी से सहायता लेकर अपना रूप स्थिर किया है।

यहाँ हम संक्षेप में अवधी के व्याकरण की कुछ धाराएँ देकर इस भाषा का विवरण समाप्त करते हैं।

संज्ञा—शब्दों के प्रायः तीन रूप होते हैं; जैसे घोड़ा, घोड़वा और घोड़ीना; नारी, नरिया और नरीवा। इसके कारकों के रूप इस प्रकार होते हैं—

कारक	अकारांत पुं०	आकारांत पुं०	इंकारांत खो०
एकवचन			
कर्ता	घर	घोड़वा	नारी
विकारी	घरा, घरे	घोड़वा	नरी
यहुवचन			
कर्ता	घर	घोड़वे, घोड़वने	नारी
विकारी	घरन	घोड़वन	नारिन

संज्ञाओं के साथ जो विभक्तियाँ लगती हैं, वे इस प्रकार हैं—

कर्ता—ऐ (आकारांत शब्दों में सकर्मक क्रिया के साथ)।

कर्म—के, काँ, कहँ।

करण—सैं, सन्, सौं।

संप्रदान—के, काँ, कहँ।

अपादान—से, तैं, सैंती, हुँत।

संवंध—कर (क), केर, कै (खी०)।

अधिकरण—मैं, माँ, महँ, पर।

विशेषण—विशेषणों का लिंग विशेष्य के अनुसार परिवर्त्तित हो जाता है। जैसे—आपन-आपनि, ऐस-ऐसि, ओकर-ओकरि। प्रायः बोलचाल में इसका ध्यान नहीं रखा जाता, पर साहित्य में इसका विशेष ध्यान रखा जाता है।

सर्वनाम—भिन्न भिन्न सर्वनामों के रूप इस प्रकार होते हैं—

क्रम संख्या	एकवचन			बहुवचन		
	कर्ता	विकारी	संबंध	कर्ता	विकारी	संबंध
मैं	मैं	मै	मेर	हम	हम, हमरे	हमार, हमरे
तू	तू	ते	तेर	तुम, तू	तुम, तुम्हरे	तुम्हार, तुमरे
आप (स्व)	आप	आप	आपकर	आप	आप	आपकर
आप (पर)	आप	आपु	आपन	आप	आप	आपन
यह	इ	ए, एह, एहि	एकर, एहिकर	इन, ए	इन	इनकर, इनकेर
यह	ऊ, वै	ओ, ओह, ओहि	ओकर, ओहिकर	उन, ओन	ओन, उन	ओनकर, ओनकेर
जो	जो, जे, जौन	जे, जेहि	जेकर, जेहिकेर	जे	जिन	जिनकर, जिनकेर
से	से, से, तौन	ते, तेहि	तेकर, तेहिकेर	ते	तिन	तिनकर, तिनकेर
कौन	को, के, कौन	के, केहि	केकर, केकेर	के, के	किन	किनकर, किनकेर

कियाएँ—इनके रूप भिन्न कालों, घचनों, पुरुषों तथा लिंगों में
इस प्रकार होते हैं—

(१) अकर्मक क्रियाएँ

घर्तमान काल

“मैं हूँ”

प्रश्न	एकवचन		बहुवचन	
	पुं०	स्त्री०	पुं०	स्त्री०
उ० पु०	हौं, यात्यो,	ददउँ, याटिउँ,	दहैं, याटीं,	ददन, याटिन,
	अहौं	अहिउँ	अहो	अहिन
म० पु०	हए, याटे,	ददह, याटिस	हो, याट्यो,	ददउ, याटित
	याटिउ		अहो	
अ० पु०	अहिस, अहै,	अहिस	अहेव, अहो,	अहिव
	अहसि		अह, अहे	
अ० पु०	अहै, है, आय,	याटह, अहै, है,	याटै, अहै, है	याटी, अहै,
	याहै, या	याहै, या	याहैं	याटिन

भूत काल

“मैं था”

प्रश्न	एकवचन		बहुवचन	
	पुं०	स्त्री०	पुं०	स्त्री०
उ० पु०	रहो	रहिउँ	रहे	रहे, रहिन,
म० पु०	रहे, रहसि	रहे, रहिसि	रहो	(रहेन) रहिउँ
अ० पु०	रही	रही	रहेन, रहिन, रहैं	रहा, रहिन

(२) सकर्मक-मुख्य क्रियाएँ

क्रियार्थक संज्ञा	देखव
वर्तमान कुदंत (कर्तरि)	देखत, देखित
भूत कुदंत (कर्मणि)	देखा
भविष्य कुदंत (कर्मणि)	देखव
संभाव्यार्थ कुदंत	देखत, देखित
वर्तमान संभाव्यार्थ	(यदि) मैं देखौं

पुरप	एकवचन	बहुवचन
उ० पु०	देखौं	देखी
म० पु०	देखु, देखिस	देखी
अ० पु०	देखै	देखैं

अश्वात के एकवचन का रूप देखु, देखिस और बहुवचन का देखउ, देखौं, देखैं (आप) होता है।

भविष्य

पुरप	एकवचन	बहुवचन
उ० पु०	देखबूँ, देखबौं, देखिहौं	देखव, देखिहैं
म० पु०	देखवे, देखिहै	देखबौ, देखिहौ
अ० पु०	देखि, देखे, देखिहै	देखिहैं

भूत

पुरुष	एकवचन		बहुवचन	
	पुं०	खी०	पुं०	खी०
उ० पु०	देख्यो	देखिउँ	देखा, देखिन	देखा, देखिन
म० पु०	देरे, देखित देखेसि	देखिय, देखे देखियि, देरी	देखेन देख्यो	देखेन देखेड, देरी
अ० पु०	देखेस, देखित देखिसि, देख	देखिय, देखी	देखेन, देखिन	देखी, देखिन

भूत संकेतार्थ

पुरुष	एकवचन		बहुवचन	
	पुं०	खी०	पुं०	खी०
उ० पु०	देखत्याँ	देखतिउँ	देखित	देखित
म० पु०	देरते, देखतित	देखते, देखतित	देखतेहू, देखत्यो	देखतित
अ० पु०	देरत	देखति	देखतेन, देखतिन	देखतिन

यर्तमान सामान्य—देखत अहेडँ ।

भूत अपूर्ण—देरत रह्यो ।

ताल के तराई-परगनों तक चला गया है। इसका केंद्रस्थान मथुरा है, और वहाँ की भाषा शुद्ध ब्रजभाषा है। इस केंद्र स्थान से जिधर जिधर यह फेली है, उधर उधर की भाषाओं से संसर्ग होने के कारण इसके रूप में कुछ न कुछ विकार हो गया है। इस भाषा की मुख्य विशेषता यह है कि इसकी आकारांत पुलिलग संज्ञाएँ, विशेषण और भूत कृदंत तथा कहाँ कहाँ वर्तमान कृदंत भी ओकारांत होते हैं; जैसे—घोड़ा, चल्यो, कियो आदि। संस्कृत के घोटक शब्द का प्राकृत रूप घोड़ओ होता है, जिससे ब्रजभाषा का घोड़ा रूप बना है। इसी प्रकार संस्कृत के भूत और वर्तमान कृदंतों के अंतिम ता का प्राकृत में अ + उ हो जाता है; जैसे—चलितः से चलिअउ; और ब्रजभाषा में यह चल्यो हो गया है। यद्यपि यह ब्रजभाषा का एक प्रधान लक्षण है, पर इसके भी अपवाद हैं। जिस प्रकार संस्कृत में स्वार्थ 'क' का प्रयोग होता है, उसी प्रकार ब्रज भाषा में रा आदि होता है, जैसे—हियरा, जियरा, बदरा, चवैया, फन्हैया। खड़ी बोली में यह डा और अवधी में घा, ना आदि होता है; जैसे, मुखडा, बछडा, करेजवा, विधमा इत्यादि। ऐसे शब्द न तो ओकारांत होते हैं और न इनके विकारी रूपों में आ का ए होता है। ब्रजभाषा की दूसरी विशेषता यह है कि इसके कारक-चिह्न अवधी और रड़ी बोली से भिन्न हैं। यह भिन्नता नीचे की सारिणी से स्पष्ट हो जायगी।

कारक	ब्रजभाषा	अवधी	रड़ी बोली
कर्ता	(विकारी) ने	×	(विकारी) ने
कर्म	वे, कौ	के, का, कहूँ	वे
कर्मण	से, ते	से, सन, सौं	से
सप्रदान	वे, वै	के, का, कहूँ	वे
अपादान	ते, से	से	से
संघ	वे	कर, कै, वेर	का, वे, की
अधिकरण	में, मो, पै, पर	में, मौं, पर	में, पर

इससे यह स्पष्ट है कि अवधी में भूतकालिक सकर्मक क्रियाओं के कर्ता के साथ 'ने' का प्रयोग सर्वथा नहीं होता, पर ब्रजभाषा और खड़ी बोली में यह अवश्य होता है। इसी प्रकार कर्म, संप्रदान तथा अधिकरण के रूप खड़ी बोली के रूपों से मिलते हैं, पर अवधी से नहीं मिलते। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, यह, वह, सो, को (कौन) और जो सर्वनामों के रूप कारक-चिह्नों के लगाने के पूर्व ब्रजभाषा में था, वा, ता, का और जा हो जाते हैं, जैसे—याने, वाको, तासों, काकों, जाकों। पर अवधी में इनके रूप यहि, वहि, तेहि, केहि, जेहि होकर तब उनमें कारक-चिह्न लगते हैं। नीचे ब्रजभाषा के व्याकरण की मुख्य मुख्य धाराएँ दो जाती हैं जिनसे इस भाषा के स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान हो जायगा।

संज्ञा

कारक	पुस्तिग्रन्थ		स्त्रीलिंग
	आकारात	अकारात	
एकवचन	घोड़ा	घर	घोड़ी
कर्ता	घोड़ा, घोड़े ने	घर	घोड़ी, घोड़ी ने
विकारी	घोड़े	घर	घोड़ी
बहुवचन	घोड़े	घर	घोड़िया
कर्ता	घोड़े, घोड़ने ने	घर	घोड़ियों, घोड़ियने ने, घोड़ियाने ने
विकारी	घोड़न, घोड़न	घरन	घोड़ियन, घोड़ियान

विभक्ति

कर्ता—ने

कर्म, संप्रदान—को

करण, अपादान—सों, तों

अधिकरण—में, मों, पी

संबंध—को

सर्वनाम—एकवचन

सर्वनाम	कर्ता	विकारी	कर्म सप्र०	रानध	करण अपा०	अधि०
मैं	मैं, ही	मैंने	मोहि (मोय) मोकौ	मेरो	मोर्चा, मोते	मोर्में, मोर्पे
तू	तू, तैं	तूने, तैने	तोहि (तोय) तोकौ	तेरो, तिहारो, तुम्हारो	तोसो, तोते तोहिते	तोहिमे, तोर्मे तोपे, तोहिपे
वह	वह, वो	वाने, ताने	याहि (याय) ताहि (ताय) ताकौ	वाको, ताको, तासु	वासो, तासो, वाते, ताते	वार्मे, तार्मे, वापै, तापै
यह	यह	याने	याहि (याय) याकौ	याको	यासो, याते	यार्में, यापै
जा	जा, जैन*	जाने	जाहि (जाय) जाकौ	जाको, जासु	जासो, जाते	जार्में, जापै
सो	सो, तैन०	ताने	ताहि (ताय) ताकौ	ताको, तासु	तासो, ताते	तार्में, तापै
कौन	को	काने	काहि (काय), काकौ	काको	कासो, काते	कार्में, कापै
क्या	कहा, का	x	x	x	x	x

* जज में चेवल “सो” के पहले यह रूप आता है, जैसे, जैन सो लेने होय, ले।

सर्वनाम—घडुच्चन

सर्वनाम	कर्ता	विकारी	कर्म संप्र०	संयंध	करण अपार्थ	अधि०
मैं	हम	हमने	हमहि, हमें, हमकों	हमारो, म्हारो	हमसौं, हमतैं	हममें, हमपै
तू	तुम	तुमने	तुमहि, तुम्हें, तुमकों	तुम्हारो, तिहारो	तुमसौं, तुमतैं	तुममें, तुमपै
वह	वे, वै, ते	उनने, विनने, तिनने	उनहि, उन्हें, तिनहि, तिन्हें	उनकौ, तिनकौ, विनकौ	उनसौं, उनतैं, विनसौं, विनतैं, तिनसौं, तिनतैं	उनमें, उनपै तिनमें, तिनपै विनमें, विनपै
यह	ये	इनने	इनहि, इन्हें, इनकों	इनकौ	इनसौं, इनतैं	इनमें, इनपै
जो	जो, जे	जिनने	जिनहि, जिन्हें, जिनकों	जिनकौ	जिनसौं, जिनतैं	जिनमें, जिनपै
सो	ते	तिनने	तिनहि, तिन्हें, तिनकों	तिनकौ	तिनसौं, तिनतैं	तिनमें, तिनपै
किन	को, के	किनने	किनहि, किन्हें, किनकों	किनकौ	किनसौं, किनतैं	किनमें, किनपै

(१) क्रियाएँ

वर्तमान काल—करना (संकरण) “मैं करता हूँ”

पुरुष	एकवचन		बहुवचन	
	पुलिंग	खीलिंग	पुलिंग	खीलिंग
उ० पु०	करत है, करौ हूँ	करति है, करौ हूँ	करत है, करै है	करति है, करै है
म० पु०	करत है, करै है	करति है, करै है	करत है, करै है	करति है, करै है
अ० पु०	करत है, करै है	करति है, करै है	करत है, करै है	करति है, करै है

भूत काल*

“मैं करता था”

पुरुष	एकवचन		बहुवचन	
	पुलिंग	खीलिंग	पुलिंग	खीलिंग
उ० पु०	किया, कोन्हौ, करथी	किया, कोन्हौ, करथी	किया, कोन्हौ, करथी	किया, कोन्हौ करथी
म० पु०	” ”	” ”	” ”	” ”
अ० पु०	” ”	” ”	” ”	” ”

* कर्ता के लिंग या वचन का वेर्बल प्रभाव नहीं पड़ता।

(२) मुख्य सर्कारी—क्रियार्थ

क्रियार्थिक संज्ञा—करतो, करियो, कीयो।

वर्तमान छुदंत फर्तरि—करतो, करती।

भूत छुदंत फर्तरि श्रीर कर्मणि—कियो, कीन्हाँ, करयो, कियो, गयो।

वर्तमान संभाव्यार्थ

“मैं देखूँ”

पुरुष	एकवचन	बहुवचन
उ० पु०	(मैं) देखूँ	(हम) देखें
म० पु०	(तू) देखै	(हम) देखो
अ० पु०	(वह) देखै	(वे) देखें

आशार्थ में एकवचन का रूप ‘देख’ श्रीर बहुवचन का रूप ‘देखाई’ होता है।

भविष्य

“देखना”

पुरुष	एकवचन		बहुवचन	
	पुल्लिग	खीलिंग	पुल्लिग	खीलिंग
उ० पु०	देखूँगो, देखिहै	देखूँगी, देखिहै	देखूँगे, देखिहै	देखूँगी, देखिहै
म० पु०	देखैगो, देखिहै	देखैंगी, देखिहै	देखैगे, देखिहै	देखैंगी, देखिहै
अ० पु०	देखैगो, देखिहै	देखैंगी, देखिहै	देखैंगे, देखिहै	देखैंगी, देखिहै

भूत काल संकेतार्थ

“करना”

पुरुष	एकवचन		बहुवचन	
	पुलिंग	स्त्रीलिंग	पुलिंग	स्त्रीलिंग
सब पुरुषों में समान	करतो	करती	करते	करती

वर्तमान पूर्ण*

“करना”

पुरुष	एकवचन		बहुवचन	
	पुलिंग	स्त्रीलिंग	पुलिंग	स्त्रीलिंग
सब पुरुषों में समान	कियो है, कीन्हो है	कियो है, कीन्हो है	कियो है, कीन्हो है	कियो है, कीन्हो है

भूत काल

‘जाना’ (श्रकर्मक) गया

पुरुष	एकवचन		बहुवचन	
	पुलिंग	स्त्रीलिंग	पुलिंग	स्त्रीलिंग
सब पुरुषों में समान	गयो	गई	गए	गई

* कर्ता के लिंग, वचन के अनुसार रूप में बोई परिवर्तन नहीं होता।

चर्तमान पूर्ण

“जाना”

पुरुष	एकवचन		बहुवचन	
	पुं०	स्त्री०	पुं०	स्त्री०
उ० पु०	गये हैं	गई हैं	गए हैं	गई हैं
म० पु०	गया है	गई है	गए है	गई है
आ० पु०	गया है	गई है	गए है	गई है

(४) बुँदेली भाषा—ग्रज से मिलती जुलती या उसी की एक शाखा बुँदेली या बुँदेलखंडी भी है, जिसकी छाया कवियों की भाषा में वरावर मिलती है। यह भाषा बुँदेलखंड, ग्वालियर और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बोली जाती है। इसकी विस्तार-सीमा के पूर्व और की पूर्वी हिंदी की बोली बोली, उत्तर-पश्चिम की और ग्रजभाषा, दक्षिण-पश्चिम की और राजस्थानी और दक्षिण की ओर मराठी भाषा का साम्राज्य है। उत्तर, पूर्व और पश्चिम की ओर तो यह कमशः उन दिशाओं में बोली जानेवाली भाषाओं में लीन हो जाती है और वहाँ इसका मिथ्र रूप देख पड़ता है; पर दक्षिण की ओर यह मराठी से बहुत कम मिलती है। यद्यपि इसकी कई बोलियाँ घराई जाती हैं, पर वास्तव में सर्वेन्द्र इसका एक सा ही रूप है। इधर-उधर जो अंतर देख पड़ता है वह नाम मात्र का है।

साहित्य में बुँदेली का सबसे अच्छा नमूना आलहखंड में मिलता है। पर इस ग्रंथ की कोई प्राचीन हस्तलिखित प्रति न मिलने तथा इसका अस्तित्व आलहा गानेवालों की स्मरणशक्ति पर ही निर्भर रहने के कारण भिन्न भिन्न प्रांतों में इसने भिन्न-भिन्न रूप धारण कर लिए हैं। इसमें बहुत कुछ क्षेपक अंश भी मिल गया है, इससे इसका वास्तविक प्राचीन रूप अब प्राप्त नहीं है। कवि केशवदास बुँदेलखंड के रहनेवाले थे, अतएव उनकी भाषा में बुँदेली का बहुत कुछ अंश चर्तमान है। नीचे इस भाषा की व्याकरण-संर्वंधी मुख्य मुख्य वातों का उल्लेख करके इसके रूप का परिचय दिया जाता है।

पूर्वीं भाषाओं में जहाँ लघु उच्चारणवाला ए और ओ होता है, वहाँ बुँदेलखंडी में इ और उ होता है; जैसे, घोड़िया, घुड़िया। कहाँ कहाँ ऐसे रूप भी मिलते हैं, जैसे, विलैवा, चिरैवा आदि। हिंदी की विभाषाओं में संज्ञाओं के पांच रूप होते हैं—अकारांत, आकारांत, वाकारांत और “ओवा” तथा “ओना” से अंत होनेवाले; जैसे, घोड़, घोड़ा, घोड़िवा, घोड़ीवा, घोड़ीना। पर सब भाषाओं में ये सब रूप नहीं मिलते। हिंदी के आकारांत पुलिंग शब्द बुँदेली में ग्रजमापा के समान आकारांत हो जाते हैं; पर संवंधसूचक शब्दों में यह विकार नहीं होता; जैसे दादा, काका। हिंदी में जो स्थीलिंग शब्द ‘इन’ प्रत्यय लगाने से बनते हैं, वे बुँदेली में ‘नी’ प्रत्यय लेते हैं; जैसे तेली-तेलिन; बुँ० तेलनी। बुँदेली के कारक हिंदी के ही समान होते हैं। आकारांत तद्धव संज्ञाओं का विकारी रूप एकवचन में ए और बहुवचन में अन होता है; जैसे, एक-वचन, घोड़ो, विकारी—घोड़े; बहुवचन, घोड़े, विकारी—घोड़न। दूसरे प्रकार की पुलिंग संज्ञाएँ एकवचन में नहीं बदलतीं; परंतु कर्ता के तेथा विकारी रूप के बहुवचन में इनके अंत में “अन” आता है। कभी कभी कुछ अकारांत शब्दों का बहुवचन आँ से भी बनता है। “इया” से अंत होनेवाले स्थीलिंग शब्दों का बहुवचन “इयाँ” और विकारी बहुवचन “इयन” लगाने से बनता है। दूसरे प्रकार के स्थीलिंग शब्दों का कर्ता बहुवचन पँ प्रत्यय लगाने से बनता है। ईकारांत शब्दों के बहुवचन में “ई” और विकारी बहुवचन में “अन” या “इन” प्रत्यय लगता है। बुँदेलखंडी में जो विभक्तियाँ लगती हैं, वे इस प्रकार होते हैं—

कर्ता-विकारी

कर्म, संप्रदान

करण, अपादान

संवंध

श्राधिकरण

ने, नें

कों, खों,

से, से', सों

को, के, की

मैं, मैं

बुँदेली में सर्वनामों के रूप इस प्रकार होते हैं—

एकवचन

मैं

तू

मैं, मैं

तूँ, तैं

मैंने

तैंने

मेरोंको,

तेरोंको,

मेरों

तेरों, तोने

-

मोरों,

मोने

वहुवचन

कर्ता

हम

तुम

संबंध

हमको, हमारे,

तुमकों, तुमारे,

हमाओं

तुमाओं

विकारी

हम

तुम

अन्य पुरुष सर्वनाम का रूप वो या ऊँ होता है। इनका वहुवचन वे शैर विकारी वहुवचन विन या उन होता है।

कियाओं के संबंध में नीचे कुछ रूप दिए जाते हैं।

अकर्मक

वर्तमान

पुरुष

एकवचन

वहुवचन

उ० पु०

हैं, आँवें, आँव

हैं, आयॅ

म० पु०

है, आँवें

है, आव

अ० पु०

है, आयॅ

है, आयॅ

अकर्मक

भूत

पुरुष

एकवचन

वहुवचन

पु०

खी०

पु०

खी०

उ० पु०

हतो, तो

हती, ती

हते, ते

हतीं, तीं

म० पु०

हतो, तो

हती, ती

हते, ते

हतीं, तीं

अ० पु०

हतो, तो

हती, ती

हते, ते

हतीं, तीं

भविष्यत्काल में दोनों रूप होते हैं—हुहाँ, हैंगो; मारिहैं, मारँगो; मारिहैं, मारँगो।

इस संक्षिप्त विवरण से यह स्पष्ट हो जायगा कि बुँदेलखण्डी ब्रज-भाषा की ओर वहुत झुकती है शैर इसी लिये वह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मानी गई है।

(५) सुड़ी बोली—इस भाषा का इतिहास बड़ा ही रोचक है। यह भाषा मेरेठ के चारों ओर के प्रदेश में बोली जाती है और पहले वहाँ तक इसके प्रचार की सीमा थी, वाहर इसका बहुत कम प्रचार था। पर जब मुसलमान इस देश में वस गए और उन्होंने यहाँ अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब दिल्ली में मुसलमानी शासन का केंद्र होने के कारण विशेष रूप से उन्होंने उसी प्रदेश की भाषा खड़ी बोली को अपनाया। यह कार्य पक्क दिन में नहीं हुआ। अर्थ, फारस और तुर्किस्तान से आए हुए सिपाहियों को यहाँवालों से बातचीत करने में पहले खड़ी दिक्कत होती थी। न ये उनकी अरबी, फारसी समझते थे और न वे इनकी “हिंदी”। पर यिना वाग्यवहार के काम चलना असंभव था, अतः दोनों ने दोनों के कुछ कुछ शब्द सीखकर किसी प्रकार आदान प्रदान का रास्ता निकाला। ये मुसलमानों की उर्दू (छाघनी) में पहले पहल एक खिचड़ी पक्की, जिसमें दाल-चावल सब खड़ी बोली के थे, सिर्फ नमक आगंतुकों ने मिलाया। आरंभ में तो वह निरी बाजार बोली थी, पर धीरे धीरे व्यवहार बढ़ने पर और मुसलमानों को यहाँ की भाषा के ढाँचे का टीक टीक ज्ञान हो जाने पर इसका रूप कुछ कुछ स्थिर हो चला। जहाँ पहले ‘शुद्ध’ ‘अशुद्ध’ बोलनेवालों से ‘सही’ ‘गलत’ बोलवाने के लिये शाहजहाँ को “शुद्धि सहीह इत्युको हाशुद्धि गलतः स्मृतः”^{*} का प्रचार करना पड़ा था, वहाँ अब इसकी कृपा से लोगों के मुँह से शुद्ध, अशुद्ध न निकलकर सही, गलत निकला करता है। आज-कल जैसे अँगरेजी पढ़े लिखे भी अपने नौकर से ‘पक गलास पानी’ न माँगकर एक गिलास ही माँगते हैं, वैसे उस समय मुख-मुख-उच्चारण और परस्पर बोध-सौरक्य के अनुरोध से वे लोग अपने “ओज़वेक” का उजाघ, ‘कुतका’ का कोतका कर लेने देते और स्वयं करते थे; परं ये लोग बरेहमन् सुनकर भी नहीं चौकते थे। वैसवाड़ी हिंदी, बुँदेलखण्डी हिंदी, पंडिताऊ हिंदी, धावू-इंगलिश की तरह यह उस समय उर्दू-हिंदी कहलाती थी; पर पीछे भेदक उर्दू शब्द स्वयं भेद्य बनकर उसी प्रकार उस भाषा के लिये प्रयुक्त होने लगा जिस प्रकार ‘संस्कृतवाक्’ के लिये केवल संस्कृत शब्द। मुसलमानों ने अपनी संस्कृति के प्रचार का सबसे बड़ा साधन मानकर इस भाषा को खूब उन्नत किया और जहाँ जहाँ फैलते गए, वे इसे अपने साथ लेते गए। उन्होंने इसमें केवल फारसी तथा अरबी के शब्दों की ही उनके शुद्ध रूप में अधिकता नहीं कर दी,

* इस ‘पारसीक प्रकाश’ कोय के थोड़े से पन्ने मिले हैं; पूरी पोषी नहीं मिली।

धर्मिक उसके व्याकरण पर भी फारसी, अरबी व्याकरण का रंग चढ़ाना आरंभ कर दिया। इस अवस्था में इसके दो रूप हो गए; एक तो हिंदी ही कहलाता रहा, और दूसरा उर्दू नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोनों के प्रचलित शब्दों को ग्रहण करके, पर व्याकरण का संघटन हिंदी ही के अनुसार रखकर, अँगरेजों ने इसका एक तीसरा रूप 'हिंदुस्तानी' बनाया। अतएव इस समय इस खड़ी बोली के तीन रूप वर्तमान हैं—(१) शब्द हिंदी—जो हिंदुओं की साहित्यिक भाषा है और जिसका प्रचार हिंदुओं में है। (२) उर्दू—जिसका प्रचार विशेषकर मुसलमानों में है श्रीर जो उनके साहित्य की और शिष्ट मुसलमानों तथा कुछ हिंदुओं की घर के बाहर की बोलचाल की भाषा है। और (३) हिंदुस्तानी—जिसमें साधारणतः हिंदी उर्दू दोनों के शब्द प्रयुक्त होते हैं और जिसका सब लोग बोलचाल में व्यवहार करते हैं। इसमें अभी साहित्य की रचना बहुत कम हुई है। इस तीसरे रूप के मूल में राजनीतिक कारण हैं।

प्रसंगवश हम हिंदी शब्द के इतिहास पर धोड़ा सा प्रकाश डालना चाहते हैं। पहले कुछ लोग इस शब्द से बड़ी धृणा करते थे और इसका प्रतिनिधि 'आर्य भाषा' शब्द प्रयुक्त करते थे। पर श्वय इसी का प्रयोग बढ़ रहा है। है भी यह सिंधु से निकला हुआ बड़ा पुराना शब्द। ईसा मसीह से बहुत पहले फारस में लिखी गई 'दसातीर' नामक फारसी धर्म-पुस्तक में जो 'अकनू विरहमने व्यास नाम अज हिंद आमद बस दाना के आकिल चुनानस्त' और 'चूँ व्यास हिंदी बलख आमद' लिखा है, वही 'हिंदी' शब्द की प्राचीनता के प्रमाण में यथेष्ट है। एक मुसलमान लेखक ने 'नूरनामा' नाम की पुस्तक में उस भाषा को भी 'हिंदी' घatalaya है जिसको आजकल उर्दू कहते हैं। देखिए—

जुबाने अरब में य' या सब कलाम।

किया नज्म हिंदी में मैने तमाम॥

आगर्वे या अफ़सः बो अरबी जुबों।

व लेकिन समझ उसकी थी बर गिरों॥

समझ उसकी हर इक के दुरवार थी।

कि हिंदी जुबों वाँ तो दरकार थी॥

इसी के उबव मैने कर फ़िको गौर।

लिखा नूरनामे को हिंदी के तौर॥

अरबी, फारसी मिथित खड़ी बोली के लिये 'उर्दू' शब्द का प्रयोग बहुत ही आधुनिक है। पहले बहुत करते थे तो केवल हिंदी न कहकर 'उर्दू-हिंदी' कह देते थे।

इन तीनों रूपों पर अलग अलग विचार करने के पहले लगे हाथ हम यह भी लिख देना चाहते हैं कि खड़ी बोली की उत्पत्ति के विषय में जो बहुत से विचार फैल रहे हैं, वे प्रायः भ्रमात्मक हैं। कुछ लोगों का क्या, सं० १६८५ के हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के समाप्ति तक का कहना है कि आरंभ में हिंदी या खड़ी बोली व्रजभाषा से उत्पन्न हुई और मुसलमानों के प्रभाव से इसमें सब प्रकार के शब्द सम्मिलित हो गए और इसने एक नया रूप धारण किया। इस कथन में तथ्य बहुत कम है। खड़ी बोली के कलेवर पर ध्यान देने ही से यह बात स्पष्ट हो जायगी। यदि यह व्रजभाषा से निकली हुई होती तो इसमें उसी के से घोड़ा, गया, प्यारा आदि आकारांत रूप पाए जाते जो शैरसेनी प्राचुर से व्रजभाषा को विरासत में मिले हैं, न कि आकारांत घोड़ा, गया, प्यारा आदि। ये आकारांत रूप अपभ्रंश से हिंदी में आए हैं। हेमचंद्र ने “स्यादौ दीर्घहस्तौ” सूत्र से इनकी सिद्धि बतलाकर कई चिभक्तियों में आकारांत रूपों के उदाहरण दिए हैं। जैसे—

ढोला सामला धण चंपाघणी

ढोल्ला महं दुहूँ बारिया मा कुर दीहा माणु ।

निदृ गमिही रत्तड़ी दबड़ होई विहाणु ॥

[दूल्हा सौंवला धन चम्पाघरनी,

दूल्हा, मैं तोहिं वरज्यौ मत कर दीरघ मान ।

नोदै गैवेहा रतिया चटपट होइ विहान ॥]

मालूम नहीं यह पैशाची अपभ्रंश का रूप है अथवा और किसी का। हेमचंद्र ने तो इसका उल्लेख नहीं किया है, परं पंजाबी में आकारांत रूप मिलने के कारण यह संभावना होती है। अतः जिन महापुरुषों ने आकारांत रूपों पर फारसी के ३ (हे) से अंत होनेवाले शब्दों के प्रभाव की कल्पना की है, उन्हें इस पर फिर से विचार करना चाहिए। दूसरे खड़ी बोली का प्रचार भी उसी समय से है, जब से अवधी या व्रजभाषा का है। ऐद केवल इतना ही है कि व्रजभाषा तथा अवधी में साहित्य की रचना बहुत पहले से होती आई है और खड़ी बोली में साहित्य की रचना अभी थोड़े दिनों से होने लगी है। पूर्व काल में खड़ी बोली केवल बोल-चाल की भाषा थी। मुसलमानों ने इसे अंगीकार किया और आरंभ में उन्होंने इसको साहित्यिक भाषा बनाने का गौरव भी पाया। जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं कि खड़ी बोली का सबसे पुराना नमूना जो अब तक मिला है वह नामदेव की कविता में है। कुछ लोग कह सकते हैं कि यह अंश क्षेपक और जाली है परं इस कथन को

यदि हम वितंडायाद के नाम से पुकारें तो अनुचित न होगा। अस्तु, नामदेव को छोड़ भी दिया जाय तो हमें खड़ी बोली का सबसे पहला कवि श्रमीर खुसरो मिलता है जिसका जन्म सं० १३१२ में और मृत्यु संवत् १३८१ में हुई थी। श्रमीर खुसरो ने मसनवी खिज़-नामः में, जिसमें मुख्यतः चुलतान अठाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज़ खाँ और देवल देवी के प्रेम का वर्णन है, हिंदी भाषा के विषय में जो कुछ लिखा है, इस अवसर पर वह उसेख के योग्य है। वे लिखते हैं—

‘मैं भूल में था; पर अच्छी तरह सोचने पर हिंदी भाषा फारसी से कम नहीं ज्ञात हुई। अरवी के सिवा, जो प्रत्येक भाषा की भी और सबों में मुख्य है, रई (अरब का एक नगर) और रूम की प्रचलित भाषाएँ समझने पर हिंदी से कम मालूम हुईं। अरवी अपनी बोली में दूसरी भाषा को नहीं मिलने देती, पर फारसी में यह कमी है कि विना मेल के वह काम में आने योग्य नहीं होती। इस कारण कि वह शुद्ध है और यह मिली हुई है, उसे प्राण और इसे शरीर कह सकते हैं। शरीर में सभी घस्तुओं का मेल हो सकता है, पर प्राण से किसी का नहीं हो सकता। यमन के मूँगे से दरी के मोती की उपमा देना शोभा नहीं देता। सबसे अच्छा धन वह है जो अपने को प में विना मिलावट के हो; और न रहने पर माँगकर पूँजी बनाना भी अच्छा है। हिंदी भाषा भी अरवी के समान है; क्योंकि उसमें भी मिलावट का स्थान नहीं है।’

खुसरो ने हिंदी और अरवी-फारसी शब्दों का प्रचार बढ़ाने तथा हिंदू-मुसलमानों में परस्पर भाव-विनिमय में सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से खालिकदारी नाम का एक कोप पद्य में बनाया था। कहते हैं कि इस कोप की लाखों प्रतिर्याँ लिखाकर तथा ऊँटों पर लदवाकर सारे देश में चाँटी गई थीं। अतएव श्रमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि-कवि ही नहीं हैं, बरन उन्होंने हिंदी तथा फारसी अरवी में परस्पर आदान-प्रदान में भी अपने भरसक सहायता पहुँचाई है। विक्रम की १४वीं शताब्दी की खड़ी बोली की कविता का नमूना खुसरो की कविता में अधिकता से मिलता है; जैसे—

टटी तोड़ के घर में आया।

श्रतन वरतन सब सरकाया ॥

खा गया, पी गया, दे गया बुत्ता ।

ए सखि ! साजन ! ना सखि कुत्ता ॥

स्याम वरन की है एक नारी ।

माये ऊपर लागै प्यारी ॥

जो मानुष इस अरथ के सोलै।

— कुत्ते की वह बोली बोलै ॥

रहीम खानखाना ने भी खड़ी बोली में कविता की है। उनका मदनाएक खड़ी बोली का यड़ा मधुर उदाहरण है—

कलित ललित माला वा जवाहिर जड़ा था।

चपल चरनबाला चौंदनी में रड़ा था ॥

कटिटठ बिच मेला पीत सेला नवेला ।

अलि बन अलबेला थार मेरा श्रकेला ॥

हिंदू कवियों ने तथा कवीर, नानक, दादू आदि संतों ने भी अपनी कविता में इस खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भूपण ने शिवावायनी में अनेक स्थानों पर इस भाषा का प्रयोग किया है। उनमें से कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं—

(१) अब कहाँ पानी मुकुतों में पाती हैं ।

(२) खुदा की कस्म खाई है ।

(३) अफजल खान को जिन्होंने मैदान मारा ।

ललित किशोरी की एक कविता का उदाहरण लीजिए—

जंगल में हम रहते हैं, दिल बस्ती से घवराता है ।

मानुष गंध न भाती है, मृग भरकट संग खुहाता है ॥

चाक गरेबों करके दम दम आहे भरना आता है ।

ललित किशोरी इरक, रैन दिन ये सब खेल खेलाता है ॥

सीतल कवि (१७८०) ने खड़ी बोली में यड़ी ही सुंदर रचना की है। मधुरिमा तो उनकी कविता के अंग अंग में व्याप रही है। देखिए—

इम सूर तरह से जान गए जैसा आनंद का कंद किया ।

सब रूप सील गुन तेज पुज तेरे ही तन में चंद किया ॥

तुझ हुस्न प्रभा की बाकी ले फिर विधि ने यह फरफांद किया ।

चंपक दल सोनजुही नरगिर चामीकर चपला चंद किया ॥

चदन की चौकी चाह पड़ी सोता था सब गुन जया हुआ ।

चौके की चमक अधर विहँसन मानो एक दाढ़िम फटा हुआ ॥

ऐसे में ग्रहन समै सीतल एक ख्याल बड़ा अटपटा हुआ ।

भूतल ते नभ नभ ते अवनो अँग उछलै नद का बदा हुआ ॥

अतएव यह सिद्ध है कि खड़ी बोली का प्रचार कम से कम सोल-हाँचों शताब्दी में अवश्य था, पर साहित्य में इसका अधिक आदर नहीं था। सच यात तो यह है कि खड़ी बोली को काव्यभाषा का स्थान कभी नहीं मिला था। यह उसकी अपनी सजीवता थी कि वह सभी

समय पर स्वयं अपना सिर उठा देती थी। हरिश्चंद्र ने भी उसमें घुट कविता नहीं की है। काव्य की परंपरा के लिये ढली ढली आती हुई व्रजभाषा के सामने उसका काव्य के लिये स्वीकृत होना घुट कम संभव था, क्योंकि खड़ी बोली में मधुरता का अभाव था। पर रहीम ने यह यात स्पष्ट कर दी थी कि संस्कृत वृत्तों का अनुसरण करने से खड़ी बोली की कविता में मिठास लाई जा सकती है। यही धारा पीछे चलकर फारसी के वृत्तों के संबंध में हरिश्चंद्रजी की रचनाओं से प्रभागित हुई। वर्तमान युग में मराठी के संसर्ग से पंडित महावीरप्रसाद छिवेदी ने फिर से इसी यात का अनुभव प्राप्त किया और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर धावू मैथिलीशरण गुप्त तथा कई और कवियों ने अच्छी सफलता प्राप्त की। पर इसका एक दुरा परिणाम यह दृष्टि-गोचर हो रहा है कि खड़ी बोली की कविता एक प्रकार से संस्कृतमयी हो गई है। केवल कोई संयोजक शब्द, कोई विभक्ति या कोई मिया जो यहाँ वहाँ मिल जाती है, इस यात की ओर ध्यान आकृष्ट कर देती है कि यह कविता संस्कृत की नहीं हिंदी की है। उदाहरण के लिये पंडित महावीरप्रसाद छिवेदी की यह पंक्ति—

“मांगल्य-मूलमय-यारिद-वारि-वृष्टि”

अथवा पंडित अयोध्यार्सिंह उपाध्याय का यह पद्य देखिए—

स्तोदानप्रकृष्टप्रायकलिका राकेदुविद्यानना

तन्वंगी कलदासिनी सुरसिका कीड़ाकलापुत्रली ।

शोभावारिधि की अमूल्य मणि सी लावस्यलीलामयी—

श्रीराधा मृदुहासिनी मृगदगी माधुर्य सन्मूर्ति थी ॥

आनंद की यात है कि अब धीरे धीरे खड़ी बोली की कविता की भाषा सरल गद्य की-सी हो रही है जो समय की प्रवृत्ति के अनुकूल तथा भाषा कविता के भविष्य का धोतक है। अट्टारहव्वों शताब्दी में विशेष रूप से हिंदी के गद्य की रचना आरंभ हुई और इसके लिये खड़ी बोली ग्रहण की गई। पर इससे यह मानना कि उर्दू के आधार पर हिंदी (खड़ी बोली) की रचना हुई, टीक नहीं है। पंडित चंद्रधर गुलेरी ने लिखा है—“खड़ी बोली या पक्की बोली या रेखता या वर्तमान हिंदी के आरंभ काल के गद्य और पद्य को देखकर यही जान पड़ता है कि उर्दू रचना में फारसी अरबी तत्समों या तद्दवीं को निकालकर संस्कृत या हिंदी तत्सम और तद्दव रखने से हिंदी बना ली गई है। इसका कारण यही है कि हिंदू तो अपने घरों की प्रादेशिक और प्रांतीय बोली में रहे, उनकी परंपरागत मधुरता उन्हें प्रिय थी। विदेशी मुसल-

मानों ने श्रावणा, दिल्ली, सहारनपुर, मेरठ की "खड़ी" भाषा को "खड़ी" कर अपने लक्षकर और समाज के लिये उपयोगी घनाया। किसी प्रांतीय भाषा से उनका परंपरागत प्रेम न था। उनकी भाषा सर्वसाधारण की या राष्ट्रभाषा हो चली। हिंदू अपने अपने प्रांत की भाषा को न छोड़ सके। अब तक यही घात है। हिंदू घरों की घोली प्रादेशिक है, चाहे लिखा-पढ़ी और साहित्य की भाषा हिंदी हो; मुसलमानों में यहुतों के घर की घोली खड़ी घोली है। घस्तुतः उर्दू कोई भाषा नहीं है, हिंदी की विभाषा है। किंतु हिंदुई भाषा घनाने का काम मुसलमानों ने यहुत कुछ किया, उसकी सार्वजनिकता भी उन्हीं की रुपा से हुई। फिर हिंदुओं में जागृति होने पर उन्होंने हिंदी को अपना लिया। हिंदी गद्य की भाषा लखलूजीलाल के समय से आरंभ होती है। उर्दू गद्य उससे पुराना है; खड़ी घोली की कविता हिंदी में नई है। अभी तक व्रजभाषा घनाम खड़ी घोली का भगड़ा चल ही रहा था। उर्दू पद्य की भाषा उसके यहुत पहले हो गई है। पुरानी हिंदी गद्य और पद्य खड़े रूप में मुसलमानी हैं। हिंदू कवियों का यह संप्रदाय रहा है कि हिंदू पात्रों से प्रादेशिक भाषा कहलाते थे और मुसलमान पात्रों से खड़ी घोली।"

यद्यपि गुलेरीजीं का यह निष्कर्ष कि 'खड़ी घोली' ने मुसलमानी राजाथ्रय पाकर उन्नति की और उसका प्रचार चारों ओर हुआ तथा मुसलमानों की रुपा के ही कारण हिंदी के इस खड़ी घोली रूप का इतना महत्व हुआ' सर्वथा सत्य है और इसके लिये हमें उनका उपकार मानना चाहिए, परंतु उनका यह कहना कि "उर्दू-रचना में फारसी, अरबी तत्सम या तद्दव निकालकर संस्कृत तत्सम या तद्दव रखकर हिंदी बनाली गई" ठीक नहीं है। उर्दू का आदि कवि मुहम्मद कुली माना जाता है। संवत् १६३७ में गोलकुंडा के यादशाह सुलतान इमादीम की मृत्यु पर उसका पुत्र मुहम्मद कुली कुतुबशाह गढ़ी पर बैठा। पर हिंदी का खड़ी घोलीवाला रूप हमें साहित्य में १३०० विं के आरंभ में अर्थात् उर्दू के आदि कवि से कोई ३०० वर्ष पहले भी, मिलता है। इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि उर्दू के आधार पर खड़ी घोली का रूप प्रस्तुत हुआ। मुहम्मद कुली के कई सौ वर्ष पहले से उर्दू पर व्रज की काव्य-भाषा का प्रभाव पड़ चुका था। मुसलमानों को उर्दू कविता में भी व्रजभाषा के रस-परिपुष्ट शब्दों का घरावर और निःसंकोच प्रयोग होता था। पीछे के उर्दू कवियों ने इस काव्य भाषा के शब्दों से अपना पीछा छुड़ाकर और खड़ी घोली को अरब तथा फारस की वेषभूषा से सुसज्जित करके उसे स्वतंत्र रूप दे दिया। अतएव यह कहना तो ठीक है कि उर्दू

वास्तव में हिंदी को 'विभाषा' है, पर यह फहना सर्वथा अनुचित है कि उर्दू के आधार पर हिंदी खड़ी हुई है। "उर्दू कविता पहले स्वभावतः देश की काव्यभाषा का सहारा लेकर उठी। फिर जब दौँगों में बल आया, तब किनारे हो गई।" हिंदू कवियों ने जो मुसलमान पात्रों से खड़ी बोली थुल्याई है, उससे यह निष्कर्ष न निकालना चाहिए कि वह मुसलमानी भाषा थी। पात्रों की भाषा में मूलतः भेद करना इस देश की पुरानी परिपाटी थी और मुसलमानों की कोई ऐसी सर्वजन-योध्य स्वकीय भाषा नहीं थी जिसका कवि लोग प्रयोग करते। अतः उन्होंने उसके लिये उनके द्वारा अपनाई गई खड़ी बोली का प्रयोग किया; और विशेष आत्मीयता वोधन करने के लिये हिंदू पात्रों की भाषा ब्रज या अपने प्रदेश की रखी।

इसी प्रकार हिंदी गद्य के विषय में भी भ्रम फैल रहा है। लल्लूजी-लाल हिंदी गद्य के जन्मदाता माने जाते हैं। इस विषय में हम प्रसंगात् पहले लिख चुके हैं, पर यहाँ भी कुछ कहना चाहते हैं। अकबर चादशाह के यहाँ संवत् १६२० के लगभग गंग भाट था। उसने "चंद छुंद घरनन की महिमा" खड़ी बोली के गद्य में लिखी है। उसकी भाषा का नमूना देखिए—“इतना सुनके पातशाहजी श्री अकबरशाहजी आद सेर सोना नरहरदास चारन को दिया, इनके डेढ़ सेर सोना हो गया, रास चरना पूरन भया।” गंग भाट के पहले का कोई प्रामाणिक गद्य लेख न मिलने के कारण उसे खड़ी बोली का प्रथम गद्यलेखक मानना चाहिए।* लल्लूजीलाल हिंदी गद्य को आधुनिक रूप देनेवाले भी नहीं हैं। उनके और पहले का मुंशी सदासुख का किया हुआ भागवत का हिंदी अनुवाद “सुखसागर” वर्तमान है। उसका कुछ शंशा नीचे उद्धृत करके हम यह दिखलाना चाहते हैं कि लल्लूजीलाल के पहले ही हिंदी गद्य आरंभ हो चुका था।

“धन्य कहिए राजा पृथुजी को, नारायण के अवतार हैं, कि जिन्होंने पृथ्वी मंथन करके अन्न उपजाया, प्राम नगर घसाए, और किसी से सहायता न मांगी, कि किसी और से सहाय चाहेंगे तो उसे दुख होयगा। वह दुख आपको होय, इस हेत अपने पराक्रम से जो कुछ घन आया सो किया। फिर कैसा कुछ किया कि इसका नाम पिरथी राजा पृथु के नाम से प्रसिद्ध है।”

* जटमल की लिखी गोरा बादल की कथा भी हिंदी गद्य का पुराना नमूना मानी जाती थी, पर अब यह सिद्ध हो गया है कि वह जटमल की लिखी नहीं है और इसका रचनाकाल १८०० ई० के लगभग है।

इसके अनंतर इंशाउल्लाखा, लल्लूजीलाल तथा सदल मिश्र का समय आता है। लल्लूजीलाल के प्रेमसागर से सदल मिश्र के नासिफेतोपाल्यान की भाषा अधिक पुष्ट और सुंदर है। प्रेमसागर में भिन्न भिन्न प्रयोगों के रूप स्थिर नहीं देख पड़ते। करि, करिके, बुलाय, बुलाय करि, बुलाय कर, बुलाय करिके आदि अनेक रूप अधिकता से मिलते हैं। सदल मिश्र में यह यात नहीं है। इंशाउल्लाखा की रचना में शुद्ध तञ्चव शब्दों का प्रयोग है। उनकी भाषा सरल और सुंदर है, पर वाक्यों की रचना उद्दृढ़ ढंग की है। इसी लिये कुछ लोग इसे हिंदी का नमूना न मानकर उद्दृढ़ का पुराना नमूना मानते हैं। किसी अशात लेखक द्वारा रचित गोरा घादल की कथा भी इस समय की रचना जान पड़ती है। सारांश यह है कि यद्यपि फोर्ट विलियम कालेज के अधिकारियों, विशेष कर डाक्टर गिलफिस्ट्र, की कृपा से हिंदी गद्य का प्रचार घड़ा और उसका भावी मार्ग प्रशस्त तथा सुव्यवस्थित हो गया, पर लल्लूजीलाल उसके जन्मदाता नहीं थे। जिस प्रकार मुसलमानों की कृपा से हिंदी (खड़ी बोली) का प्रचार और प्रसार घड़ा, उसी प्रकार झँगरेजों की कृपा से हिंदी गद्य का रूप परिमार्जित और स्थिर होकर हिंदी-साहित्य में एक नया युग उपस्थित करने का मूल अध्यार अथवा प्रधान कारण हुआ।

हम पहले कह चुके हैं कि उद्दृढ़ भाषा हिंदी की विभाषा थी। इसका जन्म हिंदी से हुआ और उसका दुग्धपान करके यह पालित पोषित हुई। पर जब यह शक्ति-संपन्न हो गई, इसमें अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति आ गई और मुसलमानों के लाड़-प्यार से यह अपने मूलरूप को भूलकर अपने पृष्ठ-पोपकों को ही सब कुछ समझने लग गई, तब इसने क्रमशः स्वतंत्रता प्राप्त करने का उद्योग किया। पर यह स्वतंत्रता नाम मात्र की थी। इसने हिंदी से, जहाँ तक संभव हुआ, अलग होने में ही अपनी स्वतंत्रता समझी, पर वास्तव में यह अपनी जन्मदात्री को भूल कर तथा अरबी-फारसी के जाल में फँसकर अपने आपको उसी प्रकार धन्य मानने लगी, जिस प्रकार एक अविकसित, अनुष्ठत अथवा अधोगत जाति अपने विजेता की नफल करके उसका विछृत रूप घारण करने में ही अपना सौभाग्य समझती और अपने को धन्य मानती है। इस प्रकार उद्दृढ़ निरंतर हिंदी से अलग होने का उद्योग करती आ रही है। घार बातों में हिंदी से उद्दृढ़ की विभिन्नता हो रही है—

(१) उद्दृढ़ में अरबी-फारसी के शब्दों का अधिकता से प्रयोग हो रहा है; और वह भी तञ्चव रूप में नहीं, अपितु तत्सम रूप में।

(२) उर्दू पर फारसी के व्याकरण का प्रभाव यहुत अधिकता से पड़ रहा है। उर्दू शब्दों के (यहुतचन हिंदी के अनुसार न बनकर फारसी के अनुसार बन रहे हैं, जैसे कागज़, कसवा या अमीर का यहुतचन कागजों, कसवों या अमीरों न होकर कागजात, कसवात, उमरा होता है; और ऐसे यहुतचनों का प्रयोग अधिकता से बढ़ रहा है।

(३) संवंध कारक की विभक्ति के स्थान में 'ए' की इजाफ़त करके शब्दों का समस्त रूप बनाया जाता है; जैसे—सितारेहिंद, दफ़तरेफ़ौजदारी, मालिकेमकान। इसी प्रकार करण, और अपादान कारक की विभक्ति 'से' के स्थान में 'अज़' शब्द का प्रयोग होता है; जैसे—अज़खुद, अज़ तरफ़। अधिकरण कारक की विभक्ति 'में' के स्थान में भी 'दर' का प्रयोग होता है; जैसे—दर असल, दर हकीकत। कहाँ कहाँ दर के स्थान में अरबी 'फ़िल' का भी प्रयोग होता है; जैसे—फ़िलहाल, फ़िलहकीकृत।

(४) हिंदी और उर्दू की सबसे अधिक विभिन्नता वाक्य-विन्यास में देख पड़ती है। हिंदी के वाक्यों में शब्दों का क्रम इस प्रकार होता है कि पहले कर्त्ता, फिर कर्म और अंत में किया; पर उर्दू की प्रवृत्ति यह देख पड़ती है कि इस क्रम में उलट फेर हो। उर्दू में किया कभी कभी कर्त्ता के पहले भी रख देते हैं; जैसे—“राजा इंदर का आना” न कहकर “आना राजा इंदर का” कहते हैं। इसी प्रकार यह न कहकर कि ‘उसने एक नौकर से पूछा’ यह कहेंगे—‘एक नौकर से उसने पूछा’।

नीचे हम उदाहरणार्थ उर्दू के एक लेख का कुछ अंश उद्धृत करते हैं, जिससे ये चारों बातें स्पष्टतया समझ में आ जायेंगी।

“कसवः निगोहा के जानिवे दखिन एक मंदर महादेवजी का है, जिसको भौरिसर कहते हैं, और किनारे दरियाए सई के बाक़ अहू वाक़ अहू है। और वहाँ पर हर हुशंगः को मेला होता है, और अक्सर लौग हर रोज़ दरशन को बिला नागः जाया करते हैं, और जो मक़सदे दिली रखते हैं, वह पूरा होता है। सुनने में आया है कि एक वक़्त औरंगज़ेब वाहशाह भी उस मंदर पर तशरीफ़ लाए थे और उनकी मंशा थी कि इस मंदर को खुदवाकर मूरत को निकलवा लेवें। और सदहा मज़दूर उस मूरत के निकालने को मुस्तइद हुए, लेकिन मूरत की इंतहा न मश्लूम हुई। तब वाहशाह ने ग़स्से में आकर इजाज़त दी कि इस मूरत को तोड़ डालो। तब मज़दूरों ने तोड़ना शुरू किया, और दो एक जर्ब मूरत में लगाई, वहिक कुछ शिक्षित भी हो गई, जिसका निशान आज तक भी भौजूद है, और क़तरे खून भी मूरत से नमूद हुआ; लेकिन ऐसी कुदरत मूरत

को ज़ाहिर हुई और उसी मूरत के नीचे से हजारहा भौंरे निकल पड़े और सब फौजें वादशाह की भौंरों से परेशान हुईं। और यह खुबर वादशाह को भी मत्तूलम हुई। तब वादशाह ने हुफ्म दिया कि अच्छा, इस मूरत का नाम आज से भौंरेसर हुआ और जिस तरह पर थी, उसी तरह से बंद कर दो। और खुद वादशाह ने मूरत मज़कूर बंद कराने का इंतज़ाम कर दिया।”

हिंदुस्तानी भाषा के विषय में इतना ही कहना है कि इसकी स्थिति अँगरेजी राजनीति के कारण हुई है। हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं को मिलाकर, अर्थात् इन दोनों भाषाओं के शब्दों में से जो शब्द यहुत अधिक प्रचलित हैं, उन्हें लेकर तथा हिंदी व्याकरण के सूत्र में पिरोकर इस भाषा को यह रूप दिया जा रहा है। यह उद्योग कहाँ तक सफल होगा, इस विषय में भविष्यत् घाणी करना कठिन ही नहीं, अनुचित भी है। जिस प्रकार राजनीति के ग्रभाव में पड़कर हिंदी के अवधी तथा ग्रज भाषा रूप, जिनमें साहित्य की बहुमूल्य रचना हुई है, अब धीरे धीरे पीछे हटते जा रहे हैं और उनके स्थान में खड़ी घोली, जो किसी समय केवल घोलचाल की भाषा थी और जिसमें कुछ भी साहित्य नहीं था, अब आगे चढ़ती आ रही है तथा उनका स्थान प्रहरण करती जा रही है, वैसे ही कौन कह सकता है कि दो पक रातान्धियों में भारतवर्ष की प्रधान घोलचाल तथा साहित्य की भाषा हिंदुस्तानी न हो जायगी, जिसमें केवल हिंदी उर्दू के शब्दों का ही मिश्रण न होगा, किंतु अँगरेजी भी अपनी छाप बनाए रहेगी। भारतीय भाषाओं के इतिहास से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि जब जब घोलचाल की भाषा ने एक और साहित्यिक रूप धारण किया, तब तब दूसरी और घोलचाल के लिये भाषा ने परिवर्तित होकर दूसरा नया रूप धारण किया; और फिर उसके भी साहित्यिक रूप धारण करने पर घोलचाल की भाषा तीसरे रूप में चल पड़ी। यह कम सहस्रों वर्षों से चला आ रहा है; और कोई कारण नहीं देख पड़ता कि इसकी पुनरावृत्ति निरंतर न होती जाय।

हम यह देख चुके हैं कि हिंदी की तीन प्रधान उपभाषाएँ हैं, अर्थात् अवधी, ग्रजभाषा और खड़ी घोली। राजस्थानी और धुँदेल-

ग्रजभाषा, अवधी तथा खड़ी ग्रजभाषा के तथा उर्दू खड़ी घोली के निकट-सहड़ी घोली का तारतम्य तम है। इन तीनों उपभाषाओं के तारतम्य का कुछ विवेचन नीचे दिया जाता है।

व्याकरण—खड़ी घोली के समान सर्कारी भूतकाल के कर्त्ता में ग्रजभाषा में भी 'ने' चिह्न होता है, चाहे काव्य में सूरदास आदि की

परंपरा के विचार से उसके नियम का पालन पूर्ण रूप से न किया जाय। यह 'ने' वास्तव में करण का चिह्न है जो हिंदी में गृहीत कर्मवाच्य रूप के कारण आया है। हेमचंद्र के इस दोहे से इस बात का पता लग सकता है—जे महु दिएणा दिअहड़ा ददैयँ पवसंतेण = जो मुझे दिए गए दिन प्रवास जाते हुए दयित (पति) से। इसी के अनुसार सर्कमेंक भूतकाल किया के लिंग वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं। पर अन्य पूरबी भाषाओं के समान अवधी में भी यह 'ने' नहीं है। अवधी के सर्कमेंक भूतकाल में जहाँ कृदंत से निकले हुए रूप लिए भी गए हैं, वहाँ भी न तो कर्ता में करण का स्पारक रूप 'ने' आता है और न कर्म के अनुसार किया के लिंग वचन बदलते हैं। वचन के संबंध में तो यह बात है कि कारक चिह्नग्राही रूप के अतिरिक्त संज्ञा में वहुवचन का भिन्न रूप अवधी आदि पूरबी वोलियों में होता ही नहीं; जैसे 'घोड़ा' और 'सखी' का व्रजभाषा में वहुवचन 'घोड़े' और 'सखियाँ' होगा, पर अवधी में एकवचन का सा ही रूप रहेगा, केवल कारक चिह्न लगने पर 'घोड़न' और 'सखिन' हो जायगा।) इस पर एक कहानी है। पूर्व के एक शायर जवांदानी के पूरे दावे के साथ दिल्ली जा पहुँचे। वहाँ किसी कुँजड़िन की टोकरी से एक मूली उठाकर पूछने लगे—“मूली कैसे दोगी?” वह बोली—“एक मूली का क्या दाम चताऊँ?” उन्होंने कहा—“एक ही नहीं, और लूँगा।” कुँजड़िन बोली—“तो फिर मूलियाँ कहिए।”

अवधी में भविष्यत् की किया केवल तिलंत ही है जिसमें लिंगभेद नहीं है; पर व्रज में खड़ी बोली के समान 'गा' वाला कृदंत रूप भी है, जैसे आवैगो, जायगी इत्यादि।

खड़ी बोली के समान व्रजभाषा की भी दीर्घांत पदों की ओर (कियापदों को छोड़) प्रवृत्ति है। खड़ी बोली की आकारांत पुलिंग संक्षरण, विशेषण और संबंध कारक के सर्वनाम व्रज में ओकारांत होते हैं; जैसे—घोड़ा, फेरो, झगड़ा, ऐसा, जैसा, वैसा, कैसा, छोटो, बड़ा, खोटो, खरो, भलो, नीको, थोरो, गहरो, दूनो, चौगुनो, साँवरो, गोरो, प्यारो, ऊँचो, नीचो, आपनो, मेरो, तेरो, हमारो, तुम्हारो इत्यादि। इसी प्रकार आकारांत साधारण कियाएँ और भूतकालिक कृदंत भी ओकारांत होते हैं; जैसे—आयनो, आययो, करनो, देनो, दैयो, दीयो, ढाढ़ो, वैठो, उठो, आयो, गयो, चलयो, खायो इत्यादि। पर अवधी का लघ्वंत पदों की ओर कुछ भुकाय है, जिससे लिंग-भेद का भी कुछ निराकरण हो जाता है। लिंग-भेद से अरुचि अवधी ही से कुछ कुछ आरंभ हो जाती है। अस, जस, तस, कस, छोट, बड़, खोट, खर, भल, नीक, थोर,

गहिर, दून, चौगुन, साँचर, गोर, पियार, ऊँच, नीच इत्यादि विशेषण, आपन, मोर, तोर, हमार, तुम्हार सर्वनाम और केर, कन, सन तथा पुरानी भाषा के कहँ, महँ, पहँ, कारक के चिह्न इस प्रवृत्ति के उदाहरण हैं।, अबधी में साधारण क्रिया के रूप भी लच्छंत ही होते हैं; जैसे—आउय, जाव, फरव, हँसव इत्यादि। यद्यपि खड़ी बोली के समान अबधी में भूतकालिक कुदंत शाकारांत होते हैं, पर कुछ अकर्मक कुदंत विकल्प से लच्छंत भी होते हैं, जैसे—ठाढ़, बैठ, आय, गथ। उ—यैठ हैं=यैठे हैं।

(क) घैठ महाजन सिहलदीरी ।—जायसी।

(ख) पाट घैठि रह किए चिँगाल ।—जायसी।

इसी प्रकार कविता में कभी कभी वर्तमान की अगाड़ी खोलकर धातु का नंगा रूप भी रख दिया जाता है—

(क) सुनत बचन कह पवनकुमारा ।—तुलसी।

(ख) उत्तर दिसि सरजू यह पावनि ।—तुलसी।

उच्चारण—दो से अधिक वर्णों के शब्द के आदि में ‘इ’ के उपरांत ‘आ’ के उच्चारण से कुछ छ्रेप ब्रज और खड़ी दोनों पद्धार्हों बोलियों को है। इससे अबधी में जहाँ ऐसा योग पड़ता है, वहाँ ब्रज में संधि हो जाती है। (जैसे अबधी के सियार, कियारी, वियारी, वियाज, वियाह, पियार (कामिहिनारि पियारि जिमि ।—तुलसी), नियाव इत्यादि ब्रज-भाषा में स्थार, क्यारी, व्यारी, व्याज, व्याह, व्यारो, न्याव इत्यादि घोले जायेंगे। ‘उ’ के उपरांत भी ‘आ’ का उच्चारण ब्रज को प्रिय नहीं है; जैसे—पूर्वी—दुश्चार, कुर्वार। ब्रज—द्रार, क्वर्वा। इ और उ के स्थान पर य और व की इसी प्रवृत्ति के अनुसार अबधी इहाँ उहाँ [(१) इहाँ कहाँ सज्जन कर वासा । (२) उहाँ दशानन सचिव हँकारे ।—तुलसी] के ब्रज रूप ‘यहाँ’ ‘वहाँ’ और ‘हियाँ’ ‘हुवाँ’ के ‘हाँ’ ‘हाँ’ होते हैं। ऐसे ही ‘अ’ और ‘आ’ के उपरांत भी ‘इ’ नापसंद है, ‘थ’ पसंद है। जैसे—अबधी के पूर्वकालिक आइ, जाइ, पाइ, कराइ, दिखाइ इत्यादि और भविष्यत् आइहै, जाइहै, पाइहै, कराइहै, दिखाइहै (अथवा आइहै, जाइहै, पहहै, करहै, दिखहै) आदि न कहकर ब्रज में क्रमशः आय, जाय, पाय, दिखाय तथा आयहै, जायहै, पायहै, करायहै, दिखायहै (अथवा अयहै = पेहै, जयहै = जैहै आदि) कहेंगे। इसी रुचि-वैचिन्य के कारण ‘ऐ’ और ‘ओ’ का संस्कृत उच्चारण (अइ, अउ के समान) पञ्चिमी हिंदी (खड़ी और ब्रज) से जाता रहा, केवल ‘य’कार ‘व’कार के पहले रह गया, जहाँ दूसरे ‘य’ ‘व’ की गुंजाइश नहीं। जैसे, मैया, कन्हैया, भैया, कौया,

हौवा, इत्यादि में। 'श्रौर' 'ऐसा' 'भैस' आदि का उच्चारण पश्चिमी हिंदी में 'अवर', 'अयसा', 'मयैस' से मिलता जुलता और पूर्वी हिंदी में 'अउर', 'अइसा', 'भईस' से मिलता जुलता होगा।

ब्रज के उच्चारण के ढंग में कुछ और भी अपनी विशेषताएँ हैं। कर्म के चिह्न 'को' का उच्चारण 'कौ' से मिलता जुलता करते हैं। माहिं, नाहिं, याहि, वाहि, जाहि के अंत का 'ह' उच्चारण में घिस सा गया है, इससे इनका उच्चारण 'माय়', 'नाय়', 'याय', 'वाय', 'जाय' के ऐसा होता है। 'आवैगे' 'जावैगे' का उच्चारण सुनने में 'आमैगे' 'जामैगे' सा लगता है, पर लिखने में इनका अनुसरण करना ठीक नहीं होगा।

खड़ी बोली में काल घतानेवाले कियापद ('है' को छोड़) भूत और वर्तमान कालचारी धातुज कुदंत अर्थात् विशेषण ही हैं। इसी से उनमें लिंगभेद रहता है। जैसे आता है = आता हुआ है = सं० आयान् (आयांत), उपजता है = उपंजता हुआ है = प्रारूप उपजंत = सं० उत्पद्यन्, (उत्पद्यंत), करता है = करता हुआ है = प्रा० करंत = सं० कुर्वन् (कुर्वत), आती है = आती हुई है = प्रा० आयंती = सं० आयंती, उपजती है = उपजंती हुई है = प्रा० उपजंती = सं०० उत्पद्यंती, करती है = करती हुई है = प्रा० करंती = सं०० कुर्वती। इसी प्रकार वह गया = स गतः, उसने किया = तेन कृतम् इत्यादि हैं। पर ब्रजभाषा और अवधी में वर्तमान और भविष्यत् के तिढंत रूप भी हैं जिनमें लिंग-भेद नहीं है। ब्रज के वर्तमान में यह विशेषता है कि बोलचाल की भाषा में तिढंत प्रथम पुरुष कियापद के आगे पुरुषबोधन के लिये 'है' 'हूँ' और 'हौ' जोड़ दिए जाते हैं। जैसे—सं० चलति = प्रा० चलइ = ब्रज० चलै, सं० उत्पद्यंते = प्रा० उपज्जइ = ब्रज० उपजै, सं० पठंति = प्रा० पढँति, अप० पढँइँ = ब्रज० पढँै, उत्तम पुरुष सं० पठामः = प्रा० पठामो, अप० पढँउँ = ब्रज० पढँौं या पढँै। अब ब्रज में ये कियाएँ 'होना' के रूप लगाकर बोली जाती हैं। जैसे—चलै है, उपजै है, पढँै हैं, पढँौं हौं या पढँै हूँ। इसी प्रकार सध्यम पुरुष "पढँौं हौं" होगा। घर्तमान के तिढंत रूप अवधी की बोलचाल से अब उठ गए हैं, पर कविता में बराबर आए हैं; जैसे—(क) पंगु चढँै गिरिवर गहन, (ख) यिनु पद चलै सुनै यिनु काना। भविष्यत् के तिढंत रूप अवधी और ब्रज दोनों में एक ही हैं; जैसे—करिहै, चलिहै, होयहै = अप० करिहइ, चलिहइ, होइहइ = प्रा० करिस्सइ, चलिस्सइ, होइस्सइ = सं० करिष्यति, चलिष्यति, भविष्यति। अवधी में उच्चारण अपनंश के अनुसार ही हैं, पर ब्रज में 'ह' के स्थान पर 'य' वाली प्रवृत्ति के अनुसार करिहय = करिहै, होयहय = होयहै इत्यादि रूप ही जायेंगे। 'य' के पूर्व

के 'आ' को लघु करके दोहरे रूप भी होते हैं; जैसे, अयहै = पेहै, जयहै = जैहै; करयहै = करैहै इत्यादि। उत्तम पुण्य खयहौं = खैहौं, अयहौं = पेहौं, जयहौं = जैहौं।

ब्रजभाषा में चहुचन के फारक-चिह्न-ग्राही-रूप में खड़ी घोली के समान 'ओं' (जैसे लड़कों को) नहीं होता, अवधी के समान 'न' होता है। जैसे—घोड़ान को, घोड़न को, छोरान को, छोरन को इत्यादि। अवधी में केवल दूसरा रूप होता है, पहला नहीं। ३०—देखहु यनरन केरि ढिठाई!—तुलसी ।

खड़ी घोली में कारक के चिह्न विभक्ति से पृथक् हैं। विलापती मत कहकर हम इसका तिरस्कार नहीं कर सकते। आगे चलकर हम इसका विचार विशेष रूप से करेंगे। इसका स्पष्ट प्रमाण खड़ी घोली के संबंध कारक के सर्वनाम में मिलता है। जैसे, किसका = सं० कस्य = प्रा० पुं० फिस्त+कारक चिह्न 'का'। काव्यों की पुरानी हिंदी में संबंध की 'हि' विभक्ति (माग० 'ह', अप० 'हो') सब कारकों का काम दे जाती है। अवधी में शब्द भी सर्वनाम में कारक चिह्न लगने के पहले यह 'हि' आता है। जैसे—'केहिकाँ' (पुराना रूप—केहि कहै), 'केहि कर', यद्यपि घोलचाल में शब्द यह 'हि' निकलता जा रहा है। ब्रजभाषा से इस 'हि' को उड़े बहुत दिन हो गए। उसमें 'काहि को' 'जाहि को' आदि के स्थान पर 'काको' 'जाको' आदि का प्रयोग बहुत दिनों से होता है। यह उस भाषा के अधिक चलते पन का प्रमाण है। खड़ी घोली में सर्वनामों (जैसे, मुझे, तुझे, हमें, मेरा, तुम्हारा, हमारा) को छोड़ विभक्ति से मिले हुए सिद्ध रूप व्यक्त नहीं हैं, पर अवधी और ब्रजभाषा में हैं। जैसे पुराने रूप 'रामहिं', 'वनहिं', 'बरहिं', नए रूप 'रामै' 'वनै' 'धरै' (अर्थात् राम को, वन को, घर को); अवधी या पूर्वी—"धरै" = घर में।

जैसा पहले कहा जा चुका है, ब्रज की चलती घोली से पदांत के 'ह' को निकले बहुत दिन हुए। ब्रजभाषा की कविता में 'रामहिं' 'शार्वाहिं' 'जाहिं' 'करहिं' 'करहु' आदि जो रूप देखे जाते हैं, वे पुरानी परंपरा के अनुसरण मात्र हैं। खड़ी घोली के समान कुछ सर्वनामों जाहि, चाहि, तिन्हैं, जिन्हैं में यह 'ह' रह गया है। चलती भाषा में 'रामै' 'वनै' 'आवै' 'जायै' 'करै', 'करौं' ही बहुत दिनों से, जब से प्राकृत-काल का अंत हुआ तब से, हैं। सूरदास में ये ही रूप बहुत मिलते हैं। कविता में नए पुराने दोनों रूपों का साथ साथ पाया जाना केवल परंपरा का निर्वाह ही नहीं, कवियों का आलस्य और भाषा की उत्तरी परत्वा न करना भी सूचित करता है। 'आवै', 'चलावै' के स्थान पर 'शार्वाहिं'

‘चलावहिं’ तो क्या ‘आवहीं’ ‘चलावहीं’ तक लिखे जाने से भाषा की सफाई जाती रही। शब्दों का अंग भंग करने का ‘कर्पिदों’ ने ठेका सा ले लिया। समस्यापूर्ति की आदत के कारण कविता के अंतिम चरण की भाषा तो ठिकाने की होती थी, पर शेष चरण इस बात को भूलकर पूरे किए जाते थे कि शब्दों के नियत रूप और वाक्यों के कुछ निर्दिष्ट नियम भी होते हैं। पर भाषा के जीते-जागते रूप को पहचाननेवाले रसखान और घनानंद ऐसे कवियों ने ऐसे सड़े-गले या विकृत रूपों का प्रयोग नहीं किया, किया भी है तो वहुत कम ‘आवहिं’, ‘जाहिं’, ‘करहिं’, ‘कहहूँ’ न लिखकर उन्होंने वरावर ‘आवैं’, ‘जायैं’, ‘करैं’, ‘कहैं’ लिखा है। इसी प्रकार ‘इमि’, ‘जिमि’, तिमि’ के स्थान पर वे वरावर चलती भाषा के ‘यों’, ‘ज्यों’, ‘त्यों’ लाए हैं। ब्रज की चलती भाषा में केवल सर्वनाम के कर्म में ‘ह’ कुछ रह गया है, जेते, जाहि, ताहि, वाहि, जिन्हौं, तिन्हौं। पर ‘जाहि’ ‘वाहि’ के उच्चारण में ‘ह’ धिसता जा रहा है, लोग ‘जाय’ ‘वाय’ के समान उच्चारण करते हैं।

हिंदी की तीनों बोलियों (खड़ी, ब्रज और अवधी) में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कारक चिह्न के पहले अपना कुछ रूप घटलते हैं। ब्रजभाषा में अवधी का सा विकार होता है, खड़ी बोली का सा नहीं।

खड़ी	अवधी	ब्रज
मैं-तू-वह	मैं-तै-वह, सो, ऊ	मैं-तू या तै-वह-सो
मुझ-तुम्ह-उस	मो-तो-वा, ता, ओ	मो-तो वा, ता

(‘ने’ चिह्न तो अवधी में आता ही नहीं। ब्रज में उत्तम पुरुष कर्ता का रूप ‘ने’ लगने पर ‘मैं’ ही रहता है। ऊपर अवधी में प्रथम पुरुष का तीसरा रूप पूर्वी अवधी का है। ब्रज में एकवचन उत्तम पुरुष ‘हा’ भी आता है जिसमें कोई कारक चिह्न नहीं लग सकता। वास्तव में इसका प्रयोग कर्ता कारक में होता है, पर केशव ने कर्म में भी किया है। यथा—पुन हीं विघ्नाया करी तुम कर्म कीन्ह दुरंत।

जाना, होना कुे भूतकाल के रूप (गवा, भवा) में से व उडाकर जैसा अवधी में गा, भा रूप होते हैं, वैसे ही ब्रज में भी य उडाकर गो, भो (घ० गे, भे) रूप होते हैं। उ०—(क) इत पारि गो को मैया मेरी सेज पे कन्हैया को !—पश्चाकर। (ख) सौतिन के साल भो, निहाल नंदलाल भो ।—मतिराम ।

खड़ी बोली करण का चिह्न ‘से’ किया के साधारण रूप में लगाती है, ब्रज और अवधी प्राय भूतकालिक कृदंत में ही लगाती है, जैसे—

ब्रज० 'किए ते' अवधी 'किएसन' = करने से । कारक चिह्न प्रायः उड़ा भी दिया जाता है, केवल उसका सूचक विकार किया के रूप में रह जाता है; जैसे—किए, दीने ।

किया का वर्तमान शुद्धत रूप ब्रजभाषा खड़ी घोली के समान शुर्वत भी रखती है; जैसे—आवतो, जातो, भावतो, सुहातो । (उ०—जब चहिहैं तब माँगि पढ़हैं जो कोउ आवत जातो !—सूर ।) और अवधी के समान लघ्वंत भी; जैसे आवत, जात, भावत, सुहात । कविता में सुमीते के लिये लघ्वंत का ही प्रदृश अधिक है । जिन्हें ब्रज और अवधी के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, वे 'जात' को भी 'जावत' लिख जाते हैं ।

खड़ी घोली में साधारण किया का केवल एक ही रूप 'ना' से अंत होनेवाला (जैसे, आना, जाना, करना) होता है; पर ब्रजभाषा में तीन रूप होते हैं—एक तो 'नो' से अंत होनेवाला; जैसे—आवनो, करनो, लेनो, देनो; दूसरा 'न' से अंत होनेवाला; जैसे—आयवो, करियो, दैयो, या लैयो इत्यादि । करना, देना और लेना, के 'कीयो', 'दीयो' और 'लीयो' रूप भी होते हैं । ब्रज के तीनों रूपों में से कारक के चिह्न पहले रूप (आवनो, जानो) में नहीं लगते, पिछले दो रूपों में ही लगते हैं । जैसे—आवन को, जान को, दैवे को इत्यादि । शुद्ध अवधी में कारक चिह्न लगने पर साधारण किया का रूप वर्तमान तिङ्गत का हो जाता है; जैसे—आवइ के, जाइ के, आवइ में, जाइ में अथवा आवइ काँ, जाइ काँ, आवइ माँ, जाइ माँ । उ०—जात पवनसुत देवन देखा । जानइ चह चल बुद्धि विसेखा ।—तुलसी ।

पूर्खी या शुद्ध अवधी में साधारण किया के अंत में व रहता है; जैसे—आउव, जाय, करव, हँसव इत्यादि । 'इस व की असली जगह पूर्खी भाषापाँ ही हैं जो इसका व्यवहार भविष्यत् काल में भी करती हैं; जैसे—पुनि आउव यहि वेरियाँ काली ।—तुलसी । उत्तम पुरुष (हम करव, मैं करवौं) और मध्यम पुरुष (तू करवौं, तैं करवे) मैं तो यह वरावर घोला जाता है; पर साहित्य में प्रथम पुरुष मेंभी यरावर इसका प्रयोग मिलता है । यथा—(क) तिन निज ओर न लाउव भोरा ।—तुलसी । (ख) घर पइठत पूछव यहि हारू । कौन उत्तम पाउव पैसारू ।—जायसी । पर ऐसा प्रयोग सुनने में नहीं आया । मध्यम पुरुष में विशेष कर आद्वा और विधि मैं व मैं ई मिलाकर ब्रज के दक्षिण से लेकर बुंदेलखण्ड तक घोलते हैं; जैसे आयवी, करवी इत्यादि । उ०—(क) यह राज साज समेत सेवक जानिवी विनु गथ लए । (ख) ए

दारिका परिचारिका करि पालिवी करनामई ।—तुलसी । यह प्रयोग ब्रजभाषा के ही अंतर्गत है और साहित्य में प्रायः सब प्रदेशों के कवियों ने इसे किया है; सूर, वोधा, मतिराम, दास यहाँ तक कि रामसहाय ने भी । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जब साहित्य की एक व्यापक और सामान्य भाषा घन जाती है, तब उसमें कई प्रदेशों के प्रयोग आ मिलते हैं । साहित्य की भाषा को जो व्यापकत्व प्राप्त होता है, वह इसी उदारता के बल से । इसी प्रकार 'स्यो' (= सह, साथ) शब्द बुँदेलखण्ड का समझा जाता है, जिसका प्रयोग केशवदासजी ने, जो बुँदेलखण्ड के थे, किया है; यथा—“अलि स्यो सरसीरुह राजत है ।” विहारी ने तो इसका प्रयोग किया ही है, पर उन्होंने जैसे करिवी और स्यो का प्रयोग किया है, वैसे ही अवधी कीन, दीन, केहि (= किसने) का प्रयोग भी तो किया है । स्यो का प्रयोग दासजी ने भी किया है जो खास अवध के थे; यथा—स्यो ध्वनि अर्थनि धाक्यनि लै गुण शब्द अलंकृत सों रति पाकी । अतः किसी के काव्य में स्थानविशेष के कुछ शब्दों को पाकर चटपट यह निश्चय न कर लेना चाहिए कि वह उस स्थान ही का रहनेवाला था । सूरदासे ने पंजाबी और पूरवी शब्दों का व्यवहार किया है । अब उन्हें पंजाबी कहें या पुरविया ? उदाहरण लीजिए—जोग-मोट सिर बोझ आनि कै कत तुम धोप उतारी । एतिक दूरि जाहु चलि काशी जहाँ विकति है प्यारी । महँगा के अर्थ में 'प्यारा' पंजाबी है । अब पूरवी का नमूना लीजिए—गोड़ चापि लै जीभ मरोरी । गोड़ (पैर) खास पूरवी है ।

इस प्रकार हिंदी की तीन मुख्य भाषाएँ, ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली का विवेचन समाप्त होता है । साधारणतः हम कह सकते हैं कि ब्रजभाषा ओकार-यहुला, अवधी एकार-यहुला और खड़ी बोली आकार-यहुला भाषा है ।

छठा अध्याय

हिंदी का शास्त्रीय विकास

हिंदी का ऐतिहासिक विकास हम देख चुके हैं पर भाषा-विज्ञान को दृष्टि से किसी भी भाषा का विकास दिखाने के लिये उस भाषा की ध्वनि, रूप और अर्थ—तीनों का ऐतिहासिक अध्ययन किया जाता है। यदि हिंदी का भी इसी प्रकार का अध्ययन किया जाय तो एक बड़ा प्रश्न बन सकता है—भारोपीय काल की भाषा से लेकर वैदिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी और आधुनिक हिंदी तक का अध्ययन करना पड़ता है। यहाँ पूरे विस्तार के साथ विवेचन करने के लिये स्थान नहीं है तो भी संक्षिप्त परिचय देने के लिये हम कम से हिंदी की ध्वनि, रूप और अर्थ का विवेचन करेंगे।

हिंदी ध्वनि-समूह का परिचय

परिचय देने में जिन पारिभाषिक शब्दों की हमारे अन्य ग्रंथों में व्याख्या हो चुकी है उन्हीं का हम प्रयोग करेंगे। जैसे यदि हम कहें कि 'क' 'खास कंठ्य स्पर्श' है तो इस वर्णन से यह समझ लेना चाहिए कि 'क' एक व्यंजन है जिसके उच्चारण में जिहामध्य ऊपर उठकर कंठ (अर्थात् कोमल तालु) को छू लेता है; कोमल तालु इतना ऊँचा उठा रहता है कि हवा नासिका में नहीं जा पाती अर्थात् यह ध्वनि अनुनासिक नहीं है; हवा जब फेफड़ों में से निकलकर ऊपर को आती है तो स्वरतं-चिर्यां कंपन नहीं करतीं (इसी से 'तो वह खास-ध्वनि है'); और जीभ कंठ को छूकर इतनी शीब्र हट जाती है कि स्फोट-ध्वनि उत्पन्न हो जाती है (इसी से वह स्पर्श-ध्वनि कही जाती है)। इसी प्रकार यदि 'इ' को 'संवृत अग्र' स्वर कहा जाता है तो उससे यह समझ लेना चाहिए कि 'इ' एक स्वर है; उसके उच्चारण में जिहाम्र कोमल तालु के इतने पास उठकर पहुँच जाता है कि मार्ग बंद सा हो जाने पर घर्षण नहीं सुनाई पड़ता और कोमल तालु नासिकामार्ग को बंद किए रहता है।

स्वर

(१) अ—यह हस्त, अर्द्धविवृत, मिश्र स्वर है अर्थात् इसके उच्चारण में जिहा की स्थिति न विलकुल पीछे रहती है और न विलकुल

आगे। और यदि जीभ की खड़ी स्थिति अर्थात् ऊँचाई-निचाई का विचार करें तो इस ध्वनि के उच्चारण में जीभ नीचे नहीं रहती—थोड़ा सा ऊपर उठती है इससे उसे अर्धविवृत मानते समानाक्षर हैं। इसका उच्चारण-काल केवल एक मात्रा है।

उदाहरण—अब, कमल, घर, मैं अ, क, म, घ। यहाँ यह ध्यान देने की वात है कि हिंदी शब्द और अक्षर के अंत में अ का उच्चारण नहीं होता। ऊपर के ही उदाहरणों में व, ल, र में हल्त उच्चारण होता है—अ का उच्चारण नहीं होता। पर इस नियम के अपवाद भी होते हैं जैसे दीर्घ स्वर अथवा संयुक्त व्यंजन का परवर्ती अ अवश्य उच्चारित होता है; जैसे—सत्य, सीध। ‘न’ के समान एकाक्षर शब्दों में भी अ पूरा उच्चारित होता है; पर यदि हम वर्णमाला में अथवा अन्य किसी स्थल में क, ख, ग आदि वर्णों को गिनाते हैं तो अ का उच्चारण नहीं होता अतः ‘क’ लिखा रहने पर भी ऐसे प्रसंगों में वह हल्त क ही समझा जाता है।

(२) आ—यह दीर्घ और विवृत पश्च स्वर है और प्रधान आ से बहुत कुछ मिलता-जुलता है। यह अ का दीर्घ रूप नहीं है क्योंकि दोनों में मात्रा-भेद ही नहीं, प्रयत्न-भेद और स्थान-भेद भी है। अ के उच्चारण में जीभ धीरे में रहती है और आ के उच्चारण में विलकुल पीछे रहती है अतः स्थान-भेद हो जाता है। यह स्वर हस्य रूप में व्यवहृत नहीं होता।

उदाहरण—आदमी, काम, स्थान।

(३) औँ—अँगरेजी के कुछ तत्सम शब्दों के बोलने और लिखने में ही इस अर्धविवृत पश्च औँ का व्यवहार होता है। इसका स्थान आ से ऊँचा और प्रधान स्वर औँ से थोड़ा नीचा होता है।

उदाहरण—कॉल्ड्रेस, लॉर्ड।

(४) औँ—यह अर्धविवृत हस्य पश्च वृत्ताकार स्वर है। अर्थात् इसके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग (=जिहामध्य) अर्धविवृत पश्च प्रधान स्वर की अपेक्षा थोड़ा ऊपर और भीतर की ओर जाकर दब जाता है। होठ गोल रहते हैं। इसका व्यवहार ग्रजभाषा में पाया जाता है।

उदाहरण—अवलोकि होँ सोच-यिमोचन को (कवितावली, वाल-फांड १); वह मारिए मोहिं विना पग धोए होँ नाथ न नाव चढ़ाइहोँ जू (कवितावली, अयोध्याकांड ६)।

(५) ओ—यह अर्धचिवृत दीर्घ पश्च वृत्ताकार स्वर है। प्रधान स्वर ओं से इसका स्थान कुछ ऊँचा है। इसका व्यवहार भी ब्रजभाषा में हो मिलता है।

उदाह—याकों, देसों, गर्यों, भर्यों।

ओ से इसका उच्चारण भिन्न होता है इसी से प्रायः लोग ऐसे शब्दों में 'ओ' लिख दिया करते हैं।

(६) ओ—यह अर्धसंवृत हस्त पश्च वृत्ताकार स्वर है। प्रधान स्वर ओ की अपेक्षा इसका स्थान अधिक नीचा तथा मध्य की ओर झुका रहता है। ब्रजभाषा और अवधी में इसका प्रयोग मिलता है। पुनि लेत सौई जोहि लागि ओरैं (कवितावली, धारकांडु, ४), ओहि केर विद्या (अवधी धोली)।

(७) ओ—यह अर्धसंवृत दीर्घ पश्च वृत्ताकार स्वर है। हिंदी में यह समानाक्षर अर्थात् मूलस्वर है। संस्कृत में भी प्राचीन फाल में ओ संघक्षर था पर अब तो न संस्कृत ही में यह संघक्षर है और न हिंदी में।

उदाह—ओला, हटो, घोड़ा।

(८) ऊ—यह संवृत हस्त पश्च वृत्ताकार स्वर है। इसके उच्चारण में जिहामध्य अर्थात् जीभ का पिछला भाग कंठ की ओर काफी ऊँचा उठता है पर दीर्घ ऊ की अपेक्षा नीचा तथा आगे मध्य की ओर झुका रहता है।

उदाह—उस, भूर, भृतु।

(९) ऊ—यह जपित हस्त संवृत पश्च वृत्ताकार स्वर है। हिंदी की कुछ धोलियों में 'जपित' अर्थात् फुसफुसाहटबाला ऊ भी मिलता है।

उदाह—ब० जातू०, ब्र० आवतू०; अब० भोरू०।

(१०) ऊ—यह संवृत दीर्घ पश्च वृत्ताकार स्वर है। इसका उच्चारण प्रधान स्वर ऊ के स्थान से थोड़े ही नीचे होता है। इसके उच्चारण में हस्त ऊ की अपेक्षा ओठ भी अधिक संकीर्ण (बंद से) और गोल हो जाते हैं।

उदाह—ऊसर, मूसल, आलू।

(११) ई—यह संवृत दीर्घ अग्र स्वर है। इसके उच्चारण में जिहाप्र ऊपर कठोर तालु के बहुत निकट पहुँच जाता है तो भी वह प्रधान स्वर ई की अपेक्षा नीचे [ही] रहता है, और होठ भी फैले रहते हैं।

उदाह—ईर्झ, अहीर, पाती।

(१२) इ—यह संवृत हस्य अग्र स्वर है। इसके उच्चारण में जिहा-स्थान ई की अपेक्षा कुछ अधिक नीचा तथा पीछे मध्य की ओर रहता है तथा होठ फैले तथा ढीले रहते हैं।

उदाह—इमली, मिठाई, जाति।

(१३) इ—यह इ का जपित रूप है। दोनों में अंतर इतना है कि इ नाद और घोप ध्वनि है पर इ जपित है। यह केवल ग्रज, अवधी आदि घोलियों में मिलती है।

उदाह—ग्र० आवत्ति०, अव० गोलि०।

(१४) ए—यह अर्धसंवृत दीर्घ अग्र स्वर है। इसका उच्चारण-स्थान प्रधान स्वर प से कुछ नीचा है।

उदाह—एक, अनेक, रहे।

(१५) ए—यह अर्धसंवृत हस्य अग्र स्वर है। इसके उच्चारण में जिहाग्र ए की अपेक्षा नीचा और मध्य की ओर रहता है। इसका भी व्यवहार विभाषाओं और घोलियों में ही होता है।

उदाह—ग्र०—अवधेस के द्वारे सकारे गई (कवितावली), अव० आहि केर घेट्या।

(१६) ए—नाद ए का यह जपित रूप है और कोई भेद नहीं है। यह ध्वनि भी साहित्यिक हिंदी में नहीं है, केवल घोलियों में मिलती है; जैसे—अवधी-फहेसु।

(१७) ए—यह अर्धविवृत दीर्घ अग्र स्वर है। इसका स्थान प्रधान स्वर ए से कुछ ऊँचा है। थों के समान ए भी ग्रज की घोली की विशेषता है।

उदाह—एसो, कैसो।

(१८) ए—यह अर्धविवृत हस्य अग्र स्वर है। यह दीर्घ ए की अपेक्षा थोड़ा नीचा और भोतर को ओर सुका रहता है।

उदाह—सुत गोद के भूपति लै निकसे में कै। हिंदी संघ्यकर पे भी शीब्र घोलने से हस्य समानाकर ए के समान सुन पड़ता है।

(१९) अ'—यह अर्धविवृत हस्यार्ध मिथ्र स्वर है और हिंदी 'अ' से मिलता-जुलता है। इसके उच्चारण में जीम 'अ' की अपेक्षा थोड़ा और ऊपर उठ जाती है। जब यह ध्वनि काकल से निकलती है तब काकल के ऊपर के गले और सुख में कोई निश्चित क्रिया नहीं होती; इससे इसे अनिश्चित (Indeterminate) अथवा उदासीन (neutral) स्वर कहते हैं। इस पर कभी वल-प्रयोग नहीं होता। अँगरेजी में इसका संकेत θ है। पंजाबी भाषा में यह ध्वनि घुत शब्दों

में सुन पड़ती है; जैसे—पं० रईस, व'चारा (हिं० विचारा), नौकर। कुछ लोगों का मत है कि यह उदासीन श्रं पश्चिमी हिंदी की पश्चिमी घोली में भी पाया जाता है। अवधी में तो यह पाया ही जाता है; जैसे—सोरही रामूक।

आजकल की दक्षाली खड़ी घोली के उचारण के विचार से इन १६ अक्षरों में से केवल ६ ही विचारणीय हैं—अ, आ, आ०, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ। उनमें भी आ० केवल विदेशी शब्दों में राही बोली के स्वर प्रयुक्त होता है अर्थात् हिंदी में समानाक्षर आठ ही होते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी में हस्त पॅ और ओ का भी व्यवहार होता है; जैसे—पॅन्का, सोनार, लोहार। शेष विशेष स्वर विभाषाओं और बोलियों में ही पाए जाते हैं।

ऊपर वर्णित सभी अक्षरों के प्रायः अनुनासिक रूप भी मिलते हैं पर इनका व्यवहार शब्दों में सभी स्थानों पर नहीं होता—कुछ विशेष अनुनासिक स्वर स्थानों पर ही होता है। हिंदी की घोलियों में युद्देली अधिक अनुनासिक चहुला है।

अनुनासिक और अनुनासिक स्वरों का उचारण-स्थान तो धही रहता है; अनुनासिक स्वरों के उचारण में केवल कोमल तालु और कौआ कुछ नीचे भुक जाते हैं जिससे हवा मुख के अतिरिक्त नासिका-विवर में भी पहुँच जाती है और गूँजकर निकलती है। इसी से स्वर 'अनुनासिक' हो जाते हैं। उचारण—

अ०—अँगरखा, हँसी, गँवार।

आ०—आीसू, थाँस, साँचा।

इ०—विँदिया, सिँघाड़ा, धनिँया।

ई०—ईट, ईगुर, सौंचना, आई०।

उ०—घुँघची, बुँदेली, मुँह।

ऊ०—जँघना, सूँधना, गेहूँ।

ए०—गैंद, पैंचा, घातै०।

इसके अतिरिक्त ब्रज के लो०, सो०, हो०, मै० आदि अवधी के घंटुआ, गोंठिवा (गाँठ में घाँঁঠুঁগা) आदि शब्दों में अन्य विशेष स्वरों के अनुनासिक रूप भी मिलते हैं।

संध्यक्तर उन असर्वण स्वरों के समूह को कहते हैं जिनका उचारण सास के एक ही चेग में होता है अर्थात् जिनका उचारण एक अक्षरवत् होता है। संध्यक्तर के उचारण में मुखाध्यव एक स्वर के उचारण-स्थान से दूसरे स्वर के उचारण-स्थान की ओर घड़ी शीघ्रता

से जाते हैं जिससे सांस के एक ही भौंके में ध्वनि का उच्चारण होता है और अवयवों में परिवर्तन स्पष्ट लक्षित नहीं होता, क्योंकि इस परिवर्तन-

संध्यक्षर अथवा काल में ही तो ध्वनि स्पष्ट होती है। अतः संध्यक्षर संयुक्त स्वर अथवा संयुक्त स्वर एक अक्षर हो जाता है; उसे ध्वनि-समूह अथवा अक्षर-समूह मानना ठीक नहीं।

पर व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाय तो कई स्वर निकट आने से इन्हें शीघ्र उच्चरित होते हैं कि वे संध्यक्षर से प्रतीत होते हैं। इससे कुछ विद्वान् अनेक स्वरों के संयुक्त रूपों को भी संध्यक्षर मानते हैं।

हिंदी में सच्चे संध्यक्षर दो ही हैं और उन्हीं के लिये लिपि चिह्न भी प्रचलित हैं। (१) ऐ हस्व अ और हस्व ए की संधि से बना है; उदा०—ऐसा, कैसा, वैर। और (२) औ हस्व अ और हस्व ओ की संधि से बना है; उदा०—ओरत, घौनी, कौड़ी, सौ। इन्हीं दोनों ऐ, औ का उच्चारण कई वोलियों में अइ, अउ के समान भी होता है; जैसे—ऐसा और मौसी, पइसा और मउसी के समान उच्चरित होते हैं।

यदि दो अथवा अनेक स्वरों के संयोग को संध्यक्षर मान लें तो भैआ, कौआ, आओ, वोए आदि में अइआ, अउआ, आओ, ओए आदि संध्यक्षर माने जा सकते हैं। इन तीन अथवा दो अक्षरों का शीघ्र उच्चारण मुखद्वार की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होते समय किया जाता है, इसी से इन्हें लोग संध्यक्षर मानते हैं। इनके अतिरिक्त ब्रज, अवधी आदि वोलियों में अनेक स्वर-समूह पाए जाते हैं जो संध्यक्षर जैसे उच्चरित होते हैं। उदा०—(ब्र०) अहसी, गऊ और (अवधी) होइहै, होउ आदि।

व्यंजन

(१) क—यह अल्पप्राण श्वास, अधोप, जिहामूलीय, स्पर्श व्यंजन है। इसका स्थान जीभ तथा तालु दोनों की दृष्टि से स्थले पीछे है।

स्पर्श-व्यंजन इसका उच्चारण जिहामल और कौप के स्पर्श से होता है। वास्तव में यह ध्वनि चिदेशी है और अरबी-फारसी के तत्सम शब्दों में ही पाई जाती है। प्राचीन साहित्य में तथा साधारण हिंदी में कृ के स्थान पर क हो जाता है।

उदा०—कृविल, मुकाम, ताक्।

(२) क—यह अल्पप्राण, अधोप, कंठ्य स्पर्श है। इसके उच्चारण में जोभ का पिछला भाग अर्थात् जिहामध्य कोमल तालु को छूता है। ऐसा अनुमान होता है कि प्रा० भा० आ० फाल में कवर्ग का उच्चारण और भी पीछे होता था। क्योंकि कवर्ग ‘जिहामूलीय’ माना

जाता था। पीछे कंठ्य हो गया। कंठ्य का अर्थ गले में उत्पन्न (guttural) नहीं लिया जाता। कंठ कोमल तालु का पर्याय है, अतः कंठ्य का अर्थ है 'कोमल-तालब्द्य'।

उदाहरण—कम, चकिया, एक।

(३) ख—यह महाप्राण, अधोप, कंठ्य-स्पर्श है। क और ख में केवल यही भेद है कि ख महाप्राण है।

उदाहरण—खेत, भिखारी, सुख।

(४) ग—अल्पप्राण, घोप, कंठ्य स्पर्श है।

उदाहरण—गमला, गागर, नाग।

(५) घ—महाप्राण, घोप, कंठ्य-स्पर्श है।

उदाहरण—घर, रिधाना, घघारना, करघा।

(६) ट—अल्पप्राण, अधोप, मूर्धन्य, स्पर्श है। मूर्धा से कठोर तालु का सबसे पिछला भाग समझा जाता है पर आज समस्त श्वर्गी ध्वनियाँ कठोर तालु के मध्यभाग में उलटी जीभ की नोक के स्पर्श से उत्पन्न होती हैं। तुलना की दृष्टि से देखा जाय तो अवश्य ही मूर्धन्य घण्ठों का उच्चारण-स्थान तालब्द्य घण्ठों की अपेक्षा पीछे है। घण्ठ-माला में कंठ्य, तालब्द्य, मूर्धन्य और दंत्य घण्ठों को क्रम से रखा जाता है इससे यह न समझना चाहिए कि कंठ के बाद तालु और तथा मूर्धा आता है। प्रत्युत कंठ्य और तालब्द्य तथा मूर्धन्य और दंत्य घण्ठों के एकस्पर संबंध को देखकर यह वर्णक्रम रखा गया है—घाक् से धाच् का और विफूत से विकट का संबंध प्रसिद्ध ही।

उदाहरण—टीका, रटना, चौपट।

अँगरेजी में ट, ड् ध्वनि नहीं हैं। अँगरेजी t और d घरस्य हैं अर्थात् उनका उच्चारण ऊपर के मसूड़े को बिना उलटी हुई जीभ की नोक से छूकर किया जाता है; पर हिंदी में घरस्य ध्वनि न होने से बोलनेवाले इन अँगरेजी ध्वनियों को प्रायः मूर्धन्य बोलते हैं।

(७) ठ—महाप्राण, अधोप, मूर्धन्य, स्पर्श है।

उदाहरण—ठाट, कठघरा, साठ।

(८) ड—अल्पप्राण, घोप, मूर्धन्य, स्पर्श-व्यंजन है।

उदाहरण—डाक, गाढ़र, गँड़ेरी, टोड़र, गँड़ा, खड़।

(९) ढ—महाप्राण, घोप, मूर्धन्य स्पर्श है।

उदाहरण—ढकना, ढीला, पंढ, पंढरपूर, मैढक।

ढ का प्रयोग हिंदी तंडव शब्दों के आदि में ही पाया जाता है। पंढ संस्कृत का और पंढरपूर मराठी का है।

(१०) त—अल्पप्राण, अधोप, दंत्य-स्पर्श है। इसके उच्चारण में जीभ की नोक दर्तों की ऊपरवाली पंक्ति को छूती है।

उदाहरण—तथ, मतवाली, धात।

(११) थ—त और थ में केवल यही भेद है कि थ महाप्राण है।

उदाहरण—थोड़ा, पत्थर, साथ।

(१२) द—इसका भी उच्चारण त की भाँति होता है। यह अल्पप्राण, धोप, दंत्य स्पर्श है।

उदाहरण—दावा, मदारी, चाँदी।

(१३) ध—महाप्राण, धोप, दंत्य स्पर्श है।

उदाहरण—धान, धधाई, आधा।

(१४) प—अल्पप्राण, अधोप, ओष्ठय स्पर्श है। ओष्ठय ध्वनियों के उच्चारण में दोनों ओढ़ों का स्पर्श होता है और जीभ से सहायता नहीं ली जाती। यदि कोई ओष्ठय घर्षण शब्द अथवा 'अक्षर' के अंत में आता है तो उसमें केवल स्पर्श होता है, स्फोट नहीं होता।

उदाहरण—पत्ता, अपना, वाप।

(१५) फ—यह महाप्राण, अधोप, ओष्ठय स्पर्श है।

उदाहरण—फूल, वफारा, कफ।

(१६) ब—अल्पप्राण, धोप, ओष्ठय स्पर्श है।

उदाहरण—बीन, धोबिन, अब।

(१७) भ—यह महाप्राण, धोप, ओष्ठय स्पर्श है।

उदाहरण—मला, मनमर, साँमर, कमी।

(१८) च—च के उच्चारण में जिहोपात्र ऊपरी मसूदों के पास के तालव्य का इस प्रकार स्पर्श करता है कि एक प्रकार की रगड़ होती है

धर्ष-स्पर्श अतः यह धर्ष-स्पर्श अथवा स्पर्श-संधर्षी ध्वनि मानी जाती है। तालु की दृष्टि से देखें तो कंठ के आगे रवर्ग आता है और उसके आगे चर्वर्ग अर्थात् चर्वर्ग का स्थान आगे की ओर बढ़ गया है।

च—अल्पप्राण, अधोप, तालव्य धर्ष-स्पर्श व्यंजन है।

उदाहरण—चमार, कचनार, नाच।

(१९) छ—महाप्राण, अधोप, तालव्य धर्ष-स्पर्श चर्ण है।

उदाहरण—छिलका, कुछु, कछुर।

(२०) ज—अल्पप्राण, धोप, तालव्य स्पर्श-धर्ष चर्ण है।

उदाहरण—जमना, जाना, काजल, आज।

(२१) झ—महाप्राण, धोप, तालव्य धर्ष-स्पर्श चर्ण है।

उदा०—भाड़, सुलभाना, घाँझ।

(२२) उ—घोप, अल्पप्राण, कंठ्य, अनुनासिक स्पर्श-ध्वनि है।

इसके उच्चारण में जिहामध्य कोमल तालु का स्पर्श करता है और कौशा सहित कोमल तालु कुछ नीचे झुक आता है जिससे कुछ हवा नासिका-विवर में पहुँचकर गूँज उत्पन्न कर देती है। इस अनुनासिक प्रकार स्पर्श-ध्वनि अनुनासिक हो जाती है।

शब्दों के बीच में क्यर्ग के पहले उ-सुनाई पड़ता है। शब्दों के आदि या अंत में इसका व्यवहार नहीं होता। स्वर-सहित उ का भी व्यवहार हिंदी में नहीं पाया जाता।

उदा०—रंक, शंख, कंधा, भंगी।

(२३) ऊ—घोप, अल्पप्राण, तालव्य, अनुनासिक ध्वनि है। हिंदी में यह ध्वनि होती ही नहीं और जिन संस्कृत शब्दों में वह लिखी जाती है उनमें भी उसका उच्चारण न के समान होता है जैसे—चञ्चल, अञ्चल आदि का उच्चारण हिंदी में चन्चल, अन्चल की भाँति होता है। कहा जाता है कि ग्रन्थ, अवधी आदि में ऊ ध्वनि पाई जाती है; पर खड़ी घोली के साहित्य में वह नहीं मिलती।

(२४) ण—अल्पप्राण, घोप, मूर्धन्य अनुनासिक स्पर्श है। स्वर-सहित ण केवल तत्सम संस्कृत शब्दों में मिलता है और वह भी शब्दों के आदि में नहीं।

उदा०—गुण, मणि, परिणाम।

संस्कृत शब्दों में भी पर-सर्वर्ण 'ण' का उच्चारण 'न' के समान ही होता है। जैसे—सं० पंडित, कंठ आदि पन्डित, कन्ठ आदि के समान उच्चरित होते हैं। अर्द्ध स्वर्णों के पहले अवश्य हल्कां ण ध्वनि सुन पड़ती है, जैसे—करण, गण्य, पुण्य आदि। इनके अतिरिक्त जिन हिंदी शब्दों में यह ध्वनि बताई जाती है उनमें 'न' की ही ध्वनि सुन पड़ती है; जैसे—कंडा, गंडा, घंटा, ठंडा।

(२५) न—अल्पप्राण, घोप, घर्स्य, अनुनासिक स्पर्श है। इसके उच्चारण में ऊपर के मस्दूँ के जिहानीक का स्पर्श होता है। अतः इसे दंत्य मानना उचित नहीं।

उदा०—नमक, कनक, कान, यंदर।

(२६) न्ह—महाप्राण, घोप, घर्स्य, अनुनासिक व्यंजन है। पहले इसे विद्वान् संयुक्त व्यंजन मानते थे पर श्वय कुछ आनुनिक विद्वान् इसे घ, ध, भ आदि की तरह मूल महाप्राण ध्वनि मानते हैं।

उदा०—उन्हें, कन्हैया, जुन्हैया, नन्हा।

(२७) म—अल्पप्राण, घोप, ओष्ठ्य अनुनासिक स्पर्श है।

उदाहरण—माता, रमता, काम।

(२८) मह—महाप्राण, घोप, ओष्ठ्य, अनुनासिक स्पर्श है। नह के समान इसे भी अब विद्वान् संयुक्त व्यंजन न मानकर मूल महाप्राण व्यंजन मानते हैं।

उदाहरण—तुम्हारा, कुम्हार।

यहाँ एक बात ध्यान देने की यह है कि हिंदी के विचार से न, नह, म श्वैर मह, ये ही अनुनासिक ध्वनियाँ हैं। शेष तीन डृ, जू श्वैर रण के स्थान में 'न' ही आता है। केवल तत्सम शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है। श्वैर अनुस्वार के विचार से तो दो ही प्रकार के उच्चारण होते हैं—न श्वैर म।

(२९) ल—पार्श्विक, अल्पप्राण, घोप, वर्त्स्य, ध्वनि है। इसके उच्चारण में जीभ की नोक ऊपर के मसूड़ों का अच्छी तरह छूती है किंतु

पार्श्विक साथ ही जीभ के दोनों ओर सुला स्थान रहने से हवा निकला करती है। यद्यपि ल श्वैर र एक ही स्थान से उच्चरित होते हैं पर ल पार्श्विक होने से सरल होता है।

उदाहरण—लाल, जलना, फल।

(३०) लह—यह ल का महाप्राण रूप है। नह श्वैर मह की भाँति यह भी मूल-व्यंजन ही माना जाता है। इसका प्रयोग केवल बोलियों में मिलता है।

उदाहरण—ब्र०—कालिह, कलह (बुँदेलखंडी), ब्र० सल्हा (हिं० सलाह)। 'कल्ही' जैसे खड़ी बोली के शब्दों में भी यह ध्वनि सुन पड़ती है।

(३१) र—लुंठित, अल्पप्राण, वर्त्स्य, घोप-ध्वनि है। इसके उच्चारण में जीभ की नोक लपेट खाकर वर्त्स अर्थात् लुंठित ऊपर के मसूड़े को कई बार जल्दी जल्दी छूती है।

उदाहरण—रटना, करना, पार, रिण।

(३२) रह—र का महाप्राण रूप है। इसे भी मूल ध्वनि माना जाता है। पर यह केवल बोलियों में पाई जाती है। जैसे—करहानो, उरहानो आदि (ब्रज०)।

(३३) डृ—अल्पप्राण, घोप, मूर्धन्य उत्तिष्ठ ध्वनि है। हिंदी की नवीन ध्वनियों में से यह एक है। इसके उच्चारण में उलझी जीभ की नोक से कठोर तालु का स्पर्श भट्टके के साथ किया जाता है। डृ शब्दों के आदि में नहीं आता; केवल मध्य अथवा अंत में दो स्वरों के बीच में ही आता है।

उदाहरण—सूँड़, कड़ा, घड़ा, वड़हार। हिंदी में इस ध्वनि का यादृच्छा यह है।

(३४) **ढ़—महाप्राण, घोप, मूर्धन्य, उत्क्रित ध्वनि है। यह ढ़ का ही महाप्राण रूप है। ड, ढ स्पर्शी हैं और ड़, ढ़ उत्क्रित ध्वनि हैं। यह स यही भेद है। ड, ढ का व्यवहार शब्दों के आदि में ही होता है और ड़, ढ़ का प्रयोग दो स्वरों के बीच में ही होता है।**

उदाहरण—बढ़ना, बूढ़ा, मूढ़।

(३५) **ह—काकल्य, घोप, धर्ष ध्वनि है। इसके उद्धारण में जीभ, तालु अथवा होठों से सहायता नहीं ली जाती। जब हवा फैफड़े में से वेग से निकलती है और मुखद्वार के खुले धर्ष वर्ण रहने से काकल के बाहर रगड़ उत्पन्न करती है तब इस ध्वनि का उद्धारण होता है। ह और अ में मुख के अवयव ग्रायः समान रहते हैं पर ह में रगड़ होती है।**

उदाहरण—हाथ, कहानी, टेह।

ह के विषय में कुछ याते ध्यान देने योग्य हैं। 'ह' शब्द के आदि और अंत में अधोप उद्धरित होता है; जैसे—हम, होठ, हिंदु और छिह्, छह्, कह्, यह् आदि। पर जब ह दो स्वरों के मध्य में आता है तब उसका उद्धारण घोप होता है, जैसे—रहन, सहन। पर जब वह महाप्राण व्यंजनों में सुन पड़ता है तब कभी अधोप और कभी घोप होता है। जैसे—ख, छ, थ में अधोप ह है और घ, झ, ध, ढ, भ, ल्ह, न्ह आदि में घोप है। अधोप ह का ही नाम विसर्ग है। 'ख' जैसे वर्णों में और छिः जैसे शब्दों के अंत में यही अधोप ह अथवा विसर्ग सुन पड़ता है। यह सब कल्पना अनुमान और स्थूल पर्यवेक्षण से सर्वथा संगत लगती है पर अभी परीक्षा द्वारा सिद्ध नहीं हो सकी है। कादरी, सफ्सेना, चैटर्जी आदि ने कुछ प्रयोग किये हैं पर उनमें भी ऐकमत्य नहीं है।

विसर्ग के लिये लिपि-संकेत ह अथवा : है। हिंदी ध्वनियों में विसर्ग इसका प्रयोग कम होता है। वास्तव में यह अधोप ह है पर कुछ लोग इसे पृथक ध्वनि मानते हैं।

(३६) **ख—ख जिह्वामूलीय, अधोप, धर्ष-ध्वनि है। इसका उद्धारण जिह्वामूल और कोमल तालु के पिछले भाग से होता है, पर दोनों अवयवों का पूर्ण स्पर्श नहीं होता। अतः उस खुले विवर से हवा रगड़ खाकर निकलती है, अतः इसे स्पर्श-व्यंजनों के वर्ग में रखना उचित नहीं माना जाता। यह ध्वनि फारसी-अरसी तत्सम शब्दों में**

ही पाई जाती है और हिंदी वोलियों में स्पर्श ख के समान उच्चरित होती है।

उदा०—खुराय, बुखार और घलख़।

(३७) ग—इसमें और ख में केवल एक भेद है कि यह घोप है। अर्थात् ग जिहामूलीय, घोप, घर्ष-ध्वनि है। यह भी भारतीय ध्वनि नहीं है, केवल फारसी-अरबी तत्सम शब्दों में पाई जाती है। वास्तव में ग और ग में कोई संवंध नहीं है पर घोलचाल में ग के स्थान में ग ही घोला जाता है।

उदा०—गुरीय, चोगा, दाग़।

(३८) श—यह अघोप, घर्ष, तालव्य ध्वनि है। इसके उच्चारण में जीभ की नोक कठोर तालु के बहुत पास पहुँच जाती है पर पूरा स्पर्श नहीं होता, अतः तालु और जीभ के धीच में से हवा रगड़ खाती हुई बिना रुके आगे निकल जाती है। इसी से यह ध्वनि घर्ष तथा अन-घर्ख्ल कही जाती है। इसमें 'शी', 'शी' के समान ऊप्रा निकलता है इससे इसे ऊप्रा ध्वनि भी कहते हैं। यह ध्वनि प्राचीन है। साथ ही यह श्रींगरेजी, फारसी, अरबी आदि से आए हुए विदेशी शब्दों में भी पाई जाती है। पर हिंदी की वोलियों में श का दंत्य (स) उच्चारण होता है।

उदा०—शांति, पशु, यश, शायद, शाम, शेयर, शेड।

(३९) स—वत्सर्थ, घर्ष, अघोप ध्वनि है। इसके उच्चारण में जीभ की नोक और वर्त्स के धीच घर्षण (रगड़) होता है।

उदा०—सेवक, असगुन, कपास।

(४०) झ—झ और स का उच्चारण-स्थान एक ही है। झ भी घत्सर्थ, घर्ष-ध्वनि है किंतु यह घोप है। अतः झ का संवंध स से ही; ज से नहीं। झ भी विदेशी ध्वनि है और फारसी-अरबी तत्सम शब्दों में ही बोली जाती है। हिंदी बोलियों में झ का ज हो जाता है।

उदा०—जुलम, गुजर, याज़।

(४१) फ—दंतोष्ट्रय, घर्ष, अघोप व्यंजन है। इसके उच्चारण में नोचे का होठ ऊपर के दाँतों से लग जाता है पर होठ और दाँत दोनों के धीच में से हवा रगड़ के साथ निकलती रहती है। इसको द्रथोप्त्य फ का रूपांतर मानना शालीय दृष्टि से ठीक नहीं है। वास्तव में फ विदेशी ध्वनि है और विदेशी तत्सम शब्दों में हो पाई जाती है। हिंदी बोलियों में इसका स्थान फ से लेता है।

उदा०—फूस्ल, कफून, साफ़।

(४२) व--उच्चारण फ के समान होता है। परंतु यह घोष है। अर्थात् व दंतोष्य घोष घर्ष-ध्वनि है। यह प्राचीन ध्वनि है और विदेशी शब्दों में भी पाई जाती है।

उदाहरण, सुवन, यादव।

(४३) य (अथवा इ)—यह तालव्य, घोष, अर्द्धस्वर है। इसके उच्चारण में जिहोपात्र कठोर तालु की ओर उठता है पर स्पष्ट घर्षण नहीं अर्द्धस्वर (अतस्थ) होता। जिहा का स्थान भी व्यंजन च और स्वर व्यंजन ओर स्वर के बीच में रहता है इसी से इसे अंतस्थ अर्थात् व्यंजन ओर स्वर के बीच की ध्वनि मानते हैं।

वास्तव में व्यंजन ओर स्वर के बीच की ध्वनियाँ हैं घर्ष व्यंजन। जब किसी घर्ष व्यंजन में घर्ष स्पष्ट नहीं होता तब वह स्वरवत् हो जाता है। ऐसे ही चलों को अर्धस्वर अथवा अंतस्थ कहते हैं। यह इसी प्रकार का अर्धस्वर है।

उदाहरण, प्यास, हाँ, यम, धाय, आप।

य का उच्चारण पुश्च सा होता है और कुछ कठिन होता है, इसी से हिंदी वोलियों में य के स्थान में ज हो जाता है। जैसे—यमुना—जमुना, यम—जम।

(४४) घ—ओआ से बहुत कुछ मिलता है। यह घर्ष घ का ही अवर्पण रूप है। यह ध्वनि प्राचीन है। संस्कृत तत्सम ओर हिंदी तद्वद दोनों प्रकार के शब्दों में पाई जाती है।

उदाहरण, स्वाद, स्वर, अध्यर्थ आदि।

अब हम नीचे वैदिक, परखर्ती संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी ओर हिंदी के ध्वनि-समूह का संक्षिप्त परिचय देंगे जिससे हिंदी की ध्वनियों का एक इतिहास प्रस्तुत हो जाय।

हमारी संस्कृत भाषा उस भारोपीय परिवार की कन्या है जिसका विद्वानों द्वारा सुन्दर अन्यथन हुआ है। इस परिवार की अनेक भाषाएँ आज भी जीवित हैं, अनेक के साहित्य-चिह्न मिलते हैं और इन्हीं के आधार पर इस परिवार की आदिमाता अर्थात् भारोपीय मातृभाषा की भी रूप-रेखा खोचने का यत्न किया गया है। अतः हिंदी की ध्वनियों का इतिहास जानने के लिये उस भारोपीय मातृभाषा की ध्वनियों से भी संक्षिप्त परिचय कर लेना अच्छा होता है। यद्यपि आदिभाषा की ध्वनियों के विषय में मतभेद है तथापि हम अधिक विद्वानों द्वारा शृहीत सिद्धांतों को मानकर ही आगे बढ़ेंगे। विशेष विवाद यहाँ उपयोगी नहीं प्रतीत होता। उस मूल भारोपीय भाषा में स्वर ओर व्यंजन दोनों

की ही संख्या अधिक थी। कुछ दिन पहले यह माना जाता था कि संस्कृत को वर्णमाला सबसे अधिक पूर्ण है। यही ध्वनियाँ थोड़े परिवर्तन के साथ मूल भाषा में रही होंगी पर अब खोजें द्वारा सिद्ध हो गया है कि संस्कृत की अपेक्षा मूल भाषा में स्वर और व्यंजन ध्वनियाँ कहीं अधिक थीं।

भारोपीय ध्वनि-समूह

स्वर—उस काल के अक्षरों का ठीक उचारण सर्वथा निश्चित तो नहीं हो सका है तो भी सामान्य व्यवहार के लिये निम्नलिखित संकेतों से उन्हें हम प्रकट कर सकते हैं।

समानाक्षर—a, ā; e, ē; o, ō; ə; i, ī; ɛ, œ;

(१) इनमें से a, ē, ō, i, ɛ हस्त्र अक्षर हैं। नागरी लिपि में हम इन्हें अ, ए, ओ, इ तथा उ से अंकित कर सकते हैं। (२) और ā आ, ā ए, ā ओ, i ई और ɛ ऊ दीर्घ अक्षर होते हैं। (३) ə एक हस्त्रार्ध स्वर है जिसका उचारण स्पष्ट नहीं होता। इसे ही उदासीन (neutral) स्वर कहते हैं।

स्वनंत वर्ण—उस मूल भाषा में कुछ ऐसे स्वनंत वर्ण भी थे जो अक्षर का काम करते थे; जैसे—m, n, r, l; नागरी में इन्हें हम m, n, r, l लिख सकते हैं। m, n आकृतिक अनुनासिक व्यंजन हैं और r, l आकृतिक द्रव अथवा अंतस्थ व्यंजन हैं।

संध्यक्षर—अर्धस्वरों, अनुनासिकों और अन्य द्रव वर्णों के साथ स्वरों के संयोग से उत्पन्न अनेक संध्यक्षर अथवा संयुक्तक्षर भी उस मूलभाषा में मिलते हैं। इनकी संख्या अल्प नहीं हैं। उनमें से मुख्य ये हैं—

ai, āi, ei, ēi, oi, ōi; au, āu, eu, ēu, ou, ōu; əm, ən, ər, əl.

व्यंजन—स्पर्श-वर्ण

- | | | | | |
|-----------------|------------|-------------|------------|-------------|
| (१) ओष्ठ वर्ण- | <u>p</u> , | <u>ph</u> , | <u>b</u> , | <u>bh</u> . |
| (२) दंत्य- | <u>t</u> , | <u>th</u> , | <u>d</u> , | <u>dh</u> . |
| (३) कठ्य- | <u>q</u> , | <u>qh</u> , | <u>g</u> , | <u>gh</u> . |
| (४) मध्य कंठ्य- | <u>k</u> , | <u>kh</u> , | <u>g</u> , | <u>gh</u> . |
| (५) तालंब्य | <u>ñ</u> , | <u>kh</u> , | <u>g</u> , | <u>gh</u> . |

अनुनासिक व्यंजन—m, n, ñ (ঁ) और ñ (ঁ)

अर्धस्वर—। और ॥ अर्थात् य और व ।

द्रव्य-वर्ण—अनुनासिक और अर्धस्वर वर्णों के अतिरिक्त दो द्रव्यवर्ण अवश्य मूल भारोपीय भाषा में विद्यमान थे अर्थात् ८ और ८ ।

सोप्य ध्वनि—४ स, २ ज, १ य, ५ व्ह, २ ग, ३ प थ, १ द, ये सात मुख्य सोप्य ध्वनियाँ थीं ।

वैदिक ध्वनि-समूह

अब हम तीसरे काल की ध्वनियों का विचार करेंगे । वैदिक ध्वनि-समूह, सच पूछा जाय तो, इस भारोपीय परिवार में सबसे प्राचीन है । उस ध्वनि-समूह में ५२ ध्वनियाँ पाई जाती हैं—१३ स्वर और ३९ व्यंजन ।

स्वर—

नव समानाक्षर—अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, झृ, ल
चार संभ्यक्षर—ए, ओ, ऐ, औ

व्यंजन—

कंठ्य—क, ख, ग, घ, ङ

तालव्य—च, छ, ज, झ, झ

मूर्धन्य—ट, ठ, ड, ढ, छ, छू़, ण

दंत्य—त, थ, द, ध, न

ओष्ठ्य—ष, फ, च, भ, म

अंतस्थ—य, र, ल, व

ऊप्य—श, प, स

प्राणध्वनि—ह

अनुनासिक — — (अनुस्वार)

अधोप सोप्य वर्ण—विसर्जनीय, जिहासूलीय और उपध्मानीय ।

ऐतिहासिक तुलना की दृष्टि से देखें तो वैदिक भाषा में कई परिवर्तन देख पड़ते हैं । भारोपीय मूलभाषा को अनेक ध्वनियाँ उसमें नहीं

अभाव पाई जातीं । उसमें (१) ह्रस्व ए, ओ और ३ ;

(२) दीर्घ ए, ओ ; (३) संभ्यक्षर ए॑, ओ॑,

ए॒, ओ॒ ; ए॑, ए॒, ओ॑, ओ॒, ए॑, ए॒, ओ॑, (४) स्वनंत अनुनासिक व्यंजन, (५) और नाद सोप्य २ का अभाव हो गया है ।

वैदिक में (१) ē, ā के स्थान में ā आ, ə के स्थान में ī; (२) दोर्घं ē, ā के स्थान में आ; (३) संध्यक्षर ēi, īi के स्थान में ēप, परिवर्तन ēu, ōu के स्थान में ō औ; और āz, ēz, ōz के स्थान में भी ē, ō; (४) ū के स्थान में ईर, ऊर; । के स्थान में r ऋ; (५) āi, ēi, ōi के स्थान में āi ऐ ए ūu īu, ōu के स्थान में āu औ; आता है। इसके अतिरिक्त जब ऋ के पीछे अनुनासिक आता है, ऋ का ऋ हो जाता है। अनेक कंठ्य वर्ण तालव्य हो गए हैं। भारोपीय काल का तालव्य स्पर्श वैदिक में सोम्म श के रूप में देख पड़ता है।

अर्जन—सात मूर्धन्य व्यंजन और एक मूर्धन्य प ये आठ ध्वनियाँ वैदिक में नई संपत्ति हैं।

आजकल की भाषाशास्त्रीय दृष्टि से ५२ वैदिक ध्वनियों का घर्गी-करण इस प्रकार किया जा सकता है—

स्वर— (तेरह स्वर)

	पश्च	मध्य अथवा मिश्र	अग्र
सदृत (उच्च)	ऊ, उ		ई, ई
अर्ध-सदृत (उच्च-मध्य)	अ	(अ)	ऐ
अर्ध-विदृत (नीच-मध्य)
विदृत (नीच)	आ, अ		
समुक्त स्वर	ौ		ऐ
आक्षरिक			ऋ, ऋ, लू

व्यंजन—

	काकल्य	कंठ्य	तालव्य	मूर्धन्य	धर्स्य	द्रष्टेप्तुश्य
स्पर्श		क, ग	च ज	ट ड	त द	प व
सप्राण स्पर्श		ख घ	छ फ	ठ ठ	थ ध	फ भ
अनुनासिक		ड	अ	ण	न	म
घर्ष वर्ण	इः (विस०)	— (जिहा०)	श	प	स	— (उप०)
पारिवर्क				ल	ल	
उत्तिस				ब्लू		
अर्द्धस्वर			इ (य)			उ (उ)

इन सब ध्वनियों के उच्चारण के विषय में अच्छी छानवीन हो चुकी है। (१) सबसे बड़ा प्रमाण कोई तीन हजार वर्ष पूर्व से अविच्छिन्न चली आनेवाली वैदिकों और संस्कृतशों की परंपरा है। उनका उच्चारण अधिक भिन्न नहीं हुआ है। (२) शिक्षा और प्रातिशास्य आदि से भी उस काल के उच्चारण का अच्छा परिचय मिलता है। इसके अतिरिक्त दूसरी निम्नलिखित सामग्री भी यही सहायता करती है। (३) भारतीय नामों और शब्दों का ग्रीक प्रत्यक्षरीकरण (चीनी लेखों से विशेष लाभ नहीं होता पर ईरानी, मोन, ख्मेर, स्यामी, तिब्बती, वर्मी, जावा और मलय, मंगोल और अर्थी के प्रत्यक्षरीकरण कभी कभी मध्यकालीन उच्चारण के निश्चित करने में सहायता देते हैं।) (४) मध्यकालीन शार्य-भाषाओं (अर्थात् पाली, प्राकृत, अपमंश आदि) और आधुनिक शार्य देश-भाषाओं (हिंदी, मराठी, बँगला आदि) के ध्वनिविकास से भी प्रचुर प्रमाण मिलता है। (५) इसी प्रकार अवेम्ता, प्राचीन फारसी, ग्रीक, गाथिक, लैटिन आदि संस्कृत की सजातीय भाषों-पीय भाषाओं की तुलना से भी सहायता मिलती है। (६) और इन सबकी उचित खोज करने के लिये ध्वनि-शिक्षा के सिद्धांत और भाषा के सामान्य-ध्वनि विकास का भी विचार करना पड़ता है।

इस प्रकार विचार करने पर जो प्राचीन उच्चारण की विशेषताएँ ध्यान में आती हैं उनमें से कुछ मुख्य वातें जान लेनी, चाहिएँ। (१) सबसे पहली वात यह है कि आज हस्त 'अ' का उच्चारण संवृत होता है। उसका यही उच्चारण पाणिनि और प्रातिशास्त्रों के समय में भी होता था पर वैदिक काल के प्रारंभ में अ विवृत उच्चरित होता था। वह विवृत आ का हस्त रूप था। (२) इसी प्रकार ऋ और लू का उच्चारण भी आज से भिन्न होता था। आज ऋ का उच्चारण रि अथवा र के समान किया जाता है पर प्राचीन काल में ऋ स्वर थी—आकृतिक र थी। ऋक्प्रातिशास्त्र में लिखा है कि ऋ के मध्य में र का अंश मिलता है (ऋ = $\frac{1}{2}$ अ + $\frac{1}{2}$ र + $\frac{1}{2}$ अ)। इस प्रकार वैदिक ऋ प्राचीन ईरानी (अर्धात् अवेस्ता) की (७१३) ध्वनि की वरावरी पर रखी जा सकती है। (३) लू का प्रयोग तो वेद में भी कम होता है और पीछे तो सर्वथा लुस ही ही गया। उसका उच्चारण यहुत कुछ अङ्गरेजी के little शब्द में उच्चरित आकृतिक ल के समान होता था। (४) संध्यक्षर प, श्रो का उच्चारण जिस प्रकार आज दीर्घ समानाक्षरों के समान होता है चैसा ही संहिता-काल में भी होता था क्योंकि ए और श्रो के परे अ का अभिनिधान हो जाता था। यदि प, श्रो संध्यक्षरत्व उच्चरित होते तो उनका संधि में अय और अव रूप ही होता। पर अति प्राचीन काल में वैदिक ए, श्रो संध्यक्षर थे क्योंकि संधि में वे अ + इ और अ + उ से उत्पन्न होते हैं। श्रोतु और श्रवः, ऐति और अयन जैसे प्रयोगों में भी यह संध्यक्षरत्व स्पष्ट देख पड़ता है। अतः वैदिक प, श्रो उच्चारण में तो भारोपीय मूलभाषा के समानाक्षर से प्रतीत होते हैं पर वास्तव में वे अइ, अउ संध्यक्षरों के विकसित रूप हैं। (५) दीर्घ संध्यक्षर ऐ, श्रौ का प्राचीनतम उच्चारण तो आइ, आउ है पर प्रातिशास्त्रों के वैदिक काल में ही उनका उच्चारण अइ, अउ होने लगा था और यही उच्चारण आज तक प्रचलित है। (६) अवेस्ता के समान वैदिक उच्चारण की एक विशेषता स्वर-भक्ति भी है। जब किसी व्यंजन का रेफ अथवा अनुनासिक से संयोग होता है तब प्रायः एक लघु स्वर दोनों व्यंजनों के बीच में सुन पड़ता है। इस स्वर को स्वरभक्ति कहते हैं। जैसे इंद्र का इंदर (Indara), रना का गना। इस स्वर-भक्ति की प्रात्रा $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ अथवा $\frac{1}{2}$ मानी गई है पर वह पूर्ण स्वर नहीं है। (७) इसके अतिरिक्त वैदिक उच्चारण में भी दो स्वरों के बीच में उसी प्रकार विवृति पाई जाती थी जिस प्रकार पीछे प्राणुत में और आज देश-भाषाओं में मिलती है, परवर्ती लौकिक संस्कृत में विवृति नहीं पाई जाती पर वैदिक

व्यंजन—

	काकल्य	कठ्य	तालव्य	मूर्धन्य	चर्त्य	द्वचेषुच
स्पर्श		क, ग	च ज	ट ड	त द	प व
सप्राण स्पर्श		ख घ	छ झ	ठ ढ	थ ध	फ भ
अनुनासिक		ड	अ	ण	न	म
धर्य वर्य	इः (विस०)	॒ (जिहा०)	श	प	स	॒ (उप०)
पारिष्वक				ळ	ल	
उत्क्षित				ळ्ह		र
अर्द्धस्वर			इ (य)			उ (य)

इन सब ध्वनियों के उच्चारण के विषय में अच्छी छानवीन हो चुकी है। (१) सबसे यड़ा प्रमाण कोई तीन हजार वर्ष पूर्व से अविच्छिन्न चली आनेवाली वैदिकों और संस्कृतज्ञों की परंपरा है। उनका उच्चारण अधिक भिन्न नहीं हुआ है। (२) शिक्षा और प्रातिशास्य आदि से भी उस काल के उच्चारण का अच्छा परिचय मिलता है। इसके अतिरिक्त दूसरी निम्नलिखित सामग्री भी वड़ी सहायता करती है। (३) भारतीय नामों और शब्दों का ग्रीक प्रत्यक्षरीकरण (चीनी लेखों से विशेष लाभ नहीं होता पर ईरानी, मोन, खमेर, स्थामी, तिब्बती, थर्मी, जावा और मलय, मंगोल और अरबी के प्रत्यक्षरीकरण कभी कभी मध्यकालीन उच्चारण के निषिच्चत करने में सहायता देते हैं।) (४) मध्यकालीन आर्य भाषाओं (अर्थात् पाली, प्राकृत, अपब्रंश आदि) और आधुनिक आर्य देश-भाषाओं (हिंदी, मराठी, बंगाला आदि) के ध्वनिविकास से भी प्रद्वार प्रमाण मिलता है। (५) इसी प्रकार अवेन्टा, प्राचीन फारसी, ग्रीक, गाथिक, लैटिन आदि संस्कृत की सजातीय भाषों पीय भाषाओं की तुलना से भी सहायता मिलती है। (६) और इन सबकी उचित खोज करने के लिये ध्वनि-शिक्षा के सिद्धांत और भाषा के सामान्य-ध्वनि विकास का भी विचार करना पड़ता है।

इस प्रकार विचार करने पर जो प्राचीन उच्चारण की विशेषताएँ ध्यान में आती हैं उनमें से कुछ मुख्य वार्ते जान लेनी चाहिएँ। (१) सबसे पहली वार्ता यह है कि आज ह्स्व 'अ' का उच्चारण संवृत्त होता है। उसका यही उच्चारण पाणिनि और प्रातिशास्त्रों के समय में भी होता था पर वैदिक काल के प्रारंभ में अ विवृत उच्चरित होता था। वह विवृत आ का ह्स्व रूप था। (२) इसी प्रकार ऋू और लू का उच्चारण भी आज से भिन्न होता था। आज ऋू का उच्चारण रि अथवा रु के समान किया जाता है पर प्राचीन काल में ऋू स्वर थी—आकृतिक रथी। ऋूक्प्रातिशास्त्र में लिखा है कि ऋू के मध्य में र का अंश मिलता है ($\text{ऋ} = \frac{1}{2} \text{ अ} + \frac{1}{2} \text{ र} + \frac{1}{2} \text{ अ}$)। इस प्रकार वैदिक ऋू प्राचीन ईरानी (अर्थात् अवेस्ता) की (३१०.) घनि की वरावरी पर रखी जा सकती है। (३) लू का प्रयोग तो वेद में भी कम होता है और पीछे तो सर्वथा लुप्त ही हो गया। उसका उच्चारण घृत कुछ अङ्गरेजी के little शब्द में उच्चरित आकृतिक ल के समान होता था। (४) संध्यक्तर प, ओ का उच्चारण जिस प्रकार आज दीर्घ समानाक्षरों के समान होता है वैसा ही संहिता-काल में भी होता था क्योंकि प और ओ के परे अ का अभिनिधान हो जाता था। यदि प, ओ संध्यक्तरत्व उच्चरित होते तो उनका संधि में अय और अव रूप ही होता। पर अति प्राचीन काल में वैदिक प, ओ संध्यक्तर थे क्योंकि संधि में वे अ+इ और अ+उ से उत्पन्न होते हैं। थोरु और थ्रवः, ऐति और अयन जैसे प्रयोगों में भी यह संध्यक्तरत्व स्पष्ट देख पड़ता है। अतः वैदिक प, ओ उच्चारण में तो भारोपीय मूलभाषा के समानाक्षर से प्रतीत होते हैं पर वास्तव में वे अइ, अउ संध्यक्तरों के विकसित रूप हैं। (५) दीर्घ संध्यक्तर ऐ, औ का प्राचीनतम उच्चारण तो आइ, आउ है पर प्रातिशास्त्रों के वैदिक काल में ही उनका उच्चारण अइ, अउ होने लगा था और यही उच्चारण आज तक प्रचलित है। (६) अवेस्ता के समान वैदिक उच्चारण की एक विशेषता स्वर-भक्ति भी है। जब किसी व्यंजन का रेफ अथवा अनुनासिक से संयोग होता है तब प्रायः एक लघु स्वर दोनों व्यंजनों के बीच में सुन पड़ता है। इस स्वर को स्वरभक्ति कहते हैं। जैसे इंद्र का इंदर (Indara), रना का गना। इस स्वर-भक्ति की मात्रा $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ अथवा $\frac{1}{2}$ मानी गई है पर वह पूर्ण स्वर नहीं है। (७) इसके अतिरिक्त वैदिक उच्चारण में भी दो स्वरों के बीच में उसी प्रकार विवृति पाई जाती थी जिस प्रकार पीछे प्राकृत में और आज देश-भाषाओं में मिलती है, परवर्ती लौकिक संस्कृत में विवृति नहीं पाई जाती पर वैदिक

में तितउ (चलनी) के समान शब्द तो थे ही; 'ज्येष्ठ' के समान शब्दों में भी ज्य+इष्ट और इ का उच्चारण पृथक् पृथक् होता था।

व्यंजनों का उच्चारण आज की हिंदी में भी बहुत कुछ वैसा ही है। वैदिक तालव्य-स्पर्शों में सोप्ता कुछ कम थी परं पीछे सोध्म श्रुति इतनी गई है कि तालव्य चर्ण को घर्ष-स्पर्श मानना ही उचित जान पड़ा। तालव्य श पहले तो कंठ और तालु के मध्य में उच्चरित होता था इसी से कभी ए और कभी च के स्थान में आया करता था परं पीछे से तालु के अधिक आगे उच्चरित होने लगा, इसी से वैदिक में श और स एक दूसरे के स्थान में भी आने-जाने लगे थे।

मूर्धन्य घर्ण तालु के मूर्धा से अर्थात् सबसे ऊँचे स्थान से उच्चरित होते थे। इसी से मूर्धन्य प का प्राचीन उच्चारण जिहामूलीय x के समान माना जाता है। इसी कारण मध्यकाल में प के स्थान में 'य' उच्चारण मिलता है। उस प्राचीन मूर्धन्य उच्चारण से मिलता-जुलता ख होने से वही मध्यकाल से लेकर आज तक प का सभीपी समझा जाता है। संस्कृत का स्नुपा, स्लाव का स्नुखा (Snuxa), पश्तो और पश्तो आदि की तुलना से भी प के प्राचीन उच्चारण की यही कल्पना पुष्ट होती है। छ, छू छ्रवेद की किसी विभाषा में प्रयुक्त होते थे इसी से पाली से होते हुए अपन्नंश और हिंदी मराठी आदि में तो आगे परं थे साहित्यिक संस्कृत, प्राष्ट आदि से थाहर ही रहे।

दृश्योष्टुष्य ध्वनियों की अर्थात् प, फ, घ आदि की कोई विशेषता उल्लेखनीय नहीं है परं उपध्मानीय फ़ (F) के उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। दीपक बुझाने में मुख से दोनों होठों के धीब से जो धौंकनी की सी ध्वनि निकलती है वही उपध्मानीय ध्वनि है। यह उत्तर भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं में साधारण ध्वनि हो गई है। प्राचीन वैदिक फाल में प के पूर्व में जो अघोष ह रहता था वह उपध्मानीय ध्वनि इसी F (फ़) की प्रतिलिपि थी। जैसे—मुन् = मुन्। जिहामूलीय और उपध्मानीय दोनों को ही संस्कृत में इस चिह्न से प्रकट करते हैं। और उपध्मानीय की भाँति जिहामूलीय भी विसर्जनीय का एक भेद है। जो विसर्ग 'फ' के पूर्व में आये वह जिहामूलीय है; जैसे—ततः किम् में विसर्ग जिहामूलीय है। इसका उच्चारण जर्मन भाषा के ach में ch के रूप में मिलता है।

अर्द्धस्वर इ, उ (य, घ) वैदिक फाल में स्वरवत् फाम में आते थे परं पाणिनि के काल में आकर उ सोध्म घकार हो गया। उसके दंतोष्टुष्य उच्चारण का घण्टन पाणिनीय व्याकरण में मिलता है परं घ का

द्वयोष्टु उच्चारण भी उसी काल में प्रचलित हो गया था और आज तक चला जा रहा है। इस प्रकार परवर्ती संस्कृतकाल में सोम्य व के दो उच्चारण प्रचलित थे पर प्राचीनतर वैदिककाल में उसमें स्वरत्व अधिक था। इसी पीछे सोम्य ध्वनि हो गई जिससे 'य' के स्थान में Zhi ज के समान ध्वनि वैदिक काल में ही सुन पड़ने लगी थी।

अनुस्वार का वैदिक उच्चारण भी कुछ भिन्न होता था। आज अनुस्वार का उच्चारण प्रायः म अथवा न के समान होता है पर प्राचीन वैदिक काल में अनुस्वार स्वर के पीछे सुन पड़नेवाली एक अनुनासिक श्रुति थी। इसका विचार वैदिक भाषा में अधिक होता था पर आजकल उसका विचार अनुनासिक व्यंजनों के अंतर्गत मान लिया गया है।

(वैदिक के बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य-भाषा के दो प्रारंभिक रूप हमारे सामने आते हैं। लौकिक संस्कृत और पाली। लौकिक संस्कृत उसी प्राचीन भाषा का ही साहित्यिक रूप था और पाली उस प्राचीन भाषा की एक विकसित बोली का साहित्यिक रूप। हम दोनों की ध्वनियों का दिव्यर्थन मात्र करावेंगे। पाणिनि के चौदह शिव-सूत्रों में घड़े सुन्दर ढंग से परवर्ती साहित्यिक संस्कृत की ध्वनियों का वर्गीकरण किया गया है। उसका भाषा-वैशानिक क्रम देखकर उसे घुणाकारन्यायेन बना कभी नहीं कहा जा सकता। उसमें भारतीय वैशानिकों का तप निहित है। वे सूत्र ये हैं—

१—अइउण्	८—भभञ्
२—ऋत्तुक्	९—घठधृप्
३—एओङ्	१०—जवगङ्गदश्
४—ऐओच्	११—खफछृठथचटतव्
५—हयवरट्	१२—कपय्
६—लण्	१३—शपसर्
७—जमडणनम्	१४—हल्

पहले चार सूत्रों में स्वरों का परिणाम हुआ है। उनमें से भी पहले तीन में समानाकार गिनाए गए हैं।

(१) अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, लु, ए, ओ—ये ग्यारहों वैदिक काल के समानाकार हैं; परवर्ती काल में वे का उच्चारण संबृत व होने लगा था और ऋ तथा लु का प्रयोग क्रम और उच्चारण संदिग्ध हो चला था।

(२) चौथे सूत्र में दो संध्यकार आते हैं। ऐ, ओ।

(३) पाँचवें और छठे सूत्रों में प्राण-ध्वनि ह और चार अंतःस्थ वणों का नामोदेश मिलता है। अ, इ, उ, ऊ, लु के क्रमशः वरावरी

वाले व्यंजन ह, य, व, र, ल हैं। स्वरों के समान ये पाँचों व्यंजन भी घोष होते हैं।

(४) सातवें सूत्र में पाँचों अनुनासिक व्यंजनों का वर्णन है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि स्वर और व्यंजनों के बीच में अंतस्थ और अनुनासिक व्यंजनों का आना सूचित करता है कि इतनी ध्वनि आकृतिक भी हो सकती है।

(५) इसके बाद ८, ६, १०, ११ और १२ सूत्रों में २० स्पर्शव्यंजनों का परिगणन है। उनमें भी पहले ८, ६, १० सूत्रों में घोषव्यंजनों का वर्णन है; उन घोष-स्पर्शों में से भी पहले महाप्राण घ, झ, छ, ध, भ आते हैं तब अल्पप्राण ज, व, ग, ड, द आते हैं। फिर ११ और १२ सूत्रों में अघोष स्पर्शों का वर्णन महाप्राण और अल्पप्राण के कम से हुआ है—ख, फ, छ, ठ, थ और क, च, ट, त, प।

(६) १३ और १४ सूत्र में अघोष सोध्म वर्णों का उल्लेख है—श, प, स और ह। संस्कृत में ये ही घर्ष-व्यंजन हैं। इन्हें ही ऊँझा कहते हैं। अंतिम सूत्र हल ध्यान देने योग्य है। बीच में पाँचवें सूत्र में ग्राण-ध्वनि ह की गणना की जा चुकी है। यह अंत में एक नया सूत्र रखकर अघोष तीन सोध्म ध्वनियों की ओर संकेत किया गया है। विसर्जनीय, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय ये तीन प्राण-ध्वनि ह के ही अघोष रूप हैं।

इस प्रकार इन सूत्रों में क्रम से चार प्रकार की ध्वनियाँ आती हैं—पहले स्वर; फिर ऐसे व्यंजन जो स्वनंत स्वरों के समानधर्मा (corresponding) व्यंजन हैं; तब स्पर्श-व्यंजन और अंत में घर्ष-व्यंजन। आजकल के भाषा-वैज्ञानिक भी इसी क्रम से वर्णों का वर्गीकरण करते हैं।

(१) अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, झू, ल, प, ओ, ऐ, औ।

(२) ह, य, व, र, ल, ड, ङ, ण, न, म।

(३) क, ख, ग, घ; च, छ, ज, झ इत्यादि वीसों स्पर्श।

(४) श, प, स, ह।

पाली ध्वनि-समूह

पाली में दो स्वर अ आ इ ई उ ऊ ऐ ए ओ शो पाए जाते हैं। झ, झू, ल, पे, औ का सर्वथा अभाव पाया जाता है।) झू के स्थान में अ, इ अथवा उ का प्रयोग होता है। ऐ औ के स्थान में पाली में ए औ हो जाते हैं। संयुक्त व्यंजनों के पहले हस्त ऐ औ भी मिलते हैं। धैदिक संस्कृत की किसी किसी विभाषा में हस्त ऐ औ मिलते थे पर साहित्यिक धैदिक तथा पर्वती संस्कृत में तो उनका सर्वथा अभाव हो।

गया था (तेपां हस्याभावात्)। पाली के बाद हस्य ऐ श्रो प्राकृत और अपभ्रंश में से होते हुए हिंदी में भी आ पहुँचे हैं। इसी से कुछ लोगों की कल्पना है कि हस्य ऐ श्रो सदा बोले जाते थे पर जिन प्रकार पाली और प्राकृत तथा हिंदी की साहित्यिक भाषाओं के व्याकरणों में हस्य ए ओ का वर्णन नहीं मिलता उसी प्रकार वैदिक और लौकिक संस्कृत के व्याकरणों में भी ऐ श्रो का हस्य रूप नहीं गृहीत हुआ, पर वह उच्चारण में सदा से चला आ रहा है।

व्यंजन

पाली में विसर्जनीय, जिहामूलीय तथा उपधमानीय का प्रयोग नहीं होता। अंतिम विसर्ग के स्थान में ओ तथा जिहामूलीय और उपधमानीय के स्थान में व्यंजन का प्रयोग पाया जाता है; जैसे—सावको, दुक्खा, पुनर्पुनर्नम्।

अनुस्थार का अनुनासिक व्यंजनवत् उच्चारण होता था।

पाली में श, ष, स तीनों के स्थान में स का ही प्रयोग होता था। पर पश्चिमोत्तर के शिलालेखों में तीनों का प्रयोग मिलता है। परवर्ती काल की मध्यदेशीय प्राकृत में शर्थात् शौरसेनी में तो निश्चय से केवल स का प्रयोग होने लगा।

संस्कृत के अन्य सभी व्यंजन पाली में पाए जाते हैं। तालव्य और वर्तस्य स्पर्शों का उच्चारण-स्थान थोड़ा और आगे बढ़ आया था। पाली के काल में ही वर्तस्य वर्ण अंतर्दृत्य हो गए थे। तालव्य स्पर्श-वर्ण उस काल में तालु-वर्तस्य घर्ष-स्पर्श वर्ण हो गए थे। तालव्य व्यंजनों का यह उच्चारण पाली में प्रारंभ हो गया था और मध्य प्राकृतों के काल में जाकर निश्चित हो गया। अंत में किसी किसी आधुनिक देश-भाषा के प्रारंभ-काल में वे ही तालव्य च, ज दृत्य घर्ष-स्पर्श ts, ds और दंत्य ऊर्ध्म स, झ हो गए।

प्राकृत ध्वनि-समूह

पाली के पीछे की प्राकृतों का ध्वनि-समूह ग्रायः समान ही पाया जाता है। उसमें भी वे ही स्वर और व्यंजन पाए जाते हैं। विशेषकर शौरसेनी प्राकृत तो पाली से सभी धातें में मिलती हैं। उसमें पाली के ड़, ढ़ भी मिलते हैं। पर न और य शौरसेनी में नहीं मिलते। उनके स्थान में ण और ज हो जाते हैं।

अपभ्रंश का ध्वनि-समूह

अपभ्रंश काल में आकर भी ध्वनि-समूह में कोई विशेष अंतर नहीं देख पड़ता। शीरसेन अपभ्रंश की ध्वनियाँ प्रायः निम्नलिखित थीं—

स्वर

	परच	अग्र
सहृत ईपत्सहृत	ऊ, उ, ओ, ओ	उ, ए
इपत्विहृत निहृत	अ आ	ए, ए

व्यंजन

काक्लन	कठ्ठ	मूँझन्य	तालव्य	ताजु यर्त्तन्य	तार्त्तल	अताल	द्वयोऽप्त्त
स्पर्श सप्राण स्पर्श स्पश घर्ष	क, ग ख, घ	ट ढ ठ ढ		व जे छ भ	त द य ध	प व फ भ	
अनुनासिक पाश्विक उस्त्रिक्त घर्ष अर्थात् सेषम अर्ध स्वर	ह	व ङ, ङ		अ ल र	न्ह, न न्ह, म	स व, वं थ	

हिंदी ध्वनि-समूह

ये अपभ्रंश-काल की ध्वनियाँ (१० स्वर और ३७ व्यंजन) सभी पुरानी हिंदी में मिलती हैं। इनके अतिरिक्त ये (अपु) और ओ (अओ) इन दो संस्कृतरूपों का विकास भी पुरानी हिंदी में मिलता है। विदेशी भाषाओं से जो व्यंजन आए थे वे सब तद्रव बन गए थे। अंत में

आधुनिक हिंदी का काल आता है। उसमें स्वर तो वे ही पुरानी हिंदी के १२ स्वर हैं, पर व्यंजनों में बृद्धि हुई है। क्, ग्, ख्, ज्, फ् के अतिरिक्त आँ तथा श आदि अनेक ध्वनियाँ तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होने लगी हैं। केवल ऋ, प, झ् ऐसे व्यंजन हैं जो नागरी लिपि में हैं और संस्कृत तत्सम शब्दों में आते भी हैं पर वे हिंदी में शुद्ध उच्चरित नहीं होते; अतः उनका हिंदी में अभाव ही मानना चाहिए। इन हिंदी ध्वनियों का विवेचन पीछे हो चुका है।

हिंदी के ध्वनि-विकारों का ऐतिहासिक अध्ययन करने के लिये उसकी पूर्ववर्ती सभी आर्य भाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक है। अभी जब तक इन सब भाषाओं का इस प्रकार का अध्ययन नहीं हुआ है तब तक यह किया जाता है कि संस्कृत की ध्वनियों से हिंदी की ध्वनियों की तुलना करके एक साधारण ऐतिहास बना लिया जाता है; क्योंकि संस्कृत प्राचीन काल की और हिंदी आधुनिक काल की प्रतिनिधि है। हिंदी-ध्वनियों का विचार तो तभी पूर्ण हो सकेगा जब मध्यकालीन भाषाओं का भी सुंदर अध्ययन हो जाय।*

रूप-विचार

जिस प्रकार हिंदी के ध्वनि-विचार का दिग्दर्शन मात्र यहाँ कराया गया है उसी प्रकार रूप-विचार का वर्णन भी हम संक्षेप में ही दे सकेंगे।

(हिंदी विभक्ति-प्रधान भाषा है अतः हिंदी का रूप-विचार विभक्तियों का विवेचन मात्र होगा। विभक्ति का विचार हिंदी की संशा, सर्वनाम और क्रिया में ही मुख्यतः होता है अतः इन्हीं तीनों का हम आगे विचार करेंगे।

हिंदी के विद्वानों में विभक्तियों के संबंध में बहुत मतभेद है। कोई इन्हें प्रत्यय मानते हैं और इसी आधार पर इन्हें मूल शब्दों के साथ

विभक्तियों मिलाकर लिखते हैं; परंतु दूसरों का मत इसके विरुद्ध है। उनका कहना है कि विभक्तियाँ स्वतंत्र शब्दों से उत्पन्न हुई हैं। जिस रूप में वे इस समय वर्तमान हैं, वह उनका संक्षिप्त रूप है। कुछ भी हो, हम यहाँ पर यह दिखलावेंगे कि विभक्तियों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है।

* हिंदी के रूप-विकारों का थोड़ा और परिचय प्राप्त करने के लिये भाषा-रहस्य देखिए।

(१) कर्त्ता—कर्त्ता कारक की विभक्ति किसी आधुनिक आर्य भाषा में नहीं है। हिंदी में जब सर्वमेक क्रिया भूतकाल में होती है, तब कर्त्ता के साथ 'ने' विभक्ति लगती है। यह 'ने' विभक्ति परिचयी हिंदी का एक विशेष चिह्न है। पूर्वी हिंदी में इसका पूर्ण अभाव है। यह 'ने' घास्तव में करण का चिह्न है, जो हिंदी में गृहीत कर्मवाच्य रूप के कारण आया है। इसका प्रयोग संस्कृत के करण कारक के समान साधन के अर्थ में नहीं होता; इसलिये हम 'ने' को करण कारक का चिह्न नहीं मानते। करण कारक का चिह्न हिंदी में 'से' है। (संस्कृत में करण कारक का 'इन' प्राकृत में 'एण' हो जाता है। इसी 'इन' का वर्ण-विपरीत हिंदी रूप 'ने' है।)

(२) कर्म और संप्रदान कारक—इन कारकों की विभक्ति हिंदी में 'को' है। इन दोनों कारकों के प्रयोग में स्पष्टता न होने के कारण प्रायः इनका परस्पर उलट-फेर हो जाता है। यह हिंदी के लिये नई बात नहीं है। करण, अपादान और अधिकरण कारकों में प्रायः उलट-फेर हिंदी की पूर्ववर्त्तीय भाषाओं में भी हो जाता है। संस्कृत में सात कारक हैं—कर्त्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संवंध और अधिकरण। पर संस्कृत वैयाकरण संवंध को कारक नहीं मानते। प्राकृतों में संप्रदान का प्रायः लोप हो गया है। साथ ही प्राकृतों में यह भी प्रवृत्ति देखी जाती है कि अन्य कारकों के स्थान में संवंध का प्रयोग होता है। इस प्रकार कारकों के केवल दो ही प्रत्यय अर्थात् कर्त्ता और संवंध के रह जाते हैं। अपम्रंश में इस प्रकार एक कारक को कई का स्थानापन्न बनाने की प्रवृत्ति अधिक स्पष्ट देख पड़ती है। हेमचंद्र ने स्पष्ट लिखा है कि अपम्रंश में संवंध कारक के प्रत्यय से ही अपादान और संवंध दोनों का धोध होता है। आधुनिक भाषाओं में शब्दों के दो रूप हो जाते हैं—एक कर्त्ता का अविकारी रूप और दूसरा अन्य कारकों भी विकारी अर्थात् कारक-चिह्नाही रूप। इससे भिन्न भिन्न कारकों के प्रयोग में स्पष्टता हो जाती है; और इसे बनाए रखने के लिये आधुनिक भाषाओं में कारक-चिह्न-आही रूपों में भिन्न भिन्न विभक्तियाँ लगाई जाती हैं। परंतु प्राकृतों तथा अपम्रंशों में कारकों के लोप अर्थात् एक दूसरे में लीन हो जाने के कारण आधुनिक हिंदी में कर्मे और संप्रदान तथा करण और अपादान कारकों की एक ही विभक्ति रह गई है।

वीम्स साहच का कथन है कि 'को' विभक्ति संस्कृत के 'कक्षे' शब्द से निकली है, जिसका विकार क्रमशः इस प्रकार हुआ है—कक्ष, काँख, काँह, काहूँ, काहूँ, कहूँ, कौँ, कौँ और अंत में को। परंतु जिस अर्थ में

'को' विभक्ति आती है उसमें, 'कते' का प्रयोग संस्कृत साहित्य में कहाँ नहीं मिलता। अतः आधुनिक रूप के आधार पर एक अप्रसिद्ध मूल की कल्पना करना उल्टी गंगा बहाना है। दूसरे लोग अम्हाकं, अम्है, तुम्हाकं, तुम्है, से हमको, हमें, तुमको, तुम्हें की उत्पत्ति मानकर इसी 'कं' या 'आकं' की ओर शब्दों में अतिव्याप्ति स्वीकार करते हैं।

संस्कृत की 'कृ' धातु से 'कृत' शब्द बनता है। इसका कारण कारक का रूप 'कृतेन' और अधिकरण कारक का रूप 'कृते' होता है। ये दोनों कृतेन और कृते संप्रदान कारक का भाव प्रकट करते हैं; जैसे— देवदत्तस्य कृते = देवदत्त के लिये। हेमचंद्र अपने व्याकरण (४। ४२५) में लिखते हैं कि अपभ्रंश में 'केहि' निपात (अव्यय) तादर्थ्य (= के लिये) में प्रयुक्त होता है जो संप्रदान कारक का अर्थ प्रकट करता है। संस्कृत के कृत से अपभ्रंश का 'कथ' होता है, जिसका करण बहुवचन या अधिकरण एक वचन रूप 'कथहि' या 'कयहि' होता है। हेमचंद्र जिस 'केहि' का उल्लेख करते हैं, वह वास्तव में इसी 'कथहि' या 'कयहि' का विकृत रूप है। इसी 'केहि' से आधुनिक भाषाओं की संप्रदान कारक की विभक्तियाँ किहीं, कै, कू, कौ, को, काहु, किनु, गे, खे, कु, के, का आदि बनी हैं। हिंदी में इस 'को' विभक्ति के रूप व्रजभाषा और अवधी में 'कहँ', 'काँ', 'के कुँ', 'कुँ', 'कौ', 'कड़' और 'कै' होते हैं। इन्हाँ 'कहँ' 'को' आदि से आधुनिक हिंदी की 'को' विभक्ति बनी है; अतएव यह स्पष्ट हुआ कि (हिंदी की 'को' विभक्ति संस्कृत के कृते या कृतेन शब्द से अपभ्रंश में 'केहि' होती हुई हिंदी में 'को' हो गई है।) कुछ लोग अपभ्रंश के 'केहि' निपात को कर + हि के संयोग से बना हुआ मानते हैं, जो कमशः संवंध और संप्रदान कारक के प्रत्यय माने जाते हैं।

(३) करण और अपादान—हिंदी में इनकी विभक्ति 'से' है। दोनों कारकों की एक ही विभक्ति होने का ठीक कारण नहीं जान पड़ता। पाली में इन दोनों का बहुवचनांत रूप एक सा होता है। संभव है, इसी उपमान से इनमें अभेद कर लिया गया हो। अधिकांश विद्वान् इसकी व्युत्पत्ति प्राकृत की 'सुंतो' विभक्ति से वताते हैं। प्राचीन हिंदी में अपादान के लिये तै तथा सैंती और हुँत, हुँते आदि विभक्तियाँ भी आई हैं। यह 'सैंती' तो स्पष्ट सुंतो से निकली है और हुँत, हुँते प्राकृत की विभक्ति हिंतो से। से विभक्ति भी सुंतो से निकली हुई जान पड़ती है। चंद वरदाई के पृथ्वीराज रासो में कई स्थानों पर 'सम' शब्द 'से' के अर्थ में आया है; जैसे—

कहै कंति सम कंत। (१—११)

कहि सनिकादिक इंद्र सम । (२—११०)

बलि लगौ जुध इंद्र सम । (२—२१८)

‘यह ‘सम’ संस्कृत के सह का पर्याय है और इसी से आगे चलकर ‘सन’ वना है जिसका प्रयोग अवधी में प्रायः मिलता है। अतएव यहुतों का मत है कि सम से सन तथा सन से सौं, से और अंत में ‘से’ हो गया है। पर रासो में ‘से’, ‘सम’, ‘हुँतो’ आदि रूप का एक साथ मिलना यह सूचित करता है कि ये सब स्वतंत्र हैं; कोई किसी से निकला नहीं है।

(४) संवंध-कारक—इसकी विभक्ति ‘का’ है। घाय्य में जिस शब्द के साथ संवंध-कारक का संवंध होता है, उसे भेद कहते हैं; और भेद के संवंध से संवंध कारक को भेदक कहते हैं। जैसे—‘राजा का धोड़ा’ में ‘राजा का’ भेदक और ‘धोड़ा’ भेद भै। हिंदी में भेद इस विभक्ति का अनुशासन करता है और उसी के लिंग तथा वचन के अनुसार इसके भी लिंग-वचन होते हैं। और सब विभक्तियाँ तो दोनों लिंगों तथा दोनों वचनों में एक सी रहती हैं, केवल संवंध-कारक की विभक्ति पुलिलंग एकवचन में ‘का’, खीलिंग एकवचन में ‘की’, और खीलिंग तथा पुलिलंग दोनों के यहुवचन में तथा पुलिलंग भेद के कारक-चिह्न-आही रूप के पूर्वे प्रयुज्यमान भेदक की ‘के’ होती है। इसका कारण यह है कि भेदक एक प्रकार से विशेषण होता है और विशेषण का विशेष्यनिन्म होना स्वाभाविक ही है। इसी विशेषता को ध्यान में रख-कर इसकी व्युत्पत्ति का विवेचन करना उचित होगा। इस विभक्ति की व्युत्पत्ति के संवंध में भी विद्वानों में कई मत हैं, जो नीचे दिए जाते हैं।

(क) संस्कृत में संहाश्रों में इक, ईन, ईय प्रत्यय लगने से तत्संवंधी विशेषण बनते हैं। जैसे, काय से कायिक, कुल से कुलीन, भारत से भारतीय। ‘इक’ से हिंदी में ‘का’, ‘ईन’ से गुजराती में ‘नो’ और ‘ईय’ से सिंधी में ‘जो’ तथा मराठी में ‘चा’ होता है।

(ख) प्रायः इसी तत्संवंधी अर्थ में संस्कृत में एक प्रत्यय “क” आता है; जैसे—मद्रक=मद्र देश का, रोमक=रोम देश का। प्राचीन हिंदी में ‘का’ के स्थान में ‘क’ पाया जाता है, जिससे यह जान पड़ता है कि हिंदी का ‘का’ संस्कृत के ‘क’ प्रत्यय से निकला है।

(ग) प्राकृत में ‘इदं’ (संवंध) अर्थ में ‘कैरओ’ ‘केरिश’ ‘केरक’ ‘केर’ आदि प्रत्यय आते हैं, जो विशेषण के समान प्रयुक्त होते हैं और लिंग में विशेष्य के अनुसार बदलते हैं। जैसे—फस्स केरकं पदं पवहणं (किसकी यह वहल है)। इन्हीं प्रत्ययों से पृथ्वीराज रासो की प्राचीन हिंदी के केरा, केरो आदि प्रत्यय निकले हैं जिनसे हिंदी के ‘का, के, की’

प्रत्यय बनते हैं। पर इन्हें प्रत्यय कहना उचित नहीं जान पड़ता। प्रत्यय जिस प्रष्टुति से लाया जाता है, वह निर्विभक्तिक होती है, उससे विभक्ति का लोप हो जाता है। परंतु यहाँ 'केरकं' के पहले 'कस्स' सविभक्तिक है। हेमचंद्र ने 'केर' प्रत्यय (२१४७) और संबंधिवाचक 'केर' शब्द (४४२२) दोनों का उल्लेख किया है। तुम्हकेरो, अम्हकेरो, तुज्ञ वप्पकेरको (मृच्छक०) आदि में प्रयुक्त 'केर' को प्रत्यय और 'कस्स केरकं' के 'केर' को स्वतंत्र पद समझना चाहिए। हिंदी 'किसका' ठीक 'कस्स केरकं' से मिलता है। किस, 'कस्स' ही का विकार है। अतः 'किसका' में दुहरी विभक्ति की कल्पना करके दैंकना चूथा है।

(घ) प्राकृत इदमर्थ के घ, इक्क, पञ्चव आदि प्रत्ययों से ही रूपांतरित होकर आधुनिक हिंदी के 'का, के, की' प्रत्यय हुए हैं।

(ङ) सर्वनामों के 'रा, रे, री' प्रत्यय केरा, केरो आदि प्रत्ययों के आध 'क' का लोप हो जाने से घने हैं।

यही भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ कुछ तथ्यांश प्रत्येक मत में जान पड़ता है, परंतु प्राकृत इदमर्थवाची केरओ, केरिअ, केरकं आदि से हिंदी की संबंध कारक की विभक्ति का निकलना [देखो ऊपर (ग)] अधिक युक्तिसंगत जान पड़ता है। इस कृत का वोलचाल की प्राकृत में, जिसका स्वाभाविक रूप भास के नाटकों में रक्षित है, 'केरओ' होता है। मृच्छकटिक की पंडिताऊ प्राकृत में यही 'केरकं' के रूप में मिलता है। हेमचंद्र में यही 'केर' के रूप में मिलता है (द०—संबंधिनि केरतणौ—हेमचंद्र) और उससे पहले धनपाल में यही 'केरा' 'केरी' के रूप में मिलता है। पृथ्वीराजरासो में भी यह 'केरो' 'केरी' है।

दौरे गज अंध चहुआन केरो। भिदी दृष्टि से दृष्टि चहुआन केरी। अक्षरों तथा भाषाओं के क्रमशः विकार और लोप होने से इससे अवधी के "केरा, केरी, केर, कै, क" रूप हुए—जैसे,

यह सब समुद बुंद जेहि केरा।—जायसी।

औ जमकात किरै जम केरी।—जायसी।

हा पंडितन केर पछलगा।—जायसी।

राम ते अधिक राम कर दारा।—तुलसी।

धनपति उहे जेहि क संसारा।—तुलसी।

पश्चिमी की 'का—के—की' विभक्तियाँ प्राकृत अप्रमंशों से उतना मेल नहीं खातीं जितनी पूर्वी की देख पड़ती हैं। फिर भी 'केर' के 'र' के लोप हो जाने से 'के' का आविर्भाव सुगमता से हो जाता है, और

जिस प्रकार पूर्वी का 'क' निकलता है उसी प्रकार खड़ी वाली का 'का, के, की', ब्रज का 'कौ' और कश्मीरिया का 'को' भी निकल सकता है। पूर्व और पश्चिम की उच्चारण-भिन्नता भी इम भेद का कारण हो सकती है। यह तो स्पष्ट ही है कि पश्चिमी शब्दों के 'केरो' और पूर्वी आकार-प्रियता जायसी के 'केरा' के लिये उत्तरदायी है।

डाक्टर भंडारकर ने 'कीय' से 'केर' के निकालने में रूपवाधा मानी है इसलिये ये 'कार्य' से इन रूपों को निकालते हैं, पर यदि विचार किया जाय तो इस व्युत्पत्ति में भी वाधा है। संबंध भूत वस्तु है और कार्य भविष्य। संबंध हो चुका होता है और कार्य होनेवाला होता है। यदि 'कीय' से 'केर' की उत्पत्ति में रूप वाधा थी तो 'कार्य' में अर्थवाधा उपस्थित होती है। पर जैसा कि ऊपर कहा गया है 'कृत' को मूल मानने से कोई भी वाधा उपस्थित नहीं होती।

कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि इस प्रकार का अर्थ विपर्यय संस्कृत में भी बहुधा हुआ है, अतएव यहाँ भी उसके मानने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये विद्वान् पूर्वी 'केरो, फेर, कर, क' का 'कृत' से 'केरो, करो' होते हुए तथा पश्चिमी 'कौ, को, का, के, कु' को 'कृत' से 'कौ, किओ, किरो' होते हुए मानते हैं। यह भी हो सकता है और वह भी हो सकता है। पर जैसा कि हम कह चुके हैं संगति 'कृत' से 'केरओ, केरिओ, फेरक' आदि होते हुए इन रूपों को निकालने में ही वैठती है।

दूसरे विद्वानों का कहना है कि संबंध कारक की विभक्तियों में लिंग-घचन के अनुसार रूपांतर होने के कारण यह स्पष्ट है कि ये विभक्तियाँ वास्तव में विशेषण थीं और प्रारंभ में इनमें कारकों के कारण विकार होता था। अतएव 'का' विभक्ति का पूर्व रूप भी विशेषण का सा ही रहा होगा। संस्कृत कृधातु के कृदंत रूप कृतः का अपभ्रंश में केरा, किरो, किओ, को और कयो होता है। इन अपभ्रंश रूपों को हम दो विभागों में विभक्त कर सकते हैं—

(१) को, किओ, किरो।

(२) केरो, करो।

प्रथम श्रेणी के रूप स्पष्टतः संस्कृत के कृतः से निकले हैं। इसी का शौटसेनी अपभ्रंश रूप 'किरो' है। द्वितीय श्रेणी में केरो का प्रयोग तो अपभ्रंश में मिलता है, पर करो का नहीं मिलता। आयुनिक भाषाओं में इसके मिलने से यह मानना पड़ता है कि या तो इस रूप का प्रयोग था, अथवा यह केरो से विकृत होकर बना है। योम्स और हार्नली का मत है कि संस्कृत के कृतः से ग्राहृत में करिओ हुआ जिससे केरो बना।

कोई कोई प्राकृत के 'करिओ' को संस्कृत के 'कार्यः' से निकला हुआ मानते हैं। संभवतः इसका पुराना रूप 'करिद' न कि 'करिथ' हो सकता है; पर 'करिद' से 'केर' नहीं निकल सकता। यदि हम इसे 'कार्यः' से निकालते हैं, तो इसके अर्थ में वाधा उपस्थित होती है। शृङ्खलः भूत शृङ्खल का रूप है और कार्यः भविष्य शृङ्खल का। भूत और भविष्य के भावों में बहुत भेद है; अतएव एक ही अर्थ के धोतक शब्द को दोनों से निकला हुआ मानना ठीक नहीं। पर संस्कृत में भी इस प्रकार अर्थ का विपर्यय होता है। अतः केरों और करों को सं० कार्यः, प्रा० करिओ से निकला हुआ मानने में कोई अड़चन नहीं है। अतएव यह स्पष्ट है कि प्रथम श्रेणी के प्राकृत प्रत्ययों से कौ, को, का, के, कु निकले हैं और दूसरी श्रेणी के प्रत्ययों से केरो, केर, कर, क के निकले हैं।

पर इन व्युत्पत्तियों का आधार अनुमान ही अनुमान है। अतः हम इनके परम मूल की गवेषणा छोड़कर फेवल(प्राकृत के 'केर' 'क्ष' भव्य और अपभ्रंश के 'केर' या 'केरक' शब्द से ही इनकी व्युत्पत्ति मानकर संतोष करें तो अच्छा है।) जिस प्रकार 'बलीवर्द' के दो खंडों—बली और वर्द से कमशः वैल और वर्द पर्यंत 'द्वे' के दो खंडों द और वे से कमशः हिंदी 'दो' और गुजराती तथा पुरानी हिंदी 'वे' निकले हैं, वैसे ही 'केरक' से केर (पश्चिमी अवधी 'रामकेर', 'पर' (बँगला), 'क' (भोज-पुरिया और पूर्वी अवधी) और 'का' का उत्पन्न होना कोई आश्चर्य नहीं।

(५) अधिकरण कारक—हिंदी में इसका चिह्न 'में' है। यह संस्कृत के 'मध्ये' से निकला है।) प्राकृत और अपभ्रंश में इसके मज्जे, मजिम, मज्जहिं रूप होते हैं।) इन्हीं रूपों से आधुनिक भाषाओं की विभक्तियों के दो प्रकार के रूप घन गण हैं—एक घह जिसमें भ घना हुआ है; और दूसरा घह जिसमें भ के स्थान में ह हो गया है। इन्हीं रूपों से मज्जि, मर्ज्जि, माहौं, मर्हौं, मर्ही, माह, मर्ह, मर्हि, मर्हि और में रूप घने हैं। यह थीम्स तथा हार्नली का मत है।

वस्तुतः 'में' को पाली, प्राकृत के स्मि, मिह, मिम से ही उद्भृत मानना चाहिए। प्राकृत अथवा संस्कृत में जहाँ जहाँ 'मज्जहिं' या 'मध्ये' का प्रयोग हुआ है, वहाँ वहाँ उसके पूर्व में पट्टी विभक्ति वर्तमान रहती है; अतः उसे मध्य शब्द का अर्थानुरोध से प्रयुक्त स्वतंत्र रूप ही समझना चाहिए, न कि अधिकरणता-योधक विभक्ति। दूसरे 'पृथ्वी-राज रासो' आदि प्राचीन हिंदी काव्यों में साथ ही साथ 'माझ' आदि तथा 'में' का प्रयोग देखकर यह कोई नहीं कह सकता कि 'मध्य' से विसाकर 'में' उत्पन्न हुआ है। अतः 'मिम' से ही 'में' निकला है, इसमें

संशय नहीं। इसी 'मिम' का केवल 'इ' अपभ्रंश में आता है। इसका सार यह निकला कि माझे, महँ आदि 'मध्य' और 'मैं', मिम से व्युत्पन्न हुए हैं।

इस प्रकार हिंदी विभक्तियों की उत्पत्ति संस्कृत तथा प्राकृत के शब्दों, विभक्तियों और प्रत्ययों से हुई है।) यहाँ पर हम एक बात पर पुनः ध्यान दिलाना चाहते हैं। हम पहले यह बात लिख चुके हैं कि भारतवर्ष की आधुनिक आर्यभाषाओं के दो मुख्य समुदाय हैं—एक यहि-रंग और दूसरा अंतरंग; और एक तीसरा समुदाय दोनों का मध्यवर्ती है। यहिरंग और अंतरंग समुदाय की भाषाओं में यह बड़ा भेद है कि पहली संयोगावस्था में है और दूसरी वियोगावस्था में, अर्थात् पहली के कारक रूप प्रायः प्रत्यय लगाकर बनते हैं और दूसरी के कारक रूपों के लिये सहायक शब्दों की आवश्यकता होती है। जैसे—हिंदी में कारक रूप बनाने के लिये 'घोड़ा' संज्ञा के साथ विभक्ति लगाकर घोड़े का, घोड़े को आदि बनाते हैं। हम यह भी दिखला चुके हैं कि ये 'का, को' आदि स्वतंत्र शब्द थे; पर क्रमशः अपनी स्वतंत्रता खोकर अब सहायक मात्र रह गए हैं। इसके विपरीत वृंगला भाषा को लीजिए, जिसमें 'घोड़े का' के स्थान में 'घोड़ार' और 'घोड़े को' के स्थान में 'घोड़ारे' होता है। यहाँ र और रे प्रत्यय लगाकर कारक के रूप बनाए गए हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि एक अवस्था में स्वतंत्र शब्द सहायक बन जाने पर भी अपनी अलग स्थिति रखते हैं; और दूसरी अवस्था में वे प्रत्यय बनकर शब्दों के साथ मिलकर उसके अंग बन गए हैं।

प्रायः (भाषायैं अपने विकास की अवस्था में पहले वियोगात्मक होती हैं और क्रमशः विकसित होते होते संयोगात्मक हो जाती हैं।) यहिरंग भाषायैं भी आरंभ में वियोगात्मक अवस्था में थीं; पर क्रमशः विकसित होती हुई वे संयोगात्मक हो गईं। अर्थात् प्रथम अवस्था में शब्द अलग अलग रहते हैं; और दूसरी अवस्था में वे विकृत शब्दों के साथ मिलकर उनके अंग बन जाते हैं तथा भिन्न भिन्न संवर्धों को सूचित करते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जो पहले केवल संग लगे रहते थे, वे अब अंग हो गए हैं। हम यह बात एक उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं। परंतु ऐसा करने के पहले हम प्राकृत और अपभ्रंश के एक मुख्य नियम पर ध्यान दिला देना चाहते हैं। प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में कुछ व्यंजन, जिनमें क और त सम्मिलित हैं, जब किसी शब्द के बीच में दो स्वरों के मध्य में आते हैं, तब उनका लोप हो जाता है। परंतु यदि वे किसी शब्द के आरंभ में आते हैं, तो उनका लोप नहीं होता, चाहे उनके पूर्ववर्ती शब्द के अंत में स्वर हो और उनके पीछे भी

स्वर हो; जैसे चलति का चलइ होता है। इस शब्द के स्वरों और व्यंजनों को अलग करने से ऐसा रूप होता है—च् + अ + ल् + अ + त् + इ। अब त् अक्षर अ और इ के बीच में आया है, इसलिये उसका लोप हो गया है। एक दूसरा उदाहरण लीजिए—कामस्स तत्त (= कामस्य तत्त्व)। इसमें तत्त के प्रथम त का लोप नहीं हुआ, यद्यपि कामस्स का अंतिम स अकारांत है और ‘त’ स्वयं भी अकारांत है। यहाँ इसका लोप इसलिये नहीं हुआ कि यह शब्द के आरंभ में आया है। अतएव यह स्पष्ट हुआ कि ‘क’ या ‘त’ का लोप तभी होता है, जब वह शब्द के बीच में आता है। शब्द के आरंभ में उसका लोप नहीं होता। अब हम किअश्च, कर, करौ और तनौ इन तीन प्राचीन शब्दों को लेते हैं जो संवंध कारक के प्रत्यय बन गए हैं। हिंदी ‘घोड़े का’ ‘घोड़ा हि कश्च’ से बना है। यहाँ इस कश्च के क का लोप नहीं हुआ और वह आधुनिक ‘का’ रूप में ‘क’ सहित वर्तमान है। अतएव यह ‘का’ का ‘क’ एक स्वतंत्र शब्द का आरंभिक अक्षर है, जो घोड़े के साथ मिलकर एक नहीं हो गया है। इसलिये यह कारक चिह्न के रूप में वर्तमान है और व्याकरण के नियमानुसार प्रत्यय नहीं बन गया है। अब वँगला का ‘घोड़ा’ लीजिए जिसका अपन्नंश रूप ‘घोड़ा-कर’ है। इसमें ‘कर’ का केवल ‘अर’ रह गया है। यहाँ आरंभिक ‘क’ का लोप हो गया है। यह ‘क’ मध्यस्थ होकर लुप्त हुआ है; इसलिये यह स्वतंत्र न रहकर घोड़ा शब्द में लीन हो गया है। यहाँ यह कारकचिह्न न रहकर प्रत्यय बन गया है। वहिरंग भाषाओं में इस प्रकार के और भी उदाहरण मिलते हैं; पर विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, वहिरंग भाषाएँ संयोगावस्था में हैं; अतः उनके कारकों के सूचक सहायक शब्द उनके अंग बनकर उनसे संयुक्त हो गए हैं; और अंतरंग भाषाओं में, उनकी वियोगावस्था में रहने के कारण, वे वियुक्त रहे हैं। इस अवस्था में हिंदी के संश्ला-कारकों की विभक्तियों को शब्दों से अलग रखना उनके इतिहास से सर्वथा अनुमोदित होता है। इस संवंध में जानने की दूसरी बात यह है कि अंतरंग भाषाओं में कारक चिह्न या विभक्ति लगाने के पूर्व शब्दों में बचन आदि के कारण विकार हो जाता है; पर वहिरंग भाषाओं में प्रत्यय लग जाने पर इन्हीं कारणों से विकार नहीं होता। यहाँ एक अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाए रखता है, और दूसरा अपना अस्तित्व सर्वथा खो देता है।

यह उपर्युक्त विचार हमने ग्रियर्सन प्रभृति विद्वानों के मतानुसार किया है। जिस प्रकार अंतरंग-वहिरंग भेद के प्रयोजक अन्य कारणों

का दैर्घ्य हम पहले दिखा चुके हैं, उसी प्रकार संयोगावस्था के प्रत्ययों और वियोगावस्था के स्वतंत्र शब्दों के भेद की कल्पना भी दुर्बल ही है अंतरंग मानी गई पश्चिमी हिंदी तथा अन्य सभी आधुनिक भाषाओं में संयोगावस्थापद्ध रूपों का आभास मिलता है। यह दूसरी बात है कि किसी में कोई रूप सुरक्षित है, किसी में कोई। पश्चिमी हिंदी और अन्य आधुनिक आर्य भाषाओं की स्पष्टता में स्पष्टतः हम यही भेद पाते हैं कि उसमें कारक चिह्नों के पूर्व विकारी रूप ही प्रयोग में आते हैं; जैसे—‘घोड़े का’ में ‘घोड़े’। यह ‘घोड़े’ घोड़हि (=घोटस्य अथवा घोटक+तृतीया वहुवचन विभक्ति ‘हि’=भिः) से निकला है। यह विकारी रूप संयोगावस्थापद्ध होकर भी अंतरंग मानी गई भाषा का है। इसके विपरीत यहिरंग मानी गई वँगला का ‘घोड़ार’ और विहारी का “घोटक” रूप संयोगावस्थापद्ध नहीं किंतु घोटक+कर और घोटक+क,—क से विस विसाकर बना हुआ संभिथण है। पुनर्व अंतरंग मानी गई जिस पश्चिमी हिंदी में वियोगावस्थापद्ध रूप ही मिलने चाहिए, कारकों का घोध स्वतंत्र सहायक शब्दों ही के द्वारा होना चाहिए, उसी में प्रायः सभी कारकों में ऐसे रूप पाए जाते हैं जो नितांत संयोगावस्थापद्ध हैं; अतएव वे विना किसी सहायक शब्द के प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण लीजिए—

कर्ता एकवचन—घोड़ो (अज०) घोड़ा (खड़ी बोलो) घर (अज० नपुंसक लिंग) ।

कर्ता वहुवचन—घोड़े (घोड़ेर घोड़हि = तृतीया वहुवचन, ‘मैं’ के समान प्रथमा में प्रयुक्तमान) ।

करण—आँखों (अभिखहिं, खुसुरु वाको आँखों दीर्घ—अमीर खुसरो) कानों (करणहि) ।

करण (-कर्ता)—मैं (ढोला मइं तुहुँ धारिआ; मैं सुन्हौ साहि धिन अंपि फीज—पृथ्वी०) तैं, मैंने, तैंने (दुहरी विभक्ति) ।

अधिकरण एकवचन—घरे, आगे, हिंडोरे (विहारीलाल), माघे (सूरदास) ।

अपादान एकवचन—भुखा (=भूख से, वाँगड़) भूखन, भूखों (अज०, कफ्तौजी) ।

दूसरे यहिरंग मानी गई पश्चिमी पंजाबी में भी पश्चिमी हिंदी के समान सहायक शब्दों का प्रयोग होता है—घोड़े दा (=घोड़े का), घोड़े ने, घोड़े नूँ इत्यादि। इससे यह निष्कर्ष निकला कि वँगला आदि में

पश्चिमी हिंदी से बढ़कर कुछ संयोगावस्थापन रूपावली नहीं मिलती; अतः उसके कारण दोनों में भेद मानना अयुक्त है।

अब हम हिंदी के सर्वनामों की व्युत्पत्ति पर विचार करेंगे।

इनमें विशेषता यह है कि इनमें से कुछ तो
सर्वनाम संयोगावस्था में हैं और कुछ वियोगावस्था में।

एक एक सर्वनाम को लेकर हम इस संवंध में विवेचन करेंगे।

(१) मैं, हम—संस्कृत के अस्मद् शब्द का कारक का रूप संस्कृत में 'मया', प्राकृत में 'मह' और अपभ्रंश में 'महै' होता है, जिससे हिंदी का 'मैं' शब्द बना है।) संस्कृत के अस्मद्-शब्द के कर्ता कारक का रूप संस्कृत में अहं, प्राकृत में 'अभिः' और अपभ्रंश में 'हृद्धँ' होता है, जिससे हिंदी का 'हौं' शब्द बना है। अतएव यह स्पष्ट है कि कविता का हौं (= मैं) प्रथमा का परंपरागत रूप है और आधुनिक 'मैं' तृतीया से बना है। बहुचर्चन में संस्कृत के 'वयं' का रूप लुप्त हो गया है, यद्यपि प्राकृत में वयं का वशं और पाली में मयं रूप मिलता है। पर अपभ्रंश में यह रूप नहीं देख पड़ता। बहुचर्चन में प्राकृत में, अहौं, अम्हों और अपभ्रंश में अम्हैँ, अम्हेहैँ आदि रूप मिलते हैं। अ का लोप होकर और म—ह में विपर्यय होकर 'हम' रूप बन गया है।) मार्क-डेय ने अपने प्राकृतसर्वस्व के १७ वें पाद के ४८ वें सूत्र में अस्मद् के स्थान में 'हमु' आदेश का उल्लेख किया है। परंतु उन्होंने यह रूप 'एकवचन में स्वीकार किया' है। अपभ्रंश के लिये इस प्रकार का वचन-व्यत्यय कोई नई वात नहीं। कारकग्राही या विकारी रूपों में हिंदी में दो प्रकार के रूप मिलते हैं। एक में हिंदी की विभक्ति लगती है और दूसरे में नहीं लगती। जैसे—कर्म कारक में मुझे और मुझको, हमें और हमको दोनों रूप होते हैं, पर अन्य कारकों में 'मुझ' के साथ विभक्ति अवश्य लगती है। मुझम् और मुझे प्राकृत और अपभ्रंश दोनों में मिलते हैं, जिससे हिंदी का मुझ रूप बना है। संवंध कारक में कृतः के केरौं, करौं रूपों के आरंभिक के लुप्त हो जाने से रो या रा अंश वच रहा है, जो कई भाषाओं में अब तक पष्ठी विभक्ति का काम देता है। इस-'रा' प्रत्यय के 'मे' में लगाने से 'मेरा' रूप बनता है और इसके अनुकरण पर बहुचर्चन का रूप बनता है। सारांश यह है कि अस्मद् से प्राकृत तथा अपभ्रंश द्वारा होते हुए ये सब रूप बनते हैं। परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि कारकग्राही रूपों में मुज़क रूप स्वयं कारक-प्रत्यय सहित है; पर हिंदी में इस वृत्त को भूलकर उसमें पुनः विभक्तियाँ लगाई गई हैं।

(२) तू, तुम, आप—इनमें से तू और तुम रूप युध्मद् से घने हैं। (संस्कृत के युध्मद् शब्द का कर्ता पक्वचन रूप प्राकृत में तुं, तुमं, और अपभ्रंश में तुह होता है, जिससे तू या तूं और तुम घने हैं।) इसी प्रकार कारकग्राही रूप भी प्राकृत और अपभ्रंश के तुजम के रूप से घने हैं। ('आप' रूप संस्कृत के आत्मन् शब्द से निकला है, जिसका प्राकृत अप्पा और अपभ्रंश रूप अप्पण होता है; और जो इसी अथवा अप्पन, अपन आदि रूपों में राजपूताने तथा मध्य प्रदेश आदि में अब तक प्रचलित है। शेष सब घने में और हम के समान ही हैं।

(३) यह—संस्कृत के एतद् शब्द के कर्ता का पक्वचन एवं होता है, जिसका प्राकृत में ऐसी और अपभ्रंश में एहो होता है। इसी से 'यह' के भिन्न भिन्न रूप जैसे—ई, यू, ए, एह आदि घने हैं। इस 'यह' का बहुवचन ये होता है, जो इस एतद् शब्द के अपभ्रंश रूप 'एह' से घना है। कुछ लोग इसे संस्कृत 'इदम्' से भी निकालते हैं, जिसका प्राकृत रूप अयं और अपभ्रंश 'आअ' होता है। इसका कारक-चिह्न-ग्राही रूप एतद् के प्राकृत रूप ऐसो, एस, एत्रस्स और अपभ्रंश 'एहसु' अथवा 'इदम्' के प्राकृत रूप अस्स और अपभ्रंश 'अयसु' से निकला है। संवंध कारक का रूप भी इसी कारक-चिह्न-ग्राही रूप के अनुसार होता है; केवल विभक्ति ऊपर से लगती है। सर्वनामों में यह विचिन्ता है कि उनका संवंध कारक का रूप संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश के पञ्चतं रूप से घनता है। पर इसमें कारक प्रत्यय का समावेश शब्द में हो जाता है और पुनः विभक्ति लगती है।

(४) वह, वे—ये संस्कृत के अदस् शब्द से निकले हैं जिनका प्राकृत रूप 'अह' 'अमू' और अपभ्रंश रूप 'ओइ' (बहुवचन) होता है जिससे आ, वै, ओ, यौ, वह, उह आदि रूप घने हैं। कारक-चिह्न-ग्राही तथा संवंध कारक का रूप प्राकृत 'अमुस्स' से निकला है।

(५) सो, ते—ये संस्कृत सः, प्राकृत सो, अपभ्रंश सो से निकले हैं। बहुवचन संस्कृत का 'ते' है ही। कारक-चिह्न-ग्राही तथा संवंध कारक का रूप संस्कृत तस्य, प्राकृत तस्स, तास, अपभ्रंश तासु, तसु से घना है।

(६) जो—संस्कृत यः, प्राकृत जो, अपभ्रंश जु। 'जो' प्राकृत से सीधा आया है। संवंध का विकारी रूप यस्य, जस्स—जासु, जासु जसु—से निकला है।

(७) कौन—संस्कृत को, प्राकृत को, अपभ्रंश कवण से बना है; और किस—संस्कृत कस्य, प्राकृत कस्स, कास, अपभ्रंश कासु से निकला है।

(८) क्या—संस्कृत किम्, अपभ्रंश काँ और काहि प्राकृत के अपादान कारक रूप 'काहे' से सीधा आया है।

(९) कोई—संस्कृत कोउपि, प्राकृत कोवि, अपभ्रंश कोवि अथवा को+हि के 'ह' के लोप हो जाने से बना है; और किसी कस्य, कस्स, कासु+ही (सं० हि) से व्युत्पन्न है।

इन सब सर्वनामों में, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, यह विशेषता है कि इन सबका विकारी रूप पष्टी या कहीं कहीं सप्तमी के रूप से बना है और उनके आदि कारक प्रत्यय उनके साथ में लगे हुए रहकर भी आयुनिक भाषाओं में आकर अपने व्यापार से च्युत हो गए हैं; इसलिये नई विभक्तियाँ लगाकर उन्हें कार्यकारी बनाया गया है। सबके बहुचरन एक ही प्रकार से 'न' या 'न्ह' से बने हैं। ये सब रूप एक ही ढँग से बने हैं। इनका कोई अपना स्वतंत्र इतिहास नहीं है; सब एक ही संचे में ढले हैं।

आयुनिक हिंदी में वास्तविक तिङ्दंत (साध्यावस्थापन) कियाओं का बहुत कुछ लोप हो गया है। ब्रजभाषा और अवधी में तो इनके रूप कियाएँ मिलते हैं, पर खड़ी बोली में यह बात नहीं रह

रह गई है। हाँ, आज्ञा या विधि की कियाएँ अवश्य इसमें भी शुद्ध साध्यावस्थापन हैं जिनमें लिंग-भेद नहीं होता। अब हिंदी में अधिकांश कियाएँ दो प्रकार से बनती हैं—एक तो 'है' की सहायता से और दूसरे भूतकालिक छुदंत के रूपों से। 'है' पहले वास्तविक किया थी और अब भी 'रहना' के अर्थ में उसका प्रयोग होता है; जैसे—'वह है'। पर इसका अधिकतर कार्य दूसरी कियाओं की सहायता करके उनके भिन्न भिन्न रूप बनाना तथा कालों की व्यवस्था करना है। जैसे—'वह जाता है', 'मैं गया था' इत्यादि। नीचे ब्रजभाषा और अवधी के उदाहरण देकर हम यह दिखालाते हैं कि कैसे उन दोनों भाषाओं में पहले स्वतंत्र कियाएँ थीं और अब उनका लोप हो जाने पर उनका स्थान छुदंत कियाओं ने अहण कर लिया है और उनका कार्य सहायक किया 'है' के द्वारा संपादित होता है।

पुरुष	संस्कृत	प्राइवेट	अपन्नांश	ब्रज-भाषा	अवधी	खड़ी बोली-
एकवचन				*		
उ० पु०	चलामि	चलामि	चलउ*	चलै	चलै	चलता हूँ
म० पु०	चलति	चलाति	चलदि चलइ	चलै	चलै	चलता है
अ० पु०	चलति	चलइ	चलदि, चलइ	चलै	चलै	चलता है
बहुवचन						
उ० पु०	चलामः	चलमो	चलहुँ, चलिहुँ	चलै	चलै	चलते हैं
म० पु०	चलय	चलइ	चलहुँ	चलै	चलहु	चलते हैं
अ० पु०	चलति	चलति	चलदि चलइ	चलै	चलै	चलते हैं

इन उदाहरणों में वर्चमान काल के 'चलता', 'चलती' आदि क्रियांशु वर्चमानकालिक धातुज विशेषण हैं। सं० चलन् (चलत) चलती आदि से इनकी उत्पत्ति हुई है। इनको देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि पहले 'है' का भाव क्रियाओं में ही सम्मिलित था, पर पीछे से खड़ी बोली में ये क्रियाएँ कुदंत रूप में आ गईं और भिन्न भिन्न पुरुषों, वचनों, कालों, प्रयोगों आदि का रूप सूचित करने के लिये 'है' के रूप साथ में लगाय जाने लगे। यही व्यवस्था भविष्यत् काल की भी है। हाँ, उसमें भेद यह है कि ब्रजभाषा में उसके दोनों रूप मिलते हैं, पर अवधी तथा खड़ी बोली में एक ही रूप मिलता है। यह बात भी नीचे दिए हुए कोष्ठक से स्पष्ट हो जाती है।

पुरुष	संस्कृत	प्राकृत	अपभ्रंश	ब्रजभाषा	अवधी	खड़ी बोली
एक०						
उ०पु०	चलिष्यामि	चलिस्सामि, चलिहिमि	चलिस्सउँ, चलिहिउँ	चलिहउँ चलूँगो	चलिहउँ	चलूँगा
म० पु०	चलिष्यसि	चलिस्ससि, चलिहिसि	चलिस्यहि, चलिसह चलिहिदि चलिहह	चलिहै, चलैगो	चलिहहि	चलेगा
आ०पु०	चलिष्यति	चलिसह चलिहिह	चलिस्सहि, चलिसह चलिहिहि, चलिहह	चलिहै, चलैगो	चलिहहि	चलेगा
बहु०						
उ०पु०	चलिष्यामः	चलिस्सामो चलिहिमो	चलिस्सहुँ चलिहिउँ	चलिहै, चलैगे	चलिहहि	चलेगे
म० पु०	चलिष्यथ	चलिस्सह, चलिहिह	चलिस्सहु, चलिहिहु	चलिहै, चलैगे	चलिहै	चलोगे
आ०पु०	चलिष्यंति	चलिस्संति, चलिहिंति	चलिस्सहिं चलिहिं	चलिहै, चलैगे	चलिहहि	चलेगे

में ठ या था रूप हो जाता है। हमारी हिंदी में भी 'स्थान' का 'थान' रूप बनता है। दूसरे लोग कहते हैं कि यह अस्त् धातु के 'स्थ' रूप से बना है। हमें पहला मत ठीक जान पड़ता है। 'स्था' धातु का सामान्य भूत (लुड़) में "अस्थात्" रूप होता है। उससे उसी काल का 'था' रूप घड़ी सुगमता से व्युत्पन्न हो सकता है। दूसरा मत इसलिये ठीक नहीं है कि "स्थ" वर्तमान काल के मध्यम पुरुष का व्युत्पन्न है। उससे भूतकालिक पकवचन 'था' की उत्पत्ति मानना द्रविड़ प्राणायाम करना है।

(३) गा—संस्कृत के गम् धातु का कृदंत रूप गतः होता है। इसका प्राकृत गाओ या गश्च होता है। इसी ग + श = गा से भविष्यत् काल का चिह्न 'गा' बनता है।) 'चलेगा' में 'गा' की क्या करतू है, सो देखिए। 'चलिष्यति' चलिस्सदि > चलिस्सइ > चलिसइ > चलि-हइ > चलिहि > चलिइ > चली (भोजपुरिया) रूप भी बनता है और चलि > चले भी बनता है। यह पिछला 'चले' यद्यपि स्वयं भविष्यत् काल का वोधक है, तथापि इतना विस गया है कि पहचाना तक नहीं जाता। अतः उसमें 'गा' जोड़कर उसे और व्यक्त बनाते हैं। इस अवस्था में इसका अक्षरार्थ यही हो सकता है कि 'चलने के निमित्त गया।'

अर्थ-विचार

यदि हिंदी शब्दों के अर्थों का इतिहास देखा जाय तो वड़ी मनो-रंजक कहानी प्रस्तुत हो सकती है। आज भी न जाने कितने शब्द भारो-पीय तथा अति प्राचीन वैदिक काल का स्मरण करा देते हैं, पर अब उनके अर्थों में बड़ा अंतर आ गया है। एक धर्म शब्द ही लिया जाय तो वह वेद से लेकर आज तक अनेक अर्थों में प्रयुक्त हो चुका है और यर्तमान हिंदी में उसका अर्थ रद्द गया है मजहब, रिलीजन (religion) अथवा संप्रदाय।

यदि समास और वाक्य-रचना आदि का विकास देखा जाय तो संस्कृत के काल से लेकर आज तक वहे परिवर्तन हुए हैं। हिंदी के शब्द-मांडार पर ही नहीं समास-रचना, वाक्य-रचना, आदि पर भी विदेशी प्रभाव पड़ा है। अतः यहाँ हम हिंदी अर्थ-विचार का उचित विवेचन न कर सकने पर भी विद्यार्थी का ध्यान उस अंग की ओर खींचना आघश्यक समझते हैं क्योंकि भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन पूर्ण और सांग पनाने के लिये अर्थ-विचार भी आघश्यक होता है।

जैसा हम आरंभ में कह चुके हैं, हमारे इस अध्याय के तीन भाग हो सकते हैं। पहले भाग में हमने ध्वनि-शिक्षा के आधार पर ध्वनियों

का इतिहास प्रस्तुत किया है। दूसरे भाग में व्याकरण में दिए हुए रूपों के आधार पर रूपों का विचार हुआ है। अब इस तीसरे भाग में शब्द-कोश के आधार पर शब्दों के अर्थों का वर्गीकरण तथा विवेचन होगा। इस प्रकार पहले हम ध्वनियों का विचार करते हैं, फिर वे ध्वनियाँ जिन रूपों में प्रयुक्त होती हैं उन पर हम विचार करते हैं और अंत में उन निष्पत्ति और प्रयुक्त शब्दों में भरे हुए अर्थों का विचार किया जाता है। ध्वनियों की गणना होती है, रूपों का भी व्याकरण में प्रायः परिणाम हो जाता है पर शब्द-भांडार तो यहाँ विशाल और वास्तव में गणनातीत होता है। भांडार न कहकर उसे तो सागर कहना चाहिए। और यदि शब्दसागर के सभी शब्दों का वर्गीकरण, विवेचन और व्युत्पत्ति देने लगें तब तो न जाने कितने हजार पृष्ठ लिखे जाने पर भी प्रकरण पूरा न होगा। हिंदी भाषा का इस प्रकार का अर्थ-विचार अपेक्षित है। तथापि अभी यहाँ पर तो हम इने गिने उदाहरण लेकर अपना काम छलावेंगे।

अर्थ के विचार से शब्दों के तीन प्रकार होते हैं—वाचक, लक्षक तथा व्यंजक। मुख्य और प्रसिद्ध अर्थ को सीधे सीधे कहनेवाला

वाचक कहलाता है। लक्षण अथवा लाक्षणिक शब्द के तीन में शब्द वात को लखा भर देता है, अभिमेत अर्थ को लक्षित मात्र करता है; और व्यंजक शब्द (मुख्य अथवा लक्ष्य अर्थ के अतिरिक्त) एक तीसरी वात की व्यंजना करता है; उससे प्रकरण, देश, काल आदि के अनुसार एक अनोखी ध्वनि निकलती है। उदाहरणार्थ यह मेरा घर है—इस वाक्य में घर शब्द वाचक है, अपने प्रसिद्ध अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, पर सारा घर खेल देखने गया है—इस वाक्य में 'घर' उसमें रहनेवालों का लक्षक है अर्थात् यहाँ घर शब्द लाक्षणिक है। और यदि कोई अपने आफिसर मित्र से वात करते करते कह उठता है, 'यह घर है, खुलकर बातें करो' तब 'घर' कहने से यह ध्वनि निकलती है कि यह आफिस नहीं है। यहाँ घर शब्द व्यंजक है।

इन सभी प्रकार के शब्दों का अपने अपने अर्थ से एक संबंध रहता है। उसी संबंध के बल से प्रत्येक शब्द अपने अपने अर्थ का

शक्ति वोध करता है। विना संबंध का शब्द अर्थहीन होता है—उसमें किसी भी अर्थ के वोध कराने की शक्ति नहीं रहती। संबंध उसे अर्थवान् बनाता है, उसमें शक्ति का संचार करता है। संबंध की शक्ति से ही शब्द इस अर्थ-मय जगत् का शासन करता है, लोकेच्छा का संकेत पाकर चाहे जिस अर्थ को अपना

लेता है, जबहे जिस अर्थे को दोड़ देता है। इसी संवंध-शक्ति के घटने-वढ़ने से उसके अर्थ की हाल वृद्धि होती है। इसी संवंध के भाव अथवा अभाव से उसका जन्म अथवा मरण होता है। अर्थात् संवंध ही शब्द की शक्ति है, संवंध ही शब्द का प्राण है। इसो से शब्द तत्त्व के जानकारों ने कहा है 'शन्दार्थसंवंधः शक्तिः'—शब्द और अर्थ के संवंध का नाम शक्ति है।

जिस प्रकार शब्द तीन प्रकार के होते हैं उसी प्रकार शक्ति और अर्थ के भी तीन तीन भेद होते हैं। (१) वाचक शब्द की शक्ति अभिधा फहलाती है और उसके अर्थ को अभिधेयार्थ, सामान्य अर्थ, वाच्य अर्थ

शक्ति और अर्थ अथवा मुख्य अर्थ कहते हैं। (२) लक्षक शब्द की शक्ति लक्षण कहलाती है और उसके अर्थ को लक्ष्यार्थ, औपचारिक अथवा आलंकारिक अर्थ कहते हैं। (३) व्यंजन शब्द की शक्ति व्यंजना कहलाती है और उसके अर्थ को व्यंग्य अथवा व्यनि कहते हैं।

इस प्रकार शब्द, शब्दशक्ति और शब्दार्थ को समझ लेने पर एक बात पहले ध्यान में रखकर तब आगे बढ़ना चाहिए। वह यह है कि साहित्यिकों और भाषा-वैज्ञानिकों की अध्ययन-प्रणाली में थोड़ा अंतर होता है। साहित्यिक लक्ष्य और व्यंग्य अर्थों की ओर विशेष ध्यान देता है और भाषा-वैज्ञानिक अभिधा की ओर। भाषा-वैज्ञानिक प्रयोग की व्याख्या नहीं करता और न उसके रस को मीमांसा करता है। वह तो कोप में गृहीत अर्थों को लेकर अपना ऐतिहासिक विवेचन शुरू कर देता है। आगे चलकर जब आवश्यकता पड़ती है तब वह रुक जाता है और इस पर विचार करता है कि अमुक शब्द का अमुक अर्थ पहले किन (लक्षण व्यंजना आदि) शक्तियों की छुपा से विकसित हुआ है। इस प्रकार उसे प्रारंभ में और अपने नित्य के अध्ययन में कोप के अभिधेयार्थ से ही काम पड़ता है। यद्यपि कोप में लाज्जणिक और व्यंग्य अर्थ भी दिए रहते हैं परं शास्त्र और व्यवहार दोनों के विचार से लक्षण और व्यंजना का प्रभाव तो प्रयोग में ही स्पष्ट होता है, कोप में नहीं। सच पूछा जाय तो जो अर्थ कोप में लिख जाता है उसमें केवल अभिधा शक्ति ही रह जाती है। यह बात विचार करने पर सहज ही समझ में आ जाती है। अतः हम लक्षण, व्यंजना की अधिक चर्चा यहाँ न करके अभिधा से ही प्रारंभ करते हैं।

कुछ लोग अभिधा को ही शब्द की वास्तविक शक्ति समझते हैं। इस अभिधा शक्ति के तीन सामान्य भेद होते हैं। ऊढ़ि, योग और योग-ऊढ़ि। इसी शक्ति-भेद के अनुसार शब्द और अर्थ भी ऊढ़, यौगिक अथवा

योगरूढ़ होते हैं। मणि, नूपुर, गौ, हरिण आदि शब्द, जिनकी व्युत्पत्ति नहीं हो सकती रुढ़ कहलाते हैं। इन शब्दों में रुढ़ की शक्ति व्यापार करती है, और जिन शब्दों की शास्त्रीय प्रक्रिया

अभिधा के तीन भेद द्वारा व्युत्पत्ति की जा सकती है वे यौगिक कहलाते हैं। जैसे याचक, सेवक आदि शब्द यौगिक हैं, क्योंकि उनकी व्युत्पत्ति हो सकती है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी व्युत्पत्ति तो की जाती है पर व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ शब्द के मुख्य अर्थ से भेल नहीं खाता। ऐसे शब्द योगरूढ़ कहे जाते हैं। पंकज का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है पंक से उत्पन्न होनेवाला, पर अब वह शब्द एक विशेष अर्थ में रुढ़ हो गया है।

भाषा-विज्ञान की दृष्टि से विचार करें तो केवल धातुएँ ही रुढ़ कही जा सकती हैं। चंद्रालोक के कर्ता जयदेव ने भी धातुओं को ही

रुढ़ि, योग तथा योगरुढ़ि पर भाषा-वैज्ञानिक विचार रुढ़ मानना अज्ञान की स्वीकृति मात्र है। सभी शब्दों की उत्पत्ति धातु और प्रत्यय के योग से होती है। जिन शब्दों की उत्पत्ति अज्ञात रहती है

उन्हें व्यवहारानुरोध से रुढ़ मान लिया जाता है। वास्तव में वे 'अव्यक्त योग' मात्र हैं, उनके योगार्थ का हमें ज्ञान नहीं है। अतः धातु में हम शब्द की नियोगिता और रुढ़ अवस्था का दर्शन करते हैं। दूसरी अवस्था में धातु से प्रत्यय का योग होता है और यौगिक शब्द सामने आता है।

संस्कृत व्याकरण की वृत्तियाँ इस अवस्था का सुंदर निर्दर्शन कराती हैं। पहले धातु से कृत प्रत्यय लगता है, जैसे पच धातु से पाचक घनता है। फिर धातुज शब्द से तद्वित प्रत्यय लगता है तो पाचकता आदि शब्द घन जाते हैं। इन दोनों प्रकार के यौगिक शब्दों से समास घनते हैं। एक यौगिक शब्द दूसरे यौगिक शब्द, से मिलकर एक समस्त (यौगिक) शब्द को जन्म देता है। कभी कभी दो शब्द इतने अधिक मिल जाते हैं कि उनमें से एक अपना अस्तित्व ही खो बैठता है। शब्द की इस वृत्ति को एकशेष कहते हैं। जैसे माता और पिता का योग होकर एक यौगिक शब्द घनता है 'पितरौ'। इन चार वृत्तियों से नाम शब्द ही घनते हैं पर कभी कभी नाम के योग से धातुएँ भी घनती हैं, जैसे पाचक से पाचकायते घनता है। ऐसी योगज धातुएँ नामधातु कहलाती हैं और उनकी वृत्ति 'धातुवृत्ति' कहलाती है।

विचारपूर्वक देखा जाय तो भाषा के सभी यौगिक शब्द इन पांच वृत्तियों के अंतर्गत आ जाते हैं। कृदंत, तद्वितांत, समास, एकशेष, और नामधातुओं को निकाल लेने पर भाषा में केवल दो ही प्रकार के

शब्द रह जाते हैं—धातु और प्रातिपदिक (श्रव्युत्पन्न रुढ़ शब्द)। इस प्रकार भाषा रुढ़ और यौगिक—इन्होंने प्रकार के शब्दों से बनती है। पर अर्थातिशय की दृष्टि से एक प्रकार के शब्द ऐसे होते हैं जो यौगिक होते हुए भी रुढ़ हो जाते हैं। ऐसे शब्द योगरुढ़ कहे जाते हैं। यह शब्द की तीसरी अवस्था है। जैसे धबल गृह का अर्थ होता है 'सफेदी किया हुआ घर', पर धीरे धीरे धबल गृह का प्रयोगातिशय से 'महल' अर्थ होने लगा। इस अवस्था में धबलगृह योगरुढ़ शब्द है। धबलः गृहः श्रौर धबल गृह का अब पर्याय जैसा व्यवहार नहीं हो सकता। यही योगरुढ़ि संस्कृत के नित्य समासों का मूल कारण है।

कृपणसर्पः है तो यौगिक शब्द, पर धीरे धीरे उसका संकेत एक सर्प-विशेष में रुढ़ हो गया है। अतः वह समस्तावस्था में ही उस विशेष अर्थ का बोध करा सकता है अर्थात् कृपण सर्प में नित्य समास है। कुछ विद्वानों ने तो सभी समासों को योगरुढ़ माना है। विग्रह वाक्य की अपेक्षा समास में सदा अर्थ-वैशिष्ट्य रहता है इसी से नैयायिकों के अनुसार समासः में एक विशेष शक्ति आ जाती है। सच पूछा जाय तो प्रयोगातिशय से समृद्ध भाषा के अधिक शब्दों में योगरुढ़ि ही पाई जाती है। आर्थातिशय के विद्यार्थी के लिये योगरुढ़ि का अध्ययन बड़ा लाभकर होता है।

साहित्यिक खड़ी बोली में आजकल संस्कृत के ही समास अधिक चलते हैं पर डाकघर, रामदाना, लोहलुहान, मनचाही, मनमानी, मन-हिंदी के समास चली, पियराकाटी, लाठीमार, गिरहकट, बदरफट, रातेंगरात, दुधमुँहा, ललमुँहा, पैचमेल, बारह-मजा, रेशमकटरा, धाँस-फाटक, दूधभात, पूँझी-साग, घर-वार, तन-मन आदि के समान तन्नव श्रौर ठेठ भाषा के समासों की भी कमी नहीं है। इन्होंने चलते शब्दों का विचार भी आवश्यक है। अब यदि इन समस्त शब्दों के स्थान पर हम विग्रहवाक्यों का प्रयोग करें तो क्या कभी अच्छा लगेगा? कभी नहीं। डाक का घर, फटे चादलचाला (घाम) आदि विग्रह वाक्यों से डाकघर श्रौर बदरफट का पूरा अर्थ कभी नहीं निकल सकता।

अभिधारकिवाले शब्दों का एक चर्चाकरण हम देख चुके—१ रुढ़,

२ यौगिक श्रौर ३ योगरुढ़। यह विकास श्रौर दूसरा चर्चाकरण दूसरा चर्चाकरण की दृष्टि से किया जाता है। दूसरा चर्चाकरण देशी विदेशी के मेद श्रौर प्रत्यक्ष व्यवहार के आधार पर किया

* समासे खलु भिन्नैव शक्तिः । (शब्दशक्तिप्रकाशिका)

जाता है। इस दूसरे वर्गीकरण के अनुसार मुख्य तीन भेद होते हैं—तत्सम, तन्मय और देशी। इनका विवेचन वास्तव में भाषा के विकास का सच्चा रूप सामने ला देता है। यदि पहले वर्गीकरण का आधार ऐतिहासिक व्याकरण है तो दूसरे का आधार तुलना और इतिहास देनें हैं। इस वर्गीकरण के महत्व का विचार करके ही हमने इसके लिये एक अध्याय अलग रखा है। उसका नाम है, 'विदेशी प्रभाव'। प्रारंभिक इतिहास के विचार से उसका स्थान पहले रखा गया है पर हिंदी के अर्थ-विकास के विचार से विदेशी प्रभाववाला अध्याय इसी अध्याय में आ जाना चाहिए।

इस दूसरे वर्गीकरण को आधार बनाकर बड़ा सुंदर विवेचन तैयार हो सकता है। जैसे कुछ शब्द तत्सम रूप में आज भी विद्यमान हैं पर उनके अर्थ सर्वथा भिन्न हो गए हैं। उदाहरण के लिये प्राचीन काल में धर्म का अर्थ होता था अपना कर्तव्य और आज की हिंदी में उसका अर्थ है मजहब अथवा संप्रदाय। प्राचीन काल के आर्य (श्रेष्ठ के अर्थ में), मृग (पशु मात्र के अर्थ में), व्यथा (काँपने के अर्थ में) आदि शब्द आज भी तत्सम रूप में प्रयुक्त होते हैं पर उनके अर्थ बिलकुल उलट गए हैं। सहयोग और असहयोग शब्द भी पुराने हैं पर अब उनमें राजनीतिक अर्थ भर गया है। इसी प्रकार तन्मय शब्दों में भी अर्थ-विकार देख पड़ता है। 'वाई' शब्द संस्कृत के 'वती*' और 'माता' से अलग अलग बना है पर अब वह मा, वहिन, खी, भद्र खी, अध्यापिका, गणिका आदि अनेक अर्थों में आता है।

अंत में देशी और विदेशी शब्दों का तो यहाँ उल्लेख मात्र पर्याप्त है। देशी शब्दों की खोज से घड़े घड़े रहस्यों का पता लग सकता है और विदेशी प्रभाव की चर्चा तो हम अभी अभी कर चुके हैं। तो भी किस प्रकार विदेशी भाव और अर्थ हिंदी पर प्रभाव डाल रहे हैं, इसका एक मनोरंजक उदाहरण हम अवश्य देंगे। संस्कृत में होता है अभाव-निवृत्ति=अभाव को दूर करना और अँगरेजी में चलता है उस अभाव की पूर्ति करना। संस्कृत के अर्थानुसार देखा जाय तो अभावपूर्ति का अर्थ होगा अभाव को और भी बढ़ाना पर हिंदीवालों ने अँगरेजी भाव लेकर संस्कृत के तत्सम शब्द में भर दिया है। इस प्रकार के विदेशी अर्थवाले संस्कृत शब्द आजकल की छायाचादी कविता में बहुत अधिक

* देशी शब्दों के तन्मय रूप हिंदी में एक से मिलते हैं। यह केर्द आशनर्य की बात नहीं है। जैसे कर्म = काम और कामः = काम।

है। गद्य में भी उनकी कमी नहीं है। समाचारपत्रवाले नित्य ही संस्कृत की खाल ओढ़ाकर अँगरेजी शब्दों की प्राणप्रतिष्ठा किया करते हैं।

भाषा का मर्म और सश्य विकास देखने के लिये इन सभी धाराओं का विचार करना पड़ता है। और इस समझने की पद्धति का नाम ही व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति करने के लिये ध्यनिविचार, रूपविचार और अर्थविचार—तीनों का ही ज्ञान होना चाहिए। इस सबका तात्पर्य यह है कि यह पूरा अध्याय व्युत्पत्ति का ही अध्याय है।

सच पूछा जाय तो हमारा पूरा विवेचन ही दिग्दर्शन मात्र है। हमारा लक्ष्य केवल इतना है कि विद्यार्थी इस इतिहास को देखकर हिंदी भाषा का वैज्ञानिक इतिहास पढ़ने और सोजने में प्रवृत्त हों। नहीं तो इतना लिख चुकने पर भी हमें यह प्रकरण अधूरा और अपूर्ण लग रहा है; क्योंकि हिंदी के लिंग, चर्चन, संरचनाचक्र विशेषण, संयुक्त क्रिया, शब्द शक्ति आदि भाष्ट्वपूर्ण विषयों पर हम कुछ भी नहीं लिख पाए हैं। अतः हमारी अध्यापकों और विद्यार्थियों से प्रार्थना है कि वे इस प्रकरण को यथासंभव पूर्ण बनाकर पढ़ें। भारतवर्ष की भाषाओं के इतिहास की अभी यहुत कम सोज हुई है; पर इसके लिये सामग्री इतनी अधिक उपस्थित है कि एक नहीं सैकड़ों विद्वानों का वर्षों तक सब समय इसके रहस्यों के उद्घाटन में लग सकता है। जिस प्रकार भारतीय आर्य जाति ग्राचोनता के भन्य भाव से गौरवपूर्ण हो रही है और उसका अभी तक कोई शृंखलावद्ध पूर्ण इतिहास नहीं उपस्थित हो सका है, उसी प्रकार उसकी भिन्न भिन्न भाषाओं की आदि से लेकर अब तक की सब ऐतिहासिक शृंखलाओं का भी पता नहीं लगा है। आशा है, हिंदी भाषा के मुख्य मुख्य तथ्यों का यह परिचय इस सोज में प्रोत्साहन देने और इसकी सोज का भावी मार्ग सुगम बनाने में सहायक होगा। भारतीय विद्वान् ही अपनी भाषाओं के तथ्यों और रहस्यों को भली भाँति समझ सकते हैं; अतएव उन्हीं को इस काम में दत्तचित्त होकर अपने गौरव की रक्षा करना और अपनी भाषाओं का इतिहास स्तर्य उपस्थित करना चाहिए।

उत त्वः पश्यन् ददर्श वाचम् उत त्व. शृणुवन्न शृणोत्येनाम् ।

उतो त्वस्मै तन्व विस्ते जायेव पत्य उशती मुवासा ॥

अन्य जन वाणी को देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते हुए भी नहीं सुनता। पर वाणी के मर्मश वैयाकरण को वाणी सुनसना नव-वधू की भाँति अपने अंग प्रत्यंग दिखला देती है।

हिंदी साहित्य

पहला अध्याय

विषय-प्रवेश

मनुष्य मात्र की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वह अपने भावों तथा विचारों को दूसरों पर प्रकट करे और स्वयं वड़ी उत्सुकता साहित्य की मूल से दूसरे के भावों और विचारों को सुने और मनोवृत्तियों समझे। वह अपनी कल्पना की सहायता से ईश्वर, जीव तथा जगत् के विविध विषयों के संबंध में

कितनी ही बातें सोचता है तथा वाणी के द्वारा उन्हें व्यक्त करने की चेष्टा करता है। वाणी का वरदान उसे चिर काल से प्राप्त है और उसका उपयोग भी वह चिरकाल से करता आ रहा है। (प्रेम, दया, करुणा, द्वेष, धृणा तथा कोध आदि मानसिक वृत्तियों का अभिव्यञ्जन तो मानव समाज अत्यंत प्राचीन काल से करता ही है, साथ ही प्रकृति के नाना रूपों से उद्भूत अपने मनोविकारों तथा जीवन की अन्यान्य परिस्थितियों के संबंध में अपने अनुभवों को व्यक्त करने में भी उसे एक प्रकार का संतोष, तुस्ति अथवा आनंद प्राप्त होता है। यह सत्य है कि सब मनुष्यों में न तो अभिव्यञ्जन की शक्ति एक-सी होती है और न सब मनुष्यों के अनुभवों की मात्रा तथा विचारों की गंभीरता ही एक-सी होती है, परंतु साधारणतः यह प्रवृत्ति प्रत्येक मनुष्य में पाई जाती है। मनुष्य की इसी प्रवृत्ति की प्रेरणा से ज्ञान और शक्ति के उस भाँडार का उजन, संचय और संवर्द्धन होता है जिसे हम साहित्य कहते हैं।

साहित्य के मूल में स्थित इन मनोवृत्तियों के अतिरिक्त एक दूसरी प्रवृत्ति भी है जो सभ्य मानव-समाज में संवेदन पाई जाती है और जिससे साहित्य में एक अलौकिक चमत्कार तथा मनोहारिता आ जाती है। इसे हम सांदर्भ-प्रियता की भावना कह सकते हैं। सांदर्भ-प्रियता की ही सहायता से मनुष्य अपने उद्गारों में “रस” भर देता है जिससे एक प्रकार के अलौकिक और अनिर्वचनीय आनंद की उपलब्धि होती है और जिसे साहित्यकारों ने “व्रह्णानंद-सहोदर” की उपाधि दी है। सांदर्भ-प्रियता की भावना ही युद्ध साहित्य को एक और तो जटिल और नीरस दार्शनिक तत्त्वों से अलग करती तथा दूसरी ओर उसे मानव मात्र के

लिये आकर्षक यना देती है। जैसे सब मनुष्यों में मनोवृत्तियों की मात्रा एक सी नहीं होती वैसे ही सौंदर्य-प्रियता की भावना उनमें समान रूप से विकसित नहीं होती; सभ्यता तथा संस्कृति के अनुसार भिन्न भिन्न मनुष्यों में उसके भिन्न भिन्न स्वरूप हो जाते हैं। परंतु इसका यह आशय नहीं कि हम प्रयत्न करके किसी देश अथवा काल के साहित्य में उपर्युक्त भावना की न्यूनता अथवा अधिकता का पता नहीं लगा सकते या उसके विभिन्न स्वरूपों को समझ नहीं सकते।

इस प्रकार एक थोर तो हम अपने भावों, विचारों, आकांक्षाओं तथा कल्पनाओं का अभिव्यञ्जन करते हैं थोर दूसरी थोर अपने सौंदर्य-

ज्ञान के सहारे उन्हें सुंदरतम् यनाते तथा उनमें मावपक्ष तथा कलापक्ष एक अद्भुत आकर्षण का आविर्भाव करते हैं।

इन्हीं दो मूल तत्त्वों के आधार पर साहित्य के दो पक्ष हो जाते हैं जिन्हें हम भावपक्ष तथा कलापक्ष कहते हैं। यद्यपि साहित्य के इन दोनों पक्षों में वड़ा घनिष्ठ संबंध है थोर दोनों के समुचित संयोग थोर सामंजस्य से ही साहित्य को स्थायित्व मिलता तथा उसका सच्चा स्वरूप उपस्थित होता है, तथापि साधारण विवेचन के लिये ये दोनों पक्ष अलग अलग माने जा सकते हैं थोर इन पर भिन्न भिन्न दृष्टियों से विचार किया जा सकता है। साहित्य के विकास के साथ उसके दोनों पक्षों का विकास भी होता जाता है, पर उनमें समन्वय नहीं यना रहता। तात्पर्य यह कि दोनों पक्षों का समान रूप से विकास होना आवश्यक नहीं है। किसी युग में भावपक्ष की प्रधानता थोर कलापक्ष की न्यूनता तथा किसी दूसरे युग में इसके विपरीत परिस्थिति हो जाती है। इसलिये साहित्य के इन दोनों अंगों का अलग अलग विवेचन करना केवल आवश्यक ही नहीं, बरन् कभी कभी अनिवार्य भी हो जाता है।

साहित्य के इन दोनों अंगों में से उसके भावात्मक अंग की अपेक्षाकृत प्रधानता मानी जाती है थोर कलापक्ष को गौण स्थान दिया जाता है। सच तो यह है कि साहित्य में भावपक्ष

भावपक्ष ही सब कुछ है, कलापक्ष उसका सहायक तथा उत्कर्पवर्धक मात्र है। साथ ही भावपक्ष पर विचार

करना भी अपेक्षाकृत जटिल तथा दुर्लभ है; क्योंकि मनुष्य की मनो-चृत्तियाँ जटिल तथा दुर्लभ हुआ करती हैं, उनमें ऐस्खला तथा नियम दृढ़-निकालना सरल काम नहीं होता। मनुष्य के भाव थोर विचार तथा उसकी कल्पनाएँ भी वड़ी विचित्र तथा अनोखी हुआ करती हैं।

साहित्य मनुष्य के इन्हीं विचित्र और अनोखे भावों, विचारों तथा कल्पनाओं आदि का व्यक्त स्वरूप है, अतः उसमें भी मानव-स्वभाव-सुलभ सभी विशेषताएँ होती हैं। साहित्य में जो विचित्रता तथा अनेकरूपता दिखाई देती है उसके मूल में मानव-स्वभाव की विचित्रता तथा अनेकरूपता है। हम स्वयं देखते हैं कि हमारी प्रवृत्ति सदा एक सी नहीं रहती। कभी तो हम अनेक अनोखी कल्पनाएँ किया करते हैं और कभी बहुत से साधारण विचार हमारे मन में उठते हैं; कभी हम घातचीत करते हैं और कभी कथा-कहानी कहते हैं; कभी हम जीवन के जटिल तथा गंभीर प्रश्नों पर विचार करते हैं और कभी उसके सरल मनोरंजक स्वरूप की व्याख्या करते हैं; कभी हम आत्मचिंतन में लीन रहते हैं और कभी हमारी दृष्टि समाज अथवा वाणी जगत् पर आ जमती है। सारांश यह कि हमारी प्रवृत्ति सदा एक सी नहीं रहती। प्रवृत्तियों की इसी अनेकरूपता के कारण साहित्य में भी अनेकरूपता दिखाई देती है। कविता, नाटक, उपन्यास, आख्यायिका, निवंध आदि जो साहित्य के विभिन्न अंग हैं और इन मुख्य मुख्य अंगों के भी जो अनेक उपांग हैं, उसका कारण यही है कि मनुष्य की मनोवृत्तियों के भी अनेक अंग और उपांग होते हैं तथा उनकी भी विभिन्न श्रेणियाँ होती हैं। इन अंगों, उपांगों परं श्रेणियों के होते हुए भी मानव-स्वभाव के मूल में भावात्मक साम्य होता है, अतएव साहित्य में भी अनेकरूपता के होते हुए भी भावना-मूलक समता दिखाई देती है और इसी समता पर लक्ष्य रखते हुए हम साहित्य के इस पक्ष का विवेचन करते हैं।

जिस प्रकार मनुष्यों में अपने भावों तथा विचारों को व्यक्त करने की स्वाभाविक इच्छा होती है उसी प्रकार उन भावों तथा विचारों को

कलापन्त्र

सुन्दरतम् शृङ्खलावद्ध तथा चमत्कार-पूर्ण बनाने की अभिलाप्ता भी उनमें होती है। यही अभिलाप्ता

साहित्य-कला के मूल में रहती है और इसी की प्रेरणा से स्थूल नीरस तथा विश्वरूप विचारों को सूक्ष्म, सरस और शृङ्खलावद्ध साहित्यिक स्वरूप प्राप्त होता है। भावों के अभिव्यञ्जन का साधन भाषा है और भाषा के आधार शब्द हैं जो वास्त्वों में पिरोप जाने पर अपनी सार्थकता प्रदर्शित करते हैं। अतः शब्दों तथा वास्त्वों का निरंतर संस्कार करते रहने परं उपयुक्त रीति से उनका प्रयोग करने से ही अधिक से अधिक प्रभावोत्पादकता आ सकती है। इसके अतिरिक्त प्रचलित लोकोक्तियों का समुचित प्रयोग तथा भाव-व्यञ्जन की अनेक आलंकारिक प्रणालियों का उपयोग भी साहित्य-ग्रंथों की एक विशेषता है। कविता में भावों के उपयुक्त

मनोहर छुंदों का प्रयोग तो चिरकाल से होता आ रहा है और नित्य नवीन छुंदों का निर्माण भी साहित्य के कलापक्ष की पुष्टि करता है। भाषा की गति या प्रवाह, वाक्यों का समीकरण, शब्दों की लाक्षणिक तथा व्यंजनामूलक शक्तियों का अधिकाधिक प्रयोग ही साहित्य के कलापक्ष के विकास की सीढ़ियाँ हैं, इस विषय का विस्तृत विवरण रीति-अंशों में, मिलता है। संकुचित अर्थ में इसको साहित्य-शास्त्र कहा गया है।

इस प्रकार साहित्य के भाव और कलापक्षों का विवेचन करके हम उसके तथ्य को समझ सकते हैं और यह जान सकते हैं कि साहित्य

मनुष्य मात्र के लिये स्वाभाविक है और अपने इस

विश्व-साहित्य स्वरूप में वह देश और काल की सीमा से बद्ध नहीं है। यदि हम चाहें तो व्यापक दृष्टि से विश्व भर के साहित्य की परस्पर तुलना कर सकते हैं और स्थूल रूप से संसार के प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवियों अथवा साहित्य-निर्माताओं की विभिन्न श्रेणियाँ भी निरूपित कर सकते हैं। उदाहरणार्थ हम यूनान के प्रसिद्ध कवि होमर की तुलना संस्कृत के आदि कवि वाल्मीकि से कर सकते हैं और कालिदास तथा रोकसपियर को उत्कृष्ट नाटककारों की श्रेणी में रख सकते हैं। घरें विषयों के आधार पर जायसी तथा उमर खैयाम आदि प्रेमप्रधान कवियों की एक श्रेणी हो सकती है; और देव, विहारी, मतिराम आदि हिंदी के शृंगारी कवि संस्कृत के अमरुक प्रभृति कवियों की कोटि में रखे जा सकते हैं। भावपक्ष की इस समता के साथ कविता के कलापक्ष की तुलना भी व्यापक दृष्टि से की जा सकती है। उदाहरणार्थ केशवदास जैसे कला-प्रधान कवि की तुलना श्रीगरेज कवि पोप अथवा ड्राइडेन से की जा सकती है; और कवीर जैसे दार्शनिक किंतु अव्यवस्थित भाषा तथा छुंदों का प्रयोग करनेवाले कवि की समता ग्राउनिंग आदि से हो सकती है।

इसमें संदेह नहीं कि संसार के भिन्न भिन्न देशों के कवियों और साहित्य-निर्माताओं की यह तुलनात्मक आलोचना बड़ी ही विशद् और उपादेय होती है। इससे यह जाना जा सकता है कि मनुष्य-मात्र में जातीय और स्थानीय विशेषताओं के होते हुए भी एक सार्वजनीन एकता है और सभी श्रेष्ठ कवियों तथा लेखकों की रचनाओं में भावनामूलक साम्य भी है। निश्चय ही वह भावना मनुष्यमात्र के लिये कल्याण-कारिणी तथा अत्यंत उदार होती है। उत्कृष्ट कोटि के कवियों की कल्पनाएँ एक दूसरे से बहुत अंशों में मिलती-जुलती होती हैं तथा उनकी काव्य-रचना की प्रणाली भी बहुत कुछ समता लिए होती है।

संसार के भिन्न भिन्न राष्ट्रों में सद्गति उत्पन्न करने में उस तात्त्विक एकता का उद्घाटन तथा प्रदर्शन करना अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है जो उन राष्ट्रों के साहित्य के मूल में है। साथ ही इस तुलनात्मक समीक्षा के द्वारा हम अनेक देशों और समयों के कवियों की व्यक्तिगत विशेषताएँ, उनकी प्रतिभा की दिशा तथा सामयिक स्थिति का भी परिचय प्राप्त कर सकते हैं। उक्त परिचय से हमें अपने समय के साहित्य की बहुतियों की ओर ध्यान देने और उन्हें यथाशक्ति सुधारने की चेष्टा करने की भी प्रेरणा हो सकती है। अवश्य ही यह साहित्य का सार्वभौम अध्ययन और आलोचन एक कठिन कार्य है तथा विशेष सूचम दृष्टि तथा तत्पर अनुशोलन की आवश्यकता रखता है। साथ ही इस कार्य को करनेवाले व्यक्ति में राष्ट्रीय या जातीय पक्षपात लेश-मात्र भी न होना चाहिए; अन्यथा उसका कार्य विफल तथा हानिकारक भी हो सकता है। खेद है कि कतिपय पाश्चात्य विद्वानों ने इस संबंध के जो ग्रंथ लिखे हैं उनमें पाश्चात्य साहित्य को अन्यायपूर्ण मध्यानता दी गई है। इसका प्रधान कारण राष्ट्रीय पक्षपात ही प्रतीत होता है। इस प्रणाली का अनुसरण करने से किसी उच्च उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो सकती घरन् अशान तथा कटुता की ही वृद्धि होगी।

भौगोलिक कारणों से अथवा जलवायु के फल-स्वरूप या अन्य किसी कारण से, प्रत्येक देश अथवा जाति के साहित्य में कुछ न कुछ

विशेषता होती है। जब हम यूनानी साहित्य,

जातीय साहित्य और अंगरेजी साहित्य अथवा भारतीय साहित्य का नाम लेते हैं और उनके संबंध में विचार करते हैं तो उनमें स्पष्ट रीति से कुछ ऐसी विशेषताएँ दिखाई देती हैं जिनके कारण उनके रूप कुछ भिन्न जान पड़ते हैं तथा जिनके फल-स्वरूप उनके स्वतंत्र अस्तित्व की सार्थकता भी समझ में आ जाती है। यह संभव है कि कोई विशेष कलाकार किसी विशेष समय और कुछ विशेष परिस्थितियों से प्रभावान्वित होकर विदेशीय या विजातीय कला का अनुकरण करे तथा उनके विचारों की शारीर मूँदकर नकल करना आरंभ कर दे परंतु साहित्य के साधारण विकास में जातीय भावों तथा विचारों की छाप किसी न किसी रूप में अवश्य रहती है; और इसका एक कारण है।

प्रत्येक सभ्य तथा स्वतंत्र देश का अपना स्वतंत्र साहित्य तथा अपनी स्वतंत्र कला होती है। भारतवर्ष में भी साहित्य तथा अन्यान्य कलाओं का स्वतंत्र विकास हुआ और उनकी अपनी विशेषताएँ भी हुईं। भारतीय साहित्य तथा कला की विशेषताओं पर

साधारण दृष्टि से विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन परं भारतीय आध्यात्मिक तथा लौकिक विचारों की गहरी छाप है। हम लोग प्राचीन काल से आदर्शवादी रहे हैं, हमें वर्तमान स्थिति की इतनी चिंता कभी नहीं हुई जितनी भविष्य की चिंता रही है। यही कारण है कि हमारे साहित्य तथा अन्य ललित कलाओं में आदर्शवादिता की प्रचुरता देख पड़ती है। यह कोई आश्चर्य की वात नहीं है; क्योंकि साहित्य और कलाएँ हमारे भावों तथा विचारों का प्रतिविवर मात्र हैं। सारांश यह कि जहाँ संसार की उम्मत जातियों की कुछ अपनी विशेषताएँ होती हैं, वहाँ उनके साहित्य आदि पर भी उन विशेषताओं का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रभाव पड़े विना नहीं रह सकता। इन्हीं साहित्यिक विशेषताओं के कारण “जातीय साहित्य” का व्यक्तित्व निर्धारित होता है।

यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या जातिगत विशेषताएँ सदा सर्वदा पुरातन आधारों पर ही स्थित रहती हैं अथवा समय और स्थिति के अनुसार आदर्शों में परिवर्तन के साथ उनमें भी परिवर्तन हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि समय, संसर्ग और स्थिति के प्रभाव से जातीय आदर्शों में परिवर्तन हो जाता है, पर उनके पुरातन आधारों का सर्वथा लोप नहीं होता। इन्हीं पुरातन आदर्शों की नींव पर नए आदर्शों की उद्घावना होती है। जहाँ कारणविशेष से ऐसा नहीं होने पाता वहाँ के नए आदर्शों के स्थायित्व में बहुत कुछ कमी हो जाती है। जातीयता के स्थायित्व के लिये आदर्शों की धारा का अनुरेण रहना आवश्यक है। हाँ, समय समय पर उस धारा की अंगपुष्टि के लिये नए आदर्शरूपी लोटों का उसमें मिलना आवश्यक और हितकर होता है। ठीक यही स्थिति साहित्यरूपी सत्तिता की भी होती है। जिस प्रकार किसी जाति के परंपरागत विचार तथा स्थिर दार्यनिक सिद्धांत सहसा लुप्त नहीं हो सकते उसी प्रकार जातीय साहित्य तथा कलाएँ भी अपनी जातीयता का लोप नहीं कर सकतीं। जातीयता का लोप कलाओं के विकास में वाधाएँ उपस्थित करता है। अतः उसका परित्याग अथवा उसकी अवहेलना किसी अवस्था में उचित नहीं। प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार फैज़ी रुमीन ने, अमी थोड़े दिन हुए, कहा है—

“भारतीय कला तो अब नहीं हो गई है। न तो उसको ठीक ठीक समझनेवाले हैं और न उसका यथोचित सम्मान करनेवाले हैं। हमारे कलाकार पेसी रचनाएँ करते हैं जिनमें मौलिकता होती ही नहीं। इसका कारण यह है कि ये कलाकार सच्चे भारतीय भावों को भूलकर

विदेशियों का अनुसरण कर रहे हैं। मेरी सम्मति में ये पश्चिमीय कलाकारों की समता कर ही नहीं सकते—विशेष कर पेसी श्रवस्था में जब कि ये उनकी त्यक्त पुरानी शैलियों का उपयोग करते हैं। इसी बीच में ये अपनी स्वतंत्र शैलियों को भूले जा रहे हैं।

“आजकल भारतीय विद्यालयों में जो कला की शिक्षा दी जाती है, वह बहुत भद्री है, वह अधःपतित तथा निम्न श्रेणी की होती है। हम छावन्वृत्तियाँ देकर भारतीय विद्यार्थियों को कला की शिक्षा के लिये यूरोप भेजने का प्रबंध करते हैं। मेरी सम्मति में... यह हमारी भूल है। मेरे विचार में उन्हें भारतीय कला की शिक्षा दी जानी चाहिए और उन्हें भारतीय शैली से परिचित होना चाहिए। पश्चिमीय कलाकारों की समता करने का प्रयास कभी सफल नहीं हो सकता।”

अस्तु, उस अधिक व्यापक विषय को यहाँ छोड़कर हमें अपने मुख्य विषय पर आना चाहिए। हमें हिंदी साहित्य के विकास का

हिंदी में जातीय इतिहास उपस्थित करना है। हम यह जानते हैं कि हिंदी साहित्य का वंशगत संबंध प्राचीन भार-साहित्य की योग्यता तीय साहित्यों से है; क्योंकि संस्कृत तथा प्राकृत आदि की विकसित परंपरा ही हिंदी कहलाई है। जिस प्रकार पुनर्न अपनी माता के रूप की ही नहीं, गुण को भी उत्तराधिकारिणी होती है, उसी प्रकार हिंदी ने भी संस्कृत, पाली तथा प्राकृत आदि साहित्यों में अभिव्यञ्जित आर्यजाति की स्थायी चित्तवृत्तियों और उसके विचारों की परंपरागत संपत्ति प्राप्त की है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य में जातीय साहित्य कहलाने की पूरी योग्यता है। अतएव हम पहले भारतवर्ष के जातीय साहित्य की मुख्य मुख्य विशेषताओं का विचार करेंगे और तब हिंदी साहित्य के स्वरूप का चित्र उपस्थित करने का उद्योग करेंगे।

समस्त भारतीय साहित्य को सबसे बड़ी विशेषता उसके मूल में स्थित समन्वय की भावना है। उसको यह विशेषता इतनी प्रमुख

हिंदी की विशेषताएँ तथा मार्मिक है कि केवल इसी के बल पर संसार के अन्य साहित्यों के सामने वह अपनी मौलिकता की पताका फहरा सकती है और अपने स्वतंत्र अस्तित्व की सार्थकता प्रमाणित कर सकती है। जिस प्रकार धार्मिक द्वेष में भारत के शान, भक्ति तथा कर्म के समन्वय की प्रसिद्धि है तथा जिस प्रकार वर्ण एवं आश्रम चतुष्पय के निष्पण द्वारा इस देश में सामाजिक समन्वय का सफल प्रयास हुआ है, ठीक उसी प्रकार साहित्य तथा अन्यान्य कलाओं में भी भारतीय प्रवृत्ति समन्वय की

ओर रही है। साहित्यिक समन्वय से हमारा तात्पर्य साहित्य में प्रदर्शित सुख-दुःख, उत्थान-पतन, ईर्ष-चिपाद आदि विरोधी तथा चिप-रीत भावों के समीकरण तथा एक अलौकिक आनंद में उनके विलीन होने से है। साहित्य के किसी अंग को लेकर देखिए, सर्वत्र यही समन्वय दिखाई देगा। भारतीय नाटकों में सुख और दुःख के प्रबल घात-प्रतिघात दिखाए गए हैं पर सबका अवसान आनंद में ही किया गया है। इसका प्रधान कारण यह है कि भारतीयों का ध्येय सदा से जीवन का आदर्श स्वरूप उपस्थित करके उसका उत्कर्ष बढ़ाने और उसे उन्नत बनाने का रहा है। वर्तमान स्थिति से उसका इतना संबंध नहीं है जितना भविष्य की संभाव्य उन्नति से है। हमारे यहाँ युरोपीय ढंग के दुःखांत नाटक इसी लिये नहीं देख पड़ते। यदि आजकल देशघार ऐसे नाटक देख भी पड़ने लगे हैं तो वे भारतीय आदर्श से दूर और युरोपीय आदर्श के अनुकरण मान हैं। कविता के क्षेत्र में ही देखिए। यद्यपि विदेशीय शासन से पीड़ित तथा अनेक फलेशों से संतप्त देश निराशा की चरम सीमा तक पहुँच चुका था और उसके सभी अवलंबों की इतिहास हो चुकी थी, परं फिर भी भारतीयता के सच्चे प्रतिनिधि तत्कालीन महाकवि गोस्वामी तुलसीदास अपने विकार-रहित हृदय से समस्त जाति को आशासन देते हैं—

मेरे भाग अनुराग लोग कहै राम अवध चितवन चितई है।

विनती सुनि सानंद हेरि हैंसि करनावारि भूमि भिजई है॥

राम राज भयो काज सुगुन सुम राजाराम जगत विजई है॥

समरथ बड़ा सुजान सुसाहव सुकृत-सेन हारत जितई है॥

आनंद की कितनी महान् भावना है। चित्त किसी अनुभूत प्रेरण्य की कल्पना में मानो नाच उठता है। हिंदी साहित्य के विकास का समस्त युग विदेशीय तथा विजातीय शासन का युग था। इस कारण भारतीय जनता के लिये वह निराशा तथा संताप का युग था, परंतु फिर भी साहित्यिक समन्वय का कभी अनादर नहीं हुआ। आधुनिक युग के हिंदी कवियों में यद्यपि पश्चिमीय आदर्शों की छाप पड़ने लगी है और लक्षणों के देखते हुए इस छाप के अधिकाधिक गहरी हो जाने की संभावना हो रही है परंतु जातीय साहित्य की धारा अचुरण रखनेवाले कुछ कवि अब भी वर्तमान हैं।

यदि हम थोड़ा सा विचार करें तो उपर्युक्त साहित्यिक समन्वय का रहस्य हमारी समझ में आ सकता है। जब हम थोड़ो देर के लिये साहित्य को छोड़कर भारतीय कलाओं का विश्लेषण करते हैं तब उनमें

भी साहित्य की ही भाँति समन्वय की छाप दिखाई पड़ती है। सारनाथ की बुद्ध भगवान् की मूर्ति में ही समन्वय की यह भावना निहित है। बुद्ध की वह मूर्ति उस समय की है जब वे छः महीने की कठिन साधना के उपरांत अस्थिपंजर मात्र ही रहे होंगे; परंतु मूर्ति में कहीं कुशता का पता नहीं, उसके चारों ओर एक स्वर्गीय आभा नुत्य कर रही है।

इस प्रकार साहित्य तथा कलाओं में भी एक प्रकार का आदर्श-त्मक साम्य देखकर उसका रहस्य जानने की इच्छा और भी प्रबल हो जाती है। हमारे दर्शन-शास्त्र हमारी इस जिज्ञासा का समाधान कर देते हैं। भारतीय दर्शनों के अनुसार परमात्मा तथा जीवात्मा में कुछ भी अंतर नहीं, दोनों एक ही हैं, दोनों सत्य हैं, चेतन हैं तथा आनंद-स्वरूप हैं। बंधन मायाजन्य है। माया अज्ञान है, भेद उत्पन्न व. ऐनेवाली वस्तु है। जीवात्मा मायाजन्य अज्ञान को दूर कर अपना सच्चा स्वरूप पहचानता है और आनंदमय परमात्मा में लीन हो जाता है। आनंद में विलीन हो जाना ही मानव जीवन का चरम उद्देश्य है। जब हम इस दार्शनिक सिद्धांत का ध्यान रखते हुए उपर्युक्त समन्वय पर विचार करते हैं, तब उसका रहस्य हमारी समझ में आ जाता है तथा उस विषय में और कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं रह जाती।

भारतीय साहित्य की दूसरी घड़ी विशेषता उसमें धार्मिक भावों की प्रचुरता है। हमारे यहाँ धर्म की घड़ी व्यापक व्याख्या की गई है और जीवन के अनेक क्षेत्रों में उसको स्थान दिया गया है। धर्म में धारण करने की शक्ति है अतः केवल अध्यात्म पक्ष में ही नहीं, लौकिक आचारों-विचारों तथा राजनीति तक में उसका नियंत्रण स्वीकार किया गया है। मनुष्य के वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन को ध्यान में रखते हुए अनेक सामान्य तथा विशेष धर्मों का निरूपण किया गया है। वेदों के एकेश्वरवाद, उपनिषदों के ब्रह्मवाद तथा पुराणों के अवतारवाद और चहुदेववाद की प्रतिष्ठा जन-समाज में हुई है और तदनुसार हमारा धार्मिक दृष्टिकोण भी अधिकाधिक विस्तृत तथा व्यापक होता गया है। हमारे साहित्य पर धर्म की इस अतिशयता का प्रभाव दो प्रधान रूपों में पड़ा। आध्यात्मिकता की अधिकता होने के कारण हमारे साहित्य में एक और तो पवित्र भावनाओं और जीवन संबंधी गहन तथा गंभीर विचारों की प्रचुरता हुई और दूसरी ओर साधारण लौकिक भावों तथा विचारों का विस्तार नहीं हुआ। प्राचीन वैदिक साहित्य से लेकर हिंदी के वैष्णव साहित्य तक में हम यही धात पाते हैं। सामवेद की

मनोहारिणी तथा मृदुनगंभीर ऋचाओं से लेकर सूर तथा मीरा आदि की सरस रचनाओं तक में सर्वेन परोक्ष भावों की अधिकता तथा लौकिक विचारों की न्यूनता देखने में आती है।

उपर्युक्त मनोवृत्ति का परिणाम यह हुआ कि साहित्य में उच्च विचार तथा पवित्र भावनापैं तो प्रचुरता से भरी गईं, परंतु उसमें लौकिक जीवन की अनेकरूपता का प्रदर्शन न हो सका। हमारी कल्पना अध्यात्म पक्ष में तो निस्सीम तक पहुँच गई परंतु ऐहिक जीवन का चित्र उपस्थित करने में वह कुछ कुंठित सी हो गई। हिंदी की चरम उम्मति का फाल भक्तिकाव्य का फाल है, जिसमें उसके साहित्य के साथ हमारे जातीय साहित्य के लक्षणों का सामंजस्य स्थापित हो जाता है।

धार्मिकता के भाव से ग्रेरित होकर जिस सरस तथा सुंदर साहित्य का रुजन हुआ, वह वास्तव में हमारे गौरव की वस्तु है। परंतु समाज में जिस प्रकार धर्म के नाम पर अनेक हाँग रचे जाते हैं तथा गुरुदम की प्रथा चल पड़ती है, उसी प्रकार साहित्य में भी धर्म के नाम पर पर्याप्त अनर्थ होता है। हिंदी साहित्य के ज्ञेत्र में हम यह अनर्थ दो मुख्य रूपों में देखते हैं। एक तो सांप्रदायिक कविता तथा नीरस उपदेशों के रूप में और दूसरा “कृष्ण” का आधार लेकर की हुई हिंदी के शृंगारी कवियों की कविता के रूप में। हिंदी में सांप्रदायिक कविता का एक युग ही हो गया है और “नीति के दोहों” की तो अब तक भरमार है। अन्य दृष्टियों से नहीं तो कम से कम शुद्ध साहित्यिक समीक्षा की दृष्टि से ही सही, सांप्रदायिक तथा उपदेशात्मक साहित्य का अत्यंत निष्प स्थान है; क्योंकि नीरस पदावली में कोरे उपदेशों में कवित्व की मात्रा यहुत थोड़ी होती है। राधाकृष्ण को आठवंश मानकर हमारे शृंगारी कवियों ने अपने कलुपित तथा वासनामय उद्घारों को व्यक्त करने का जो ढंग निकाला वह समाज के लिये हितकर सिद्ध न हुआ। यद्यपि आदर्श की कल्पना करनेवाले कुछ साहित्य-समीक्षक इस शृंगारिक कविता में भी उच्च आदर्शों की उद्धावना कर लेते हैं, परंतु भी हम वस्तुस्थिति की किसी प्रकार अवहेलना नहीं कर सकते। सब प्रकार की शृंगारिक कविता ऐसी नहीं है कि उसमें शुद्ध प्रेम का अभाव तथा कलुपित वासनाओं का ही अस्तित्व हो; परंतु यह स्पष्ट है कि पवित्र भक्ति का उच्च आदर्श, समय पाक, लौकिक शरीरजन्य तथा वासनामूलक प्रेम में परिणत हो गया था।

यद्यपि भारतीय साहित्य की कितनी ही अन्य जातिगत विशेषताएँ हैं, परंतु हम उसकी दो प्रधान विशेषताओं के उपर्युक्त विवेचन से

ही संतोष करके, उसकी दो एक देशगत विशेषताओं का वर्णन करके यह प्रसंग समाप्त करेंगे। प्रत्येक देश के जलवायु अथवा भौगोलिक स्थिति

साहित्य की देशगत का प्रभाव उस देश के साहित्य पर अवश्य पड़ता है और यह प्रभाव यहुत कुछ स्थायी भी होता है।
विशेषताएँ

संसार के सब देश एक ही प्रकार के नहीं होते। जलवायु तथा गर्मी सर्दी के साधारण विभेदों के अतिरिक्त उनके प्राकृतिक दृश्यों तथा उर्वरता आदि में भी अंतर होता है। यदि पृथ्वी पर अरब तथा सहारा जैसी दीर्घकाय मरुभूमियाँ हैं तो साइरिया तथा रूस के विस्तृत मैदान भी हैं। यदि यहाँ इंग्लैण्ड तथा आयलैण्ड जैसे जलावृत द्वीप हैं तो चीन जैसा भूखंड भी है। इन विभिन्न भौगोलिक स्थितियों का उन देशों के साहित्यों से संबंध होता है, इसी को हम साहित्य की द्वेशगत विशेषता कहते हैं।

भारत की सस्यशामला भूमि में जो निसर्गसिद्ध सुपमा है, उससे भारतीय कवियों का चिरकाल से अनुराग रहा है। यों तो प्रकृति की

हिंदी की देशगत साधारण वस्तुएँ भी मनुष्यमात्र के लिये आकर्षक होती हैं, परंतु उसकी सुंदरतम विभूतियों में गानव चृत्तियाँ विशेष प्रकार से रमती हैं। अरब

के कवि मरुस्थल में यहते हुए किसी साधारण से भरने अथवा ताढ़ के लंबे लंबे पेड़ों में ही सौंदर्य का अनुभव कर लेते हैं तथा ऊँटों की चाल में ही सुंदरता की कल्पना कर लेते हैं; परंतु जिन्होंने भारत की हिमाच्छादित शैलमाला पर संध्या की सुनहली किरणों की सुपमा देखी है, अथवा जिन्हें धनी अमराइयों को छाया में कल कल ध्वनि से वहती निर्भरिणी तथा उसकी समीपवर्ती लताओं की वसंतश्री देखने का अवसर मिला है, साथ ही जो यहाँ के विशालकाय हाथियों की मतवाली चोल देख चुके हैं उन्हें अरब की उर्ध्वक घस्तुओं में सैंदर्ध से यथा, हाँ उरुटे नीरसता, शुष्कता और भद्रापन ही मिलेगा। भारतीय कवियों को प्रकृति की सुरक्ष्य गोद में कीड़ा करने का सौभाग्य प्राप्त है; वे हरे भरे उपवनों में तथा सुंदर जलाशयों के तटों पर विचरण करते एवं प्रकृति के नाना मनोहारी रूपों से परिचित होते हैं। यही कारण है कि भारतीय कवि प्रकृति के संश्लिष्ट तथा सजीव चित्र जितनी मार्मिकता, उचमता तथा अधिकता से अंकित कर सकते हैं एवं उपमा-उत्प्रेक्षाओं के लिये जैसी सुंदर वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, वैसा रुखे-सूखे देशों के निवासी कवि नहीं कर सकते। यह भारतभूमि की ही विशेषता है कि यहाँ के कवियों का प्रकृति-वर्णन तथा तत्संभव सौंदर्यज्ञान उच्च कोटिका होता है।

प्रकृति के रम्य रूपों से तल्लीनता की जो अनुभूति होती है, उसका उपयोग कविगण कभी कभी रहस्यमयी भावनाओं के संचार में भी करते हैं। यह अखेंड भूमंडल तथा असंख्य प्रह-उपग्रह, रवि-शशि अथवा जल-यायु, अग्नि, आकाश किंतु रहस्यमय तथा अद्देय हैं। इनकी सृष्टि, संचालन आदि के संबंध में दार्शनिकों अथवा वैज्ञानिकों ने जिन तत्त्वों का निरूपण किया है ये ज्ञानगम्य अथवा युद्धिगम्य होने के कारण शुष्क तथा नीरस हैं। काव्यजगत् में इतनी शुष्कता तथा नीरसता से काम नहीं चल सकता, अतः कविगण युद्धिवाद के चक्कर में न पड़कर व्यक्त प्रकृति के नाना रूपों में एक अव्यक्त किंतु सजीव सत्ता का साक्षात्कार करते तथा उससे भावमग्न होते हैं। इसे हम प्रकृतिसंबंधी रहस्यवाद कह सकते हैं, और व्यापक रहस्यवाद का एक अंग मान सकते हैं। प्रकृति के विविध रूपों में विविध भावनाओं के उद्देश की ज्ञानता होती है; परंतु रहस्यवादी कवियों को अधिकतर उसके मनुर स्वरूप से प्रयोगन होता है, क्योंकि भावावेश के लिये प्रकृति के मनोहर रूपों की जितनी उपयोगिता होती है, उतनी दूसरे रूपों की नहीं होती। यद्यपि इस देश की उत्तरकालीन विचारधारा के कारण हिंदी में यहुत थोड़े रहस्यवादी कवि हुए हैं परंतु कुछ मैम-प्रधान कवियों ने भारतीय मनोरम दृश्यों की सहायता से अपनी रहस्यमयी उकियों को अत्यधिक सरस तथा हृदयप्राही बना दिया है। यह भी हमारे साहित्य की एक देशगत विशेषता है।

ये जातिगत तथा देशगत विशेषताएँ तो हमारे साहित्य के भावपक्ष की हैं। इनके अतिरिक्त उसके कलापक्ष में भी कुछ स्थायी

हिंदी के कलापक्ष जातीय मनोवृत्तियों का प्रतिविंय अवश्य दिखाई देता है। (कलापक्ष से हमारा अभिग्राय केवल की विशेषताएँ

शब्दसंघटन अथवा छंदो-रचना तथा विविध आलंकारिक प्रयोगों से ही नहीं है, प्रत्युत उसमें भावों को व्यक्त करने की शैली भी समिलित है। यद्यपि अत्येक कविता के मूल में कवि का व्यक्तित्व अंतर-निहित रहता है और आवश्यकता पड़ने पर उस कविता के विश्लेषण द्वारा हम कवि के आदर्शों तथा उसके व्यक्तित्व से परिचित हो सकते हैं, परंतु साधारणतः हम यह देखते हैं कि कुछ कवियों में प्रथम पुरुष एकवचन के प्रयोग की प्रवृत्ति अधिक होती है तथा कुछ कवि अन्य पुरुष में अपने भाव प्रकट करते हैं। अँगरेजी में इसी विभिन्नता के आधार पर कविता के व्यक्तिगत (Subjective) तथा वस्तुगत (objective) नामक विभेद हुए हैं परंतु ये विभेद वास्तव में

कविता के नहीं हैं, उसकी शैली के हैं। दोनों प्रकार की कविताओं में कवि के आदर्शों का अभिव्यंजन होता है, केवल इस अभिव्यंजन के ढंग में अंतर रहता है। एक में वे आदर्श, आत्मकथन अथवा आत्मनिवेदन के रूप में व्यक्त किए जाते हैं तथा दूसरे में उन्हें व्यंजित करने के लिये वर्णनात्मक प्रणाली का आधार ग्रहण किया जाता है। भारतीय कवियों में दूसरी (वर्णनात्मक) शैली की अधिकता तथा पहली की न्यूनता पाई जाती है। यही कारण है कि यहाँ वर्णनात्मक काव्य, अधिक हैं तथा कुछ भक्त कवियों की रचनाओं के अतिरिक्त उस प्रकार की कविता का अभाव है, जिसे गीति काव्य कहते हैं और जो विशेषकर पदों के रूप में लिखी जाती है*।

साहित्य के कलापक्ति की अन्य महत्व-पूर्ण जातीय विशेषताओं से परिचित होने के लिये हमें उसके शब्द-समुदाय पर ध्यान देना पड़ेगा, साथ ही भारतीय संगीतशास्त्र की कुछ साधारण घाते भी जान लेनी होंगी। घाक्यरचना के विविध भेदों, शब्दगत तथा अर्थगत अलंकारों और अक्षर मात्रिक अथवा लघु गुरु मात्रिक आदि छंदसमुदायों का विवेचन भी उपयोगी हो सकता है। परंतु एक तो ये विषय इतने विस्तृत हैं कि इन पर यहाँ विचार करना संभव नहीं और दूसरे इनका संबंध साहित्य के इतिहास से उतना पृथक् नहीं है जितना व्याकरण, अलंकार और पिंगल से है। तीसरी घात यह भी है कि इनमें जातीय विशेषताओं की कोई स्पष्ट छाप भी नहीं देख पड़ती, क्योंकि ये सब घाते थोड़े बहुत अंतर से प्रत्येक देश के साहित्य में पाई जाती हैं।

यद्यपि हमारे शब्द-समुदाय के संबंध में यह घात अनेक घार कही जा चुकी है कि यह अत्यधिक काव्योपयोगी है, परंतु साथ ही यह भी

स्वीकार करना पड़ता है कि इसमें क्रियाओं के हिंदी का शब्द-समूह सूक्ष्म विभेदों तथा अनेक वस्तुओं के आकार-प्रकार तथा रूपरंग-संबंधी छोटे छोटे अंतरों को व्यंजित करने की क्षमता अपेक्षाकृत कम है। सूर्य, चंद्रमा, घायु, मेघं तथा कमल आदि कविहृदयों को स्पर्श करनेवाली वस्तुओं के अनेक पर्यायवाची शब्द हैं, जिससे उनके समयोचित उपयोग में घड़ी सुगमता होती है और जिससे काव्य में विशेष चमत्कार आ जाता है। परंतु हरीतिमा के अनेक भेदों अथवा पक्षियों के उड़ने के अनेक स्वरूपों के व्यंजक शब्द हिंदी में उतने नहीं मिलते। खड़ी पोली में तो क्रियापदों का अभाव इतना खटकता

* आजकल हिंदी में अँगरेजी के ढंग की Lyric कविताएँ भी लिखी जाने लगी हैं परंतु ऐसी रचनाओं का अभी प्रारंभ ही हुआ है।

है कि हम प्रचलित व्याकरण के कुछ नियमों को शिथिल कर नवीन क्रियाएँ गढ़ लेने तक का विचार करने लगे हैं और "सरसाना", "विकसाना" आदि भ्रजभाषा के रूपों को भी सड़ी घोली में लेने लगे हैं। हिंदी में भावों के अनुरूप भाषा लिखने का तो पर्याप्त सुभीता है, परंतु प्रत्येक शब्द में भावानुरूपता ढूँढ़ना मेरे विचार में भाषा-शास्त्र के नियमों के प्रतिकूल होगा। संस्कृत के खीलिंग "देवता" को हिंदी में पुलिंग बनाकर शब्द की भावात्मकता की रक्ता अवश्य हुई है; पर यह तो फेल एक उदाहरण है। इसके विपरीत संस्कृत के "कर्म" तथा "कार्य" को हिंदी में "काम" या "काज" बनाकर कर्म की स्वाभाविकता, कठोरता तथा कार्य की सच्ची गुरुता भुला दी गई है। कभी कभी तो हम अपने स्वभाव-वैयक्ति के फारण शब्दों की सार्थकता का व्यर्थ विरोध करते हैं। प्रातःकालीन सुपमा की सच्ची घोतकता "उपा" शब्द में है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने उस सुपमा पर मुग्ध होकर उसे देवीत्व तक प्रदान किया था और वह "सरस्वती" के समकक्ष समझी गई थी। उपा के उपरांत जब सुपुष्ट संसार जागकर कर्मकेव्र में ग्रवेश करता है और वे जब समस्त स्थावर-जंगम पदार्थ चैतन्य तथा कर्मण्य हो उठते हैं, उस समय के घोतक 'प्रभात' शब्द की कल्पना खीलिंग में करना हमारी अपनी दुर्वलता कहलाएगी, "प्रभात" के पुरुषत्व में उससे कुछ भी अंतर न पढ़ेगा। हमारे यह सब कहने का तात्पर्य यही है कि यद्यपि हिंदी का शब्द-कोश यहुत कुछ काव्योपयोगी है, तथापि उसमें कुछ प्रुटियाँ भी हैं। कभी उसकी प्रुटियाँ यहुत कुछ बढ़ा-बढ़ाकर कही जाती हैं और भाषा के विकासक्रम की अवहेलना कर उसकी जाँच अपने वैयक्तिक विचारों के आधार पर होती है। यदि ऐसा न हुआ करे तो हिंदी के शब्दों में भावानुरूपता की योग्यता संतोषजनक परिमाण में प्रतिष्ठित हो सकती है।

भारतीय संगीत की सबसे प्रधान विशेषता यह है कि उसमें स्वरों तथा लय का सामंजस्य स्थापित किया गया है। यूरोपीय संगीत में लय पर अधिक ध्यान दिया गया है और स्वरों हिंदी में भारतीय संगीत के सामंजस्य या राग की यहुत कुछ अवहेलना की गई है। इस देश में अत्यंत प्राचीन काल से संगीत की उन्नति होती आई है और अनेक संगीतशास्त्रीय ग्रंथों का निर्माण भी होता आया है। यहाँ का प्राचीन संगीत यद्यपि अपने शुद्ध रूप में अब तक मिलता है, परंतु विदेशीय प्रभावों तथा अनेक देशभेदों के फल-स्वरूप उसकी 'देशी' नामक एक विभिन्न शाखा भी हो गई जिसका विकास निरंतर होता रहा। हिंदी साहित्य के विकास-काल में "देशी" संगीत प्रचलित हो

सुका था, अतः उसमें 'देशी' संगीत का यहुत कुछ पुट पाया जाता है। इसके अतिरिक्त रागों और रागिनियों के अनेक भेदों का ठीक ठीक अभिव्यञ्जन करने की क्षमता जितनी हिंदी ने दिखलाई, साथ ही जितने सुचारू रूप से संगीत के अन्य अवयवों का विकास उसमें हुआ है उतना अन्य किसी प्रांतीय भाषा में नहीं हुआ।

हमारे साहित्य पर उपर्युक्त जातिगत तथा देशगत प्रवृत्तियों का प्रभाव यहुत कुछ स्थायी है। इनके अतिरिक्त दो-एक अन्य प्रासंगिक

हिंदी की दो अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएँ वातें हैं जिनका हिंदी साहित्य के विकास से घनिष्ठ संवंध रहा है तथा जिनकी छाप हिंदी साहित्य पर स्थायी नहीं तो चिरकालिक अवश्य है। पहली बात यह है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक युग के पहले ही संस्कृत साहित्य उन्नति की धरम सीमा तक पहुँचकर अधःपतित होने लगा था। जीवित साहित्यों में नवीन नवीन रचना-प्रणालियों के आविर्भाव तथा अन्य अभिनव उद्भावनाओं की जो प्रकृति होती है, उसका संस्कृत में अभाव हो चला था। अनेक रीति श्रंथों का निर्माण हो जाने के कारण साहित्य में गतिशीलता रह ही नहीं गई थी। नियमों का साम्राज्य उसमें विराज रहा था, उनका उल्लंघन करना तत्कालीन साहित्यकारों के लिये असंभव सा था। वे नियम भी ऐसे वैसे, न थे, वे यहुत ही कठोर तथा कहाँ कहाँ यहुत ही अस्वाभाविक थे। इन्हीं के फेर में पड़कर साहित्य की स्वाभाविक प्रगति रुक सी गई थी और तत्कालीन संस्कृत में जीवन की गति तथा उल्लास नाम मात्र को भी नहीं रह गया था। संस्कृत कविता अलंकारों से लदी हुई जीवन-हीन कामिनी की भाँति निष्प्रभ तथा निस्सार हो चुकी थी। हिंदी के स्वतंत्र विकास में संस्कृत के इस स्वरूप ने घड़ी घड़ी रुकावटें डालीं। एक तो इसके परिणाम-स्वरूप हिंदी काव्य का क्षेत्र यहुत कुछ परिमित हो गया; और दूसरे हिंदी भाषा भी स्वाभाविक रूप से विकसित न होकर यहुत दिनों तक अव्यवस्थित रही। यदि हिंदी के भक्त कवियों ने अपनी प्रतिभा के घल से उपर्युक्त दुष्परिणामों का निवारण करने की सफल चेष्टा न की होती तो हिंदी की आज कैसी स्थिति होती, यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता। खेद है कि भक्त कवियों की परंपरा के समाप्त होते ही हिंदी के कवि फिर संस्कृत साहित्य के पिछले स्वरूप से प्रभावान्वित होकर उसका अनुसरण करने लगे, जिसके फल-स्वरूप भाषा में तो सरलता तथा प्रौढ़ता आ गई, परंतु भावों की नवीनता तथा मौलिकता यहुत कुछ जाती रही।

ध्यान देने की दूसरी यात यह है कि हिंदी साहित्य का संपूर्ण युग अशांति, निराशा तथा पराधीनता का युग रहा है। हिंदी के ग्रारंभिक काल में देश स्वतंत्र अवश्य था परंतु उस समय तक उसकी स्वतंत्रता में वाधाएँ पड़ने लग गई थीं और उसके समुख आत्मरक्षा का कठिन प्रश्न उपस्थित हो चुका था। देश के लिये वह हलचल तथा अशांति का युग था। उसके उपरांत वह युग भी आया जिसमें देश की स्वतंत्रता नष्ट हो गई और उसके अधिकांश भाग में विदेशीय तथा विजातीय शासन की प्रतिष्ठा हो गई। तब से अब तक थोड़े बहुत अंतर से हीसी ही परिस्थिति बनी है। हमारे संपूर्ण साहित्य में करुणा फी जो एक हलकी सी अंतर्धारा व्याप मिलती है वह इसी के परिणाम-स्वरूप है। पुरानी हिंदी के समस्त साहित्य में नाटकों, उपन्यासों तथा अन्य मनोरंजक साहित्यांगों का जो अभाव दिखाई देता है, वह भी बहुत कुछ इसी कारण से है। केवल कविता में ही जनता की स्थायी भावनाओं की अभिन्यक्ति हुई और वही उनका इतिहास हुआ। सामाजिक मनोरंजन के एक प्रमुख साधन नाटक-नृचना का विधान भी न किया जा सका। देश की परतंत्रता सर्वतोमुखी साहित्यिक उन्नति में वाधक ही सिद्ध हुई।

अब तक जो कुछ कहा गया है उससे हिंदी साहित्य का स्वरूप समझने में थोड़ी बहुत सहायता मिल सिकती है; अब वह अधिक नहीं

तो उसकी कुछ स्थायी विशेषताओं का ही ज्ञान प्रगतिशील साहित्य हो सकता है, परंतु केवल कुछ विशेषताओं के प्रदर्शन से, साहित्य की आंशिक भलक दिखा देने से ही, साहित्य का इतिहास पूरा नहीं हो सकता। उपर्युक्त याते तो केवल एक सीमा तक उसके उद्देश की पूर्ति करती हैं। किसी साहित्य के इतिहास का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करने के लिये केवल उस साहित्य की जातिगत या देशगत प्रवृत्तियों को ही जानना आवश्यक नहीं होता, चरन् विभिन्न कालों में उसकी कैसी अवस्था रही, देश के सामाजिक, धर्मांक तथा कला-कौशल संबंधी आंदोलनों के उस पर कैसे कैसे प्रभाव पड़े, किन व्यक्तियों की प्रतिभा ने उसकी कितनी और कैसी उन्नति की, ऐसी अनेक यातों का जानना भी अनिवार्य होता है। ऊपर के विवेचन में साहित्य के जिस अंग पर प्रकाश डालने की चेष्टा की गई है, वह ग्रायः उसका स्थिर अंग है, परंतु उसका प्रगतिशील अंग भी होता है और यह प्रगतिशील अंग ही विशेष महत्त्वपूर्ण होता है। समय परिवर्तनशील है और समय के साथ देश तथा जाति की स्थिति भी बदलती रहती है।

जनता के इसी स्थिति-परिवर्तन के साथ उसकी चित्तवृत्तियाँ भी और की और हो जाती हैं; साथ ही साहित्य भी अपना स्वरूप बदलता चलता है। हिंदी साहित्य की भी बहुत कुछ ऐसी ही अवस्था रही है। देश के महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक आदि आंदोलनों से उसके स्वरूप में बड़े बड़े परिवर्तन उपस्थित हुए हैं और कभी कभी तो उसकी अवस्था बिलकुल और की और हो गई है।

यदि हम विगत नौ सौ वर्षों की हिंदी साहित्य की प्रगति का सिंहावलोकन करें तो कालक्रमानुसार उसके अनेक विभाग हिंदी साहित्य का दिखाई देंगे। उसके प्रारंभिक काल में धीर गाथाओं तथा अन्य प्रकार की धीरोल्लासिनी कालविभाग कविताओं की प्रधानता दिखाई देती है, यद्यपि

उस काल की कविता में शृंगार अथवा प्रेम की भी भलक पाई जाती है, तथापि वे धीरता की पुष्टि के लिये आय हैं, स्वतंत्र रूप में नहीं। जब जब धीरों को धीरता अथवा साहस का प्रदर्शन करना होता था, तब तब कविगण शृंगार की किसी मूर्तिमती रमणी की भी आयोजना कर लेते थे और उसके स्वयंबर आदि की कल्पना द्वारा अपनी धीरगाथाओं में अधिक रोचकता का समावेश करने का प्रयत्न करते थे। यही उस काल की विशेषता थी। इसके उपरांत हिंदी साहित्य अपने भक्तियुग में प्रवेश करता है और उसमें वैष्णव तथा सूफी काव्य की प्रचरता देख पड़ती है। रामभक्त तथा कृष्णभक्त कवियों का यह युग हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग समझा जाता है। इसमें हिंदी कविता भावों और भाषा दोनों की दृष्टि से उन्नति की चरम सीमा तक पहुँच गई। हिंदी कविता की इस अभूतपूर्व उन्नति के विधायक कवीर, जायसी, तुलसी तथा सूर आदि महाकवि हो गए हैं जिनकी यशोगाथा हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर हो गई है। इस युग के सहास होने पर हिंदी में शृंगारी कविता की अधिकता हुई और रीति-ग्रंथों की परंपरा चली। हमारे साहित्य पर मुगल-साम्राज्य की तत्कालीन सुख-समृद्धि तथा तत्संभव विलासिता की प्रत्यक्षछाप दिखाई देती है। कला-कौशल की अभिवृद्धि के साथ साथ हिंदी कविता में भी कलापक्ष की प्रधानता हो गई और फारसी-साहित्य तथा संस्कृत-साहित्य के पिछले स्वरूप के परिणाम में हिंदी में मुक्क का व्यय की अतिशयता देख पड़ने लगी। यद्यपि इस युग में युद्ध प्रेम का चित्रण करनेवाले रसखान, घनानंद तथा ठाकुर आदि कवि भी हुए और साथ ही भूषण आदि धीर कवियों का भी यही युग था, तथापि इसके प्रति-

निधि कवि देव, विहारी तथा पश्चाकर आदि ही कहलाएँगे। इनकी परंपरा यहुत दिनों तक चलती रही। अंत में भारतें दु हरिश्चंद्र के साहित्याकाश में उदित होते ही हिंदी में एक नवीन प्रकाश फैला। यद्यपि इसकी सर्व-प्रधान विशेषता गद्य-साहित्य का विकास मानी जा सकती है पर यह नवीन प्रकाश सर्वतोमुखी था। इस युग के साहित्य में पश्चिमीय प्रणालियों तथा आदर्शों की यहुत कुछ छाप पड़ी है और हिंदी एक नवीन रूप में ढल गई सी जान पड़ती है। हिंदी ही क्यों, अन्य भारतीय भाषाएँ भी यहुत कुछ पाश्चात्य भावों के योग से प्रगतिशील हो रही हैं। इसे हम नवीन विकास का युग मान सकते हैं। अतएव हम हिंदी साहित्य का कालविभाग संक्षेप में इस प्रकार कर सकते हैं—
 आदि युग (वीरगाथा का युग—संवत् १०५० से १४०० तक)
 पूर्व मध्य युग (भक्ति का युग—संवत् १४०० से १७०० तक)
 उत्तर मध्य युग (रीति-ग्रंथों का युग—संवत् १७०० से १९०० तक)
 आधुनिक युग (नवीन विकास का युग—संवत् १९०० से अब तक)।

परंतु उपर्युक्त कालविभाग तथा प्रत्येक काल की विशेषताओं के प्रदर्शन से हमारा यह आशय नहीं है कि एक काल के समाप्त होते ही कालविभाग की त्रुटियाँ लगी और न यही अभिप्राय है कि उन विभिन्न कालों में अन्य प्रकार को रचनाएँ हुईं ही नहीं। ऐसा समझना तो मानो साहित्य को गणितशास्त्र की थ्रेणी में मान लेना होगा; और साथ ही कवियों के उस व्यक्तित्व का अपमान करना होगा जो देश तथा काल के परे है। साहित्य पर काल का प्रभाव पड़ता अवश्य है, परंतु विभिन्न कालों का परिवर्तन यहुधा आकस्मिक हुआ करता है। राजनीतिक तथा सामाजिक स्थितियाँ धीरे धीरे घटलती हैं, एक ही दिन में ये परिवर्तित नहीं हो जातीं। इसी प्रकार काव्यधारा भी धीरे धीरे अपना पुराना स्वरूप घटलती तथा नवीन रूप धारण करती है, वह कभी एक दम से नया मार्ग नहीं ग्रहण करती। दूसरी धात यह है कि साहित्य कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है कि सामाजिक आदि स्थितियों के घटलते ही तुरंत घटल जाय। कभी कभी तो साहित्य ही आगे बढ़कर समाज का नियंत्रण करता है और उसे नए मार्ग पर लाता है; साथ ही यह भी सत्य है कि किसी किसी काल में सामाजिक अथवा राजनीतिक आदि स्थितियों के सुधर जाने पर भी साहित्य पिछड़ा ही रहता है और बड़ी कठिनता से समाज के साहचर्य में आता है, उसके अनुकूल होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि यद्यपि साहित्य का समाज की विभिन्न स्थितियों से

बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है परंतु वह संबंध ऐसा यांत्रिक तथा कठोर नहीं होता कि साहित्य उन स्थितियों की अवहेलना न कर सके शैरां स्वतंत्र रीति से उसका विकास न हो सके।

साहित्य के इतिहास में कालविभाग कर लेने से उसकी विभिन्न कालों की स्थिति समझने में सुगमता तो अवश्य होती है, परंतु साथ ही यह बात भी न भूल जानी चाहिए कि साहित्य एक वैयक्तिक कला है; और प्रत्येक वडे साहित्यकार की अपनी वैयक्तिक विशेषताएँ होती हैं। यद्यपि ये विशेषताएँ देश और काल से बहुत कुछ निलिपित होती हैं, तथापि इनमें साहित्यकार के व्यक्तित्व की भी छाप होती है। प्रतिभाशाली तथा विचक्षण कवि अथवा लेखक कभी कभी स्वतंत्र रीति से बाणी के विलास में प्रवृत्त होते हैं और समाज की साधारण स्थितियों का उन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। अधिकतर यही देखा जाता है कि जो कवि जितना ही अधिक स्वतंत्र तथा मौलिक विचारवाला होता है, वह समाज की लकीर पर चलना उतना ही अधिक अस्वीकार करता है और उतना ही अधिक वह साहित्य के साधारण प्रवाह से दूर पहुँच जाता है। हिंदी के प्रमुख दीर कविताकार “भूपण” ने देश भर में विस्तृत रूप में व्याप्त शृंगार-परंपरा के युग में जिस स्वतंत्र पथ का अवलंबन किया उससे हमारे इस कथन का प्रत्यक्ष रीति से समर्थन होता है। ऐसे अन्य उदाहरण भी उपस्थित किए जा सकते हैं परंतु ऐसा करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। साहित्यकला की यही विशेषता देखकर साहित्य के कुछ इतिहासलेखक उसका कालविभाग न करके उसके मुख्य मुख्य कवियों तथा लेखकों को ही कालनायक मान लेते तथा उन्हीं के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हैं।

परंतु मेरे विचार से मध्यम पथ का ग्रहण थेयस्कर होगा। यह पथ ग्रहण करने से एक और तो हम साहित्य पर काल की अनेक श्रुतियों का प्रतिकार स्थितियों का प्रभाव दिखला सकेंगे और दूसरी ओर साहित्यकारों की वैयक्तिक विशेषताओं का प्रदर्शन भी कर सकेंगे। वास्तव में साहित्य के इतिहास का सच्चा शान तभी हो सकता है जब विभिन्न कालों की सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक आदि स्थितियों से उसके संबंध का निरूपण होता जाय; साथ ही उसकी ये विशेषताएँ भी स्पष्ट होती जायें जो प्रतिभाशाली तथा विचक्षण कवियों और लेखकों से उसे प्राप्त होती हैं। इस पुस्तक में इसी शैली के अनुकरण का प्रयत्न किया जायगा।

दूसरा अध्याय

भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ

हम पहले अध्याय में यह कह चुके हैं कि देश और काल से साहित्य का अविच्छिन्न संबंध है, और प्रत्येक देश के विभिन्न कालों की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आदि स्थितियों का प्रभाव उस देश के साहित्य पर पड़ता है। जिस प्रकार साहित्य कला में देशगत और कालगत भेद होते हैं, उसी प्रकार अन्य ललित कलाएँ भी देश और काल के अनुसार अपना रूप बदला करती हैं। साहित्य का विकास ठीक ठीक तभी हृदयंगम हो सकता है जब अन्य ललित कलाओं के विकास का इतिहास भी जान लिया जाय और उनके विकास का स्पर्श समझने का प्रयास किया जाय। अतः हिंदी साहित्य के विकास का इतिहास लिखने से पहले उत्तर भारत की उन राजनीतिक और सामाजिक आदि प्रगतियों का जान लेना भी आवश्यक है जिनसे प्रभावान्वित होकर हिंदी साहित्य पुष्पित और पल्लवित हुआ है, और जो उसके विकास में सहायक हुई है। इसी प्रकार बास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीतकला आदि विभिन्न ललित कलाओं की प्रगति भी समझ लेनी चाहिए, क्योंकि साहित्यकला भी इन्हीं में से है और उनमें सबसे ऊचे स्थान फौ अधिकारिणी है। अतएव इस अध्याय में हम उत्तर भारत की राजनीतिक सामाजिक सांप्रदायिक तथा धार्मिक आदि अवस्थाओं का और अगले अध्याय में उस काल की ललित कलाओं का संक्षेप में दिग्दर्शन करायेंगे। हिंदी साहित्य के विकास से ठीक ठीक परिचित होने के लिये उपर्युक्त दोनों घाटों का जान लेना यहुत आवश्यक है।

उत्तर भारत में हृपर्वद्धन शंतिम हिंदू सम्राट् हुआ जिसने अपने प्रभाव, बल और शौर्य से समस्त उत्तराध्य में अपना एकाधिपत्य स्थापित

पूर्वोभास

किया और जो अपनी धर्मबुद्धि तथा शासननीति

के कारण प्रजा को सुख-समृद्धि-पूर्ण करके देश के महान् शासकों को श्रेणी में प्रतिष्ठित हुआ। उसके शासनकाल में भारत ने घह शांति और मुव्यवस्था पाई थी जो उसे विश्वाल मोर्य तथा गुप्त साम्राज्यों में ही मिली थी। उस काल के चौनी यात्री हुएन्सांग के वर्णनों में तत्कालीन सामाजिक स्थिति का जो दिव्य चिन दिखाई

पड़ता है, उसकी समता इस देश के इतिहास में कठिनता से मिल सकती है। धार्मिक अवस्था भी बहुत ही संतोषजनक थी। यद्यपि वौद्ध धर्म अपनी चरण उन्नति के उपरांत शिथिल पड़ता जा रहा था और वैदिक ब्राह्मण धर्म को फिर से प्रतिष्ठा होने लगी थी; पर यह कार्य यड़ी ही शांति के साथ, विष्वविद्वाह-रहित रूप में हो रहा था। हर्षवर्द्धन स्वयं धर्मप्राण नृपति था; पर उसमें वह धार्मिक कट्टरपन नाम को भी नहीं था जिससे क्रांति और हिंसा को प्रथय मिला करता है। तर्क और वृद्धि की महत्ता से अपने अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार सबको था; और राज्य की ओर से भी समय समय पर ऐसी धार्मिक सभाएँ हुआ करती थीं, पर उनमें पक्षपात या विद्वेष का भाव नहीं रहता था। इस प्रकार की धार्मिक उदारता हर्षवर्द्धन की उन्नति का मुख्य कारण थी। प्रजा भी उसकी उदार जीति और सुचारू शासन से प्रसन्न होकर राजभक्त बनी थी। सारांश यह कि क्या राजनीतिक, क्या सामाजिक और क्या धार्मिक सभी हिंसियों से हर्षवर्द्धन का शासनकाल देश के लिये बहुत ही कल्याणकर हुआ और उसमें भारत के घल-वैभव की भी विशेष वृद्धि हुई।

आदि काल

हर्षवर्द्धन की मृत्यु विक्रम संवत् ७०४ में हुई। उसके पीछे का भारतवर्ष का इतिहास आपस के लडाई भगड़ों का इतिहास है। हर्ष सांस्कृतिक स्थिति की मृत्यु के साथ ही हिंदुओं के अंतिम साम्राज्य का अंत हो गया और देश खंड खंड होकर विभिन्न अधिपतियों के हाथों में चला गया। हर्ष के साम्राज्य के भिन्न भिन्न अंशों पर अनेक खंड राज्य स्थापित हुए जो आधिपत्य के लिये आपस में लड़ते रहे। इनमें मुख्य तोमर, राठौर, चौहान, चालुक्य और चौदेल थे। इनकी राजधानियाँ दिल्ली, काशीज, अजमेर, धार और कालिंजर में थीं। हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास उस समय से आरंभ होता है जब ये राज्य स्थापित हो चुके थे।

यद्यपि मुसलमानों का भारतवर्ष में पहले पहल आगमन सलीफा उमर के समय में संवत् ६६३ में हुआ था और इसके अनंतर सिध पर निरंतर उनके आक्रमण होते रहे थे, पर ये आक्रमण लूट-पाट के उद्देश से होते थे, राज्य स्थापन की कामना से नहीं होते थे। पीछे से ये लोग यहाँ घसने और जीते हुए प्रदेश पर अपना शासनाधिकार जमाने के अभिलापी हुए। कुछ राजवंश मुलतान, मनसूरा आदि में स्थापित

हुए और सैयदों ने सिखु-तटों के प्रदेश पर अपना अधिकार जमाया। इस प्रदेश पर मुसलमानों के इन आक्रमणों का कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने अपने शासन के जो कुछ चिह्न छोड़े, वे यहीं बड़ी इमारतों के भग्नावशेष मात्र हैं, जो आक्रमणकारियों की कहरता और अत्याचार के स्मारक स्वरूप अब तक चर्तमान हैं। उन मुसलमानों का भारतीयों की संस्कृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पर यहीं की संस्कृति के प्रभाव से वे अद्वृते नहीं रह सके। इस संवंध में डाक्टर ईश्वरीप्रसाद अपने मध्य-कालीन भारत के इतिहास में लिखते हैं—

“यह निस्संकोच होकर स्वीकार करना पड़ेगा कि सिंध पर अरबों की विजय इस्लाम के इतिहास में कोई विशेष महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना नहीं है, परंतु इस विजय का मुसलमानों की संस्कृति पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। जब अरबों सी भारतवर्ष में आए तब वे इस देश की उच्च सभ्यता देखकर चकित हो गए। हिंदुओं के उच्च दार्शनिक सिद्धांत तथा उनकी धुम्रिय की तीव्रता और पांडित्य आदि देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। मुसलमानों का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक सिद्धांत एक ईश्वर की कल्पना है, पर यह तो हिंदू महात्माओं और दार्शनिकों को बहुत पहले से मालूम था। उच्च कलाओं में हिंदू बहुत बढ़े चढ़े थे। भारतीय संगीत, वास्तुकलाकार तथा चित्रकार भी अरबों की दृष्टि में उतने ही आदरणीय थे जिनने भारतीय दर्शनशास्त्री और पंडित थे। राज्यशासन-नीति आदि व्यावहारिक विषयों में अरबों ने हिंदुओं से बहुत कुछ सीखा। वे उच्च पदों पर ग्राहणों को ही नियुक्त करते थे। इसका कारण यही था कि वे ज्ञान में, अनुमति में और कार्यकुशलता में अधिक दब थे। अरब संस्कृति के अनेक अवयव, जिन्हें युरोप ने प्रचुरता से ग्रहण किया था, भारत से ही प्राप्त हुए थे। उस समय भारतवर्ष धुम्रिय के ऊंचे धरातल पर स्थित था और। अनेक यवन विद्वान् भारत के बौद्ध तथा ग्राहण पंडितों से दर्शन, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद तथा रसायन आदि विद्याएँ सीखते थे। वगदाद के तत्कालीन दरवार में भारतीय पंडितों का सम्मान होता था और खलीफा मंसूर (संवत् ८१०-३१) के समय में भारत से कुछ अरब विद्वान् ग्रहण-गुप्त-रचित ग्रहसिद्धांत और खंड-वादक नामक ग्रंथ ले गए थे। इन्हीं पुस्तकों से पहले पहल अरबों ने ज्योतिष शास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों को समझा था। खलीफा हारू (८५३-८६५) के चजीरों से, जो घरमक-वंशीय थे, हिंदुओं की विद्या को बड़ा प्रोत्साहन मिला। यद्यपि घरमक-परिवार ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, फिर भी वे उसमें विशेष

अनुरक्त नहीं थे। हिंदू धर्म की ओर प्रवृत्ति होने के कारण उन्होंने अरय के अनेक विद्वानों को आयुर्वेद, ज्योतिष, कृषि तथा अन्य विद्याओं की शिक्षा प्राप्त करने के लिये भारत में भेजा था। परंतु यह अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए कि मुसलमानों ने भारत से प्राप्त ज्ञान को लौकिक आवरण देकर युरोप के सामने एक नवीन रूप में रखा। युरोपीय विचारों के लिये यह उपयुक्त भी सिद्ध हुआ। हैवेल साहब के इस विचार का समर्थन करने को अनेक प्रमाण हैं कि इस्लाम की किशोरावस्था में उसे भारत ने ही शिक्षा दी थी, यूनान ने नहीं। भारत ने ही उसके दर्शन-तत्त्व निरूपित किए थे और प्रेम-विशिष्ट धार्मिक आदर्शों को स्थिर किया था। भारत की ही प्रेरणा से मुसलमानों के साहित्य, कला और शिल्प आदि को सुचारू स्वरूप मिले थे।"

परंतु संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं पर विजय न पा सकने पर भी धीरे धीरे मुसलमानों का आतंक बढ़ता गया और उनके आक्रमण बहुत कुछ दृढ़ और नियमित हो गए। हिंदू विलकुल निर्वल नहीं थे, उनकी सेनाएँ बलवटी थीं, पर दर्शनिक घाद-वियाद और अहिसा आदि पर विश्वास करनेवाली जाति बहुत दिनों तक अपनी रक्षा नहीं कर सकी। यद्यपि उस समय हिंदुओं के वर्णभेद के कारण आजकल का सा जातीय कट्टरपन नहीं आ सका था, परंतु संघटित होकर यवन-शक्ति का विरोध करने में हिंदुओं की समस्त शक्ति एकत्र नहीं हो सकी। ग्राहणों में शैव शाक आदि विभेद भी हो चले थे और क्षत्रियों में तो आपस की छीना-झपड़ी लगी ही थी। इस प्रकार जातीय शक्ति विश्वरूप होकर पराधीनता की बेड़ी पहनने को तैयार हो गई थी।

इसी समय गजनी के सुलतान महमूद के प्रसिद्ध आक्रमण प्रारंभ हुए। देश का अनंत धन-जन छीना गया। मंदिर तोड़े गए, कला के

राजनीतिक अवस्था **सुंदरतम् निर्दर्शन नष्ट कर दिए गए।** फिर भी राजपूत राजाओं की नींद न खुली, उनका आपस का विद्वेष बना ही रहा। अंत में जब गजनी साम्राज्य के उखड़ जाने पर गोर प्रदेश के अधिपति ने यवन-शक्ति का नवीन संघटन किया तब मुसलमानों की नीति में विलकुल परिवर्तन हो गया। इसके पहले उनके आक्रमणों का मुख्य उद्देश लूट-मारकर काफिरों को तंग करना और इस देश की अतुल धन संपत्ति को विदेश ले जाना तथा यहाँ के निवासियों को गुलाम बनाना था, पर अब वे भारत पर राजनीतिक अधिपत्य जमाने का प्रयत्न करने लगे। मुहम्मद गोरी ने पहले तो पंजाब प्रदेश का एक विस्तृत भूभाग हस्तगत किया और फिर उत्तर

भारत के प्रसिद्ध राजपूत राज्यों पर चढ़ाई करने का आयोजन किया। हिंदू शक्ति दिल्ली के प्रसिद्ध चौहान अधिपति पृथ्वीराज की अध्यक्षता में एक बार जारी और गोरी को अनेक बार हारकर भागना और कैद होना पड़ा, पर बंधुभाव-समन्वित यवन सेना के सामने हिंदू घुत समय तक नहीं ठहर सके। पारस्परिक भगड़ों में ही उनका घुत कुछ हास हो गया था। फलतः मुहम्मद गोरी ने संवत् १२४६ में प्रसिद्ध तराई की लड़ाई में हिंदुओं को पराजित कर दिया। यवन घुड़सवारों का वह पराक्रम हिंदुओं को हताश करने में सहायक हुआ। इसके उपरांत क्रमशः कफ्नीज आदि के विस्तृत हिंदू राज्य भी मुसलमानों से पादाक्रांत हुए और योद्धे समय में ही पंजाब से लेकर बंगाल तक यवन फंडा फहराने लगा। कफ्नीज के तत्कालीन नरेश जयचंद ने मुहम्मद गोरी से मिलकर पृथ्वी राज को हराने का पड़यन्त्र रखा था, अतः इतिहास में उसका नाम राष्ट्र के साथ विश्वासघात करनेवालों की श्रेणी में लिखा गया है। पर वास्तव में सारी जाति को ही भारत का स्वातंत्र्य खोने का अपराधी मानना उचित होगा। जयचंद की प्रवृत्ति उस समय के समस्त खंडाधिपतियों की प्रवृत्ति हो रही थी, नहीं तो एक जयचंद के विश्वासघात से समस्त देश का पराजित होना कभी संभव नहीं था।

यद्यपि देश ने अपनी स्वतंत्रता खोकर उन समस्त संकटों का सामना किया जो एक परतंत्र देश को करने पड़ते हैं, पर मुसलमानों के शासन से कुछ लाभ भी हुए। यह ठीक है कि हिंदू आत्मसम्मान खो दूँठे, उनके गौरव का हास हो गया और विजातीय तथा विधर्मी शासन के प्रतिपित होने के कारण यहाँ की धार्मिक तथा सामाजिक व्यवस्था को बड़ा धक्का लगा, परंतु जो जाति चुद्र स्वाधीनों के वशीभूत होकर अपनी राष्ट्रीयता का अनुभव नहीं कर सकती, उसे ऐसा ही फल मिलता है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। मुसलमानों के राज्य स्थापन के उपरांत उनकी भाषा और उनके धर्म का प्रचार भी हुआ, और कुछ निरंकुश शासकों ने तलवार के बल से धर्म का प्रचार किया और यहाँ की समाजनीति को उलट-पुलट डालने में पाशांविक बल की सहायता ली। समाजनीति के सुव्यवस्थित संचालन के लिये जिस अनुकूल राजशक्ति तथा अन्य वातावरण की आवश्यकता होती है वह हिंदुओं को बहुत कम प्राप्त हुई, फलतः उनके सामाजिक धंधन बहुत कुछ शिथिल और अनियमित हो गए। परंतु साथ ही हमको यह भी स्त्रीकार करना पड़ेगा कि यवन शासन के स्थापित हो जाने पर एक सीमा तक उस सुख और समृद्धि का काल आया जो धिशाल साम्राज्यों

में ही प्राप्त हो सकता है, दूटे फूटे और संघर्षपूर्ण खंड राज्यों में नहीं मिल सकता। इसके अतिरिक्त नवीन यवनशक्ति में जो संजीवता और उत्साह था, उससे यहाँ के बायुमंडल को एक अभिनव चेतना मिली और अनेक क्षेत्रों में नवीन प्रगति का आरंभ हुआ। मुसलिम कला के संयोग से भारतीय कला एक नए साँचे में ढली और मुसलमानों की बाहरी “तहजीब” (शिष्टा) का भी हम पर बहुत कुछ प्रभाव पड़ा। साहित्य के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुए। अरवी भाषा का एक अच्छा साहित्य था, जिसे यहाँ के निवासियों ने थोड़ा बहुत ग्रहण किया। आज हम साधारण बोल-चाल में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसमें मुसलमानों की अरबी और फारसी भाषाओं के शब्दों का भी कम मेल नहीं रहता।

जिस समय राजनीतिक क्षेत्र में मुसलमानों का प्रभाव बढ़ रहा था और उनके आक्रमण तथा राज्य-स्थापन के कार्य शीघ्रता से चल रहे

सामाजिक अवस्था थे, उस समय भारत की धार्मिक परिस्थिति तथा सामाजिक अवस्था में भी परिवर्तन हो रहा

था। हम पहले ही कह चुके हैं कि हर्षवर्द्धन के समय से ही घौम्द धर्म का ह्रास होने लगा था। उस ह्रास के कई कारण बतलाए जाते हैं; परंतु उसकी अवनति का प्रधान कारण बुद्ध के उपदेशों का लोक-धर्म के रूप में प्रतिष्ठित न हो सकना ही था। वे उपदेश केवल धैयकिक साधना के उपयुक्त थे और उन्हें समाज ग्रहण नहीं कर सका। घौम्द धर्म जिन उच्च आदर्शों पर अधिष्ठित है, उनका पालन साधारण जनता न कर सकी। तत्कालीन संघों में अनाचार घंडने लगा और स्थविर भी विलासी और धनलोलुप हो गए। यह बुद्ध के उपदेशों के सर्वथा विपरीत था। बुद्ध ने जिस सरल और त्यागपूर्ण जीवन का आदर्श स्थापित किया था, वह उनके अनुयायियों में प्रतिष्ठित न हो सका। उसी अवसर पर ज्ञानिय नृपतियों की उग्र मनोवृत्तियों के सामने घौम्द अहिंसावाद ठहर न सका और उसके अनुयायी कम होने लगे। ऐसी परिस्थिति में महारथा शंकर का आविर्भाव हुआ, जिनकी तीव्र विदेशन-शक्ति और अद्भुत ज्ञान का सहारा पाकर हिंदू धर्म नव जीवन प्राप्त करके जाग उठा। शंकर स्वामी के प्रसिद्ध दिग्विजय के फल-स्वरूप घौम्द धर्म का समस्त उत्तर भारत से उन्मूलन हो गया और उसे विहार के कुछ विहारों में ही शरण लेनी पड़ी। विक्रम की तेरहवीं शताब्दी के मध्य में जय मुसलमानों का आक्रमण विहार पर हुआ तथ रहे सहे घौम्द भी हुम हो गए और इस प्रकार इस देश में उस धर्म का

अस्थितिव ही प्रायः मिट सा गया जो किसी समय देशव्यापी हो रहा था। वैदिक हिंदू धर्म की पुनःप्रतिष्ठा हो जाने पर शैव, शाक, वैष्णव आदि अनेक संप्रदाय भी चल निकले, जिनमें पारस्परिक स्पर्द्ध रहती थी। तत्कालीन राजपूतों की मनोवृत्ति की सहायता से शैव तथा शाक संप्रदायों की ही विशेष अभियुक्ति हुई थी।

तत्कालीन समाज में ज्ञानियों का प्रावल्य था, ब्राह्मण पूज्य अवश्य समझे जाते थे, पर उनकी श्रेष्ठता कम हो चली थी। घह राजपूतों का उत्थान काल था। राजपूत सरल प्रकृति के परंतु शक्तिसंपन्न और बीर थोड़ा थे। उनकी उदारता भी कम प्रसिद्ध न थी। वे अपनी जियों का विशेष सम्मान करते थे और उनकी बीर रमणियाँ भी अपने पूज्य पतियों के लिये प्राणों तक का मोह नहीं करती थीं। जैहर की प्रथा तब तक प्रचलित थी जिससे तत्कालीन राजपूत बीरांगनाओं के पति परायण होने का उच्चल परिचय मिलता है। परंतु राजपूतों में यहुत से अवश्यक भी थे जिनके कारण उनकी शक्ति क्षीण हो गई। वे क्रोधी थे, और छोटी छोटी बातों में उबल पड़ते थे। वैयक्तिक स्पर्द्ध से अंधे होकर जाति और दाएँ के लाभों को वे विस्मृत कर देते थे, संघटित होकर विपक्षियों का सामना करने के लिये वे प्रवृत्त न होते थे। यह ठीक है कि धीसलदेव, पृथ्वीराज, हम्मीरदेव तथा राणा साँगा जैसे बीर राजपूत भी हुए जिन्हें देश के गौरव का विशेष ध्यान था, पर अधिकांश राजपूत राजाओं में राधीय चेतना का अभाव था। प्रजा भी तत्कालीन राजनीतिक उलट-फेर में पड़कर अपना ध्येय निरूपित न कर सकी। फलतः उसमें भी कलह और विद्वेष का विष व्याप्त हो गया। जातीय पतन का यह यहुत ही भीषण काल था।

उस समय के प्रसिद्ध मुसलमान इतिहासलेखक अलबैरनी के अनुसार भारतवर्ष में काश्मीर, दिल्ली, सिंध, मालवा तथा कञ्चोज आदि प्रसिद्ध राज्य स्थापित थे। समाज में गोत्र, प्रवर आदि के अनुसार जाति पाँति के भगड़े घढ़ रहे थे। चार बर्णों के स्थान पर अनेक उपजातियाँ हो गई थीं जो परस्पर खान पान और विवाह आदि का संबंध नहीं रखती थीं। बाल-विवाह की प्रथा थी, पर विधवा-विवाह का निषेध था। ब्राह्मण मध्यप नहीं थे। अंत्यज आठ प्रकार के होते थे जिनमें पारस्परिक विवाहसंबंध होता था। उच्च बर्ण इन्हें घृणा की दृष्टि से देखते थे, पर इस्लाम धर्म के साथ साथ समानता के सिद्धांत का प्रचार हुआ और अंत्यजों के प्रति उच्च बर्णों के व्यवहार में भी परिवर्तन हुए।

पूर्व मध्य काल

मुहम्मद गोरीं के उपरांत दिल्ही का शासनाधिकार क्रमशः गुलाम, खिलजी तथा तुगलक राजवरानों के हाथ में रहा। यद्यपि इन राजवंशों राजनीतिक अवस्था ने कई सौ वर्षों तक भारत के विस्तृत भूभाग पर शासन किया; पर इस समय कोई सुव्यवस्थित शासननीति आविभूत न हो सकी। विभिन्न अधिपति अपनी अपनी चित्तवृत्ति के अनुसार राज्य करते थे और प्रजा को उनकी नीति स्वीकार करनी पड़ती थी। उस काल में यद्यपि मुसलमानों के पैर इस देश में अच्छी तरह जम गए थे और उन्हें यहाँ से निकाल याहर करने की शक्ति हिंदुओं में नहीं रह गई थी, पर फिर भी हिंदुओं ने उस समय तक विदेशीय शासन को एकदम अंगीकार नहीं कर लिया था। मुसलमान शासक भी अब तक किसी घड़े साम्राज्य स्थापन का कार्य नहीं कर सके थे और राजपूत राजाओं से कार लेकर ही वे संतोष कर लेते थे। इस काल में यद्यपि अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद तुगलक और कीरोज शाह जैसे घड़े नृपति भी हुए, पर ये उस केंद्रीय शासन की प्रतिष्ठा करने में समर्थ नहीं हुए जिसका सम्यक् आविर्भाव मुगल काल में हुआ। अनेक मुसलमान राजवंश बहुत कुछ स्वतंत्र होकर जैनपुर आदि में स्थापित हुए जो दिल्ली के मुख्य शासन से प्रायः असंपर्कित थे। इन यत्कानामक तत्कालीन इतिहासलेखक के अनुसार यह मानना पड़ता है कि इस काल के शासकों में देश की हितचिंता भी अवश्य थी और औपधालयों, यात्रागृहों आदि की स्थापना करके वे प्रजा का पर्याप्त हित साधन भी करते थे; परंतु उनकी अनियमित शासननीति के कारण देश में वह शांति और समृद्धि नहीं आ सकी थी जो पीछे से अकवर आदि के शासनकाल में आई। मुसलमानों के शासन का यह आदि काल था; अतः इसमें विशेष प्रौढ़ता और स्थिरता की आशा नहीं को ज्ञा सकती थी।

इन मुसलमान शासकों के समय में विलासिता की वृद्धि हुई और मुसलमान तथा हिंदू दोनों ही नैतिक दृष्टि से अधिकतर होने लगे।

सामाजिक अवस्था मदिरा का प्रचार व्यापक रूप में हो रहा था और घड़ी घड़ी बुराइयाँ शीघ्रता से फैल रही थीं। यद्यपि बलवन तथा अलाउद्दीन आदि कुछ शासकों ने सुधार की देश की थी, परंतु वैभव की वृद्धि के कारण एक और तो मुसलमानों को उस और ध्यान देने का अवसर ही नहीं मिला और दूसरी ओर उस वृद्धि के साथ ही धार्मिक शिथिलता भी आई तथा समाज में अनेक प्रकार के अंध-

विश्वास छुस गए। अह्वान का साम्राज्य था। हिंदू तो पराधीन होकर पहले ही गौरवहीन हो गए थे, और विलास में फँसकर उन्हें पूरी पूरी आत्मविस्मृति हो गई। शास्त्रह पंडित तो मुसलमानों के संसर्ग में घटुत कम आए और उन्हें 'म्लेच्छ' कहकर चरायर अपनी उच्चता की ही धोपणा करते रहे, पर साधारण जनता विलासमग्न रहती हुई भी घटुत दिनों तक आत्मप्रबंचना न कर सकी। हिंदुओं को विजेता यवन नीची निगाह से देखते और उनका तिरस्कार करते थे। उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता मिली थी, पर जजिया जैसे फर देने पर। उच्च सरकारी पदों पर वे घटुत कम लिप जाते थे। धार्मिक विषयों का निर्णय मुसलमान काजी करते थे, जिससे हिंदुओं के साथ न्याय होने की घटुत कम आशा रहती थी। हिंदुओं का जान माल सब अनिश्चित था, उनके साथ यवन शासकों की घटुत कम सहानुभूति थी। ऐसी परिस्थिति में हिंदू कथ तक आत्मबंचना करते और विलास की नींद में सोते रहते? परंतु वे कर ही क्या सकते थे। जीवन में उन्हें सहारा ही किसका था? वे शक्तिहीन और असंघटित थे। इस समय कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनका उन्नयन करने में समर्थ होता। यदि उन्हें कुछ आशा रह गई थी तो वह केवल लोकपालक, असुरविनाशक, भक्तभयहारी ईश्वर की अमोघ शक्ति की थी।

फलतः एक महान् धार्मिक आंदोलन उठ खड़ा हुआ जिसका प्रभाव देश के कोने कोने में पड़ा। इस आंदोलन को इतिहास में वैष्णव आंदो-

लन कहा गया है। भगवान् के लोक-पालक रूप मध्यकालीन धार्मिक लन कहा गया है। की विष्णु के रूप में प्रतिष्ठा करके उनकी भक्ति उत्पान का मार्ग समस्त देश में प्रशस्त कर दिया गया। हिंदुओं को उस समय जिस निराशा और निष्टसाह ने घेर लिया था, उसकी प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई। नवीन धार्मिक चेतना से अनुप्राणित होकर हिंदू जाति एक धार फिर से सचेत हो उठी। यह ठीक है कि इस आंदोलन का थाहा स्वरूप घटुत कुछ बदलता रहा, और विष्णु, राम, कृष्ण आदि विभिन्न उपास्य देवों की प्रतिष्ठा भी हुई; पर हम यह नहीं भूल सकते कि इस विभिन्नता में भी आंतरिक पक्ता है और वह पक्ता भगवान् की लोकरक्षणी और लोकरक्षणी संगुण शक्ति की आराधना के रूप में दिखाई देती है। मुसलमानों के इस देश में वह जाने के कारण जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी यद्यपि उसका प्रभाव भी इस आंदोलन पर पड़ा, पर निस्संकोच भाव से इतना कहा जा सकता है कि अपने शुद्ध स्वरूप में, यह हिंदुओं के शास्त्रानुकूल था और संगुणोपासना के

उस सिद्धांत पर अवलंघित था जिसका आविर्भाव इस देश में मुसलमानों के आने से बहुत पहले हो चुका था। इस नवीन धार्मिक आंदोलन का अन्य क्षेत्रों पर जो प्रभाव पड़ा, वह तो पड़ा ही, साहित्यकेन्द्र भी उसके शुभ परिणाम-स्वरूप अनंत उर्वर हो उठा और अनेक प्रतिभाशाली कवियों की वाणी से असंख्य जनता अपूर्व शांति और आशा से लहलहा उठी। यहाँ पर हम इस आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे देना आधश्यक समझते हैं क्योंकि इसका हिंदी साहित्य के विकास से बहुत घनिष्ठ संबंध है।

हम पहले कह चुके हैं कि शंकर स्वामी ने यौन्द्र धर्म को दबाकर भारतीय जन समाज में वैदिक धर्म की पुन प्रतिष्ठा की थी। महात्मा शंकर ने थुतियों को ही प्रभाण मानकर अद्वैतवाद का प्रचार किया था और ब्रह्म सत्य तथा जगत् मिथ्या का सिद्धांत प्रतिपादित और प्रतिष्ठित किया था। “ब्रह्म से विभिन्न कोई सत्ता नहीं है, जीव भी ब्रह्म ही है और जगत् भी ब्रह्म ही है। माया ब्रह्म की ही शक्ति है जिसके कारण ब्रह्म और जीव का अभेद प्रतीत नहीं होता।”) संक्षेप में शंकर का यही सिद्धांत है। व्यापक ब्रह्म की कल्पना से महात्मा शंकर ने पुनः उस आध्यात्मिक उदारता को समाज में प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की जो इस देश की घडी पुरानी विशेषता थी किंतु जी समय के फेर से सांप्रदायिक संकीर्णता और मतमतांतरों की विविधता के अंधकार में लुप्त हो रही थी। इससे हिंदू जाति को एकता के सून में ग्रथित होने तथा आत्म-शक्ति का संचय करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। तुलसीदास आदि महात्माओं तथा कवीर आदि संतों ने समान रूप से इसका आधार ब्रह्म कर अपनी काव्य-भूमि का निर्माण किया। सांसारिक तथा व्यावहारिक आदर्शों में इस मत के परिणाम-स्वरूप एक स्वच्छन्द प्राकृतिक प्रवृत्ति का प्रकाश फैला क्योंकि इस मत ने अनेक यौन्द्रिक और कुत्रिम रुद्धिगत धंधनों को नष्ट कर दिया। इस संन्यास-मत के फल-स्वरूप उच्च फोटो के दार्शनिक कवियों और महात्माओं का आविर्भाव हुआ जिनसे हिंदी साहित्य की अपूर्व उत्थाति हुई। एक प्रकार से महात्मा शंकर की ही प्रबल आध्यात्मिक प्रेरणा से मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन की प्राण-प्रतिष्ठा हुई जिसका अमित प्रभाव हिंदी साहित्य पर पड़ा। शंकर मत का मायावाद, कुछ विद्वानों के विचार से, जनता में निराशा फैलाने तथा भाग्य को प्रधानता प्राप्त कराने में सहायक हुआ। परंतु इस विषय में हमारा बहुत कुछ मतभेद है।

शंकर अद्वैतवाद अपनी उपर्युक्त विशेषताओं के होते हुए भी भक्ति या उपासना का सुदृढ़ आलंबन न उपस्थित कर सका। उसके

लिये अधिक व्यक्तिगत तथा विशिष्ट सत्ता की आवश्यकता थी। हिंदू तो लोकन्यवहार में सहायता पहुँचानेवाले, दुःखों का निवारण करने-घाले पेसे भगवान् का सहारा चाहते थे जो उनकी रक्षा कर सकता और जिसके चरणों पर वे कृतज्ञता प्रदर्शित करते हुए न त हो सकते, अर्थात् उन्हें ईश्वर की उस संगुण सत्ता की आवश्यकता थी जो लोकरंजन और लोकपालन करती है। इन्हों उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए स्वामी रामानुजाचार्य ने अपने प्रसिद्ध विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस मत का प्रचार दक्षिण में बहुत अधिक और उत्तर में भी कम नहीं हुआ। इसमें निर्गुण ब्रह्म के चले संगुण ईश्वर की कल्पना की गई थी और शुष्क ज्ञान के स्थान पर सरस भक्ति का स्रोत बहाया गया था।

अद्वैत का निर्गुण ब्रह्म जब विशिष्टाद्वैत में चित् अचित् विशिष्ट बनाया गया, तब उसमें असीम शील तथा सौंदर्य की कल्पना हो सकी और वह भक्तों की उपासना का आलंयन घन सका। रामानुज ने शंकर के मायावाद का विरोध किया और भक्ति के प्रवाह में माया की शक्ति यहुत कुछ कीण पड़ गई। यद्यपि रामानुज को भक्ति के इस मार्गनिरुपण में दक्षिण के कुछ संतों से यहुत सहायता मिली थी, पर वाद-विवाद के लिये उन्हें श्रुतियों का प्रमाण तथा गीता आदि के उद्धरणों का आश्रय लेना पड़ा। गीता में कृष्ण भगवान् के अनेक घावय “मामेकं शरणं व्रज”, “अहम् त्वाम् सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः” आदि हैं जिनसे भक्ति का प्रतिपादन और समर्थन करने में रामानुजजी को सहायता मिली थी। यह सब होते हुए भी हमें यह न भूल जाना चाहिए कि सिद्धांत रूप से अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैत में विरोध नहीं है। दोनों ही एक ब्रह्म पर विश्वास रखते हैं और दोनों ही श्रुतियों को प्रमाण मानकर चलते हैं। विशिष्टाद्वैत में लगा हुआ अद्वैत शब्द ही दोनों की तात्त्विक एकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। गोस्वामी तुलसीदास ने “शनहि भक्तिहि नहिं कल्पु भेदा” कहकर मानों उस भ्रम का निवारण सा कर दिया है जो तत्त्व को न समझनेवाले हृदयों में उत्पन्न हुआ करता है।

भक्ति का यह मार्ग क्रमशः प्रशस्त हो चला और नियार्काचार्य, मध्वाचार्य तथा रामानंद आदि भग्नात्माओं की वाणी से इसमें तत्कालीन हिंदू जनता की आस्था बढ़ती गई। नियार्काचार्य का सिद्धांत वही था जो रामानुज का था, पर रामानुज के विष्णु और लक्ष्मी के स्थान पर इसमें कृष्ण और गोपी का सञ्चिवेश हुआ। प्रेम को व्यक्त आलंयन मिल जाने के कारण जनता इस ओर विशेष आकृष्ट हुई। मध्वाचार्य का द्वैत सिद्धांत भी लगभग इसी समय प्रतिष्ठित हुआ, जिसके कारण

शुष्क मायावाद को धक्का लगा और मोक्षप्राप्ति के लिये "हरि" रूप में विष्णु की प्रतिष्ठा हुई।

यद्यपि भक्ति के इस प्रवाह में लोन होकर हिंदू जनता अपनी लौकिक परिस्थिति को बहुत कुछ भूल गई, उसकी निराशा का बहुत कुछ परिहार हुआ, पर यह स्वीकार करना पड़ता है कि अभी तक भगवान् की लोकरक्षणी सत्ता की प्रतिष्ठा नहीं हो सकी थी, केवल उसके लोकरंजक स्वरूप का साक्षात्कार हो सका था। रामानुज के "विष्णु" यद्यपि सगुण थे, परं वे भी लोकव्यवहार से तटस्थ थे। निवार्काचार्य के गोपी-कृष्ण अवश्य जनता के बीच खेले कूदे थे, पर खेल कूद से जो मनोरंजन होता है, उससे संसार के जटिल जीवन में थोड़ी ही सहायता मिल सकती है। जो भगवान् दुष्टों का नाश कर सकें और सामुद्रों से सहानुभूति दिखा सकें, जो संसार में आकर संसार की परिस्थितियों में सफलतापूर्वक सहयोग कर सकें और स्वयं सफल हो सकें वही भगवान् उस समय हिंदू जाति के लिये कल्पाणकर हो सकते थे। इसके अतिरिक्त एक बात और थी। रामानुज आदि आचार्यों ने अपने भक्ति-निरूपण में संस्कृत भाषा का ही सहारा लिया था। संस्कृत उस समय को साधारण बोल-चाल की भाषा तो थी ही नहीं, अहान के फारण जनता उस समय उसे और भी समझ नहीं सकती थी। आचार्यों की शिक्षा जनता के कानों तक कठिनता से पहुँच सकती थी; और यदि किसी प्रकार पहुँचती भी थी तो अपरिचित भाषा में होने के कारण उसके साथ हार्दिक सामंजस्य नहीं हो सकता था। तीसरी बात यह थी कि इन आचार्यों की भक्ति द्विजातियों तक ही सीमित थी, शूद्र या अंत्यज उसके अधिकारी नहीं थे। घट घट में व्यापक भगवान् को भी इन आचार्यों ने अस्पृश्य जातियों से अलग रखने का उपकरण किया था। भक्ति-मार्ग में इस प्रकार का भेद कदापि न होना चाहिए था, परंतु आचार्यों को तत्कालीन समाज-व्यवस्था से एकदम छूट निकलने का अवसर नहीं मिला। वे भक्ति को लोकव्यापक न कर सके, यद्यपि तात्त्विक दृष्टि से जीव मात्र को भक्ति का अधिकारी मानते थे। इन परिस्थितियों के कारण भक्ति का व्यापक प्रसार होने में वाधा उपस्थित हो रही थी। स्वामी रामानंद के प्रभाव से ये धाधार्पै दूर हुईं और लोक में लोकरक्षक "राम" की प्रतिष्ठा हुई।

रामानंद की धार्मिक उदारता के परिणाम-स्वरूप भक्ति को जो व्यापक स्वरूप मिला, उसके साथ ही "सीताराम" की लोकमंगलकारिणी मूर्ति की उपासना ने मिलकर मणि-कांचन संयोग उपस्थित कर दिया।

इस नवीन भक्तिमार्ग का प्रशस्त पथ पाकर तत्कालीन संकीर्णता बहुत कुछ दूर हुई। हिंदी साहित्य को एक अभूतपूर्व विकास का अवसर मिला और रामभक्त कवियों की एक परंपरा ही चल पड़ी। इस परंपरा का विस्तृत विवरण हम आगे चलकर देंगे। यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि हिंदी साहित्य के सर्वथेषु महाकवियु तुलसीदास और भक्तवर नाभादास जैसे महात्माओं ने रामभक्ति की शरण ली और साहित्य को भक्ति के प्रवाह से आप्लायित तथा जनता को राम के मंगल-मय स्वरूप से ढढ और मुग्ध बना दिया।

वैष्णवधर्म के तत्कालीन विकास में महाप्रभु चैतन्य तथा बलभावार्थ का नाम विशेष रीति से उल्लेखनीय है। चैतन्य का उपदेश केन यंगभूमि था और उनका प्रभाव भी यंगाल में ही अधिक पड़ा। चैतन्य की भक्ति प्रेम और मोदमयी है। कर्म की जटिलता से वह दूर ही रही।

बलभावाचार्य तैलंग माझण थे। उनका जन्मकाल सं० १५३६ वर्तलाला जाता है। विद्याध्ययन और शास्त्रान्वेषण के उपरांत वे मथुरा, बुंदाघन आदि कृष्णतीर्थों में घूमे और अंत में काशी में आकर उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखीं। उनकी उपासना कृष्ण की उपासना है और वह भी माधुर्य भाव की। सिद्धांत में वे शुद्धाद्वैतवादी हैं। ब्रह्म और जीव एक ही हैं और जड़ जगत् भी उससे मिन्न नहीं है। माया के कारण जो विमेद जान पड़ता है, उसका निराकरण भक्ति द्वारा ही हो सकता है। बलभावाचार्य ने व्रत उपवास आदि कष्टसाध्य कर्मों का निपेद किया और पवित्र प्रेम भाव से उपासना करने की विधि बतलाई। यद्यपि प्रारंभ में इनके पुत्र विठ्ठलनाथ के प्रयत्न से प्रसिद्ध अष्टष्टुप के भक्त कवियों की स्थापना हुई, पर बलभावाचार्य की इस उपासनापद्धति से शृंगारी कवियों को भी नवीन प्रेरणा मिली और हिंदी साहित्य में शृंगार-परंपरा चल पड़ी। बलभावाचार्य के मतावलंबी भी गुजरात और राजपूताने के धनी व्यापारी आदि हुए जिन्हें आध्यात्मिक प्रेम की उतनी आवश्यकता न थी जितनी लौकिक विलास की। इस प्रकार हम देखते हैं कि बलभावाचार्य की उपासनापद्धति के परिणाम स्वरूप विलास की ओर अधिक प्रवृत्ति हुई जिसको मुगल सप्राटों की तत्कालीन सुख-समृद्धि ने सहायता देकर दूना चौगुना कर दिया। उद्यातिउच्च धार्मिक सिद्धांतों का कैसा दुरुपयोग हो सकता है, इसका अच्छा परिचय बलभावाचार्य की उपासनाविधि के दुरुपयोग से मिल सकता है।

उपर जिन भक्ति-पद्धतियों का विवरण दिया गया है, वे सब भारतीय पद्धतियाँ हैं। पर साथ ही हम यह अस्वीकार नहीं कर सकते

कि उस समय तक इस देश में आकर घंसे हुए मुसलमानों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा था। यद्यपि मुसलमान शास्त्राधिकारी लोग हिंदुओं से प्रायः द्रेष्ट ही करते रहे, परंतु साधारण जनता में पारस्परिक सहानुभूति के चिह्न दिखाई देने लगे थे। हिंदू मुसलमानों में परस्पर भावों और विचारों का आदान प्रदान प्रारंभ हो गया था। मुसलमानों के एकेश्वरवाद और उदार भ्रातृभाव से हिंदू बहुत कुछ प्रभावित हुए और उपासना में अंत्यजों को भी स्थान मिला। अनेक देवी देवताओं की ओर से भी बहुत कुछ ध्यान हटा। साथ ही इन्हीं रामानंद के प्रभाव के कारण तथा भक्तिमार्ग के शाचार्यों की अनुदारता के कारण अस्पृश्य जातियों को जो परमेश्वर की आराधना से बंचित किया गया, उसका प्रतिफल जो कुछ होना चाहिए था, वही हुआ। साधुओं और संतों का एक नया ही दल देश में दिखाई पड़ा जिनकी वाणी में सरलता और भावों में उदारता की अत्यधिक मात्रा थी। इन्होंने अंत्यज जातियों में अपूर्व आशा और उत्साह की तरफे लहराई। हिंदू और मुसलमान दोनों ही उनके उपदेशों से प्रभावान्वित हुए, क्योंकि उनके उपदेश मनुष्य-प्रकृति की कस्तुरी और निष्कपट वृत्तियों पर अवलंबित थे। साथ ही उपासना के लिये इन संतों ने निर्गुण ब्रह्म का आधार लिया था जिसके कारण जातीय, सांस्कृतिक अथवा धार्मिक संघर्ष या मतभेद की संभावना भी बहुत कम रह गई थी। इन संतों ने योग आदि की क्रियाओं का भी अपने संप्रदाय में प्रचार किया परंतु सामान्य जनता ने इनकी सरल शिक्षा और उदारवृत्ति को ही अधिक अंशों में ग्रहण किया। उच्चर भारत में इसका आरंभ रामानंदजी के शिष्य कवीरदास से हुआ और उनका संप्रदाय इतना बढ़ा कि उसका कम अब तक चला चलता है। इस संप्रदाय ने देशभाषा को अपने उपदेशों के प्रचार का माध्यम बनाया, और इस कारण उन्हें बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त भारतीय अद्वैतवाद और सूफी प्रेमवाद के सम्मिश्रण से हिंदी में जायसी, कुत्यन आदि रहस्यगादी कवियों की परंपरा चली।

उत्तर मध्य काल

जिस समय उपासना के बहुत से संप्रदाय घन रहे थे और हिंदुओं नथा मुसलमानों का पारस्परिक हैल-मेल घट रहा था, उस समय मुगलों राजनीतिक अवस्था का सुख समृद्धिपूर्ण साम्राज्य था। परंतु ये दो समय के बाद अवस्था में परिवर्तन हुआ। संग्रह १७१६ में औरंगजेब मुगल-साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। उसने राज्याधिकार पाते ही नूरांस तथा धर्मांध शासक की नीति घोषित कर-

दी। अक्षयर आदि की उदार नीति का अंत हो गया। जजिया कर फिर से जारी किया गया। तीर्थस्थानों में अनेक सुंदर मंदिर तोड़फकर महिन्द्र बनने लगे। साम्राज्य के छढ़ स्तंभ राजपूतों का अविभास और अनादर होने लगा, परिणाम-स्वरूप देश में अशांति व्याप्त हो गई और नई हलचल आरंभ हो गई। सबसे पहले महाराष्ट्र शक्ति का उदय हुआ। औरंगजेब को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। संवत् १७६४ में उसकी मृत्यु के उपरांत तो देहली का केंद्रीय शासन और भी ढाँचाड़ील हो गया। पंजाब में सिक्ख शक्ति का आतंक छा गया। राजपूतों ने मुगलों का साथ देना छोड़ दिया। रहेलरंड में रहेलों का स्वतंत्र राज्य स्थापित हुआ। अबध और बंगाल के सुबेदारों ने देहली का आधिपत्य अस्वीकृत कर नवाय की उपाधि धारण की और कर देना चंद किया। आगरे के निरंट के जाट भी स्वतंत्र हो गए। मराठों के पैर तो पहले ही जम चुके थे; अब वे आत्मविस्तार करने में लगे। इसी धीर में प्रसिद्ध आक्रमणकारी नादिरशाह ने आकर दिल्ली को रक्रंजित कर दिया और वहाँ का मयूरासन लेकर सारे देश में आतंक फैलाता हुआ बह लौट गया। इस अवसर से लाभ उठाकर 'मराठे लाहौर तक घढ़ गए और समस्त उच्चरापथ उनके अधिकार में हो गया। देश में एक बार फिर से हिंदू राज्य की प्रतिष्ठा होने लगी और इस आशा से हिंदुओं में एक जागर्ति सी दिखाई पड़ने लगी।

परंतु भारत के भाल में विधि के लिखे अंक कुछ दूसरे ही थे। विलायत से सात समुद्र पार कर अँगरेज जाति भारत में व्यापार करने आई। पहले दक्षिण में उसका व्यापार हो रहा था, पर अशांति के उस युग में उसे अधिकार-प्राप्ति की भी इच्छा हुई। भारतीय युद्धपद्धति से उनकी युद्धपद्धति बहुत अधिक उश्वत थी और उनमें नवीन उत्साह की तरंगें भी उद्भवित हो रही थीं। पहले दक्षिण में ही उन्होंने व्यापार छोड़ तलवार ग्रहण की थी। बंगाल में सिराजुहौला की निर्वलता से उन्होंने पूरा पूरा लाभ उठाया। सं० १८१४ में पलासी के प्रसिद्ध युद्ध में सिराजुहौला को हराकर झाइव ने भारत में वृद्धि साम्राज्य की नींव डाली। सं० १८२१ में बम्सर के युद्ध में बंगाल और अबध के नवायों तथा मुगल सम्राट् शाहशालम की सम्मिलित बाहिनी को परास्त कर विजयी अँगरेजों ने उत्तर भारत के एक विशाल खंड पर अपना स्वतंत्र जमाना चाहा; पर मराठों के प्रयत्न से शाहशालम फिर से दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ। मराठों की चौथ इस समय प्रायः भारत-व्यापी हो रही थी। इधर हेस्टिंग्स ने बंगाल में अँगरेजी शासन छढ़

किया और अवध को अपने पंजे में किया। महादजी के हटने से मराठों की शक्ति कम होने लगी। लार्ड बेलेजली के समय में मराठे उत्तर भारत में शक्तिहीन हो गए। पर इतने में ही सिख शक्ति वीर रणजीतसिंह के नेतृत्व में संघटित होकर मैदान में आई। काशमीर और पेश्वावर तक के प्रांत सिखों के थे। परंतु रणजीतसिंह की मृत्यु (१८५८) के उपरांत सिख साम्राज्य भी स्थिर न रह सका। संवत् १८०५ के सिख-युद्ध में अँगरेजों की विजय हुई और सिख साम्राज्य का अंत हो गया। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र और सिंध नदियों के धीर्घ का विशाल उत्तर भारत अँगरेजों का हो गया।

राजनीतिक उथल-पुथल के इस युग में जनता की अवस्था कितनी भयानक थी, इतिहासकार इसके संबंध में चुप नहीं हैं। बंगाल सामाजिक अवस्था की दोहरी शासनप्रणाली (Double government) के कारण जो दुर्दशा थी, वह तो थी ही, मराठों के उत्पात और अँगरेजों की व्यापारिक नीति से उसकी और भी शोचनीय स्थिति हो गई। नए वंदोवस्त से जमीदारों को धकेका लगा और किसानों पर कड़ाई से कर लेने की प्रथा चल निकली। इस तरह व्यापार और कृषि के चौपट हो जाने से जनता की आर्थिक दुरवस्था भीषण हो गई और बेकारी के कारण ठगों का आश्रय लिया जाने लगा। गाँवों के प्राचीन संघटन में भी वाधा डाली गई और पंचायतों की जगह ऐसी अदालतों का प्रचार हुआ जिनकी दंडविधि से कोई परिवर्त नहीं था। अँगरेज जजों को भारतीय रीति-नीति का पता न था और दूसरी ओर हिंदुस्तानियों को अपने नए शासकों के कानूनों का ज्ञान न था। इसका फल यह हुआ कि बकीलों की एक नई श्रेणी निकल पड़ी। कार्नवालिस के समय से हिंदुस्तानियों को बड़ी सर्कारी नौकरियाँ न दी जाने लगीं क्योंकि उसका विश्वास था कि हिंदुस्तानी भूड़े और घूसखोर होते हैं। संवत् १८६० से यह नीति कुछ कुछ बदली। शासन और न्याय का काम यहुत बढ़ जाने के कारण हिंदुस्तानियों की सहायता लेना अनिवार्य हो गया। तभी से देश के शासन का कुछ अंश यहाँ के निवासियों को भी दिया जाने लगा।

हिंदुओं और मुसलमानों को एक बनाने के लिये सिख धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था परंतु मुसलमान शासकों की संकीर्ण नीति के कारण धार्मिक अवस्था मुसलमान सिखों के घोर विरोधी घन बैठे। अँगरेजों के साथ साथ ईसाई भत का भी प्रचार हुआ। यद्यपि प्रकट रीति से सरकार की ओर से भारतीयों के धार्मिक

चिचारों पर आघात नहीं किए गए, पर विजेता की शक्ति का प्रभाव विजितों पर कैसे न पड़ता। वेलेजली के समय में सात देशी भाषाओं में वाइचिल फा अनुवाद निकाला गया। सं० १८७० में लाइसेंस लेकर प्रचारकार्य के लिये पादरियों को आने की अनुमति मिल गई। उसी समय कलकत्ते में एक विशेष और चार पादरी नियुक्त हुए। पादरियों ने पुस्तकें प्रकाशित करके तथा उपदेशों आदि के द्वारा प्रचारकार्य करके और साथ ही प्रलोभन भी देकर ईसाई भगवान को फैलाने की चेष्टा की। लार्ड वैटिंक ने सतीप्रथा बंद कर दी। धीरे धीरे अँगरेजी शिक्षा का प्रचार होने लगा। वैटिंक ने अँगरेजी का प्रचार सरकारी नीति का एक अँग बना दिया। मेकाले ने कहा कि अँगरेजी शिक्षा के प्रचार से देश में एक भी मूर्तिपूजक वाकी न रह जायगा। संस्कृत और फारसी का निरादर किया जाने लगा। उर्दू अदालती भाषा बन गई और हिंदी को राजाध्य न मिल सका। अँगरेजों के साथ साथ इस देश में पाइवात्य भाषाओं का भी प्रबोश हुआ। जनता पर अँगरेजों की रहन-सहन और आचार-विचार का भी बहुत कुछ प्रभाव पड़ा। नए आवेश में देश की बहुत सी अच्छी बातें भी बुरी और असभ्यतापूर्ण मानी जाने लगीं। इस प्रकार देश पर अँगरेजों की मानसिक विजय भी चलती रही जिसने राजनीतिक विजय को खूब उढ़ दिया।

उत्तर काल

देशी राज्यों के प्रति अँगरेजों की नीति और ईसाई भगवान के प्रचार का फल यह हुआ कि सं० १८१४ में भारतीयों की ओर से प्रबल विद्रोह राजनीतिक स्थिति की आग धधक उठी। परंतु संघटन के अभाव और शक्ति की विश्वृत्खलता के कारण विद्रोह सफल न हो सका। परिणाम-स्वरूप सं० १८१५ से भारत विद्युति सामाज्य में मिला लिया गया और कंपनी का राज्य उठ गया। उत्तरी और दक्षिणी भारत का भेद मिट गया और सारे देश में एक प्रकार की शासननीति काम में लाई जाने लगी। महारानी विक्टोरिया की प्रसिद्ध घोषणा से सरकारी नौकरियों में जाति-भेद उठा देने, धार्मिक स्वतंत्रता फी रखा करने और देशी नरेशों के अधिकार बनाए रखने का वचन दिया गया। अँगरेजी शिक्षा के लिये यूनीवर्सिटियाँ स्थापित की गई जिनसे राजनीतिक भावों की जागर्त्ति हुई और थोड़ा बहुत शिक्षा प्रचार भी हुआ, पर अधिकतर अँगरेजी रीति-नीति की स्थापना को ही सहायता मिली।

सामाजिक अव्यवस्था के उस युग में चंगाल के प्रसिद्ध राजा राम-
मोहन राय ने जो कार्य किया, वह कभी भुलाया नहीं जा सकता।

सामाजिक अवस्था

अधिदार्थकार में इब्बे हुए देश को ज्ञानालोक

प्रदान करने का बहुत बड़ा श्रेय उनको है।

उनके कुछ समय उपरांत स्वामी दयानंद के आविर्भाव से उत्तर भारत में एक नवीन जातीय चेतना का अभ्युदय हुआ और ईसाइयों तथा मुसलमानों के धर्मप्रचार को बहुत कुछ धक्का पहुँचा। उस समय साधारण हिंदू जनता का यही विश्वास हो रहा था कि हमारी रीति-नीति, हमारी सभ्यता और संस्कृति तथा हमारा धर्म, सब मुसलमानों और ईसाइयों के सामने तुच्छ हैं। स्वामी दयानंद ने इस भ्रांत धारणा का समूल विनाश कर दिया और हिंदू जनता को अपने अमर भांडार उन वेदों की ओर आकर्षित किया जो संसार के उच्चतम ज्ञान के निर्दर्शन हैं और इस देश के अतीत गौरव के अमिट स्मृति-चिह्न हैं। स्वामी दयानंद के उद्योग से हिंदी भाषा का प्रचार थोड़ा-न्युहुत बढ़ा और संस्कृत साहित्य के पुनरुत्थान की प्रवृत्ति भी बढ़ी।

समाचारपत्रों के प्रचार से राजनीतिक सामाजिक आदि आंदोलनों से जनता परिचित होने लगी और उसका इधर मनोयोग भी हुआ। इसी समय भारत की राजनीतिक आघश्यकताएँ प्रकट करने के लिये नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसमें तत्कालीन वडे वडे लोगों ने सहयोग दिया। लार्ड रिपन के समय से ही स्थानीय शासन में भारतीयों को सम्मिलित किया जाने लगा था। कैंट्रोय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में हिंदुस्तानी सदस्य चुने जाने लगे। रेल, तार, डाक आदि से भी सुविधाएँ वढ़ीं और समस्त भारत में एक राष्ट्रीयता का भाव उदय हुआ। संवत् १९६२ में वंगविच्छेद के प्रश्न पर यह भाव स्पष्ट देख पड़ा था। राजनीतिक आंदोलन की उन्नति देखकर लार्ड मार्ले को कुछ सुधारों की व्यवस्था करनी पड़ी, परंतु उतने सुधार से उन्नतिशील राजनीतिक दल को संतोष नहीं हुआ। सं० १९७१ में महायुद्ध के प्रारंभ हो जाने पर समस्या और भी जटिल हो गई, परंतु तत्कालीन अँगरेज राजनीतिज्ञों ने वडी वडी आशाएँ दिलाकर भारत को सहानुभूति प्राप्त की और भारत ने धन-जन से महायुद्ध में अँगरेजों की पूरी सहायता की। परंतु युद्ध समाप्त हो जाने पर भारत की आशाएँ पूरी नहीं हुईं वरन् पंजाब के प्रसिद्ध हत्याकांड जैसे अत्याचार हुए और पाश्चात्यक शक्ति की सहायता से भारतीयों की आकंक्षाओं का दमन किया गया। फलतः तीव्र प्रतिकार का आरंभ हुआ। इस

प्रतिकार को महात्मा गांधी के प्रसिद्ध असहयोग आंदोलन ने अहिंसा-त्मक बना रखा। संसार के इतिहास में इस प्रकार के अहिंसात्मक अद्वितीयों का प्रयोग प्रायः नवीन है। देश में चारों ओर उद्घेगपूर्ण जागरिति देख पड़ती है, पर भविष्य अब तक अंधकार की गोद में है।

राजनीतिक क्षेत्र की नवीन जागरिति ने इस समय जौं चकाचौंध सी उत्पन्न कर दी है, उसके कारण हम राष्ट्र के अन्य उद्योगों को कम सर्वतोमुखी प्रगति देख पाते हैं, पर हमको यह स्मरण रखना चाहिए कि राजनीति तो राष्ट्र की सर्वतोमुखी उन्नति का एक अंग मात्र है, वही सब कुछ नहीं है। राष्ट्र की चेतना श्रेष्ठतमी राजनीति की ओर सुकर वहुत शुभ परिणाम नहीं उपस्थित कर सकती। उसका विकास प्रत्येक क्षेत्र में होना चाहिए। हमको यह देखकर वड़ी प्रसन्नता होती है कि आधुनिक भारतीय मनोवृत्ति यद्यपि राजनीति की ओर विशेष उन्मुख है, पर अन्य दिशाओं में भी प्रशंसनीय और संतोषप्रद उद्योग हो रहे हैं। हमारा विशेष संवर्ध साहित्य से है और हम यह स्वीकार करते हुए वड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि इस समय हिंदी साहित्य के अनेक अंगों की वड़ी सुंदर पुष्टि हो रही है। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा कहाने का गौरव प्राप्त हुआ है, और महात्मा गांधी तथा अन्य वड़े वड़े नेताओं के प्रयत्न से इसका देशव्यापी प्रचार हो रहा है। यदि हिंदी साहित्य के सभी अंगों का विकास इसी प्रकार होता रहा और यदि इसकी व्यापकता और सौष्ठुद्ध को मानकर देश ने इसको राष्ट्र-भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया, तो वह दिन दूर नहीं है जब हिंदी भाषा का साहित्य भी इस देश में व्यापक होकर राष्ट्र के प्रगतिशील भावों और विचारों का अभिव्यञ्जन कर सकेगा और संसार के अन्य श्रेष्ठ और वड़े साहित्यों के समकक्ष होकर मानव समाज के लिये कल्याणकर और आनंदरण्यीय सिद्ध होगा।

तीसरा अध्याय

ललित कलाओं की स्थिति

११५

साहित्य के इतिहास की इस साधारण आकार की पुस्तक में वास्तुकला, चित्रकला तथा संगीतकला आदि की स्थिति का परिचय ललित कलाओं का स्थान देना उचित है या नहीं, अथवा उपयोगी है या नहीं। इन बातों में मतभेद हो सकता है। हिंदी साहित्य के जो इतिहास-प्रथं इस समय तक निकले हैं, उनमें इन ललित कलाओं का विवरण नहीं दिया गया है। अँगरेजी की साहित्यिक इतिहास की पुस्तकों में भी इस ओर कम ध्यान दिया गया है। संभव है कि उसकी आवश्यकता भी न समझी गई हो। परंतु हमारी सम्मति में साहित्यिक इतिहास की पुस्तकों में उपर्युक्त ललित कलाओं की सामाजिक प्रगति का प्रदर्शन उचित ही नहीं, उपयोगी भी है। साहित्य स्वयं एक ललित कला है; अतः अन्य ललित कलाओं के साथ उसका घनिष्ठ संबंध प्रत्यक्ष है। साथ ही राष्ट्र के विकास के इतिहास में कलाओं के समन्वित विकास का भी इतिहास विशेष रोचक होता है। हम तो विविध कलाओं की कल्पना एक परिवार के रूप में ही करते हैं, यद्यपि उस परिवार के विभिन्न व्यक्तियों की अलग अलग विशेषताएँ होती हैं। जब दो राष्ट्रों तथा दो विभिन्न संस्कृतियों का संघर्ष होता है, तब तो ललित कलाओं की स्थिति में घड़े ही मार्मिक परिवर्तन होते हैं, जिनका टीक टीक स्वरूप हम तभी समझ सकते हैं जब उनका एकत्र विचार करें। इसके अतिरिक्त सध्यसे मुख्य बात यह है कि सभी कलाओं की उत्पत्ति मानव-मस्तिष्क से होती है; अतः जब हम किसी विशेष देश के किसी विशेष काल की जनता की चित्त-वृत्तियों का पता लगाना चाहेंगे, तब हम उस देश तथा उस काल के साहित्य का ही अनुसंधान न करना पड़ेगा अपितु अन्य कालाओं की भी खोज करनी पड़ेगी। केवल साहित्य के इतिहास से जनता की चित्त-वृत्ति का जो अन्वेषण किया जाता है, वह एकांगी ही नहीं, भ्रामक भी हो सकता है।

साहित्य और कलाओं का सम्मिलित अध्ययन करने में एक यड़ी धाधा उन आलंकारिकों और साहित्यिक आचार्यों के छारा उपस्थित की जाती है जिनके मत से रस या अलौकिक आनंद का अनुभव साहित्य के

ही क्षेत्र में होता है और ललित कलाएँ तो केवल सजधज और वाण्य सौंदर्य से चित्त को आकर्षित करती हैं। उनका कथन है कि साहित्य ही भाव-सृष्टि है, कलाएँ तो केवल कारीगरी या चमत्कार का प्रदर्शन करती हैं। संभव है कलाओं की हीनता की यह व्याख्या उस समय के लिये उपयुक्त हो जब वे वास्तविक जीवन-सौंदर्य की धारा से अलग होकर रुढ़ि-वद्ध और अभ्यास-साध्य ही घन गई हों परंतु वह सर्वदा के लिये उपयुक्त नहीं हो सकती। और ऐसे समय तो साहित्य के इतिहास में भी आए हैं जब वह भाव-प्रधान न रहकर केवल आलंकारिक या चमत्कार-युक्त वाणी-विलास ही घन गया है किंतु इस कारण साहित्य का वास्तविक और उच्च लक्ष्य, भाव या रस का उद्देश, नए नहीं होता। यही यात कलाओं के संवंध में भी कही जा सकती है। काव्यकार जिन भावनाओं से प्रेरित होकर शब्दों द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करता है, चित्र-कार या मूर्तिकार शब्दों का आश्रय न लेकर कृची, कागज, करनी, प्रस्तर-खंड आदि अन्य उपकरणों से उन्हीं भावों को प्रकट करता है। दोनों में कोई तात्त्विक भेद नहीं है, केवल शैली या साधनों का भेद है।

उत्पन्न होते ही मनुष्य अपने चारों ओर प्रकृति का जो प्रसार देखता है, दार्शनिक उसे ब्रह्म की व्यक्त कला बतलाते हैं। ब्रह्म की यह कला शाश्वत है। इस शाश्वत कला पर मनुष्य चिर काल से मुग्ध होता तथा इसके साथ तादात्म्य का अनुभव करता चला आता है। प्रकृति के नाना रूपों के साथ मानव हृदय के नाना भावों का समन्वय आज से नहीं, सृष्टि के आदि से होता आ रहा है। दार्शनिक कहते हैं कि ब्रह्म की यह अभिव्यक्ति उसकी कल्पना का परिणाम है, परंतु मनुष्य-हृदय ब्रह्म की इस अभिव्यक्ति में विश्व-हृदय की भी भलक देखता है। इस प्रकार ब्रह्म की व्यक्त कला अनंत अभिव्यक्ति तथा अनंत विकास के रूप में समझी जाती है, जिसके मूल में ब्रह्म को अनंत कल्पना तथा उसका अनंत हृदय समाया हुआ है। मनुष्य का हृश्य-जगत् से अविच्छिन्न संवंध है। यह चिर काल से प्रकृति के अनंत सौंदर्य पर मुग्ध होता आया है। प्रकृति के नाना रूप मनुष्य के नाना भावों को जागरित तथा उत्सेजित करते आप हैं।

सभ्य मानव समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अभिव्यक्त तथा विकास का प्रार्थी है। इसकी उसे स्वाभाविक प्रेरणा होती है। इस प्रेरणा को कार्यरूप में परिणत करने में सृष्टि के नाना उपकरण उसके सहायक होते हैं। उसकी कल्पना तथा उसके हृदय पर जगत् के नाना रूप जो प्रभाव डालते हैं, वह उन्हें अनेक रूपों में अभिव्यञ्जित करता है।

कभी मूर्ति बनाकर, कभी चित्र खोचकर, कभी कुछ गाकर तथा कभी कविता रचकर वह अपनी मनोगत भावनाओं तथा विचारों को व्यक्त करता है। इस प्रकार उन ललित कलाओं की सृष्टि होती है, जिनका इस अध्याय में संक्षिप्त विवरण दिया जायगा।

यद्यपि हमारे देश में प्राचीन काल से ही कलाओं की विशेष उन्नति होती आई है, पर संभवतः एक पारिभाषिक शब्द के रूप में कलाओं का वर्णकरण “कला” का विवेचन यहाँ नहीं किया गया। हम

उपनिषदों की अकल कला की यात नहीं कहते।

साधारणतः कला और शिल्प आदि शब्द समवाची समझे जाते थे और अनेक मर्तों के अनुसार कलाओं की संख्या भी विभिन्न थी। सामान्य रूप से ग्रंथों में चौसठ कलाओं का उल्लेख मिलता है। इनमें कुछ उपयोगी तथा कुछ ललित कलाएँ भी सम्मिलित हैं, यद्यपि उपयोगी और ललित कलाओं का यह वर्गीकरण पाश्चात्य है। इस देश में अधिकतर स्थिरों की कला तथा पुरुषों की कला आदि के स्थूल विभेद ही माने जाते थे। “साहित्य-संगीत-कला-विहीनः” वाले प्रसिद्ध पद्य में साहित्य तथा संगीत कला नहीं माने गए, मानो कला इनसे कुछ विभिन्न हो। आधुनिक विवेचन के अनुसार साहित्य तथा संगीत प्रसिद्ध ललित कलाएँ हैं। आगे के पृष्ठों में हम जिन ललित कलाओं का विवरण देना चाहते हैं, पाश्चात्य विश्लेषण के अनुसार उनका नामकरण वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला तथा संगीतकला हो सकता है। इन्हीं के साथ साहित्यकला की भी गणना कर लेने से ललित कलाओं की पांच शाखाएँ हो जाती हैं। हिंदी साहित्य के विकास का इतिहास उपस्थित करना तो इस पुस्तक का प्रतिपाद्य है ही, साथ ही तत्कालीन ललित कलाओं की प्रगति का विवरण भी प्रसंगवश इसमें दिया गया है। परंतु प्रगति के विवरण के पहले इनके स्वरूप से परिचित होना भी आवश्यक है।

ललित कला के अंतर्गत वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला और कान्यकला—ये पांच कलामेद हैं। इन ललित कलाओं से

ललित कलाओं का मनुष्य के श्वलीकिक आनंद को सिद्धि होती है। ललित कलाएँ दो मुख्य भागों में विभक्त की जा सकती स्वरूप हैं।

एक पेसी हैं जो मानसिक तृप्ति का साधन चक्षुरिंद्रिय के सञ्चिकर्प से करती हैं और दूसरी थवण्डिय के सञ्चिकर्प से। वास्तु (नगर मंदिर आदि का निर्माण), मूर्ति (तदणकला) और चित्र-कलाएँ तो दर्शन से तृप्ति का विधान करनेवाली हैं और संगीत तथा काव्य थवण से। यह टीक है कि रूपकाभिनय अर्थात् दृश्य काव्य आखियों का ही

विषय है; पर यहाँ हमारा आशय केवल उसके माहित्यिक अंग से ही है। वास्तु, मूर्ति तथा चित्रकलाओं में मूर्त आधार प्रत्यक्ष रहता है, परंतु संगीत में उसका स्वरूप नाद के रूप में ही व्यक्त होता है; और काव्य-कला में तो मूर्त आधार प्रायः होता ही नहीं। जिस कला में मूर्त आधार जितना ही कम होगा, वह उतनी ही उच्च कोटि की समझी जायगी। इसी भाव के अनुसार हम काव्यकला को सबसे ऊँचा स्थान देते हैं; क्योंकि उसमें मूर्त आधार का एक प्रकार से पूर्ण अभाव रहता है। कुछ विद्वानों का मत है कि संगीत कला का स्थान सबसे ऊँचा है, क्योंकि काव्य में तो शब्दों का आधार भी है परंतु संगीत में केवल नाद है। यह विषय विवाद-प्रस्त है। हमारे प्रयोजन के लिये तो यह मान लेना आवश्यक है कि संगीत और काव्य दोनों उच्चतम कलाएँ हैं और दोनों का परस्पर बड़ा घनिष्ठ संबंध है। उसी के अनुसार हम वास्तुकला को सबसे नीचा स्थान देते हैं, क्योंकि मूर्त आधार की विशेषता के बिना उसका अस्तित्व ही संभव नहीं। सच पूछिए तो इस आधार के सुचारू रूप से सजाने में ही वास्तुकला को ललित कला की पदवी प्राप्त होती है। इसके अनंतर दूसरा स्थान मूर्तिकला का है। इसका भी आधार मूर्त ही होता है, परंतु मूर्तिकार किसी प्रस्तर-खंड या धातु-खंड को ऐसा रूप दे देता है जो भूत वर्ग में उस आधार से सर्वथा भिन्न होता है। वह उस प्रस्तर-खंड या धातु-खंड को निर्जीव से सजीव बनाने का उपकरण करता है और उसके प्रयास से उसकी रचना में बहुत कुछ सजीवता की अभिव्यक्ति हो जाती है। मूर्तिकला के अनंतर तीसरा स्थान चित्र-कला का है। उसका भी आधार मूर्त ही होता है। प्रत्येक मूर्त अर्थात् साकार पदार्थ में लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होती है। वास्तुकार और मूर्तिकार को अपना कौशल दिखाने के लिये मूर्त आधार के पूर्वोक्त तीनों गुणों का आश्रय लेना पड़ता है, परंतु चित्रकार को अपने चित्रपट के लिये लंबाई और चौड़ाई का ही आधार लेना पड़ता है, मोटाई तो उसके आधार में नाममात्र को ही होती है, और वह भी एकाकार; चित्रकार उसे घटा बढ़ा नहीं सकता। तात्पर्य यह कि ज्यों ज्यों हम ललित कलाओं में उत्तरोत्तर उत्तमता की ओर बढ़ते हैं, त्यों त्यों मूर्त आधार का परित्याग होता जाता है। चित्रकार अपने चित्रपट पर किसी मूर्त पदार्थ का वह प्रतिविंश अंकित कर देता है, जिसमें विषय के समान ही रूप रंग आदि देख पड़ते हैं।

अब संगीत के विषय में विचार कीजिए। नाद अर्थात् स्वरों का आरोह या अवरोह (उत्तर चढ़ाव) ही संगीत का आधार होता

है। उसे सुचारू रूप से व्यवस्थित करने से भिन्न रसों और भावों का आविर्भाव होता है। अंतिम अर्थात् सर्वोच्च स्थान काव्यकला का है। उसमें मूर्त आधार की आवश्यकता ही नहीं होती। उसका प्रादुर्भाव शब्दसमूहों या वाक्यों से होता है जो मनुष्य के मानसिक भावों के धोतक होते हैं। काव्य में जब केवल अर्थ की रमणीयता रहती है, तब तो मूर्त आधार का अस्तित्व नहीं रहता, पर शब्द की रमणीयता आने से संगीत के सदृश ही नाद-सौंदर्य के रूप में मूर्त आधार की उत्पत्ति हो जाती है। भारतीय काव्यकला में पाश्चात्य काव्यकला की अपेक्षा नाद-रूप मूर्त आधार की योजना अधिक रहती है और इसी आधार पर शब्दों की रमणीयता को काव्य का एक प्रयान और कहीं कहीं मुख्य अंग माना गया है, पर अर्थ की रमणीयता के समान यह काव्य का अनिवार्य अंग नहीं है। अर्थ की रमणीयता काव्यकला का प्रधान गुण और नाद की रमणीयता उसका गौण गुण है।

हम जिस समय से ललित कलाओं का विवरण प्रारंभ करते हैं, वह भारतीय इतिहास का विशेष महत्वपूर्ण युग था। मुसलमानों के आक्रमण तो पहले ही प्रारंभ हो चुके थे, अब वे मुसलमान और राज्य-स्थापन करने तथा यहाँ आकर घसने के ललित कलाएँ प्रयास में थे। अब उनमें लुटेरों की सी उतनी वर्धता तथा उच्छ्वस खलता नहीं रह गई थी, घरन् वे अधिकाधिक सभ्य तथा संयत होते जा रहे थे। उनके सभ्य तथा संयत होने का यह अभिप्राय नहीं है कि भारत में आने के पहले वे निरांत वर्धर तथा असभ्य थे, अथवा उनकी धार्मिक तथा संस्कृतिजन्य अवस्था अविस्तित और पतित थी, घरन् हमारे कहने का आशय यह है कि धार्मिक उन्माद और क्रता आदि के कारण उनमें एक प्रकार की कर्कशता आ गई थी जो असभ्यता की सूचक है। यह कर्कशता प्रारंभ के मुसलिम आक्रमणों की विशेषता थी। केवल भारतवर्ष में ही नहीं, अन्य प्रदेशों में भी मुसलमानों का प्रवेश उन देशों की विविध कलाओं तथा सभ्यता के निर्दर्शनों का नाशक ही हुआ, उन्नायक नहीं। यह हम तत्कालीन नवोत्थित मुसलिम शक्ति की यात कह रहे हैं। थोड़े समय के उपरांत जब उन्माद का प्रथम प्रवाह कुछ धीमा पढ़ गया, और मुसलमानों ने तलवार के साथ साथ कुछ मनुष्यत्व भी धारण कर लिया, तब कलाओं के क्षेत्र में भी प्रचुर उन्नति हुई।

हम ऊपर घतला चुके हैं कि भारत में आप हुए मुसलमान निरे असभ्य और जंगली न थे और उनका धार्मिक तथा सांस्कृतिक विकास

भी संतोषप्रद था। विविध कलाओं की उनकी निजी शैली थी जो भारतीय शैली से सर्वथा भिन्न थी। उनके भारत में आने पर दोनों शैलियों का सम्मिश्रण होने लगा, जो स्वाभाविक ही था। प्रत्येक कला पर इस सम्मिश्रण को छाप स्पष्ट देख पड़ती है, परंतु साथ ही दोनों का स्वतंत्र विकास भी अनुभेद नहीं है। नीचे हम घास्तुकला की तत्कालीन अवस्था का संक्षेप में उल्लेख करेंगे।

घास्तुकला के इतिहास में मुसलमानों तथा हिंदुओं की शैलियों का सम्मिश्रण घटत ही रोचक तथा चमत्कारपूर्ण है। विजयी मुसलमानों ने जिस प्रकार हिंदू तथा जैन मंदिरों को मुसलमानी तथा हिंदू तोड़कर मस्जिदें बनवाईं वह एक दृष्टि से उनकी घास्तुकला का तारतम्य नृशंसता का परिचायक है, और दूसरी दृष्टि से उनकी कलामर्मशता का घोतक है। इस देश में आकर इस देश की समृद्ध तक्षणकला से प्रभावित न होना विदेशियों के लिये असंभव था। उन्हें अनिवार्य रीति से यहाँ के शिल्पसाधनों तथा शैलियों का प्रयोग करना पड़ा। उनके कारोगर सब अरब और फारस से तो आए नहीं थे; वे अधिकतर इसी देश के होते थे। अतः जब उनके भवन-निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ, तब उसमें हिंदू-भवन-निर्माण-विधि की स्पष्ट भलक देख पड़ी। कलाविदों का कथन है कि सभी भारतीय आदर्शों तथा शैलियों का प्रयोग, किसी न किसी रूप में, तत्कालीन मुसलिम इमारतों में हुआ। परंतु उन पर इस देश का ऋण केवल बाह्य आदर्शों तथा शैलियों तक ही परिमित न रहा। भारतीय स्थापत्य की सबसे बड़ी दो विशेषताओं—शक्ति तथा सौंदर्य—को छाप भी उनमें पूरी पूरी देखी गई। मुसलिम स्थापत्य की ये विशेषताएँ भारत में ही उपलब्ध होती हैं, अन्य देशों में नहीं। जेहसलम और दमिश्क आदि के यवन स्थापत्य में पचीकारी का जो सैष्ठव है, फारस के चीनी के खपड़ों में जो चमक दमक है, अथवा स्पेन की मस्जिदों में जो कल्पनात्मक विशेषता है, संभव है इस देश की मुसलिम इमारतों में वह न हो; परंतु शक्ति तथा सौंदर्य का ऐसा मणिकांचन-संयोग भारत को छोड़कर अन्यत्र नहीं मिल सकता।

मुसलिम तथा हिंदू तक्षणकला का साधारण विभेद मस्जिदों तथा मंदिरों की निर्माणशैली से ही प्रत्यक्ष हो जाता है। हिंदुओं के मंदिर का मध्य भाग, जहाँ मूर्ति रहती है, विशेष विस्तृत नहीं होता। उसमें एक प्रकार की अद्भुत प्रभाविष्युता तथा अनुभावकता रहती है, जो इसकी परिमिति के ही फल-स्वरूप होती है। इसके विपरीत मुसलमानों

का उपासनागृह चारों ओर से खुला और अधिक फैला हुआ रहता है जिससे उसमें भव्यता का समावेश होता है। हिंदुओं ने सीधे स्तंभों का प्रयोग किया था, परंतु मुसलिम मस्जिदों में प्रायः मिहराबदार खंभे देते थे। मंदिर के शीर्ष पर कलश बनते हैं, मस्जिदों में गुंबद होते हैं। परंतु इन साधारण विभेदों के अतिरिक्त उनकी एक दूसरी विभिन्नता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हिंदू मंदिरों में मूर्तियाँ होती हैं, मुसलिम मस्जिदों में नहीं होतीं। हिंदुओं ने ग्रहों की व्यक्त सत्ता पर जोर देकर सगुणोपासना का जो मार्ग प्रशस्त किया था, उसमें मूर्तियों के लिये स्थान था। हिंदू अपने इष्टदेवों की सुंदर मूर्तियाँ बनाकर उनकी वेप-भूपा का विधान भी करते थे। उनकी यह कला अद्वितीय है। परंतु मुसलमानों ने मूर्तियों तथा चित्रों का धोर निषेध कर रखा था। उनकी मस्जिदें मूर्तियों के न होने से उजाड़ सी जान पड़ती हैं। हिंदुओं के मंदिरों में मूर्तियों के कारण मानों सजीवता आ जाती है। साथ ही मस्जिदों के विस्तार में अनंतता की कुछ छाया फलकती है।

इन विभेदों के साथ ही मंदिर तथा मस्जिद में यहुत सी समानताएँ भी होती हैं। हमारा तो विचार है कि समानताओं के कारण दोनों शैलियों के सम्मिश्रण में सुगमता ही नहीं हुई होगी प्रत्युत उसको उत्तेजना भी मिली होगी। मंदिरों तथा मस्जिदों में समान रूप से आँगन होते हैं, जो खंभों आदि से परिवृत्त रहते हैं। ये आँगन पूरे एशिया महाप्रदेश की विशेषता हैं। इसके अतिरिक्त हिंदू तथा मुसलिम वास्तुकला में सजावट अथवा शृंगार की ओर सामान्य प्रवृत्ति होती है। घेप-भूपा के विना दोनों का काम नहीं चलता। ही, इतना अवश्य है कि हिंदू वास्तुकारों में शृंगार की प्रेरणा स्वाभाविक होती है, उन्हें यह परंपरागत रीति से प्राप्त हुई है, और मुसलमान वास्तुकारों ने इसे दूसरों से ग्रहण किया था। भारत में आने पर मुसलमानों का घनाव-सिंगार की ओर विशेष मुकाब दुश्मा।

हिंदू स्थापत्य की एक ही शैली समस्त देश में व्याप्त नहीं थी। उत्तरी भारत में ही उसकी कई शाखाएँ थीं। इतने विस्तृत देश में शैली-मेद का होना स्वाभाविक है भी। जिस प्रकार यहाँ अनेक भाषाएँ प्रचलित थीं, जिस प्रकार यहाँ अनेक धार्मिक संप्रदाय चल रहे थे, जिस प्रकार यहाँ अनेक विदेशियों ने आकर प्रभाव डाले थे तथा जिस प्रकार यहाँ के विभिन्न प्रदेशों की जलवायु और भौगोलिक स्थिति आदि भिन्न भिन्न हैं, उसी के अनुरूप यहाँ के स्थापत्य में भी अनेक प्रांतीय विभेद हुए। परंतु इन विभेदों के हीते हुए भी जिस प्रकार समस्त देश में एक

ही दंग की संस्कृति तथा एक ही दंग को सम्भवता का विकास हुआ था उसी प्रकार यहाँ के स्थापत्य में सामूहिक पक्ता भी वर्णित हुई थी। विजयी मुसलमान जब क्रम क्रम से उत्तर भारत के विभिन्न प्रदेशों में फैल गए, तब उन्होंने उन प्रदेशों में प्रचलित स्थापत्य का अपने दंग पर उपयोग किया। जिन स्थानों में मंदिर ढहाकर मस्जिदों की रक्षा हुई, वहाँ तो उन स्थानों की धास्तुकला का आधार ग्रहण ही किया गया, पर जिन स्थानों में स्वतंत्र रूप से इमारतें बनवाई गईं, वहाँ भी अधिकतर प्रांतीय शैलियों का ही आश्रय लिया गया। यहाँ कुछ उदाहरण दे देना आवश्यक होगा।

दिल्ली प्रारंभ से ही मुसलमानों का केंद्र रही थी। यहाँ वे सबसे अधिक प्रभावशाली भी थे, और यहाँ उन्हें अपनी संस्कृति की रक्षा तथा विकास का सबसे अधिक अवसर भी मिला था। परंतु दिल्ली की प्रसिद्ध मुसलिम इमारतों में भी भारतीय स्थापत्य की छाप स्पष्ट देख पड़ती है। प्रारंभ में तो मुसलमान चिजेताओं ने स्थानीय मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों की स्थापना की थी, अतः उस काल की इमारतों में भारतीय शैली प्रत्यक्ष ही है, परंतु दिल्ली की उत्तरकालीन इमारतों से भी इस देश की स्थापत्यसंवंधिनी विशेषताएँ लुप्त नहीं हो सकतीं। यद्यपि दिल्ली के कुछ शासक अस्त्र की संस्कृति को भारत में अनुएष्ट रखना चाहते थे, और वे धार्मिक कट्टरपन के उच्चतम प्रतिनिधि थे, फिर भी उनके निर्मित भवनों तथा मस्जिदों आदि में शुद्ध मुसलिम स्थापत्य नहीं मिलता। दिल्ली को छोड़कर अन्य स्थानों में मुसलमानों को न तो ऐसे साधन ही प्राप्त थे और न उनकी ऐसी प्रवृत्ति ही थी कि वे इस देश में रहकर यहाँ के स्थापत्य की अवहेलना कर सकें और अरब की कारीगरी का निर्वाह कर सकें। जैनपुर तथा दक्षिण की मुसलिम इमारतों में भारतीय प्रभाव अत्यधिक स्पष्ट है। बंगाल की मस्जिदें ईंट की वनी हुई हैं जो भारत की ही वस्तु है। उनका सजाव-शृंगार भी बंगाली है। अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही गुजरात पर मुसलमानों का अधिकार हो गया था और वहाँ अहमदाबाद की मस्जिदों आदि में मुसलिम शैली का मिथित रूप, अजमेर के ढाई दिन के भोपड़े के समान, स्पष्ट देख पड़ता है। इसी प्रकार काश्मीर में भी भवननिर्माण के लिये भारतीय शैली ही अहण की गई। पूर्व परंपरा के अनुसार मुसलिम काल में भी वहाँ लकड़ी पर कारीगरी की गई, जो अपने दंग की अनुपम है।

हिंदी साहित्य का उद्भव चंद घरदाई के कुछ पहले ही, विकाम की स्पारहवाँ शताब्दी के मध्य भाग के लगभग, हुआ था। वह हिंदी का

बीर गाथा-काल था—जो तेरहवीं शताब्दी तक चलता रहा और बीर हमीर के पतन के उपरांत समाप्त हुआ। उसके उपरांत हिंदी साहित्य का भक्तिकाल प्रारंभ हुआ जिसके उन्नायक कवीर, जायसी, सूर, तुलसी आदि हुए, जिनकी वाणी में अभूतपूर्व पवित्रता तथा सरसता का सन्धारेश हुआ। यदि इस काल को हम पूर्व मध्य काल कहें तो उत्तर मध्य काल में हिंदी साहित्य के शृंगारी कवियों की उत्पत्ति हुई जिनकी मुक्तक रचनाओं में शृंगारिकता का प्रशस्त प्रवाह देख पड़ता है। इसी समय हिंदी के प्रसिद्ध बीर कवि भूपण का अभ्युदय भी हुआ पर वे प्रबल वेग से उमड़ी हुई शृंगार-वारा का अवरोध न कर सके। उसका वास्तविक अवरोध आगे चलकर भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में हुआ। वहाँ से हिंदी का आधुनिक काल आरंभ होता है। इस काल में साहित्य की अनेक मुखी प्रगति हुई और साहित्य-निर्माण में गद्य का प्रयोग आरंभ हुआ। यह आधुनिक विकास बहुत कुछ पश्चिमीय ढंग पर हो रहा है, यद्यपि पाश्चात्य आवरण में भारतीय आत्मा की रक्षा का प्रयास भी साथ ही साथ किया जा रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी-साहित्य का काल कमानुसार कई विभागों में धौटा जा सकता है। जिस प्रकार साहित्य का कालविभाग होता है, उसी प्रकार अन्य कलाएँ भी समयानुसार अपना स्वरूप बदलती रहती हैं। उनका स्वरूप-परिवर्तन अधिकतर साहित्य के स्वरूप परिवर्तन के अनुरूप ही हुआ करता है; क्योंकि साहित्य की ही भाँति अन्य कलाएँ भी जनता की चित्तवृत्ति पर अवलंबित रहती और उन चित्तवृत्तियों के हेर फेर के साथ स्वयं भी परिवर्तित होती रहती हैं। यहाँ हम विभिन्न ललित कलाओं का धर्णन सुगमता के लिये हिंदी साहित्य के उपर्युक्त कालविभाग के अनुसार करेंगे।

वास्तुकला तथा मूर्तिकला

ऊपर हमने हिंदू तथा मुसलिम स्थापत्य का जो भैद घतलाया है, उससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मूर्तियों का निर्माण मंदिर-

स्थापत्य का अविच्छिन्न अंश है, अतः मूर्तिकला शादि काल का विकास वास्तुकला के साथ युगपद रूप में

हुआ है। मुसलिम स्थापत्य में तो इस कला का कहीं पता भी नहीं मिलता; फ्योंकि अपने धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार मुसलमान मूर्ति-पूजा की फौन कहे मूर्ति-निर्माण तक को कुफ समझते थे, परंतु हिंदुओं के मंदिरों में मूर्तियों को सदा से प्रधान स्थान प्राप्त रहा है।

यहाँ हम वास्तुकला तथा मूर्तिकला का विवरण सम्मिलित रूप से देंगे, क्योंकि भारतीय स्थापत्य में इन दोनों का संबंध प्रारंभ से ही द्वानष्ट तथा अद्वृट् रहा है।

उत्तर भारत के तत्कालीन ज्ञात्रिय नृपति अधिकतर शाक तथा शैव थे और युद्धप्रियता के साथ ही हिंसा तथा मांसभक्षण की ओर भी उनकी प्रवृत्ति थी। उस समय का सबसे उत्तम मंदिर-समूह युंदेलखंड के खजराहो नामक स्थान में है। वहाँ छोटे बड़े पचासों हिंदू तथा जैन मंदिर हैं। हिंदू मंदिरों में सर्वोत्तम कंडरिया महादेव का विशाल मंदिर है, जो जमीन से ११६ फुट ऊँचा और वहुत सुंदर है। इसके नीचे जो भारी कुरसी या चबूतरा बना है उससे इसका विशाल आकार और भी प्रभविष्णु हो गया है। क्रमशः छोटे होते हुए एक के ऊपर दूसरे शिखर-समूह बड़े ही भव्य हैं, जिनके द्वारा कला में कैलास की अभिव्यक्ति का अनुपम नमूना मिलता है। यहाँ के वैष्णव तथा जैन मंदिरों में विशेष मौलिकता नहीं है, वे सब इसी कंडरिया महादेव के मंदिर के अनुकरण पर हैं और केवल मूर्तियों की विभिन्नता ही उनकी विशेषता है। मूर्तियों की काट छाँट गुप्तकालीन मुखाकृति की रचना का अनुकरण तथा अलंकरण है। आभूपणों की सजावट में गुप्तकालीन सरलता नहीं है और न दृस्त तथा चरण-मुद्राओं में विशेष भाव भंगी है, केवल लावरण्य-शृंगार की प्रचुरता है। तथापि उस काले की जो विशिष्ट मूर्तियाँ हैं, वे गुप्तकाल की सुंदर प्रतिमाओं की समानता करती हैं। खुलतानपुर (अवध) की विष्णु की, महोदया की पद्मपाणि की तथा भोजनगर (मालवा) की सरस्वती की मूर्तियाँ इसका उदाहरण हैं। इसी समय के लगभग गुजरात की विशेष अलंकृत शैली का जन्म हुआ, जिसका प्रसार पश्चिमी राजपूताने तक था। सोमनाथ, मुढेरा तथा सिद्धपुर के मंदिर और डमोई का किला इसके उदाहरण हैं। परंतु इसका प्रधान और लोकोत्तर उदाहरण विमलशाह का विं १०३१ में बनवाया हुआ आदू का जैनमंदिर है, जो देखनेवाले की आँखों में आश्चर्य चकाचौंध उत्पन्न कर देता है। न्यारहवीं धारहवीं शताब्दी में यने नागदा में सर्वोत्तम दो मंदिर सास-बहू के हैं, जिनके स्थापत्य की बड़ी प्रशंसा है। इन तथा अन्य स्थानों के यने हुए तत्कालीन मंदिरों की शैली का विश्लेषण करने पर उनकी प्रचुर प्रभविष्णुता, अनुभावता तथा शृंगारिकता स्पष्ट भलकर्ते लगती है, जो उस समय की प्रधान राजपूत मनोवृत्तियाँ थीं। साहित्य में ये ही चित्तवृत्तियाँ युद्ध और ग्रेम के घर्षणों द्वारा व्यक्त की गई हैं।

जब हम इस काल के मुसलिम स्थापत्य को और ध्यान देते हैं तब हमारी दृष्टि पहले पहल दिल्ली की और जाती है। दिल्ली के पहले सिंध और अफगानिस्तान में आप हुए अरवों ने कुछ इमारतें बनवाई थीं; परंतु मंसूरा के भग्नावशेषों के अतिरिक्त अब उनका कोई अवशेष-चिह्न नहीं मिलता। गजनी में भी महमूद के समाधि-मंदिर तथा दो भीनारों अथवा विजयप्रासादों के अतिरिक्त स्थापत्य का कोई उल्लेख-योग्य कार्य नहीं हुआ। दिल्ली की इमारतों में जामा या कवायतुल इस्लाम मस्जिद उस समय की प्रधान रुति भानी जाती है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन पेशेक ने दिल्ली की विजय के उपरांत किया था और विजयस्मृति में उसे मुसलिम वीरत्व का निर्दर्शन मानकर तदनुरूप उसका नामकरण भी किया था। इस विशाल मस्जिद को कुतुबुद्दीन के परवर्ती अल्तमश तथा अलाउद्दीन खिलजी आदि नृपतियों ने अधिकाधिक विस्तृत तथा अलंकृत किया। पहले इसमें हिंदू स्थापत्य की ही प्रधानता थी, परंतु ज्यों ज्यों दिल्ली में मुसलमानों का सिक्का जमता गया और उन्हें साधन मिलते गए त्यों त्यों इस मस्जिद का रूप-परिवर्तन भी होता गया और इसमें मुसलिम कारीगरी बढ़ती गई। चिं० १२८६ कुतुब-भीनार के निर्माण का समय है। संभवतः इसकी रचना का प्रारंभिक उद्देश्य कुछ और ही था, पर पीछे से यह मुसलमानों की विजय का स्मारक बन गया। प्रारंभ में यह लगभग २२५ फुट ऊँचा था। इसमें कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। प्रत्येक मस्जिद के कोने पर भीनार होते हैं। इससे अनुंमान होता है कि लोहस्तंभ के निकटवाली, हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई हुई, मस्जिद का यह भीनार होगा; पर पीछे से यह मुसलमानों की विजय का चिह्न बन गया। इसकी मरम्मत भी दिल्ली की शासक-परंपरा ने बरावर की है। यद्यपि कुतुब में भारतीय अलंकरणों का समावेश देखकर तथा दो नागरी लेखों के आधार पर कुछ विद्वानों ने इसे पृथ्वीराज द्वारा निर्मित बतलाया है, किंतु ऐसी आशंका करना उचित नहीं जान पड़ता। यह कहों से परिवर्तित की हुई इमारत नहीं है, अपने मैलिक रूप में ही है। तेरहवाँ शताब्दी की घनी हुई अजमेर की “ढाई दिन का भोपड़ा” मस्जिद दिल्ली की ‘कवायतुल इस्लाम’ मस्जिद की ही भाँति भव्य तथा विशाल है। इस काल को ये ही विशेष उल्लेखनीय रुतियाँ हैं। इन प्रसिद्ध इमारतों से मुसलमानों के श्रावणिक विजयोज्ञास का पूरा पूरा अनुभव हो जाता है।

जब दिल्ली का शासन खिलजियों के वंश से निकलकर तुगलक वंश के हाथ में आया, तथ वही के स्थापत्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन

हुआ। इस समय तक मुसलमानों का प्राथमिक उपास यहुत कुछ शिखिल पड़ गया था और अब वे धर्म के शुचितर सिद्धांतों तथा जीवन की गंभीर समस्याओं की ओर ध्यान देने लगे थे।

पूर्व मध्य काल

अतएव आदि काल के मुसलिम स्थापत्य में जो अलंकरणाधिक्य और वाह्य सुंदरता थी, वह इस काल में कम हो चली। यद्यपि आर्थिक स्थिति ने भी सरलता और सादगी की ओर प्रेरित किया, पर मनोवृत्ति में भी परिवर्तन अवश्य हुआ। इस काल की सभी प्रसिद्ध इमारतों में एक पूत भावना का समावेश सा जान पड़ता है। गयासुहीन के बनवाए हुए तुगलकावाद (सं० १३७८-८२) का संपूर्ण स्थापत्य तथा विशेषतः उसकी समाधि आदि इस बात के पुष्ट प्रमाण हैं। फीरोजशाह के बनवाए हुए कोटला फिरोजशाह आदि भी स्थापत्य की दृष्टि से अनलंकृत कोटि के हैं। फीरोजशाह के प्रधान मंत्री खानेजहाँ तिलंगानी की कब्र भी इस काल की उल्लेखनीय रचना है; परंतु यह भी आदि काल की मुसलिम इमारतों के सामने विलकुल सादी और उजाड़ सी जान पड़ती है। इस काल की कृतियों में भारतीय प्रभाव उतना अधिक नहीं है, जितना आगे चलकर मुगल काल में हुआ।

सैयद और लोदी शासकों के समय में स्थापत्य की दशा अच्छी नहीं रही। उनके पास उत्तम स्थापत्य के उपयुक्त साधन ही नहीं थे। अंत में जब मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और सुख-समृद्धिपूर्ण समय आया, तब स्थापत्य को नए सिर से अभ्युत्थान का अवसर मिला। मुगल स्थापत्य का ग्रांड हुमायूँ के मकबरे से हुआ। इसमें सादगी, प्रभृतिज्ञता और भव्यता के साथ साथ भारतीयता का भी सम्बिंद्योग हुआ। इसकी छुंकन सर्वथा भारतीय अर्थात् पंचरत्न, धौद्ध समाधि या देवालय की है। मुगल कला पर भारतीय प्रभाव का यह प्रथम महत्त्वपूर्ण निर्दर्शन है। हुमायूँ के उपरांत जब इस देश के शासन की बागड़ोर अकबर के हाथों में गई, तब हिंदू और मुसलिम शैलियों का सम्मिश्रण जैसे अन्य द्वे त्रों में हुआ, वैसे ही स्थापत्य में भी हुआ। उसकी बनवाई हुई फतहपुर सिकरी की इमारतें देखने में विलकुल हिंदू इमारतें जान पड़ती हैं। इनके अलंकरण भी अकबर के ही योग्य हुए हैं—न कम न अधिक; मानों उनमें पूर्णता आखिं खोलकर मुसकरा रही हो। अकबर की ही बनवाई हुई घरों की जामामस्जिद भी अपनी मिथित कला के लिये प्रसिद्ध है, मानों वह सब प्रधान धर्मों के उपासकों का सम्मिलित उपासना-गृह हो। इसके अतिरिक्त जोधवाई का महल, मरियम ज़मानी के भवन, स्वयं अकबर का निवास-भवन, दीयानश्चाम, दीवनखास आदि

सब अपने ढंग को बहुत ही उच्च कोटि की इमारतें हैं। जहाँगीर ने अकबर की परंपरा के रक्षण की चेष्टा की। उसने आगरे के किले में आँगनदार महल तथा लाहौर और काश्मीर में शालामार घाग घनवाए जिनमें फौवारों, जल-प्रपात तथा प्रवाह का सौंदर्य दर्शनीय है। मुगलों के स्थापत्य का चरम उत्कर्ष शाहजहाँ की प्रियतमा मुमताज़महल का मकबरा ताजमहल है जो एक रत्नजटित आभूषण सा सुंदर पर्व मनो-मोहक बना है। इसकी गणना संसार की कतिपय सर्वोत्कृष्ट मानव-रचनाओं में विशेष आदर के साथ की जाती है। दिल्ली में शाहजहाँ का घनवाया हुआ लाल पत्थर का किला तथा बड़ी ज़ामा-मस्जिद आदि अन्य उत्कृष्ट स्थापत्य भी उल्लेखनीय हैं।

यह तो शासकों की कृतियों का उल्लेख हुआ। इसके अतिरिक्त अनेक मुसलमान मांडलिकों की कृतियाँ भी उत्कृष्ट हुई हैं जिनमें जौनपुर तथा गुजरात की, विशेषकर अहमदाबाद की, कुछ इमारतें अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। विहार में शेरशाह का सहसरामवाला मकबरा भी अपने ढंग का अद्वितीय समझा जाता है। इसका सौम्य तथा गंभीर रूप ही इसकी विशेषता है। इस काल की प्रायः सभी इमारतों में भारतीय भवन-निर्माण-विधि का पूरा पूरा संयोग है। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि इस समय हिंदू और मुसलमान एक साथ रहकर हैल-मेल रखना भी सीख रहे थे।

मूर्तिकला का ह्रास इस युग तथा इसके पर्वतीय युग की प्रधान विशेषता है। चित्तौड़ का महाराणा कुंभा का कीर्ति-स्तंभ और मीरा-वाई का (कुंभस्वामी) मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। संवत् १५४३ का बना हुआ ग्वालियर का किला, १६४७ विं में निर्मित वृद्धावन का गोविंद देव का मंदिर और इसी समय के लगभग बना काशी विश्वेश्वर का प्राचीन मंदिर भी इसी श्रेणी की इमारतें हैं। इन सबमें कुछ न कुछ मुसलिम प्रभाव अवश्य मिलता है। यधपि महाराणा कुंभा के कीर्ति-स्तंभ में बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई हैं, परंतु उनमें इस काल का ह्रास प्रत्यक्ष लक्षित हो जाता है। संवत् १६४६ से १६४७ तक की बनी मानसिंह की आमेर की इमारतों में मुसलिम स्थापत्य की छाप बहुत अधिक पड़ी। वे दिल्ली के दीवान आम की असफल नकल हैं। राज-पूताने की घर्तमान भवन-निर्माण-शैली का जन्म यहाँ से होता है।

अकबर के समय में बुँदेलखंड में प्रसिद्ध धीरसिंहदेव हुए। उस समय वहाँ हिंदू संस्कृति की जो नवजागर्त्ता देख पड़ी थी, उसका प्रभाव स्थापत्य पर कम नहीं पड़ा। शोड़छे का सुंदर नगर तथा उसमें चतु-

भुजजी का विशाल मंदिर वहाँ के स्थापत्य के उत्कृष्ट उदाहरण तो हैं ही, वे हिंदू स्थापत्य में भी एक उच्च स्थान के अधिकारी हैं। वीरसिंह-देवजी की छुतरी तथा उनके महल भी वास्तुकला के घड़े सुंदर निर्दर्शन हैं। उनका दतियावाला महल तो सचमुच अद्वितीय है। यहाँ की इमारतों में मुसलमानों का प्रमाण ध्वनि कम, प्रायः नहीं के धरावर, पड़ा। इनमें व्यर्थ अलंकरणों के अभाव से एक प्रकार की सादगी आ गई है जिससे इनके भारतीय गृहस्थ के शुचितम तथा सुंदरतम आवास होने का आभास मिलता है। अक्खर की तुलना में यद्यपि ये बीर बुद्देले कुछ भी न थे, फिर भी अपनी इमारतों के विचार से ये उससे टक्कर लेते हैं।

शाहजहाँ के ताजमहल में मुगल स्थापत्य अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँच गया है। यहाँ से एक नवीन युग का आरंभ होता है जिसे हम

हास का युग कह सकते हैं। यों तो शाहजहाँ के

उत्तर मध्य काल समय से ही मुसलमानों का धार्मिक कट्टरपन जोर पकड़ रहा था, परंतु उसके उत्तराधिकारी औरंगजेब की नुशंसता तो इतिहास-प्रसिद्ध हुई। पुर्तगाली मंदिरों को तुड़वाकर शाहजहाँ ने जिस मनोवृत्ति का परिचय दिया था, औरंगजेब ने जीवन-पर्यंत उसकी पुष्टि की। ऐसी अवस्था में लिलित कलाएँ उन्नति नहीं कर सकती थीं। औरंगजेब की यनवाई हुई इमारतों में अधिकांश मस्जिदें तो मंदिरों को तोड़कर बनी हैं। उनमें एक प्रकार की वर्वरता, खलाई तथा उजाइपन सा निर्दर्शित होता है। शाहजहाँ के समय के सुंदर स्थापत्य को उसने ऐसा रूप दिया है, मानों उसकी खाल खिंचवा ली हो। उसकी इमारतों में काशी के गंगा तट पर बनी घह मस्जिद है जो चिंदुमाधव के मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। यह अब भी उसी पुराने नाम “माधवराय का धौरहरा” से पुकारी जाती है। दक्षिण में उसने अपनी वेगम का मक्यरा बनवाने में ताज की नकल की, पर उसमें कुछ भी सफलता नहीं मिली। औरंगजेब के पीछे मुगलों की कोई विशेष प्रसिद्ध इमारत नहीं बनी। केवल दूसरे शाह आलम ने अहमदाबाद (गुजरात) में कुछ इमारतें बनवाईं जिनमें जैन-मंदिर-निर्माण-विधि का अनुकरण किया गया। जैनों की मंदिर-निर्माण-कला पूर्ववत् ही बनी रही, उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ।

जिस प्रकार हिंदी साहित्य की शृंगार-परंपरा के बीच में भूपण का उदय हुआ था, जिनकी बाणी में अद्भुत श्रेष्ठता जातीयता का प्रसार हुआ, उसी प्रकार औरंगजेब की नुशंसता से नष्ट होती हुई वास्तु-कला को भी मराठों तथा सिंहों ने पुनरुज्जीवित करने का प्रयास किया

था। मराठों ने काशी में अनेक घाट और मंदिर बनवाए। मंदिरों में तो प्राचीन शैली का अनुकरण मात्र मिलता है, पर घाटों की विशेषता उनके भारीपन में है, जिसके कारण उनके निर्माताओं की महत्वाकांक्षा प्रदर्शित होती है। यदि मराठों की सत्ता जीवित रहती, तो उनका स्थापत्य अवश्य ही विशेष उभ्रत होता, परंतु संयोगवश ऐसा न हो सका। सिखों की इमारतों में संवत् १८२३ का बना अमृतसर का तालाब और स्वर्ण-मंदिर भनोहर स्थापत्य के निर्दर्शन हैं। इनमें सौंदर्य और प्रभविष्णुता दोनों हैं। यद्यपि इस मंदिर में ताज की शैली का बहुत कुछ अनुकरण दृष्टिगोचर होता है, पर सादगी और पवित्रता के नए भाव भी इसमें स्पष्ट देख पड़ते हैं।

इस काल में मूर्तिकला तो प्रायः विस्मृत सी हो गई थी। उड़ीसा और गुजरात में प्राचीन परंपरा का निर्वाहमात्र करती हुई मूर्तियाँ बनती रहीं, पर उनमें स्वतंत्र प्रतिभा का पता नहीं है। नेपाल के हिंदू नृपतियों के संरक्षण में भी इस कला का थोड़ा बहुत विकास होता रहा, परंतु वहाँ की मूर्तिकला पर महायान (बौद्ध) शैलों का हो अधिक प्रभाव पड़ा।

लखनऊ के नवाबों की बनवाई हुई इस काल की इमारतों में केवल बड़ा इमामबाड़ा अपनी विशालता के कारण उल्लेखनीय है। यहाँ से युरोपीय प्रभाव का आरंभ समझना चाहिए।

र्थमान काल के स्थापत्य के हम चूर्ट मुख्य विभाग कर सकते हैं। (१) पञ्चिकवक्स डिपार्टमेंट की इमारतें—इनमें शैली के भद्रेपन

के अतिरिक्त कोई विशेषता नहीं होती। इनका आधुनिक काल निर्माण काम चलाने के लिये ही किया जाता है, अन्य किसी उद्देश से नहीं। (२) धनियों की इमारतें—इनसे हमारा तात्पर्य उन मंदिरों, वर्मशालाओं और किंचास-मृहों से है जो देश के सेठ-साहूकार, राजा-रईस आदि बनवाते हैं। इनमें भी स्वतंत्र कला की सजीवता नहीं देख पड़ती। इनकी शैली अधिकतर संकर शैली कही जा सकती है। कला की भावना से हीन कारीगर यहाँ जो चाहते हैं, यनाते हैं, कोई पथप्रदर्शक नहीं है। पश्चा का बलदाऊजी का मंदिर इसका अच्छा उदाहरण है। (३) विलायत के बड़े बड़े बास्तुकारों के परिकल्पित भवन—इस थोणी में कलकत्ते का विक्टोरिया मेमोरियल तथा नई दिल्ली के भवन आते हैं। इनका स्थापत्य विदेशीय है, जो हमारे देश से विलकूल विभिन्न होने के कारण यहाँ की परिस्थिति के अनुकूल नहीं है। इस दृष्टि से उनकी विफलता प्रत्यक्ष है। (४) इस थोणी

में वे इमारतें गिनी जा सकती हैं जिनमें भारतीय स्थापत्य की राजपूत शैली के पुनरुत्थान का प्रयास किया गया है और मनोहरता पर विशेष ध्यान रखा गया है। इसके अंतर्गत काशी विश्वविद्यालय, स्वर्णीय महादेवप्रसाद जायसवाल का मिर्जापुरवाला भकान, पट्टना म्यूजियम, आउस साहब का बनवाया हुआ बुलंदशहर का टाउनहाल, मयुरा का फाटक, नई दिल्ली की कुछ इमारतें गिनी जा सकती हैं। प्रत्येक प्रकार की कला पर धर्ममान युग के भावों और विचारों का प्रभाव पढ़े विना नहीं रह सकता। प्राचीन शैली के साथ इन नए भावों तथा विचारों का सामंजस्य और सम्मिश्रण ही श्रेयस्कर है जिसमें प्राचीन परंपरा बनी रहे और साथ ही नवोत्थित आवश्यकताओं की पूर्ति है।

सारांश यह है कि जिस प्रकार धार्मिक, सामाजिक, नैतिक, साहित्यिक आदि स्थितियों पर युरोपीय सम्भता तथा संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट देख पड़ता है, उसी प्रकार यहाँ के स्थापत्य पर भी उसकी छाप दृष्टिगोचर होती है। जैसे काशी विश्वविद्यालय की इमारतों में राजपूत और मुगल स्थापत्य का विशेष अनुकरण करने की चेष्टा की गई है, साथ ही विडकियों तथा दरवाजों में पाश्चात्य शैली का अनुकरण किया गया है। कुछ कलाविद इस अनुकरण में भावना या कल्पना का अभाव बतला सकते हैं। पर इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि अब प्राचीन कला के उद्धार तथा भारतीय आदर्शों के अनुसार नवीन विकास की योजना होने लगी है। काशी विश्वविद्यालय की इमारतों में यह विकास प्रत्यक्ष देख पड़ता और चित्तकर्पक सिद्ध होता है।

मूर्ति-निर्माण में वंयई के म्हातरे ने अच्छी स्थाति पाई है। दो एक अन्य महाराष्ट्र तथा घंगाली सज्जन भी कार्यक्रोत्र में अग्रसर हो रहे हैं, परंतु प्राचीन मूर्तिकला की आत्मा को सामयिक शुरीर देने का कार्य अब तक विधिवत् प्रारंभ नहीं हुआ है।

चित्रकला

चित्रकला का आधार कपड़े, काग़ज, लकड़ी, दीवार आदि का चित्रपट है जिस पर चित्रकार अपनी कलम या कूँची की सहायता से भिन्न भिन्न पदार्थों या जीवधारियों के प्राकृतिक रूप, रंग और आकार आदि का अनुभव करता है। मूर्तिकार की अपेक्षा उसे मूर्त आधार का कम आधार रहता है। इसी से उसे अपनी कला का सौंदर्य दिखाने के लिये अधिक कौशल से काम करना पड़ता है। वह अपनी कलम या कूँची से समतल या सपाट सतह पर स्थूलता, कुशता, वंधु-

रता, उन्नमन, अवनमन, सच्चिकर्ष, विप्रकर्ष, छाया और प्रकाश आदि को यथायोग्य दिखाता है। वास्तविक पदार्थ को दर्शक जिस परिस्थिति में देखता है, उसी के अनुसार अंकन द्वारा वह अपने चित्रपट पर ऐसा चित्र प्रस्तुत करता है जिसे देखकर दर्शक को चित्रगत वस्तु असल वस्तु सी जान पड़ने लगती है। इस प्रकार वास्तुकार और मूर्तिकार की अपेक्षा चित्रकार को अपनी कला के ही द्वारा मानसिक सृष्टि उत्पन्न करने का अधिक अवसर मिलता है। उसकी कृति में मूर्त्तता कम और मानसिकता अधिक रहती है। कोई ऐतिहासिक घटना या प्राकृतिक दृश्य को अंकित करने में चित्रकार को केवल उस घटना या प्राकृतिक दृश्य के बाहरी अंगों को जानना और अंकित करना आवश्यक नहीं होता, किंतु उसे अपने विचार के अनुसार उस घटना या दृश्य को सजीवता देने और मनुष्य या प्रकृति की भावभंगी का प्रतिरूप अङ्गों के सामने खड़ा करने के लिये, अपनी कूँचों चलाना और परोक्ष रूप से अपने मानसिक भावों का सजीव चित्र सा प्रस्तुत करना पड़ता है। अतएव यह स्पष्ट है कि इस कला में मूर्त्तता का अंश थोड़ा और मानसिकता का मुख्य होता है। नीचे हम हिंदी साहित्य के क्रम-विकास के विभिन्न कालों में उत्तर भारत की चित्रकला की अवस्था का दिग्दर्शन कराएँगे।

अर्जन्ता की गुहाओं की उत्कृष्ट चित्रकला की शैली इस समय अधिःपतित हो रही थी। घौम्द धर्म के प्रसार के साथ ही भारत में

इस कला का जैसा अनुपम विकास हुआ था,

आदि काल

उसके हास के साथ ही उसकी भी अधोगति हुई। इसमें संदेह नहीं कि घौम्द काल ही इस देश की चित्रकला का स्वर्ण-युग था। फिर भी चित्रकला का यहाँ कुछ न कुछ प्रचार सदा बना रहा और दीच दीच में उसमें नवीन जागर्ति भी देख पड़ती रही। तत्कालीन प्राकृत तथा अपन्नंश अंथों में अनेक स्थानों पर चित्रों का घण्ठन घड़ी रमणीय रौति से किया गया है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि जनता की अभिरुचि उस ओर से सर्वथा हट नहीं गई थी। यही नहीं, उस समय चित्राधारों के यनवाने की भी रीति थी और चित्रकारों का समाज में आदर भी अधिक था।

उस काल के तालपत्र पर लिखे कतिपय सचिव जैन कल्पसूत्र एवं कालकाचार्य-कथानक भिले हैं जिनमें से एक पाटन (गुजरात) के पुस्तक-भांडार में रक्षित है। यह १२६४ विं का लिखा है। इन कल्पसूत्रों आदि में जो चित्र हैं वे गुजरात के ही बने हैं एवं इस काल

की गिरी दशा के द्योतक हैं। उक्त चित्रकारी को केवल जैन पुस्तकों में पाकर डाकटर कुमारस्वामी प्रभृति विद्वानों ने उसका नाम जैन चित्रकारी रखा था; परंतु श्रीयुत एन० सी० मेहता की नवीन खोज के अनुसार इस कला को गुजराती कलम कहना चाहिए। इसका प्रचार केवल गुजरात में ही नहीं था, बरन् उत्तर भारत के उस विस्तृत भूभाग में भी था। जहाँ हिंदी साहित्य की आदिकालीन वीरगाथाओं को रचना हुई थी।

यों तो पट्टों, फलकों और तालपत्रों पर चित्र बनते ही थे, किंतु उस समय तक चित्रण का मुख्य स्थल दीवारें ही थीं। भीतों की सजावट चित्रों ही द्वारा होती थी और वास्तुविद्या के अंतर्गत यह एक मुख्य कला थी।

इस काल की “वसंत-विलास” नामक पक रचना श्रीयुत एन० सी० मेहता को मिली है। इस पुस्तक में संस्कृत, ग्राहुत तथा अपनेश

पूर्व मध्य काल आदि के सुभाषितों का संग्रह है और दीच दीच में श्रुंगारिक चित्र भी हैं। इसका लिपि-काल १५०० विं है। अनुभान होता है कि विलासी श्रीमानों के लिये इस ग्रंथ की ऐसी सचित्र प्रतियाँ उस समय बहुत बनती रही होंगी। इसकी लिपि में थोड़ी थोड़ी, दूर पर स्थाही के रंग बदले गए हैं और कहाँ कहाँ सुनहली स्थाही का भी प्रयोग किया गया है। हाशिए पर तरह तरह की बोल हैं। इसके चित्रों में कई ऐसे हैं जिनमें आगे की राजस्थान तथा बुँदेलखंड की चित्रकलां के बीज मिलते हैं। इस श्रुंगारिक रचना के अतिरिक्त जैन धर्म-ग्रंथों की भी कतिएय सचित्र प्रतियाँ इस काल में बनी थीं जो अब भी ग्रिटिश म्यूजियम, इंडिया आफिस आदि में रखित हैं। भारत में भी कलकत्ते के दो एक बंगाली सज्जनों के संग्रहों में ऐसी कुछ प्रतियाँ हैं।

पंद्रहवीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर सोलहवीं शताब्दी के अंत तक के इसी शैली के कई चित्र काशी के नागरीप्रचारिणी सभा के भारत कला-भवन को प्राप्त हुए हैं। ये अपने हंग के अनुपम हैं; क्योंकि इनका विषय कोई कथानक काव्य है जिसकी भाषा कहाँ फारसी है और कहाँ जायसी काल की हिंदी है। ये चित्र कागज पर खड़े बल में (कितावनुमा) बने हैं। दुर्भाग्य-वश इस ग्रंथ के केवल छः पन्ने हाथ लगे हैं, वे भी अभी ठीक ठीक पढ़े नहीं गए। तथापि उनके मिलने से अब यह चित्रण परिषट्टी गुजरात की ही सीमा में न रहकर दो-आव तक खिंच आती है।

यद्यपि राजपूत चित्र-शैली का आविर्भाव इस काल के पूर्व सोलहवीं शताब्दी के अंतिम भाग में हो गया था, पर उसका ठीक ठोक विकास कुछ समय के उपरांत हुआ। डॉक्टर

उत्तर मध्य काल कुमारस्वामी और श्रीयुत अजित धोप के संग्रहों में कुछ राग रागिनियों के चित्र हैं जिनके रचना-काल के संबंध में बड़ा मतभेद चला था। अंत में वे सत्रहवीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग के लगभग बने माने गए हैं और उनमें चित्रकला के नवीन युग के दीज एवं प्राचीनता के चिह्न स्वीकृत किए गए हैं। राग रागिनियों के चित्र अब तक अविदित थे। पंद्रहवीं शताब्दी की संगीत पुस्तकों तथा सूर और तुलसी के पदों तक में रागों की इस प्रकार की कल्पना नहीं मिलती। तो भी ये राग-परिवार केवल कपोलकल्पना नहीं माने जा सकते, इनमें कुछ न कुछ तत्त्व अवश्य हैं। छः रागों के ध्यान तो निःसंदेह ऋतुओं के अनुसार है, और रागिनियों के ध्यान भी संभवतः उनके द्वारा उद्दीप्त मात्रों का अभिव्यञ्जन करते हैं। कहा जाता है कि उक्त रागमाला के चित्र राजपूताने अथवा बुँदेलखण्ड में बने थे। कुछ विद्वानों का कहना है कि ये चित्र मालवा की कलम के हैं क्योंकि उन दिनों वही एक संगीत-प्रधान के द्वारा था, पर राजपूताने में भी राग-रागिनियों के चित्र दो ढाई सौ वर्ष पहले के बने मिलते हैं। जो कुछ हो, राजपूत शैली की राजस्थानी शाखा का मुख्य विषय आरंभ से लेकर वर्तमान काल तक रागमाला ही रहा है। इस काल में वारहमासा के चित्रों तथा धार्मिक चित्रों की ओर भी ध्यान दिया गया। धार्मिक चित्रों में कृष्णलीला को ही प्रधानता दी गई। नायिका-भेद या साहित्यक विषयों के चित्र भी कुछ कुछ मिलते हैं। लाहौर म्यूजियम और जयपुर म्यूजियम में हमीरदृढ़ के चित्रों का तथा वृटिश म्यूजियम और भारत कलाभवन में वारहमासे और नायिकाओं के चित्रों का अच्छा संग्रह है। इस शैली के चित्रों में घास्तविकता की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, जितना कल्पना की ओर रहता था। काशिराज के पुस्तकालय के रामचरितमानस, भारत-कला-भवन के अधूरे धालकांड और मधुमालती इसके उदाहरण हैं। बुँदेलखण्डी शैली इसी राजस्थान शैली की परवर्ती शाखा थी। हम हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल का आरंभ केशव की रचनाओं से पाने लगते हैं और चिंतामणि के समय तक उसके प्रत्यक्ष लक्षण देख पड़ते हैं। तदनुसार चित्रकला का उत्तर मध्य काल केशव की समकालीन बुँदेल-जागर्ता से मानना उचित होगा। बुँदेलों ने अक्यार और जहाँगीर के काल में अत्यंत साधारण स्थिति से उठकर जो प्रमुखता प्राप्त की

की गिरी दशा के घोटक हैं। उक्त चित्रकारी को केवल जैन पुस्तकों में पाकर डाक्टर कुमारस्वामी प्रभृति विद्वानों ने उसका नाम जैन चित्रकारी रखा था; परंतु श्रीयुत एन० सी० मेहता की नवीन खोज के अनुभार इस कला को गुजराती कलम कहना चाहिए। इसका प्रचार केवल गुजरात में ही नहीं था, बरन् उत्तर भारत के उस विस्तृत भूभाग में भी था। जहाँ हिंदी साहित्य की आदिकालीन धीरगाथाओं को रचना हुई थी।

यों तो पट्टी, फलकों और तालपत्रों पर चित्र बनते ही थे, किंतु उस समय तक चित्रण का मुख्य स्थल दीवारें ही थीं। भीतों की सजावट चित्रों ही द्वारा होती थी और वास्तुविद्या के अंतर्गत यह एक मुख्य कला थी।

इस काल की “वसंत-विलास” नामक एक रचना श्रीयुत एन० सी० मेहता को मिली है। इस पुस्तक में संस्कृत, प्राकृत तथा अपनंश

पूर्व मध्य काल शृंगारिक चित्र भी हैं। इसका लिपि-काल १५०० चि० है। अनुमान होता है कि विलासी श्रीमानों के लिये इस ग्रन्थ की ऐसी सचित्र प्रतियाँ उस समय बहुत बनती रही होंगी। इसकी लिपि में थोड़ी थोड़ी दूर पर स्याही के रंग बदले गए हैं और कहाँ कहाँ सुनहली स्याही का भी प्रयोग किया गया है। हाशिए पर तरह तरह की बोल हैं। इसके चित्रों में कई ऐसे हैं जिनमें आगे की राजस्थान तथा बुँदेलखण्ड की चित्रकला के बीज मिलते हैं। इस शृंगारिक रचना के अतिरिक्त जैन धर्म-ग्रन्थों की भी कतिष्य सचित्र प्रतियाँ इस काल में बनी थीं जो अब भी ग्रिटिश म्यूजियम, इंडिया अफिस आदि में रखित हैं। भारत में भी कलकत्ते के द्वी पक वंगाली सज्जनों के संग्रहों में ऐसी कुछ प्रतियाँ हैं।

पंद्रहवीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर सोलहवीं शताब्दी के अंत तक के इसी शैली के कई चित्र काशी के नागरीप्रचारिणी सभा के भारत कला-भवन को प्राप्त हुए हैं। ये अपने ढंग के अनुपम हैं; क्योंकि इनका विषय कोई कथानक काव्य है जिसकी भाषा कहाँ फारसी है और कहाँ जायसी काल की हिंदी है। ये चित्र कागज पर खड़े बल में (किताबनुमा) बने हैं। दुर्भाग्य-वश इस ग्रन्थ के केवल छः पन्ने हाथ लगे हैं, घे भी अभी ठीक ठीक पढ़े नहीं गए। तथापि उनके मिलने से अब यह चित्रण परिपाटी गुजरात की ही सीमा में न रहकर दो-आव तक खिंच आती है।

यद्यपि राजपूत चित्र-शैली का शाविभाव इस काल के पूर्वे सोल-हर्वीं शताब्दी के अंतिम भाग में हो गया था, पर उसका ठीक ठीक विकास कुछ समय के उपरांत हुआ। डाक्टर

उत्तर मध्य काल कुमारस्थामी और श्रीयुत अजित घोष के संग्रहों में कुछ राग रागिनियों के चित्र हैं जिनके रचना-काल के संबंध में बड़ा मतभेद चला था। अंत में वे सत्रहर्वीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग के लगभग बने गए हैं और उनमें चित्रकला के नवीन युग के बीज एवं प्राचीनता के चिह्न स्थीरत किए गए हैं। राग रागिनियों के चित्र अब तक अविदित थे। पंद्रहर्वीं शताब्दी की संगीत पुस्तकों तथा सूर और तुलसी के पदों तक में रागों की इस प्रकार की कल्पना नहीं मिलती। तो भी ये राग-परिचार केवल कपोलकल्पना नहीं माने जा सकते, इनमें कुछ न कुछ तत्त्व अवश्य हैं। छः रागों के ध्यान तो निःसंदेह ऋतुओं के अनुसार है, और रागिनियों के ध्यान भी संभवतः उनके द्वारा उहीस मावों का अभिव्यञ्जन करते हैं। कहा जाता है कि उक्त रागमाला के चित्र राजपूताने अथवा बुँदेलखंड में बने थे। कुछ विद्वानों का कहना है कि ये चित्र मालवा की कलम के हैं क्योंकि उन दिनों वही एक संगीत-प्रधान के द्वारा था, पर राजपूताने में भी राग-रागिनियों के चित्र दो ढाई सौ वर्ष पहले के बने मिलते हैं। जो कुछ हो, राजपूत शैली की राजस्थानी शाखा का मुख्य विषय आरंभ से लेकर वर्तमान काल तक रागमाला ही रहा है। इस काल में वारहमासा के चित्रों तथा धार्मिक चित्रों की और भी ध्यान दिया गया। धार्मिक चित्रों में कृष्णलीला को ही प्रधानता दी गई। नायिका-भेद या साहित्यक विषयों के चित्र भी कुछ कुछ मिलते हैं। लाहौर म्यूजियम और जयपुर म्यूजियम में हम्मीट-हठ के चित्रों का तथा वृटिश म्यूजियम और भारत कलाभवन में वारहमासे और नायिकाओं के चित्रों का अच्छा संग्रह है। इस शैली के निचों में वास्तविकता की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, जितना कल्पना की ओर रहता था। काशिराज के पुस्तकालय के रामचरितमानस, भारत-कला-भवन के अधूरे बालकांड और मधुमालती इसके उदाहरण हैं। बुँदेलखंडी शैली इसी राजस्थान शैली की परवर्ती शाखा थी। हम हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल का आरंभ केशव की रचनाओं से पाने लगते हैं और चिंतामणि के समय तक उसके प्रत्यक्ष लक्षण देख पड़ते हैं। तदनुसार चित्रकला का उत्तर मध्य काल केशव की समकालीन बुँदेल-जागर्ति से मानना उचित होगा। बुँदेलों ने अक्खर और जहाँगीर के काल में अत्यंत साधारण स्थिति से उठकर जो प्रमुखता प्राप्त की

थी, उसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। इस नवीन अभ्युदय के परिणाम-स्वरूप अन्य क्षेत्रों की भाँति चिन्नकला के क्षेत्र में भी प्रगति देख पड़ी। इसका लक्ष्य केशव की फविताओं को चिन्तित करना, नायिका-मेद एवं रागमाला आदि बनाना था। आगे चलकर दतिया दरवार में इसी कलम की देव, मतियम और विहारी की चिन्नावली भी बनाई गई। चिन्नकारों ने ज्योतिष और धर्मसंबंधी तथा अन्य चिन्न भी अंकित किए थे, पर प्रधानता शृंगार की ही थी। युँदेल चिन्नकला का हिंदी साहित्य के विकास के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध है।

राजपूत शैली की दूसरी शास्त्रा पहाड़ी चिन्नकला के रूप में विकसित हुई परंतु हमारे अन्वेषण-क्षेत्र से इसका विशेष संबंध नहीं है। काँगड़ा आदि इस चिन्नकला के प्रसिद्ध क्षेत्र हिंदी साहित्य के विकास-क्षेत्र के बहुत कुछ बाहर ही रहे। इसी प्रकार सियों के द्वारा भी अमृतसर में चिन्नकला की थोड़ी बहुत उप्रति हुई परंतु उससे हमारा संपर्क बहुत थोड़ा है।

इस देशी चिन्नकला के साथ ही यहाँ के मुसलमान अधिपतियों—विशेषकर मुगलों—के संरक्षण में भी चिन्नकला का अच्छा विकास हुआ, परंतु यह सब होते हुए भी हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि मध्यकाल की सबसे लोकप्रिय चिन्न-रचना-शैली राजपूताने की ही है जिसका उल्लेख हम अभी कर चुके हैं। यही शैली जनता की चित्तवृत्ति की सबसे अधिक धोतक है।

संवत् १६१४ के बलवे के साथ ही भारत में जो युगांतर उपस्थित हुआ, उसके साथ यहाँ की चिन्नकला ग्रायः निशेष हो गई और

आधुनिक बाल

युरोप के बने चिन्नों से भारत के रईसों, अमीरों

तथा राजाओं के घरों का सजाव-शृंगार होने लगा। यह बात यहाँ तक बढ़ी कि युरोप के भद्रे छुपे रंगीन चिन्न भारतवर्ष के घर घर में व्याप्त हो गए। उन्नीसवीं शताब्दी के पिछले भाग में रवि वर्मा की बड़ी धूम हुई परंतु उनके बनाए कुछ चिन्न तो धूरुपियों की प्रतिकृति मालूम होते हैं। उनमें कोई लोकोत्तर बात नहीं है, उनसे केवल हिंदू चिन्नण-विशेष का पुनरस्त्यान अवश्य हुआ। राजा रवि वर्मा के इस प्रकार के चिन्नों में गंगावतरण और शुकुंतला-पञ्चलेखन मुख्य हैं। भुरंधर ने प्राचीन वेप-भूषा की ओर कुछ ध्यान दिया; किंतु उनको रचनाओं में कोई भाव, रस या प्राण नहीं मिलता।

श्रीयुत अवनींद्रनाथ ठाकुर और उनके उद्घावक स्वनामधन्य श्रीयुत हैवेल के उद्योग से भारत में एक नई चिन्नकला का जन्म हुआ

है। अजंता की प्राचीन शैली के मुख्यतः, तथा राजपूत-मुगल शैली की कुछ शौतों और चीन जापान की अंकन तथा अभिव्यंजन विधि के मेल से यह नवीन शैली निकली है। इसमें एक निजी मौलिकता है। प्रारंभ में, भावों का व्यंजन करना तथा प्राचीन दृश्य आदि दिखाना इसकी विशेषता थी; पर अब यह लोक के सामान्य दृश्य तथा प्रकृति के उत्तमोत्तम चित्रों का चित्रण भी करती है। ठाकुर महाशय की शिष्य-मंडली देश में इस समय अच्छा काम कर रही है।

कंपनों के समय में पट्टने में कई कांरीगरों ने पाश्चात्य ढंग से "शब्दीह" बनाने का अभ्यास किया था। मुगल कला की गिरती अवस्था में इनका अच्छा प्रचार हुआ था और अब भी कलकत्ते के प्रो० ईश्वरीप्रसाद और उनके सुपुत्र नारायणप्रसाद एवं रामेश्वरप्रसाद इस शैली के विश्रुत चित्रकार हैं। मुगल शैली के दो तीन वर्षे चित्रकारों में काशी के श्री रामप्रसाद का आसन घहुत उँचा है।

संगीत कला

संगीत का आधार नाद है जिसे या तो मनुष्य अपने कंठ से या कई प्रकार के यंत्रों द्वारा उत्पन्न करता है। इस नाद का नियमन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार किया गया है। इन सिद्धांतों के स्थिरीकरण में हिंदू समाज को अनेक समय लगा है। वेद के तीन स्वरों से घड़ते घड़ते संगीत के सप्त स्वर इन सिद्धांतों के आधार हुए। ये ही सप्त स्वर संगीत कला के प्राणरूप या मूल कारण हैं। संगीत कला का आधार या संवाहन नाद है। इसी नाद से हम अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। संगीत की विशेषता इस बात में है कि उसका प्रभाव घड़ा व्यापक है और वह अनादि काल से मनुष्य मात्र पर पड़ता चला आ रहा है। जंगली से लेकर सभ्यातिसभ्य मनुष्य तक उसके प्रभाव से वशीभूत हो सकते हैं। मनुष्यों को जाने दीजिए, पशु-पक्षी तक उसका अनुशासन मानते हैं। संगीत हमें रुला सकता है, हँसा सकता है, हमारे हृदय में आनंद की हिलोरे उत्पन्न कर सकता है, हमें शोकसागर में डुया सकता है, क्रोध या उद्गेग के वशीभूत करके उन्मत्त बना सकता है और शांत रस का प्रवाह बहाकर हमारे हृदय को स्वच्छ और निर्मल कर सकता है। प्रत्यु जैसे अन्य कलाओं के प्रभाव की सीमा है, वैसे ही संगीत की भी सीमा है। संगीत द्वारा भिन्न भिन्न भावों या दृश्यों का अनुभव कानों के द्वारा मन को कराया जा सकता

है; उसके द्वारा तलवारों की भनकार, पत्तियों की खड़खड़ाहट, पक्षियों का कलरब इमारे कर्णकुहरों में पहुँचाया जा सकता है। परंतु यदि कोई चाहे कि वायु का प्रचंड वेग, विजली की चमक, मेघों की गड़गड़ाहट तथा समुद्र की लहरों के आघात भी हम स्पष्ट देख या सुनकर उन्हें पहचान लें, तो यह बात संगीत की सीमा के बाहर है। संगीत का उद्देश हमारी आत्मा को प्रभावित करना है और इसमें यह कला इतनी सफल हुई है जितनी काव्यकला फो छोड़कर और कोई कला नहीं हो सकी। संगीत हमारे मन को अपने इच्छानुसार चंचल कर सकता है और उसमें विशेष भावों का उत्पादन कर सकता है। इस विचार से यह कला वास्तु, मूर्ति और चित्रकला से बढ़कर है। संगीतकला और काव्यकला में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। उनमें अन्योन्याश्रय भाव है। पकाकी होने से दोनों का प्रमाण घटुत कुछ कम हो जाता है।

यौं तो आयों का वैदिक काल से ही संगीत से घनिष्ठ संबंध था और उन्होंने संगीत शास्त्र पर सामवेद रच डाला था। परंतु विद्या-

आदि काल

११०० के लगभग तो उनकी संगीतकला अत्यधिक

उन्नत हो चुकी थी और वे संगीत में आवश्यकता से अधिक संलग्न थे। कुछ विद्वानों की सम्मति में राजपूतों के तत्कालीन पतन का एक प्रधान कारण संगीत था।

उस समय के राजदरवारों में संगीत का विशेष प्रवेश ही नहीं था, वरन् स्वयं राजागण इसके पंडित होते थे। इनमें से नान्यदेव, भोज, परमदीर्घ चंदेल और जगदैकमण्ड के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। वे संगीत की उन्नति और प्रचार के लिये उसकी शिक्षा की व्यवस्था करते थे और समय समय पर उसके सम्मेलन भी कराते थे। जिस प्रकार नाट्यकला के आदि आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं उसी प्रकार संगीतकला के आदि आचार्यों में भी उनका स्थान विशिष्ट है। उनका नाट्यशास्त्र केवल अभिनय कला का ही प्रमुख शास्त्रीय ग्रंथ नहीं है, वरन् संगीत और नृत्य कलाओं के संबंध में भी वह भरत मुनि की विशेष योग्यता तथा अनुभव का परिचायक है।

संवत् १२५० के लगभग का संगीताचार्य शार्ङ्गदेव का लिखा हुआ "संगीतरत्नाकर" नामक एक प्रामाणिक ग्रंथ है। उसे देखने से जान पड़ता है कि उस समय देश भर में जो संगीत प्रचलित था, उसका प्रकृत घंशधर वर्तमान कर्णाटकी संगीत है। उसमें जो गेय कविताएँ मिलती हैं वे संस्कृत की हैं, परंतु योलचाल की भाषा में भी गीतों की रचना उसके पहले ही से होती थी। संस्कृत तथा योलचाल की भाषा

की कविताएँ सतुकांत होती थीं। जान पड़ता है कि सतुकांत कविता की सृष्टि संगीत के ही कारण हुई होगी।, आज भी गायक समुदाय ऐसे भजनों का व्यवहार करते हैं जिनमें तुकों का जोड़ बदला रहता है। शार्ङ्गदेव के उपरांत इस देश में, विदेशीय रागों के सम्मिश्रण से उस संगीत का जन्म हुआ जिसे हम हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं। लोकोचर प्रतिभाशाली, अद्भुत मर्मेश और सहृदय अमीर खुसरो को इस नवीन परंपरा के सूजन का श्रेय प्राप्त है। उसने अपनी विलक्षण बुद्धि द्वारा भारतीय रागों को फारस के रागों से मिलाकर १५-२० नए रागों की कल्पना की, जिनमें से ५-६ आज भी हिंदुस्तानी संगीत में प्रचलित हैं। ईमन और शहाना आदि ऐसे ही राग हैं। स्याल परिपाटी का गाना उन्होंने निकाला था।

जौनपुर की पठान सलतनत ने भी संगीत की विशेष उन्नति की थी। छुसेनशाह शर्की स्वयं बहुत बड़े गायक थे। उन्होंने कई रागों की परिकल्पना की थी और एक दूसरी परिपाटी के स्याल का गाना चलाया था। इन्होंने दिनों मेवाड़ के राणा कुंभा ने संस्कृत के गीतगोविंद पर एक टीका लिखी थी और संगीत कला पर अच्छा प्रकाश डाला था। इस काल में संगीत के अनेक ग्रंथ लिखे गए जिससे सिद्ध होता है कि संगीत की इस समय अच्छी उन्नति हुई थी।

इस काल में अलाउद्दीन खिलजी के दखार में गोपाल नायक नामक संगीत के अच्छे आचार्य हुए। अलाउद्दीन यद्यपि अत्याचारी पूर्व मध्य काल था, परंतु गुणियों का ग्राहक भी था। गोपाल को वह दक्षिण से लाया था, जिसकी रचनाएँ थव तक मिलती हैं, किंतु उनमें बहुत सा प्रक्रिप्त अंश अब मिल गया है।

संगीत के प्रसिद्ध आचार्य और गायक वैजू वावरा का समय सोलहवीं शताब्दी का आरंभिक भाग है। वे गुजरात में उत्पन्न हुए थे और ग्वालियर के राजा मान तोमर के यहाँ उन्होंने शिक्षा पाई थी। ये महाराज स्वयं संगीत में पारंगत थे और धूपद प्रणाली के परिष्कारक, उन्नायक तथा प्रचारक थे। धूपद संस्कृत छंद पर अवलंबित है और धूवा नामक गीत से इसका घनिष्ठ संबंध है। मान तोमर के समय से लेकर मुहम्मदशाह रूगीले के समय तक इस प्रणाली का पक्कच्छव्र राज्य रहा। अब भी यह प्रणाली सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, यद्यपि लोकरुचि इस समय इसकी ओर नहीं है। यहाँ यह उल्लेख कर देना आवश्यक होगा कि संगीत की यह पद्धति कलाचंतों की पद्धति है, जिसे आजकल पक्का गाना कहते हैं। इसके अतिरिक्त गाने की दो शैलियाँ और भी

है; उसके द्वारा तलवारों की झनकार, पत्तियों की रड़खड़ाहट, पत्तियों का कलरय हमारे कर्णेकुहरों में पहुँचाया जा सकता है। परंतु यदि कोई चाहे कि वायु का प्रचंड वेग, विजली की चमक, मेघों की गडगड़ाहट तथा ममुद्र की लहरों के आघात भी हम स्पष्ट देख या सुनकर उन्हें पहचान लें, तो यह वात संगीत की सीमा के बाहर है। संगीत का उद्देश हमारी आत्मा को प्रभावित करना है और इसमें यह कला इतनी सफल हुई है जितनी काव्यकला को छोड़कर और कोई कला नहीं हो सकी। संगीत हमारे मन को अपने इच्छानुसार चंचल कर सकता है, और उसमें विशेष भावों का उत्पादन कर सकता है। इस विचार से यह कला वास्तु, मूर्ति और चित्रकला से बढ़कर है। संगीतकला और काव्यकला में परस्पर गतिष्ठ संबंध है। उनमें अन्योन्याध्य भाव है। एकानी होने से दोनों का प्रभाव बहुत कुछ कम हो जाता है।

यों तो आवायों का वैदिक काल से ही संगीत से घनिष्ठ संबंध था और उन्होंने संगीत शास्त्र पर सामवेद रच डाला था। परंतु वि०-

आदि काल

११०० के लगभग तो उनकी संगीतकला अत्यधिक

उन्नत हो चुकी थी और वे संगीत में आवश्यकता से अधिक संलग्न थे। कुछ विद्वानों की सम्मति में राजपूतों के तत्कालीन पतन का पक प्रधान कारण संगीत था।

उस समय के राजदरयारों में संगीत का विशेष प्रबोध ही नहीं था, वरन् स्वयं राजागण इसके पंडित होते थे। इनमें से नान्यदेव, भोज, परमार्दि चंदेल और जगदैकमण्ड के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। वे संगीत की उन्नति और प्रचार के लिये उसकी शिक्षा की व्यवस्था करते थे और समय समय पर उसके सम्मेलन भी कराते थे। जिस प्रकार नाट्यकला के आदि आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं उसी प्रकार संगीतकला के आदि आचार्यों में भी उनका स्थान विशिष्ट है। उनका नाट्यशास्त्र केवल अभिनय कला का ही प्रमुख शाखायी ग्रंथ नहीं है, वरन् संगीत और नृत्य कलाओं के संबंध में भी वह भरत मुनि की विशेष योग्यता तथा श्रुत्यव का परिचायक है।

संवत् १२५० के लगभग का संगीताचार्य शार्ङ्गदेव का लिखा हुआ “संगीतरत्नाकर” नामक एक प्रामाणिक ग्रंथ है। उसे देखने से जान पड़ता है कि उस समय देश भर में जो संगीत प्रचलित था, उसका प्रदृश वंशधर धर्तमान कर्णाटकी संगीत है। उसमें जो गेय कविताएँ मिलती हैं वे संस्कृत की हैं, परंतु बोलचाल की भाषा में भी गीतों की रचना उसके पहले ही से होती थी। संस्कृत तथा बोलचाल की भाषा

की कविताएँ सतुर्कांत होती थीं। जान पड़ता है कि सतुर्कांत कविता की सृष्टि संगीत के ही कारण हुई होगी।, आज भी गायक समुदाय ऐसे भजनों का व्यवहार करते हैं जिनमें तुकों का जोड़ बदला रहता है। शार्ङ्गदेव के उपरांत इस देश में, विदेशीय रागों के सम्मिश्रण से उस संगीत का जन्म हुआ जिसे हम हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं। लोकोत्तर प्रतिभाशाली, अद्भुत मर्मज्ञ और सहदय अमीर खुसरो को इस नवीन परंपरा के सूजन का श्रेय प्राप्त है। उसने अपनी विलक्षण बुद्धि द्वारा भारतीय रागों को फारस के रागों से मिलाकर १५-२० नए रागों की कल्पना की, जिनमें से ५-६ आज भी हिंदुस्तानी संगीत में प्रचलित हैं। इमन और शहाना आदि ऐसे ही राग हैं। ख्याल परिपाठी का गाना उन्होंने निकाला था।

जैनपुर की पठान सलतनत ने भी संगीत की विशेष उन्नति की थी। हुसेनशाह शर्की स्वयं बहुत घड़े गायक थे। उन्होंने कई रागों की परिकल्पना की थी और एक दूसरी परिपाठी के ख्याल का गाना चलाया था। इन्होंने दिनों मेवाड़ के राणा कुंभा ने संस्कृत के गीतगोविंद पर एक टीका लिखी थी और संगीत कला पर अच्छा प्रकाश डाला था। इस काल में संगीत के अनेक ग्रन्थ लिखे गए जिससे सिद्ध होता है कि संगीत की इस समय अच्छी उन्नति हुई थी।

इस काल में अलाउद्दीन खिलजी के दखार में गोपाल नायक, नामक संगीत के अच्छे आचार्य हुए। अलाउद्दीन यद्यपि अत्याचारी पूर्व मध्य काल था, परंतु गुणियों का ग्राहक भी था। गोपाल को वह दक्षिण से लाया था, जिसकी रचनाएँ अब तक मिलती हैं, किंतु उनमें बहुत सा प्रक्रियत अंश अब मिल गया है।

संगीत के प्रसिद्ध आचार्य और गायक बैजू वावरा का समय सोलहवीं शताब्दी का आरंभिक भाग है। वे गुजरात में उत्पन्न हुए थे और ग्वालियर के राजा मान तोमर के यहाँ उन्होंने शिक्षा पाई थी। वे महाराज स्वयं संगीत में पारंगत थे और ध्रुपद प्रणाली के परिप्कारक, उन्नायक तथा प्रचारक थे। ध्रुपद संस्कृत छंद पर अवलंबित है और ध्रुवा नामक गीत से इसका घनिष्ठ संबंध है। मान तोमर के समय से लेकर मुहम्मदशाह रूमीले के समय तक इस प्रणाली का एकच्छब्द राज्य रहा। अब भी यह प्रणाली सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, यद्यपि लोककृति इस समय इसकी ओर नहीं है। यहाँ यह उल्लेख कर देना आवश्यक होगा कि संगीत की यह पद्धति कलावंतों की पद्धति है, जिसे आजकल पक्षा गाना कहते हैं। इसके अतिरिक्त गाने की दो शैलियाँ और भी

प्रचलित थीं। एक तो पदभजन की, जिसके शात आदि आचार्य जयदेव जी कहे जा सकते हैं और जिसके अधिक प्रचार का थ्रेय तानसेन, उनके गुरु स्वामी हरिदास तथा हितहरिवंश जी को प्राप्त है। विद्यापति, मीरा, सूर, तुलसी आदि की कविता भी इसी प्रकार की है। इस ढंग के सभी गायक वैष्णव हुए हैं अतपव इसे वैष्णव शैली कहना उपयुक्त जान पड़ता है। इन लोगों ने स्वरौ का सौंदर्य दिखाने की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया, वे अधिकतर रसों और भावों की अभिव्यक्ति ही करते रहे। दूसरी प्रणाली संतों के गान की है। इन अनंत प्रेम के मतवालों ने, जिनमें हिंदू और मुसलमान दोनों सम्मिलित हैं, बड़ी मस्ती से गाया है। मुसलमान संतों के इस गान के कवाली, सनमगनम आदि विभेद हुए और हिंदू संतों के गान “वानी” कहलाप। यहाँ वानी का अर्थ वाङ्मय रचना नहीं है, यह शब्द उन रचनाओं के गान की रंगत का द्योतक है।

अकबर के समय में अन्य सभी कलाओं की भाँति संगीत की भी उन्नति हुई। स्वयं सम्राट् भी नक्कारा बजाने में सिद्धहस्त थे। उनकी यनाई नक्कारे की कुछ नई गतें अब तक ‘अकबरी’ गत के नाम से प्रचलित हैं। इसी समय के स्वामी हरिदास वैष्णव महात्मा तथा संगीताचार्य हुए। इनके शिष्य तानसेन चर्तमान हिंदुस्तानी संगीत के मूलपुरुष हैं। तानसेन पहले रीवाँ दरवार में थे, वहाँ से सम्राट् के पास उपहार स्वरूप भेजे गए थे। पहले ये ग्राहण थे, पीछे से मुसलमान हो गए। इनकी कब्र ग्वालियर में है जहाँ कलाधंत तीर्थ करने जाते हैं। अकबर और उसके धर्मशर्जों के दरवार में भारत के संगीत को ही स्थान मिला था और स्थाय, सारंगी आदि जो विदेशीय घाय यंत्र थे वे भी हिंदुस्तानी संगीत के अनुकूल बना लिए गए थे। अकबर के समय में ही पदभजन के अद्वितीय गायक और रचयिता महात्मा सूरदास हुए जिन्होंने साहित्य और संगीत का अद्वितीय सफलता से संयोग किया। जहाँगिर और शाहजहाँ के राजत्वकाल में अरुदरी संगीत का ही अलंकरण होता रहा; कोई मौलिक उद्घावना नहीं हुई। महाकवि तुलसी-दास की रचनाओं से भी उनकी संगीतज्ञता का परिचय मिलता है।

आरंगजेब के समय में संगीत पर बड़ा कुठाराधात हुआ। क्रूर सम्राट् ने कहीं आशा देकर दरवार से संगीत का विहिन्द्यार कर दिया। उत्तर मध्य काल यद्यपि मुहम्मदशाह रंगीले के राज्य में संगीत की पुनर्जागर्ति के चिह्न देख पढ़े परंतु वह अपना असली रूप नहीं पा सका। मुहम्मदशाह के समय में खुरपद वानी के

‘ख्याल’ का खूब प्रचार हुआ था और पंजाब के मियाँ शोरी नामक एक उस्ताद ने “टप्पा” नामक गानशैली को जन्म दिया था जिसमें गले से “दानेदार” तान निकालने की अद्भुत विशेषता है।

दिल्ली के नाश के साथ साथ वहाँ का गायक-समुदाय भी छिन्न-भिन्न होने लगा। राजाओं तथा नवार्हों ने उसे आश्रय दिया। मराठों ने संगीत को खूब अपनाया। ख्याल के पिछले सभी आचार्य ग्वालियर में ही हुए। अब भी ख्याल का वह सबसे बड़ा केंद्र है।

कृष्णानंद व्यास नामक एक संगीतप्रेमी किंतु अर्थहीन ग्राहण सज्जन ने असाधारण परिश्रम करके सं० १६०२ के लगभग ‘राग-कलपटुम’ नामक संग्रह चार विशाल खंडों में प्रकाशित किया। गेय साहित्य का सचमुच यह ग्रंथ कलपटुम है। उस काल में भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक संकीर्णचित्त गायकों से उनकी चीजों का संग्रह करना अवश्य ही भगीरथ प्रयत्न था।

अवध के अधीश्वर चाजिद अली शाह ने छुमरी नामक गान-शैली की परिपाटी चलाई। यह संगीत-प्रणाली का अन्यतम खैर और शृंगारिक रूप है। इस प्रकार अकबर के समय के ध्रपद की गंभीर परिपाटी, मुहम्मदशाह द्वारा अनुमोदित ख्याल की चपल शैली, उन्हों के समय में आविष्कृत टप्पे की रसमय और कोमल गायिकी तथा बाजिद अली शाह के समय की रँगीली रसीली छुमरी अपने अपने आश्रयदाताओं की मनो-वृत्ति की ही परिचायक नहीं, लोक की प्रौढ़ सूचि में जिस क्रम से पतन हुआ, उसका इतिहास भी है।

वर्तमान संगीत की दशा बहुत गिरी हुई है। प्राचीन गायक केवल स्वरों का रियाज और कलावाजी दिखाना ही संगीत समझते हैं,

वर्तमान काल

गेय कविता बुरी तरह से तोड़-मरोड़ दी गई है।

हारमोनियम के प्रचार और थियेट्रिकल गाने की अभियुक्ति ने भारतीय संगीत पर विशेष आधात पहुँचाया है। हारमोनियम का एक स्वर दूसरे स्वर से जुड़कर नहीं बज सकता, अतः उसमें श्रुतियाँ या मीड़ नहीं निकल सकतीं; और हिंदुस्तानी संगीत की यह एक प्रधान विशेषता है कि उसमें दो तो क्या चार चार पाँच पाँच स्वर मीड़ वा तान के रूप में एक साथ आशिल हो जाते हैं।

प्राचीन हिंदू संगीत कोंकण और मद्रास में जीवित रह आया है। वीणा तंत्र भी यहाँ अब तक जीवित है। प्राचीन संगीत के उद्घार, परिष्कार और उन्नति के लिये श्रीविष्णु दिगंबर श्री श्रीविष्णु नारायण भातखंडे ने बहुत उद्योग किया है और कर रहे हैं। भातखंडेजी संगीत

के प्रयोग के ही नहीं, शास्त्र के भी बहुत बड़े विद्वान् हैं और उन्होंने स्परणिपि की जो पद्धति निकाली है, वह बहुत सखल, संक्षिप्त और प्रायः सर्वमान्य है। रागों के लक्षण के गीत तत् तत् रागों में वर्धकर उन्होंने संगीत के विद्यार्थियों का मार्ग बहुत सुगम कर दिया है। उनके उद्योग और प्रेरणा से बड़ीदा, ग्वालियर, वंवई, लखनऊ तथा अन्य कई स्थानों में संगीत की बड़ी बड़ी और सफल पाठशालाएँ चल रही हैं।

बंगाल भी आज से ५० वर्ष पहले से ही आधुनिक संगीत में दर्शनित है। स्वर्णीय राजा सौरेंद्रमोहन ठाकुर और कृष्णधन बंदोपाध्याय आदि ने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रयत्न किया था। कवि रवींद्रनाथ ठाकुर के संगीत का एक निराला ढंग है, पर वह सर्वमान्य नहीं है। यहाँ के जिस संगीत में लोकाभिस्थिति है, वह यद्यपि हिंदुस्तानी संगीत है, किन्तु उस पर पाश्चात्य संगीत की द्वाया विशेष पड़ी है। इस समय संगीत के उन्नयन के लिये जो उद्योग पूना के बालिका-विश्वविद्यालय, काशी-विश्वविद्यालय, योलपुर के विश्व भारती विद्यालय आदि में हो रहा है उससे इसका भविष्य बहुत कुछ आशाप्रद जान पड़ता है।

उपर्युक्त

अपर हम विविध कलाओं के विकास का जो संक्षिप्त विवरण दे आए हैं उससे कुछ निष्कर्षों पर पहुँचते हैं। सब कलाएँ मानव चित्त-वृत्तियों की अभिव्यक्ति हैं। जिस देश में जिस काल में हमारी जैसी चित्तवृत्ति रहती है वैसी ही प्रगति ललित कलाओं की होना स्वभाविक है। हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को चार कालों में विभक्त किया है और प्रत्येक काल की परिस्थिति का विवेचन किया है। अन्य ललित कलाओं का दिग्दर्शन करते हुए भी हमने साहित्य के उपर्युक्त चार काल-विभागों को प्रधानता दी है और उसी के अनुरूप सब ललित कलाओं का काल-विभाग भी किया है। इस प्रकार जब हम विभिन्न कालों की स्तरहितिक परिस्थिति के साथ उन उन समयों की ललित कलाओं की परिस्थिति की तुलना करते हैं तब एक और तो हम उनमें बहुत कुछ समता पाते हैं, पर जहाँ कुछ विभेद मिलता है वहाँ उस काल की जगता की उन वित्तवृत्तियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होता है जिनका प्रतिविवेचन साहित्य में भर्ती देख पड़ता। इससे हमको बहुत कुछ व्यापक रीति से तत्कालीन स्थिति को समझने में सहायता मिलती है।

हिंदी का आदि काल वीर गाथाओं का काल था। प्रवर्धन काव्यों और वीर गीतों के रूप में वीरों की प्रशस्तियाँ कही गईं। वीरता के

साथ तत्कालीन विलासिता का चिन्ह भी उस काल की रचनाओं में मिलता है। भाषा की तत्कालीन रुक्षता भी एक प्रकार की कर्कशता का ही घोथ करती है। उस काल की वास्तुकला और मूर्तिकला को पहले लीजिए। शैव और शाक मतों की उन्नति थी, इसलिये शिव-मंदिरों में सबसे अधिक मौलिकता देख पड़ी, अन्य मंदिर उनके अनुकरण में बनाए गए। मूर्तियों में अलंकरण बढ़ रहे थे और भाव-भंगी फम हो रही थी। यह तत्कालीन जनता की वाह्य शृंगारप्रिय तथा गंभीर अनुभूतिहीन चित्तवृत्ति का सूचक है। चित्रकला भी यहुत कुछ ऐसी ही रही। प्राकृतिक और अपसंश ग्रंथों में चित्र-रचना के जो उल्लेख मिलते हैं, वे उस काल के पूर्व के हैं। उस काल की प्रधान गुजराती चित्रण-शैली का पतन हो रहा था, केवल जैनों में उसका थोड़ा यहुत प्रचार और उन्नति हुई थी। संगीत में आवश्यकता से अधिक संलग्न रहने के कारण राजपूतों की शक्ति तीण पड़ रही थी। आधुनिक कर्णाटकी संगीत की मूल शैली का उस समय अच्छा प्रचार था।

हिंदू और मुसलमानों के संघर्ष के उपर्यांत दोनों जातियों में भावों और विचारों का आदान प्रदान होने लगा। साहित्य में इसका सबसे मुख्य प्रमाण कठीर और जायसी आदि की वाणी है। परंतु साहित्य में हिंदू और मुसलिम मतों का सम्मिश्रण कुछ देर से देख पड़ता है। अन्य कलाओं में मुसलमानी प्रभाव कुछ पहले से ही पड़ने लगा था। चीर-गाथा काल में मूर्तियों की अधोगति का कारण मुसलमानों का मूर्ति-चिद्रोह था। देहली की मुसलमानी इमारतों में भारतीय शैलियाँ स्वीकृत की गईं और हिंदू मंदिरों के निर्माण में कुछ मुसलिम आदर्श आ मिले। परंतु संगीत में तो इन दोनों जातियों के योग से अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन के विधायक संगीताचार्य अमीर खुसरो थे, जो आधुनिक खड़ी बोली हिंदी के आदि आचार्य माने जाते हैं।

हिंदी साहित्य का भक्तिकाल उसके चरम उत्कर्ष का काल था। भाषा की प्रौढ़ता के साथ विचारों की व्यापकता और जीवन की गंभीर समस्याओं पर ध्यान देने का यही समय था। विशाल मुगल साम्राज्य के प्रधान नायक अकबर के राजत्वकाल में यह संभव न था कि साहित्य के विकास के साथ सभी ललित कलाओं का विकास न होता। जो काल साहित्य में सूर और तुलसी को उत्पन्न कर सका था वही काल कलाओं की सामूहिक उन्नति का था। अकबर की सामंजस्य बुद्धि और उदारता की स्पष्ट छाप फतहपुर सिकरी की इमारतों में तो देख ही पड़ती है, वह तानसेन आदि प्रसिद्ध संगीतज्ञों की आविष्ट संगीत-

शैलियों में भी देख पड़ती है। चित्रकला भी घटुत दिनों तक पिछड़ी न रह सकी। शीघ्र ही उस राजपूतशैली का बीजारोपण हुआ जो आगे चलकर भारत की, अपने ढंग की, अनोखी शंकन प्रणाली सिद्ध हुई। हिंदू मंदिरों में भी मुसलिम प्रभाव पड़े। मानसिंह के निर्मित भवनों में मुसलिम-निर्माण विधि का घटुत अधिक अनुकरण था। राजपूतों की भवन निर्माण शैली पर मुसलिम कला की छाप अमिट है।

विकास के उपरांत हास और हास के उपरांत विकास का कम सर्वत्र देखा जाता है। सूर और तुलसी के पीछे देव और विहारी का युग आया। विलासिता और शृंगारिकता का प्रधाह प्रवल पड़ा। साहित्य कृतिसत वासनाओं के प्रदर्शन का साधन घन गया। उसका उच्च लक्ष्य भुला दिया गया। यह शाहजहाँ और औरंगजेब का काल था। इस काल का प्रसिद्ध “ताजमहल” वास्तुकला के चरम उत्कर्ष का आदर्श माना जा सकता है। परंतु उसी समय अवनति का भी प्रारंभ हुआ। औरंगजेब धार्मिक नृशंसता का प्रतिनिधि और कलाओं का संहारक था। सुंदर हिंदू-मंदिरों को भंग कर जो उजाड़ भर्जियें उसने बनाईं उनसे उसकी हृदयहीनता का पता लग जाता है। उसने मुसलिम धर्म के आजानुसार नाच गान आदि बंद करा दिया था, जिससे संगीत-कला को घड़ी छति पहुँची। मूर्तियों और चित्रों का भी ह्वास ही हुआ।

इस पतनकाल में महाराष्ट्र शक्ति का अभ्युदय हुआ था जिससे साहित्य की शृंगारधारा में भूपण की ओजस्विनी रचनाएँ देख पड़ीं। मराठों में उत्कट कला-प्रेम का थीज था, परंतु वे सुख-शांति-पूर्वक नहीं रहे, निरंतर युद्ध में ही व्यस्त रहे। फिर भी उन्होंने संगीत-कला की थोड़ी घटुत उच्चति की, और काशी के मंदिरों और घाटों के रूप में अपनी वास्तु-कला-दक्षता का परिचय दिया। इसके कुछ समय पीछे सिख शक्ति का अभ्युत्थान हुआ पर इसी बीच में श्रांगरेजों के आ जाने और राज्यस्थापन में प्रवृत्त होने से जो अशांति फैली, उसके कारण कलाओं की उच्चति रुक गई।

आधुनिक काल में यद्यपि साहित्य की अनेक मुख्य धाराएँ वह निकली हैं, पर अब तक इनमें गहराई नहीं आई है। पश्चिमीय आदर्शों की छाप और नकल अधिक देख पड़ने लगी है। आशा है कि शीघ्र ही हम नकल का पीछा छोड़ साहित्य में ही नहीं प्रत्युत प्रत्येक ललित कला में अपने आदर्शों की रक्षा करते हुए स्वतंत्र रूप से उच्चति करेंगे।

चौथा अध्याय

बीरगाथा काल

हिंदो साहित्य के आदि युग के संबंध में इतिहासवेच्चाओं तथा भाषाशास्त्रियों ने अब तक जितनी खोज की है वह विशेष संतोषजनक हिंदी साहित्य का आरंभ नहीं कही जा सकती। उतने से अभी तक न तो हिंदी के उत्पत्तिकाल का ठीक पता चलता है और न उसके आरंभिक स्वरूप का निश्चय हो सकता है। यद्यपि यह सत्य है कि हिंदी की उत्पत्ति अपम्रंश भाषाओं के अनंतर हुई, परंतु इस अपम्रंश-परंपरा का कव अंत हुआ और कव हिंदी पहले पहल प्रयोग में आई, इसका पता निश्चित रीति से अब तक नहीं लग सका है। भाषाएँ कमशः एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती हैं और यह परिवर्तन या विकास उनकी उत्पत्ति से ही आरंभ होता है। इस अवस्था में हिंदी ही नहीं, किसी भाषा की उत्पत्ति का ठीक ठीक काल निश्चित करना असंभव है। परंतु साहित्य के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता। (जब भाषाएँ कथ्य अवस्था से निकलकर साहित्य अवस्था में आती हैं तभी से उनके साहित्य का आरंभ माना जा सकता है। पर इस दिशा में भी अभी तक पूरी पूरी खोज नहीं हुई है।) हिंदी के कुछ इतिहासलेखकों ने उसके आदि युग का प्रारंभ विक्रम की सातवीं शताब्दी से माना है; और अपने मत का समर्थन अलंकार तथा रीति-संबंधिनी एक ऐसी पुस्तक के नामोलेख से किया है जो अब तक अप्राप्य है तथा जिसके एक भी उद्धृत अंश के अब तक किसी को दर्शन नहीं हुए हैं। हम इस मत के समर्थक नहीं हैं। एक तो किसी लक्षण ग्रंथ को साहित्य के आदि युग की पहली पुस्तक मानने में यों ही घड़ी द्विविधा होती है; पर यदि संस्कृत साहित्य के परिणाम-स्वरूप ऐसा संभव भी हो तो भी यह स्पष्ट ही है कि इस अलंकार ग्रंथ की रचना के उपरांत लगभग दो तीन सौ वर्षों तक कोई दूसरी पुस्तक हिंदी में नहीं लिखी गई, अथवा यदि लिखी गई, तो अब उसका कहाँ पता नहीं है। साथ ही हम यह भी देखते हैं कि विक्रम की आठवीं, नवीं तथा दसवीं शताब्दियों में प्राचुर अथवा अपम्रंश की पुस्तकें लिखी जाती थीं, और उनमें से अनेक पुस्तकों तथा पद्य हमें इस समय भी

प्राप्य हैं। हेमचंद्र के प्रसिद्ध व्याकरण में नागर अपभ्रंश के जो उदा-हरण मिलते हैं, उनमें हिंदी के प्राथमिक स्वरूप की भलक दियाई देती है। उनका व्याकरण विक्रम के धारहर्वे शतक का है। हेमचंद्र के इन उदाहरणों को हम उनकी सम-सामयिक रचनाएँ न मानकर कुछ पहले की मानेंगे, क्योंकि ये उदाहरण तो उद्धरण भाव हैं; और अधिकतर उद्धरण अपने से प्राचीन लेखों की रूतियों से ही लिप जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश काल के समाप्त होते ही विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के लगभग हुई होगी। जिस समय अपभ्रंश साहित्य अपने आसन से क्रमशः च्युत हो रहा था, उस समय हिंदी संभवतः उस आसन को प्राप्त करने के लिये उन्मुख हो रही थी। अतएव हिंदी भाषा के बोलचाल के प्रयोग के आरंभ तथा उसके साहित्यनिर्माण में प्रयुक्त होने में अवश्य ही कुछ अंतर रहा होगा। ग्यारहवीं शताब्दी से हिंदी साहित्य की जो शृंखला चली, वह घीच में कहीं दूटी नहीं, वरावर अब तक चली चलती है।

ऐतिहासिक अनुसंधान से अब तक इस युग की जितनी पुस्तकों का पता लगा है, एक तो उनकी संख्या बहुत थोड़ी है, और दूसरे उनमें

प्रक्षिप्त अंश की इतनी अधिकता है कि तत्कालीन ग्रंथों का अभाव रचनाओं को पीछे की रचनाओं से अलग करना कठिन ही नहीं बरन् कभी कभी तो सर्वथा असंभव हो जाता है। कुछ पुस्तकों में तो इतिहास की तिथियाँ तथा घटनाओं का इतना अधिक विरोध मिलता है कि उन्हें सम-सामयिक रचना मानने में बहुत ही असमंजस होता है। इन पुस्तकों की भाषा भी इतनी बेठिकाने और अनियमित है कि तथ्य-निरूपण में उसकी भी सहायता नहीं ली जा सकती। ऐसी अवस्था में हमको बहुत कुछ अनुमान पर ही अवलंबित रहना पड़ता है, क्योंकि अन्य उपलब्ध साधनों से हम निश्चित उद्देश तक नहीं पहुँच सकते।

जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि हिंदी साहित्य के आदि काल के लगभग तीन चार वर्षों में इतनी थोड़ी रचनाएँ क्यों हुईं तथा

एक और तो हमारा ध्यान अब तक के अधूरे अभाव के कारण साहित्यिक अनुसंधान पर जाता है और दूसरी ओर तत्कालीन परिस्थिति पर भी हमारी दृष्टि जाती है। प्राचीन हिंदी पुस्तकों की खोज का काम अब तक विशेष रूप से संयुक्त प्रदेश में ही हुआ है, जहाँ से हिंदी साहित्य के वीरगाथा काल का इतिवृत्त संकलित करने की बहुत कम सामग्री प्राप्त हुई है। इस काल में भारतवर्ष का

पश्चिमीय भाग—जहाँ कघौज, दिल्ली, अजमेर तथा अन्हूलवाड़ा आदि के वडे वडे राज्य प्रतिष्ठित थे—वह श्रौर धैभव का केंद्र था और इन्हों स्थानों पर मुसलमानी आक्रमणों का वर्वंडर आकर उन्हें नए भ्रष्ट करता रहा। इस अवस्था में उस समय की यदि वची वचाई सामग्री कहाँ से प्राप्त हो सकती है, तो वह राजपूताने में ही हो सकती है, जहाँ उस समय के राज्यों के स्थान पर उनके भग्नावशेष रूप में नए राज्य इस समय तक प्रतिष्ठित हैं। परं वहाँ के नृपतियों की इस ओर रुचि ही नहीं है; अतएव वहाँ के राज्यों में जो कुछ साहित्यिक सामग्री वची वचाई पड़ी हुई है, उसके प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है। संभावना यह है कि काल की गति से घट सामग्री भी नए हो जाय। यदि राजपूताने में प्राचीन हिंदी पुस्तकों की खोज का काम व्यवस्थित रूप से किया जाय, तो संभव है कि यहुत कुछ उपयोगी सामग्री प्राप्त हो जाय। यह मी संभव है कि हिंदी साहित्य के उस युग में देश की राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थिति के कारण न तो किसी कला की ही विशेष उन्नति हुई हो और न अनेक साहित्यिक ग्रंथों का ही निर्माण हुआ हो। तत्कालीन मूर्तिनिर्माणकला तथा वास्तुकला के जो अवशेष इस समय मिलते हैं, एक तो उनको संख्या अधिक नहीं है और दूसरे उमर्मे विदेशीय भावों तथा आदर्शों की ही भलक अधिक दिखाई पड़ती है। शुद्ध भारतीय आदर्शों का आधार लेकर किसी महत्त्वपूर्ण मूर्ति अथवा मंदिर का निर्माण संभवतः हुआ ही नहीं। जब अन्य कलाओं की ऐसी अवस्था थी, तब यह शाशा नहीं की जा सकती कि उस काल में साहित्यकला की सर्वतोमुखी उन्नति हुई होगी अथवा अनेक उत्कृष्ट ग्रंथों का निर्माण हुआ होगा।

वह युग घोर राजनीतिक हलचल तथा अशांति का था। भारत के सिंध आदि पश्चिमीय प्रदेशों पर अर्थों के आक्रमण तो यहुत पहले

राजनीतिक स्थिति से प्रारंभ हो चुके थे और एक विस्तृत भूभाग पर उनका आधिपत्य भी यहुत कुछ स्थायी सीति से प्रतिष्ठित हो चुका था, परंतु पौछे समस्त उत्तरापथ विदेशियों से पदाकांत होने लगा और मुसलमानों की विजयवैजयंती लाहोर, देहली, मुलतान तथा अजमेर आदि में भी फहराने लगी। महमूद गजनवी के आक्रमणों का यही युग था और शहावृद्धीन मुहम्मद गोरी ने भी इसी काल में भारत-विजय के लिये प्रयत्न किए थे। पहले तो इस देश पर विदेशियों के आक्रमण, स्थायी अधिकार प्राप्त करके शासन करने के उद्देश से नहीं, केवल यहाँ की अतुल संपत्ति लूट ले जाने की इच्छा से,

हुआ करते थे। महमूद गजनवी ने इसी आशय से सत्रहं बार चढ़ाई की थी और वह देश के विभिन्न स्थानों से विपुल संपत्ति ले गया था। परंतु कुछ समय के उपरांत आकमणकारियों के लक्ष्य में परिवर्तन हुआ, वे कुछ तो धर्मप्रचार की इच्छा से और कुछ यहाँ की सुख-समृद्धिशाली अवस्था तथा विपुल धन-धान्य से आकृष्ट होकर इस देश पर अधिकार जमाने की खुन में लगे। यहाँ के राजपूतों ने उनके साथ लोहा लिया और वे उनके प्रयत्नों को निष्फल करके उन्हें बहुत समय तक पराजित करते रहे, जिससे उनके पैर पहले तो जम नहीं सके, पर धीरे धीरे राजपूत शक्ति अंतर्कलह से छीण होती गई और अंत में उसे इस्लामी शक्ति के प्रबल वेग के आगे सिर झुकाना पड़ा।

राजनैतिक हलचल के इस भौपण युग में देश की सामाजिक स्थिति कितनी शोचनीय हो गई थी, इस पर कम लोग ध्यान देते हैं।

(जब से गुप्त साम्राज्य का अंत हुआ था और देश सामाजिक स्थिति

अनेक छोटे छोटे दुकड़ों में बँट गया था, तब से हर्षवर्धन के स्थायी राजत्वकाल के अतिरिक्त कई शतान्द्रियों तक सारे देश को एक सूत्र में धाँधने का प्रयत्न हुआ, ही नहीं। उलटे गृह-कलह की निरंतर वृद्धि होती गई और विक्रम की नवीं, दसवीं तथा म्यारहवीं शतान्द्रियों में यह भौपण दशा अपनी धरम सीमा तक पहुँच गई। स्वयं-घरों में अपने अपने शौर्य का प्रदर्शन करना एक साधारण घात थी। कभी कभी तो केवल अपना घल दिखलाने या मन घहलाने के लिये ही अकारण लड़ाई छेड़ दी जाती थी। विष्वाँ और युद्धों आदि का यह अनंत कम समाज के लिये बहुत ही हानिकार सिद्ध हुआ। जो जीवन किसी समय शान-विज्ञान का मूल स्रोत तथा विविध कलाओं का आविर्भावक था, वह श्रविधांधकार में पड़कर अनेक अंधविश्वासों का केंद्र बन गया। जो लोग आसमुद्रक्षितीशों के साम्राज्य में सुख-समृद्धिपूर्वक निवास करते थे, वे अपनी रक्षा तक कर सकने में असमर्थ हो गए। सोमनाथ पर मुसलमानों के आकमण का प्रतिकार न कर मंदिर में छिपे रहना और अनंगपाल के हाथी के संयोगवश पीछे धूम पड़ने पर सारी सेना का भाग खड़ा होना हिंदुओं के तत्कालीन चरम पतन का सूचक है। यद्यपि अन्य स्थानों में प्रबल धीरता प्रदर्शित करने के अनेक ऐतिहासिक उल्लेख मिलते हैं, परंतु फिर भी जो समाज अपना भला बुरा तक पहचानने में असमर्थ हो जाता है और जो अपने विलासी तथा अदूरदर्शी शासकों के ही हाथों का पुतला बन जाता है उसका कल्याण कब तक हो सकता है। फल यह हुआ कि साधारण जनता तो तत्कालीन नृप-

तियों को आत्मार्पण करती गई, और अपरिणामदर्शी नृपतियों ने घर में ही धैर तथा फूट के बे धीज धोए जिनका कटु फल देश तथा जाति को चिरकाल तक भोगना पड़ा।

देश के जिस भूभाग में जिस समय ऐसी अशांति तथा अंधकार का साम्राज्य छाया हुआ था, उसी भूभाग में लगभग उसी समय अपमंश स्थिति के अनुरूप साहित्य शैशव काल व्यतीत कर रहा था। हिंदी की इस शैशवावस्था में देश की जैसी स्थिति थी, उसी के अनुरूप उसका साहित्य भी विकसित हुआ। भीषण हलचल तथा धोर अशांति के उस युग में धीर गाथाओं की ही रचना संभव थी, साहित्य की सर्वतोमुखी उन्नति उस काल में हो रही नहीं सकती थी। यह तो साधारण बात है कि जिस समय कोई देश लड़ाइयों में व्यस्त रहता है और जिस काल में युद्ध की ही ध्वनि प्रधान रूप में व्याप्त रहती है, उस काल में वीरोहासिनी कविताओं की ही गूँज देश भर में सुनाई पड़ती है। उस समय एक तो अन्य प्रकार की रचनाएँ होती ही नहीं, और जो थोड़ी घटूत होती भी हैं, वे सुरक्षित न रह सकने के कारण शीघ्र ही कालक्यलित हो जाती हैं। हिंदी के आदि युग में जो केवल वीररस की कविताएँ मिलती हैं, उसका यही कारण है।

यहाँ इस बात का भी उल्लेख कर देना आवश्यक होगा कि तत्कालीन कविता की रचना राजाओं के आश्रय में ही हुई; अतः उसमें राजाराजाश्रय और उसका विशेषताएँ मिलती हैं। यद्यपि उस काल के राजाओं की नीति देश

परिणाम के लिये हितकर नहीं थी और उनके पारस्परिक विद्रेप तथा संघर्ष से जो अग्नि प्रज्वलित हुई, उसने देश की स्वतंत्रता को भस्म करके ही सांस लिया, तथापि राजाश्रित कवियों की वाणी अपने स्वामियों के कीर्ति-कथन में कभी कुंठित नहीं हुई। तात्पर्य यह है कि उस समय के कवि प्रायः राजाओं को प्रसन्न रखने और उनके कृत्यों का अंध समर्थन करने में ही अपने जीवन की सार्थकता समझ थीं थे। देश की स्थिति और भविष्य की ओर उनका ध्यान ही न था। जिस समय कवियों की ऐसी हीन अवस्था हो जाती है और जिस समय कविता में उच्च आदर्शों का समावेश नहीं होता उस समय देश और जाति की ऐसी दुर्दशा अवश्यंभावी हो जाती है। हिंदी के आदियुग में अधिकांश ऐसे ही कवि हुए जिन्हें समाज को संघटित तथा सुव्यवस्थित कर उसे विदेशीय आक्रमणों से रक्षा करने में समर्थ बनाने की उत्तरी

चिंता नहीं थी, जितनी अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा द्वारा स्वार्थ-साधन करने की थी। यही कारण है कि जयचंद जैसे नृपतियों को काल्पनिक वीर गाथाएँ रचनेवाले कवि तो हुए, पर सच्चे वीरों की पवित्र गाथाएँ उस काल में लिखी ही नहीं गईं और यदि लिखी भी गई हों तो अब उनका कहीं पता नहीं है।

इन राजाधित कवियों की रचनाओं में न तो इतिहाससम्मत घटनाओं का ही अधिक उल्लेख मिलता है और न उच्च प्रकार के

युद्ध की साहित्यिक कवित्व का ही उन्मेप पाया जाता है। एक तो उस युग की रचनाएँ अब अपने मूल रूप में मिलती ही नहीं, और जो कुछ मिलती भी हैं, उनमें ऐतिहासिक तथ्यों से बहुत कुछ विभिन्नता पाई जाती है। जो कवि अपने अधिपतियों को प्रसन्न करने के लिये ही रचनाएँ करेगा उसे बहुत कुछ इतिवृत्त की अवहेलना करनी पड़ेगा, साथ ही उसकी कृतियों में हृदय के सच्चे भावों का अभाव होने के कारण उच्च कोटि के कवित्व का स्फुरण न हो सकेगा। जहाँ केवल प्रशंसा करना ही उद्देश रह जाता है, वहाँ इतिहास की ओर से दृष्टिहटा लेनी पड़ती है और नवनवोन्मेपशालिनी प्रतिभा को एक संकोरण क्षेत्र में आवद्ध करना पड़ता है।

इसी संकोरण क्षेत्र में वहती वहती काव्यधारा परंपरागत हो गई जिससे भाट चारणों की जीविका तो चलती रही पर कविता के उच्च लद्य का विस्मरण हो गया। पुरानी रचनाओं में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके और उसे नवीन रूप में सुनाकर राज-सम्मान पाने की जो कुप्रथा चारणों में चली, उससे कविता तो लद्यभ्रष्ट हो हो गई, साथ ही अनेक ऐतिहासिक विवरणों का लोप भी हो गया। ग्रंथों में क्षेपक इतने अधिक यढ़ चले कि वे मूल से भी अधिक हो गए और मूल का पता लगना भी असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो गया। यदि इस कुप्रथा का अंत हिंदी के भक्त कवियों की कृपा से न हो गया होता और कविता का संपर्क राजाध्य से हटकर जनसमूह को हार्दिक वृत्ति से न हो जाता, तो अब तक हिंदी कविता की कितनी अवोगति हो गई होती, इसका सहज में अनुमान किया जा सकता है। इस युग के कवियों की रचनाओं में जहाँ तहाँ सच्चे राष्ट्रीय भावों की भी भलक देख पड़ती है। देशानुराग से प्रेरित होकर देश के शत्रुओं का सामना करने के लिये वे अपने आश्रयदाताओं के केवल अपनी वाणी द्वारा प्रोत्साहित ही नहीं करते थे, घरन् समय पड़ने पर स्वयं तलबार हाथ में लेकर मैदान में कूद पड़ते थे और इस प्रकार तलबार तथा कलम दोनों को चलाने की अपनी

कुशलता का परिचय देते थे। कभी कभी ये कवि देश के अंतर्विंद्रोह में सहायक होकर वाणी का दुरुपयोग भी करते थे, पर यह उस काल की एक ऐसी व्यापक विशेषता थी कि कविगण उससे सर्वथा मुक्त नहीं हो सकते थे। पीछे चलकर डिंगल काव्यों में यह दोष अधिक व्यापक रूप में देख पड़ता है।

उस युग के कवियों में उच्च कोटि के कवित्व की भलक भी मिलती है। यद्यपि जीवन के अनेक अंगों की व्यापक तथा गंभीर व्याख्या तत्कालीन कविता में नहीं पाई जाती, पर उन्होंने अपनी कृतियों में वीरों के चरित्र-चित्रण में नई नई रमणीय उद्भावनाओं तथा अनेक रमणीय सूक्ष्मियों का समाचेश किया है। इस काल के कवियों का युद्धवर्णन इतना मार्मिक तथा सजीव हुआ है कि उनके सामने पीछे के कवियों की अनुप्रासगर्भित किंतु निर्जीव रचनाएँ नकल सी जान पड़ती हैं। कर्कश पदावली के बीच में वीर भावों से भरी हिंदी के आदि युग की यह कविता सारे हिंदी साहित्य में अपनी समता नहीं रखती। दोनों ओर की सेनाओं के एकदृ होने पर युद्ध के साज-वाज तथा आक्रमण की रीतियों का जैसा वर्णन इस युग के कवियों ने किया, वैसा पीछे के कवियों में देखने में नहीं आया। उनकी वीर वचनावली में शस्त्रों की भंकार स्पष्ट सुन पड़ती है, और उनके युद्ध-वर्णन के सजीव चित्र वीर हृदयों में अब भी उल्लास उत्पन्न करते हैं। ऐसे कवियों की रचनाओं में सर्वेत्र उनके वीर हृदय का परिचय मिलता है अतः हम उन्हें मिथ्या स्तुति करनेवाले काल्पनिक वीरगाथाकार कवियों की श्रेणी में नहीं रख सकते।

हिंदी में वीर गाथाएँ दो रूपों में मिलती हैं—कुछ तो प्रवंध काव्यों के रूप में और कुछ वीर गीतों के रूप में। प्रवंध के रूप में वीर कविता

करने की प्रणाली प्रायः सभी साहित्यों में चिरकाल प्रवंध काव्य से चली आ रही है। (यूनान के प्राचीन साहित्य-शास्त्रियों ने महाकाव्यों की रचना का मुख्य आधार युद्ध ही माना है और उनकी वीर-रसात्मकता स्वीकार की है। वहाँ के आदि कवि होमर के प्रसिद्ध महाकाव्य की आधारभूत घटना दूर्योग का युद्ध ही है। भारतवर्ष के रामायण तथा महाभारत महाकाव्यों में युद्ध का ही साम्य है; अन्य घटनाओं में बड़ा अंतर है। वीर गीतों के रूप में भी वीर पुरुषों की प्रशस्तियाँ पाई जाती हैं। हिंदी की वीर गाथाओं में प्रवंध रूप से सबसे प्राचीन ग्रंथ, जिसका उल्लेख मिलता है, दलपति विजय का खुमानीरासो है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें चित्तोङ्के दूसरे

खुम्माण (वि० सं० ८५०-६००) के युद्धों का वर्णन था । इस समय इस पुस्तक की जो प्रतियाँ मिलती हैं उनमें महाराणा प्रतापसिंह तक का वर्णन है । संभव है कि यह प्राचीन पुस्तक का परिवर्धित संस्करण हो अथवा उसमें पीछे के राणाओं का वर्णन परिशिष्ट रूप से जोड़ा गया हो । इस पुस्तक के संबंध में अभी यहुत कुछ जाँच पड़ताल की आवश्यकता है ।

वीर गाथा संबंधी प्रबंध काव्यों में दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक चंद घरदाई कृत पृथ्वीराजरासो है । इस विशालकाय ग्रंथ को हम महाकाव्यों की उस श्रेणी में नहीं गिन सकते जिसमें यूनान के प्रसिद्ध महाकाव्य ईलियड आदि तथा भारतवर्ष के रामायण महाभारत आदि की गणना होती है । ये महाकाव्य तो एक समस्त देश और एक समस्त जाति की स्थायी संपत्ति हैं, इनमें जातीय सम्मता तथा संस्कृति का सार अंतर्निहित है । यह सत्य है कि पृथ्वीराजरासो भी एक विशालकाय ग्रंथ है और यह भी सत्य है कि महाकाव्यों की ही भाँति इसमें भी युद्ध की ही प्रधानता है, पर इतने ही सम्य के आधार पर उसे महाकाव्य कहलाने का गौरव नहीं प्रोत्त हो सकता । महाकाव्य में जिस व्यापक तथा गंभीर रीति से जातीय चित्तवृत्तियों को स्थायित्व मिलता है उनका पृथ्वीराजरासो में सर्वथा अभाव है । महाकाव्य में यद्यपि एक ही प्रधान युद्ध होता है, तथापि उसमें दो विभिन्न जातियों का संघर्ष दिखाया जाता है और उसका परिणाम भी बड़ा व्यापक तथा विस्तृत होता है । पृथ्वीराजरासो में न तो कोई एक प्रधान युद्ध है और न किसी महान् परिणाम का ही उल्लेख है । सबसे प्रधान वात यह है कि पृथ्वीराजरासो में घटनाएँ एक दूसरी से असंबद्ध हैं तथा कथानक भी शिथिल और अनियमित है; महाकाव्यों की भाँति न तो घटनाओं का किसी एक आदर्श में संक्रमण होता है और न अनेक कथानकों की एकलृप्ति ही प्रतिष्ठित होती है । ऐसी अवस्था में पृथ्वीराजरासो को महाकाव्य न कहकर विशालकाय वीर काव्य कहना ही सगत होगा ।

पृथ्वीराजरासो में युद्धों की प्रधानता के साथ ही शृंगार को प्रचुरता भी की गई है । वीरों को युद्ध के उपरांत विश्रामकाल में मनवहलाव के लिये प्रेम करने की आवश्यकता होती है, और काव्यों में भी रसराज शृंगार के बिना काम नहीं चल सकता । इसी विचार से अन्य देशों में, ऐसे वीर काव्यों में, युद्ध और प्रेम की परंपरा प्रतिष्ठित हुई थी । पृथ्वीराजरासो आदि वीर काव्यों में भी यीच यीच में शृंगार

को श्रायोजना की गई है और धीरों के आमोदकाल में शृंगार-मूर्तिमती रमणियों का उपयोग किया गया है। कभी कभी तो पारस्परिक विद्वेष को बुद्धि तथा तत्संभव युद्ध के कारण-स्वरूप राजकुमारियों के स्वयंवर कराए गए हैं, और इस प्रकार वीरता के प्रदर्शन के अवसर निकाले गए हैं। सारांश यह कि यहाँ की धीर गाथाओं में शृंगार कभी कभी वीरता का सहकारी और कभी उसका उत्पादक बनकर आया है और यद्यपि गौण स्थान का अधिकारी रहा है। अन्य देशों के ऐसे काव्यों में यह घात नहीं है। उदाहरणार्थ अङ्गरेज कवि स्काट के रोमेंस-काव्यों को लें। उनमें तो प्रेम की ही प्रधानता और वीरता की अपेक्षाकृत न्यूनता है। जहाँ कहाँ प्रेम के कर्तव्य पक्ष के प्रदर्शन की आवश्यकता समझी जाती है, अथवा जहाँ खीजाति के प्रति सदाचार तथा शील आदि का अभिव्यञ्जन करना पड़ता है, वहाँ धीर भावों की उद्भावना की जाती है। हिंदी के धीर काव्यों तथा अन्य देशों के धीर काव्यों के इसी अंतर के कारण दोनों का रूप एक दूसरे से इतना विभिन्न हो गया है कि समता का पता नहीं चलता। प्रेम-प्रधान होने के कारण ऐसे काव्यों की रंगशाला प्रकृति की रस्य गोद में होती है, जहाँ नायक नायिका के सच्छुंदतापूर्वक विचरण तथा पारस्परिक साक्षात्कार के लिये सब प्रकार के सुभीते रहते हैं। इसके विपरीत हिंदी के धीर काव्यों में मानों उनके सच्चे स्वरूप के प्रदर्शनार्थ ही रण-भूमि को प्रधानता दी गई है और कुमारियों के स्वयंवर-स्थान तक को कभी कभी रक्त-रंजित कर दिया गया है। प्रेमप्रधान हृदयों में प्रकृति के नाना रूपों के साथ जो अनुराग होता है, वह युयुत्सु धीरों में नहीं होता। इसी लिये यहाँ की धीर गाथाओं में प्राकृतिक वर्णनों का प्रायः सर्वत्र अभाव ही पाया जाता है।

यह विशालकाय ग्रंथ हिंदी का प्रथम महाकाव्य समझा जाता है और इसके रचयिता चंद वरदाई पृथ्वीराज के समकालीन बतलाए जाते हैं, परंतु अपने वर्तमान रूप में यह किसी एक काल की अधिवा किसी एक कवि की हृति नहीं जान पड़ता। इसमें आप हुए संघर्षों तथा घटनाओं के आधार पर, साथ ही अनेक वाह्य साक्ष्यों की सहायता से, इस ग्रंथ के रचनाकाल का निर्णय करने में रायबहादुर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री आदि प्रसिद्ध विद्वानों ने बहुत कुछ अनुसंधान किया है; परंतु उनकी परस्पर विभिन्न तथा विपरीत सम्मतियों को देखते हुए ठीक ठीक कुछ भी निर्णय नहीं हो सकता। फिर भी इसमें संदेह

नहीं कि इसमें वहुत प्राचीन काल से लेकर प्रायः आधुनिक काल तक की हिंदी में वने हुए छुंद मिलते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि इसमें क्षेपक वहुत हैं। चंद वरदाई नाम के किसी कवि का पृथ्वीराज के दरवार में होना निश्चित है, और यह भी सत्य है कि उसने अपने आथर्यदाता की गाथा विविध छुंदों में लिखी थी; परंतु समयानुसार उस गाथा की भाषा तथा उसके घण्ठित विषयों में वहुत कुछ हो फेर होते रहे और इस कारण अब उसके प्रारंभिक रूप का पता लगाना असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन अवश्य हो गया है।

चावू रामनारायण दूगड़ अपने “पृथ्वीराजचरित्र” की भूमिका (पृष्ठ ८८) में लिखते हैं—“उदयपुर राज्य के विक्योरिया हाल के पुस्तकालय में रासो की जिस पुस्तक से मैंने यह सारांश लिया है उसके अंत में यह लिखा है कि चंद के छुंद जगह जगह पर विखरे हुए थे जिनको महाराणा अमरसिंहजी ने एकत्रित कराया।” इस प्रति के अंत में यह छुंद है—

गुन मनियन रख पोइ चंद कवियन कर दिदिय ।
छुंद गुनी ते त्रुटि मंद कवि भिन भिन किदिय ॥
देस देस विष्वरिय मेल गुन पार न पावय ।
उद्दिम करि मेलवत आस विन आलय आवय (?) ॥
चित्रकोट रान अमरेस नृप हित श्रीमुख आयस दयौ ।
गुन विन बोन कक्षणा उदधि लिपि रासी उद्दिम कियौ ॥

इससे स्पष्ट है कि किसी कवि ने राणा अमरसिंह के समय में उनकी आक्षा से कवि चंद के छुंदों को, जो देश देश में विखरे हुए थे, पिरोकर इस रासो को पूर्ण किया। पर यह प्रति संवत् १६१७ की लिखी हुई है। अत-पच यह प्राचीन प्रति नहीं है। संभव है कि राणा अमरसिंह के समय में जिस रासोका संग्रह, संकलन या संपादन किया गया हो उसी की यह नकल हो। जो कुछ हो, मेयाड़ राजवंश में अमरसिंह नाम के दो महाराणा हुए हैं। पहले का जन्म चैत्र सुदी ७ संवत् १६१६, राज्यप्राप्ति माघ सुदी ११ सं० १६५३ और स्वर्गरोहण माघ सुदी २ सं० १६७६ को हुआ। दूसरे महाराणा अमरसिंह का जन्म मार्गशीर्ष वदी ५ सं० १७२६, राज्य-प्राप्ति आश्विन सुदी ४ सं० १७५५ और स्वर्गरोहण पौष सुदी १ सं० १७६७ को हुआ। संवत् १७३२ में महाराणा राजसिंह ने राजसमुद्र तालाय के नौचौकी बांध पर घड़ी घड़ी शिलाओं पर एक महाकाव्य खुदवाया। इसमें पहले पहल रासो का उल्लेख मिलता है।

“भापारासापुस्तकेस्य युद्धस्योक्तोस्ति विस्तरः २७”

अतएव यदि चंद के विसरे हुए छुंदों का संकलन, संपादन आदि किसी के राज्यकाल में हो सकता है तो वे दूसरे अमरसिंह नहीं, पहले ही अमरसिंह होंगे। संवत् १६४२ की लिखी पृथ्वीराजरासो की एक प्रति काशी नागरीप्रचारिणी सभा के संग्रह में है। इस संवत् तक तो प्रथम अमरसिंह गढ़ी पर भी नहीं बैठे थे, उनके पिता स्वनामधन्य महाराणा प्रतापसिंह अकबर के साथ युद्ध करने में लगे हुए थे। इस युद्ध का अंत संवत् १६४३ में हुआ, जब कि महाराणा ने चित्तौरगढ़ और मंगलगढ़ को छोड़कर शेष मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। इन सब बातों के आधार पर क्या यह माना नहीं जा सकता है कि चंद नाम का कोई कविया जिसने पृथ्वीराज की प्रशंसा में कविता की, पर यह विखर गई थी। अतएव पीछे से प्रथम महाराणा अमरसिंह के समय में किसी कवि ने इसका संग्रह किया और उसे वर्तमान पृथ्वीराजरासो का रूप दिया। इसमें जो मिश्र मिश्र ‘समय’ और कथानक दिए हैं वे प्राचीन रचना नहीं हैं वरन् राणा अमरसिंह के समय में जो किंवदंतियाँ प्रसिद्ध थीं उन्हीं के आधार पर इस ग्रंथ का जीर्णोद्धार हुआ। अतएव इस ग्रंथ को ऐतिहासिक घटनाओं का प्रभाण स्वरूप मानना उचित नहीं है।

इससे यह भी सिद्ध होता है कि इस समय जो पृथ्वीराजरासो वर्तमान है वह बहुत पीछे की रचना है। चंद के मूल छुंदों का यदि कहीं कुछ पता लग सकता है तो वह संवत् १६४२ चाली प्रति से ही लग सकता है। उद्योग करने पर यह भी पता चल सकता है कि वर्तमान रूप में प्राप्य पृथ्वीराजरासो में प्रक्रिया अंश कितना है। तीसरे समय का अंतिम छुंद यह है—

पोदस गज उरद्ध राज ऊमै गवण तस ।

सभ समय चीतार पत कीनो पेसकस ॥

देपत संभरीनाथ हाथ छूटन हथ सारक ।

तीर कि गोरि बिछुटि तुटि ग्रसमान की तारक ॥

अधवीच नीच परते पहिल लोहाने लीनो भरपि ।

नट कला पेलि जनु फेरि उठि आनि हृथ्य पिथ्थह अरपि ॥

हरपि राज पृथिराज कीन सर सामत ।

बगसि आम गजवाज अजानवाह दीनग नाम ॥

ऐसा जान पड़ता है कि इसी एक छुंद का विस्तार करके “लोहानो अजानवाह समय” की रचना की गई है। पज्जून महुआ नामक समय का ३० वाँ दोहा इस प्रकार है—

जीति महुब्बा लीय घर दिल्ली आनि सुपथ ।

जं ज किति कला बढ़ी भलैसिह जए कथ ॥

इस दोहे का स्पष्ट अर्थ यह है कि जिस प्रकार कीर्ति बढ़ती गई, उसी प्रकार मलैसिह यश करता गया । मलैसिह पञ्जूनराय के छोड़के का नाम भी था, पर यहाँ उससे कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता । ऐसा जान पड़ता है कि मलैसिह नामक किसी कवि ने इस रासी में अपनी कविता मिलाकर भिन्न भिन्न सामंतों का यश घर्षण किया । अतएव यदि अधिकांश द्वेषक मिलाने के लिये हम और किसी के नहीं तो मलैसिह के अवश्य अनुगृहीत हैं ।

सारांश यह कि वर्तमान रूप में पृथ्वीराजरासो में प्रतिस्त अंश बहुत अधिक है पर साथ ही उसमें धीच धीच में चंद के छुंद विखरे पड़े हैं । ऐसा जान पड़ता है कि इन छुंदों का संग्रह, संकलन या संपादन संभवतः संवत् १६३६ और १६४२ के धीच में हुआ था । उसी समय बहुत कुछ कथानक बढ़ा घटाकर इन छुंदों को ग्रंथ रूप दिया गया; और पीछे तो न जाने कितना और अधिक जोड़ तोड़कर उसका वर्तमान रूप प्रस्तुत किया गया ।

जो कुछ हो, इस बहुद् ग्रंथ में यद्यपि विस्तार के साथ पृथ्वीराज चौहान का धीर चरित ही अंकित किया गया है पर अनेक प्रासंगिक विवरणों के रूप में क्षत्रियों के चार कुलों की उत्पत्ति और उनके अलग अलग राज्यस्थापन आदि की भी कल्पना की गई है । पृथ्वीराज की पूर्व परंपरा का हाल लिखकर कवि उसकी जीवनी को ही अपने ग्रंथ का प्रधान विषय बनाता है और प्रासंगिक रैति से तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का दिग्दर्शन भी करता है । पृथ्वीराज के जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं में अनेगपाल द्वारा गोद लिए जाने पर उसका दिल्ली और अजमेर के राजसिंहासनों का अधिकारी होना, कन्नौज के राठौर राजा जयचंद से विद्रोष होने के कारण उसके राजसूय यश में न सम्मिलित होकर छिपे छिपे उसकी कन्या संयुक्ता को हर लाना, जयचंद तथा अन्य क्षत्रिय नूपतियों से अनेक बार युद्ध करना, क्षीणशक्ति हो जाने पर भी अफगानिस्तान के गोर प्रदेश के अधिपति शहाबुद्दीन के आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना करना, फैद घार उसे कैद करके छोड़ देना आदि अनेक प्रसंगों का, जिनमें से कुछ कविकलिप्त हैं और कुछ ऐतिहासिक तत्वों पर अबलंबित हैं, घड़ा ही मार्मिक तथा काव्य-गुण-संपद वर्णन इस ग्रंथ में पाया जाता है ।

पृथ्वीराजरासो समस्त धीरगाथा युग की सबसे अधिक महत्व-पूर्ण रचना है। उस काल की जितनी स्पष्ट भूलक इस एक ग्रंथ में मिलती है, उतनी दूसरे अनेक ग्रंथों में नहीं मिलती। छँदों का जितना विस्तार तथा भाषा का जितना साहित्यिक सौष्ठुव इसमें मिलता है, अन्यत्र उसका अल्पांश भी नहीं दिखाई देता। पूरी जीवन-गाथा होने के कारण इसमें चीर गीतों की सी संकीर्णता तथा वर्णनों की एकरूपता नहीं आने पाई है, वरन् नघीनता समन्वित कथानकों की ही इसमें अधिकता है। यद्यपि “रामचरितमानस” अथवा “पश्चाचत” की भाँति इसमें भावों की गहनता तथा अभिनव कल्पनाओं की प्रचुरता उतनी अधिक नहीं है, परंतु इस ग्रंथ में चीर भावों की घड़ी सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है और कहीं कहीं कोभल कल्पनाओं तथा मनोहारिणी उक्तियों से इसमें अपूर्व काव्य अमत्कार आ गया है। रसात्मकता के विचार से उसकी गणना हिंदी के थोड़े से उत्कृष्ट काव्य-ग्रंथों में हो सकती है। भाषा की प्राचीनता के कारण यह ग्रंथ अब साधारण जनता के लिये दुरुह हो गया है, अन्यथा राष्ट्रोत्थान के इस युग में पृथ्वीराजरासो की उपयोगिता बहुत अधिक हो सकती थी।

धीरगाथा काल के प्रबंध काव्यों के रचयिताओं में भट्ट केदार का जिसने जयचंद्रप्रकाश, मधुकर का जिसने जयमर्यंकजसचंद्रिका, सारेंगधर का जिसने हमीर काव्य और नल्लसिंह का जिसने विजयपाल-रासो लिखा, उल्लेख मिलता है, जिससे यह प्रकाशित होता है कि इस प्रकार के काव्यों की परंपरा बहुत दिनों तक चली थी, पर राजपूताने में इस प्रकार की प्राचीन पुस्तकों की खोज भ नहीं तथा अनेक ग्रंथों के उनके भालिकों के मोह, अविवेक अथवा अदूरदर्शिता के कारण अँधेरी कोठरियों में बंद पड़े रहने के कारण इस परंपरा का पूरा पूरा इतिहास उपस्थित करने की सामग्री का सर्वथा अभाव हो रहा है।

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, प्रबंध-भूलक चीर काव्यों के अतिरिक्त उस काल में चीर गीतों की रचनाएँ भी हुई थीं। अनुमान

गीत काव्य से तो ऐसा जान पड़ता है कि उस काल की रचनाओं में प्रबंध काव्यों की न्यूनता तथा धीररसात्मक फुटकर पद्यों की ही अधिकता रही होगी। अशांति तथा कोलाहल के उस युग में लंबे लंबे चरितकाव्यों का लिखा जाना न तो संभव ही था और न स्वामाविक ही। अधिक संख्या में तो चीर गीतों का ही निर्माण हुआ होगा। युद्ध के लिये चीरों को प्रोत्साहित करने में और चीरगति पाने पेर उनकी प्रशस्तियाँ निर्मित करने में चीर गीतों की

ही उपयोगिता अधिक होती है। इसके अतिरिक्त राजसभाओं में वीर नृपतियों अथवा सरदारों का गुणगान होता होगा, तब वीर गीतों के ही आथ्रय लेने की आवश्यकता रहती होगी। इसके अतिरिक्त प्रायः पहले गीतों की ही रचना होती है और तब प्रबंध काव्यों की। यद्यपि इस युग में वीर गीतों की रचना अधिकता से हुई होगी, परंतु इस समय तो ये बहुत थोड़ी संख्या में मिलते हैं और अब तो उनके प्रारंभिक स्वरूपों में भी बहुत कुछ हेरफेर हो गया है। बात यह हुई कि वे रचनाएँ बहुत काल तक लिपिबद्ध नहीं हुईं, वे भट्ट चारणों में बहुत कुछ मौखिक रूप में ही थीं रहीं। इसी कारण उनमें से बहुत सी तो कालकालित हो गई और बहुतों की भाषा आदि में परिवर्तन हो गए। कुछ रचनाओं में तो विभिन्न कालों की घटनाओं के ऐसे असंबद्ध वर्णन घुस गए हैं कि वे अनेक कालों में अनेक कवियों की की हुई जान पड़ने लगी हैं। अपने वर्तमान रूप में न तो घर्षित विषयों के आधार पर और न भाषा-विकास के आधार पर ही उनके रचनाकाल का ठीक ठीक निर्णय हो सकता है। नरपति नालह रचित वीसलदेवरासो तथा जगनिक-कृत आलहखंड के वीर गीतों की बहुत कुछ ऐसी ही अवस्था है।

इतना सब कुछ होते हुए भी भावों के सरल अकृतिम उद्घोग तथा भाषा के स्वच्छंद प्रवाह के कारण तत्कालीन वीर गीतों में एक अद्भुत शोज तथा तीव्रता सी आ गई है। न तो इन वीर गीतों में दार्शनिक तत्त्वों का समावेश ही है और न इनमें प्राकृतिक दृश्यों का ही भनोरम चित्रण है। इनके कथानकों में भी अनेकरूपता तथा विचित्रता नहीं है और न इनकी भाषा में ही किसी प्रकार का यनाव सिंगार है। इनके छुंदों में एक मुक्त प्रवाह मिलता है, वे तुकांत आदि के वंधनों से जकड़े हुए नहीं हैं। प्रायः किसी वीर को वाह्य आडंबर पसंद नहीं होते और उसके आचार विचार में एक प्रकार की सरलता तथा स्वच्छंदता होती है, साथ ही वह गंभीर तत्त्वों के समझने में असमर्थ तथा वीर कृत्य करने में तत्पर रहता है। लगभग ऐसी ही अवस्था हमारे उस युग के वीर गीतों की थी। जहाँ हम पृथ्वीराज-रासो आदि प्रबंध काव्यों में अनेक क्षमिय वंशों की उत्पत्ति के विस्तृत किंतु नीरस वर्णन पाते हैं, और जहाँ भाषा को अलंकृत करने तथा छुंदों में तुक आदि पर विशेष ध्यान देने के प्रयास का भी उनमें अमुभव करते हैं, वहाँ वीसलदेवरासो तथा आलहा आदि वीर गीतों में कहाँ भी शिथिलता नहीं पाते और न वंधनों की जटिलता का ही उनमें कहाँ पता चलता है। कथानकों को सजाने तथा उनमें नवीनता लाने का जितना

‘साहित्यिक प्रयास पृथ्वीराजरासो में पाया जाता है, उतना धीर गीतों में नहीं पाया जाता, फिर भी उनमें श्रोतकता कहीं नहीं आने पाई है। धीर गीतों में यद्यपि धीर भावों की ही अधिकता रहती है, पर धीरों की कोमल मनोवृत्तियों के प्रदर्शनार्थ उनमें शृंगारिक चर्णन भी होते हैं। धीसलदेवरासो को तो उसने वर्तमान रूप में एक प्रेमगाथा ही कह सकते हैं, परंतु उसमें भी धीरों के सरल तथा कोमल हृदय की व्यंजना हो जाती है। यही उसके धीर गीत कहलाने की सार्थकता है। आल्ह-खंड में आल्हा, ऊदले (उदयसिंह) आदि की धीर वाणी तथा धीर कृत्यों का जो जग्धट सा उपस्थित किया गया है, उसके भूल में भी प्रेम ही है, और स्थान स्थान पर उस प्रेम की निश्चय ही बड़ी सरस तथा मधुर व्यंजना पाई जाती है।

उपर्युक्त गुणों के कारण ही साधारण जनता में धीर गीतों का जितना प्रचार हुआ, उतना धीर प्रवंधों का नहीं हुआ। अपने साहित्यिक गुणों के कारण पृथ्वीराजरासो उस युग की सबसे श्रेष्ठ तथा महत्वपूर्ण कृति है; और इस दृष्टि से उसकी तुलना में धीर गीत नहीं ठहर सकते, परंतु ऐसा जान पड़ता है कि राजन्दरवारों, अथवा अधिक से अधिक दिल्ली तथा अजमेर के आस पास के प्रदेशों को छोड़कर देश के अन्य भागों की जनता में पृथ्वीराजरासो का कुछ भी प्रचार नहीं हुआ। प्रचार की दृष्टि से आल्हखंड या आल्हा सबसे अधिक सौभाग्यशाली हुआ। यद्यपि इस प्रचाराधिक्य के कारण उसका पूर्व स्वरूप बहुत कुछ विकृत होकर विस्मृत भी हो गया, पर अपने नवीन रूप में वह आज भी उत्तर भारत की जनता का कंठहार हो रहा है। आपाढ़ और आवण के महीनों में जब चर्पां होने पर ग्रीष्म ऋतु का ताप बहुत कुछ कम हो जाता है और जब घादलों की गरज से हृदय एक अलौकिक उत्सास का अनुभव करने लगता है, तब आमों में आज भी ढोल की गंभीर ध्वनि के साथ अलहैतों के तारस्वर में “आल्हा” के किसी प्रसंग का सुन पड़ना सबके साधारण अनुभव की बात है। युक्त प्रांत के वैसदाङा आदि प्रदेशों में आल्हा का बहुत अधिक प्रचार है और वहाँ संभवतः गोस्वामीजी के रामचरितमानस को छोड़कर दूसरा सर्वप्रिय ग्रंथ आल्हखंड ही है। हम इन दोनों धीर गीतों का विवेचन आगे करते हैं—

इस छोटे से काव्य की रचना, धीर गीत की शैली पर, विक्रम धीसलदेवरासो संवत् १२१२ में हुई थी। इसका रचयिता नरपति नाल्ह नामक कवि अपने आश्रयदाता धीसलदेव का समकालीन और संभवतः राजकवि था। धीसलदेव उपनाम धारण

करनेवाले विश्रहराज चतुर्थ वडे धीर क्षत्रिय नृपति थे और उन्होंने इस्लामी शक्ति के प्रतिकूल सफलतापूर्वक कई युद्ध किए थे। परंतु उनकी इस गाथा में उनके युद्धों आदि का वर्णन नहीं है। इसमें जैसलमेर की राजकन्या राजमती 'से उनके विवाह करने और विवाहोपरांत अपनी नवविवाहिता पत्नी को किसी घात से चिढ़कर उड़ीसा चले जाने का उल्लेख है। अनेक घाँटों के बाद राजमती के संदेश भेजने पर उनके ससम्मान लौटने और लौटकर अपने कुदुंगियों से आनंद-पूर्वक मिलने तथा फिर से राज्य-सिंहासन प्रहण करने के साथ कथा का अंत हो जाता है।

इस प्रेम-ग्रस्तग को धीर गीत स्वीकार करने में कुछ विद्वानों को संकोच होता है। उनका यह संकोच बहुत अंशों में ठीक भी है, परंतु स्मरण रखने की घात यह है कि धीर गीतों में धीरों की जीवनगाथाएं नहीं होतीं, बरन् जीवन की किसी साधारण अथवा असाधारण घटना का चित्रण मात्र होता है। वे सदा धीरसात्मक ही नहीं हो सकते, क्योंकि धीरों का युद्ध से अभिन्न संबंध नहीं रहता, धीरों के हृदय में यद्यपि उत्साह सदा उपस्थित रहता है, परंतु इसका यह आशय नहीं है कि वे निरंतर युद्ध ही करते रहें। उनके जीवन में हृदय की कोमल वृत्तियों का प्रदर्शन भी हुआ करता है, और धीरसलदेवरासों में ऐसी ही वृत्तियों का चित्रण किया गया है। यह धीरसलदेवरासों की एक विशेषता है कि प्रेम-प्रधान होने पर भी उसे धीर गीत कहे जाने का गौरव मिला है।

अपने उल्लिखित संघर्षों के आधार पर तो यह धीरसलदेव की सम-सामयिक रचना ठहरती है, पर अन्य धीर गीतों की भाँति इसके भी अनेक मौखिक संस्करण हुए होंगे। इसके कथानक में भोज, माघ, कालिदास आदि नाम ऐसे शुसंग्रह हैं कि इस गाथा के धीरसलदेव के जीवनकाल में उसके दृव्यारी कवि द्वारा रचे जाने में संदेह होने लगता है, परंतु इन अंशों को प्रक्षिप्त मान लेने से शेषांश को नालहरचित स्वीकार किया जा सकता है।

कुछ विद्वानों ने इसे चंद घरंदाई छत पृथ्वीराजरासो ग्रंथ का ही एक खंड घतलाया है और इस दृष्टि से इसे स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रहण

आलहंड नहीं किया है; परंतु यह घात ठीक नहीं जान

पड़ती। पृथ्वीराजरासो तथा आलहंड में सबसे प्रधान भेद यह है कि पहला ग्रंथ दिल्ली के अधिपति पृथ्वीराज के दृव्यारी कवि का लिखा होने के कारण उसके छत्यों को यहुत अधिक उत्कर्ष प्रदान करता है; परंतु आलहंड में यह घात नहीं पाई जाती।

इस बीर गीत में न तो पृथ्वीराज के चंद्रित की प्रधानता और न उसकी बीर कृतियों की प्रशंसा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यह ग्रंथ प्राचीन रूप में जगनिक का लिखा हुआ था जो महोवे के चंद्रेल शासक परमाल के दरवार में रहता था। यह चंद्रेल शासक पृथ्वीराज का समकालीन और कन्नौज के अधिपति जयचंद का मित्र तथा सामंत था।

इस पुस्तक में प्रधानतः आल्हा और ऊदल (उद्यसिंह) नामक बीर कृतियों तथा साधारणतः उनके अनेक भाइयों और कुटुंबियों की बीर गाथाएँ हैं। आल्हा और ऊदल घनाफर शाखा के कृतियों के बंशज थे और महोवे के तत्कालीन चंद्रेल अधिपति परमाल के सामंतों तथा सेनापतियों में थे। यद्यपि परमाल अशक्त तथा भीर शासक था परंतु उसकी खी मलहना अपने बीर सामंतों की सहायता से कई बार पृथ्वीराज तक के आक्रमणों को विफल करने में समर्थ हुई थी। आल्हा, ऊदल, लाखन, सुलखे आदि बीर भ्राताओं की धाक तत्कालीन छोटे छोटे राज्यों पर तो थी ही, कन्नौज जैसे विस्तृत साम्राज्य का अधिपति जयचंद भी उनकी बीरता के आगे सिर झुकाता था। आल्हखंड के बीर गीतों में इन्हीं बीर कृतियों के अनेक विवाहों तथा प्रायः वावन लड़ाइयों का वर्णन है। उस समय की कुछ ऐसी स्थिति हो गई थी कि प्रत्येक विवाह में बीर कृतियों के लिये अपनी बीरता का प्रदर्शन करना आवश्यक होता था और कन्यापक्ष बालों को पराजित करने पर ही उन्हें कन्या से विवाह करने का अधिकार मिलता था। यद्यपि इस पुस्तक में युद्धों का जितना विशाल रूप प्रदर्शित किया गया है, उसमें बहुत कुछ अतिशयोक्ति भी है; परंतु यह निश्चित है कि महोवे के इन बीर सरदारों ने सफलतापूर्वक अनेक युद्ध किए थे और उनमें विजयी होकर उन्होंने राजकन्याओं का अपहरण भी किया था। पुस्तक के अंत में अत्यंत कषणाजनक हृष्य उपस्थित होता है। सब चीर घनाफर युद्ध में मरे जाते हैं, उनकी रानियाँ सती होने के लिये अग्नि की शरण लेती हैं और वचे हुए केवल दी व्यक्ति, आल्हा और उसका पुत्र इंदल, यह परित्याग कर, किसी कजरीवन में जा घसते हैं। इस कजरीवन का ठीक ठीक पता अभी तक नहीं लग सका है। यह कोई कविकलिपत स्थान जान पड़ता है जिससे निर्जनता तथा अंधकार की व्यंजना होती है।

इस बीर गीत में अनेक युद्धों का वर्णन बहुत कुछ एक ही प्रकार से हुआ है, साथ ही इसमें अनेक भौगोलिक आशुद्धियाँ भी पाई जाती हैं, परंतु साधारण पाठकों के लिये इसके वर्णनों में घड़ा आकर्षण है। यद्यपि इसमें साहित्यिक गुणों की बहुत कुछ न्यूनता पाई जाती है, पर

कोई अधिक आश्चर्य की वात नहीं है। पर साथ ही भाषाओं के क्रमिक विकास का ध्यान करके हमें यह कहने में भी संकोच नहीं हो सकता कि अवश्य पीछे से भी इनकी रचनाओं का परिमार्जन हुआ होगा।

जिस प्रकार चंद्रवरदाई आदि वीरगाथाकारों की रचना में तत्कालीन हिंदू-मनोवृत्ति का परिचय मिलता है और हिंदुओं के राज-दरबारों की अवस्था का अभिज्ञान होता है, उसी प्रकार अमीर खुसरो की रचनाओं में हम मुसलमानों के उन मनोभावों की भलक पाते हैं जो उनके इस देश में आकर वस जाने के उपरांत यहाँ की परिस्थिति से ग्रसावान्वित होकर तथा यहाँ की आवश्यकताओं का ध्यान रखकर उत्पन्न हुए थे। इस विचार से, यद्यपि हम खुसरो की कृतियों में साधारण जनता की चित्तवृत्तियों की छाप नहीं पाते परंतु तत्कालीन स्थिति से परिचित होने के लिये हमें उनकी उपयोगिता अवश्य स्वीकार करनी पड़ेगी। भाषा के विकास की दृष्टि से खुसरो की मसनवियों तथा पहेलियों का और भी अधिक महत्त्व है। खुसरो द्वारा प्रयुक्त खड़ी घोली के शुद्ध भारतीय स्वरूप में अरब और फारस के शब्दों की भटमार करके आजकल के लिये उद्भूत घोलनेवाले जब आधुनिक हिंदी को उद्भूत से उत्पन्न बतलाने लगते हैं, तब उनके भ्रमनिवारणार्थ खुसरो की रचनाओं का जो सहारा लेना पड़ता है यह तो ही ही, भारतीय भाषाशाख के एक श्रंग की पूर्ति के लिये उपकरण बनकर सहायता देने में भी उनकी कृतियों ने कम काम नहीं किया है।

परंतु खुसरो की कविता का वास्तविक रहस्य समझाने के लिये हमको तत्कालीन कलाओं पर भी ध्यान देना होगा। उनकी कुछ रचनाएँ फारसी में और कुछ हिंदी में पाई जाती हैं तथा कुछ रचनाओं में मिश्रित भाषा का प्रयोग भी दिखाई देता है। जब हम उस समय की वास्तु कला और संगीत कला पर ध्यान देते हैं तो उनमें हिंदू और मुसलमान आदर्शों का मेल पाते हैं। ऐसा ज्ञान पड़ता है कि उस समय हिंदू मुसलमानों में परस्पर बहुत कुछ आदान-प्रदान ग्रारंभ हो गया था। यद्यपि साहित्य में हिंदी के वीरगाथा काल तक अपनी पूर्व परंपरा का परित्याग नहीं पाया जाता, परंतु यहाँ की भाषा में बहुत कुछ विदेशीय शब्द आने लगे थे। अमीर खुसरो ने अपना “खालिकबारी” कोश तैयार करके भाषा के आदान-प्रदान में बहुत यड़ी सहायता पहुँचाई थी। उसके कुछ काल उपरांत साहित्य में भावों का आदान-प्रदान भी ग्रारंभ हुआ। इस प्रकार हम खुसरो की कविता में युगप्रवर्तन का बहुत कुछ पूर्याभास पाते हैं।

बीरगाथा काल के अंतिम अंश में हमें हिंदी गद्य के आविर्भाव की भी भलक मिलती है। यद्यपि निश्चयपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि हिंदी में गद्य-रचना का आरंभ कब से हुआ, पर जितनी छानवीन अब तक हुई है, उससे

(हिंदी गद्य का सबसे प्राचीन नमूना गोरखनाथजी के ग्रंथों में मिलता है। गोरखनाथजी का आविर्भाव विक्रम की १४वीं शताब्दी के अंत में हुआ था।) अब तक उनके जितने ग्रंथों का पता लगा है, उनमें से एक में भी निर्माणकाल नहीं दिया है, किसी किसी में लिपि-काल दिया है, पर वह है संवत् १८५५ शैर १८५६। इनमें से एक ग्रंथ गद्य में भी है। यह तो निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इस ग्रंथ की रचना कब हुई, परंतु भाषा में प्राचीनत्व के चिह्न अवश्य वर्तमान हैं। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि यह ग्रंथ प्राचीन होगा। पृथ्वीराज के समय के कुछ पट्टे और पन्ने भी राजपूतानी गद्य में लिखे हुए मिले हैं, पर अनेक विद्वानों का कहना है कि ये प्रामाणिक नहीं हैं। इस संदिग्ध अवस्था में यह कहना कठिन है कि हिंदी के गद्य का आविर्भाव कब हुआ।

उस काल के साहित्य का साधारण दिग्दर्शन कर लेने पर स्वभावतः यह इच्छा होती है कि हम उस युग के भाषा संबंधी विकास का प्रगति भी निरीक्षण करें और बीरगाथाओं में प्रयुक्त कुछ छंदों आदि से भी परिचित हों। साहित्य के भाषपत्र के

साथ ही साथ उसका कलापत्र भी विकसित होता चलता है, और दोनों का संबंध बहुत कुछ घनिष्ठ हुआ करता है। अतपव साहित्य का इतिहास जानने में भाषा के क्रमिक विकास का रूप जानना भी सहायक और उपयोगी ही नहीं होता, वरन् बहुत कुछ अनिवार्य भी होता है। यह पहले ही कहा जा सका है कि हिंदी की उत्पत्ति ग्राहूत काल की अपन्नश भाषाओं से हुई है। परंतु अपन्नश कहीं समाप्त होती है और पुरानी हिंदी कहीं आरंभ होती है इसका ठीक ठोक पता लगाना बहुत कठिन है। अब तक अपन्नश भाषाओं का जितना साहित्य उपलब्ध हुआ है, उसके आधार पर तो केवल यह कहा जा सकता है कि अपन्नश के पिछले स्वरूप में और हिंदी के प्रारंभिक स्वरूप में बहुत अधिक एकरूपता है, और इन दोनों भाषाओं में इतना कम अंतर है कि उनके बीच में समय-भेद अथवा देश-भेद बतलानेवाली कोई रेखा नहीं खींची जा सकती। कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिन्हें अपन्नश भी कह सकते हैं और पुरानी हिंदी भी। अपन्नश के उत्तर काल में भी देश की प्रायः वैसे ही स्थिति थी, जैसी हिंदी के आदि काल में थी, अतः

धोर भावों की प्रधानता व्यक्त करनेवाले इन पद्यों को हम उत्तरकालीन अपन्नंश मान सकते हैं—

भग्ना हुआ जु मारिया बहिणि महारा कतु ।

लज्जेजन्म तु वयसिअह जह भग्ना धर एतु ॥ १ ॥

पुत्रं जाए कवणु गुणु अवगुणु कवणु मुपण ।

जा वप्पो की भँड़दी चमिज्जइ अवरेण ॥ २ ॥

इसके साथ यदि हम चंद घरदाई के निम्नलिखित पद्यों को मिला-
कर देखें तो दोनों की समता का बहुत कुछ ज्ञान हो सकता—

उचिष्ठ छ द चदह वयन मुनत मुजपिय नारि ।

तनु पवित्र पावन कविय उकति अनूढ उधारि ॥

ताड़ी खुल्लिय ब्रह्म दिक्खि इक असुर अदब्मुत ।

दिग्य देह चल सीस मुण्य करना जस जप्त ॥

इन पद्यों के रचनाकाल में हिंदी का क्षप स्थिर हो चुका था और उसका विकास भी होने लगा था। विक्रम की तेरहवीं शताब्दी के प्रथम चरण में चंद का आधिर्माच हो चुका था और इस यात का ध्यान रखते हुए यह कहा जा सकता है कि हिंदी की उत्पत्ति उसके सौ देह सौ पर्य पहले हो गई होगी। यदि ऐसा न होता तो पृथ्वीराजरासो जैसे महाकाव्य की रचना नितांत सद्यःप्रसूत भाषा में करने की कल्पना भी किसी को न हो सकती। प्रसिद्ध इतिहासचेत्ता श्री काशीप्रसाद जायसधाल महोदय ने बुद्धिसेन नामक जैन कथि की, विक्रम के दसवें शतक की, अपन्नंश कविता के साथ पुरानी हिंदी का साम्य दिखाते हुए उसकी उत्पत्ति उसी काल में घटलाई है। यदि हिंदी की उत्तरी अधिक प्राचीनता न भी स्वीकार की जाय, तो भी यह निश्चय है कि विक्रम के चारहवें शतक में हिंदी का भीजारोपण अवश्य हो गया था और इसके उपरांत उसका क्षप बहुत कुछ स्थिर होता रहा और उसके ध्याकरण की प्रतिष्ठा भी होती रही। उसके बहुत कुछ विकसित हो जाने पर उसमें कविता भी रखी जाने लगी, और चंद घरदाई के पृथ्वीराजरासो महाकाव्य रचने के समय तक उसका पर्याप्त विकास हो गया था।

देशभेद के कारण जिस प्रकार प्राचुर के शैरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री, पंशाच्ची आदि तथा अपन्नंश के नागर, उपनागर, ग्राचड़ आदि अनेक विभेद हो गए थे, उसी प्रकार प्रारंभिक हिंदी भी किसी एक क्षप में नहीं रही होगी। परंतु साहित्य-प्रयोगों की अधिकता आदि के कारण जिस प्रकार प्राचुरों में महाराष्ट्री प्राचुर और अपन्नंशों में नागर अपन्नंश के प्रधानता मिली थी और ध्याकरणों ने उन्होंका

मुख्यतः उल्लेरा करके शेष के संबंध में वहुत साधारण विवेचन किया था, उसी प्रकार हिंदी के भी एक सामान्य साहित्यिक रूप की प्रतिष्ठा हो गई और साहित्य-ग्रंथों की प्रचुरता होने के कारण उभी की प्रधानता मान ली गई और उसमें व्याकरण आदि का नियमित निरूपण भी हो गया। हिंदी के उस साहित्यिक रूप को उस काल में "पिंगल" कहते थे और अन्य रूपों की संज्ञा "डिंगल" थी। 'पिंगल' भाषा में अधिक-तर ब्रे विद्वान् रचना करते थे जो अपने ग्रंथों में संयत भाषा तथा व्याकरण-सम्मत प्रयोगों के निर्वाह में समर्थ होते थे। पिंगल की रचनाओं में धीरे धीरे साहित्यिकता बढ़ने लगी और नियमों के वंधन भी जटिल होने लगे। इसके विपरीत डिंगल भाषा का प्रयोग करनेवाले राजपूताने के आसपास के भट्ट, चारण आदि थे जिन्हें न तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान था और न उसका प्रयोग करने की आवश्यकता ही थी। पिंगल और डिंगल के इस भेद के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चंद घरदाई का "पृथ्वीराजरासो" पिंगल भाषा में लिखा गया है और नाल्ह का "वीसलदेवरासो" डिंगल की रचना है।

अमीर खुसरो ने अपनी मसनियों और पहेलियों में जिस भाषा का प्रयोग किया, उसके संबंध में यहाँ केवल इतना और कह देना पर्याप्त होगा कि वह दिल्ली और आसपास की प्रचलित देशभाषा थी और मुसलमान विजेताओं का केंद्र भी उसी प्रांत में होने के कारण उन्होंने उसको ही ग्रहण किया। पीछे से इसी भाषा में अरबी फारसी के शब्दों को ढूस ढूसकर उसका स्वरूप ही बदल दिया गया और राजभाषा होने के कारण उसके नए स्वरूप की उन्नति भी होती रही। जातीय वैमनस्य ने भी नई भाषा को अधिकाधिक अपरिचित वना देने में सहायता पहुँचाई। खुसरो द्वारा प्रयुक्त खड़ी घोली की उत्पत्ति के संबंध में अब तक कुछ निश्चित रीति से नहीं कहा जा सकता। कुछ विद्वान् उसका जन्म पैशाची प्राकृत से मानते हैं जो पंजाब (पंचनद) प्रदेश में घोली जाती थी; और कुछ विद्वान् उसकी उत्पत्ति शौरसेनी प्राकृत तथा नागर अपन्ने से मानते हैं। यहाँ हम इस बाद में नहीं पढ़े गे और केवल इतना कहकर संतोष कर लेंगे कि शब्दों की उत्पत्ति तथा वाक्यविन्यास आदि की विषय से तथा व्याकरण के अन्य प्रतिवर्धों का पालन करने के कारण खुसरो की भाषा इसी देश के एक विशेष भूभाग की प्रचलित भाषा थी। वह न तो खुसरो द्वारा गढ़ी गई थी और न विदेश से ही लाई गई थी। वह तो साधारणतः ग्रजभाषा और पंजाबी के मिश्रण से उत्पन्न जान पड़ती है।

हिंदी की शैशवकाल की रचनाओं में दोहा छुंद की सबसे अधिक प्रधानता थी। यद्यपि पृथ्वीराजरासो में सोरठा, छुप्पय, कविता, पञ्चरी आदि प्राचुर काल के तथा साटक, शार्दूलविकोड़ित आदि संस्कृत छुंदों का उपयोग भी पाया जाता है, परंतु जिस प्रकार संस्कृत में अनुप्लुप्तों तथा प्राचुर में गाथाओं की ही प्रधानता रही है, उसी प्रकार पुरानी हिंदी का सर्वप्रिय छुंद दोहा ही रहा है। पुरानी हिंदी ही क्यों, अपभ्रंशों में भी दोहों का अधिकता से व्यवहार हुआ है और उस काल की मुख्क करण के लिये दोहा छुंद विशेष उपयोगी जान भी पड़ता है। “दोहा” का नामकरण कुछ संस्कृत-पक्षपातियों ने दोधक किया है, परंतु संस्कृत के दोधक से इस छुंद का कुछ भी संबंध नहीं है। पृथ्वीराजरासो में भी भाषा का जितना सुष्ठु रूप दोहा छुंद में देख पड़ता है, उतना अन्य छुंदों में नहीं देख पड़ता, पर यह भी जान लेना चाहिए कि प्राचीन हिंदी के जितने अधिक चिह्न चंद के छुप्पयों में, जिन्हें कविता का नाम दिया गया है, मिलते हैं, उतने दोहों में नहीं मिलते। कुछ छुंदों में तो उसकी भाषा संस्कृत और प्राचुर की खिचड़ी सी बन गई है और व्याकरण तथा भाषाशाख के नियमों का कहाँ पता ही नहीं लगता।

धीसलदेवरासो तथा आलखंड आदि धीर गीतों के छुंदों में एक प्रकार का वंधनरहित मुक्त प्रवाह मिलता है। न तो उनमें अंत्यानु-प्रास का ही प्रतिवंध रखा गया है और न संस्कृत के वर्णवृत्तों फी सी कठोर नियम-यद्धता आई है। अन्य दृष्टियों से भी वे छुंद धीरभावों के अभिव्यञ्जन तथा भाषा की स्वाभाविकता और स्वच्छुदता के रहण में सहायक हुए हैं।

अनुप्रासों-आदि के द्वारा भाषा को सजाने तथा आलंकारिक उक्तियों द्वारा भावों को चमत्कारपूर्ण बनाने का जितना प्रयत्न पृथ्वीराजरासो में देख पड़ता है, उतना उस काल की अन्य रचनाओं में कहाँ नहीं देख पड़ता। संभवतः यह कार्य पीछे से किया गया है।

जब देश का शासनाधिकार मुसलमानों के हाथ में जाकर स्थिर हो गया और जब रणयंभौर तथा चित्तौड़ आदि दो एक स्थानों को

धीरगाथाओं का द्वितीय उत्थान द्वाइकर शेष सभी देशी रजवाड़ों ने विदेशियों को आत्मसमर्पण कर दिया, तब धीर गाथाओं की रचना में शिथिलता आ गई और धीरे धीरे उनका ह्वास भी हो गया। स्वतंत्रता का सम्मान खोकर भारत नत-मस्तक हो चुका था। जनता आतंकित और विलासिनी होकर आत्म-

विस्मृत सी हो गई। विदेशी शासन से राष्ट्र का जो अधिकार तन होता है, विजातीय और विधर्मी शासक से उसको जो ज्ञाति पहुँचती है, परतंत्रता में जो अभिशाप उसे मिलते हैं, उन पर तथा ऐसी ही अन्य वार्ता पर ध्यान देने की समझ भी जाती रही थी। विदेशी शासन को उलट देने की न किसी में शक्ति थी और न इच्छा। प्रसिद्ध ज्ञात्रिय नृपति हम्मीरदेव ने हिंदुओं के देश में हिंदुओं का राज्य बनाए रखने की जो प्रबल चेष्टा की थी, और सफलतापूर्वक विपक्षियों का जो अनेक बार सामना किया था, वही हिंदू धीरता का अंतिम निर्दर्शन था। इस दृष्टि से 'हम्मीरचरित्र' उस युग की अंतिम धीरगाथा है। उसके उपरांत कई सौ वर्षों तक हिंदुओं की ओर से राज्यस्थापन का कोई उल्लेख योग्य सामूहिक प्रयत्न नहीं हुआ। महाराणा प्रताप के उत्कट स्वदेशानुराग ने एक बार शिथिंल और निष्पाण हिंदू जाति को नवजीवन से संचरित करके उसकी नसों में उपण रक्त का तेजी से संचार अवश्य कर दिया, पर महाराणा की कार्यप्रणाली में राष्ट्रीय चेतना का सहयोग नहीं था। महाराणा की धीरता उनकी निजी धीरता थी, अथवा अधिक से अधिक वह स्वतंत्रताप्रिय चित्तोड़निवासी ज्ञात्रियों की धीरता थी, समस्त राष्ट्र का उसीमें सहयोग नहीं था। इसका कारण स्पष्ट है। उस समय तक देश से रहा था। विलासिता का प्रवाह उस समय तक 'बंद नहीं' हुआ था, वरन् प्रबल ही होता जा रहा था। हिंदू जाति उस समय तक परतंत्रता के कष्टों का अनुमान नहीं कर सकी थी, मुसलिम शासन की नृशंसता का पूरा पूरा अनुभव उस समय तक नहीं हो सका था। अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँ के शासनकाल में हिंदूजाति बराबर पतनोन्मुख रही। वह उसकी सुपुत्रि की अवस्था थी। महात्मा गुलसीदास ने मंथरा के मुख से "कोउ नृप होय हमें का हानी" कहलाकर उस समय के शासन के संवेद में प्रचलित जनता के विचारों की सज्जा अभिव्यञ्जना की है। जिस प्रकार शराबी मदिरा पीकर अपनी स्थिति भूल जाता है और आत्मविस्मृति की अवस्था में एक प्रकार की निर्दृष्टा का अनुभव करता है, उसी प्रकार समस्त भारतीय राष्ट्र उपर्युक्त मुगलशासकों की कूटनीति में फैसलकर अपने को भूल गया था और अपनी स्थिति पर संतोष किए हुए बैठा था।

जब किसी जाति के विचारों में इस प्रकार की शिथिलता-जन्म स्थिरता आ जाती है, तब उसके लिये वह काल घड़ा भयावह हो जाता है। ऐसी स्थिरता का ही दूसरा नाम मृत्यु है। भारतीय जनता भी लगभग ऐसी ही अवस्था में थी; परंतु औरंगजेब के मुसलिम शासन

की धागडोर अपने हाथ में लेते ही परिस्थिति घटली। इतिहास की यह एक अद्भुत शिक्षा है कि कठोर अत्याचारी और अन्यायी नृपतियों के शासनकाल में ही जनता को अपने कल्याण का मार्ग दिखाई पड़ता है। हिंदू जौति, हिंदू धर्म तथा समस्त भारतीय राष्ट्र के लिये औरंगजेब का शासन सभसे अधिक कठोर तथा नुशंस था। जनता के लिये चरम निराशा का काल यही था। देश के बड़े बड़े भंदिरों और उच्च कोटि की कला के निर्दर्शनों को ढाकर उनके स्थान में मसजिदें बढ़ा करना, शासनकार्य में अधिक से अधिक पक्षपात दिखाना, ज़ज़िया जैसे कर लगाकर तथा अनेक प्रकार के भय और प्रलोभन दिखाकर हिंदुओं को वत्पूर्वक धर्मघोषणा करना, हिंदुओं की मान-प्रतिष्ठा, धन-संपत्ति, इज्जत-आवश्यक सघको द्विविधा में डाल देना प्रभृति अत्याचारों का फल यही हुआ जो ऐसी स्थिति में हो सकता था और जो सदा हुआ है। हिंदू जाति बहुत दिनों तक सोती न रह सकी। वह जाग उठी। उसने अपनी भयानक स्थिति का अनुमान किया। वह सब कुछ सहन फर सकती थी, परंतु धर्म पर होनेवाले अत्याचार सहन करना उसको शक्ति के बाहर था। हिंदू आदि से ही धर्मप्राण थे, दो तीन सौ वर्षों की भक्त कवियों की बाणी के फल-स्वरूप उनकी धर्मप्रिष्ठता और भी दृढ़ हो गई थी। सच वात तो यह है कि उस निस्सहाय अवस्था में उन्हें एक धर्म का ही सहारा रह गया था। जब उनका एक मात्र यह अवलंबन भी उनसे छीना जाने लगा, तब सारी हिंदू जाति विकल हो उठी। उसने सभी स्थिति को समझ लिया। फलतः राजनीतिक क्षेत्र में एक हलचल सी भव गई और इस हलचल में एक जाग्रत राष्ट्र की सम्मिलित चेतना दिखाई दी। पंजाब में गुरु गोविंदसिंह, महाराष्ट्र में छुत्रपति शिवाजी और बुद्देल-खंड में वीर छुत्रसाल इस जागर्ति का मूर्तिमान स्वरूप धारण कर भारत के रामचंद्र पर रणचंडी का नृत्य दिखाने लगे। इस नवीन जागर्ति के मूल में धर्म-भावना ही थी। मुसलमानों के पाप का घड़ा भर चला था। यही जागर्ति हिंदी कविता में वीरगाथाओं के नवीन उत्थान के मूल में है। इसी काल में वीर कवियों का दूसरी बार प्रादुर्भाव हुआ था।

परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वीर हमीरदेव से लेकर छुत्रपति शिवाजी के समय तक वीरगाथाएँ लिखी ही नहीं गईं। हाँ, यह वात अवश्य है कि उस काल में वीर-पूजा की सभी भावना से प्रेरित होकर वीर कवियों की रचना नहीं हुई। ऐसे तो तत्कालीन विलास-मिय नृपतियों की मनस्तुति के लिये कितने ही स्वार्थसाधक खुशामदी कवियों ने अर्थ-लोकुपतावश कविवाणी के तिरस्कार-स्वरूप अनेक वीर

काव्य बनाएँ होंगे, जो या तो अब कालकवलित हो गए या रजवाड़ों के पुस्तकालयों के किसी कोने में जीर्ण-शीर्ण अप्रस्था में पढ़े हुए होंगे। ऐसे कान्यों को न तो हम धीरगाथात्मक काव्य कह सकते हैं और न उनके रचयिताओं को धीरगाथाकार कह सकते हैं। ऐसे कवियों की रचनाओं में और सच्चे धीर कविताकारों में स्पष्ट भेद दिखाई पड़ता है। सच्चे धीरों की प्रशस्ति लिखनेवाले कवि सत्य का आश्रय लेते हैं, अतः उनकी रचनाएँ चिरकाल तक जनता की कंठहार बनी रहती हैं। उनमें समस्त जाति और समस्त देश का गौरव अंतर्निहित रहता है। उनका सार्वदेशिक प्रचार होता है और उनके निर्माता कवि यशस्वी तथा अमर हो जाते हैं। इसके विपरीत स्वार्थलोभुप खुशामदी कवियों की कृतियों में शन्द-चारुर्य की सहायता से कुछ काव्यगुण भले ही आ जायें, पर उनका बहुत शीघ्र लोप हो जाता है। मिथ्या स्तुति पर अवलंबित होने के कारण ये देखे ही दिनों में वे रचनाएँ आलमार्तियों से बाहर निकलने के योग्य नहीं रह जातीं; क्योंकि मानव-प्रकृति सत्य को प्रहण करती और असत्य से घृणा करती है। महाराणा प्रतापसिंह जैसे सच्चे धीर का सम्मान उस समय देश न कर सका, उनकी एक भी उल्लेखनीय गाथा नहीं लिखी गई, एक यही बात पुकार पुकारकर कह रही है कि वह समय धीरगाथाओं का नहीं था, वह समय जाति के पतन का और खुशामदी कवियों की वासना-त्रुटि का था। मुगल दख्तरों में अनेक हिंदू कवि रहते थे और अपने आत्मदाताओं की स्तुति करने में ही अपने जीवन की सार्थकता समझते थे। जातीय जीवन की पूर्ण विस्मृति का यह एक श्रेष्ठ उदाहरण है। यह स्थिति औरंगजेब के समय तक रही। उसके उपरांत हवा घदली। औरंगजेब की प्रशंसा करनेवाले किसी प्रसिद्ध हिंदू कवि का पता आज नहीं लगता, यद्यपि कुछ कवि उसके दरवार में रहते श्रवश्य थे। इसका कारण यही है कि हिंदुओं में राष्ट्रीय चेतना का प्रादुर्भाव हो रहा था और मुगल शासन की ओर से धीरे धीरे आकर्षण हटता जा रहा था, चकाचौंध दूर हो रही थी और इसी के आगे से भोह तथा अश्वान का परदा धीरे धीरे उठ रहा था।

जब हम द्वितीय उत्थानकाल की धीर गाथाओं की तुलना आदि युग की धीर रचनाओं से करते हैं, तब उनमें कुछ यातों में समता और कुछ में विभेद दिखाई पड़ता है। इस समता और विभेद पर ध्यान देना अत्यावश्यक है; क्योंकि समता में तो हम धीरगाथाओं की सामान्य प्रवृत्ति देखते हैं और विभेद में विभिन्न कालों की परिस्थिति का विवरण पाते हैं। दोनों कालों की धीरगाथाएँ अद्भुत ओज से भरी हुई हैं।

दोनों की भाषा में जो कठोरता है, वह वीरकाव्योचित है। इस साधारण समता के अतिरिक्त कई दृष्टियों से दोनों कालों की रचनाओं में विभेद भी है। पहला विभेद भाषा संवंधी है। आदि युग की वीरभाषाएँ अपम्बंश-भाषाओं और पुरानी हिंदी के सम्मिश्रण-काल की हैं। उस समय हिंदी का कोई स्थिर रूप निश्चित नहीं हो सका था, अतः उस काल की रचनाओं में भाषा की प्रौढ़ता कहीं देख नहीं पड़ती। दूसरी बात यह भी है कि प्रारंभिक काल की वीर रचनाओं का केंद्र राजपूताने के आस पास का प्रांत था, अतः उन रचनाओं में वहाँ की भाषा की गहरी छाप पड़ी है। इसके विपरीत द्वितीय उत्थान काल की वीरभाषाओं में साहित्यिक व्रजभाषा अपने प्रौढ़ रूप में प्रयुक्त हुई है। एक प्रौढ़ भाषा के प्रतिष्ठित हो जाने के कारण, अथवा अन्य किसी कारण से उत्तरकालीन वीरभाषाओं को हम यह तो प्रबंधकाल्य के रूप में देखते हैं या सुगठित मुक्तकों के रूप में देखते हैं। इस काल में हम आदि युग के से वीर गीतों का आभाव पाते हैं।

इस समता और विभेद के साथ हम सामूहिक रूप से दोनों कालों की वीरभाषाओं का चित्र थोड़ा बहुत देख सकते हैं, परंतु फिर्यों की धैर्यक्तिक विशेषताओं का पता नहीं लगा सकते। वीरभाषा काल के प्रायः सभी कवि राजाश्रित थे और अपने अपने वीर आश्रयदाताओं की सुन्ति में काव्य-रचना करते थे। यद्यपि उनके आश्रयदाताओं में अधिकांश सच्चे वीर थे और उन्होंने जातीयता की भावना से प्रेरित होकर मुसलमानों से लोहा लिया था, परंतु राजपूत नुपति आपस में भी लड़ा करते थे और उनकी शक्ति गृह-कलह में भी तीख होती रहती थी। उनमें संघटित होकर मुसलमानों से युद्ध करने की इच्छा उतनी अधिक घलघती नहीं थी जितनी अलग अलग शौर्य प्रदर्शन की थी। अतः हमें उनके प्रयासों में समस्त राष्ट्र के प्रयास नहीं मिलते। इसी प्रकार उनकी प्रशंसा करनेवाले कवियों में जातीय या राष्ट्रीय भावना को प्रधानता नहीं देख पड़ती। इस दृष्टि से हम उत्तरकालीन वीर कविताकार “भूरण” को अन्य सब कवियों से विभिन्न श्रेणी में पाते हैं। उसकी कृतियों में जातीयता की भावना सर्वत्र व्याप्त मिलती है, उसकी वाणी हिंदू जाति की वाणी है, वह हिंदुओं का प्रतिनिधि कवि है।

औरंगजेब के धार्मिक कट्टरपन के कारण जब हिंदू जाति का अस्तित्व ही संकटप्रभ नहीं गया, तब आत्मरक्षा और प्रतिकार की प्रेरणा से महाराष्ट्र शक्ति का अभ्युदय हुआ। इस शक्ति को संघटित करनेवाले छत्रपति शिवाजी हुए जिनके मार्ग-प्रदर्शन का कार्य समर्थ गुरु

रामदास ने किया था। शिवाजी के अतिरिक्त छुँदेलंखंड के प्रसिद्ध अधिषंथि छुव्रसाल ने भी स्थानीय राजपूत शक्ति को उत्तेजित करने का सफल प्रयास किया था। इस प्रकार महाराष्ट्र और मध्यदेश की शक्ति का जो उत्थान हुआ, उसमें राष्ट्रीयता की पूरी पूरी मालक दिखाई पड़ी। संयोग से इन दोनों राष्ट्रोन्नायकों को भूपण तथा लाल जैसे सुकवियों का सहयोग भी प्राप्त हुआ, जिससे शक्ति-संघटन में बड़ी सहायता मिली। जातियों के उत्थान में जब कभी गहात्माओं, योद्धाओं तथा कवियों की समिलित सहायता मिलती है, तब वह वहाँ ही सौभाग्य की सूचना होती है और उससे उनके कल्याण का पथ बहुत कुछ निश्चित और निर्धारित हो जाता है। इसी काल में सिखों की बीरता का भी उदय हुआ और उन्होंने राष्ट्रहित की साधना में पूरा पूरा सहयोग दिया। पर सिख धर्म का आरंभ संतों की वाणी तथा उन्हों की प्रवृत्ति और प्रकृति के अनुकूल हुआ था। पीछे से समय की स्थिति ने इस धर्म पर ऐसा प्रभाव डाला कि वह संत-साधुओं के धर्म का धाना उतारकर बीरों की वेपभूषा तथा कृतियों से सुसज्जित और अलंकृत हो गया। यद्यपि गुरु गोविंदसिंह के समय में हिंदी काव्यों की रचना हुई पर वे बीर-गाथात्मक नहीं थे वरन् उस समय के साहित्य की प्रगति के अनुकूल थे।

भूपण और लाल की रचनाओं पर विचार करते हुए हमें यह भूल न जाना चाहिए कि इनका आविर्भाव उस काल में हुआ था जिस काल में रीति-ग्रंथों की परंपरा ही सर्वत्र देख पड़ती थी। नायिका-भेद की पुस्तकों, नखशिख-रण्णनों और शृंगाररस के फुटकर पद्धों का जो प्रबल प्रवाह उस समय चला था, उससे बचकर रहना तत्कालीन किसी कवि के लिये घड़ा ही कठिन था। भूपण और लाल भी उस सर्वतो-मुखी प्रवाह से एकदम बचे न रह सके। यद्यपि भूपण की सभी रचनाएँ ग्रायः बीररस की हैं परंतु उन्होंने अपने शिवराजभूपण नामक ग्रंथ में उन रचनाओं को विविध अलंकारों आदि के उदाहरण-स्वरूप रखा है। यह काल-दोष था। उस समय इससे बच सकना असंभव था। इसी प्रकार लाल कवि ने भी यद्यपि बीर ब्रत धारण किया था, तथापि विष्णुविलास नामक नायिका-भेद की एक पुस्तक उन्होंने लिख ही डाली। कविवर लाल के छुव्रप्रकाश नामक ग्रंथ में प्रसिद्ध छुव्रसाल की बीरगाथा अंकित है, और प्रबंधकाव्य के रूप में होते हुए भी उसकी रचना अत्यंत प्रौढ़ और मार्मिक हुई है। महाकवि भूपण की ही भाँति कविवर लाल के इस ग्रंथ में जातीयता की भावना मिलती है और उनकी इस रचना में शृंगाररस नहीं आने पाया है।

बीरगाथाओं के इस युग के दो प्रधान कवि भूपण और लाल ही माने जाते हैं; परंतु सूदन के सुजानचरित्र में भी बीररस की अच्छी भलक मिलती है। सूदन ने अपने आश्रयदाता सूरजमल का चरित्र फड़कती हुई भाषा में लिखा है। सूरजमल ने संवत् १८०२ के लगभग मेवाड़ जीता था और १८०४ में तत्कालीन जयपुर-नरेश की सहायता से मराठों पर विजय पाई थी। यही नहीं, उसने दिल्ली के मुगल सम्राट् से भी युद्ध किया था और कई बार उसने मुगल सरदारों को पराजित किया था। सूरजमल के इसी बीरचरित का वर्णन सुजानचरित्र में मिलता है। यद्यपि इस पुस्तक में बीररस का अच्छा परिपाक हुआ है, पर इसके मूल में जातीयता की वह चेतना नहीं देख पड़ती जो भूपण और लाल की 'रचनाओं' में मिलती है। यद्यपि इसका नायक सूरजमल ऐतिहासिक व्यक्ति है, पर राष्ट्रोन्नति के कार्य में उससे कोई विशेष सहायता नहीं मिली थी। इसी प्रकार प्रसिद्ध श्रुंगारी कवि पद्माकर की हिम्मतवहादुर-चिरदावली नामक बीर रस की प्रसिद्ध पुस्तक भी इसी काल में लिखी गई थी; पर उसके नायक हिम्मतवहादुर नामक व्यक्ति अवध के तत्कालीन बादशाह के यहाँ नौकर थे और उनका कुछ भी ऐतिहासिक महस्त्र नहीं है। चंद्रशेखर घाजपेयी नामक कवि ने संवत् १८१० के लगभग हम्मीरहठ नामक एक बीरगाथा लिखी और वह अवश्य उल्लेखनीय है। उसके नायक हम्मीरदेव प्रसिद्ध त्रिविय नृपति ये जिन्होंने कितनी ही बार मुसलिम शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया था और जो हिंदुत्व की रक्षा में जी-जान से लगे रहते थे। हम्मीरहठ में यद्यपि उन नवीन उद्योगनाथों की कमी है जो प्रतिभाशाली कवियों की कृतियों में होती हैं, परंतु प्रौढ़ भाषा में लिखे हुए इस बीरकाव्य का महस्त्र अन्य दृष्टियों से बहुत अधिक है। "तिरिया तेल हम्मीरहठ चढ़ै न दूजी घार" वाली प्रसिद्ध पंक्ति के रचयिता चंद्रशेखर का हम्मीरहठ श्रवण्य इस युग की बीर-साधारणों में उच्च स्थान का अधिकारी है। इस काल में अनेक बीरगाथाएँ लिखी गई थीं, जिनमें से मुख्य मुख्य कृतियों का उल्लेख ऊपर कर दिया गया है। अन्य साधारण कृतियों का विवरण यहाँ नहीं दिया जा सकता। अंत में हम एक बार फिर यह कह देना आवश्यक समझते हैं कि इस युग के अनेक बीरगाथाकारों में भूपण और लाल ही सर्वश्रेष्ठ हैं।

महाकवि भूपण का रचनाकाल विक्रम की अठारहवीं शताब्दी का मध्य भाग माना जाता है। यद्यपि इनके जन्म और रचनाकाल के संबंध में कुछ लोगों ने अनुसंधान करने की चेष्टा की है, परंतु उनकी खोज

अभी तक पुष्ट प्रमाणों पर अवलंबित नहीं है। भूपण का मतिराम और चिंतामणि का भाई होना और उनका शिवाजी का समझालीन होना भूपण ' लोकप्रसिद्ध बात है। इसके विरुद्ध जो कुछ प्रमाण

दिए जायें जब तक वे असंदिग्ध न हों, तब तक इस लोक-प्रसिद्ध बात का तिरस्कार नहीं किया जा सकता। भूपण की धीर-दर्पणपूर्ण रचनाओं के देखने से पेसा जान पड़ता है कि वे स्पृयं अनेक युद्धों में शिवाजी के साथ उपस्थित थे और उन्होंने अपनी धारणी से धीर मराठों को प्रोत्साहित और उत्तेजित किया था।

यद्यपि भूपण की अनेक रचनाओं का उल्लेख मिलता है, पर इस समय शिवराजभूपण, शिवायावनी और छुन्नसालदशक ये ही तीन पुस्तकें प्राप्य हैं। इनमें से शिवराजभूपण सबसे बड़ा अंथ है और यह रीतिकाल की परंपरा के अनुसार अलंकारों के उदाहरण-क्रम से लिखा गया है। निश्चय ही इसके छुंदों की रचना भिन्न भिन्न कालों में हुई होगी, और अंत में उनका संकलन कर दिया होगा। इसी प्रकार शिवायावनी के बावजूद भी समय समय पर बनते रहे और यीछे से एकत्र कर दिए गए होंगे। छुन्नसालदशक में बुँदेलखंड के राजपूत अधिपति छुन्नसाल की प्रशंसा में बनाए हुए दस छुंद हैं।

यों तो भूपण की सभी रचनाएँ शोजस्त्रिनी और धीरदर्प से भरी हुई हैं, परंतु उनकी शिवायावनी में उपर्युक्त गुणों की पराकाष्ठा देख पड़ती है। भूपण की सत्यप्रियता उनकी रचनाओं में स्पष्ट दिखाई देती है। राष्ट्रीयता की जिस भावना से प्रेरित होकर उन्होंने धीर कविता की, वह तो उनके प्रत्येक छुंद में वर्तमान है। शिवाजी का आतंक चारों ओर फेलाने और चिपक्कियों में उनकी धाक जमाने में भूपण की कविता ने बड़ा काम किया। उनकी कविताएँ बहुत शीघ्र प्रचलित हुईं और उनका सम्मान भी सर्वेत्र हुआ। कविता द्वारा जितनी ख्याति, जितना सम्मान और जितना धन भूपण को मिला, उतना बहुत थोड़े कवियों को प्राप्त हुआ। राजदरवारों में उनका बड़ा सम्मान था। कहा जाता है, एक बार छुन्नसाल ने उनकी पालकी अपने कंधे पर रख ली थी। आदर-सम्मान की यह पराकाष्ठा ही कही जायगी।

मऊ (बुँदेलखंड) निवासी गोरेलाल पुरोहित उपनाम लाल कवि का छुन्नप्रकाश प्रबंधकाव्य के रूप में दोहा चौपाईयों में रचा गया है।

लाल

इसमें संवत् १७६४ के उपरांत की घटनाओं का

'उल्लेख नहीं है जिससे जान पड़ता है कि कवि की मृत्यु उसके आध्यदाता छुन्नसाल के जीवनकाल में ही हो गई थी।

इस प्रकार पूरी जीवन-शाथा न होते हुए भी घीर छुत्रसाल का यह चरित्र बड़ा ही उत्तम हुआ है। लंबे प्रबंधों में संबंध-निवार्ह और अरोचकता-निवारण आदि का जो 'च्यान' रखना आवश्यक होता है, इसमें उसका पूरा पूरा पालन हुआ है। रसपरिपाक में भी त्रुटि नहीं होने पाई है। घीर छुत्रसाल महाराज शिवाजी को अपना नेता और पथप्रदर्शक मानते थे। कवि ने उनके इस संबंध की रक्षा करके अपनी सत्यप्रियता का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उस राष्ट्रोत्थान में सहायता भी पहुँचाई है जिसका संचालन शिवाजी कर रहे थे। कवि की इस बात में बड़ी 'महत्ता' है क्योंकि उसमें जातीय उद्धायकों के प्रति पूर्ण सहानुभूति है, और वैयकिक ऊच नीच भाव को अलग रखने की दूरदर्शिता भी है। उस युग के किसी कवि में ऐसी तत्त्वग्राही प्रबृत्ति नहीं देख पड़ती।

भूपण और लाल दोनों ही कवियों में हम यह एक सामान्य प्रबृत्ति देखते हैं कि वे किलष्ट कल्पनाओं और देढ़ी बातों के फेर में न पड़कर सीधी और सरल भावव्यञ्जना करते हैं। उनका यह गुण उन्हें उस युग के ग्राम-सभी अन्य कवियों से अलग एक ऊँची ध्रेणी में ला बैठाता है। वास्तव में जो कवि जनता के हितेपी होते हैं और जिन्हें अपने युग का कुछ संदेश देना होता है वे कभी बाणी का इंद्रजाल नहीं रचते, प्रत्युत सरल से सरल शब्दों में अपना संदेश कह सुनाते हैं। रीतिकाल के कवियों की तो यह एक प्रसिद्ध विशेषता थी कि वे अत्यंत मधुर भाषा में पुरानी पिष्ठेपित बातों को एक नप ढंग से कह डालते थे। उन्हें मौलिक यहुत कम कहना रहता था; अतः सीधी और स्वभाविक उक्तियों से उनके कथन में विशेषता, नहीं आ सकती थी। भूपण और लाल की रचनाएँ रीतिकाल को सामान्य प्रबृत्ति के अपवाद-स्वरूप हैं। उनमें न तो भाषा की स्वच्छता पर और न काव्योत्कर्ष की वृद्धि करनेवाले अन्य कृतिम साधनों पर उतना ध्यान दिया गया है। इन दोनों कवियों ने यहै ही सीधे किंतु प्रभावशाली ढंग से अपने अपने चरित्रनायकों की यशोगाथा लिखी और राष्ट्र को इस प्रकार संघटन और स्वतंत्रता का दिव्य संदेश सुनाकर वे अपने युग के द्वारा हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हुए।

भारत पर ग्रिटिश शासन के प्रतिष्ठित हो जाने पर अँगरेजी की पढ़ाई प्रारंभ हुई। इसके परिणाम-स्वरूप अँगरेजी शिक्षा प्राप्त एक दल

आधुनिक समय की तैयार हुआ और धीरे धीरे उसमें राष्ट्रीय उद्धति के बीर कविताएँ भाव उद्दय हुए। राष्ट्रीय उद्धति की कल्पना सर्वतो-मुखी थी। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आदि प्रत्येक क्षेत्र में सुधार का आयोजन होने लगा। यद्यपि अन्य ग्रांतों

में भी शीघ्र ही राष्ट्रोन्नायकों का प्रादुर्भाव हुआ पर बंगाल के राजा राम-मोहन-राय ने पथप्रदर्शक का काम किया। हिंदी-भाषा-भाषी प्रांतों में स्वामी दयानंद का कार्य सर्वथा प्रशंसनीय था। उनके अन्य विचारों से चाहे कोई सहमत हो या न हो, पर इतना तो मानना ही पड़ता है कि सुपुष्प देश को जगाने श्रीर गिरी हुई दशा पर ध्यान दिलाने का उनका प्रयत्न हमारे लिये कल्पाणकर हुआ। स्वामी दयानंद श्रीगणेजी भाषा के विद्वान् नहीं थे; फिर भी उनमें देशोन्नति की उच्चाकांक्षा किसी श्रीगणेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति से कम नहीं थी; और उनका उद्योग तो सर्वाधिक सफल हुआ। हिंदी कविता के क्षेत्र में देशोन्नति संबंधी उत्साहवर्द्धक धीररसात्मक कविता का प्रारंभ स्वामी दयानंद के कुछ काल उपरांत हो गया था; पर धीररस का कोई प्रसिद्ध उल्लेखयोग्य कवि नहीं हुआ। इस काल में थोड़ी सी फुटकर रचनाओं में धीरता की अच्छी भलाक देख पड़ती है; पर किसी कवि को एकमात्र धीररस की कविता करने का थ्रेय नहीं दिया जा सकता। थोड़े समय पीछे महात्मा गांधी के देशव्यापी असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ और हिंदी को राष्ट्र-भाषा कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ। जब हिंदी राष्ट्रभाषा मानी गई, तब उसमें राष्ट्र के विचारों और आकांक्षाओं की छाप अवश्य मिलनी चाहिए। इधर थोड़े दिनों से हिंदी में धीर कविता भी प्रारंभ हुई है। ये कविताएँ या तो वर्तमान परिस्थिति में प्रोत्साहन के रूप में हैं, या प्राचीन धीरों की प्रशस्तियों के रूप में हैं। आधुनिक समय के धीर कविताकारों के संबंध में यह बात स्वीकार करनी पड़ती है कि उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो कविता लिखकर ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ बैठते हैं, वास्तविक कार्यक्षेत्र में साहसपूर्वक प्रवेश करने की प्रवृत्ति उनमें नहीं दिखाई पड़ती। आजकल ऐसे कवियों की एक श्रेणी यह गई है, जिन्हें हम साहिलियों की श्रेणी कह सकते हैं और जिनका राष्ट्र की वर्तमान कार्य-प्रणाली से केवल मौखिक संबंध है। धीर कवियों के लिये यह बात बांछनीय नहीं। उनकी कविताओं का विशेष प्रचार न होने का यही कारण है। जनता के हृदय में तो वे ही स्थान पा सकते हैं जो उसके सुख-दुःख के साथी हों, उसकी स्थिति अपनी आँखों से देखते और समझते हों। कविता द्वारा प्रोत्साहन देना तभी सार्थक हो सकता है जब कार्यक्षेत्र में आकर वास्तविक प्रोत्साहन भी दिया जाय। यूरोप के आधुनिक राष्ट्रोन्नायकों में महात्मा टाल्सटाय ऐसे महापुरुष हो गए हैं जिनकी घाणी और उपदेश स्वयं उन्हीं के कार्यों में चरितार्थ होते थे। वे जो कुछ कहते थे वही

करते भी थे। फलतः उनके देशनिवासियों ने उनकी कृतियों का सम्मान धार्मिक पुस्तकों का सा किया और वे स्वयं सबकी दृष्टि में पूजनीय हुए। हमको इस समय ऐसे ही कवियों की आवश्यकता है। हिंदी में अभी ऐसे कवि नहीं हैं। धीर-कविताकारों में उल्लेख योग्य नाम माखनलालजी चतुर्वेदी, थालकृष्णजी शर्मा, गयाप्रसादजी शुक्ल, अनूप, वियोगी हरि, माघव शुक्ल आदि के हैं। लाला भगवानदीन का धीर-पंचरत्न और वियोगी हरि की धीर-सतसई इस प्रकार के काव्यों की अवार्द्धनतम उत्तम कविताएँ हैं। इस प्रकार की आधुनिक रचनाओं का थोड़ा-यहुत प्रभाव राष्ट्रीय जीवन पर पड़ा है, पर अभी इस क्षेत्र में विशेष उन्नति की आवश्यकता है।

पाँचवाँ अध्याय

थैग-धारा

धीर काव्य के साथ ही साथ हसारे साहित्य के इतिहास में पक्धारा और घहती रही जिसका पाट आध्यात्मिकता के जल से भरा था।

धार्मिक लहर विदेशियों के भीषण आक्रमणों से भी भारतीय योगियों की शांति भंग नहीं हुई। उनके यम-नियम, आसन-प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारण और समाधि यिना किसी विज्ञ-व्याधा के चलते रहे। वाहरी दुनिया को छोड़कर ध्यानावस्थित होकर वे भीतरी दुनिया को देखते रहे। आत्मा की स्वतंत्रता के आगे देश की स्वतंत्रता का महत्त्व उनके मन में ऐठ नहीं सकता था। आत्मा को परतंत्रता में डालने के बहुत से उपादान उस समय की स्थिति में विद्यमान थे। सासारिक माया-मोह के धंधन से मुक्ति पाना स्वतः ही बहुत कठिन कार्य है, उस पर यदि स्वयं धर्म में उन उपायों को ग्रहण फरना विद्येय बताया जाय जो सामान्यतः माया-मोह के दृढ़ धंधन माने जाते हैं तो मुक्ति का प्रश्न उठ ही नहीं सकता। हिंदौ के उस आरंभिक युग में भारतीय धार्मिक स्थिति वस्तुतः ऐसी ही थी। बुद्ध के कट्टर विरक्ति-विधायक नियमों के प्रत्यावर्तन में वौद्धों ने अश्लील वातों को धर्म में ग्रहण

वज्रयान कर लिया। जिन वातों से बुद्ध भगवान् अपने

गिने चुने विरक्त अनुयायियों को बचाए रखना चाहते थे, उन्हीं को उनके अनुयायी धर्म समझकर करने लगे थे। मंत्र-यान के मार्ग से वौद्ध धर्म ने घह विरूप आळति धारण की जिसमें अकरणीय भी करणीय और निषिद्ध भी विद्येय ठहराया गया। यम-नियमादि का उल्लंघन किया जाने लगा। हिंसा, असत्य-भापण, मद्यपान, खियों से दुराचार आध्यात्म-सिद्धि के लिये आवश्यक उपादान समझे जाने लगे थे (गुहा समाज तंत्र, पृष्ठ १२०, गायकवाड़ ओरियन्टल सिरीज)। और तो और, साधन-मार्ग में माता, सास, वहिन, पुत्री आदि भी धर्जनीय नहीं समझी जाती थीं। दुराचारी राजा इस धर्म के प्रसार में सहायक हुए। मनुष्य की निम्न प्रष्टति को उभाड़नेवाला यह धर्म दावागित की तरह फैला। पाप को पुण्य का रूप देनेवाले इन 'सिद्धों' को जनसाधारण

की नजर में सिद्ध बनने के लिये योग की साधारण सी प्रक्रियाओं का ही जान लेना काफी था। यह धर्म वज्रयान कहलाया।

इस वज्रयानी 'सिद्धि' से जनता का उद्धार करना भारतीय आध्यात्मिक जीवन की सबसे यड़ी आवश्यकता थी। जान पड़ता है योगमार्ग कि वज्रयान की प्रतिक्रिया स्वरूप एक ऐसे आंदो-

लन ने जन्म लिया जिसने योग-सिद्धि के लिये खी को आवश्यक उपादान नहीं प्रत्युत परीक्षा का साधन बतलाया। मछुंदरनाथ योग को क्रियाओं में निषुणता प्राप्त कर अपनी 'सिद्धि' की पूर्णता के प्रदर्शन के उद्देश से सिहल की पश्चिनी खियों के धीच गण पर पूरे न उतरे। अपने गुरु की यिक्षा का पूर्ण प्रदर्शन गोरखनाथ के द्वारा संभव हुआ। गोरखनाथ ही ने भोगलिप्ता में पढ़े हुए अपने गुरु को इस मायिक निद्रा से उठाकर अपनी योगशक्ति को उद्बुद्ध किया। "जाग मछुंदर गोरख आया" एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है जो इसी घटना की ओर संकेत करती है। कैवल्य की प्राप्ति के उद्देश से साधना करनेवालों के लिये गोरख ने ऐसी जीवन-शैली का उपदेश दिया जिसमें योग की नेती, धोती, आसन, वंध, मुद्रा इत्यादि के साथ साथ विंदु-धारण का विशेष महत्त्व था। सामान्य जीवन-व्यवहार तथा रहन-सहन के लिये भी उन्होंने अपने अनुयायियों के लिये जो नियम बनाए उनमें विनम्रता और सौम्य तथा निष्काम भाव का विशेष महत्त्व रहता था। युक्तायुक्त विहार का गोरखनाथ को अत्यधिक ध्यान था। अध्यात्म-जगत् में असंयम और दुराचार के विरुद्ध उन्होंने जो धोर युद्ध छैड़ा वह उस भयंकर युद्ध से किसी दशा में कम नहीं था जो पश्चिमोत्तर प्रदेशों से चढ़कर आते हुए शत्रु-दलों को रोकने के लिये हिंदू नृपतियों को करना पड़ रहा था।

योगियों का यह संप्रदाय, जो महात्मा गोरखनाथ के गुरु मत्स्येन्द्रनाथ से आरंभ होकर फैला, हठयोगियों का संप्रदाय कहलाता है। यह हठयोग यथापि ग्राचीन शास्त्रों में प्रतिपादित योग-मार्ग से भिन्न नहीं है और मैत्रिक रूप से महात्मा पतंजलि के योग-शास्त्र के ही अंतर्गत है तथापि एक शास्त्र के रूप में इसका स्वतंत्र विकास भी सांप्रदायिक तथा ऐतिहासिक दोनों ही दृष्टियों से स्थीकार किया गया है। इस हठयोग के प्रवर्तकों ने ग्राम से ही हिंदी भाषा के तत्कालीन रूप को अपने मार्ग के विकास के लिये प्रयुक्त किया और उनकी परंपरा में भी हिंदी भाषा का त्याग नहीं किया गया। इस कारण हठयोग हिंदी का आश्रय लेकर अपनी स्वतंत्र सत्ता और भी अधिक प्रतिष्ठित कर सका।

योग-संबंधी अन्य संप्रदाय संस्कृत, पाली तथा प्राकृत आदि भाषाओं का आधार लेकर घड़े परंतु हठयोग की अभिव्यक्ति हिंदी भाषा द्वारा ही हुई।

यह हठयोग क्या वस्तु है और अन्य योग सिद्धांतों से किस प्रकार भिन्न है इसका भी संक्षिप्त परिचय पाठकों को प्राप्त कर लेना चाहिए। हठयोग धारतव में योग संबंधी साधना का पक व्यावहारिक मार्ग है। योग का अर्थ यद्यपि भिन्न भिन्न विद्वान् अपनी अपनी दृष्टि से करते हैं परंतु प्रायः सभी इस धारत में सहमत हैं कि मनुष्य की सांसारिक सत्ता और तत्संबंधी द्वैत भाव का खो जाना तथा उसे खोकर परमारम सत्ता या अद्वैत में युक्त हो जाना ही योग की व्यापक व्याख्या हो सकती है। जब तक मनुष्य संसार के कार्यों में लिप्त होकर जीवन का उच्च उद्देश नहीं समझता तब तक वह योगी नहीं कहा जा सकता। जब तक उसका मन और इन्द्रियों उसके वश में नहीं है तब तक मनुष्य के कार्य योग-सम्मत नहीं हो सकते। इसलिये महात्मा पतंजलि ने अपने सुप्रसिद्ध योगशास्त्र के आरंभ में ही योग की व्याख्या करते हुए चित्त-वृत्ति के निरोध अर्थात् मन, बुद्धि अथवा इन्द्रियों के संयमपूर्वक साधन को ही योग की संज्ञा दी है।

संसार की अनेक मुखी प्रवृत्तियों के अनुसार योग की भी अनेक शाखाओं का होना स्वाभाविक है परंतु उनके मूल में यह साम्य अथवा लक्ष्य अवश्य रहता है कि मनुष्य सांसारिक विकारों के वंधन से कूटकर निर्यथ हो जाय। जो मनुष्य प्रवृत्ति-प्रधान या कर्मी हैं उनके लिये कर्मयोग की व्यवस्था की गई है। संसार के कार्य करते हुए भी किस प्रकार उनसे अपनी आत्मा को स्वतंत्र रखा जाय और अंत में किस प्रकार कर्म-वंधन से विनिर्मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त करे यह इस कर्मयोग में उपदिष्ट है। इसी प्रकार जो भावना-प्रधान व्यक्ति हैं उनके लिये भक्ति-योग की व्यवस्था की गई है। ऐसी ही अनेक योग-शाखाएँ भारतवर्ष में प्रचलित हुईं तथा फलों-फलों। इन्हीं में पक हठयोग की शाखा भी है।

यह हठयोग एक प्रकार से योग-संबंधी निवृत्ति-प्रधान या संन्यास मार्ग है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, धौद्ध तांत्रिक मतों की बढ़ती हुई काम-प्रेरणा के विरुद्ध इसका आविर्भाव हुआ। अतः प्रतिक्रिया-स्वरूप पइसका निवृत्ति-प्रधान होना स्वाभाविक ही था। यह योग-मार्ग ब्रह्मचर्य या विंदुरक्षा का उत्कट उपदेश देता है और खी-संसर्ग को दूषित ठहराता है। योग की प्रक्रियाओं में हठयोगी जिन यम-नियम, प्राणायाम-प्रत्याहार आदि का उपदेश करते हैं उनमें खी-संग त्याग का

प्राधान्य है। एक प्रकार से उन्होंने काम-लिप्सा के आत्मतिक त्याग को ही अपने योग की कसौटी स्वीकार किया है। महात्मा गोरखनाथ के गुह मत्स्येन्द्रनाथ पूरे सिद्ध होते हुए भी सिंहल की कामिनियों से अपने योग की रक्षा न कर सके थे। यह उनकी श्रद्धा कही गई है।

परंतु नाथ-पंथ या हठयोगियों के कतिपय सांप्रदायिक ग्रंथों और वालियों के निरीक्षण से यह भी अनुमान किया जा सकता है कि उनकी निवृत्ति-मूलक साधना बहुत कुछ परिस्थितियों का ही परिणाम थी, एकांत मत न था। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि नाथ-मतावलंबियों ने सांसारिक योग-क्षेत्र का तिरस्कार नहीं किया चरन् अत्यधिक शारीरिक आयास या कष्ट-सहन को वे योग-मार्ग में अनावश्यक समझते थे। इस दृष्टि से हम उन्हें आत्मतिक प्रवृत्ति और निवृत्ति के मध्य-मार्ग का अवलंबन करनेवाले मान सकते हैं। तथापि परिस्थिति-वश उन्होंने निवृत्ति का अधिक उपदेश किया।

यद्यपि योग व्यक्तिगत साधना का मार्ग कहा गया है परंतु उसका यह अर्थ नहीं है कि संसार के कार्यों से अलग होकर घनों में जा रहना ही सच्चा या एक मात्र योग है। योग वास्तव में व्यक्तिगत साधना उसी अर्थ में है जिस अर्थ में सभी विद्याओं की साधना व्यक्तिगत होती है। अन्य सांसारिक विद्याओं की साधना और योग की साधना में अंतर यह है कि सांसारिक विद्याएँ अपना लक्ष्य संसार को ही मानती हैं परंतु योग-विद्या अपना लक्ष्य संसार से पृथक्, परमात्मा या अलौकिक सत्ता को मानती है। उस अलौकिक सत्ता की प्राप्ति के अनेक उपाय मारतीय शाखाओं में कहे गए हैं। वे सभी योग के अंतर्गत हैं। उन्हीं में एक हठयोग भी है।

हठयोग का अर्थ आप्रहपूर्वक अथवा अविचलित भाव से योग-मार्ग की साधना करना है। जिस विशेष प्रकार की योग-साधना का आप्रह हठयोगियों ने किया थही उस संप्रदाय की विशेषता स्वीकार की जा सकती है। चित्त को एकाग्र करना, विशिष्ट यम-नियमों का पालन करना, स्थिर आसन की साधना करना ये अंत्यत व्यापक शास्त्रीय प्रवचन हैं जो सभी योगों के लिये अनिवार्य हैं। हमें देखना यह चाहिए कि संप्रदाय ने किन आचरणों को अपने यहाँ प्रधानता दी है।

अत्यंत विपरीत प्रकार के आचरण भी भिन्न भिन्न योग-संप्रदायों में पाए जाते हैं और वे उन संप्रदायों से समर्थित भी हुए हैं। एक प्रकार से समस्त साधना अथवा संसार के सभी क्रिया-कलाप, जिनका लक्ष्य सांसारिक द्विविधाओं के ऊपर उठने का है, योग कहे जा सकते

हैं; परंतु उनका स्वरूप, उनकी प्रवृत्तियाँ आदि जानकर ही हम उनके संघर्ष में अपना मत निरूपित कर सकते हैं।

गुरु गोरखनाथ का यह हठ-वादी योग-संप्रदाय कवीर आदि परवर्ती साधकों के मार्ग से भिन्न है। इस योगाश्रयी शाखा तथा कवीर

योग-मार्ग और की शानाश्रयी शाखा में सबसे प्रधान अंतर यह है निर्गुण-मार्ग में भेद कि योग-मार्ग उपाय या आचरण यीं जीवन की साधना का मार्ग है जो उन साधनाओं को पार करतां हुआ अलौकिक सत्तां की ओर ले जाता है परंतु ज्ञानमार्ग योग की चरम-कोटि पर पहुँचकर ही प्रतिष्ठित होता है। जब योगी अपनी साधना के परिणाम-स्वरूप ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब योग की क्रिया छूट जाती है। कवीर ने स्थान स्थान पर योग या साधना की प्रशंसा की है परंतु जहाँ वे ज्ञानी की दृष्टि से देखते हैं वहाँ योग की निंदा भी करते हैं। इस योग की निंदा से उनके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो मिथ्या योगियों की प्रवर्चना से जनता को सावधान करना और दूसरे तात्त्विक रूप से भी योग या क्रिया मात्र का माध्यिक रूप सिद्ध करना। यद्यपि कवीर स्वयं अपने को योगी समझते थे तथापि ज्ञान के उच्च स्तर से वे योग की विगर्हणा भी करते थे।

यह तो हुई ज्ञानी कवीर की धारा। योग या साधना के मार्ग में भी उनकी प्रणाली हठयोगियों से भिन्न थी। हठयोग पूर्णतः भारतीय योग-पद्धति है। इसका संसर्ग मुसलमानी अथवा सूफी योग की प्रक्रियाओं से एकदम् नहीं है। कवीर तथा उनके अनुयायियों पर सूफी प्रेम-वाद तथा इस्लामी एकेश्वरवाद की जो छाप दिखाई देती है वह नाथ-संप्रदाय में नाम को भी नहीं है। इसके अतिरिक्त कवीर का जितना अधिक संसर्ग वैष्णव संप्रदाय तथा भक्ति की आवेगपूर्ण धारा से था उतना इन साधुओं का नहीं था। वैष्णव मत का यह भक्ति-प्रवाह अपने साथ सरल और सात्त्विक जीवन के तथ्यों को लेकर तो आया ही था, साथ ही वह सांख्य और वेदांत शास्त्रों की दार्शनिक दिव्यता भी दिखा रहा था। इससे भी कवीर ने यथेष्ट लाभ उठाया और अपने उद्गारों को अधिक दार्शनिक तथा व्यापक स्वरूप देने में समर्थ हुआ। गोरखनाथ आदि का योग-संप्रदाय इस व्यापक क्षेत्र में प्रवेश न कर सका। इसलिये इन योग-मार्गियों की चर्चा इस पुस्तक के एक स्वतंत्र प्रकरण में करना अनुचित न होगा तथापि कवीर के 'निर्गुण' मत की इस नाथ-संप्रदाय के योग-मार्ग से एकदम् भिन्नता ही नहीं है, जैसा कि हम आगे देखेंगे, दोनों में पारस्परिक सामरस्य भी है। दोनों ही सांसार-त्यागी

संन्यास-मार्ग की साधना की शिक्षा देते हैं। अहिंसा और स्वच्छाचरण का पाठ दोनों ही पढ़ाते हैं। योगांगों के निरूपण में गोरखनाथ प्रभृति हठयोगी प्राणायाम की पद्धति को प्रसुख स्थान देते हैं। शास्त्रों के अवण-कीर्तन के द्वारा प्राप्त होनेवाले वैराग्य का अधिक उल्लेख नहीं करते। इससे स्पष्ट है कि इस हठयोगी नाथ-संप्रदाय के अनुयायी शास्त्र और पंडित न होकर साधक ही अधिक हुए। जड़ी-बूटी और मंत्रों का भी अभ्यास इसमें किया गया है परंतु एक ओर जहाँ इस या श्रोपधि को ही मुक्ति का हेतु माननेवाले 'रसेश्वर-संप्रदाय' से यह हठयोग भिन्न है वहाँ संसार के व्यापक और सार्वजनीन जीवन से निवृत्ति पाकर तटस्थ हो जाने से भी यह कुछ दूर ही रहा। इस दृष्टि से भी हठयोग मध्यमार्ग ही उत्तरता है। कवीर के संप्रदाय में जड़ी-बूटी और मंत्र-नृत्र का प्रवेश उनके जीवन-काल में संभवतः नहीं हुआ था, यद्यपि पीछे से कुछ ग्रहण अवश्य किया गया।

गुरु गोरखनाथ ने हिंदी के ही द्वारा अपने योग-मार्ग के प्रसार का अनुष्ठान किया। उनके दिल की मस्ती सीधे गानों के रूप में व्यक्त हुई जिनमें कैवल्यानुभूति के आनंदोद्देश के साथ साथ उन उपायों तथा क्रियाओं की भी महिमा गाई जिनके द्वारा उसकी प्राप्ति संभव हुई थी।

गोरखनाथ अपने दंग के एक ही कविता नहीं हुए हैं। उनके साथ हिंदी साहित्य को एक धारा-विशेष का जन्म होता है जो लगातार

योग-धारा शताब्दियों तक चलती चली और संभवतः अब भी रुकी नहीं है। इस धारा का पूर्ण दर्शन कराने का श्रेय मेरे शिष्य डा० पीतांवरदत्त यड्ढवाल को है जो गोरखनाथ का समय विकास के न्यारहवें शतक में मानते हैं। श्री राहुल सांकृत्यायन तथा श्री काशीप्रसाद जायसवाल का मत है कि योग की यह धारा हिंदी-काव्यतंत्र में गोरखनाथ के काल के पहले ही से बहती चली आ रही है। वे सरह-पा अर्थात् सरोज-वज्र से इस धारा का आरंभ मानते हैं जिनका समय विक्रमाद के आसपास माना जाता है। परंतु मैं समझता हूँ कि ऐसा करने से ये हिंदी के क्षेत्र को छोड़कर अपन्नंश के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। उनकी रचनाओं में से चुन चुनकर जैसे उदाहरण दिए गए हैं वैसे अंश उनकी कविताओं में अधिक नहीं हैं। इसमें संदेह नहीं है कि हिंदी के चर्नमान रूपों का बनना उस समय आरंभ हो गया था, परंतु इतने ही के आधार पर हम उनकी रचनाओं को हिंदी की नहीं मान सकते। यदि अपन्नंश और हिंदी में भेद ही न मानें तो वात दूसरी है। परंतु भाषा-विकास के इतिहास में अलग अलग अवस्थाओं के अलग अलग नामकरण हुए

हैं जिनकी मर्यादा की रक्षा, विचारों के सौकर्य तथा स्पष्टता के लिये आवश्यक है। अतएव गोरखनाथ ही से हम हिंदी की योग-धारा का आरंभ मानने को धार्य हैं।

नागरी-प्रचारिणी सभा की रिपोर्ट में उस समय तक प्राप्त तथ्यों के आधार पर गोरखनाथ का समय विकल्प की पंद्रहवीं शताब्दी माना गया है। डाक्टर शहीदुल्ला उनका समय आठवीं शताब्दी मानते हैं और डाक्टर फरुद्दीन घरद्वार्ही शताब्दी। परंतु उपलब्ध प्रमाणों को देखते हुए उनका समय चारहवीं शताब्दी का मध्यमांग मानना उचित जान पड़ता है। गोरखनाथ ऐसे समय में हुए थे जब कि शंकराचार्य का अद्वैतमत यहुत कुछ प्रचार पा चुका था। शंकराचार्य का समय ८४५ से १४७ तक माना जाता है। अतएव गोरखनाथ को उनसे सौ डेढ़ सौ वर्ष बाद का मानना अनुचित नहीं। गोरखनाथ के उपलब्ध ग्रंथों की भाषा भी इसी मत की पुष्टि करती है। वह न इतनी अर्धाचीन है कि पंद्रहवीं शताब्दी में रखी जा सके और न इतनी प्राचीन कि आठवीं शताब्दी में पहुँच जाय।

गोरखनाथ के गुरु मछुंदरनाथ ने भी हिंदी में कविता की या नहीं इसका कुछ पता नहीं। मछुंदरनाथ आसाम के रहनेवाले मछुए पुष्टि करते थे। मछुली-मारकर अपना निर्वाह करते थे।

मछुंदर और गोरख अभ्यास से ये वडे प्रसिद्ध योगी हुए और गोरखनाथ सद्या शिष्य को पाकर यश के भागी भी हुए। 'मछुंदर गोरखबोध' नाम के एक ग्रंथ में मछुंदर और गोरखनाथ का संबंध दिया हुआ है। गोरखनाथ प्रश्न करते हैं 'और मछुंदर उसका उत्तर देते हुए योग का उपदेश देते हैं। यह ग्रंथ भी मछुंदर का न होकर, गोरखनाथ का वतलाया जाता है। मीननाथ के नाम से संस्कृत के कुछ ग्रंथों का उल्लेख 'केटेलोगस केटेलोगोरम' में किया गया है; परंतु ये भी मछुंदरनाथ के हैं या नहीं, नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जहाँ कुछ लोग मीननाथ और मछुंदरनाथ को एक मानते हैं, वहाँ कुछ ऐसे भी हैं जो उन्हें अलग अलग मानते हैं और उनके धीर में भाई भाई अथवा पिता-पुत्र का संबंध स्थापित करते हैं। मछुंदरनाथ नैपाल में अधिदेवता के रूप में पूजे जाते हैं। स्वयं गोरखनाथ ने हिंदी में कई ग्रंथों की रचना की। सबदी पद, अभैयात्रा जोग, संख्या दर्शन, प्राण संकली, आत्मबोध, मर्द्दीद्र गोरखबोध, जाती भौरांवली, गोरख-गणेश-संबाद, गोरखदत्त-संबाद, सिद्धांत जोग, ज्ञानतिष्ठक, कंयड़बोध उनके ग्रंथ माने जाते हैं जिनमें कुछ तो—गोरख गणेश संबाद, गोरखदत्त-संबाद तथा कंयड़बोध—स्पष्ट ही उनके नहीं जान पड़ते।

गोरखनाथ की रचनाओं में ससिहट, महियल, पथाल, अजराचर आदि शब्द उनकी प्राचीनता के द्योतक हैं। इनकी भाषा में कई प्रांतों का प्रभाव दिखलाई देता है। 'पायल नी डीवी सुन्न चढ़ाई' में 'नी' गुजराती का है। 'सर्वे कमाई ऐर्से गुरु याघनी चै बोलै' में 'चै' मराठी का है। इसके अतिरिक्त राजस्थानीपन उसमें सर्वत्र दिसलाई देता है। 'पवन गोटिका रहणि अकास' की 'रहणि' में का 'णि' उसी का द्योतक है। बोलिया, चलिया, रुहिया, करिया, राजस्थानीपन और प्राचीनता देनें के द्योतक हैं:—

हवकि न बोलिया, ठबकि न चलिया धीरे धरिया पावँ ।

गरन न करिया, सहजैं रहिना, भणत गोरस रावँ ॥

इसका कारण यह जान पड़ता है कि योगियों को नित्य भ्रमण करना पड़ता। था वे स्नेह-चंधन के डर से अधिक समय तक एक स्थान पर नहीं रहा करते थे। उन्हें प्रांत प्रांत में घूमना पड़ता था, जिसके फल-स्वरूप अन्य प्रांतों की भाषा का भी उनकी रचनाओं में अपने आप मिश्रण हो गया। यह भी संभव है कि यह प्रभाव गोरखनाथ के अनुयायी अन्य प्रांत के लेखकों की करतूत हो।

गोरखनाथ के ही समय में जालंधरनाथ, कणेरीपाव, चौरंगीनाथ तथा सिद्ध घोड़ाचोली आदिकों ने भी योग-काव्य की रचना की।

जालधर, कणेरी आदि चौरंगीनाथ और घोड़ाचोली गोरखनाथ के जालधर, कणेरी जालंधर का शिष्य था। जालंधरनाथ मछुंदरनाथ का गुरु-भाई और कणेरी जालंधर का शिष्य था। भोटिया परंपराओं में जालंधरनाथ को आदिनाथ की उपाधि दी गई है और वे गोरखनाथ के गुरु मछुंदरनाथ के गुरुभाई माने गए हैं। कहते हैं कि तंजूर में इनके मगही भाषा के सात ग्रंथ मिलते हैं।

कणेरी का असली नाम आर्यदेव था। ये विहार के रहनेवाले थे। भिजु होने के बाद कुछ समय तक नालंदा में भी रहे थे। ये नागार्जुन के शिष्य थे। हो सकता है कि मछुंदरनाथ से भी इन्होने उपदेश ग्रहण किया हो। इनकी एक कविता में ये 'आदिनाथ नाती मछिद्रनाथ पूता', कहे गए हैं। आजकल के सैंपरे इन्हों की शिष्य परंपरा में घतलाप जाते हैं।

समरह लहरया पार पाइए मनवानी लहरया पार न पाइए रे लो ।

आदिनाथ नाती मछिद्रनाथ पूता जती कणेरी हम बोल्या रे लो ॥

इन लोगों की कविता के संबंध में भी वही बातें कही जा सकती हैं जो गोरखनाथ की कविता के संबंध में ऊपर कही गई हैं। अन्य प्रांतीय भाषाओं के प्रयोग इत्यादि इनमें भी पाए जाते हैं।

चरपटनाथ—मराठी परंपराओं में चरपटनाथ गोरखनाथ के शिष्य (१) गहनीनाथ (१२८०—१३३०) के समकालीन तथा गुरुभाई माने गए हैं। गोरख शतक में वे मछुंदरनाथ के

चर्पट

शिष्य (१०५०) घतलाण गए हैं, और भाटिया

परंपराओं में मछुंदरनाथ के पिता भीननाथ के गुर और पाल राजा देवपाल (८६६—९०६ वि०) से पहले के। इनकी कविता की भाषा से इनको गहनीनाथ का समकालीन मानना ही उचित प्रतीत होता है। भोटिया परंपरा में ये चंपादेश के निवासी कहार माने गए हैं। परंतु भारतीय संत परंपरा में ये जाति के चारण कहे गए हैं।

इनकी कविता संस्कृत चर्पटमंजरी की ही तरह प्रांजल तथा मोहक है। पता नहीं कि उसके भी रचयिता यही है कि नहीं। जो लोग योग को भोग का आवरणमात्र बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं तथा भौज के लिये योग धारण करते हैं उनको इन्होंने आड़े हाथों लिया है। योग को ये पूर्ण संन्यास भूत मानते हैं।

चुणकरनाथ भी चरपट के ही समकालीन जान पड़ते हैं। उन्होंने योग मार्ग में सिद्धि प्राप्त करने के साधन स्वरूप प्राण-वायु की घड़ी महिमा गाई है।

बालानाथ और देवलनाथ की भी थोड़ी सी फुटकूर रचनाएँ मिलती हैं। इन्होंने योग-मार्ग में से पाखंड के निष्कासन का बड़ा प्रयत्न किया। इसी बात पर इन्होंने अपनी वाणी में जोर दिया है। वार्धक्य में इंद्रियों के थक जाने पर योग धारण करनेवालों की ये हँसी उड़ाते थे। ये दोनों भी तेरहवाँ अथवा चौदहवाँ शताब्दी के मालूम होते हैं। सोलहवाँ शताब्दी में जायसी ने बालानाथ के टीले का उल्लेख किया है।

सिद्ध धूधली और गरीबनाथ—इन गुरु-चेले का उल्लेख नेणसी ने लाखड़ी में धूधलाओं के राज्य के नए होने पर जाड़ेचा भीम के राज्य की स्थापना के संबंध में किया है। धूधा करन की मृत्यु का कारण गरीबनाथ का शाप घताया गया है, जो धीरोद में आथ्रम घनाकर रहता था। जाड़ेचा भीम की विजय का कारण धूधलीमल का आशीर्वाद कहा जाता है। भीम का १४४२ वि० में वर्तमान होना निश्चित है। इसी के आसपास इन दोनों गुरु-शिष्य का भी समय होना चाहिए।

पृथ्वीनाथ—पृथ्वीनाथजी उन योगियों में सबसे अंतिम हैं जिनकी वाणी प्रसिद्ध है। ये कवीर के पीछे हुए थे। इन्होंने कवीर 'पृथ्वीनाथ' के उपदेशों पर चलने का उपदेश दिया है। इससे स्पष्ट है कि ये कवीर के पीछे हुए थे।

कवीर का समय सोलहवीं शताब्दी है। अतएव पृथ्वीनाथजी का समय यदि सत्रहवीं शताब्दी मानें तो अनुचित न होगा। साध प्रकास जोग नाम का एक ग्रंथ इनका यनाया यताया जाता है। साधुओं की इन्होंने खूब महिमा गार्द है और योग की रहनि पर अच्छा प्रकाश डाला है।

पृथ्वीनाथजी के बाद योग काव्य की रचना बंद हो गई हो, सो धारत नहीं। परंतु हिंदी के आध्यात्मिक साहित्य-जगत् में उसकी वह प्रधानता न रही जो उस समय तक थी। पृथ्वीनाथजी के पहले ही कवीर ने आध्यात्मिक साहित्य की धारा को एक नया देश तथा रूप दे डाला था। यही नवीन रूप हिंदी साहित्य-जगत् में निर्गुण काव्य के नाम से प्रसिद्ध है। इन दोनों धाराओं में जो अंतर है वह हम ऊपर प्रदर्शित कर चुके हैं। योग की अनेक बातें निर्गुण काव्य में आ गई हैं। किंतु इसके साथ साथ वैष्णव संप्रदाय तथा सूफी विचार-प्रणाली से भी उसमें कुछ ग्रहण किया गया है। जिन लोगों का यह विचार है कि कवीर आदि संतों ने योग से घृणा दिखलाई है और उसका वहिष्कार किया है, उन्होंने संत-विचार-धारा का अच्छी तरह अध्ययन नहीं किया है। कवीरपंथ में स्वीकृत वे जनश्रुतियाँ, जिनके अनुसार कवीर और गोरखनाथ के बीच शाखार्थ हुआ था जिसमें गोरखनाथ की हार हुई थी, न ऐतिहासिक दृष्टि से सही हैं न तात्त्विक दृष्टि से। उनकी गढ़त सांप्रदायिक दंभ के कारण हुई जान पड़ती है। कवीर की निर्गुण शाखा धास्तव में योग का ही परिवर्तित रूप है जो सूफी, इस्लामी तथा वैष्णव मतों से भी प्रभायित हुई थी। कवीर ने 'वास्तव में योग का खंडन नहीं किया है।

छठा अध्याय

भक्तिकाल की ज्ञानाश्रयी शाखा

मध्यकालीन धार्मिक उत्थान के संवर्धन में लिखते हुए हम उस समय की राजनीतिक, सामाजिक आदि स्थितियों का पहले उल्लेख कर

भक्ति प्रवाह

चुके हैं, और यह भी बतला चुके हैं कि शंकर स्नामी के अद्वैतवाद को इने गिने चिंतनशील महात्माओं के ही उपयुक्त मानकर स्नामी रामानुज ने लोकोपयोगी भक्ति का आधिर्भाव किया था। साथ ही हम यह भी दिखला चुके हैं कि शंकराचार्य के अद्वैत मत और रामानुज के विशिष्टाद्वैत मत में कोई तात्त्विक अंतर नहीं है। रामानुज के उपरांत भक्ति का एक व्यापक आंदोलन उठ सड़ा हुआ जिसके मुख्य उद्घार्यकों में मध्वाचार्य, निंयार्काचार्य, वैतन्य, रामानंद, बल्लभाचार्य और विठ्ठलनाथ जैसे महात्मा हुए।

इनके स्तिर्ग्रथ सरस हृदय का अवर्लंबन पाकर भक्ति की एक प्रखर और पवित्र धारा वह चली। भक्ति की इस धारा में अनेक उपास्य देवों और उपासनामेदारों के रूप में अनेक स्रोतों का प्रादुर्भाव हुआ, परंतु मूल धारा में कुछ भी अंतर न पड़ा, वह एकरस घहती रही। विष्णु, गोपाल, कृष्ण, हरि, राम, घालकृष्ण आदि विभिन्न उपास्य देवों के सम्मिलित प्रभाव से भक्ति अधिकाधिक शक्तिसंपन्न होती गई, साथ ही जनता का विशेष मनोरंजन और दुःख निवारण भी होता गया। इन अनेक भक्ति-संप्रदायों का हमारे साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा, और वीरगाथा काल की एकांगिता दूर होकर हिंदी में एक प्रकार की व्यापकता और आध्यात्मिकता का समावेश हुआ। मध्य युग का हिंदी साहित्य हिंदी के इतिहास में तो उत्कृष्टता की दृष्टि से अतुलनीय है ही, उसकी तुलना संसार के अन्य ममृद्ध साहित्यों से भी भली भाँति की जा सकती है। हिंदी के इस उत्कर्पवर्द्धन में तत्कालीन भक्ति-अभ्युत्थान ने विशेष सहायता पहुँचाई थी।

तत्कालीन भक्ति-आंदोलन के साथ हिंदी साहित्य का तारतम्य हूँड़ लेना विशेष कठिन नहीं है। रामानुज और मध्वाचार्य का प्रचार-क्षेत्र अधिकतर दक्षिण में ही था, और उन्होंने संस्कृत भाषा में ही अपने

उपदेश दिए थे, अतः हिंदी साहित्य पर उनका कोई स्पष्ट और प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं देख पड़ता। - महात्मा नामदेव ने देशभाषा का आश्रय लिया था परंतु वे महाराष्ट्र प्रांत के निवासी थे, इसलिये हिंदी में उनकी यहुत शेडी घाणी मिलती है। हिंदी में वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि प्रसिद्ध मैथिल कोकिल विद्यापति हुए जिनकी रचनाएँ उत्कृष्ट कोटि की हुईं। परंतु जब महात्मा रामानंद ने भक्ति को लोकव्यापक बनाकर और जाति-पांति का भेद मिटाकर जनता की भाषा में श्रपने उपदेश दिए, तब हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि का विशेष अवसर प्राप्त हुआ और वडे वडे सहाकवियों के आविर्भाव से उसका उत्कर्ष साधन हुआ। महात्मा रामानंद की शिष्य-परंपरा में एक और तो कवीर हुए, जिन्होंने ज्ञानाश्रयी भक्ति का उपदेश देकर एक नवीन संप्रदाय खड़ा किया, और दूसरी और कुछ दिनों वाद महात्मा तुलसीदास हुए जिनकी दिव्यवाणी का हिंदी को स्वयंसे अधिक गर्व है। इसी समय भारतीय अद्वैतवाद तथा सूफी प्रेमवाद के सन्मिश्रण से हिंदी में कुतुबन, जायसी आदि प्रेमगाथकारों का भी आविर्भाव हुआ जिनकी रचनाओं से हिंदी साहित्य को कम लाभ नहीं पहुँचा। महात्मा बल्लभाचार्य और उनके पुत्र विठ्ठलनाथ की प्रेरणा से सूखदास आदि कृष्ण-भक्त कवियों का आविर्भाव भी इसी काल में हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक और तो कवीर आदि संत कवियों की परंपरा चली और दूसरी ओर महात्मा तुलसीदास की राम-भक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। साथ ही जायसी आदि की प्रेमगाथाएँ भी रची गईं और महाकवि सूखदास जैसे कृष्ण-भक्त कवियों का संप्रदाय भी चला। यद्यपि इस अध्याय में हम कवीर आदि संत कवियों की निर्गुण भक्तिपरंपरा का ही विवेचन करेंगे, पर इसके पहले हम संक्षेप में हिंदी के भक्तियुग के मुख्य मुख्य कवि-संप्रदायों और उनकी मुख्य मुख्य विशेषताओं पर विचार कर लेंगे।

काल की पूर्वापरता का ध्यान रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि विद्यापति ही हिंदी में भक्ति काव्य के प्रथम वडे कवि हैं। उनकी विद्यापति रचनाएँ राधा और कृष्ण के पवित्र प्रेम से ओत-प्रोत हैं जिनसे कवि की भावमन्त्रता का परिचय मिलता है। यद्यपि संयोग श्रृंगार का वर्णन करते हुए विद्यापति कहाँ कहाँ असंयत भी हो गए हैं, पर उनकी अधिकांश रचनाओं में भावधारा यहुत ही निर्मल और सरस हुई है। यह सब होते हुए भी विद्यापति के पांचे हिंदी में थोड़े दिनों तक कृष्णभक्ति की कविता नहीं हुई। हमारा अनुमान है कि उस समय विद्यापति की कविता का उच्चर भारत में

उतना प्रचार नहीं हुआ जितना वंगाल आदि में हुआ। उनको कविता से वंगाल के वैष्णव-भक्ति-श्राद्धोलन को यहुत कुछ सहायता पहुँची, पर हिंदी भाषा-भाषी ग्रांतों में उसका अधिक प्रचार उस समय नहीं हुआ। विद्यापति की भाषा में मैथिली का पुट यहुत गहरा चढ़ा हुआ है। इससे कुछ लोग हिंदी कवियों में उन्हें गिनने में आगा पीछा करते हैं। दूसरे लोगों का यह कहना है कि जब वीरगाथा काल के राजस्थानी कवियों को हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत मानते हैं, तब कोई कारण नहीं है कि विद्यापति की रचनाओं को भी हम हिंदी साहित्य में सम्मिलित न करें। भावों और विचारों की दृष्टि से तो विद्यापति की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत मानने में संकोच नहीं होना चाहिए, यद्यपि हिंदी भाषा के विकास का विवेचन करते समय मैथिली को उपभाषा मानने में संकोच हो सकता है। यह तो पूर्वी हिंदी का एक रूप है। वैगला भाषा से उसका जितना मेल है उसकी अपेक्षा कहीं अधिक हिंदी से उसका मेल है; और इसी लिये विद्यापति की रचनाओं के लिये वैगला साहित्य की अपेक्षा हिंदी साहित्य में कहीं अधिक उपयुक्त और न्यायसंगत स्थान है।

विद्यापति के उपरांत हिंदी में दूसरे बड़े भक्त कवि महात्मा कवीरदास हुए जिनकी उपासना निर्गुण उपासना थी और जिनकी

ज्ञानाथ्रयी संत प्रेरणा से हिंदी में ज्ञानाथ्रयी भक्त कवियों की एक

शाखा चल पड़ी। कवीर, नानक, दादू, जग-जीवन, सुंदर आदि इस शाखा के प्रधान कवि हुए थे। ये सब संत और गहात्मा थे। इन्होंने पारमार्थिक सच्चा की एकता निरूपित करके हिंदुओं और मुसलमानों के द्वेष भाव की निंदा की और दोनों में एकता स्थापित करने का उद्योग किया। ये संत सभी जातियों के थे और उनके उपदेशों में भी जाति-र्पाति के भेद मिटाकर “हरि को भजे सो हरि को हीर्इ” के आधार पर मानव भात्र की एकता स्थापित करने की चेष्टा की गई। अध्यात्म पत्र में तो इन संतों ने निर्गुण ब्रह्म को ही प्रहण किया, पर उपासना के लिये निर्गुण में भी गुणों का आरोप करना पड़ा। तात्त्विक दृष्टि से ऐसा करने में कोई हानि नहीं है। उपासना में निर्गुण की प्रतिष्ठा करके और देशों, पुराणों तथा कुरान आदि की निंदा करके मानो हिंदू और मुसलमानों में एकता-स्थापन का दोहरा प्रयत्न किया गया। इन संत कवियों ने लौकिक जीवन को भी अत्यंत सरल, निर्मल और स्वाभाविक बनाने के उपदेश दिए तथा सदाचार आदि पर विशेष जोर डाला। - इस सबका फल यह हुआ कि एक सामान्य भक्तिनार्ग

उठ खड़ा हुआ जिसका आधार परोक्ष सचा की एकता और लौकिक जीवन की सरलता हुआ। जनता इस ओर बहुत कुछ सिंची।

इन संत कवियों के संप्रदाय से भक्ति का जिस रूप में विकास हुआ, उससे लोकरंजन न हो सका। एक तो निर्गुण ब्रह्म स्वयं लोक-प्रेममार्गी-सत्त्ववहार से अलग था; तिस पर कवीर आदि की बाणी से उसमें और भी जटिलता सी आ गई। इन

संत कवियों में विधि-विरोध की जो धुन थी उससे भी उच्छ्वसलता ही फेली। सभ्य समाज वेदों और पुराणों की निंदा सुनने को तैयार नहीं था, संभवतः इसी लिये संतों को निम्न समाज में ही अपनी बाणी का विस्तार करना पड़ा। यह सब होते हुए भी हमको यह न भूल जाना चाहिए कि हमारे संत कवियों ने परमार्थ तत्त्व की एकता का प्रतिपादन करके और सरल तथा सदाचारपूर्ण सामाजिक जीवन की व्यवस्था देकर हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर किया और उनमें परस्पर हेल-मेल बढ़ाया। इन संत कवियों के ही सभ्य से हिंदी में सूफी कवियों की भी एक परंपरा चली जिसमें अधिकतर मुसलमान संत फवि ही सम्मिलित हुए। इन कवियों ने मारतीय अद्वैतवाद में प्रेम का संयोग करके बड़ी ही सुंदर और रहस्यमयी बाणी सुनाई। इस श्रेणी के कवियों ने अधिकतर प्रबंधकाच्चे के रूप में प्रेमगाथाएँ लिखी हैं। वे प्रेमगाथाएँ हिंदुओं से ही संबंध रखती हैं और पूरी सहानुभूति के साथ गाई गई हैं। व्यावहारिक जीवन में हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने में इन कवियों ने विशेष सहायता पहुँचाई। इनकी रचनाओं में मानव मात्र को स्पर्श करनेवाली, मानवमात्र से सहानुभूति रखनेवाली उदार भावनाएँ थीं, जिनसे तत्कालीन सामाजिक संसारेता बहुत कुछ कम हुई। कवीर आदि संत कवियों के शुष्क निर्गुण ब्रह्म को भी इन कवियों ने बहुत कुछ सरस बना दिया, यद्यपि वह सरसता बहुत कुछ अस्पष्ट और रहस्य-मूलक ही रही।

जहाँ एक ओर हिंदू और मुसलमान संतों तथा फकीरों की कृपा से हिंदुओं में नीच कहलानेवाली जातियों के प्रति उदारता बड़ी और

कृपणभक्त करि । मुसलमानों के प्रति द्वेष कम हुआ, चहाँ दूसरी ओर प्राचीन भक्ति-परंपरा का आश्रय लेकर कृपण-भक्ति और रामभक्ति का विकास भी उनमें हुआ। हम पहले ही कह चुके हैं कि महात्मा रामानंद ने “सीताराम” को अपना उपास्य देव माना था और अपनी अलग शिष्य-परंपरा चलाई थी, जिसमें रामो-पासना का ही आधय लिया जाता रहा। इसी प्रकार हम वज्ञभावाचार्य

की कृष्णभक्ति का भी ऊपर उल्लेख कर दुके हैं। वस्त्रभाचार्य के पुत्र और उत्तराधिकारी विठ्ठलनाथ हुप जिन्होंने चार अपने और चार अपने पिता के शिष्यों को लेकर उन पर कृष्णभक्ति की छाप लगा दी। यही हिंदी साहित्य के इतिहास में अष्टछापवाले कवि कहलाते हैं जिनमें से प्रधान कवि महात्मा सूरदास कहे जाते हैं। अष्टछाप के कवियों में यद्यपि कृष्ण की पूरी जीवनचर्या अंकित की है, पर प्रधानता उनके लोकरंजक वालस्वरूप की ही पाई जाती है। इसका कारण यह है कि स्वामी वस्त्रभाचार्य स्वयं कृष्ण के वालरूप के उपासक थे। भक्त कवियों ने कृष्ण का वह मधुर मनोरंजक स्वरूप हृदयंगम किया था जो वाल-लीलाएँ करनेवाला और गोपिकाओं को रिभाने-खिभानेवाला था। कृष्ण के उस स्वरूप की इन कवियों ने सर्वथा उपेत्ता की जिसका मनोरम चित्र महाभारत में उपस्थित किया गया है। कृष्ण के लोकरक्षक स्वरूप की जो अभिव्यक्ति पूतना-संहार, वकासुर-घध, कंस-नाश आदि में देख पड़ती है, उसकी और कृष्णभक्त कवियों का वहुत कम ध्यान गया, फलतः उसके वर्णन भी कम हैं और वे हैं भी नीरस, मानों कवियों की वृत्ति उनमें रमी ही न हो। इन कृष्णभक्त कवियों की कृपा से हिंदू जनता का अभूतपूर्व मनोरंजन हुआ, पर इनसे उसको तत्कालीन निराशा का पूरा पूरा परिहार न हो सका।

इसी समय मानों हिंदू जनता की निराशा का उन्मूलन करने तथा हिंदी कविता के उत्कर्ष को चरम सीमा तक पहुँचाने के लिये

रामभक्त कवि महात्मा रामानंद की शिष्यपरंपरा में महाकवि

गोस्वामी तुलसीदास का आविर्भाव हुआ। गोस्वामीजी राम-भक्त थे और उन्होंने अपने उपास्य देव श्रीराम को निस्सीम शील, सौंदर्य और शक्ति से संपन्न अंकित किया है। रामचरितमानस में श्रीरामचंद्र के इस स्वरूप के हमको पूरे घूरे दर्शन मिलते हैं, यद्यपि गोस्वामीजी की अन्य रचनाओं में भी राम की वही मूर्च्छा देख पड़ती है। लोकव्यवहार में राम को खड़ा करके और उनमें शक्ति, शील तथा सौंदर्य को चरम सीमा तक पहुँचाकर गोस्वामी तुलसीदास ने रामभक्ति को अत्यंत उदार तथा कल्याणकर और आकर्षक बना दिया। यदि वे चाहते तो कृष्णभक्त कवियों की भाँति राम की यालकीड़ाओं को ही प्रधानता देकर उन्हें केवल नेत्ररंजक बना सकते थे; पर गोस्वामीजी के उदार हृदय में जो लोक-भावना समाई हुई थी, उसकी अवहेलना वे कहीं तक कर सकते थे? राम के उत्पन्न होते ही “भए प्रकट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी” आदि फहकर गोस्वामीजी ने मानों

राम का लोकरंजक स्वरूप उनके लोकरक्तक तथा अनिष्टनाशक स्वरूप के पीछे रख दिया है। जो समालोचक गोस्त्वामीजी का यह भाव न समझकर उनको वर्णित राम की घाल-लीला की तुलना सूरदास आदि कवियों के घाल-लीला-वर्णन से करते हैं, वे गोस्त्वामीजी के साथ अन्यथा करते हैं। गोस्त्वामीजी लोक-धर्म के कट्टर समर्थक थे और उनके राम भी वैसे ही प्रदर्शित किए गए हैं। जनता इस नवीन भक्ति-मार्ग की ओर बड़ी उत्सुकता से खिंची और रामभक्त कवियों को परंपरा भी चली। परंतु यह कहना पड़ता है कि गोस्त्वामीजी ने अपनी श्रद्धभुत प्रतिभा से हिंदू जनता तथा हिंदी साहित्य में जो आलोक फैला दिया था, उसके कारण अन्य रामभक्त कवि चकाचौध में पड़ गए और जनता उन्हें बहुत कम देख और समझ सकी।

प्रसिद्ध वीरशिरोमणि हम्मीरदेव के पतन के उपरांत हिंदी साहित्य में वीरगाथाओं की रचना शिथिल पड़ गई थी। हिंदुओं की

कवीरआदि के आवि- सारी आशापैं मिट्ठी में मिल गई थीं, वे अपनी प्रशंसा सुनने का साहस भी नहीं कर सकते थे। भाव काल की परिस्थिति तैमूर के आक्रमण ने देश को जहाँ तहाँ उजाड़कर नैराश्य की चरम सीमा तक पहुँचा दिया। हिंदू जाति में से जीवन-शक्ति के सब लक्षण मिट गए। विपत्ति की सीमा पर पहुँचकर मनुष्य पहले तो परमात्मा की ओर ध्यान लगाता है, और अपने कष्टों से त्राण पाने की आशा करता है, पर जब स्थिति में सुधार नहीं होता तब परमात्मा की भी उपेक्षा करने लगता है—उसके अस्तित्व पर भी उसका विश्वास नहीं रह जाता। कवीर आदि संत कवियों के जन्म के संगम हिंदू जाति की यही दशा हो रही थी। वह समय और परिस्थिति अनी-श्वरवाद के लिये बहुत ही उपयुक्त थी। यदि उसकी लहर चल पड़ती तो उसका रुकना कदाचित् कठिन हो जाता। परंतु कवीर आदि ने यही कौशल से इस अवसर से लाभ उठाकर जनता को भक्तिमार्ग की ओर प्रवृत्त किया और भक्ति-भाव का प्रचार किया। ग्रन्थेक प्रकार की भक्ति के लिये जनता इस समय तैयार नहीं थी। मूर्तियों की अशक्तता विं सं० १०८१ में बड़ी स्पष्टता से घटक हो चुकी थी, जब कि महम्मद गजनवी ने श्रात्मरक्षा से विरत, हाथ पर हाथ रखे हुए धद्दालुओं के देखते देखते सोमनाथ का मंदिर नष्ट करके उनमें से हजारों को तलवार के धाट उतारा था और लूट में अपार धन प्राप्त किया था। गजेंद्र की एक ही टेर सुनकर दौड़ आनेवाले और ग्राह से उसकी रक्षा करनेवाले संगुण भगवान् जनता के धोर से धोर संकट-काल में भी उसकी रक्षा के लिये आते हुए न

दिखाई दिए। अतएव उनकी ओर जनता को सहसा प्रबृत्त कर सकना असंभव था। पंडरपुर के भक्तशिरोमणि नामदेव की सगुण भक्ति जनता को आकृष्ट न कर सकी। लोगों ने उसका वैसा अनुसरण न किया जैसा आगे चलकर कवीर आदि संत कवियों का किया और अंत में उन्हें भी ज्ञानाधित निर्गुणभक्ति की ओर झुकना पड़ा। उस समय परिस्थिति के बल निराकार और निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के ही अनुकूल थी, यद्यपि निर्गुण की शक्ति का भली भाँति अनुभव नहीं किया जा सकता था, उसका आभास मात्र मिल सकता था। पर प्रबल जलधारा में बहते हुए मनुष्य के लिये वह कूलस्थ मनुष्य या चट्टान किस काम की जो उसकी रक्षा के लिये तत्परता न दिखलावे? उसको ओर बहकर आता हुआ तिनका भी जीवन की आशा पुनरुद्धीर्षत कर देता है और उसी का सहारा पाने के लिये वह अनायास हाथ बढ़ा देता है। संत कवियों ने अपनी निर्गुण भक्ति के द्वारा भारतीय जनता के हृदय में यही आशा उत्पन्न की और उसे कुछ अधिक समय तक विपत्ति की इस अथाह जलराशि के ऊपर घने रहने की उत्तेजना दी, यद्यपि सहायता की आशा से आगे बढ़े हुए हाथ को धास्तविक सहारा सगुण भक्ति से ही मिला और केवल रामभक्ति ही उसे किनारे पर लगाकर सर्वथा निरापद कर सकी। पर इससे जनता पर होनेवाले कवीर, दादू, रैदास आदि संतों के उपकार का महत्त्व कम नहीं हो जाता। कवीर यदि जनता को भक्ति की ओर न प्रबृत्त करते तो क्या यह संभव था कि लोग इस प्रकार आँखें मूँद करके सूर और तुलसी को ग्रहण कर लेते? सारांश यह कि इन संत कवियों का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ जब मुसलमानों के अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनता को अपने जीवित रहने की इच्छा ही शेष थी। उसे मृत्यु या धर्मपरिवर्तन के अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं देख पड़ता था। यद्यपि धर्मशील तत्त्वज्ञों ने सगुण उपासना से आगे बढ़ते बढ़ते निर्गुण उपासना तक पहुँचने का सुगम मार्ग बतलाया है और धास्तव में यह तत्त्व युक्तिसंगत भी जान पड़ता है, पर उस समय जनता को सगुण उपासना की निस्सारता का परिचय मिल चुका था और उस पर से उसका विश्वास भी उठ चुका था। अतएव कवीर को अपनी व्यवस्था उलटनी पड़ी। मुसलमान भी निर्गुणोपासक थे। अतएव उनसे मिलते-जुलते पथ पर लगाकर कवीर आदि ने हिंदू जनता को संतोष और शांति प्रदान करने का उद्योग किया। यद्यपि इस उद्योग में उन्हें पूरी पूरी सफलता नहीं हुई, तथापि यह स्पष्ट है कि

कवीर के निर्गुणवाद ने तुलसी और सूर के सगुणवाद के लिये मार्ग प्रशस्त किया और उत्तरीय भारत के भावी धर्ममय जीवन के लिये उसे बहुत कुछ संस्कृत और परिष्कृत कर दिया।

जिस समय निर्गुण संत कवियों का आविर्भाव हुआ था, वह समय ही भक्ति की लहर का था। उस लहर को बढ़ाने के प्रबल कारण प्रस्तुत थे। भारत में मुसलमानों के आ यसने से परिस्थिति में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया था। हिंदू जनता को अपना नैराश्य दूर करने के लिये भक्ति का आश्रय ग्रहण करना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों ने हिंदू और मुसलमान दोनों खिंची जातियों को एक करने की आवश्यकता का भी अनुभव किया। इस अनुभव के मूल में एक ऐसे सामान्य भक्तिमार्ग का विकास गर्भित था जिसमें परमात्मा की एकता के आधार पर मनुष्यों की एकता का प्रतिपादन हो सकता और जिसके परिणाम-स्वरूप भारतीय घृण्यवाद तथा मुसलमानी खुदावाद की स्थूल समानता स्थापित हो सकती। भारतीय अद्वैतवाद और मुसलमानी एकेश्वरवाद के भेद की ओर ध्यान नहीं दिया गया और दोनों के विचित्र मिश्रण के रूप में निर्गुण भक्तिमार्ग चल पड़ा। रामानंद के बारह शिष्यों में से कुछ इस मार्ग के प्रवर्तन में प्रवृत्त हुए जिनमें से कवीर प्रमुख थे। शेष में सेना, पन्ना, भवानंद, पीपा और रैदास थे परंतु उनका उतना प्रभाव न पड़ा, जितना कवीर का।

मुसलमानों के आगमन से हिंदू समाज पर एक और प्रभाव पड़ा। पददलित शूद्रों की दृष्टि का उन्मेप हो गया। उन्होंने देखा कि मुसलमानों में द्विजों और शूद्रों का भेद नहीं है। सहधर्मी होने के कारण वे सब पक हैं, उनके व्यवसाय ने उनमें कोई भेद नहीं डाला है; न उनमें कोई छोटा है और न कोई बड़ा। अतएव इन लुकराए हुए शूद्रों में से कुछ ऐसे महात्मा निकले जिन्होंने मनुष्यों की एकता उद्योगित करने का विचार किया। इस नवोत्थित भक्ति-तरंग में सम्मिलित होने के कारण हिंदू समाज में प्रचलित भेद-भाव के विहङ्ग आंदोलन होने लगा। रामानंदजी ने सबके लिये भक्ति का मार्ग खोल दिया। नामदेव दरजी, रैदास चमाट, दादू धुनिया, कवीर जुलाहा आदि समाज की नीची श्रेणी के ही थे पर उनका नाम आज तक आदर से लिया जाता है।

इस निर्गुण भक्ति ने वर्णभेद से उत्पन्न उद्यता और नीचता को ही रामाजिक उदारता नहीं, वर्ग-भेद से उत्पन्न उद्यता-नीचता को भी दूर करने का प्रयत्न किया। खियों का पद खी होने के ही कारण नीचा न रह गया। पुरुषों के ही समान वे भी भक्ति की अधि-

कारिणी हुई। रामानंद के शिष्यों में से दो लियाँ थीं, एक पधावती और दूसरी सुरसरी। आगे चलकर सहजोवाई और दयावाई भी भक्त संतों में से हुई। वर्णात्रम की मर्यादा के पक्षपाती और घर की चहार-दीवारी में ही लियों को कैद रखनेवाले उच्च वर्गीय समाज के प्रतिनिधि तुलसीदासजी भी जो मीरावाई को “जिनके प्रिय न राम वैदेही। तजिए तिन्हें कोटि वैरी सम जयपि परम सनेही” का उपदेश दे सके, उसे निर्गुण भक्ति के ही अलच्छय और अनिवार्य प्रभाव का प्रसाद समझना चाहिए। ज्ञानी संतों ने खी की जो निंदा की है वह दूसरी ही दृष्टि से। वहाँ उनका अभिप्राय खी पुरुष के कामवासनापूर्ण संसर्ग से है। कवीर से यढ़कर कदाचित् ही और किसी ने खी की निंदा की हो, परंतु फिर भी उनकी पत्नी लोई का आजन्म उनके साथ रहना प्रसिद्ध है।

कवीर इस निर्गुण भक्तिप्रधाह के प्रवर्तक थे, परंतु भक्त नामदेव इनसे भी पहले हो गए थे। नामदेवजी जाति के दरजी थे और दक्षिण

धार्मिक सिद्धांत के सतारा जिले में नरसी घमनी नामक स्थान में है। ये उनके बड़े भक्त थे। पहले ये सगुणोपासक थे, परंतु आगे चल-कर इनका सुकाव निर्गुण भक्ति की ओर हो गया, जैसा कि इनके कुछ पदों से प्रकट होता है। कवीर के पीछे तो संतों की मानो वाढ़ सी आ गई और अनेक मत चल पड़े। पर सब पर कवीर का प्रभाव परिलक्षित होता है। नानक, दादू, शिवनारायण, जगजीवनदास आदि जितने प्रमुख संत हुए, सबने कवीर का अनुकरण किया और अपना अपना अलग मत चलाया। इनके विषय की मुख्य वातों ऊपर आ गई हैं, फिर भी कुछ वातों पर ध्यान दिलाना आवश्यक है। सबने नाम, शब्द, सद्गुरु आदि की महिमा गाई है और मूर्तिपूजा, अवतारवाद तथा कर्मकांड का विरोध किया है, तथा जाति-पाँति का भेद-भाव मिटाने का प्रयत्न किया है। परंतु हिंदू जीवन में व्याप्त सगुण भक्ति और कर्म-कांड के प्रभाव से इनके प्रवर्तित मतों के अनुयायियों द्वारा वे स्वयं परमात्मा के अवतार माने जाने लगे हैं, और उनके मतों में भी कर्मकांड का आड़वर भर गया है। कई मतों में केवल द्विज लिए जाते हैं। केवल नानकदेवजी का चलाया सिख संग्रहाय ही ऐसा है जिसमें जाति-पाँति का भेद नहीं आने पाया, परंतु उसमें भी कर्मकांड की प्रधानता हो गई है और अंथ साहव का प्रायः वैसा ही पूजन किया जाता है, जैसा मूर्तिपूजक मूर्ति का करते हैं। कवीर-पंथी मठों में भी कवीरदास

के मनगढ़त चित्र बनाकर उनकी पूजा होने लगी है और सुमिरनी आदि का प्रचार हो गया है।

यद्यपि आगे चलकर निर्गुण संत मतों का वैष्णव संप्रदायों से बहुत भेद हो गया, तथापि इसमें संदेह नहीं कि संतधारा का उद्गम भी वैष्णव भक्तिरूपी स्रोत से ही हुआ है। श्रीरामानुज ने संवत् ११४३ में यादवाचल पर नारायण की मूर्ति स्थापित करके दक्षिण में वैष्णव धर्म का प्रवाह चलाया था, पर उनकी भक्ति का आधार ज्ञानमार्ग अद्वैतवाद था। उनका अद्वैत, विशिष्टाद्वैत हुआ। गुजरात में मध्याचार्य ने द्वैतमूलक वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया। जो कुछ कहा जा चुका है, उससे पता चलेगा कि संतधारा अधिकतर ज्ञानमार्ग के ही मेल में रही। पर उधर यंगाल में महाप्रभु चैतन्यदेव और उचर भारत में वहुभाचार्यजी के प्रभाव से भक्ति के लिये परमात्मा के सगुण रूप की प्रतिष्ठा की गई, यद्यपि सिद्धांत रूप से ज्ञान-मार्ग का त्याग नहीं किया गया। और तो और, तुलसीदासजी तक ने ज्ञानमार्ग की घातों का निरूपण किया है, यद्यपि उन्होंने उन्हें गौण स्थान दिया है। संतों में भी कहों कहों अन्जान में सगुणवाद आ गया है, और विशेषकर कबीर में, क्योंकि गुणों का आश्रय लेकर ही भक्ति की जा सकती है। युद्ध ज्ञानाश्रयी उपनिषदों तक में उपासना के लिये ब्रह्म में गुणों का आरोप किया गया है। फिर भी तथ्य की घात यह जान पड़ती है कि जब वैष्णव संप्रदायों ने आगे चलकर व्यवहार में सगुण भक्ति का आश्रय लिया, तब भी संत मतों ने ज्ञानाश्रयी निर्गुण भक्ति से ही अपना संबंध रखा।

संत कवियों के धार्मिक सिद्धांतों और सामाजिक व्यवस्था के संबंध में उपर्युक्त घातों कहकर उनके व्यावहारिक सिद्धांतों पर भी ध्यान

व्यावहारिक सिद्धात देना आवश्यक है; क्योंकि इन कवियों ने इतने व्यावहारिक दृष्टिकोण से सरल सदाचारपूर्ण लौकिक जीवन का उपदेश दिया और स्वयं इतनी सद्बाई से उसका पालन किया कि जनता पर उन उपदेशों का विशेष प्रभान पड़ा और तत्कालीन सामाजिक दंभ बहुत कुछ कम हुआ। उन्होंने देखा कि लोग नाना प्रकार के श्रेष्ठविश्वासों में फँसकर हीन जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसी से उन्हें मुक्त करने का उन्होंने प्रयत्न किया। मुसलमानों के रोजा, नमाज, हज, ताजिएदारी और हिंदुओं के आद्ध, एकादशी, तीर्थव्रत, मंदिर सत्रमा उन्होंने विरोध किया। इस बाहरी आडंबर के लिये उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों को खूब फँटकार बतलाई। धर्म को वे आडंबर से परे एक मात्र सत्य सत्ता मानते थे जिसमें हिंदू मुसलमान आदि

विभाग नहीं हो सकते। उन्होंने किसी नामधारी धर्म के वर्धन में अपने आपको नहीं डाला और स्पष्ट शब्दों में संकीर्ण संप्रदायिकता का खंडन किया। पर साथ याकर हिंदुओं के पौराणिक विचारों का प्रभाव इन सब संत महात्माओं के संप्रदायों पर पड़ा। क्रमशः इन 'आचार्यों' के कलिपत या धास्तविक चिन्ह बनाए गए और विधिवत् उनकी पूजा अर्चा होने लगी, साथ ही सगुणोपासना के अन्य उपचारों—जैसे, माला, आसन, कमंडल आदि—का भी इन संप्रदायों में उपयोग होने लगा। सारांश यह कि हिंदू धर्म की जिन वातों का इन संत-संप्रदायों के 'आचार्यों' ने बड़ा तीव्र खंडन किया उन्हें ही पीछे से उनके अनुयायियों ने ग्रहण किया और उन्हें भिन्न भिन्न संप्रदायों के अंग के रूप में प्रतिष्ठित किया।

क्रमशः कवीर, दादू आदि संतों के अनेक संप्रदाय चल पड़े जिनमें धार्मिक संकीर्णता का पूरा पूरा ग्रन्थ हुआ। यद्यपि संत श्रलोकापयोगी प्रवृत्ति कवियों के उपदेशों में वडी उदारता और तात्त्विक व्यापकता है, परंतु उनके अनुयायियों की दृष्टि उसे ग्रहण नहीं कर सकी। इसमें आश्चर्य की कोई घात नहीं है। इन महात्माओं की वाणी में वैयक्तिक साधना के उपयुक्त ऊँचे से ऊँचे सिद्धांत हैं, पर वैयक्तिक साधना के उपयुक्त होने के कारण ही वे लोक-वाह्य भी हैं। सामान्य सामाजिक व्यवस्था में जो ऊँच नीच के भेद होते हैं, उसमें जो अनेक विधि-निषेध रखे जाते हैं, उनसे समाज के संचालन में सहायता ही नहीं मिलती, राष्ट्रीय विकास के लिये भी वे परमोपयोगी हैं। उनका समुचित पालन न होने से समाज में उच्छृङ्खलता फैल जाती है जिससे उसका हास होता है। संत कवियों की वाणी में लोकभावना पर उतनी दृष्टि नहीं रखी गई है जितनी व्यक्तिगत विकास पर। परंतु व्यक्तिगत विकास का धास्तविक आशय योड़े से लोग ही समझ सकते हैं, सारा समाज उसका अधिकारी नहीं होता। भक्त संतों के उपदेशों से अनुचित लाभ उठाकर "हरि को भजे सो हरि का होई" के सिद्धांत को साधारण सामाजिक जीवन में व्यवहृत करने की चेष्टा की जाने लगी जिससे कोई शुभ परिणाम नहीं निकल सका। गोस्वामी तुलसीदास ने इस प्रकार की चेष्टाओं का तीव्र प्रतिवाद किया था।

इन संत कवियों की उपासना निराकारोपासना थी; अतएव उनकी वाणी में अपने उपास्य के प्रति जो संकेत मिलते हैं, वे केवल आमास के रूप में हैं और रहस्यात्मक हैं। जब भक्ति का आलंबन

व्यक्त होता है, तब तो भक्त की वाणी स्वभावनः स्पष्ट और निश्चित होती है, परंतु जब भक्त चित्तन के क्षेत्र में प्रवेश करके आकार का परित्याग कर अगोचर की ओर अग्रसर होता है तब उसे

रहस्यवाद

रहस्यात्मक शैली का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है। इस प्रकार काव्य में रहस्यवाद की उर्ध्पत्ति होती है। रहस्यवाद के मूल में अशात शक्ति की जिज्ञासा काम करती है। इस बात का अनुभव मनुष्य अनादि काल से करता चला आया है कि संसारचक का प्रवर्तन किसी अशात शक्ति के द्वारा होता है, परंतु वह शक्ति उस प्रकार स्पष्टता से नहीं दिखाई देती, जिस प्रकार जगत् के अन्य दृश्य रूप दिखाई पड़ते हैं, और न उसका ज्ञान ही उस प्रकार साधारण विचारधारा के द्वारा हो सकता है जिस प्रकार इन दृश्य रूपों का होता है। जो लोग अपनी लगन से इस क्षेत्र में सिद्ध हो चुके हैं, उन्होंने जब जब अपनी अनुभूति के निरूपण करने का प्रयत्न किया है, तब तब उन्होंने अपनी उक्तियों को स्पष्टता देने में अपने आपको असमर्थ पाया है। कवीर ने स्पष्ट कह दिया है कि परमात्मा का प्रेम और उसकी अनुभूति गूँगे का सा गुँड़ है। यही रहस्यवाद का मूल है। दो दो और उपनिषदों में रहस्यवाद की भलक विद्यमान है। जहाँ कहीं ग्रन्थ की निरुण सत्ता का उल्लेख किया गया है, वहाँ घरावर इसी रहस्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। गीता में भगवान् के मुँह से उनकी विभूति का जो वर्णन फराया गया है, वह अत्यंत रहस्यपूर्ण है।

संतों की रहस्यमयी उक्तियाँ स्थान स्थान पर बड़ी ही मनो-मोहिनी हुई हैं। प्रकृति के नाना रूपों में एक नित्य चेतन शक्ति की भलक देखकर भावमग्न होने की कल्पना भी कितनी मधुर और किंतनी मोहक है। समस्त दृश्य जगत् आनंद के प्रवाह से आप्लावित हो रहा है, इसके अणु अणु उस आनंद से अपना संबंध चरितार्थ कर रहे हैं, आदि भावनाएँ जितनी रहस्यमयी हैं, उतनी ही हृदयहारिणी भी हैं। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री सीरावाई ने संसार को पुरुष-विहीन बतलाकर सर्यके एकमात्र स्वामी “गिरिधर गोपाल” को ही अपना पति स्वीकार किया है। परमात्मा पुरुष है, प्रकृति उसकी पत्नी है—यह कल्पना बड़ी ही रहस्यात्मक परंतु अत्यंत सत्य है। संतों ने इसकी अनुभूति की थी। कवीर ने भी एक स्थान पर अपने को “राम की बहुरिया” बतलाया है। संसार ने खीं पुरुष के जो भेद बना रखे हैं, तात्त्विक दृष्टि से उनका विशेष मूल्य नहीं, वे कृत्रिम हैं। वास्तव में सारी प्रकृति—सारा दृश्य जगत् परम पुरुष की पत्नी है। यही तथ्य है। इसी प्रकार परमात्मा

माता, पिता, स्वामी, सखा तथा पुत्र आदि रूपों में भी उपासना की गई है। “हरि जननी मैं वालिक तेरा” कहकर कवीर ने हरि को माता बतलाया है। इसी भाँति अन्य रूपकों द्वारा भी व्रह्म और जीव के संवंधों की व्यंजना की गई है। ये सभी संवंध भावना में रहस्यात्मक हैं क्योंकि लौकिक अर्थ में तो परमात्मा पिता, माता, प्रिया, प्रियतम आदि कुछ भी नहीं। ऐसे ही कहाँ “वै दिन कथ आवेंगे भाइ। जा कारनि हम देह धरी है मिलियौ अंग लगाइ” कहकर परमात्मा से जीवात्मा के वियुक्त होने, और कहाँ “मो को कहाँ हूँड़ै चंदे मैं तो तेरे पास मैं” कहकर दोनों के मिल जाने आदि का संत कवियों ने बड़े ही रहस्यात्मक ढंग से घर्णन किया है।

शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से देखने पर भी हम संत कवियों का एक विशेष स्थान पाते हैं। यह ठीक है कि विहारी और केशव आदि की सी भाषा की प्रांजलता का अभिमान ये कवि नहीं कर साहित्यिक संमीक्षा सकते; और न सूर और तुलसी की सी सरस्ता और व्यापकता ही इनकी कविता में पाई जाती है। जायसी ने प्रकृति के नाना रूपों के साथ अपने हृदय की जैसी एकरूपता दिखाई है, अनेक निर्गुण संत कवि उतनी सफलता से वह नहीं दिखा सके। यह सब होते हुए भी इन कवियों का स्थान हिंदी साहित्य में अत्यंत उत्कर्पण्ण तथा उच्च समझा जायगा। भाषा की प्रांजलता कम होते हुए भी उसमें प्रभावोत्पादकता बहुत अधिक है और उनकी तीव्रता से भावों में व्यापकता की बहुत कुछ कमी हो जाती है। उनके संदेशों में जो महत्ता है, उनके उपदेशों में जो उदारता है, उनकी सारी उक्तियों में जो प्रभावोत्पादकता है वह निश्चय ही उच्च कोटि की है। कविता के लिये उन्होंने कविता नहीं की है। उनकी विचारधारा सत्य की खोज में वही है, उसी का प्रकाश करना उनका ध्येय है। उनकी विचारधारा का प्रवाह जीवन-धारा के प्रवाह से भिन्न नहीं। उसमें उनका हृदय धुला मिला है। उनकी प्रतिभा हृदय-समन्वित है। उनकी धारों में ऐसा बल है जो दूसरों पर प्रभाव डाले विना नहीं रह सकता। हार्दिक उमंग की लपेट में जो सहज विद्वधता उनकी उक्तियों में आ गई है, वह अत्यंत भावापन्न है। उसी में उनकी प्रतिभा का चमत्कार है। शब्दों के जोड़-तोड़ से चमत्कार लाने के फेर में पड़ना उनकी प्रकृति के प्रति-कूल था। दूर की सूझ जिस अर्थ में केशव विहारी आदि कवियों में मिलती है, उस अर्थ में उनमें मिलना असंभव है। प्रयत्न उनकी कविता में कहाँ देख नहीं पड़ता।

अब हम कुछ प्रसिद्ध प्रसिद्ध संत कवियों की वैयक्तिक विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख करते हैं।

अब तक के अनुसंधानों के अनुसार महात्मा कवीरदास का जन्म संवत् १४५६ और मृत्यु संवत् १५७५ माना जाता है। यद्यपि निश्चय-

पूर्वक नहीं कहा जा सकता, फिर भी सब वातों पर कवीर

विचार करने से इस मत के ठीक होने की अधिक

संभावना है कि ये ग्राहणी या किसी हिंदू खी के गर्भ से उत्पन्न और मुसलमान परिवार में लालित पालित हुए। कदाचित् उनका बाल्य-काल मगहर में वीता था और वे पीछे से काशी में आकर वसे थे जहाँ से अंतकाल के कुछ पहले उन्हें पुनः मगहर जाना पड़ा हो। प्रसिद्ध स्वामी रामानंद को उन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया था। कुछ लोगों का यह भी मत है कि उनके गुरु शेख तकी नामक कोई सूफी मुसलमान फकीर थे। धर्मदास और सुरत गोपाल नाम के उनके दो चेले हुए। कवीर की मृत्यु के पीछे धर्मदास ने छुत्तीसगढ़ में कवीरपंथ की एक अलग शाखा चलाई और सुरत गोपाल काशी वाली शाखा की गही के अधिकारी हुए। कवीर के साथ प्रायः लोई का नाम भी लिया जाता है। संभवतः लोई उनकी पत्नी और कमाल उनका पुत्र था।

कवीर घट्टुत थे। उनको सत्संग से बैदांत, उपनिषदों और ऐराणिक कथाओं का योड़ा बहुत ज्ञान हो गया था। परंतु घैंदां का उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था। योग की क्रियाओं के विषय में उन्हें जानकारी थी। हंगला, पिंगला, सुपुम्ना, पट्चक आदि का उन्होंने उल्लेख किया है, पर वे योगी नहीं थे। उन्होंने योग को भी भाया में सम्मिलित किया है। उन्होंने केवल हिंदू और मुसलमान धर्मों का मुख्यतया उल्लेख किया है, पर अन्य धर्मों से भी उनका परिचय था। कवीरदास सरल जीवन के पहाड़ी तथा अहिंसा के समर्थक थे। उन्होंने शाखों की बड़ी निंदा की है।

जैसे कवीर का जीवन संसार से ऊपर उठा हुआ था, वैसे ही उनका काव्य भी साधारण कोटि से ऊँचा है। अतपद सीखकर प्राप्त की हुई रसिकता को उनमें काव्यानंद नहीं मिलता। परंपरा से वैष्ण दुए लोगों को काव्य-जगत् में भी इंद्रिय-लोलुपता का अद्वाहा खड़ा करना अच्छा लगता है। कवीर ऐसे लोगों की परितुष्टि की परवा कैसे फर सकते थे, जिनको निरपेक्षी के प्रति होनेवाला उनका प्रेम भी शुष्क लगता है? प्रेम की परकाई आत्मसमर्पण का मानो काव्य-जगत् में कोई मूल्य ही नहीं है!

कवीर ने अपनी उक्तियों पर बाहर बाहर से अलंकारों का मुलम्मां नहीं लगाया है। जो अलंकार उनमें मिलते भी हैं वे उन्होंने खोजकर नहीं बैठाए हैं। मानसिक कलाधाजी और कारीगरी के अर्थ में कला का उनमें सर्वथा अभाव है, परंतु सच्ची कला के लिये तो तथ्य की आवश्यकता है। भावुकता के दृष्टिकोण से कला आडंबरों के वंधन से निर्मुक्त तथ्य है। एक विद्वान् कुत इस परिभाषा को यदि काव्यक्षेत्र में प्रयुक्त करें तो बहुत कम कवि सच्चे कलाकारों की कोटि में आ सकेंगे। परंतु कवीर का आसन उस ऊँचे स्थान पर अविचल दिखाई देता है। यदि सत्य के खोजी कवीर के काव्य में तथ्य को स्वतंत्रता न मिली हो, तो और कहीं नहीं मिल सकती। कवीर के महत्व का अनुभान इसी से हो सकता है।

कवीरदास छुंदशास्त्र से अनभिज्ञ थे, यहाँ तक कि वे दोहों को भी पिंगल की खराद पर न चढ़ा सके। डफली बजाकर गाने में जो शब्द जिस रूप में निकल गया, वही ठीक था। मात्राओं के घट घट जाने की चिंता उनके लिये व्यर्थ थी। परंतु साथ ही कवीर में प्रतिभा थी, मौलिकता थी। उन्हें कुछ संदेश देना था और उसके लिये शब्द की मात्रा या घण्ठों की संख्या गिनने की आवश्यकता न थी। उन्हें तो इस ढंग से अपनी यातें कहने की आवश्यकता थी जिसमें वे सुननेवालों के हृदय में पैठ जायें और पैठकर जम जायें। इसके अतिरिक्त वह काल भाषा के प्राथमिक विकास का था, तब तक उसमें विशेष मार्जन नहीं हो पाया था।

कवीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है; क्योंकि वह खिचड़ी है। कवीर की रचना में कई भाषाओं के शब्द मिलते हैं परंतु भाषा का निर्णय प्रायः शब्दों से नहीं होता। भाषा के आधार क्रियापद, संयोजक शब्द तथा कारक-चिह्न हैं जो वाक्यविन्यास का विशेषताओं के कारण होते हैं। कवीर में केवल शब्द ही नहीं, क्रियापद, कारक-चिह्नादि भी कई भाषाओं के मिलते हैं। क्रियापदों के रूप अधिकतर ब्रजभाषा और खड़ी बोली के हैं। कारक-चिह्नों में से, कै, सन, सा आदि अवधी के हैं, कौ ब्रज का है और थै राजस्थानी का। यद्यपि उन्होंने स्वयं कहा है—“मेरी बोली पूरबी,” तथापि खड़ी, ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी-फारसी आदि अनेक भाषाओं का पुट उनकी उक्तियों पर चढ़ा हुआ है। “पूरबी” से उनका क्या तात्पर्य है, यह नहीं कह सकते। काशीनिवास उनकी पूरबी से अवधी का अर्थ लेने के पक्ष में है, परंतु उनकी रचना में विहारी का भी पर्याप्त मेल है, यहाँ तक

कि मृत्यु के समय मंगहर में उन्होंने जो पद कहा है, उसमें भैयिली का भी कुछ संसर्ग दिखाई देता है। यदि योली का अर्थ भारुभापा लै और “पूर्वी” का “विहारी” तो कवीर के जन्म के संबंध में एक नया ही प्रकाश पड़ता है। उनका अपना अर्थ जो कुछ हो, पर पाई जाती हैं उनमें अवधी और विहारी दोनों योलियाँ। इस पैचमेल खिचड़ी का कारण यह है कि उन्होंने दूर दूर के साधु संतों का सत्संग किया था जिससे स्वभावतः उन पर भिन्न भिन्न प्रांतों की योलियों का प्रभाव पड़ा।

कवीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसी से उन पर वाहरी प्रभाव बहुत अधिक पढ़े। भापा और व्याकरण की स्थिरता उनमें नहीं मिलती। यह भी संभव है कि उन्होंने जान बूझकर अनेक प्रातों के शब्दों का प्रयोग किया हो, अथवा शब्दभांडार की कमी के कारण जब जिस भाषा का सुना सुनाया शब्द उनके सामने आ गया हो तब वही उन्होंने अपनी कविता में रख दिया हो। शब्दों को उन्होंने तोड़ा मरोड़ा भी बहुत है। इसके अतिरिक्त उनकी भाषा में अमलड़पन है और साहित्यिक कोमलता का सर्वथा अभाव है। कहीं कहीं उनकी भाषा विलकुल गँवारू लगती है, पर उनकी वातों में खरेपन की मिठास है, जो उन्होंकी विशेषता है और उसके सामने यह गँवारेपन खटकता नहीं।

कवीर ही हिंदी के सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि हुए। सभी संत कवियों में थोड़ा बहुत रहस्यवाद मिलता है, पर उनका काव्य विशेषकर कवीर का ही ऋणी है। बैंगला के वर्तमान कर्णांद्र रव्वांद्र को भी कवीर का ऋण स्वीकार करना पड़ेगा। अपने रहस्यवाद का बीज उन्होंने कवीर में ही पाया। परंतु उनमें पाश्चात्य भड़कीली पालिश भी है। भारतीय रहस्यवाद को उन्होंने पाश्चात्य ढंग से सजाया है। इसी से यूरोप में उनकी इतनी प्रतिष्ठा हुई है। हिंदी की वर्तमान काव्यप्रगति में भी कवीर के रहस्यवाद की कुछ छाप देख पड़ती है।

कवीर पहुँचे हुए ज्ञानी थे। उनका ज्ञान पोधियों की नकल नहीं था और न वह सुनी सुनाई वातों का बोमेलभांडार ही था। पढ़े लिखे तो वे थे नहीं, परंतु सत्संग से भी जो वातें उन्हें मालूम हुईं, उन्हें वे अपनी विचारधारा के द्वारा मानसिक पाचन से सर्वथा अपनी ही बना लेने का प्रयत्न करते थे। उन्होंने स्वयं कहा है ‘सो ज्ञानी आप विचारे’। फिर भी कई वातें उनमें ऐसी मिलती हैं जिनका उनके सिद्धांतों के साथ मेल नहीं मिलता। उनकी ऐसी उकियों को समय और परिस्थितियों का तथा भिन्न मतावलंबियों के संसर्ग का अलव्य प्रभाव समझना चाहिए।

निर्गुण संत कवियों में प्रचार की दृष्टि से, प्रतिभा की दृष्टि से तथा कवित्व की दृष्टि से भी कवीर का स्थान सर्वोपरि है, उनके पीछे के प्रायः सब संतों ने अधिकतर उनका ही अनुगमन किया है।

प्रसिद्ध सिख संप्रदाय के संस्थापक तथा प्रथम गुरु नानकजी जाति के खत्री थे। इनके पिता कालुचंद खत्री लाहौर के निवासी थे।

नानकदेव

इन्होंने प्रारंभ में वैवाहिक जीवन व्यतीत किया

था और इन्हें श्रीचंद और लक्ष्मीचंद नाम के द्वे

पुत्र भी हुए थे। गुरु नानक ने घर घार छोड़कर जब संन्यास ग्रहण किया, तब कहा जाता है कि उनकी भैट महात्मा कवीर से हुई थी। कवीर के उपदेशों का उन पर विशेष प्रभाव पड़ा था। उनके ग्रंथ साहब में कवीर की वाणी भी संगृहीत है। नानकजी पंजाब के निवासी थे और पंजाब मुसलमानों का प्रधान कैद्र था। इसलाम और हिंदू धर्म के संघर्ष के कारण पंजाब में जो अशांति फैलने की आशंका थी, उसे नानकजी ने दूर करने का सफल प्रयास किया। उनकी वाणी में हिंदुओं और मुसलमानों के विचारों का मेल प्रशंसनीय रीति से हुआ है।

कवीर की ही भाँति नानक भी अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, पर साधुओं के संसर्ग तथा पर्यटन के अनुभव से नानक के उपदेशों में एक प्रकार की विशेष प्रतिभा तथा प्रभावोत्पादकता पाई जाती है। वास्तव में इन संत कवियों की वाणी उनकी आत्मा की वाणी है; अतः उसका प्रभाव सीधा हृदय पर पड़ता है। यह ठीक है कि काव्य की कृत्रिम दृष्टि से नानक की कविता साधारण कोटि की ही समझी जायगी, परंतु कला में जो स्वाभाविकता तथा तीव्रता अपेक्षित होती है, नानक में उसकी कमी नहीं है। महात्मा नानक की भाषा में पंजाबीपन स्पष्ट देख पड़ता है, जो उनके पंजाबनिवासी होने के कारण है। परंतु साथ ही अन्य प्रांतीय प्रयोग भी कम नहीं हैं, जो उनके पर्यटन के परिचायक हैं। नानक के पद प्रसिद्ध सिख ग्रंथ “ग्रंथ साहब” में एकत्र किए गए हैं। यह ग्रंथ सिखों का धर्मग्रंथ है और अत्यंत पूज्य दृष्टि से देखा जाता है।

दादूदयाल का जन्म संवत् १६०१ में गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान में घटलाया जाता है। इनकी जाति का ठीक पता नहीं चलता।

दादूदयाल

कुछ लोग इन्हें ग्राहण घटलाते हैं और कुछ इन्हें

जाति के ही थे। ये स्पष्टतः कवीर के शिष्य तो नहीं थे, पर इन्होंने अपने सभी सिद्धांतों को कवीर से ही ग्रहण किया है। दादू का एक अलग संप्रदाय चला था और अब भी अनेक दादूपंथी पाप जाते हैं। इनकी मृत्यु

जयपुर प्रांत के अंतर्गत भराने की पहाड़ी नामक स्थान में हुई थी और यही स्थान अब तक दादूपंथियों का मुख्य केंद्र बना हुआ है।

दादू का प्रचारकेव अधिकतर राजपूताना तथा उसके आसपास का ग्रांत था; अतः उनके उपदेशों की भाषा में राजस्थानी का पुट पाया जाता है। संत कवियों की भाँति दादू ने भी साखिर्या तथा पद आदि कहे हैं जिनमें सतगुरु की महिमा, ईश्वर की व्यापकता, जाति-पाँति की अवहेलना आदि के उपदेश दिए गए हैं। इनकी वाणी में कवीर की वाणी से सरसंता तथा तत्त्व अधिक है, यद्यपि ये कवीर के समान प्रतिभाशाली नहीं थे। कवीर तर्कप्रिय थे; अतः उन्हें तार्किक की सी कठोरता भी धारण करनी पड़ी थी, परंतु दादू ने हृदय की सच्ची अनुभूतियों का ही अभिव्यञ्जन किया है। इनकी मृत्यु संवत् १६६० में हुई थी। आरंभ-काल के संत कवियों में ये पढ़े-लिखे जान पड़ते हैं।

मलूकदास औरंगजेब के समकालीन निर्गुण भक्त-कवि थे। “अज-गर करै न चाकरी पंछी करै न काम” वाला प्रसिद्ध दोहा इन्हों की

मलूकदास रचना है। इनकी भाषा साधारण संत कवियों की अपेक्षा अधिक शुद्ध और संस्कृत होती थी और इनको छुंदों का भी ज्ञान था। रजाखान तथा ज्ञानयोध नाम की इनकी दो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, जिनमें वैराग्य तथा प्रेम आदि की मनोहर वाणी व्यक्त की गई है। एक सौ आठ वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु संवत् १७३६ में हुई थी। ये कड़ा जिला इलाहाबाद के निवासी थे।

सुंदरदास इन संत कवियों में सबसे अधिक विद्वान् तथा पंडित कवि सुंदर-दास हुए। सुंदरदास दादूदयाल की शिष्य-परंपरा में थे। इनका

श्रद्धयन विशेष विस्तृत था। इन्होंने काशी में शाकर शिक्षा प्राप्त की थी। सुंदरदास की भाषा शुद्ध काव्य-भाषा है और उनकी वाणी में उनके उपनिषदों आदि से परिचित होने का पता चलता है, परंतु कवीर आदि की भाँति उनमें स्वभाव-सिद्ध मौलिकता तथा प्रतिभा अधिक नहीं थी, इससे उनका प्रभाव भी विशेष नहीं पड़ा। संदरदास के अतिरिक्त संतों में अक्षर अनन्य, धर्मदास, जगजीवन आदि का नाम भी लिया जाता है, साथ ही तुलसी साहब, गोविंद साहब, भीखा साहब, पलटू साहब आदि अनेक संत हुए जिनमें से अधिकांश का साहित्य पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। परंतु संतों की परंपरा का अंत नहीं हो गया और न्यूनाधिक रूप में वह बराघर चलती रही, और अब तक घली जा रही है।

यद्यपि साहित्यिक समीक्षा में निर्गुण संत कवियों को उच्चतम स्थान नहीं दिया जाता, पर इससे हम उनके किए हुए उपकार को नहीं भूल सकते। मुसलमान और हिंदू संस्कृतियों के उस संघर्ष-काल में जिस शांतिमयी धारणी की आवश्यकता थी, संतों ने उसी की अभिव्यञ्जना की। यह ठीक है कि हिंदू समाज के उच्च वर्ण इस निर्गुण संप्रदाय की ओर अधिक आकृष्ट नहीं हुए, प्रत्युत उसके विरोध में ही बने रहे, पर समाज की निज़ धरेणी का जो भारी कल्पाण इन कवियों ने किया, वह इस देश के इतिहास में स्मरणीय रहेगा। अब भी हिंदी के प्रधान कवियों में कवीर आदि का उच्च स्थान है और प्रचार की दृष्टि से तो महात्मा नुलसीदास के बाद इन्हीं का नाम लिया जा सकता है। एक बात और ध्यान देने की है। अब तक समस्त धार्मिक आंदोलन केवल संस्कृत भाषा का ही आश्रय लेकर होता था, यहाँ तक कि वस्त्रभाचार्य और रामानंद ने भी जो कुछ लिखा, संस्कृत में ही लिखा था। इनके अनंतर यह प्रवृत्ति बदली और देश-भाषाओं का अधिकाधिक उपयोग होने लगा। इसी का यह परिणाम हुआ कि साधारण जनता इस ओर आकृष्ट हुई और उनमें जागर्ति उत्पन्न हुई। संत महात्माओं के उद्योग का यह फल हुआ कि दलित और अस्पृश्य जातियों में भी जीवन के आदर्श को ऊँचा करने और उच्च जातियों के समकक्ष होने की कामना हुई। जिस प्रकार आजकल एक अस्पृश्य जाति का पुरुष मुसलमान या क्रिस्तान होने पर समाज में सम्मान का भाजन होता है उसी प्रकार मध्य युग में नीच से नीच जाति का व्यक्ति भी संत होकर और भगवद्गुरुकि में लीन होकर समाज में आदर-सत्कार का अधिकारी हो जाता था। पर यह संस्कार सामूहिक रूप में न हो सका। इसका मुख्य कारण अंत्यजों की व्यावसायिक परिस्थिति ही जान पड़ती है। जो हो, इसमें संदेह नहीं कि इस युग में इन संत महात्माओं के कारण हिंदी साहित्य और भारतीय समाज का महान् उपकार हुआ।

सातवाँ अध्याय

प्रेममार्गी भक्ति शाखा

जब एक जाति किसी देश से आकर अन्य देश को किसी दूसरी जाति से मिलती है तब दोनों के भावों, विचारों तथा रीति-नीति का आविर्भाव-काल विनिमय ऐसी विलक्षण रीति से होने लगता है कि उन जातियों की सभ्यता तथा संस्कृति में बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। कभी कभी तो विजयिनी जाति शक्तिमती होती हुई भी अपनी अल्प संस्था अथवा हीन संस्कृति के कारण विजित जाति की बहु संस्था में विलीन हो जाती है और अपना संपूर्ण अस्तित्व खोकर विजित जाति की सभ्यता आदि ग्रहण कर लेती है। भारत पर आक्रमण करनेवाली हड्ड, कुशन और यूची आदि जातियों की ऐसी ही अवस्था हुई थी। कभी कभी विजेताओं के उत्साह अथवा उच्चाकांक्षाओं में विजितों के अस्तित्व को दवा देने की भी ज़मता देखी जाती है। प्राचीन यूनान पर डोरियन तथा आह्योनियन आक्रमणों का यही प्रभाव पड़ा था। इसी प्रकार कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि यद्यपि दोनों जातियों के संघर्ष से दोनों की रीति-नीति में अंतर पड़ते हैं, पर दोनों ही अपनी सभ्यता तथा अन्य विशेषताओं को अचुरण रखती हैं, और अलग अलग अपना विकास करती हैं। ऐसा अधिकतर उस समय होता है जब दोनों ही जातियाँ अपनी सभ्यता तथा संस्कृति को उद्धत कर चुकी हों और परिस्थिति के अनुसार उनमें साधारण परिवर्तन करके अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने की ज़मता रखती हों। भारतवर्ष पर मुसलमानों की विजय के अनंतर जब हिंदू और मुसलमान सभ्यताओं का संयोग हुआ तब हिंदू अपनी प्राचीन तथा उच्च सभ्यता के कारण ढड़ बने रहे और मुसलमानों के नवीन धार्मिक उत्साह तथा विजयगर्व ने उन्हें हिंदुओं में मिल जाने से रोक रखा।

हिंदू और मुसलमान यद्यपि अलग अलग बने रहे, परंतु उनमें भावों और विचारों की पक्ता अवश्य स्थापित हुई। दोनों ही जातियों ने अपने धार्मिक आदि विभेदों को वहाँ तक बना रहने दिया जहाँ तक उनके स्वतंत्र अस्तित्व के लिये उनकी आवश्यकता थी। इसके आगे दोनों धर्मों धर्मों मिलने लगे। वास्तव में मनुष्य सामाजिक जीव है।

उसके हृदय में शांति के प्रति अनुराग होता है। उसे विरोध उतना अच्छा नहीं लगता। जहाँ तक ही सकता है, मनुष्य विपक्षियों से भी प्रेम-पूर्वक व्यवहार करता है। यही मनुष्य की मनुष्यता है। इसी मनुष्यता का परिचय कवीर आदि महात्माओं ने मुसलमानी शासन के आदिकाल में दिया था। जब हिंदू और मुसलमान दोनों साथ ही बस गए और साथ ही रहने लगे, तब विरोध के आधार पर सामाजिक प्रगति नहीं हो सकती थी। दोनों को मिलकर रहने की उत्सुकता हुई। यद्यपि विजयी मुसलमान शासक अपने विजयोन्माद में धार्मिक नृशंसता के पक्के उदाहरण बन रहे थे, पर साधारण जनता उनकी सी कठोर मनोवृत्ति धारण न कर मेल की ओर बढ़ रही थी। कवीर ने मेल की घड़ी प्रबल प्रेरणा की थी। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को यह समझाने का प्रयत्न किया, कि हमको उत्पन्न करनेवाला परमेश्वर एक है, केवल नाममेद से अशानवश हम उसे भिन्न भिन्न समझा करते हैं। धार्मिक विवाद व्यर्थ है, सब मार्ग एक ही स्थान को जाते हैं। इस प्रकार कवीर ने परोक्ष सत्ता की एकता स्थापित की। थोड़े समय पीछे कवियों का एक समुदाय ऐसा भी उदय हुआ जिसने व्यावहारिक जीवन की एकता की ओर अधिक ध्यान दिया।

यह समुदाय सूफी कवियों का था जो प्रेमपंथ को लेकर चला था। सूफियों का प्रेम लौकिक नहीं था, परोक्ष के प्रति था। यद्यपि इसलाम धर्म के अनुसार सूफियों के परोक्ष को भी निराकार ही रहना पड़ा, परंतु अपने उत्कट प्रेम तथा उदार हृदय के कारण सूफी संप्रदाय में अव्यक्त परोक्ष सत्ता को बहुत कुछ व्यक्त स्वरूप भी मिला। सूफी उस परमेश्वर की उपासना करते थे जो निर्गुण और निराकार तो है परंतु अनंत प्रेम का भांडार भी है। साथ ही धार्मिक प्रतिवंध के कारण सूफी कवि अपने उंपास्य देव के प्रेम के संवंध में स्पष्टतः कुछ भी नहीं कह सकते थे, अतः उन्होंने प्रेम-संवंधों अनेक आख्यानों का सूजन किया और उन लौकिक आख्यानों की सहायता से ईश्वर के प्रेम की अभिव्यञ्जना की। यह अभिव्यञ्जना संकेत के ही रूप में की गई, और इसी से हिंदी में रहस्यात्मक कविता की सृष्टि हुई। सूफियों के रहस्यवाद के संवंध में तो हम आगे चलकर कहेंगे, यहाँ इतना समझ लेना चाहिए कि सूफी कवियों के आख्यान अधिकतर कल्पित होते थे पर कभी कभी उनमें ऐतिहासिक घटनाओं का भी समावेश होता था। वास्तव में वे अव्यक्त के प्रति प्रेमाभिव्यञ्जन के उपयुक्त कथानक का इच्छानुसार सूजन करते थे, और ऐतिहासिक तथ्यों का घर्षों तक समावेश करते थे जहाँ

तक उनसे अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति में सहायता मिलती थी अथवा धारा नहीं पड़ती थी। यहाँ यह कह देना भी उचित होगा कि सूफी कवियों के अधिकांश आख्यान हिंदू समाज से लिए गए हैं और हिंदू जीवन से पूरी सहानुभूति रखते हैं। यह उन कवियों के उदार हृदय और सामंजस्य बुद्धि का परिचायक है।

कवीर आदि संतों की धारी अटपटी है। उसमें ग्रह की निराकार उपासना का उपदेश दिया गया है और वेदों पुराणों आदि की निंदा करके एक प्रकार के दंभरहित सरल सदाचारपूर्ण धर्म की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। राम और रहीम को एक ठहराकर हिंदू तथा मुसलमान मतों का अद्भुत मेल मिलाया गया है। इसी प्रकार हिंसा और मांसमक्षण का खंडन कर नमाज और पूजा का विरोध करके इन संतों ने किस मार्ग का अनुसरण किया किसका नहीं, यह साधारण जनता की समझ में नहीं आ सकता था। फिर भी कवीर आदि का देश के साधारण जनसमुदाय पर जो महान् प्रभाव पड़ा, वह कहने सुनने की धारा नहीं है। वे संत पढ़े लिखे न थे, उनकी भाषा में साहित्यिकता न थी, उनके छुंद ऊटपटांग थे तथापि उन्हें जनता ने स्वीकार किया और उनकी विशेष प्रसिद्धि हुई। इसके विपरीत सूफी कवियों के उद्धार अधिकतर शृंखलित और शाखानुमोदित थे, उनकी भाषा भी अच्छी मँज़ी हुई थी और छुंद आदि का भी उन्हें ज्ञान था। इन कवियों की संख्या भी कम न थी। फिर भी यह स्वीकार करना पड़ता है कि देश में सूफी कवियों की न तो अधिक प्रसिद्धि ही हुई और न उनका अधिक प्रचार ही हुआ। इनमें से अनेक कवि तो नामावशेष ही थे और कठिनाई से उनके ग्रंथों का पता लगा है। संभवतः साहित्यिक समाज में भी इन कवियों का विशेष महत्वपूर्ण स्थान कभी नहीं माना गया। इनकी कविताओं के उद्धरण न तो लक्षण ग्रंथों में मिलते हैं और न धार्मिक संग्रहों में ही उन्हें स्थान दिया गया है। संभवतः सूफियों की रहस्योन्मुख भावनाएँ इस देश की जलवायु के उतनी भी अनुकूल नहीं थीं जितनी कवीर आदि की अटपटी और अव्यवस्थित वाणी थी।

प्रेमाख्यानक सूफी कवियों की परंपरा हिंदी में कुतबन के समय से चली। कुतबन शेरशाह के पिता हुसैनशाह के आधितं थे और सूफियों की परंपरा चिश्ती धर्म के शेख बुरहान के शिष्य थे। इनके प्रेमकाव्य का नाम मृगावती है जो इन्होंने सन् १०६ हिजरी में लिखा था। चंद्रनगर के अधिपति गणपतिदेव के राज-

कुमार तथा कंचन नगर की राजकुमारी मृगावती की प्रेमगाथा इसमें अंकित की गई है।) प्रेम-भागी के कष्ट तथा त्याग आदि का वर्णन करते हुए कुतबन ने अशात की प्राप्ति के कष्टों का आभास दिया है। मृगावती के उपरांत दूसरी प्रेमगाथा मधुमालती लिखी गई जिसकी एक खंडित प्रति खोज में मिली है। इसके रचयिता भंभन वडे ही सरस हृदय कवि थे। इन्होंने प्रकृति के दृश्यों का बड़ा ही भर्मस्पर्शी वर्णन किया है और उन दृश्यों के द्वारा अव्यक्त की ओर वडे ही मधुर संकेत किए हैं। प्रेमगाथाकारों में सबसे प्रसिद्ध कवि जायसी हुए जिनका पश्चावत काव्य हिंदी का एक जगमगाता रहा है। इस काव्य में कवि ने ऐतिहासिक तथा काल्पनिक कथानकों के संयोग से बड़ी ही रोचकता ला दी है। इसमें मानव हृदय के उन सामान्य भावों के चित्रण में वडी ही उदारता तथा सहानुभूति का परिचय दिया गया है जिनका देश और जाति की संकीर्णताओं से कुछ भी संबंध नहीं। प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करते हुए कवि की तन्मयता इतनी बढ़ जाती है कि वह अखिल दृश्य जगत् को एक निरंजन ज्योति से आभासित पाता और आनन्दातिरेक के कारण उसके साथ तादात्म्य का अनुभव करता है। जायसी के उपरांत उसमान, शेष नवी, नूरमुहम्मद आदि अनेक प्रेमगाथाकार हुए पर पश्चावत का सा विशद काव्य फिर नहीं लिखा गया। सगुणोपासक तुलसी, सूर आदि भक्त कवियों के आविर्भाव से प्रेमगाथाकारों की शक्ति बहुत कुछ ज्ञाण पड़ गई थी।

उपर्युक्त प्रेमगाथाओं में बहुत सी वार्ते मिलती जुलती हैं। एक तो इनकी रचना भारतीय चरितकाव्यों की सर्गवद्ध शैली में न होकर फारसी की मसनवियों के ढंग पर हुई है। जिस प्रकार फारसी की मसनवियों में ईश्वरवंदना, मुहम्मद साहब की स्तुति, तत्कालीन राजा की प्रशंसा आदि कथारंभ के पहले होते थे, उसी प्रकार इनमें भी हैं। प्रेमगाथाओं की भाषा भी प्रायः एक सी है। यह भाषा अवध प्रांत की है। इन प्रेम की पीर के कवियों का प्रधान केंद्र अवध की भूमि ही थी। छुंदों के प्रयोग में भी इस समुदाय के कवियों में समानता पाई जाती है। सबने प्रायः दोहों और चौपाईयों में ही ग्रंथरचना की है। ये छुंद अवधी भाषा के इतने उपयुक्त हैं कि महाकवि तुलसीदास ने भी अपने प्रसिद्ध रामचरितमानस में इन्हों छुंदों का प्रयोग किया है। चौपाई छुंद तो मानों अवधी भाषा के लिये ही बनाया गया हो, क्योंकि ग्रन्थभाषा के कवियों ने इस छुंद का सफलतापूर्वक उपयोग कभी किया ही नहीं। समता की अंतिम वात यह है कि प्रेमगाथाकार सभी कवि

मुसलमान थे। एक तो यह संप्रदाय ही मुसलमानों के सूफी मत को लेकर जड़ा हुआ था, दूसरे हिंदू कवियों में उसी समय के लगभग सुनुणोपासना चल पड़ी और वे व्यक्त के भीतर अन्यका का रहस्यमय साक्षात्कार करने की अपेक्षा व्यक्त को ही सब कुछ मानने और अवताररूप में राम और कृष्ण की जीवनगाथा अंकित करने में प्रवृत्त हुए। मुसलमान ग्रारंभ से ही सूर्तिद्वेषी थे अतः उन्हें सूफियों की शैली के प्रचार का विशेष सुभीता था।

प्रेमपार्गों सूफी कवियों ने प्रेम का विवरण जिस रूप में किया है, उसमें विदेशीयता ही नहीं है, प्रत्युत भारतीय शैलियों का भी प्रभाव है।

एक तो इस देश की रीति के अनुसार नायक उतना सूफियों की भारतीयता प्रेमोन्मुख नहीं होता जितनी नायिका होती है, परंतु जायसी आदि ने फारस की शैली का अनुसरण करते हुए नायक को अधिक प्रेमी तथा प्रेमपात्र की प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील दिखाया है। वास्तव में इन कवियों का प्रेम ईश्वरोन्मुख था। सूफी अपने प्रियतम ईश्वर की कल्पना खी के रूप में करते थे। इसलिये जायसी आदि को भी नायक के प्रेम को प्रधानता देनी पड़ी। परंतु भारतीय शैली के अनुसार असंख्य गोपिकाओं कृष्ण के प्रेम में लोन, उनके विरह में व्याकुल और उनकी प्राप्ति में प्रयत्नशील रहती हैं। वास्तव में यह प्रेम भी अपने शुद्ध रूप में ईश्वरोन्मुख है; क्योंकि भारतीय दृष्टि में कृष्ण भगवान् पूरी कलाओं के अवतार, जगदुद्धारक, योगीश्वर आदि साने जाते हैं—उनके प्रति गोपिकाओं का प्रेम, पुरुष के प्रति प्रकृति का प्रेम समझा जाता है। सूफी कवियों पर इस भारतीय शैली का प्रभाव पड़ा था और उन्होंने ग्रारंभ में नायक को प्रियतमा, की प्राप्ति के लिये अत्यधिक प्रयत्नशील दिखाकर ही संतोष नहीं कर लिया, बरन् उपसंहार में नायिका (प्रियतमा) के प्रेमेतर्फर्ष को भी दिखाया। दूसरी बात यह भी है कि इस देश में प्रेम की कल्पना अधिकतर लोकव्यवहार के भीतर ही की जाती है और कर्तव्यवृद्धि से उच्छ्वस्त्र खल प्रेम का नियंत्रण किया जाता है। राम और सीता का प्रेम ऐसा ही है। कृष्ण और गोपिकाओं के प्रेम में एकांतिकता आ गई है, परंतु सूफियों के प्रेम की तरह यह भी विलकुल लोकवास्त्र नहीं है। भारतीय सूफी कवियों ने इस देश की प्रेमपरंपरा का तिरस्कार नहीं किया, उनका प्रेम बहुत कुछ लोकव्यवहार के परे है, पर किर भी असंयत नहीं। जायसी ने तो पश्चात में नायिका के सतीरंघ तथा उत्कट पतिप्रेम आदि का दृश्य दिखाकर अपने भारतीय हौने का पूरा परिचय दिया है। इन दो मुख्य वातों के अतिरिक्त

प्रेमवर्णिनों में अश्लील दृश्यों को भरसक बचाकर, प्रकृति के सुरम्य रूपों को चित्रित कर यहाँ के प्रेममार्गी कवियों ने अपने काव्यों को भारतीय जल-वायु के बहुत कुछ अनुकूल कर दिया है।

सूफी सिद्धांत के अनुसार अंत में आत्मा परमात्मा में मिल जाता है। इसी लिये उनकी कथाओं का अंत या समाप्ति दुःखांत हुई है। आरंभ में तो यह बात बनी रही, पर आगे चलकर इस संप्रदाय के कवि यह बात भूल गए; अथवा भारतीय पद्धति का, जो आदर्शवादी थी और जिसके अनुसार दुःखांत नाटक तक नहीं बने, उन पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि उन्होंने नायक और नायिका को भोग-विलास और सुख-चैन में रखकर ही अपने ग्रंथ की समाप्ति की है।

सूफी कवियों का प्रेम ईश्वरोन्मुख था। उन्होंने अपने प्रेमप्रबंधों में यद्यपि लौकिक कथा ही कही है परंतु वह लौकिक कथा उनकी हृदया-

तुभूति के व्यक्त करने का साधन मात्र है। उस प्रस्तुत में अप्रस्तुत कथा से उनका संबंध बहुत घनिष्ठ नहीं है, वहाँ तक है जहाँ तक वह उनके ईश्वरोन्मुख प्रेम के अभिव्यञ्जन में समर्थ होती है। सूफियों का प्रेम ईश्वर के प्रति होता है; परंतु ईश्वर तो निराकार है, निर्गुण है, अतः अवर्णनीय है। हाँ, उसका आभास देने के लिये लौकिक कथाओं की सहायता लेनी पड़ी है। पद्मावत की ही कथा को ले लीजिए। उसमें यद्यपि चित्तोङ्क के अधिपति रत्नसेन और सिंहलद्वीप की राजकन्या पद्मावती की कथा कही गई है, परंतु जायसी ने एक स्थान पर स्पष्ट कहे दिया है कि उनकी यह कथा तो रूपक मात्र है, वास्तव में वे उस ईश्वरीय प्रेम की अभिव्यक्ति कर रहे हैं जो प्रत्येक साधक के हृदय में उत्पन्न होती है और उसे ईश्वर-प्राप्ति को ओर प्रवृत्त करती है। यही नहीं, जायसी ने तो अपने रूपक को और भी खोल दिया है और अपनी कथा के विविध प्रसंगों तथा पात्रों को ईश्वर-प्रेम के विविध अवयवों का व्यंजक बतलाया है। इस प्रकार उनकी पूरी कथा एक महान् अन्योक्ति ढहरती है। सभी प्रत्यक्ष वर्णन अप्रत्यक्ष की ओर संकेत करते हैं, कवि की दृष्टि से स्वतः उनका विशेष महत्व नहीं। यह ठीक है कि कवि की दृष्टि ही समीक्षक की भी दृष्टि नहीं होती, अतः साहित्य-समीक्षक सारे वर्णनों को अप्रस्तुत न मानकर वीच वीच में अप्रस्तुत की ओर संकेत मात्र मानते हैं, परंतु संत सूफियों का ठीक आशय समझने में हम भूल नहीं कर सकते। रत्नसेन और पद्मावती के लौकिक रूप से उनका उतना संबंध नहीं था जितना अपने पारमार्थिक प्रेम से था। कथा-प्रसंगों में, वीच वीच में, प्रेमी के कष्ट और त्याग शादि के वर्णन-

मिलते हैं, और अव्यक्त से विशाल प्रकृति के विरह तथा मिलन का ऐसा मर्मस्पर्शी चित्रण मिलता है कि हमारी दृष्टि लौकिक सीमा से ऊँचे उठकर उस ओर जाती देख पड़ती है जिस ओर ले जाना प्रेममार्ग संत कवियों का लक्ष्य था।

यद्यपि प्रेममार्गी कवियों का उद्देश एक लौकिक कथा के आवरण में अलौकिक प्रेम प्रकट करना था परंतु इस उद्देश की प्रधानता देखते हुए भी हम उन कथाओं को कहाँ उखड़ते हुई या अनियमित नहीं पाते। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जब कथा फहने के उद्देश से भिन्न किसी अन्य उद्देश से प्रवंधरचना की जाती है, तब वह प्रवंध आवश्यकतानुसार युमा किराकर घनाया जाता अथवा तोड़ मरोड़कर विगड़ा जाता है। हिंदी के कवि केशवदास इसके प्रमुख उदाहरण हैं। उनकी रामचंद्रिका यद्यपि रामायण की कथा को ही लेकर चलती है परंतु उसमें प्रवंध की वह प्रक्रिया नहीं है जो राम की जीवनी में थी। रामचंद्रिका के विविध पात्र जब जो इच्छा होती है कहते हैं; न तो चरित्र-चित्रण की ओर ध्यान दिया जाता है और न कथा की रचना की ओर। उसमें तो कभी राम कौशल्या को पातिव्रत्य आदि की शिक्षा देते हैं, कभी पंचवटी वनधूर्जटी के गुण धारण करती और कभी प्रकृति के रमणीय दृश्य प्रलयकाल की भाँति भयानक देख पड़ते हैं। केशवदास का उद्देश रामायण की कथा लिखना नहीं था, अपने पांडित्य का प्रदर्शन करना था; इसी लिये जो कथा रामचरितमानस में आकर एक सर्वोत्तम प्रवंध के रूप में बन गई है वही रामचंद्रिका में पड़कर पूर्वापर-संवंध-रहित फुटकर पद्यों का संग्रह भाँत्र रह गई है। प्रेमगाथाकारों की भी यद्यपि केशवदास की सी परिस्थिति थी, उन्हें भी कथा के बहाने आध्यात्मिक तत्त्व के निरूपण की चिंता थी, परंतु केशव की भाँति उन्होंने कथा का अंग-भंग कर अपनी 'हृदय-हीनता' का परिचय नहीं दिया है, वरन् वही ही सरस संघटित कथाओं का सूजन किया है और उनके निर्वाह का समुचित ध्यान रखा है। उनकी यह विशेषता प्रशंसनीय है। ऐतिहासिक कथाओं में काल्पनिकता का पुट देकर यद्यपि इतिहास की दृष्टि से इन कवियों ने कुछ अन्याय किया है परंतु साहित्यिक दृष्टि से उन्हें इसके लिये भी साधुवाद ही मिलना चाहिए; क्योंकि ऐसा करके कथा में रोचकता और रमणीयता ही लाई गई है जो साहित्य के लिये गौरव की बात है।

सूफी प्रेममार्गी कवियों के ग्रंथ अधिकतर प्रवंधशैली में ही लिखे गए थे अतः उनमें कथानक की रमणीयता तथा संवंध-निर्वाह की ओर

ध्यान दिया गया था। साथ ही हमको यह भी देखना होगा कि उन कथाओं के धीच धीच में दी हुई वस्तुवर्णना कैसी है और प्रसंगानुकूल भावों का व्यंजन कैसा है। वस्तुवर्णन की दो मुख्य

वस्तुवर्णन और शैलियाँ हो सकती हैं। एक में तो कवि अत्यंत भावव्यंजन

साधारण रूप से वस्तु का उल्लेख कर देता है और

आगे अपनी कथा कह चलता है, दूसरी में वह सूक्ष्मता से वस्तुओं का चित्रण करता है और उनका एक चित्र सा छड़ा कर देता है। पहली शैली में घटनाओं को प्रधानता दी जाती है और वस्तुओं का वर्णन गौण स्थान पाता है, दूसरी में वस्तुवर्णन अपना अलग अस्तित्व रखता और स्वतंत्र रीति से काव्यत्व का अधिकारी होता है। दोनों ही अपना अपना महत्त्व रखती हैं। पहली में कवि वस्तुवर्णन की ओर अधिक ध्यान न देकर घटनाओं को अधिक मर्मस्पर्शी बनाता है और पाठक भी अधिक तन्मयता से कथा सुनता है, दूसरी में कवि का काव्यचमत्कार अधिक परिलक्षित होता है और पाठक का ध्यान वर्णित वस्तुएँ भी उतना ही खोचती हैं जितना वर्णित घटनाएँ। प्रबंधकाव्यों में कुछ महान् घटनाओं का होना आवश्यक होता है, अतः उन्हें यथासंभव मर्मस्पर्शी बनाकर पाठकों का ध्यान उन्होंकी ओर खोचना जिन कवियों को अभीष्ट होता है, वे अपनी सारी शक्ति उसी ओर लगाते हैं; और कथा-प्रसंग में आई हुई प्रत्येक वस्तु का स्वरूप प्रत्यक्ष करने की उतनी अभिलापा नहीं रखते। साथ ही जिन कवियों को पद पद पर सरलता और काव्यत्व लाने का ध्यान रहता है, वे वड़ी ही सूक्ष्म दृष्टि से दृष्टि की सभी वस्तुओं का निरीक्षण करते और अपने प्रधों में उनका संश्लिष्ट चित्रण करते हैं। अवश्य ही ऐसा करने से उनके प्रधं रमणीय हो जाते हैं; पर प्रबंधकाव्य के अनुकूल जीवन की गंभीर समस्याओं से पाठकों का ध्यान धृढ़कर वर्णित वस्तुओं की ओर चला जाता है, जो अनेक कवियों को अभीष्ट नहीं होता। प्रेममार्गी कवियों का वस्तुवर्णन विशेष आकर्षक नहीं बन सका। उन्हें तो कथा के भीतर से किसी अन्य ही सत्य की व्यंजना करनी थी; अतः वस्तुएँ ही नहीं, सारा कथानक ही उनके लिये उसी सीमा तक महत्त्व रखता था जहाँ तक उनके उस सत्य के अभिव्यंजन में वह सहायक या उपयोगी होता। ऐसी अवस्था में उनसे रमणीय वस्तुवर्णन की आशा भी नहीं रखी जा सकती। हाँ, जहाँ कथा-प्रसंग के धीच में प्रेम के त्याग, कष्ट अथवा ईश्वरीय विरह-मिलन आदि के संकेत हैं, वहाँ वस्तुओं का वर्णन भी विशेष रोचक कर दिया गया है।

दूसरी बात भाव-व्यंजना की है। भारतीय काव्य-समीक्षा में रति, शोक, उत्साह, क्रोध आदि नौ स्थायी भाव माने गए हैं तथा इन्हें पुष्ट करनेवाले असूया, गर्व, ब्रीड़ा आदि कई संचारी भावों की कल्पना की गई है। कवि की दृष्टि जितनी ही व्यापक होगी वह उतने ही अधिक विस्तृत तथा उत्कर्षपूर्ण ढंग से भावों की व्यंजना करेगा। किन प्रसंगों में कैसे भावों की कितनी तीव्रता दिखानी चाहिए, इसका ध्यान भी कवियों को रखना पड़ता है। हिंदी के सूफी कवियों की दृष्टि घड़ी व्यापक और तीव्र है। वे कहाँ कहाँ वहे ही सूक्ष्म भावों तक अपनी पहुँच दिखाते हैं। उनके रति सथा शोक आदि के वर्णन अधिक भाव-पूर्ण हुए हैं। जायसी ने युद्धोत्साह की भी अच्छी भलक दिखलाई है। फिर भी हमको यह स्वीकार करना पड़ता है कि जीवन को व्यापक रीति से देखकर विविध भावों का सम्मिलन करने में ये कवि उतने सफल नहाँ हुए जितने महाकवि तुलसीदास हुए, और न उनकी अंतर्दृष्टि उतनी सूक्ष्म है जितनी महात्मा सूरदास की। परंतु इससे उनकी महत्ता कम नहाँ होती, क्योंकि तुलसीदास और सूरदास तो हिंदी के दो अन्यतम 'कवि' हैं, इनकी समता न कर सकते में सूफी कवियों के गौरव में कमी नहाँ पड़ती। इन दोनों को छोड़कर विचार करने पर प्रेममार्गी कवियों की भाव-व्यंजना हिंदी के अन्य वहे कवियों की तुलना में उच्च स्थान की अधिकारिणी है।

अलंकार, छंद, भाषा आदि साहित्यिक समीक्षा के प्रश्नों पर हम पीछे विचार करेंगे, पहले प्रेममार्गी कवि-संप्रदाय के मतों और सिद्धांतों मत और सिद्धांत ' को संक्षेप में समझ लेना ठीक होगा। ये कवि

मुसलमानों के सूफी मत के माननेवाले थे। सूफी मत का प्रचलन मुहम्मद की मृत्यु के उपरांत दूसरी या तीसरी शताब्दी में हुआ था। इस मत के विकास में अनेक धाहरी प्रभाव सहायक हुए थे जिनमें मुख्य भारतीय अद्वैतवाद था। प्रारंभ में सूफी संप्रदाय सामान्य मुसलमान धर्म की एक शाखा विशेष था जिसमें सरल जीवन व्यतीत करने की प्रवृत्ति थी। पीछे से इसमें चिंतनशीलता वड़ी और इसके अनुयायी ईश्वर के संबंध में सूक्ष्म तत्त्वों का अनुसंधान करने लगे। मुसलमानों के मत में तो ईश्वर पक है, विश्व का स्थान है और सबका मालिक है। स्थान और मालिक होने में यद्यपि शारीरिकता का धोध होता है, पर मुसलमानों के खुदा वरावर निराकार ही बने रहे। परंतु सूफियों के चिंतन से उनमें एक नए मत का सृजन हुआ। सूफी मुसलमानों पकेश्वरवाद से ऊँचे उठे और जीव तथा जगत् को

भी ईश्वर या ब्रह्म ही समझने लगे। आत्मा और परमात्मा का अभेद प्रतिष्ठित हुआ। कहर मुसलमानों के मत में यह कुफ ठहरा, पर सूफियों का यही मत था। “अनल्हक” “अनल्हक” कहता हुआ सूफी मंसूर सूली पर चढ़ा था।

प्रारंभ में जब सूफियों के मत का प्रचार हुआ था तब उन्हें अनेक प्रकार के अत्याचार सहने पड़े थे। जीव और जगत् को भी ब्रह्म मान लेने के कारण वे प्रकृति के अणु अणु में उसी चेतन सत्ता का साक्षात्कार करते, और भाव-मन्त्र होते थे। मुसलमानों के खुदा तो विहित के निवासी, मनुष्यों के निर्माता और नाशकर्ता होते हुए भी निराकार निर्लेप बने रहे, पर सूफियों के नवीन संप्रदाय में प्रेम की इतनी प्रधानता हुई कि खटि के रोम रोम में उन्हें आनंद की झलक देख पड़ने लगी। जब सर्वत्र ब्रह्म है, तब युत में भी ब्रह्म का होना अनिवार्य है, अतः सूफियों को हुस्ने-युत्ता के पद्म में “वही” देख पड़ने लगा। यद्यपि खुदावाद की निराकार भावना सूफियों में बनी रही पर उनमें अत्यधिक सरसता और उदारता आदि वृत्तियाँ फैली और कहरपन का तो एकदम अंत हो गया।

नवोत्थित सूफी संप्रदाय में भारतीय अद्वैतवाद की गहरी छाप देख पड़ी। यह सूफी मत भारत में पहले पहल सिंध प्रांत में फैला, फिर देश के अन्य भागों में भी इसका प्रचार हुआ। थोड़े समय के उपरांत जब इस देश में वैष्णव धर्म की लहर चली, तब सूफियों पर उसका घड़ा प्रभाव पड़ा। प्रेमपूर्ण वैष्णव धर्म शाकों और शैवों के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था और उसने अहिंसा आदि पर विशेष जोर डाला था। “हरि को भजे सो हरि को होई” के आधार पर मनुष्य मनुष्य का साम्य स्थापित हुआ था और यही साम्य अधिक विस्तृत होकर पशुओं पक्षियों पर दया दिखाने, उनका घर न करने आदि रूपों में भी फैला था। सूफियों ने वैष्णव धर्म की यह शिक्षा ग्रहण की थी और वे भी अहिंसावादी बन गए थे।

उपनिषदों के अन्य अनेकवादों को भी सूफियों ने ग्रहण किया था। प्रतिविंधवाद के अनुसार नाम-रूपात्मक जगत् ब्रह्म का प्रतिविंध है। ब्रह्म विंध है और जगत् उसका प्रतिविंध। जायसी ने पद्मावत में कई स्थानों पर प्रतिविंधवाद से अपना मत-साम्य दिखलाया है। खटि की उत्पत्ति के संवंध में यद्यपि प्रधानता मुसलमानी भतों को ही दी गई है, परंतु भारतीय शैली का भी धीर धीर में सम्मिश्रण हुआ है। भारतीय पंचभूतों के स्थान पर सूफियों को चार ही भूत मान्य थे। आकाश की

रमणीय दृश्य दिखाई पड़ते हैं, कभी जब इसका उसके साथ संयोग होता है, तब सारी प्रकृति मानों आनंदोल्लास से नाच उठती है। इस प्रकार प्रकृति की ही सहायता से जायसी का रहस्यवाद व्यक्त हुआ है। इसके विपरीत कवीर ने देवांत के अनेक चारों तथा अन्य दार्शनिक शैलियों का अनुसरण करते हुए रहस्योद्गार व्यक्त किए हैं। कविता की दृष्टि से कवीर का रहस्यवाद औज और प्रकाशपूर्ण है और सूफियों का माधुर्य और रसपूर्ण है। कवीर एक मात्र निर्गुणोपासक हैं और सूफी अव्यक्त के प्रेममूलक उपासक हैं। प्रेम से अव्यक्त को व्यक्त रूप में प्रकट करते हैं।

छंदों और अलंकारों के संबंध में संक्षेप में इतना कहा जा सकता है कि सभी सूफी कवियों के छंद अधिकतर दोहे और चौपाई तक ही छंद और अलंकार सीमित रहे और अलंकार कहीं भी भार या आड़-घर नहीं बन बैठे। इन दोनों ही वातों से इन कवियों की सरलता का पता चलता है और यह आभास भी मिलता है कि उन्हें भावों और विचारों को व्यक्त करने का सबसे अधिक ध्यान था और छंद अलंकार आदि भावों के उत्कर्ष में सहायक मात्र समझे गए थे, इससे अधिक उनका महत्व न था। प्रबंधकाव्य में विभिन्न छंदों का आधिक्य उचित होता है या नहीं, इस संबंध में भत्तेद हो सकता है। संस्कृत के काव्यों में अनेक प्रकार के छंद व्यवहृत हुए हैं। कालिदास के रघुवंश, कुमारसंभव आदि काव्य इसके उदाहरण हैं। हिंदी में एक और केशवदास हैं जिनकी रामचंद्रिका यहुविध छंदों का आगार है और दूसरी और तुलसीदास का 'रामचरितमानस' है जिसमें दोहे और चौपाईयों के अतिरिक्त अन्य छंद यहुत थोड़ी संख्या में आए हैं। यदि रामचंद्रिका और रामचरितमानस में, किसी को छंदों की सुधरता और संगीतात्मक की दृष्टि से प्रधानता देनी हो तो हम रामचरितमानस को ही छुनेंगे।

छंद एक सा रहने से पाठक को रसस्नोत में रहने की एक अगाध धारा सी मिल जाती है। यद्यपि कभी कभी उस धारा से निकलने के लिये जो उत्सुक होता है, कभी कभी जो ऊंच भी जाता है, पर पद पद पर नए नए छंदों के प्रवाह में टकराते हुए रहना दो किसी को कदाचित् ही पसंद हो। जहाँ भावधारा एक ही गति से यह रही है वहाँ नवीन छंदों का प्रयोग तो विशेष ही करता है। फिर सब कवि संगीत विद्या के विशारद नहीं होते। वे प्रायः मनमाने छंदों का प्रयोग कर देते हैं और भावानुकूलता का विचार नहीं रखते। इस दृष्टि से सूफी कवियों ने केवल दोहे और चौपाई को छुनकर यद्यपि पाठकों के ऊंचने की जगह रख छोड़ी है, फिर भी हमारी सम्मति में इसके लिये उन्हें दोषी ठहराना

उचित न होगा। चौपाइयों के अंत में हस्त तथा दीर्घ दोनों का समावेश करके तथा दोहों में चति को विभिन्न स्थानों में रखकर मनोविनोद का साधन उपस्थित किया गया है। इसके अतिरिक्त छुंदों की एकरूपता भावों की प्रचुरता के सामने घटुत कुछ दृश्य जाती है।

एक और बात यहाँ जान लेना आवश्यक है। चौपाई में, जैसा कि उसके नाम से ही विदित होता है, चार पद होने चाहिएँ। पर इन मुसलमान कवियों ने उसे दो ही पदों का माना है क्योंकि प्रत्येक दोहे के बीच में जितनी चौपाइयाँ आई हैं, उनकी संख्या सम नहीं है। कहों छुः द्विपदियों पर, कहों सात द्विपदियों पर और कहों आठ द्विपदियों पर दोहे दिए गए हैं। तुलसीदासजी ने अपने रामचरितमानस में इन द्विपदियों की संख्या भी सब स्थानों पर एक सी नहीं रखी है।

अलंकारों में अर्थवाले प्रधान हैं, शब्दवाले अप्रधान। प्रेममार्गी कवियों ने शब्दालंकारों पर बहुत ही कम ध्यान दिया है—प्रायः कुछ भी नहीं। उनकी यह निरपेक्षता खटकने की सीमा तक पहुँच जाती है। परंतु इसकी कभी अर्थालंकारों में पूरी करने की चेष्टा की गई है जो सफल भी हुई है। इन कवियों ने सादृश्यमूलक उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का अधिक प्रयोग किया है। जायसी को हेद्यत्प्रेक्षा सबसे अधिक प्रिय है। हेद्यत्प्रेक्षा की सहायता से वे अपनी साधारण अनुभूतियों को व्यक्त करने में, अर्थवा उनकी ओर संकेत करने में सफल हुए हैं। कहों कहों अलंकारों का ऐसा सम्मिश्रण भी किया गया है जिससे उन कवियों में सूक्ष्म शास्त्रीय अभिन्नता का अभाव लक्षित होता है पर अधिकांश स्थलों में सुंदर अलंकार आय हैं। शब्द को लाक्षणिक शक्ति का प्रचुर उपयोग भी मिलता है। इन कवियों के प्रायः सब काव्य व्यंजना से युक्त हैं। उनकी व्यंजना परमार्थ तत्त्व की ओर है, और कहों कहों काव्य-धारा में आई हुई समासोकियाँ वास्तव में अनुपम हुई हैं। सारोंश यह कि अर्थालंकार प्रायः प्रसंगानुकूल और उपयोगी है, केशव तथा अन्य श्रेष्ठगारी कवियों की भौति भरती के नहीं।

सूफी कवियों की भाषा अवध की हिंदी है। हिंदी के धीरगाथा फाल में कविता का ज्ञेय राजपूताने का परिचयी ग्रांत तथा दिल्ली के

भाग

आसपास की भूमि था, अतएव उस काल की रचनाओं में वहाँ की भाषा का अधिक प्रयोग हुआ।

यह भाषा शौरसेनी प्राकृत तथा नागर अपम्र्णश से निकलकर उसी समय हिंदी में आई थी, अतः तब तक वह घटुत कुछ उखड़ी हुई, असंयत और भर्ती थी। व्याकरण के नियमों का अनुशासन तो दूर रहा, उसमें विल-

कुल वेठिकाने की उत्पत्ति के अनेक शब्दों का अनेक रूपों में प्रयोग हुआ है। भाषा की प्रारंभिक अवस्था में ऐसा होना स्वाभाविक भी है। धीरे धीरे उस भाषा का विकास होने लगा। हिंदी में वीरगाथा काल के उपरांत जय वैष्णव आंदोलन की लहर चली और कवीर आदि संतों का आविर्भाव हुआ, तब हिंदी कविता का क्षेत्र राजपूताने आदि से हट कर पूर्व की ओर आया। कवीर की भाषा में पंजाबीपन तो है, पर उसमें अवधी क्रियाओं के रूप तथा विहारी प्रयोग भी कम नहीं हैं। इससे यह न समझना चाहिए कि कवीर के द्वारा भाषा का भ्रापन दूर हुआ हो। हाँ, विकासक्रम के अनुसार वीरगाथाओं की भाषा से कवीर की भाषा कुछ नियमित अवश्य है। भाषा का जैसा सुन्दर सुधार सूफी कवियों ने किया वैसा हिंदी में पहले कभी नहीं हुआ था। सूफियों की भाषा अवध की थी, जिसकी उत्पत्ति अर्धमार्गी से मानी जाती है। जायसी आदि ने उसे परिमार्जित कर अत्यंत शुद्ध बना दिया और उसमें व्याकरण-विशद्ध प्रयोगों को न आने दिया। यद्यपि कहाँ कहाँ अर्थी फारसी के शब्द भी आए हैं और कहाँ कहाँ अवधी तोड़ी मरोड़ी भी गई है परंतु अधिकांश कवियों ने यथासंभव शुद्ध अवधी का ही प्रयोग किया है। अवधी का यह माधुर्य लोकभाषा का माधुर्य है, संस्कृत का नहीं। तुलसीदास के रामचरितमानस में जो भाषा है उसमें संस्कृत की प्रचुरता के कारण एक नवीन सौंदर्य आ गया है जो डेढ़ अवधी के सौंदर्य से भिन्न है। हम कह सकते हैं कि सूफी कवियों की अवधी घोलचाल की परिमार्जित भाषा थी, तुलसीदासजी की अवधी ने साहित्यिक रूप धारण किया, एक का दूसरे के अनन्तर विकास सर्वथा स्वाभाविक था। सूफी संग्रहाय के कुछ विशिष्ट कवियों का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है।

ये विक्रम की सोलहवीं शताब्दी के मध्यभाग में शेरशाह के पिता हुसैनशाह के आश्रय में रहते थे। चिश्ती वंश के प्रसिद्ध शेरस बुरहान

कुतयन

इनके गुरु थे। हिंदी के सूफी कवियों में ये ही

सबसे पहले हुए और इनकी रचित “मृगावती” का नामोल्लेख जायसी ने अपने पञ्चावत में किया है। मृगावती पुस्तक में गणपतिदेव के पुत्र और मृगावती की प्रेमगाथा अंकित की गई है। गणपतिदेव चंद्रनगर के राजा है और मृगावती कंचनपुर की राजकन्या है। चंद्रनगर का राजकुमार कंचनपुर की राजकुमारी को देखकर मोहित हो गया पर राजकुमारी उड़ने की विद्या जानती थी, इससे वह राजकुमार को मिल न सकी। अनेक कष्ट उठाने पर अंत में मृगावती

से उसकी भेट हुई। इसी वीच में उसने रुकमिनी नामक एक सुंदरी को राक्षस के हाथ से बचाकर अपनी प्रेमिका बना लिया था। मृगावती और रुकमिनी दोनों उसकी रानियाँ हुईं। एक दिन वह हाथों से गिरकर मर गया। मरने पर दोनों रानियों के सर्ती होने का मर्मस्पर्शी चित्र दिखाया गया है। कुतवन की यह गाथा काल्पनिक है। इसके बीच बीच में प्रेम-मार्ग की कठिनाई का भीपण चित्र है और अनेक रहस्यात्मक स्थल हैं।

इनकी मधुमालती नामक प्रेमगाथा का उल्लेख भी पद्मावत में किया गया है। मधुमालती की कथा मृगावती की अपेक्षा अधिक रोचक मंभल है और इसके वर्णन भी अधिक विशद हैं। प्रकृति के अनेक सुंदर दृश्यों का इसमें वर्णन मिलता है।

प्रेममार्गी सूफियों में ये ही सर्वप्रधान हुए। इनका रचनाकाल शेरशाह के राजत्वकाल में सोलहवीं शताब्दी का अंतिम भाग था। मलिक मुहम्मद जायसी हैं जिनमें पद्मावत प्रधान है। हाल में उनकी 'आखिरी कलाम' नाम को रचना खोज में मिली है। पद्मावत की कथा में ऐतिहासिकता और काल्पनिकता का अच्छा सम्बन्ध हुआ है। अखरावट में अक्षरकम से सूफी सिद्धांतों और ईश्वर तथा जगत् विषयक व्यवहारों का निरूपण है। 'आखिरी कलाम' में जायसी ने मुसलमानों मजहब की मान्यताओं का निर्देश किया है और इसमें मजहबी कहरता का भी पुट है।

मलिक मुहम्मद अवध प्रांत के जायस कस्बे के रहनेवाले थे। इनके गुरु प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहदी थे। अनेक पंडितों और साधुओं का इन्होंने सत्संग किया था और बड़ी जानकारी प्राप्त की थी। वेद, पुराण, कुरान आदि प्रसिद्ध धर्म-ग्रंथों की अनेक वातें इन्हें साधु-संगति से ही मालूम हुई थीं क्योंकि ये बहु-पठित न थे। इनका भ्रमण भी बड़ा विस्तृत रहा होगा; क्योंकि पद्मावत में देश भर के भिन्न भिन्न स्थलों की भौगोलिक स्थिति का जो उल्लेख है, वह बहुत कुछ ठीक है।

पद्मावत में प्रेम-मार्ग की जो मर्मस्पर्शी कथा है वह स्वर्गीय प्रेम की अत्यंत व्यापक भावना से समन्वित है। क्या कथा के निर्धार्ष का हंग, क्या प्रसंगानुकूल भावों की व्यंजना और क्या वर्णनों की उपयुक्ता, सभी प्रशंसनीय हैं। प्रकृति के नाना दृश्यों के द्वारा अद्भात के प्रति जो संकेत हैं, वे जायसी की उच्च अनुभूति के परिचायक हैं।

अखरावट में जायसी के प्रेमसंबंधी तथा अन्य सिद्धांतों का संग्रह है इन प्रसिद्ध कवियों की मृत्यु-तिथि का ठीक ठीक पता नहीं लगता।

मलिक मुहम्मद ने आपने पूर्व के जिन उपास्यानों के नाम दिए हैं उनके अनुसार इनके निर्माण का क्रम यह होता है—सपनावती, मुगधावती, मृगावती, मधुमालती, प्रेमावती। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि मृगावती के पहले सपनावती और मुगधावती नाम के दो काव्य इच्छे गप थे और मधुमालती के अनंतर प्रेमावती की रचना हुई होगी। इसके अनंतर पश्चावत की रचना हुई। इनमें से केवल मृगावती और मधुमालती का पता चला है परं खेद का विषय है कि मृगावती की प्रति अब प्राप्य नहीं है और मधुमालती खंडित मिली है।

जायसी के कुछ काल उपरांत जब तुलसीदास का आविर्भाव हुआ तब सूक्ष्मियों की कविता क्षीण हो चली। हिंदुओं की सगुण भक्ति

उसमान के प्रवाह में सूक्ष्मियों की निर्गुण भक्ति स्थिर न रह सकी।

उसमान जहाँगीर के समकालीन कवि थे। ये शाह निजामुद्दीन चिह्निती की शिष्यपरंपरा में थे, हाजी धाया इनके गुरु थे। संवत् १६७० में इनका चिन्नावली नामक काव्य लिखा गया। सभी प्रेमगाथाओं की भाँति इसमें भी पैगंबर, गुरु आदि की घंटना है और धादशाह जहाँगीर को भी स्मरण किया गया है।

चिन्नावली में जायसी के पश्चावत का अत्यधिक अनुकरण किया गया है, अंतर इतना ही है कि उसकी कहानी विलकुल काल्पनिक है और जायसी की कहानी का कुछ पेतिहासिक आधार है। कवि ने चिन्नावली में अँगरेजों के देश का भी एक स्थान पर नाम लिया है जिससे पता चलता है कि उस समय अँगरेज यहाँ आ गए थे और उसमान को इसका पता था।

जायसी की ही भाँति इन्होंने भी ग्रन्थ में नगर, यात्रा, पद्मनाभ आदि का वर्णन किया है और ईश्वर की प्राति की साधना की ओर संकेत किया है। फिर भी पश्चावत की सी विशद वर्णना इसमें कम ही मिलती है, उसके अनुकरण की छाप इसमें देख पड़ती है।

उसमान के उपरांत शेष नवी हुए परंतु इनके उपरांत प्रेममार्गी कविसंप्रदाय प्रायः निर्जीव सा हो गया। यद्यपि कासिमशाह, नूर-मुहम्मद, फाजिलशाह आदि कवि होते रहे, परं उनकी रचनाओं में इस संप्रदाय का हास साफ योलता सा जान पड़ता है। हाँ, नूरमुहम्मद की “इंद्रावती” की प्रेमकहानी अवश्य सुंदर थन पड़ी है। यह संवत् १८०१ में लिखी गई थी।

क्या भावों के विचार से और क्या भाषा के विचार से सूफी कवियों ने हिंदी को पहले से बहुत आगे बढ़ाया। वीरगाथा काल में

केवल वीरोल्लासपूर्ण कविता का सृजन हुआ, वह भी परिणाम में अधिक नहीं। उस काल की भाषा तो विलकुल अविकसित थी। अखण्ड

उपसंहार . कवियों के हाथ में पड़कर वह और भी मौँझी बन गई। उसके उपरांत कवीर का समय आया। कवीर

महात्मा थे और उनके द्वारा साहित्य में पूर्त भावनाओं का समावेश हुआ। किंतु कवीर की भाषा तो बहुत ही विगड़ी हुई है। कुछ पंजाबी खड़ी बोली, कुछ ब्रजभाषा और कुछ अवधी का पुट देकर जो खिचड़ी तैयार हुई वह रमते साधुओं के काम की भले ही हो, सर्वसाधारण विशेष-कर परिमार्जित रुचि रखनेवालों के लिये उसमें घड़ी कमी थी। सूफी कवियों ने अपने उदार भावों को पुष्ट भाषा में व्यक्त करके दोनों ही क्षेत्रों में अपनी सफलता का परिचय दिया। कवीर आदि संतों की धानी सामृहिक रूप से देश के लिये घड़ी हितकारिणी सिद्ध हुई, परंतु सूफियों की ग्रंथ-रचनाओं ने सामाजिक हित भी किया और साहित्यिक समृद्धि में भी सहायता दी। यह ठीक है कि सूर और तुलसी आदि के प्रबोश करते ही प्रेमगार्ही कवि बहुत कुछ स्थानांतरित हो गए और हिंदी भी अत्यधिक समृद्ध हुई पर इतना कहना ही पड़ेगा कि तुलसी को एक मार्जित भाषा देकर रामचरितमानस की रचना में सहायक होने में जायसी आदि सूफियों को शेय देना ही होगा। हिंदू सभ्यता और संस्कृति के प्रति सहानुभूति इन मुसलमान कवियों की खास विशेषता है। इनका हृदय अतिशय उदार और स्वर्गीय प्रेम की पीर से श्रोतप्रोत था। सबसे घड़ी घस्तु इनका कवितागत रहस्यवाद है जो हिंदी में अपनी विशेषता रखता है।

इन मुसलमान सूफी कवियों की देखा देखी हिंदू कवियों ने भी उपास्यान-काव्यों की रचना की। किंतु इन सब काव्यों का ढंग या तो पौराणिक, ऐतिहासिक अथवा पूर्णतया साहित्यिक हुआ। सूफी कवियों की रचनाओं में धर्म की जो लहर अदृश्य रूप से व्याप्त हो रही है, उसका हिंदू कवियों की इन रचनाओं में अभाव है। ऐसे काव्यों में लक्ष्मणसेन पद्मावती कथा, दोलामारु री चउपही, रसरतन काव्य, कनकमंजरी, कामरूप की कथा, चंद्रकला, प्रेमपयोनिधि, हरिचंद पुराण, आदि हैं। इनके संबंध में इतना कह देना आवश्यक है कि इन्हीं उपास्यानों की परंपरा के परिणाम-स्वरूप उन अमर काव्यों की हिंदी में रचना हुई जिनके कारण हिंदी साहित्य गौरवान्वित और सम्मानित हुआ।

आठवाँ अध्याय

रामभक्ति शाखा

विजयी मुसलिम शक्ति अदम्य उत्साह के साथ इस देश पर अपनी संस्कृति और सभ्यता की छाप डाल चुकी थी। उसका प्रथम वेग

रामभक्ति की उत्पत्ति घड़ा ही प्रबल था। सामाजिक और धार्मिक और विकास क्षेत्रों में ही नहीं, साहित्यिक क्षेत्र में भी उस प्रबल वेग का साक्षात्कार किया जा सकता है। कवीर

और जायसी आदि जिन कवि-संप्रदायों के प्रतिनिधि हैं, उनका विवरण हम पढ़ले दे चुके हैं। उनमें मुसलिम विचारों और कात्यशैलियों का प्रभाव प्रत्यक्ष है। (जायसी तो मुसलिम सूफी संप्रदाय के ही कवि हैं, यद्यपि उन्होंने हिंदुओं के घर की कहानी कही और भारतीय दृश्यों का समाचेश किया।) यदि उनके मुख्य मुख्य सिद्धांतों की दृष्टि से देखें तो कह सकते हैं कि वे फारस के ही अधिक उपयुक्त हैं, इस देश के लिये उतने उपयुक्त नहीं। कवीर यद्यपि जन्म से हिंदू थे, और हिंदू पंडितों के मध्य में ही पले थे परं फिर भी उन पर मुसलिम प्रभाव कम नहीं था। यह काल मुसलिम सभ्यता के प्रथम विकास का था। जिस प्रकार वर्षों की पहाड़ी नदी पानी के पढ़ले झोंके में तीव्र गति से तटों को तोड़ती और उमड़ती हुई चलती है, पर शीघ्र ही अपनी सीमा में आकर प्रशमित हो जाती है, उसी प्रकार मुसलमानों का प्रथम उल्लास भी घड़ा ही उद्योगपूर्ण था परं पीछे जब इस देश की जल-वायु, आचार-विचार और सभ्यता आदि का उन पर प्रभाव पड़ा तब उनमें विचार-शीलता और गंभीरता आई। इसी समय इस देश में भी प्राचीन भक्ति का आधार लेकर नवीन विकास हो रहा था और इस नवीन विकास में तत्कालीन स्थिति ने बड़ी सहायता पहुँचाई।

भक्ति के नवीन विकास के संयंध में हम पढ़ले कह चुके हैं कि यह प्राचीन शास्त्रीय धर्मशैली की सहायता से उत्पन्न हुआ था और इसके समर्थन में हिंदू धर्म के सहस्रों प्राचीन ग्रंथ घुहत बड़ी संख्या में उपस्थित थे। साथ ही हम यह भी कह चुके हैं कि इस नवीन उत्थान में यद्यपि अनेक प्रवर्तकों का हाथ होने से अनेक मत चल पड़े थे, परं विष्णु या नारायण की भक्ति ही अनेक रूपों में प्रचलित थी। अतः उक्त

वैष्णव भक्ति में अनेक शास्त्र-भेदों के होते हुए भी, सामान्य एकता थी। यहाँ हमारा संवंध वैष्णव भक्ति की शास्त्र-प्रशास्त्राओं से उतना ही है, जितना हिंदी साहित्य के विकास में वे सहायक हुई हैं। कवीर और जायसी आदि के प्रसंग में हम वैष्णव भक्ति का प्रभाव दिखा चुके हैं। अब हम हिंदी साहित्य के उस काल में प्रवेश करते हैं जिसमें इस नवीन भक्ति का अधिक से अधिक प्रभाव पड़ा और वह घर घर में व्याप्त हो गई। कुछ तो तत्कालीन मुसलमान शास्त्रों की उदार नीति, कुछ हिंदुओं की निराशाजनक स्थिति, और सबसे अधिक महाकवियों तथा महात्माओं का उदय भक्ति के प्रसार में अत्यधिक सहायक हुआ। समाज की दशा सुधरी, उसे मनोवल मिला। इस प्रकार एक और तो भक्ति की प्रेरणा से हिंदी कविता में अभूतपूर्व सहायता आई और दूसरी ओर हिंदी कविता का सम्बन्धन पाकर भक्ति की ज्योति चारों ओर फैली जिससे हिंदू जीवन उद्दीप हो उठा। रामभक्ति और कृष्णभक्ति, वैष्णव भक्ति की ये दोनों शाखाएँ हिंदी-साहित्योदयान में खूब फैलीं, जिससे जनता का मन हरा भरा हुआ। समयानुक्रम के अनुसार हम रामभक्ति का उल्लेख पहले करेंगे।

वैष्णव भक्ति को रामोपासिका शास्त्र का आविर्भाव महात्मा रामानंद ने विक्रम की पंद्रहर्षी शताब्दी के उत्तरार्ध में किया था।

रामानंदी संप्रदाय आदि प्रसिद्ध भक्त हो चुके थे, पर उन्होंने भक्ति-आंदोलन को एक नवीन स्वरूप देकर तथा उसे अत्यधिक लोकप्रिय और उदार बनाकर हिंदूधर्म के उद्धायकों में समाननीय स्थान पर अधिकार पाया। कवीर, तुलसी और पीपा आदि उनके शिष्य अथवा शिष्यपरंपरा में थे, इससे भी उनके महत्व का अनुमान हम अच्छी तरह कर सकते हैं।

महात्मा रामानंद स्वामी रामानुज के श्री-संप्रदाय के अनुयायी थे, यह वात जनथुतियों से भी ज्ञात होती है और दोनों की रचनाओं की समता से भी। श्रीवैष्णवों के यहाँ विष्णु के कृष्ण, राम तथा नूसिंह आदि अवतारों की उपासना करने की रीति प्रचलित थी, यद्यपि प्रधानतः उनका मुकाय कृष्णोपासना की ओर ही अधिक था। महात्मा रामानंद ने राम और सीता को, इष्टदेव मानकर उनकी पूजा की और हनुमान, भरत आदि रामभक्तों के भी वे भक्त बने। इस प्रकार यद्यपि कई आराध्य देव होते हैं, पर वे राम के संवंध से ही सम्मान्य समझे जाते हैं, अन्यथा नहीं। (राम की उपासना उन्हें पर्याप्त मानकर की गई।)

अन्य उपास्य देव उनके सामने निम्न स्थान के अधिकारी हुए। कवीर ने तो राम को निर्गुण और सगुण व्रह्म से भी परे बतलाकर उनका चरम उत्कर्ष प्रफुट फिया है। पर यह समानता केवल नाम की थी, व्यक्तित्व की नहीं। राम से उनका अभिप्राय परग्रह्म से ही था।

स्वामी रामानंद यथपि आचार्य रामानुज के ही अनुयायी थे, पर मंत्र-भेद, तिलक-भेद तथा अन्य विभेदों के कारण कुछ लोग उन्हें श्री-वैष्णव संप्रदाय में नहीं मानते। वे श्रिदंडी संन्यासी नहीं थे, अतएव उनमें और श्री-संप्रदाय में भेद बतलाया जाता है। परंतु यह निश्चित है कि रामानंद काशी के वावा राघवानंद के शिष्य थे और वावा राघवानंद श्री-संप्रदाय के वैष्णव संत थे। यथपि यह किंवदंती प्रसिद्ध है कि रामानंद और राघवानंद में आचार के संबंध में कुछ मतभेद हो जाने के कारण रामानंद ने अपना संप्रदाय अलग स्थापित किया फिर भी इसमें संदेह नहीं कि वावा राघवानंद को मृत्यु के उपरांत रामानंदजी ने रामभक्ति का मार्ग प्रशस्त कर उत्तर भारत में एक नवीन भक्ति-मार्ग का अभ्युदय किया।

यह तो हम पहले ही कह चुके हैं कि रामभक्ति का विकास दक्षिण भारत में रामानंद के पहले ही हो चुका था और तामिळ प्रदेश में इसका प्रचार भी पर्याप्त था। उस समय तक भक्ति-ग्रंथों की रचना भी होने लगी थी। रामानंद ने दक्षिण के रामभक्तों से बहुत कुछ ग्रहण किया। “ओ३३३ रामोय नमः” का उनका मंत्र ही नहीं, उनकी धार्मिक उदारता भी, जो भक्ति में शूद्रों के प्रवेश आदि के रूप में व्यक्त हुई, उन्होंने दक्षिण के अनुकरण में ही स्वीकार की, और चलाई थी। इतना ही नहीं, दक्षिण में प्रचलित अध्यात्म-रामायण, अगस्त्य-सुतीष्टण-संवाद आदि धर्मग्रंथों को लाकर उन्होंने उनका प्रचार किया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर भारत ने की तत्कालीन रामभक्ति के आंदोलन में दक्षिण भारत ने बहुत कुछ योग दिया था।

(रामानंद के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही जाती है कि उनके आंदोलन में वड़ी उदारता थी और वे ईश्वरोपासना में जातिभेद स्वीकार नहीं करते थे।) उनके शिष्यों में शूद्र वर्ण के तो कई व्यक्ति थे, पर मुसलमान कवीरदास भी थे।) उस समय शिष्यों की स्थिति अत्यंत निम्न थी और वे भक्ति की अधिकारिणी नहीं, मानी जाती थीं, परंतु स्वामी रामानंद की शिष्या खी भी थी।) इस उदारता का कारण कुछ व्यक्ति मुसलमानों का प्रभाव बतलाते हैं, परंतु हमारी सम्मति में इसमें विदेशीय प्रभाव के साथ ही भारतीय तात्त्विक दृष्टि भी

प्रतिफलित हुई है। महात्मा शंकर ने अद्वैतवाद का उपदेश देकर जिस दार्शनिक साम्य की प्रतिष्ठा की थी उसके अनुसार जीवात्मा आखंड और अभेद मानी गई थी। स्वामी रामानुज के विशिष्टाद्वैत का शंकर स्वामी के अद्वैतवाद से इस विषय में अभेद है। वे भी जीव का साम्य स्वीकृत करते हैं। हिंदुओं का वर्णविभाग सामाजिक कार्यविभाग की दृष्टि से चला था, तात्त्विक दृष्टि से तो सबकी समानता स्वीकृत की गई थी। हाँ, स्वामी रामानंद तथा अन्य आचार्यों में इतना विभेद अवश्य है कि उन्होंने पहले की अपेक्षा अधिक अग्रसर होकर धोपणा की कि धर्म में जातिभेद नहीं है, और इस सिद्धांत के अनुसार अपने शिष्यों में सभी बणों को सम्मिलित किया। यह सब कुछ होते हुए भी हम यह नहीं भूल सकते कि रामानंद ने भक्ति के अधिकार की दृष्टि से जाति के भ्रमेले को दूर किया है, पर समाज में उन्हें जातिभेद स्वीकार था। यह धात उनके वेदांत-शूलों के भाष्य से स्पष्ट हो जाती है।

स्वामी रामानंद के दार्शनिक विचारों और सिद्धांतों का निरूपण करना कठिन है। यह तो ठीक है कि स्वामी रामानुज की ही भाँति वे भी वैष्णव भक्त थे, अतः शंकराचार्य के ज्ञानभार्ग में निरूपित अद्वैतवाद से उनके सिद्धांतों में विभेद होना स्वाभाविक है। रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद भक्ति के उपयुक्त था, अतएव भक्त रामानंद भी इसी सिद्धांत के समर्थक होंगे, ऐसा अनुमान होता है; रामानंदजी की शिष्य-परंपरा द्वारा निर्मित साहित्य का अनुसंधान करने पर भी संदेह ही बना रहता है। एक ओर तो कवीर, नानक आदि निर्गुण संत हैं जिन्होंने राम को निर्गुण सगुण सबके ऊपर मान-कर अपने अद्वैतवादी होने का परिचय दिया है और दूसरी ओर तुलसी-दास हैं जिन्होंने अयोध्या के नुपति दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम को अपना इष्टदेव बनाया और भक्तिभाव से उनका चरित्र अंकित किया। कहीं कहीं तो कवीर आदि संत अद्वैतवाद से नीचे उतरते, अपने आराध्य देव में युणों का आरोप करते और स्वयं भक्त बनकर उसे भक्तवत्सल कहते हैं। इसी प्रकार महात्मा तुलसीदास भी यद्यपि दासभाव से उपासना करते हुए ईश्वर तथा जीव में विभेद की व्यंजना करते हैं, पर साधना की उच्च श्रेणी पर पहुँचकर वे कभी कभी सारे जगत् को रामभय देखते और इस प्रकार अद्वैत की ओर संकेत करते हैं। अतः हम देखते हैं कि स्वामी रामानंद की शिष्यपरंपरा में अद्वैत तथा विशिष्टाद्वैत मतों का सम्मिश्रण हुआ है। भक्तिभावापन्न व्यक्तियों के लिये यह स्वाभाविक ही है। हाँ, यह अवश्य स्वीकार करना पड़ता है कि स्वामी रामानंद की

प्रेरणा से देश-भाषाओं में रामभक्ति का जो साहित्य, तैयार हुआ उसमें सिद्धांतों की अधिक स्पष्ट व्यंजना नहीं हुई—कहाँ कहाँ तो विभिन्न मतों का समावेश भी हुआ है।

रामभक्ति की जो शाखा महात्मा रामानंद द्वारा विकसित हुई, आगे चलकर उसका अत्यधिक विस्तार हुआ और वह खूब फूली-फली। रामानंद की शिष्यपरंपरा यद्यपि अपनी उदारता के कारण रामभक्ति उस सांप्रदायिक कट्टरपन से बची रही जो कृष्णोपासना के कुछ संप्रदायों में फैली, तथापि इतना तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि रामानंद की रामोपासना का इस देश पर प्रचुर प्रभाव पड़ा। कवीर, पीपा, रैदास, सेना, मलूक आदि संत सब रामानंद के ऋणी हैं, यद्यपि उनके चलाए हुए संप्रदायों पर कुछ इस्लामी प्रभाव भी पड़े और अनेक भेदोपभेद भी हुए। जनता पर इन संतों का बड़ा प्रभाव पड़ा। परंतु महात्मा रामानंद का गृण इन संतों तक ही परिमित नहीं है। इनकी शिष्य-परंपरा में आगे चलकर गोस्वामी तुलसीदास हुए जिनकी जगत्प्रसिद्ध रामायण हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट रत्न तथा उत्तर भारत की धर्मग्राण जनता का सर्वस्व है। कवीर आदि संतों के संप्रदाय देश के कुछ कोनों में ही अपना प्रभाव दिखा सके और पढ़ी-लिखी जनता तक उनकी वाणी अधिक नहीं पहुँची, परंतु गोस्वामी तुलसीदास की कविता ऊँच-नीच, राजा-राज, पढ़े-वेपढ़े सबकी दृष्टि में समान रूप से आदरणीय हुई। ये गोस्वामी तुलसीदासजी स्वामी रामानंद के ही उपदेशों को अहण करके चले थे, अतः स्वामी रामानंद का महत्व हम अच्छी तरह समझ सकते हैं और उनके उपदेशों से अंकुरित रामभक्ति को आज असंख्य घरों में फैली हुई देख सकते हैं।

हिंदी भाषा की संपूर्ण शक्ति का चमत्कार दिखानेवाले और हिंदी साहित्य को सर्वोच्च आसन पर बैठानेवाले भक्तशिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास महात्मा रामानंद की शिष्य-परंपरा में थे। अपनी अद्भुत प्रतिभा और अलौकिक कवित्य-का अनुसंधान शक्ति के कारण वे देश और काल की सीमा का उल्लंघन कर सार्वदेशिक और सार्वकालिक हो गए हैं। आज तीन सौ वर्षों में उनकी कीर्तिश्री कम नहीं हुई, प्रत्युत निरंतर घड़ती ही जाती है। उनकी लौकिक जीवन-गाथा का उल्लेख यहाँ संक्षेप में आवश्यक है। उनका जीवनचरित लिखनेवाले महात्मा रघुवरदास के “तुलसीचरित” से उनकी जीवनी का पता चलता है परंतु उनके समकालीन शिष्य वावा वेणीमाधवदास का “गोसाईचरित” अधिक प्रामाणिक माना जाता है।

इनके अतिरिक्त अयोध्या के कुछ रामायणी भक्त तथा मिरजापुर के पंडित रामगुलाम द्विवेदी आदि जनश्रुतियों के आधार पर गोस्वामीजी की जीवनगाथा के निर्माण में सहायक हुए हैं। शिवसिंह सेंगर और डाकटर प्रियसेन के ग्रांमिक अनुसंधानों से उनकी जीवनी पर जो प्रकाश पड़ता है, वह भी ध्यान देने योग्य है। इस बाहा साह्य को लेकर जब हम गोस्वामी जी के ग्रन्थों का अन्वेषण करते हैं और उनमें उनकी जीवनी के संबंध में आप हुए संकेतों से उस बाहा साह्य को मिलाकर देखते हैं तब उनके जीवन की अनेक घटनाओं का निश्चय हो जाता है और इस प्रकार उनकी वहुत कुछ प्रामाणिक जीवनी तैयार हो जाती है। परंतु इस जीवनी से पूरा पूरा संतोष नहीं होता, क्योंकि वह केवल उनके जीवन की असंबद्ध घटनाओं का संग्रह मात्र होती है, उससे उनके मानसिक और कला संबंधी कम-विकास का पता नहीं चलता। उनके ग्रन्थों की रचना का क्रम क्या है, रचना की परिस्थितियाँ कौसी थीं आदि इन आवश्यक वातों का ठीक ठीक पता नहीं चलता, जिनकी गोस्वामी जी जैसे महाकवि के विषय में स्वामाविक जिजासा होती है। गोस्वामीजी की जीवनी और उनके ग्रन्थों के रचना-क्रम के संबंध में जो कुछ वक्तव्य प्रकाशित हुए हैं वे अब तक प्रामाणिकता की कोटि तक नहीं पहुँचे। अभी उनके ग्रन्थों के अधिकाधिक अनुशीलन की आवश्यकता है। उनके जीवनचरित के विषय में प्रमाणाभाव से अनिश्चयात्मकता तो थी ही इधर कुछ दिनों से और भी अधिक संदेहों की सृष्टि की जा रही है। सभी अपनी अपनी नई उद्घावनाएँ लेकर उपस्थित होना चाहते हैं। आवश्यकता नवीन उद्घावनाओं की उतनी नहीं है जितनी प्रस्तुत आधार के अधिक गंभीर अनुशीलन की है। तुलसीदासजी किसी विशेष वर्ग या स्थान के व्यक्ति अब नहीं रहे। वे तो समान रूप से हम सबके हो गए हैं। अतः उनकी जीवनी का अनुसंधान करते हुए जातीय और प्रादेशिक संकीर्णता को कुछ भी स्थान न देना चाहिए। जो उपलब्ध प्रमाण हैं उनकी पुष्टि और नवीन प्रमाणों की खोज तथा निष्पत्ति दृष्टि से उन सबका समन्वय ही हमारे इस जातीय महाकवि के पहलौकिक चरित और जीवन-घटनाओं को प्रत्यक्ष कर सकता है। संकीर्ण जातीयता और सांप्रदायिक या व्यक्तिगत मनोवृत्ति की खोजतान कुछ भी लाभ की संभावना नहीं है।

हम भी अपने विद्यारों में संशोधन के लिये संदेश तैयार हैं। अब तक जो कुछ निर्णय हम इस संबंध में कर सके हैं उसके अनुसार गोस्वामीजी की संक्षिप्तजीवनगाथा इस प्रकार स्वोकृत की जा सकती

है। गोसाईं-चरित तथा तुलसी-चरित दोनों के अनुसार गोस्वामीजी का जन्म-संवत् १५५४ और स्वर्गवास-संवत् १६८० ठहरता है; उनका जीननचरित' यद्यपि गोस्वामीजी का मृत्यु-संवत् निस्संदेह

१६८० था पर उनके जन्मकाल के संबंध में

डाकटर प्रियसर्न ने शंका की है और जनश्रुतियों के आधार पर उसे १५८८ माना है। तुलसीदास युक्तप्रांत के वाँदा जिले में राजापुर गाँव के निवासी थे। ये सरयूपारीण व्रात्यण थे। इनके पिता आत्मा-राम पत्योजा के दूबे और इनकी माता हुलसी थीं जिनका उल्लेख अक्षर के दर्खार के रहीम खानखाना ने एक प्रसिद्ध दोहे में किया है। लड़कपन में ही इनके माता-पिता डारा परित्यक होने की जनश्रुति प्रचलित है जिससे इनके अभुक्त मूल में जन्म लेने की वात की कुछ लोगों ने कल्पना की है। पर वाया वेणीमाधवदास ने इस घटना का पूरा विवरण देकर सब प्रकार की कल्पना और अनुमान को शांत कर दिया है। वाल्यावस्था में आश्रयहीन इधर उधर धूमने-फिरने और उसी समय गुरु द्वारा रामचरितं खुनने का उल्लेख गोस्वामीजी की रचनाओं में मिलता है। कहा जाता है कि इनके गुरु वाया नरहरि थे जिनका स्मरण गोस्वामीजी ने रामचरितमानस के प्रारंभ में किया है। संभवतः उनके ही साथ रहते हुए इन्होंने शाखों का अध्ययन किया। गोस्वामीजी के अध्यापक शेष सनातन नामक एक विद्वान् महात्मा कहे जाते हैं जो काशी-निवासी थे और महात्मा रामानंद के आश्रम में रहते थे। स्मार्त वैष्णवों से शिक्षा-दीक्षा पाकर गोस्वामीजी भी उसी भत के अवलंबी वने। स्मार्त वैष्णव स्मृति-प्रतिपादित धार्मिक रीतियों को मानते हैं, पंच देवों की उपासना उनके यहाँ प्रचलित है यद्यपि वे इष्टदेव को प्रधानता अवश्य देते हैं। गोस्वामीजी का अध्ययन-काल लगभग १५ वर्ष तक रहा। शिक्षा समाप्त कर वे युवावस्था में घर लौटे, क्योंकि इसी समय उनके विवाह करने की वात कही जाती है।

गोस्वामीजी के विवाह के संबंध में कुछ शंकाएँ की जाती हैं। शंका का आधार उनका “व्याह न घरेखी जाति-पाँति ना चहत हैं” पद्यांश माना जाता है, परंतु उनके विवाह और विवाहित जीवन के संबंध में जो किवदंतियाँ प्रचलित हैं और जो कुछ लिखा मिलता है उन पर सहसा अविश्वास नहीं किया जा सकता। गोस्वामीजी का पत्नी-प्रेम प्रसिद्ध है और पत्नी ही के कारण इनके विरक्त होकर भक्त बन जाने की वात भी कही जाती है। खो के अपने भायके चले जाने पर तुलसीदास का प्रेम-विहळ होकर घोर घर्षण में अपनी समुराल जाना

और वहाँ पली द्वारा फटकारे जाने पर घर छोड़कर चल देना भक्तमाल की टीका और वेणीमाधवदास के चरित से अनुमोदित है। यही नहीं, बृद्धायस्था 'में भ्रमण करते हुए गोस्वामी जी का ससुराल में अपनी चिरचियुक्ता पत्नी से भेंट होने का विवरण भी मिलता है। उस समय खी का साथ चलने देने का अनुरोध निम्नांकित देखें मैं घतलाया जाता है।

खरिया खरी कपूर लैं उचित न पिय तिय त्याग ।

कै खरिया मोहि मेलि कै अचल करहु अनुराग ॥

यह सब होते हुए भी कुछ आलोचकों की सम्मति में तुलसीदास जी के विवाह की घात भ्रांत जान पड़ती है। उनके ग्रंथों में खियों के संवंध में जो विरोधात्मक उद्भार पाप जाते हैं, उनका आधार ग्रहण कर यह कहा जाता है कि गोस्वामी जी जन्म भर वैरागी रहे, खो से उनका सत्त्वात्कार नहीं हुआ। अतएव वे खियों की विशेषताओं और सद्गुणों से परिचित नहीं हो सके। वही उनके विरोधात्मक उद्गारों का कारण है। परंतु यह सम्मति विशेष तथ्यपूर्ण नहीं जान पड़ती। गोस्वामी जी ने खियों की प्रशंसा भी की है और निंदा भी। विवाह न करने से ही खियों के संवंध में किसी के कदु अनुभव होते हैं, यह घात नहीं है। खियों का कामिनी के रूप में धर्मिकार केवल तुलसीदासजी ने ही नहीं, अन्य अनेक संप्रदायाचार्यों और कवियों ने भी किया था। भक्ति-काल की यह एक सामान्य विशेषता सी थी, यह तुलसीदासजी की कोई अपनी घात न थी। सबसे महस्त्वपूर्ण घात तो यह है कि विवाह के संवंध में घाहा और आभ्यंतर साद्य मिलते हैं और जनथुतियाँ उसका अनुमोदन करती हैं।

खी से घिरकर होकर गोस्वामीजी साधु बन गए और घर छोड़कर देश के अनेक भूभागों और तीर्थों में घूमते रहे। इनका भ्रमण यड़ा विस्तृत था, उत्तर में मानसरोवर और दक्षिण में सेतुवंध रामेश्वर तक की इन्होंने यात्रा की थी। चित्रकूट की रम्य भूमि में इनकी वृत्ति श्रिति-शय रमी थी, जैसा कि उनकी रचनाओं से स्पष्ट होता है। काशी, प्रयाग और अयोध्या इनके स्थायी निवास-स्थान थे जहाँ ये घर्षों रहते और ग्रंथ-रचनाएँ करते थे। मथुरा वृद्धावन आदि तीर्थों की भी इन्होंने यात्रा की थी और यहाँ कहाँ इनकी "कुम्भ-गीतावली" लिखी गई थी। इसी भ्रमण में गोस्वामीजी ने एचीसों वर्ष लगा दिए थे, और वडे वडे महात्माओं की संगति की थी। कहते हैं कि एक बार जय ये चित्रकूट में थे, तब संवत् १६१६ में महात्मा सूरदास इनसे मिलने आए थे। कवि केशव-दास और रहीम खानखाना से भी इनकी भेंट होने की घात प्रचलित है।

अंत में ये काशी में आकर रहे और संवत् १६३१ में अपना प्रसिद्ध प्रथं “रामचरितमानस” लिखने वैठे। उसे इन्होंने लगभग ढाई घण्टों में समाप्त किया। रामचरितमानस का कुछ

रामचरितमानस और अंश काशी में लिखा गया है, कुछ अन्यत्र भी। विनयपत्रिका

इस ग्रंथ की रचना से इनकी बड़ी ख्याति हुई।

उस काल के प्रसिद्ध विद्वान् और संस्कृतश्च मधुसूदन सरस्वती ने इनकी बड़ी प्रशंसा की थी। स्मरण रखना चाहिए कि संस्कृत के विद्वान् उस समय भाषा-कविता को हेय समझते थे। ऐसी अवस्था में उनकी प्रशंसा का महत्व और भी बढ़ जाता है। गोस्वामी तुलसीदास को उनके जीवन-काल में जो प्रसिद्धि मिली, वह निरंतर बढ़ती ही गई और अब तो वह सर्वव्यापिनी हो रही है।

रामचरितमानस लिखने के पश्चात् गोस्वामीजी का आत्म-साधना की ओर संलग्न होना स्वाभाविक ही था। रामचरितमानस के अंत में उन्होंने “पायौ परम विश्राम” की यात कही है। इसी विश्राम की निरंतर साधना उनके जीवन का लक्ष्य हुआ। जिन राम की छपा से उन्हें यह लाभ हुआ था उन्होंने गुणों का गान करते हुए उनमें अपनी सत्ता खो देना ही गोस्वामीजी की रामभक्ति के अनुकूल था और इसे उन्होंने अपने दीर्घ जीवन में सिद्ध भी किया। उनकी विनय-पत्रिका इसी लक्ष्य की पूर्ति है। भक्त का दैन्य और आत्मग्लानि दिखाकर, प्रभु की क्षमता और क्षमाशीलता का चित्र अपने हृदय-पट्टल पर अंकित कर तथा भक्त और प्रभु के अविच्छिन्न संघंध पर जोर देकर गोस्वामीजी ने विनय-पत्रिका को भक्तों का प्रिय ग्रंथ बना दिया। यद्यपि उनके उपास्य देव राम थे, तथापि पत्रिका में गणेश और शिव आदि की वंदना कर पक और तो गोस्वामीजी ने लौकिक पद्धति का अनुसरण किया है और दूसरी ओर अपने उदार हृदय का परिचय दिया है। उचर भारत में कट्टरपन की शृंखला को शिथिल कर धार्मिक उदारता का प्रचार करनेवालों में गोस्वामीजी अप्रणी हैं। ऐसी जनश्रुति है कि विनय-पत्रिका की रचना गोस्वामीजी ने काशी के गोपाल-मंदिर में की थी।

गोस्वामीजी की मृत्यु काशी, में संवत् १६८० में, हुई थी। काशी में उस समय महामारी का प्रकोप था और तुलसीदासजी भी उससे गृह्णीत गया। उन्हें विमूचिका हो गई थी, पर कहा जाता है कि महावीरजी की वंदना करने से वह दूर हो गई। परंतु वे इसके उपरांत अधिक दिन जीवित नहीं रहे। ऐसा

जान पड़ता है कि इस रोग ने उनके वृद्ध शरीर को जर्जर कर दिया था। मृत्यु-तिथि के संबंध में अब तक कुछ मत-विभेद था। अनुप्रास-पूरित् इस दोहे के अनुसार उनकी निर्वाण-तिथि आवण शुक्लपक्ष की सप्तमी मानी जाती रही है—

संवत् सोरह सौ असी, असी गंग के तीर ।

सावन सुक्ला सप्तमी तुलसी तज्ज्वा शरीर ॥

परंतु वेणीमाधवदास के गोसाईंचरित में उनकी मृत्यु-तिथि संवत् १६८० की आवण श्यामा तीज, शनिवार लिखी हुई है। अनु-संधान करने पर यह तिथि ठीक भी ठहरी; क्योंकि एक तो तीज के दिन शनिवार का होना ज्योतिष की गणना से ठीक उत्तरा; और दूसरे गोस्यामीजी के घनिष्ठ मित्र ट्रोडर के वंश में तुलसीदास जी की मृत्यु-तिथि के दिन एक सीधा देने की परिपाटी अब तक चली आती है और वह सीधा आवण के कृष्णपक्ष में तृतीया के दिन दिया जाता है “सावन सुक्ला सप्तमी” को नहीं।

विगत कुछ घर्षों से उत्तरी भारत में प्रायः सर्वत्र तुलसी-जयंती मनाई जाने लगी है। जयंती की तिथि अब तक आवण शुक्ला सप्तमी ही मानी जा रही है। जिन्हें यह ज्ञात हो गया है कि यह गोस्यामीजी की इहलीला-संवरण की तिथि नहीं है वे इसे उनकी जन्मतिथि के रूप में जयंती मनाते हैं। महापुरुषों की जन्मतिथि पर उत्सव मनाना भारतीय आध्यात्मिक दृष्टि से विधेय नहीं है। जन्म-तिथि तो राम, कृष्ण आदि अवतारी पुरुषों की ही मनाई जाती है। अन्य महात्माओं की तो शरीर-त्याग की तिथि ही मनाने की प्रथा है। राम, कृष्ण आदि का अवतार दिव्य था अतः उनकी अवतार-तिथि स्मरणीय है किंतु तुलसीदासजी की तो निर्वाण-तिथि ही मान्य है। उनके जन्म-दिवस का उत्सव तो लौकिक ही कहा जायगा; क्योंकि जन्म के समय वे प्राकृत पुरुष ही थे। पीछे अपनी साधना से उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ अतः मोक्ष-तिथि का उत्सव मनाना ही यहाँ की आध्यात्मिक परंपरा के अनुकूल होगा; क्योंकि भारतीय आध्यात्मशास्त्र प्रकृति को माया या मिथ्या मानता और ब्रह्म को ही सत्य ठहराता है। महात्मा तुलसीदासजी ने आवण कृष्ण तृतीया को अपनी सांसारिक लीला संवरण की और परम तत्त्व से एकाकार हो गए। अतः उसी तिथि को उनकी जयंती मनाने की परिपाटी प्रचलित होनी चाहिए।

महाकवि तुलसीदास का जो व्यापक प्रभाव भारतीय जनता पर है उसका कारण उनकी उदारता, उनकी विलक्षण प्रतिभा तथा उनके

उद्गारों की सत्यता आदि तो हैं ही, साथ ही उसका सबसे बड़ा कारण है उनका विस्तृत अध्ययन और उनकी सारप्राहिणी प्रवृत्ति।

गोस्वामीजी का भारतीय जनसमाज पर प्रभाव, उसके कारण—
“नानापुराणनिगमागमसम्मत” रामचरितमानस लिखने की वात अन्यथा नहीं है, सत्य है। भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्त्वों को गोस्वामीजी ने विविध शास्त्रों से ग्रहण किया था और समय (१) अध्ययन के अनुरूप उन्हें अभिव्यञ्जित करके अपनी अपूर्व दूरदर्शिता का परिचय दिया था। यों तो उनके अध्ययन का विस्तार अत्यधिक था, परंतु उन्होंने रामचरितमानस में प्रधानतः घालमीकि रामायण का आधार लिया है। साथ ही उन पर वैष्णव महात्मा रामनंद की छाप स्पष्ट देख पड़ती है। उनके रामचरितमानस में मध्यकालीन धर्मग्रंथों विशेषतः अध्यात्मरामायण, योगवाणिष्ठ तथा अद्भुत रामायण का प्रभाव कम नहीं है। भुशुंडि रामायण और हनुमज्जाटक नामक ग्रंथों का झूल भी गोस्वामीजी पर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि घालमीकि रामायण की कथा लेकर उसमें मध्यकालीन धर्मग्रंथों के तत्त्वों का समावेश कर साथ ही अपनी उदार बुद्धि और प्रतिभा से अद्भुत चमत्कार उत्पन्न कर उन्होंने जिस अनमोल साहित्य का उज्ज्ञन किया, वह उनकी सारप्राहिणी प्रवृत्ति के साथ ही उनकी प्रगाढ़ मीलिकता का भी परिचायक है।

गोस्वामीजी की समस्त रचनाओं में उनका रामचरितमानस ही सर्वश्रेष्ठ रचना है और उसका प्रचार उत्तर भारत में घर घर है।

(२) उदारता और सबसे अधिक अवलंबित है। रामचरितमानस सारप्राहिता गोस्वामीजी का स्थायित्व और गौरव इसी पर करोड़ों भारतीयों का एकमात्र धर्म-ग्रंथ है। जिस

प्रकार संस्कृत साहित्य में वेद, उपनिषद् तथा गीता आदि पूज्य दृष्टि से देखे जाते हैं, उसी प्रकार आज संस्कृत का लेशमात्र ज्ञान न रखनेवाली जनता भी करोड़ों को संस्था में रामचरितमानस को पढ़ती और वेद आदि की ही भाँति उसका सम्मान करती है। इस कथन का यह तात्पर्य नहीं है कि गोस्वामीजी के अन्य ग्रंथ निम्नकोटि के हैं। गोस्वामीजी की प्रतिभा सब में समान रूप से लक्षित होती है, किंतु रामचरितमानस की प्रधानता अनिवार्य है। गोस्वामीजी ने हिंदू धर्म का सद्य स्वरूप राम के चरित्र में अंतर्निहित कर दिया है। धर्म और समाज की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए; राजा ग्रन्ता, ऊँच नीच, छिज शुद्ध आदि सामाजिक सूचों के साथ माता पिता, गुरु भाई आदि

यह सब होते हुए भी तुलसीदासजी ने जो कुछ लिखा है, स्वांतः सुखाय लिखा है। उपदेश देने की अभिलापा से अथवा कवित्व प्रदर्शन की कामना से जो कविता की जाती है,

(५) आंतरिक अनुभूति उसमें आत्मा की प्रेरणा न होने के कारण स्थायित्व नहीं होता। कला का जो उत्कर्ष हृदय से सीधी निकली हुई रचनाओं में होता है वह अन्यत्र मिलना असंभव है। गोस्वामीजी की यह विशेषता उन्हें हिंदी कविता के शोर्पासन पर ला रखती है। एक और तो वे काव्य-चमत्कार का भद्र प्रदर्शन करनेवाले कवियों से महज में ही ऊपर आ जाते हैं और दूसरी ओर उपदेशों का सहारा लेनेवाले नीतिवादी भी उनके सामने नहीं ढहर पाते। कवित्व की दृष्टि से तुलसी की प्रांजलता, माधुर्य और ओज अनुपम तथा मानव-जीवन का सर्वांग निरूपण अप्रतिम हुआ है। मर्यादा और संयम की साधना में वे संसार के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इसके साथ ही जब हम भाषा पर उनके अधिकार तथा जनता पर उनके उपकार को तुलना अन्य कवियों से करते हैं तब गोस्वामीजी की यथार्थ महत्व का साक्षात्कार स्पष्ट रीति से हो जाता है।

गोस्वामीजी की रचनाओं का महत्व उनमें व्यंजित भावों की विशदता और व्यापकता से ही नहीं, उनकी भौलिक उद्भावनाओं तथा

(६) स्वतंत्र उद्भावना चमत्कारिक वर्णनों से भी है। यथापि रामायण की कथा उन्हें महर्षि वाल्मीकि से बनी बनाई मिल गई थी, परंतु उसमें भी गोस्वामीजी ने यथोचित परिवर्तन किए हैं। सीता-स्वर्यंवर के पूर्व फुलधारी का मनोरम वर्णन तुलसीदासजी की अपनी उद्भावना है। धनुष-भंग के पश्चात् परशुरामजी का आगमन उन्होंने अपनी प्रवंध-पटुता के प्रतीक-स्वरूप रखा है। कितनी ही मर्मस्पर्शिनी घटनाएँ गोस्वामीजी ने अपनी ओर से सञ्चिहित की हैं, जैसे सीताजी का अशोकवन में विरह-पीड़ित अवस्था में अशोक से आग माँगना और तत्त्वण हनुमानजी का मुद्रिका गिराना। हनुमान, विभीषण और सुग्रीव आदि रामभक्तों का चरित्र तुलसीदासजी ने विशेष सहानुभूति के साथ अंकित किया है। गोस्वामीजी के भरत तो गोस्वामीजी के ही हैं—भक्ति की मूर्त्ति। अपने युग की छाप भी रामचरितमानस में मिलती है जिससे वह युग-प्रवर्तक ग्रंथ बन सका है। कलियुग के वर्णन में उन्होंने सामयिक स्थिति का व्यंग्य-पूर्ण चित्र उपस्थित किया है। ये सब तुलसी की अपनी भौलिकताएँ हैं जिनके कारण उनका मानस अन्य प्रांतीय भाषाओं में लिखे हुए रामकथा के ग्रन्थों की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण और काव्यगुणों-

पेत घन सका। पूरे ग्रंथ में उपमाओं और रूपकादि अलंकारों की नैसर्गिकता चित्त को विमुग्ध करती है। वे अलंकार और वह समस्त वर्णन रूढ़ियद्वय या अनुकरणशील कवि में आ ही नहीं सकते। गोस्वामीजी में सूदम मनोवैशानिक ग्रंतद्वय थी, इसका परिचय स्थान स्थान पर प्राप्त होता दै। वे कोरे भक्त ही नहीं थे; मानव-चरित्र, उसकी सूचनाओं और ऋतु-कुटिल गतियों के पारखी भी थे, यह रामचरित-मानस में सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। मंधरा के प्रेसंग में गोस्वामीजी का यह चमत्कार स्पष्ट लक्षित है। कैफेयी की आत्मगलानि भी उन्होंने मौलिक रूप से प्रकट कराई है। ऐसे ही अन्य अनेक स्थल हैं। प्रकृति के रम्य लोंगों का चित्र खड़ा करने की क्षमता हिंदी के कवियों में बहुत कम है; परंतु गोस्वामीजी ने चित्रकूट-वर्णन में संस्कृत कवियों से टक्कर ली है। इतना ही नहीं, भावों के अनुरूप भाषा लिखने तथा प्रवंध में संबंधनिर्वाह और चरित्र-चित्रण का निरंतर ध्यान रखने में वे अपुनी समता नहीं रखते। उत्कट रामभक्ति के कारण उनके रामचरितमानस में उच्च सदाचार का जो एक प्रवाह सा वहा है, वह तो बालमीकि-रामायण से भी अधिक गंभीर और पूर्ण है।

जायसी की भाषा और छुंदों का विवेचन करते हुए हम कह चुके हैं कि उन्होंने जिस प्रकार दोहा-चौपाई छुंदों में अवधी भाषा का आधय भाषा और काव्यशैली लेकर अपनी पदावत लिखी है, कुछ घर्षों के पश्चात् गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी उसी अवधी भाषा में उन्हीं दोहा-चौपाई छुंदों में अपनी प्रसिद्ध रामायण की रचना की। यहाँ यह कह देना उचित होगा कि जायसी संस्कृतश नहीं थे; अतः उनकी भाषा ग्रामीण अवधी थी, उसमें साहित्यिकता की छाप नहीं थी। परंतु गोस्वामीजी संस्कृतश और शाखाश थे; अतः उन्होंने कुछ स्थानों पर ठेठ अवधी का प्रयोग करते हुए भी अधिकांश स्थलों में संस्कृत-मिश्रित अवधी का व्यवहार किया है। इससे इनके रामचरित-मानस में प्रसंगानुसार उपर्युक्त दोनों प्रकार की भाषाओं का माधुर्य दिखाई देता है। यह तो हुई उनके रामचरितमानस की यात। उनकी चिन्य-पत्रिका, गीतावली और कवितावली आदि में व्रजभाषा व्यवहृत हुई है। शौरसेनी अपम्रंश की उत्तराधिकारिणी यह व्रजभाषा विकसित होकर गोस्वामीजी के समय तक पूर्णतया साहित्य की भाषा घन चुकी थी, क्योंकि सूरदास आदि भक्त कवियों की विस्तृत रचनाएँ इसमें ही रही थीं। गोस्वामीजी ने व्रजभाषा में भी अपनी संस्कृत पदावली का सम्मिश्रण किया और उसे उपर्युक्त प्रौढ़ता प्रदान की। इस प्रकार यह

स्पष्ट है कि जहाँ एक और जायसी और सूर ने क्रमशः अवधी और ब्रज-भाषा में ही काव्यरचना की थी वहाँ गोस्वामीजी का इन दोनों भाषाओं पर समान अधिकार हुआ और उन दोनों में संस्कृत के समावेश से नवीन चमत्कार उत्पन्न कर देने की क्षमता तो उनकी अपनी है।

गोस्वामी तुलसीदास के विभिन्न ग्रंथों में जिंस प्रकार भाषा-भेद है, उसी प्रकार छुंद-भेद भी है। रामचरितमानस में उन्होंने जायसी की तरह दोहेचौपाइयों का क्रम रखा है, परंतु साथ ही हरिगोतिका आदि लंबे तथा सौरठा आदि छोटे छुंदों का भी बीच बीच में व्यवहार कर उन्होंने छुंद-परिवर्तन की ओर ध्यान रखा है। रामचरित के लंकाकांड में जो युद्ध-घर्षण है, उसमें छुंद आदि बीर कवियों के छुंद भी लाप गप हैं। कवितावली में सबैया और कवित्त छुंदों में कथा कही गई है जो भाटों की परंपरा के अनुसार है। कवितावली में राजा राम की राज्यश्री का जो विशद वर्णन है, उसके अनुकूल कवित्त छुंद का व्यवहार उचित ही हुआ है। विनय-पत्रिका तथा गीतावली आदि में ब्रज-भाषा के सगुणोपासक संत महात्माओं के गीतों की प्रणाली स्वीकृत की गई है। गीत-काव्य का सूजन पाश्चात्य देशों में संगीत शास्त्र के अनुसार हुआ है। वहाँ की लीरिक कविता आरंभ में बीणा के साथ गई जाती थी। ठीक उसी प्रकार हिंदी के गीत काव्यों में भी संगीत के राग रांगिनियों को ग्रहण किया गया है। दोहावली, बरवै रामायण आदि में तुलसीदासजी ने छोटे छुंदों में नीति आदि के उपदेश दिए हैं अथवा अलंकारों की योजना के साथ फुटकर भावव्यंजना की है। सारांश यह कि गोस्वामीजी ने अनेक शैलियों में अपने ग्रंथों की रचना की है और आवश्यकतानुसार उनमें विधिघ छुंदों का प्रयोग किया है। इस कार्य में गोस्वामीजी की सफलता विस्मयकारिणी है। हिंदी की जो व्यापक क्षमता और जो प्रचुर अभिव्यञ्जना-शक्ति उनकी रचनाओं में देख पड़ती है वह अभूतपूर्व है। उनकी रचनाओं से हिंदी में पूर्ण ग्रौढ़ता की प्रतिष्ठा हुई।

तुलसीदासजी के महत्व का ठीक ठीक अनुमान करने के लिये उनकी कृतियों की तीन प्रधान दृष्टियों से परीक्षा करनी पड़ेगी। भाषा

उपच्छार की दृष्टि से, साहित्योत्कर्ष की दृष्टि से और संस्कृति

के संरक्षण तथा उत्कर्ष-साधन की दृष्टि से। इन तीनों दृष्टियों से उन पर विचार करने का प्रयत्न ऊपर किया गया है, जिसके परिणाम-स्वरूप हम यहाँ कुछ बातों का स्पष्टतः उल्लेख कर सकते हैं। हम यह कह सकते हैं कि गोस्वामीजी का ब्रज और अवधी

दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था और दोनों में ही संस्कृत की छटा उनकी वृत्तियों में दर्शनीय हुई है। छन्दों और अलंकारों का समाचेश भी पूरी सफलता के साथ किया गया है। साहित्यिक दृष्टि से रामचरितमानस के जोड़ का दूसरा ग्रंथ हिंदी में नहीं देख पड़ता। क्या प्रबंध-कल्पना, क्या संबंध-निर्वाह, क्या वस्तु एवं भावव्यंजना, सभी उच्च कोटि को हुई हैं। पांचों के चरित्र-चित्रण में सूचम मनोवैज्ञानिक दृष्टि का परिचय मिलता है और प्रकृति-वर्णन में हिंदी के कवि उनकी घरोवरी नहीं कर सकते। अंतिम प्रश्न संस्कृति का है। गोस्वामीजी ने देश के परंपरागत विचारों और आदर्शों को बहुत अध्ययन करके ग्रहण किया है और घड़ी साधघानी से उनकी रक्षा की है। उनके ग्रंथ आज जो देश की इतनी असंत्य जनता के लिये धर्मग्रंथ का काम दे रहे हैं, उसका कारण यही है। गोस्वामीजी हिंदू जाति, हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को अनुग्रह रखनेवाले हमारे प्रतिनिधि कवि हैं। उनकी यशः-प्रशस्ति अभिष्ट अन्तर्यामै प्रत्येक हिंदी भाषा-भाषाओं के हृदयपटल पर अनंत काल तक अंकित रहेगी, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। भारतीय समाज की संस्कृति और प्राचीन ज्ञान की रक्षा के लिये गोस्वामीजी का कार्य अत्यधिक महस्त्वपूर्ण है। किंतु गोस्वामीजी परंपरा-रक्षा के लिये ही एकमात्र यत्नवान् न थे। वे समय की स्थितियों और आवश्यकताओं को भी समझते थे तथा समाज को नवीन दिशा की ओर अग्रसर करने के प्रयास भी उन्होंने किए। आचार-संबंधिनी जितनी शुद्धि और परिष्कार उन्होंने किया वह सब जातीय जीवन को दृढ़ करने में सहायक था। यह तो नहीं कहा जा सकता कि तुलसीदासजी परंपरा या रुद्धियों के बंधन से सर्वथा मुक्त थे तथापि संस्कृति की रक्षा और उन्नयन के लिये उन्होंने जो महान् कार्य किया उसमें इस बंधन का कुप्रभाव न गएपसा है। उनके गुरुणां का विशाल ऋण हिंदू समाज पर है और चिर-दिन तक रहेगा। इस अकाल्य सत्य को कौन अस्वीकार कर सकता है?

यह एक साधारण नियम है कि साहित्य के विकास की परंपरा क्रमबद्ध होती है। इसमें कार्य-कारण का संबंध प्रायः दृঁঢ়া और पाया जाता है। एक कालविशेष के कवियों को यदि हम फल-स्वरूप मान लें, तो उनके उत्तरवर्ती ग्रंथकारों को फूल-स्वरूप मानना होगा। फिर ये फूल-स्वरूप ग्रंथकार समय पाकर अपने पूर्ववर्ती ग्रंथकारों के फल-स्वरूप और उत्तरवर्ती ग्रंथकारों के फूल-स्वरूप होंगे। इस प्रकार यह क्रम सर्वथा चलेगा और समस्त साहित्य एक लड़ी के समान होगा जिसकी भिन्न भिन्न कड़ियाँ उस साहित्य के काव्यकार देंगे। इस

सिद्धांत को सामने रखकर यदि हम तुलसीदासजी के संघर्ष में विचार करते हैं, तो हमें पूर्ववर्ती काव्यकारों की कृतियों का कमशः विकसित रूप तो तुलसीदासजी में देख पड़ता है, पर उनके पश्चात् यह विकास आगे बढ़ता हुआ नहीं जान पड़ता। ऐसा मास होने लगता है कि तुलसीदासजी में हिंदी साहित्य का पूर्ण विकास संपन्न हो गया और उनके अनंतर फिर क्रमोन्नत विकास की परंपरा चंद हो गई तथा उसकी प्रगति हास की ओर उन्मुख हुई। सच यात तो यह है कि गोस्वामी तुलसीदासजी में हिंदी कविता की जो सर्वतोमुखी उन्नति हुई वह उनकी कृतियों में चरम सीमा तक पहुँच गई, उसके आगे फिर कुछ करने को नहीं रह गया। इसमें गोस्वामीजी की उत्कृष्ट योग्यता और प्रतिमा देख पड़ती है। गोस्वामीजी के पीछे उनकी नकल करनेवाले तो घटुत हुए, पर ऐसा एक भी न हुआ जो उनसे बढ़कर हो या कम से कम उनकी समकक्षता कर सकता हो। हिंदी कविता के कीर्तिमंदिर में गोस्वामीजी का स्थान सबसे ऊँचा और सबसे विशिष्ट है। गोस्वामीजी के काव्य में रामभक्ति की परंपरा और उसका उत्कर्ष पराकाष्ठा पर पहुँच गया है। उनके पश्चात् यह रामभक्ति की धारा उत्तरी प्रशस्त नहीं रह गई। कविता के क्षेत्र में तो वह क्षीण ही होती चली गई। तुलसीदासजी के पश्चात् रामभक्ति में सांग्रदायिकता की मात्रा बढ़ी। ऐसा होना स्वामाविक भी था। इस सांग्रदायिकता से तुलसीदासजी के काव्य का प्रचार तो घटुत हुआ पर पर्यटी कवियों के विकास का मार्ग भी अवश्य हो गया।

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, रामभक्ति की कविता गोस्वामी तुलसीदासजी की कृतियों से इतनी ऊँची उठ गई कि उनके पीछे के राम-

नाभादास - भक्त कवियों की अधिक प्रसिद्धि न हो सकी।

गोस्वामीजी के आलोक के सामने वे फीके देख पड़ते हैं। फिर भी उनके समकालीन भक्त नाभादासजी रामभक्ति के एक उल्लेखयोग्य कवि हैं। नाभादासजी का “भक्तमाल” भक्तों का प्रिय ग्रंथ रहा है और अब भी है। उसमें सांग्रदायिक विभेद का परित्याग कर अनेक महात्माओं की जीवनी और कीर्ति की प्रशस्ति लिखी गई है। इस रचना में संक्षिप्त सूत्रशैली का व्यवहार किया गया है जिससे अर्थ समझने में बड़ी कठिनाई होती है। ग्रियादास नामक सेत ने भक्तमाल की टीका लिखकर इस कठिनाई को दूर करने की सफल चेष्टा की है। ग्रियादास नामाजी के सौ वर्ष उपरांत हुए थे, फिर भी उन्होंने टीका बड़ी प्रामाणिक रीति से लिखी है।

नाभाजी स्वयं थड़े भक्त और संत थे। इनकी जाति का ठीक पता नहीं। कोई इन्हें डोम बतलाते हैं और कोई ज्ञानिय। गोस्वामी तुलसीदास से इनकी भेट हुई थी। इनका जीवनकाल लगभग १६४२ से १६८० तक रहा होगा। ये यद्यपि रामभक्त थे पर इनके गुरु अमदास, जिनकी प्रेरणा से इन्होंने भक्तमाल की रचना की थी, घल्लम संप्रदाय के कृष्णभक्त कवि थे। अमदास ने भी रामभक्ति की कुछ कविता की है। नाभादास की रामचरित पर एक पुस्तक अभी थोड़े दिन हुए मिली है। इसके अतिरिक्त उनके दो ग्रंथ और हैं जिनमें से एक ब्रजमाया गद्य में है और दूसरा अवधी पद्य में।

प्राणचंद चौहान और हृदयराम इन दोनों रामभक्त कवियों ने नाटकों की शैली में रामकथा कही है। उनके नाटक रंगशाला में खेले प्राणचंद और हृदयराम जाने योग्य नहीं हैं, केवल कथोपकथन के रूप में होने के कारण उनको नाटक कह दिया जाता है। फिर भी इतना अवश्य है कि रामभक्ति की कविता प्रबंध और मुक्तक काव्यों के रूप में ही नहीं लिखी गई, दृश्य काव्य की शैली पर भी लिखी गई। रामभक्ति से हिंदी कविता को जितनी व्यापकता और विस्तार मिला, कृष्णभक्ति से उतना नहीं। कृष्णभक्ति की कविता तो अधिक-तर गोत काव्यों की शैली पर ही लिखी गई।

प्राणचंद ने संवत् १६६७ में रामायण महानाटक लिखा और हृदयराम ने संवत् १६८० में संस्कृत हनुमचाटक के आधार पर हिंदी हनुमचाटक की रचना की। इन दोनों में हृदयराम की रचना अधिक प्रौढ़ और प्रसिद्ध हुई।

रामभक्ति की एक शाखा हनुमानभक्ति के रूप में भी स्फुरित हुई। गोस्वामी तुलसीदास का हनुमानवाहुक महावीरजी की स्तुति में लिखा गया था। इस प्रकार की पुस्तकों में रायमझ पांडे का लिखा हनु-मच्चरित्र (१६६६) कुछ प्रसिद्ध है।

यहाँ हम केशवदास की रामचंद्रिका तथा इस श्रेणी की अन्य पुस्तकों का उल्लेख नहीं करते, क्योंकि इनके रचयिता रामभक्त नहीं थे और इनके काव्य भी भक्तिकाव्य नहीं कहे जा सकते।

रामोपासक कवियों में महाराज विश्वनाथसिंह और महाराज विश्वनाथसिंह और रघुराजसिंह का नाम भी लिया जाता है। ये दोनों ही रीवाँनरेश रामभक्त थे, परंतु महाराज खुराजसिंह विश्वनाथसिंह निर्गुण भक्ति की ओर भी मुक्ते थे और कवीर शादि पर आस्था रखते थे। विश्वनाथसिंह ने कितने ही

ग्रंथों की रचना की जिनमें अनेक रामभक्ति के भी हैं; पर उनके ग्रंथों का विशेष प्रचार नहीं हुआ। महाराज रघुराजसिंह के “रामस्वयंवर” की अच्छी प्रसिद्धि है परंतु साहित्यिक दृष्टि से उसका विशेष महत्त्व नहीं। उसमें युद्ध-वर्णन के अवसर पर जिन अनेक शब्दों आदि का नामोदलेख किया गया है, उन्हें पढ़कर जी ऊब जाता है। इतिवृत्ति के रूप में ही इसके प्रायः सब वर्णन हैं, अतः उनमें काव्यत्व की कमी है, फिर भी साधारण साहित्य-समाज में इस पुस्तक का पर्याप्त प्रचार है। इसमें विशेषकर महाराज रघुराजसिंह ने राजसी ठाट-थाट का वर्णन किया है।

आधुनिक युग भक्ति का युग नहीं है। फिर भी रामचरित के कुछ प्रसंगों को लेकर खड़ी थोलो में कुछ खंडकाव्यों की रचना हुई है,

मैथिलीशरण परंतु वे भक्तिकाव्य नहीं कहला सकते। श्री

मैथिलीशरण गुप्त की “पंचवटी” कविता-पुस्तक में राम का सीता और लक्ष्मण सहित पंचवटी-प्रचास घर्षित है। इन्हीं गुप्तजी का “साकेत” नामक यड़ा काव्य-ग्रंथ भी निकला है जिसमें राम-कथा कही गई है। कुछ अन्य कवियों ने भी रामायण की कथा का आश्रय लेकर कविता की है, पर उनका नामोदलेख यहीं अनावश्यक है।

नवाँ अध्याय

कृष्णभक्ति शाखा

भारतीय महापुरुषों के संबंध में यह बात चिशेषतः सत्य है कि वे अपने जीवनकाल में तो साधारण यथा तथा प्रसिद्धि पाते हैं, पर कुछ कृष्णभक्ति की उत्पत्ति समय के उपरांत उनमें ईश्वर की कलाओं का सन्निवैश माना जाता और उनकी उपासना की जाती है। (वाल्मीकि के मूलग्रन्थ में राम एक शक्तिशाली

नृपति के रूप में अंकित किए गए हैं, ईश्वर के अवतार के रूप में नहीं। परंतु उसी ग्रन्थ के उत्तरकालीन अंश में ही राम भगवान् विष्णु के अंशावतार स्वीकृत किए गए हैं, और उनमें देवत्व की पूर्ण प्रतिष्ठा की गई है। इसके उपरांत रामभक्ति का विकास होता गया और अंत में रामोपासक संप्रदाय का आविर्भाव हुआ।) इस सांप्रदायिक रूप में तो राम का स्थान सब देवताओं से ही नहीं, स्वयं विष्णु से भी बढ़कर माना गया है। यही नहीं, कथीर आदि के राम तो निरुण और सगुण से भी परे परदेह कहे गए हैं। तुलसी आदि उदार-हृदय, समन्वयवादी संत भी राम को सर्वद्वयापक और सर्वज्ञ घटलाते हैं। राम जिनके इष्टदेव हैं, उनके लिये वे ही सब कुछ हैं; उनके लिये सब जग ही सियाराममय है। कृष्ण की उपासना का भी इसी प्रकार विकास हुआ है। महाभारत के प्रारंभिक पर्वों में वे अवतार नहीं बने, पर भगवद्गीता में उनकी अवतारणा भगवान् कृष्ण के रूप में हुई जो ईश्वर की संपूर्ण कलाओं को लेकर नरलीला करने तथा संसार का भार उत्तराने आए थे। पर गीता में कृष्ण को सांप्रदायिक रूप नहीं मिला। भागवत पुराण में कृष्णभक्ति दड़ हो गई है। उसके उपरांत तो कृष्णभक्ति के अनेक संप्रदाय चले जिनमें भगवान् कृष्ण के विभिन्न रूपों की उपासना होने लगी।

कृष्णोपासना के उन अनेक संप्रदायों के उल्लेख से यहाँ प्रयोजन नहीं जिनका हिंदी साहित्य से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। हम तो हिंदी साहित्य की कृष्णभक्ति शाखा का विवरण ही यहाँ देंगे और उन कृष्णभक्त कवियों का उल्लेख करेंगे जिनसे हिंदी की श्रीवृद्धि हुई है। परंतु हिंदी के सभी कृष्णभक्त कवि एक ही संप्रदाय के नहीं थे, अतपव उन्होंने विभिन्न रूपों में कृष्ण की उपासना की और उनकी स्तुति में अपनी चाणी

का उपयोग किया। जब हम कालकमानुसार हिंदी के कृष्णापासक कवियों पर दृष्टि डालते हैं, तब उनमें कितने ही भेद पाते हैं। भेद का कारण जहाँ वैयक्तिक रुचि, अधिकार प्रतिभा आदि है, वहाँ संप्रदाय-भेद भी है। उदाहरणार्थ विद्यापति श्रीर मीरावाई की रचनाओं तथा सूरदास आदि अष्टद्वाषप के कवियों की कृतियों में बहुत कुछ ऐसी विभिन्नता है जिसका कारण सांप्रदायिक मतों की विभिन्नता है। इसी प्रकार स्वामी हरिदास श्रीर महात्मा हितहरिविश्वजी में भी संप्रदाय-भेद के कारण अंतर देख पड़ता है। उनकी वाणी न तो आपस में ही मिलती है और न सूर आदि की वाणी से ही उसका मेल मिलता है। विभेद के कारणों का अनुसंधान करने पर यह पता लगता है कि विद्यापति और मीरा पर विष्णु स्वामी तथा निवार्काचार्य के मतानुयायी थे। इसी प्रकार स्वामी हरिदास निवार्काचार्य के दृष्टि संप्रदाय के थे, और हितहरिविश्वजी ने राधा की भक्ति को प्रधानता देकर नवीन मत का सूजन किया था। ऐसे ही अन्य विभेद भी हैं। यहाँ हम कृष्णभक्ति के कवियों पर लिखते हुए संक्षेप में उन संप्रदायों का उल्लेख करेंगे जिनके मतों और सिद्धांतों का उन पर प्रभाव पड़ा था।

शंकर के अद्वैतवाद में भक्ति के लिये जगह न थी, यह हम पहले ही कह चुके हैं। शंकर के उपरांत स्वामी रामानुजाचार्य ने जिस

विशिष्टाद्वैत मत का प्रतिपादन किया था, वह भी विद्यापति और मीरा भक्ति के बहुत उपयुक्त न था। इसी समय के लगभग प्रणीत भागवत पुराण में भक्ति का दृढ़ मार्ग निरूपित हुआ और मध्याचार्य ने पहले पहल द्वैतमत का सूजन कर भक्त और भगवान् के संवंध को सिद्ध किया। मध्याचार्य दक्षिण में उदीची नामक स्थान के रहनेवाले थे। उन्होंने पहले तो शंकर मत की शिक्षा पाई थी, पर पीछे महाभारत तथा भागवत पुराण का अध्ययन किया था। भागवत पुराण के अध्ययन का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे शंकर के ज्ञान-मार्ग के विरोधी और भक्ति के समर्थक यन गप। उत्तर भारत में उनके सिद्धांतों का प्रत्यक्ष में तो अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, पर अनेक संप्रदाय उनके उपदेशों का आधार लेकर दक्षिण में खड़े हुए और देश के विस्तृत भूभागों में फैले। हिंदी के कृष्णभक्त कवियों में विद्यापति पर माध्व संप्रदाय का ऋण स्वीकार करना पड़ता है।

परंतु विद्यापति पर माध्व संप्रदाय का ही ऋण नहीं है, उन्होंने विष्णु स्वामी तथा निवार्काचार्य के मतों को भी ग्रहण किया था। न तो

मागवत पुराण में ही और न माध्व मत में ही, राधा का उल्लेख किया गया है। कृष्ण के साथ विहार करनेवाली अनेक गोपियों में राधा भी ही सकती हैं, पर कृष्ण की चिर-प्रेयसी के रूप में वे नंहाँ देख पड़तीं। उन्हें यह रूप विष्णु स्वामी तथा निंवार्क संप्रदायों में ही पहले पहल प्राप्त हुआ था। विष्णु स्वामी मध्वाचार्य की ही भाँति द्वैतवादी थे। भक्त-माल के अनुसार वे प्रसिद्ध मराठा भक्त ज्ञानेश्वर के गुरु और शिष्टक थे। राधाकृष्ण की सम्मिलित उपासना इनकी भक्ति का नियम था। विष्णु स्वामी के ही समकालीन निंवार्क नामक तैलंग ग्राहण का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने वृद्धावन में निवास कर गोपाल कृष्ण की भक्ति की थी। निंवार्क ने विष्णु स्वामी से भी अधिक दृढ़ता से राधा की प्रतिष्ठा की थी। और उन्हें अपने प्रियतम कृष्ण के साथ गोलोक में चिर निवास करनेवाली कहा। राधा का यही चरण उत्कर्ष है। विद्यापति ने राधा और कृष्ण की प्रेमलीला का जो विशद वर्णन किया है, उस पर विष्णु स्वामी तथा निंवार्क मतों का प्रमाण प्रत्यक्ष है। विद्यापति राधा और कृष्ण के संयोग-शृंगार का ही विशेषतः वर्णन करते हैं। उसमें कहीं कहीं अश्लीलत्व भी आ गया है, पर अधिकांश स्थलों में प्रिया राधा का प्रियतम कृष्ण के साथ घड़ा हो सात्त्विक और रसपूर्ण सम्मिलन प्रदर्शित किया गया है। घंगाल के चंद्रीदास आदि कृष्णभक्त कवियों ने भी राधा की प्रधानता स्वीकार की है। हिंदी की प्रसिद्ध भक्त और कवयित्री मीराबाई के प्रसिद्ध पद “मेरे, तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई” में गोपाल कृष्ण का स्मरण है जो निंवार्क संप्रदाय के प्रचलन के अनुसार है। मीराबाई के अनेक पदों में जो तन्मयता देख पड़ती है, वह वास्तव में प्रेमातिरेक के कारण है और निस्संदेह सात्त्विक है। विद्यापति और मीराबाई पर विष्णु स्वामी तथा निंवार्क मतों की छाप थी। विष्णु स्वामी सिद्धांतों में मध्वाचार्य के और निंवार्क स्वामी रामानुज के अनुयायी थे।

विद्यापति और मीरा के उपरांत कृष्णभक्ति के प्रसिद्ध अष्टछाप के कवियों का उदय हुआ। अष्टछाप में आठ कवि सम्मिलित थे।

अष्टछाप और आचार्य ये वज्रभाचार्य के मतानुयायी थे और उन्होंके पुत्र वज्रभ

तथा उत्तराधिकारी विठ्ठलनाथजी द्वारा संघटित किए गए थे। गोसाई विठ्ठलनाथ ने अपने पिता आचार्य वज्रभ के उपदेशानुसार अत्यंत सरल तथा मधुर वाणी में भगवान् कृष्ण का यशोग्रन करनेवाले आठ सर्वोत्तम कवियों को चुनकर अष्टछाप संप्रदाय की प्रतिष्ठा की थी। अष्टछाप में सूरदास, कुंभनदास, परमा-

नंददास, शृणदास, छीत स्यामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास समिलित थे जिनमें पहले चार स्वयं आचार्य घङ्गभ के शिष्य थे और पिछले चार उनके पुत्र के। नीचे हम घङ्गभाचार्य के जीवन तथा मत का संक्षिप्त विवरण देते हैं, क्योंकि अष्टद्वाप के कवियों से परिचित होने के लिये इसकी आवश्यकता है।

स्यामी घङ्गभाचार्य का जन्म काशी के एक तैलंग ग्राहण के घर में संवत् १५३५ में हुआ था। इनके पिता विष्णु स्यामी संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्हें काशी में शास्त्रोंय शिक्षा मिली थी। ये संस्कृत के पंडित होकर घड़े शास्त्रार्थी बन गए थे और विशेषतः स्मार्तों का खंडन किया करते थे।

घङ्गभाचार्य ने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया था तथा भाष्य आदि लिखे थे। “वेदांतसूत्र अनुमान्य”, भागवत की सुवोधिनी टीका तथा “तत्त्वनीप निवंध”, इनकी प्रधान कृतियाँ हैं। ये सब ग्रंथ इन्होंने संस्कृत में लिखे थे, हिंदी में नहीं। इनके मतानुयायियों में गिरिधर तथा यालकृष्ण भट्ट संस्कृत के पंडित थे जिन्होंने पुस्तकें लिखकर इनके सिद्धांतों का प्रचार किया था। गोस्यामी श्री पुरुषोत्तमजी भी इनकी शिष्य-परंपरा में अच्छे संस्कृतज्ञ और विद्वान् हो गए हैं।

यद्यपि घङ्गभाचार्य अपने को अग्नि का अवतार मानते थे और स्वयं कृष्ण को ही अपना गुरु स्वीकार करते थे, पर उनके पिता के विष्णु-स्यामी-मत तथा निवार्क संप्रदाय का उन पर विशेष प्रभाव लकित होता है। कृष्ण को परब्रह्म तथा राधा को उनकी चिरश्रण्यिनी मानकर उनकी उपासना करना निवार्क संप्रदाय के फल-स्वरूप ही समझना चाहिए।

इनके दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद कहलाए, जिनमें एक ओर तो रामानुज की चिशिष्टा दूर की गई है और दूसरों ओर शंकर का मायावाद अस्वीकृत किया गया। शंकर के ज्ञान के बदले ये भक्ति को ग्रहण करते हैं और भक्ति ही साधन तथा साध्य भी बतलाई जाती है। भक्ति ज्ञान से बढ़कर है क्योंकि वह ईश्वर की कृपा से मिलती है। ईश्वर की दया के लिये पुष्टि शब्द का व्यवहार किया गया है जो भागवत के आधार पर है। इसी लिये घलभाचार्य का भक्तिमार्ग पुष्टिमार्ग कहलाता है।

पुष्टिमार्ग के अनुसार कृष्ण ही ब्रह्म हैं जो सत् चित् और आनंद-स्वरूप है। जिस प्रकार अद्विन से चिनगारियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार ब्रह्म से जीव और जगत् निकलते हैं। ये उससे भिन्न नहीं हैं। अंतर इतना ही है कि जीव आनंद को खोकर केवल सत् और चित् को अंशतः

धारण किए रहता है, मुक्त होकर जीव आनंदस्वरूप हो जाता है और कृष्ण के साथ चिरकाल तक एकाकार होकर रहता है। स्वर्गीय वृद्धावन ही, जहाँ राधा और कृष्ण चिरंतन विहार करते हैं, भक्तों का आधार और लद्य है।

शंकर के अनुसार बल्लभाचार्य जगत् को मिथ्या नहीं मानते। माया भी ब्रह्म की ही शक्ति है, अतः यह मायात्मक जगत् मिथ्या नहीं है। हाँ, माया में फँसे रहने के कारण जीव अपना शुद्ध स्वरूप नहीं पहचान सकता। जब ईश्वर का अनुग्रह होता है तब जीव माया से मुक्त होकर अपना शुद्ध स्वरूप पहचानता है और तब वह भी सत्, चित् और आनंदस्वरूप हो जाता है।

ऊपर जिन दर्शनिक सिद्धांतों का विवरण दिया गया है उनके अतिरिक्त महात्मा वल्लभाचार्य ने कुछ व्यावहारिक नियम भी प्रचलित किए थे जिनका उनके संप्रदाय में अब तक पालन होता है। इन व्यावहारिक नियमों में सबसे अधिक उल्लेखनीय गुरु-शिष्य-संवर्धन है जिसका आगे चलकर यड़ा अनिष्टकर परिणाम हुआ। वल्लभाचार्य की शिष्यपरंपरा में यह नियम है कि गुरु की गद्दी का उत्तराधिकारी प्रत्येक शिष्य नहीं हो सकता, गुरु का पुत्र ही हो सकता है। गोसाईं विद्वलनाथ भी इसी नियम के अनुसार गद्दी के उत्तराधिकारी हुए थे। आगे चलकर अयोग्य व्यक्तियों को भी गद्दी का अधिकार मिलने लगा; क्योंकि योग्य पिता को सदैव योग्य संतान नहीं हुआ करती। परंतु इन अयोग्य गुरुओं की पूजा वरावर उतनी ही विधिपूर्वक होती रही जितनी स्वयं कृष्ण की। इसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। गुरु धर्मोपदेशक और साधु न बनकर धनलोालुप तथा विलासश्रिय बन वैठे। उनका वैमव इतना यड़ा कि वे राजाओं की भाँति संपत्तिशाली हो गए। और महाराज को उपाधि भी उन्होंने धारण कर ली। महाराज मंदिर के सर्वेसर्वांगोंते हैं। भक्तजन उनको प्रसाद-प्राप्ति के लिये वड़ी वड़ी रकमें दान फरते हैं। धीरे धीरे भक्त भी वे ही होने लगे जो विशेष धनवान् हों। इससे राधा-कृष्ण के स्वर्गीय प्रेम को लौकिक विलास-वासना का रूप मिला और संप्रदाय अधःपतित हो गया।

आजकल बल्लभ संप्रदाय के अनुयायी अधिकतर गुजरात तथा राजपुताने के धनी बनिए आदि हैं। वडे वडे नगरों में उनकी रास-मंडलियाँ हैं जिनमें कृष्ण के रासमंडल का अनुकरण किया जाता है। इन मंडलियों में वास्तविक भक्त वहुत थे हैं और विलासी धनिक अधिक होते हैं। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में सूर आदि की ओट

में विद्वले खेबे के शृंगारों कवियों को अपने कलुपित उद्गारों के व्यक्त करने का अवसर मिला और जिस प्रकार राधा-कृष्ण के नाम पर नायक नायिकाओं का जमघट तैयार हो गया जिसमें वासनापूर्ण भोगवाणी की ही अभिव्यंजना अधिक हुई, उसी प्रकार वल्लभाचार्य के आधुनिक अनुयायियों में सच्चे स्वर्गीय प्रेम की ओर उतना अनुराग नहीं है जितना उस स्वर्गीय प्रेम की लौकिक प्रतिष्ठित चनाफर अपनी कायदृत्तियों के परितोप की ओर है।

बल्लभाचार्य के संप्रदाय का तत्कालीन उत्तर भारत पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा, और कृष्णभक्ति के अन्य द्वारे वह संप्रदाय इसके बेग में चिलीन हो गए। वर्जभाषा के अधिकांश भक्त कवि इसके अनुयायी थे और जिन कवियों ने इससे अलग रहकर रचना की है, उन पर भी इसका स्पष्ट प्रभाव देख पड़ता है। चिप्पु स्वामी तथा निंवार्क आदि के संग्रहाय इसके सामने दब गए। उत्तर में बल्लभ संप्रदाय तथा वंगाल में चैतन्य संप्रदाय के कवियों की ही धूम रही, अन्य सब मत फीके पड़ गए। हमारी सम्मति में रामानंद द्वारा आविभूत तथा तुलसीदास द्वारा परिपुष्ट रामभक्ति के तत्कालीन हास का एक कारण कृष्णभक्ति के इन संप्रदायों का बेगपूर्ण अभ्युत्थान भी है। राधा और कृष्ण की उपासना-वाणी सारे उत्तर भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक गूँज उठी, जनता सब कुछ भूलकर उस सरस स्रोत में बह चली।

बल्लभाचार्य के शिष्यों में सर्वप्रधान, सूरसागर के रचयिता, हिंदी के अमर कवि महात्मा सूरदास हुए जिनकी सरस वाणी से देश के

असंख्य सूखे हृदय हरे हो उठे और भग्नाश जनता

सूरदास

को जीने का नवीन उत्साह मिला। इनका जन्म संवत् लगभग १५४० था। आगरा से मयुरा जानेवाली सड़क के किनारे रुककर नामक गाँव में इनकी जन्मभूमि थी। चौरासी वैष्णवों की वार्ता तथा भक्तमाल के साक्ष्य से ये सारस्वत ब्राह्मण ठहरते हैं, यद्यपि कोई कोई इन्हें महाकवि चंद घटदर्दि के वंशज भाट कहते हैं। इनके अंधे होने के संबंध में यह प्रचाद प्रचलित है कि वे जन्म से अंधे थे; पर एक बार जब वे कूप में गिर पड़े थे तब श्रीकृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए थे और वे दृष्टि-संपन्न हो गए थे। परंतु उन्होंने कृष्ण से यह कह कर अंधे बने रहने का घर माँग लिया कि जिन आँखों से भगवान् के दर्शन किए, उनसे अब किसी मनुष्य को न देखें। इस प्रवाद का आधार उनके दृष्टकूटों को एक टिप्पणी है। इसे असत्य न मानकर यदि एक प्रकार का रूपक मान लें तो कोई हानि नहीं। सूर वास्तव

में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रुंगार तथा रंग रूपादि का जो वर्णन उन्होंने किया है वैसा कोई जन्मांध नहीं कर सकता। जान पड़ता है, कृष्ण में गिरने के उपरांत उन्हें कृष्ण की रूपा से ज्ञानचञ्जु मिले, पहले इस चञ्जु से चे हीन थे। यही आशय उक्त कहानी से ग्रहण किया जा सकता है।

जब महात्मा वल्लभाचार्य से सूरसागरी की भेंट हुई थी तब तक वे वैरागी के घोप में रहा करते थे। तब से ये उनके शिष्य हो गए और उनकी आशा से नित्य प्रति अपने उपास्य देव और सखा कृष्ण की स्तुति में नवीन भजन बनाने लगे। इनकी रचनाओं का वृहत् संग्रह सूरसागर है जिसमें एक ही प्रसंग पर अनेक पदों का संकलन मिलता है। भक्ति के आवेश में धीणा के साथ गाते हुए जो सरस पद उन संघर्ष कवि के मुख से निस्सृत हुए, उनमें प्रतिभा का नवनवोन्मेष भरा हुआ है; उनकी मर्म-स्पर्शिता और हृदयहारिता में किसी को कुछ भी संदेह नहीं हो सकता।

सूरसागर के संघर्ष में कहा जाता है कि उसमें सबा लाख पदों का संग्रह है पर अब तक सूरसागर की जो प्रतियाँ मिली हैं उनमें छः हजार से अधिक पद नहीं मिलते। परंतु यह संख्या भी बहुत बड़ी है। इतनी ही कविता उसके रचयिता को सरस्वती का वरद पुत्र सिद्ध करने के लिये पर्याप्त है। इस ग्रंथ में श्रीमद्भागवत की संपूर्ण कथाओं का सन्निवेश किया गया है किंतु विशेषतः कृष्ण की याललीला से लेकर उनके गोकुलत्याग और गोपिकाओं के विरह तक की कथा फुटकर पदों में विस्तार के साथ कही गई है। ये पद मुक्तक के रूप में होते हुए भी एक भाव को पूर्णता तक पहुँचा देते हैं। सभी पद गेय हैं, अतः सूरसागर को हम गीत-काव्य कह सकते हैं। गीत-काव्य में जिस प्रकार छोटे छोटे रमणीय प्रसंगों को लेकर रचना की जाती है, प्रत्येक पद जिस प्रकार स्वतः पूर्ण तथा निरपेक्ष होता है, कवि के आंतरिक हृदयोद्गार होने के कारण उसमें जैसे कवि की अंतरात्मा भलकती देख पड़ती है, विवरणात्मक कथा-प्रसंगों का वहिष्कार कर तथा कोध आदि कठोर और कर्कश भावों का सन्निवेश न कर उसमें जैसे सरसता और मधुरता के साथ कोमलता रहती है, उसी प्रकार सूरसागर के गेय पदों में उपर्युक्त सभी वातें पाई जाती हैं। यद्यपि कृष्ण की पूरी जीवन-नाथा भी सूरसागर में मिलती है, पर उसमें कथा कहने की प्रवृत्ति विलकुल नहीं देख पड़ती, केवल ग्रेम, विरह आदि विभिन्न भावों की वेगपूर्ण व्यंजना उसमें बड़ी ही सुंदर बन पड़ी है।

सूरसागर के आरंभिक नवस्कंधों में विनय के पद, सृष्टि-क्रम तथा चौथीस अवतारों का वर्णन, आर्यावर्त के नृपतियों का पौराणिक परिचय,

भागवत पुराण की आध्यात्मिक व्याख्या आदि के विषय आए हैं। इनमें मुख्यः श्रीमद्भागवत का ही तथा कहीं कहीं कुछ अन्य पुराणों का अनुसरण किया गया है। दशम स्कंध में कृष्ण-जन्म से कथा का आरंभ हुआ है। यशोदा के गृह में पहुँचकर कृष्ण धीरे धीरे बढ़े होने लगे। उस काल की उनकी बाल-लीलाओं का जितना विशद वर्णन सूरदास ने किया उतना हिंदी के अन्य किसी कवि ने नहीं किया। कृष्ण अभी कुछ ही महीनों के हैं, माँ का दूध पीते हैं, माँ यह अभिलापा करती है कि बालक कब बड़ा होगा, कब इसके दो नन्हे नन्हे दौत जाएंगे, कब यह माँ कहकर पुकारेगा, कब धुटनों के बल घर भर में रंगता फिरेगा आदि आदि। माँ बालक को दूध पिलाती है, न पीने पर उसे चेटी बढ़ने का लालच दिखाती है। उसे आकाश के चंद्रमा के लिये रोते देख याल में पानी भरकर चाँद को बालक के लिये भूमि पर ला देती है। कितना वात्सल्य स्नेह, कितना सूक्ष्म निरीक्षण और कितना वास्तविक वर्णन है। इस प्रकार के असंख्य सूक्ष्म भावों से युक्त अनेक रसपूर्ण पद कहे गए हैं। इन्हीं से उस युग की संस्कृति का निर्माण हुआ था, और इनमें उसका पूर्ण प्रतिविंध भी मिलता है। कृष्ण कुछ बढ़े होते हैं। मणि-खंभों में अपना प्रतिविंध देखकर प्रसन्न होते और मचलते हैं। घर की देहली नहीं लौध पाते। कृष्ण और बढ़े होते हैं, वे घर से बाहर जाते, गोप सखाओं के साथ खेलते-कूदते और बालचापल्य प्रदर्शित करते हैं। उनके माखन-चोरी, आदि प्रसंगों में गोपिकाओं के प्रेम की व्यंजना भरी पड़ी है। गोपियाँ बाहर से यशोदा के पास उपालंभ आदि लाती हैं, पर हृदय से वे कृष्ण की लीलाओं पर मुग्ध हैं। प्रेम का यह अंकुर बड़ी ही शुद्ध परिस्थिति में देख पड़ता है। कृष्ण की यह किशोरावस्था है, कल्युप या वासना का नाम भी नहीं है। शुद्ध स्नेह है। आगे चलकर कृष्ण सारे ब्रजमंडल में सबके स्नेहभाजन बन जाते हैं। उनका गोचारण उन्हें मनुष्यों के परिमित दोत्र से ऊपर उठाकर पशुओं के जगत् तक पहुँचा देता है। बंशीवट और यमुनाकुंजों की रमणीक स्थली में कृष्ण की जो सुंदर मूर्ति^१ गोप-गोपिकाओं के साथ मुरली बजाते और स्नेहलीला करते अंकित की गई है, वैसी शुपमा का चित्रण करने का सीमान्य संभवतः संसार के किसी अन्य कवि को नहीं मिला। ब्रज-मंडल की यह महिमा अपार है। कृष्ण का ब्रजनिवास स्वर्ग को भी ईर्प्यालु करने की क्षमता रखता है।

गोपिकाओं का स्नेह बढ़ता है। वे कृष्ण के साथ रासलीला में समिलित होती हैं, अनेक उत्सव मनाती हैं। प्रेममयी गोपिकाओं का

यह आचरण घड़ा ही रमणीय है। उसमें कहीं से अस्वाभाविकता नहीं आ सकी। कोई कृष्ण की मुरली चुराती, कोई उन्हें अबोर लगाती और कोई चोली पहनाती है। कृष्ण भी किसी की बेणी गूँथते, किसी की श्रांखें मूँद लेते और किसी को कदंब के तले बंशी बजाकर सुनाते हैं। एकाध बार उन्हें लजित करने की इच्छा से चीरहरण भी करते हैं। गोपी-कृष्ण की यह संयोगलीला भक्तों का सर्वस्व है।

संयोग के उपरांत वियोग होता है। कृष्ण वृद्धावन छोड़कर मयुरा चले जाते हैं। वहाँ राजकार्यों में संलग्न हो जाने के कारण प्यारी गोपियों को भूल से जाते हैं। गोपिकाएँ घिरह में व्याकुल नित्य प्रति उनके आने की प्रतीक्षा में दिन काटती हैं। कृष्ण नहीं आते। गोपियों के भाग्य का यह व्यंग्य उन्हें कुछ देर के लिये विचलित कर देता है। उद्दव उन्हें ज्ञान समझाने आते हैं, पर उनके ज्ञानोपदेश को वे स्वीकार नहीं सकते। कृष्ण की साकार अनंत सौंदर्यशालिनी मूर्ति उनके हृदय-पटल पर अमिट अंकित है। कृष्ण चाहे जहाँ रहें, वे उन्हें भूल नहीं सकते। यह अनंत प्रेम का दिव्य संदेश भक्तों के हृदय का दृढ़ अवलंब है।

इसी कथानक के बीच कृष्ण के लोक-रक्तक स्वरूप की व्यंजना करते हुए उनमें असीम शक्ति की प्रतिष्ठा की गई है। थोड़ी आयु में ही वे पूतना जैसी महाकाय राज्ञसी का वध कर डालते हैं। आगे चलकर केशी, वकासुर आदि दैत्यों के वध और कालिय-दमन आदि प्रसंगों को लाकर कृष्ण के बल और धीरता का प्रदर्शन किया गया है। परंतु हमको यह स्वीकार करना पड़ता है कि सूरदास ने ऐसे वर्णनों की ओर यथोचित ध्यान नहीं दिया है। सूरदास के कृष्ण महाभारत के कृष्ण की भाँति नीतिश श्रीर पराक्रमी नहीं हैं; वे केवल प्रेम के प्रतीक श्रीर सौंदर्य की मूर्ति हैं।

कृष्ण के शील का भी योड़ा-बहुत आभास सूर ने दिया है। माता यशोदा जब उन्हें दंड देती हैं, तब वे रोते कलपते हुए उसे भेलते हैं। इसी प्रकार जब गोचारण के समय उनके लिये छाक आती है, तब वे श्रकेले ही नहीं खाते, सघको धाँटकर खाते हैं और कभी किसी का जूठा लेकर भी खा लेते हैं। यहे भाई बलदेव के प्रति भी उनका सम्मान भाव वरावर बना रहता है। यह सब हीते हुए भी यह कहना पड़ता है कि सूरदास में कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति की ही प्रधानता है, रामचरित-मानस की भाँति उसमें लोकादशों की ओर ध्यान नहीं दिया गया।

सूरदास ने फुटकर पदों में राम-कथा भी कही है; पर वह वैसी ही बन पड़ी है, जैसे तुलसी की कृष्ण-नीताधली। इसके अतिरिक्त

उनके कुछ दृष्टकृत और कृट पद भी हैं जिनकी मिलाई का परिहार विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। काव्य की इसी से कृटों की गलता निष्पथ्य थेरेणी में होगी। सूरदास की कीर्ति को अमर कर देने और हिंदी कविता में उन्हें उद्यासन प्रदान करने के लिये उनका वृहदाकार प्रथं सूरसागर ही पर्याप्त है। सूरसागर हिंदी की अपने ढंग की अनुपम पुस्तक है। श्रृंगार और वात्सल्य का जैसा सरस और निर्मल स्रोत इसमें वहा है जैसा अन्यथ नहीं देख पड़ता। सूदमातिसूदम भावों तक सूर की पहुँच है, साथ ही जीवन का सरल असृतिम प्रवाह भी उनकी रचनाओं में दर्शनीय है। यह ठीक है कि लोक के संबंध में गंभीर व्याख्यापं सूरदास ने अधिक नहीं कीं, पर मनुष्यजीवन में कोमलता, सरलता और सरसता भी उतनी ही प्रयोजनीय है, जितनी गंभीरता। तत्कालीन स्थिति के देखते हुए तो सूरदास का उद्योग और भी स्तुत्य है। परंतु उनकी कृति तत्कालीन स्थिति से संबंध रखती हुई भी, सार्वकालीन और चिरंतन है। उनकी उत्कृष्ट कृष्णभक्ति ने उनकी सारी रचनाओं में जो रमणीयता भर दी है, वह अतुलनीय है। उनमें नवोःसेपशालिनी अद्भुत प्रतिभा है। उनकी पवित्र याणी में जो अनूठी उक्तियाँ आपसे आप आकर मिल गई हैं, अन्य कथि उनकी जूठन से ही संतोष करते रहे हैं। सूरदास हिंदी के अन्यतम कथि हैं। उनके जोड़ का कथि गोस्वामी तुलसीदास को छोड़कर दूसरा नहीं है। इन दोनों महाकवियों में कौन घड़ा है, यह निश्चयपूर्वक कह सकना सरल काम नहीं। भाषा पर अवश्य तुलसीदास का अधिकार अधिक व्यापक था। सूरदास ने अधिकतर भज की चलती भाषा का ही प्रयोग किया है। तुलसी ने ब्रज और अवधी दोनों का प्रयोग किया है और संस्कृत का पुट देकर उनको पूर्ण साहित्यिक भाषा बना दिया है। परंतु भाषा को हम काव्य-समीक्षा में अधिक महत्व नहीं देते। हमें भावों की तीव्रता और व्यापकता पर विचार करना होगा। तुलसी ने रामचरित का आधय लेकर जीवन की अनेक परिस्थितियों तक अपनी पहुँच दिखाई दी है। सूरदास के कृष्णचरित्र में उतनी विविधता न हो किंतु प्रेम की मंजु छवि का जैसा अंतर-बाह्य विवरण सूरदासजी ने किया है वह भी अद्वितीय है। मधुरता सूर में तुलसी से अधिक है। जीवन के अपेक्षाकृत निकटवर्ती क्षेत्र को लेकर उसमें अपनी प्रतिभा का पूर्ण चमत्कार दिखा देने में सूर की सफलता अद्वितीय है। सूदमदर्शिता में भी सूर अपना जोड़ नहीं रखते। तुलसी का क्षेत्र सूर की अपेक्षा भिन्न है। व्यवहार-दशाओं की अधिकता तुलसी तथा प्रेम की अधिक विस्तृत व्यंजना सूर के

काव्य में प्राप्त होती है। पर शुद्ध कवित्व की दृष्टि से दोनों का समान अधिकार है। दोनों ही हमारे सर्वधेष्ठ जातीय कवि हैं। सूरदास के संबंध में कहे गए निनानंकित दोहे को हम अनुचित नहीं समझते—

सूर सूर तुलसी ससी उड़गन बेशवदास।

अब के कवि रखोत सम जहें तहें करत प्रकास॥

अष्टछाप के अन्य कवियों में रासपंचाध्यायी, भ्रमरगीत आदि के रचयिता “सब कवि गढ़िया नंददास जड़िया” के लच्छ सुंदर अनुप्रास-

अन्य कवि मिथित संस्कृतभाषामय पदावली का प्रणयन करने-

वाले सूरदास के ही समकालीन नंददासजी हुए जिन्होंने भागवत की कथा लेकर काव्यरचना की। इन्होंने अपने भ्रमरगीत में सगुणोपासना का समर्थन शास्त्रीय पद्धति पर और हार्दिक अनुभूति के आधार पर किया है। इनका भ्रमरगीत हिंदी का उत्कृष्ट विरह-काव्य है। इनके अतिरिक्त राधा-कृष्ण के प्रेम में मग्न सरस शृंगारिक रचना पर कृष्णदास, अपने पदों से आचार्य वल्लभ को भाव-मग्न करने की ज्ञमता रखनेवाले कन्हौज-निवासी परमानंददास, अकबर के निमंत्रण और सम्मान की परवा न करनेवाले सच्चे भक्त कुम्भनदास, उनके पुत्र चतुर्भुजदास, ग्रजभूमि और व्रजेश की ओर अनन्य भाव से आकर्षित छीत स्वामी^१ गोवर्द्धन पर्वत पर कदंब उपवन लगाकर निवास करनेवाले गायक गोविंद स्वामी आदि अष्टछाप के शेष कवि हैं। प्रत्येक ने भक्ति-भाव-संयुक्त कृष्ण की उपासना की और पूरी ज्ञमता से प्रेम और विरह के सुंदर गेय पद बनाए। सबकी धाणी में वह तन्मयता है जो गीत काव्य के लिये परम उपयोगिनी है। सरस भक्तिपूर्ण पदों का यह प्रवाह रुका नहीं, चलता ही रहा। आगे चलकर जब कृष्ण की उपासना में लौकिक विषय-वासनाएँ आ मिलीं, तब कविता अपने उच्चासन से गिरी और मनुष्य की भोग-वृत्तियों के परितोष का साधन बन गई। इसके लिये कुछ समालोचक इन भक्त कवियों पर दोपारोपण करते हैं। उनके मत में भक्त कवियों की रचनाओं में जो शृंगारिकता है वही धीज बनकर हिंदी के पिछुले समय की रचनाओं में व्याप्त हो गई। परंतु इसके लिये हम भक्त कवियों को दोपी नहीं ठहरा सकते। प्रत्येक सुंदर घस्तु का दुरुपयोग हो सकता है; पर इसके लिये सुंदर घस्तु की निंदा करना व्यर्थ है। पिछुले खेदोंकी गंदी रचनाओं का कारण तत्कालीन जनता की विलास-प्रिय मनोवृत्ति है, भक्तों की पूत वाणी नहीं। शुद्ध प्रेम का प्रवाह वहा-कर भगवान् कृष्ण की स्तुति में आत्मविस्मरण कर, देनेवाले भक्त कवियों का हिंदी कविता पर जो महान् ऋष्ण है, उसे हम सभी स्वीकार करेंगे।

प्रपञ्चाप के बाहर रहकर भक्ति-काव्य की रचना करनेवालों में हितहरिवंश और स्वामी हरिदास विशेष रीति से उल्लेखनीय हैं, क्योंकि हितहरिवंश, हरि- ये दोनों ही उल्कण्ठ पदों के प्रणेता और नवीन दास, रसान संप्रदायों के स्वप्ना हुए। हितहरिवंशजी माधव और निंवार्क मतों से प्रभावित थे, पर उन्होंने राधा की उपासना को ग्रहण कर राधावल्लभी संप्रदाय का सूजन किया। उन्होंने “राधासुधागिधि” और “हित चौरासी” नामक दो पुस्तकें लिखीं जिनमें पहली संस्कृत में है। इसके अतिरिक्त उनके स्फुट पद भी मिलते हैं। इनके मतानुसार राधा रानी हैं, कृष्ण उनके दास हैं, राधा को उपासना से कृष्ण का प्रसाद मिल सकता है। “हित चौरासी” के सभी पद अत्यंत कोमल और सरस भावापन्न हैं। इनके शिष्यों में भ्रवदास और व्यासजी प्रधान हुए, जिनकी रचनाओं से हिंदी की पर्याप्त श्रीवृद्धि हुई।

स्वामी हरिदास निंवार्क मतानुयायी थे, पर उन्होंने अपना अलग संप्रदाय खोला जो डट्टी संप्रदाय कहलाया। ये प्रसिद्ध गायक और कवि थे। अकबरी दरबार के प्रस्त्रात गायक तानसेन के और स्वयं अकबर के ये संगीतगुरु कहे जाते हैं। इनकी रचनाओं में संगीत की राग-रागिनियों का सुन्दर समावेश हुआ है।

कृष्णभक्त कवियों के इस अभ्युत्थान-काल में हम अत्यंत सरस पदों के रचयिता सच्चे प्रेममग्न कवि रसखान को नहीं भूल सकते, जो विधर्मी होते हुए भी ग्रज की अनुपम मधुरिमा पर मुग्ध और कृष्ण की ललित लीलाओं पर लट्ठू थे। जाति-पाँति के बंधनों के बहुत ऊपर जो शुद्ध प्रेम का सात्त्विक बंधन है, उसी में रसखान बँधे थे। उनकी रचनाओं में व्रजभाषा का सरस और सानुप्रास प्रधाह मनोमुग्धकारी वन पड़ा है। हिंदी के मुसलमान कवियों में रसखान का स्थान यहुत ऊँचा है। जायसी आदि की भाँति ये बाहर के मतों में लिस न रहकर भगवान् कृष्ण की सगुणेपासना में लोन हुए। यह उनके उदार हृदय का परिचायक और तत्कालीन भक्तिप्रवाह के सर्वतोव्याप्त प्रसार का द्योतक है।

कृष्ण-भक्ति की कविता इस काल के उपरांत कम ही चली। अकबर के सुख-समृद्धि-पूर्ण साम्राज्य में कृष्ण की भक्ति को फूलने फलने पीछे के कृष्ण-भक्त का अवसर मिला था। अकबर की धर्मनीति विशेष उदार थी; अतः उसके शासनकाल में विना किसी विभ्रान्ति के अनेक धार्मिक संप्रदाय विकसित हुए थे। प्रत्येक संप्रदाय अपने इच्छानुसार उपासना कर सकता था और अपनी सचि

के अनुसार मंदिरों का निर्माण कर सकता था। जनता की समृद्धि से मंदिर-निर्माण में और भी सहायता मिली थी। परंतु अकबर के उपरांत परिस्थिति बदली। अकबर की भाँति सहदयता और उदार मनोभावों घाला दूसरा नुपति दिल्ली के सिंहासन पर नहीं थैडा। साथे ही धन-संपत्ति की वृद्धि से स्वभावतः विलास की ओर अधिक प्रेरणा मिली। हिंदी साहित्य भी अब अधिक प्रौढ़ हो चुका था। उपर्युक्त कारणों से साहित्य का प्रवाह धार्मिक लोग से निकलकर दूसरी ओर बहा। शीति-प्रथों और मुक्तक शृंगारिक रचनाओं की ओर प्रवृत्ति बढ़ी। परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि उस काल के उपरांत कृष्णोपासना का कम एकदम से टूट गया और भक्तिकाव्य की रचना सर्वदा बंद हो गई। ऐसा नहीं हुआ, शृंगार की बृद्धि में शुद्ध भक्ति एकदम खो नहीं गई। वहसुभाचार्य की पाँचवीं पीढ़ी में भक्तवर नागरीदास हुए जिनके रचे ७३ भक्ति-ग्रंथ मिले हैं। उनकी रचनाएँ उच्च कोटि की हैं। उनके अतिरिक्त विष्णु स्वामी संप्रदाय में अलबेली अली नामक भक्त कवि विक्रम की अठारहवीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुए। इनकी “समय प्रयंथ पदावली” बड़ी ही सरस और भावपूर्ण रचना है। इन्हीं के सम-कालीन राधावल्लभी संप्रदाय में चाचा हितवृदावनदास हुए जिनका पदों का विस्तृत संग्रह प्राप्त हुआ है। यद्यपि इनकी रचनाओं में बहुत से पुराने भक्तों के भाव आप हैं, पर इनकी इतनी अधिक कृतियों में मौलिक उद्घावनाएँ भी कम नहीं हैं। ब्रजवासीदास का प्रसिद्ध ग्रंथ “ब्रजविलास” प्रवंधकाव्य की शैली पर दोहे चौपाईयों में लिखा गया, पर इसमें इस काल की भक्ति का ह्वास घोल रहा है। ग्रंथ साधारण जनता में थोड़ी सी प्रसिद्धि पा सका। इसके अतिरिक्त सबलसिंह चौहान ने महाभारत का अनुवाद किया, पर उन्हें भक्त-कवि मानना ठीक न होगा।

आधुनिक युग भक्ति का नहीं है, परंतु ब्रजभाषा के कुछ कवियों ने कृष्णसंबंधी कविता की है। स्वर्गीय पंडित सत्यनारायण कविरत्न के कुछ पदों में कृष्ण-भक्ति की अच्छी भालक देख पड़ी, पर उनकी असमय मृत्यु से वह अधिक स्थायी न हो सकी। वर्तमान कवियों में वियोगी हरिजी के कुछ गद्य-काव्यों में कृष्ण के प्रति स्नेह देख पड़ता है। गद्य-काव्यों में ही नहीं, कुछ फुटकर पदों में भी इन्होंने भक्तों की भाँति अपने कृष्णानुराग की व्यंजना की है जो सुन्दर भी हुई है। कुछ अन्य भक्त भी हैं, पर उनकी रचनाएँ साहित्यकोटि में नहीं आतीं। कृष्ण के जीवन के एक अंश को लेकर पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय ने “ग्रियप्रवास”

की रचना की है; पर उसमें कृष्ण में देवत्व की प्रतिष्ठा नहीं की गई, वे महापुरुष मात्र माने गए हैं। श्री मैथिलीशरण गुप्त ने मध्यसूदन दत्त के “विरहिणी-ब्रजांगना” काव्य का हिंदी में अनुवाद किया है। उसमें राधा के विरह को व्यंजना हुई है, पर पुराने भक्तों ने जितनी तम्मचता के साथ-कृष्ण-भक्ति के उद्धार व्यक्त किए थे, इन दिनों उसका अल्पांश भी कठिनता से देख पड़ता है। अभी हाल में ‘द्वाषर’ नामक उनका स्वतंत्र काव्य-ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है जिसमें श्रीकृष्ण संवंधिनी सुंदर चर्चा है।

कृष्णभक्ति-काव्य का चरम उत्कर्ष सूरदास की रचनाओं में देख पड़ा। सूरदास अकबर के समकालीन थे। अकबर के शासनकाल में

कृष्णभक्ति काल की सभी कलाओं की अनेकमुखी उन्नति हुई थी। अन्य रचनाएँ साहित्य और कविता पर समाट् का पर्याप्त अलु-राग था। वे स्वयं ग्रजभाषा की कविता करते थे। ऐसी अवस्था में उनके शासन-समय में साहित्य की उन्नति होना स्वाभाविक ही था। केवल कृष्णभक्ति की कविता की उन्नति ही उस काल में नहीं हुई थी; बरन् अनेक अन्य विषयों से संबंध रखनेवाली कविताओं का भी उस काल में विकास हुआ था। इस विकास को सुन्धतः दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। एक तो वह जो अकबर के दरबार से संपर्कित होने के कारण उससे प्रत्यक्ष संबंध रखता है; और दूसरा वह जो देश और साहित्य की सामान्य अवस्थाओं के आधार पर हुआ, अतः जिसमें अकबर का हाथ प्रत्यक्ष तो नहीं देख पड़ता, ही दूर से भले ही कुछ संबंध ठहरे। पहली श्रेणी शृंगार और नीति के पुण्य-कर रचनाकारों और कवियों को है और दूसरी में रीतिग्रन्थ लिखनेवाले वे कवि आते हैं जो अधिकतर संस्कृत के पंडित और राजदरयारी थे। पहले वर्ग के प्रतिनिधि कवि रहीम, गंग और नरहरि आदि और दूसरे के महाकवि केशवदास थे। इनके अतिरिक्त सेनापति आदि इसी काल के कुछ अन्य कवि हुए, जिन्हें भी पहले वर्ग में ही रखा जा सकता है। इस अध्याय में कृष्णभक्ति की कविता के साथ साथ चलनेवाली उन कृतियों का उल्लेख भी हम करेंगे जिन्हें हमने उपर्युक्त पहले वर्ग में रखा है। दूसरे वर्ग के संबंध में हम श्रगले अध्याय में लिखेंगे क्योंकि यास्तव में उस वर्ग के कवियों का यह शायिर्मार्य-काल ही था, उसका विकास बहुत पीछे चलकर हुआ था।

ये अकबर के दरबार के उच्च कर्मचारी होते हुए भी हिंदी कविता की ओर लिखे थे। नीति के सुंदर सुंदर दोहे इन्होंने घड़ी मार्मिकता से कहे। जीवन के सुख-दैभव का अच्छा अनुभव करने के कारण रहीम

की तत्संबंधी उकियों में तीव्र भावव्यंजना है। देहों के अतिरिक्त इन्होंने घरवै, सोरठा, सवैया, कवित्त आदि अनेक छुंदों तथा संस्कृत के रहीम वृत्तों में भी रचना की है। उनका घरवै छुंदों में लिखा नायिकामेद टेठ अवधीके माधुर्य से समन्वित है।

फहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास तक ने इससे प्रभावित होकर इसी छुंद में घरवै रामायण लिखी थी। गोस्वामीजी की ही भाँति रहीम का अवधी और ब्रज भाषाओं पर समान अधिकार था और गोस्वामीजी की रचनाओं की भाँति इनकी रचनाएँ भी जनता में अत्यधिक प्रचलित हुईं। गोस्वामीजी से इनकी भेट हुई थी और दोनों में सौहार्द भाव भी था। ये बड़े ही उदारहृदय दानी थे और इनका अनुभव यड़ा ही विस्तृत, सूक्ष्म और व्यावहारिक था।

ये दोनों ही अकबर के दरबार के श्रेष्ठ हिंदू कवि थे। गंग की शृंगार और धीर रस की जो रचनाएँ संग्रहों में मिली हैं, उनसे इनके गंग और नरहरि भाषा-अधिकार और वागवैद्यन्ध का पता चलता है। जनता में इनका बड़ा नाम है, परंतु इनकी

रचित एक भी पुस्तक अब तक नहीं मिली। “तुलसी गंग दोऊ भए सुकविन के सरदार” की पंक्ति इन्हों को लक्ष्य करके कही गई है। नरहरि वंदीजन अकबर के दरबार में सम्मानित हुए थे। ऐसा कहते हैं कि वादशाह ने इनका एक छप्पय सुनकर अपने राज्य में गोवध वंद कर दिया था। नीति पर इन्होंने अधिक छुंद लिखे।

अकबर के दरवारियों में धीरबल और टोडरमल भी कवि हो गए हैं। धीरबल अकबर के मंत्रियों में से थे और अपनी चाकचातुरी तथा विनोद के

वीरबल और टोडर लिये प्रसिद्ध थे। इनके आश्रय में कवियों को अच्छा सम्मान मिला था और इन्होंने स्वयं ब्रजभाषा में सरस और सातुप्रास रचना की थी। महाराज टोडरमल के नीति-संवेदी पुस्तकर छुंद मिलते हैं जो कविता की दृष्टि से बहुत उच्च कोटि के नहीं हैं। इनके अतिरिक्त मनोहर, होलराय आदि कवि भी अकबरी दरवार में थे। स्वयं वादशाह अकबर की भी ब्रजभाषा में कुछ रचनाएँ पाई जाती हैं। ब्रजभाषा को इतना बड़ा राजसम्मान इनके पहले कमी नहीं मिला था।

दरवार से असंपर्कित कवियों में सेनापति का स्थान सर्वोच्च है। ये कान्यकुञ्ज ब्राह्मण और अच्छे भक्त थे। पहले ये किसी दरवार में सेनापति रहे हों, पर जीवन के पिछले अंश में तो ये संन्यासी हो गए थे। इन्होंने पट्टमृतुओं का वर्णन किया है जो बड़ा ही हृदयग्राही हुआ है। इन्हें प्रकृति की सूक्ष्म सूक्ष्म चातों का

अनुभव भी था और इनका निरीक्षण भी विशेष मार्मिक था। इनकी पिछले समय की भक्ति और विराग की रचनाएँ चित्त पर स्थायी प्रभाव डालती हैं। भाषा ग्रन्त की ग्रामोण होते हुए भी अलंकृत है। इनका फवित्त-रद्दाकर अब तक अप्रकाशित है।

इसी काल की शृंतियों में नरोत्तमदास का "छुदामा-चरित्र" भी है, जो कविता की दृष्टि से अच्छा है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अकबर और जहाँगीर के राजत्वकाल में हिंदी फविता, क्या भाषा और क्या भाष्य की दृष्टि से, विशेष प्रीढ़ हो गई। इस काल में थोड़ी सी रचना गद्य में भी हुई पर हिंदी में तथ तक गद्य के विकास का युग नहीं आया था।

दसवाँ अध्याय

रीति काल

जिस युग में कवीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे रससिद्ध कवियों और महात्माओं को दिव्य वाणी उनके अंतरणों से निकलकर देश के

भक्ति और रीति कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्तियुग कहते हैं। निश्चय ही वह

हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग था। भक्ति के उस पावन स्रोत में कितनी ही छैटी बड़ी धाराएँ आ मिली थीं, जिनसे उसका प्रवाह अक्षय और वेग अप्रतिहत हो गया था। न जाने कितने भक्तों ने अपनी अंतरात्मा की पुकार को वाणीवद्ध करके हिंदी का अपार कल्याण किया और न जाने कितने हृदय मुरझाकर सूख जाने से बचे। भारतीय जनसमाज के उस घोर आपल्काल में भक्तों ने ही शांति और सांत्वना का विधान किया था और उन्होंने की उदारता तथा दूरदर्शिता के फलस्वरूप निराश और भग्नहृदय हिंदुओं में नवीन आशा और उत्साह आदि का संचार हुआ था। मुसलमानों का विजयर्थ बहुत कुछ कम हो जाने के कारण उनमें संयम तथा सहानुभूति का प्रादुर्भाव हो गया था। उस काल में जिन उत्कृष्ट आदर्शों की प्रतिष्ठा हुई थी, वे भक्त कवियों की अनुभूति और उदारता के परिणाम स्वरूप थे। यही कारण है कि वे इतने सर्वमान्य और व्यापक हो सके थे। उन आदर्शों में उन कवियों और महापुरुषों का जो जीवन छिपा हुआ है, वही उनका सत्य संदेश है। जब जिस साहित्य में अंतरात्मा की पुकार पर निर्माण का कार्य होता है, तब उसमें ऐसी ही दिव्य भावनाओं का आविर्भाव होता है, जिनसे साहित्य में उन्नत युग का आभास मिले विना नहीं रह सकता।

उन संतों और भक्तों में इतनी नम्रता और विनययुद्धि थी, वे इतने उदार और उन्नत-हृदय थे कि न तो संसार की माया-ममता उन्हें उनके पथ से डिगा सकती थी और न तुच्छ आकांक्षा ही उन्हें मोह सकती थी। जो कुछ उनकी आत्मा का संदेश था, जो कुछ वे कहने आए थे, उसे निर्भीक होकर स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा। यही कारण है कि उनकी वाणी में वाह्य आडंधर बहुत कम है। क्या वर्णित विषय की दृष्टि से और क्या भाषा की दृष्टि से, सब में एक निसर्गसिद्ध सौंदर्य

अनुभव भी था और इनका निरीक्षण भी विशेष मार्मिक था। पिछले समय की भक्ति और विराग की रचनाएँ चित्र पर स्थान डालती हैं। भाषा व्यज की ग्रामीण होते हुए भी अलंकृत है। कविच-रत्नाकर अब तक अप्रकाशित है।

इसी काल की रूतियों में नरोत्तमदास का "सुदामा-चरित" है, जो कविता की दृष्टि से अच्छा है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि थक्कर और जहाँगीर के राजत्व में हिंदी कविता, क्या भाषा और क्या भाव की दृष्टि से, विशेष ग्रौद गई। इस काल में थोड़ी सी रचना गद्य में भी हुई; पर हिंदी में तक गद्य के विकास का युग नहीं आया था।

दसवाँ अध्याय

रीति काल

जिस युग में कवीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे रससिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य धारणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के भक्ति और रीति कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्तियुग कहते हैं। निश्चय ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग था। भक्ति के उस पावन स्रोत में कितनी ही छोटी बड़ी धाराएँ आ मिली थीं, जिनसे उसका प्रबाह अक्षय और वैग अप्रतिहत हो गया था। न जाने कितने भक्तों ने अपनी अंतरात्मा की पुकार को वाणीबद्ध करके हिंदी का अपार कल्याण किया और न जाने कितने हृदय मुरझाकर सख्त जाने से बचे। भारतीय जनसमाज के उस घोर आपल्काल में भक्तों ने ही शांति और सांत्वना का विधान किया था और उन्हीं की उदारता तथा दूरदर्शिता के फल-स्वरूप निराश और भग्नहृदय हिंदुओं में नवीन आशा और उत्साह आदि का संचार हुआ था। मुसलमानों का विजयगर्व बहुत कुछ कम हो जाने के कारण उनमें संयम तथा सहानुभूति का प्रादुर्भाव हो गया था। उस काल में जिन उत्कृष्ट आदर्शों की ग्रतिष्ठा हुई थी, वे भक्त कवियों की अनुभूति और उदारता के परिणाम स्वरूप थे। यही कारण है कि वे इतने सर्वमान्य और व्यापक हो सके थे। उन श्राद्धशों में उन कवियों और महापुरुषों का जो जीवन छिपा हुआ है, वही उनका सत्य संदेश है। जब जिस साहित्य में अंतरात्मा की पुकार पर निर्माण का कार्य होता है, तब उसमें ऐसी ही दिव्य भावनाओं का आविर्भाव होता है, जिनसे साहित्य में उन्नत युग का आभास मिले विना नहीं रह सकता।

उन संतों और भक्तों में इतनी नव्रता और विनयबुद्धि थी, वे इतने उदार और उन्नत-हृदय थे कि न तो संसार की माया-ममता उन्हें उनके पथ से डिगा सकती थी और न तुच्छ आकांक्षा ही उन्हें मोह सकती थी। जो कुछ उनकी आत्मा का संदेश था, जो कुछ वे कहने आए थे, उसे निर्भीक होकर स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा। यही कारण है कि उनकी धारणी में वाह्य आडंबर बहुत कम है। क्या वर्णित विषय की वृष्टि से और क्या भाषा को वृष्टि से, सब में एक निसर्गसिद्ध सौंदर्य

और प्रवाह है जो मानस को रससिक कर देता है। यही कारण है कि “प्राकृत जन गुन गान” से विरत होकर उन सभी कवियों ने “त्वदीयं वस्तु गोचिद तुभ्यमेव समर्पये” के अनुसार अपनी प्रतिभा और कृति-शक्ति को परमेश्वर की भक्ति में लगाया। वे सांसारिक धन-संपत्ति को कुछ नहीं समझते थे। कहीं तुलाहै थे और तुलाहै का व्यवसाय भी करते थे। सूर और तुलसी संसार के त्यागी भद्रापुरुष थे। अन्य महात्मा भी संसार में लिप्त न थे। कुछ ने अकबर-सदृश सम्राटों के निमंत्रण अस्वीकृत करके अपने महान् होने का परिचय दिया था। इन्होंने अद्वितीय भावुक और सहृदय रसखाने थे जिन्होंने ‘कोटिन वे कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर यारौं’ को अपने जीवन का लद्य बनाया था। इसी प्रकार के न जाने कितने महात्माओं के प्रसाद से हिंदी साहित्य की श्री-वृद्धि हुई थी और न जाने कितने सच्चे रसिकों फी भक्ति काव्य-कला के सच्चे में ढलकर समस्त उत्तर भारत का हृदय आप्लावित कर चुकी थी।

कहीं आदि संतों ने हिंदू और मुसलमानों की भेदवृद्धि को दूर करके ‘सरल सदाचार-पूर्ण जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया, जायसी आदि लौकिक प्रेम को स्वर्गीय बनाने के प्रयासी हुए, सूर आदि ने भधुर भावों से भावित कृष्ण-काव्य की रचना कर असंख्य हृदयों को हरा किया और तुलसी ने भारत की संस्कृति को बढ़े ही द्यापक, मधुर और उदार भाव से अंकित कर हिंदू जाति का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया। पर क्या उन्हें अपनी अपनी छतियों का कुछ भी गर्व था? गर्व तो दूर रहा, वे कभी अपने वास्तविक महत्व की कल्पना भी न कर सके। उन महाकवियों ने अपने को भूलकर किसी अन्य की प्रेरणा से कविता की थी। निष्ठव्य ही वह प्रेरणा स्वर्गीय थी। जायसी ने पश्चावत में अपने को पंडितों का “पछिलगा” बतलाया है और तुलसीदास ने कहा है, “कवित विचेक पक नहि’ मोरे, सत्य कहौं लिखि कागद कोरे।” इसी प्रकार सभी विनीत भक्तों ने अपनी अयोग्यता की विवासि की है। यह सब उस समय की बात है जब पंडितराज की उपाधि धारण करनेवाले संस्कृत के उद्घट कवि जगद्धाथ अपनी ही स्तुति में बहुत कुछ कह गए थे। हिंदी के उस विकास-काल की यह मनोवृत्ति ध्यान देने योग्य है। यदि हम कहें तो कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य की तत्कालीन श्रद्धालिका इन विनीत और निरपेक्ष महात्माओं द्वारा रचित दृढ़ नौब पर ही खड़ी हुई थी।

जिस काल में ऐसे वडे वडे महात्माओं ने कवि-कर्म स्वीकार करके तत्कालीनता की अवस्था में हृदय की रागिनियों का अमृतघर्पी आलाप

किया था, और जिस काल में घड़े घड़े नृपतियों तक में उनके स्वर में स्वर मिलाने की साध उत्पन्न हुई थी, हिंदी साहित्य के उस काल की गहिमा अपार है। उस काल में देश की लच्ची स्थिति को पहचानने-वाले पुरुषों ने आत्मप्रेरणा से स्वर्गीय साहित्य की सृष्टि की थी, उस काल में प्रकृति ने स्वयं कवियों की लेखनी पकड़कर उनके लिये काव्य रचा था। उस काल का साहित्य अलंकारों के अनपेक्षी, शब्दजालशून्य, सत्य की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है, उसमें वाहर से बनाव-शृंगार करने की चेष्टा नहीं की गई है, जो कुछ है वह आंतरिक है। कुछ आलोचकों की सम्मति में भारतीय कवि की यह विशेषता है कि उसे काव्य-कला का पंडित होना आवश्यक होता है, वह कविता संबंधी अनेक नियमों से बँधकर ही आत्मलाभ करता है। पर यह बात भारतीय कवि के लिये भी उतनी ही सत्य है जितनी अन्य देशीय कवि के लिये। यदि अन्य देशों में प्रतिभाशाली कवि काव्य संबंधी प्रचलित नियमों और प्रतिवंधों की अवहेलना करके स्वतंत्र रीति से कविता कर सकता है, तो भारत में भी उसे पेसा करने का पूरा अवसर है। यूरोप में काव्य संबंधी विवाद जितने अधिक देख पड़ते हैं उतने भारत में नहीं। यदि कहें तो कह सकते हैं कि हिंदी के कवीर आदि कविता-कला से जितने अधिक अनभिज्ञ थे, संभवतः अन्य किसी देश का कोई कवि उतना अनभिज्ञ न होगा, फिर भी कवीर हिंदी के थोष कवियों में सम्मानित शासन के अधिकारी माने जाते हैं।

उपर्युक्त आलोचकों को कदाचित् यह बात भूल जाती है कि साहित्य की परंपरा में लक्षण ग्रंथों का निर्माण लक्ष्य ग्रंथों के सूजन के उपरांत, उनका ही आधार लेकर, हुआ करता है। पहले कविता की सृष्टि हो जाती है, पीछे उसके नियम आदि बनते रहते हैं। संस्कृत साहित्य में भी यही देखा जाता है और हिंदी में भी यही क्रम रहा है। साहित्य के प्रारंभिक युगों में अंतःकरण की प्रेरणा से अत्यंत सरल और अलंकार-निरपेक्ष शैली में काव्य-रचना होती है, पीछे से ज्यों ज्यों अधिकाधिक रचनाएँ होती जाती हैं और जैसे जैसे काव्यचर्चा बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे कविता संबंधी नियम बनते जाते हैं। यह प्रवृत्ति केवल इसी देश में नहीं, प्रायः सभी देशों के साहित्यों में पाई जाती है। ही, यह बात अवश्य है कि इस देश की प्रवृत्ति वर्गीकरण, थोणी-विभाजन आदि की ओर अधिक थी, इस कारण यहाँ के काव्य संबंधी नियम भी विशेष सूदम और जटिल हो गए हैं; परं पीछे के साहित्यकारों और कवियों ने उन नियमों का शासन स्वीकार कर अपनी छतियों को उन्हीं

का अनुयायी घनाया है। ऐसा करने से उनकी भाषा में प्रांजलता तथा आलंकारिकता तो आ गई है, पर कविता का जो सर्वोल्लाष्ट लघ्य जीवन के गंभीर तत्त्वों को सुलझाना तथा हृदयंगम फरना है, वह भुला दिया गया है। इससे कविता में वाह्य सौंदर्य की वृद्धि हुई है पर उसकी आत्मा संकुचित होती गई है।

हिंदी में भी सूर और तुलसी के समय तक साहित्य की इतनी अधिक अभिवृद्धि हो चुकी थी कि कुछ लोगों का ध्यान भाषा और भावों को अलंकृत करने तथा संस्कृत की काव्य-रीतिकाल का आरंभ रीति का अनुसरण करने की ओर खिंच रहा था।

इसका यह अर्थ नहीं है कि सूर और तुलसी तथा उनके पूर्वे के सत्कवियों में आलंकारिकता नहीं थी अथवा वे काव्य-रीति से परिचित ही न थे। ऐसी वात नहीं थी। अनेक कवि पूर्ण शास्त्रज्ञ और काव्यकलाविद् थे। वे सूदम से सूदम आलंकारिक शैलियों का पूरा पूरा ध्यान रखते थे। स्वयं महात्मा तुलसीदासजी ने अपनी अनभिज्ञता का विज्ञापन देते हुए भी ग्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर अपना पूर्ण आधिपत्य तथा काव्य-रीति का सूखमतम अभिज्ञान दिखाया है। अंतर इतना ही है कि उन्हें काव्य-कला को साधन मात्र बनाकर रचना करनी थी, साध्य बनाकर नहीं। अतपव उन्होंने अलंकारों आदि से सहायक का काम लिया है, स्वामी का नहीं। इसके विपरीत पीछे के जो कवि हुए, उन्होंने काव्य-कला की परिपुष्टि को ही प्रधान मानकर शेष सब वातों को गौण स्थान दिया और मुक्तकों के द्वारा एक एक अलंकार, एक एक नायिका अथवा एक एक भूतु का घर्णन किया है। आगे चलकर यह प्रथा इतनी प्रचलित हुई कि विना रीतिग्रंथ लिखे कवि-कर्म पूरा नहीं समझा जाने लगा। हिंदी साहित्य के इसे काल को हम इसी लिये रीतिकाल कहते हैं।

रीति-ग्रंथकार कवियों का स्वरूप ठीक ठीक समझने के लिये उनके आविर्भाय-काल की परिस्थितियों पर ध्यान देना होगा। भक्ति-काल के अंतिम चरण में कृष्णभक्ति की कविता की प्रधानता थी। कवियों में अधिकांश व्रजभाषा के मुक्तक छंदों तथा गीतों के द्वारा कृष्ण की ललित लीलाओं के घर्णन-की परिपादी चली थी। कृष्ण और धारा के सौंदर्य-घर्णन में भक्त कवियों ने अपनी सारी शक्ति लगा दी। प्रेम और विरह-लीला तथा हास आदि का बड़ा मर्मस्पर्शी घर्णन भक्त कवियों ने किया था। वह यद्यपि उनके पवित्र हृदय से निष्प्रकृत होने के कारण पूत भावनाओं से समन्वित था, पर साधारण पाठकों की लौकिक दृष्टि में उसमें शृंगारिकता ही अधिक प्रतीत होती है। राधा और कृष्ण के

प्रेम का वर्णन करके यद्यपि भक्त और भगवान् के संबंध की व्यंजना की गई थी, पर उस तथ्य को समझकर प्रहृण कर सकना सबका काम नहीं था। इसके अतिरिक्त राजदरबारों में हिंदी कविता को अधिकाधिक आश्रय मिलने के कारण कृष्ण-भक्ति की कविता को अध-पतित होकर वासनामय उद्गारों में परिणत हो जाने का अधिक अवसर मिला। तत्कालीन नरपतियों की विलास-चेष्टाओं की परिवृत्ति और अनु-मोदन के लिये कृष्ण एवं गोपियों की श्रोट में हिंदी के कवियों ने कल्पित प्रेम की शुत सहस्र उद्घावनाएँ कीं। जनता में भी कृष्ण-भक्ति के नाम पर मनमानी लीलाएँ करने की प्रवृत्ति बढ़ी, जैसा कि वज्रभाचार्यजी की परंपरा का वर्णन करते हुए ऊपर कहा जा चुका है। इसका परिणाम यह हुआ कि राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीति काल की कविता शृंगाररसमयी हो गई और अन्य प्रकार की कविताएँ उसके सामने दब सी गईं।

परंतु इसका यह आशय कदापि नहीं है कि शृंगाररस सर्वथा निंद्य ही है, अथवा उस काल के सभी कवियों में प्रेम और सौंदर्य की निसर्गसिद्ध पवित्र उद्घावना करने की शक्ति ही नहीं रह गई थी। शृंगाररस के मुक्तक पद्य यद्यपि अधिकतर अलंकारों और नायिकाओं के उदाहरण-स्वरूप ही लिखे गए और यद्यपि लिखने का लक्ष्य भी अधिकतर आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना था, तथापि कुछ कवियों की कृति में शुद्ध प्रेम के ऐसे सरस छुंद मिलते हैं, ऐसे सौंदर्य की पवित्र विवृति पाई जाती है कि सहसा यह चिश्वास नहीं होता कि वे कवि शुद्ध आंतरिक प्रेरणा के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश से कविता करते थे। यह ठीक है कि अधिकांश कवियों ने सौंदर्य को केवल उद्दीपन मानकर नायक नायिका के रति-भाव की व्यंजना की है; पर कुछ कवि ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने रीति के प्रतिवर्धयों से बाहर जाकर स्वकीय सुंदर रीति से सौंदर्य की वह सुषिटि की है जो मनोमुग्धकारिणी है।

भक्ति काल के कवियों में कवीर श्रादि संतों की भाषा विलकुल शिथिल और अव्युत्पन्न थी। प्रेमगाथाकारों की भाषा अवध की ग्राम-

रीति काल की भाषा भाषा थी जिसमें साहित्यिकता का पुट प्रायः नहीं के वरावर था। कृष्ण-भक्त कवियों में सूर की भाषा ब्रज की चलती भाषा थी और नंददास तथा हितहरिवंश ने संस्कृत के समिश्रण से ब्रजभाषा को साहित्यिक भाषा बनाने का प्रयास किया था। एक महात्मा तुलसीदास ही ऐसे थे जो हिंदी की संपूर्ण शक्ति को लेकर चिकित्सित हुए और ब्रज तथा अवधी पर समान अधिकार रखते

थे। प्रसंगानुसार साहित्यिक और ग्रामीण प्रयोगों में जैसी उनकी पटुता थी हिंदी में उसकी कहाँ समता नहीं मिलती। रीति काले में भाषा भी रीतिग्रस्त हो गई। कोमल कांत पदावली को चुन चुनकर, कर्कशता का सप्रयास वहिष्कार कर, कितने ही अप्रयुक्त शब्दों को अपनाकर जिस भाषा-परिपाठी की प्रतिष्ठा की गई, वही समस्त रीति काल में चलती रही और आज भी ब्रजभाषा के कवि उसका निर्दाह उसी प्रकार करते चले जाते हैं। साहित्य की ब्रजभाषा रीति की लीक पर चलनेवाली भाषा है और ब्रज-प्रांत की भाषा से बहुत कुछ भिन्न है। उसका निर्माण जिस परिस्थिति में हुआ, उससे उसमें कोमल कांत पदावली की अतिशयता ही रही—कटु, तिक, कपाय आदि के उपयुक्त महाप्राणता न आकर वह अधिकतर सुकुमार ही यनी रही। कमल, कदली, मधूर, चंद्र, मदन आदि के लिये उसमें जितने काव्यप्रयुक्त शब्द हैं, वे सब कोमलता-समन्वित हैं। ब्रजभाषा की माधुरी आज भी देश भर में प्रसिद्ध है।

परंतु भाषाशाखा तथा व्याकरण के नियमों के अनुसार ब्रजभाषा तथा अवधी के जो सूचम चिन्हेद हैं, उन पर बहुत अधिक ध्यान कभी नहीं दिया गया। महाकवि सूरदास की ब्रजभाषा में भी अवधी के ही नहीं पंजाबी और विहारी तक के प्रयोग हैं। और तो और स्वयं गोस्तामीजी की भाषा भी भाषाशाखा के जटिल नियमों का पालन नहीं करती। भाषा को जटिल वंधनों से जकड़कर उसे निर्जीव कर देने की जो शैली संस्कृत ने ग्रहण की थी, हिंदी उससे बची रही। यही कारण है कि रीति काल में कवियों की भाषा बहुत कुछ वँधी हुई होने पर भी याहरी शब्दों को ग्रहण करने को स्वतंत्रता रखती थी। भाषा को जीवित रखने के लिये यह क्रम परम आवश्यक था। इस स्वतंत्रता के परिणाम-स्वरूप अवधी और ब्रज का जो थोड़ा-बहुत सम्मिश्रण होता रहा, वह रीति काल के अनेक प्रतिवंधों के रहते भी बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि उतनी स्वतंत्रता के बिना काम भी नहीं चल सकता था। यहाँ हमको यह भी स्वीकार करना होगा कि रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने शुद्ध ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, एवं जिन कवियों पर अवधी का प्रभाव है, उन्होंने भी कवीर की सीखिचढ़ी भाषा कदापि नहीं लिखी।

रीतिकाल के कवियों का साहित्य में क्या स्थान है, इसकी समीक्षा साहित्यिक समीक्षा कवित्व की दृष्टि से भी की जा सकती है, और आचार्यत्व की दृष्टि से भी। कवित्व की दृष्टि से समीक्षा करने में हमारी कस्तीटी येसी होनी चाहिए जिस पर हम संसार

भर के साहित्य को कसकर परख सकें और उसके उत्कर्षपकर्ष का निर्णय कर सकें। स्थायी साहित्य जीवन की चिरंतन समस्याओं का समाधान है। मनुष्यमात्र की मनोवृत्तियों, उनकी आशाओं, आकांक्षाओं और उनके भावों, विचारों का वह अक्षय भाँडार है। मनुष्यजीवन एकमुख नहीं, सर्वतोमुख है; उसके अनेक विभाग और अनेक प्रकार हैं। वह इतना अद्वेय और गहन है कि उसके रहस्यों को समझ सकना सरल काम नहीं। साहित्य हमारे सामने जीवन की इन्हीं विविध, अद्वेय एवं गहन समस्याओं का चित्र रखता है, अतः वह भी वहुत कुछ वैसा ही है। उसमें एक और तो मानव-समाज के उच्चातिउच्च लद्यों और आकांक्षाओं की झलक रहती है और दूसरी ओर उसकी वास्तविक परिस्थितियों, उसके सुख-दुःख और उत्थान-पतन का चित्र रहता है। फौन कह सकता है कि परिस्थितियाँ कितनी हैं! उसी प्रकार लद्यों, उद्देशों, आकांक्षाओं और आदर्शों की भी क्या गणना है? सब मिलकर साहित्य जीवन की असीमता का प्रतिविव बन जाता है। उसमें असंख्य आदर्शों के साथ अपार वस्तु-स्थिति मिलकर उसे निस्सीम बना देती है। साधारण से साधारण से लेकर महान् से महान् भावनाओं के लिये उसमें स्थान है, उसकी सीमा में सब कुछ आ सकता और समा सकता है। जिस जाति का साहित्य जितना अधिक विस्तृत और पूर्ण होगा, उसमें उतने ही विस्तृत और पूर्ण जीवन के विकास की संभावना रहेगी। साहित्य की इस व्यापक भावना को हम समन्वयवाद कह सकते हैं।

इस साहित्यिक समन्वय में रीति काल के शृंगारी कवियों का अलग स्थान है, यह पहले ही स्वीकार करना पड़ेगा। उन कवियों का लद्य भक्त कवियों की भाँति कुछ विशिष्ट उच्च आदर्शों पर नहीं था, परंतु गार्हस्थ्य जीवन के सुख सौंदर्य आदि पर उनकी दृष्टि टिकी थी और खी-पुरुष के मधुर संवंध की ओर उनका ध्यान खिँचा था। यह ठीक है कि गार्हस्थ्य-जीवन का जो रूप उन्होंने देखा, वह न तो संपूर्ण था और न उत्कृष्ट ही, और यह भी ठीक है कि खी-पुरुष के संवंध की मधुरता का उन्हें सम्यक् परिचय नहीं था, तथापि फुटकर पदों में ही खंड-चित्रों को श्रंकित करके और प्रेम तथा सौंदर्य की अभिव्यक्ति की यथाशक्ति चेष्टा करके उन्होंने जीवन के पारिचारिक पक्ष पर अच्छा प्रकाश डाला। इस दृष्टि से उनका काव्य-क्षेत्र सीमित अवश्य था, पर उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। वे सौंदर्य-प्रेमी कवि थे, यद्यपि रीतियों में जकड़े रहने के कारण उनका सौंदर्य-प्रेम प्रांजल और पवित्र नहीं हो

पाया था। कहीं कहीं तो उसमें अश्लीलता भी आ गई थी। परंतु तत्कालीन स्थिति का विचार करते हुए और यह समझते हुए कि उन्होंने अपनी भावनाओं का कलुप राधा-कृष्ण को ही अपेण कर बहुत कुछ पाप-परिहार कर लिया था, उन्हें ज़मा कर देना पड़ेगा।

यद्यपि यह निश्चित है कि स्थायी साहित्य में रीति काल के सौंदर्योंपासक और प्रेमी कवियों का स्थान अमर है, पर अमर साहित्य के वर्गीकरण में वे किस कक्षा में रखे जायें यह विचारणीय है। प्रबंध और मुक्तक की व्याप्ति से स्थायी साहित्य का वर्गीकरण नहीं हो सकता। यह ठीक है कि प्रबंध के भीतर से जीवन के व्यापक तत्त्वों पर कवि-व्याप्ति के उद्धरने की अधिक संभावना रहती है; परंतु मुक्तक इसके लिये विल-कुल अनुपयुक्त हो, यह यात नहीं है। हिंदी के भक्त कवियों ने फुटकर गीतों से और उमर खेयाम ने मुक्तक खाइयों की सहायता से जीवन के चिरंतन सत्यों की जैसी मार्मिक व्यंजना की है, वह मुक्तक काव्य के महत्त्व को प्रत्यक्ष कर देती है। अङ्गरेजी के श्रेष्ठ कवियों के लीरिक्स भी इसके उदाहरण हैं। हमें यदि श्रेणी-विभाग करने को कहा जाय तो हम कवियों की कृतियों की परीक्षा करते हुए यह पता लगावेंगे कि जीवन के जिस अंग को लेकर वे चले हैं, वह सत्य है या नहीं, महत्त्वपूर्ण है या नहीं। सत्य और महत्त्वपूर्ण होने के लिये जीवन का अनुभव करने, उसके रहस्य समझने, उसके सौंदर्य का साक्षात्कार करने तथा उसकी समस्याओं को सुलझाने की आवश्यकता होगी। कवि को तमाशाई न बनकर बाहर से उछल-कूद करते की आवश्यकता नहीं है, उसे जीवन के रंगमंच का प्रतिभाशाली नायक बनकर अपना कार्य करना पड़ता है। जितनी सरलता, स्पष्टता और सुंदरता के साथ वह यह कार्य कर सकेगा, उतनी ही सफलता का अधिकारी होगा। जब तक कवि जीवन-सरिता में अवगाहन न कर बाहर से उसके घाटों की शोभा देखता रहेगा, तब तक उसकी रचना न संगत ही हो सकेगी और न महत्त्वपूर्ण। घाटों की शोभा देखने से उसे इंद्रिय-सुख भले ही प्राप्त हो, पर वह सुख न मिलेगा जिसे आत्मप्रसाद या परनिवृत्ति कहते हैं। ऐसा करके वह कुछ समय के लिये साहित्य की परीक्षा-समिति से सफलता का सम्मतिपत्र भले ही पा जाय, पर जब सैकड़ों वर्षों के अन्तर जीवन-संबंधी मौलिक संदेश सुनानेवालों और उसके सघे सौंदर्य को प्रत्यक्ष कर दिखानेवालों की खोज होने लगेगी, तब उसे कौन पूछेगा? साहित्य की जाँच की यही सर्वोच्चम कसौटी है। रीति काल के अधिकांश कवियों को बँधी दुई लीक पर चलना पड़ा, उन्हें अपनी

ही यनाई हुई सीमा में जकड़ जाना पड़ा। साहित्य का उच्च लद्दय भुला दिया गया। तत्कालीन कवियों को कृतियाँ विश्वरूप, निरंकुश और उद्धाम हैं, उनमें कहाँ उच्चातिउच्च भावनाएँ कलुपित प्रसंगों के पास ही खड़ी हैं तो कहाँ सौंदर्य और प्रेम के मर्मस्पर्शी उद्गार अतिशयोक्ति और घात की करामात से घिरे हैं। कहाँ उपमाओं और उत्प्रेक्षाओं के थोक से वास्तविक घात दब गई है तो कहाँ श्लेष की ऊटपटाँग योजना भानमती का पिटारा दिसला रही है। जैसे किसी को कुछ कहना ही न हो, कविता केवल दिलवहलाव के लिये गपशप या ऐयाशों की वहक की हुँकारी हो। यह सब होते हुए भी कुछ प्रतिभाशाली कवियों की कृतियाँ रीति की सामान्य शैली से बहुत ऊपर उठकर मुक्तक छुंदों में जैसी सुंदर और तीव्र भावव्यंजना करती हैं उससे कवियों के हार्दिक आंदोलन का पता लगाया जा सकता है। कुछ कवियों ने प्रेम के सूक्ष्म तत्त्वों का निरूपण भी किया है, केवल विभाव, अनुभाव आदि का अतिक्षुणण रूप खड़ा करके रस-निष्पत्ति की चेष्टा ही नहीं की है। ऐसे कवियों का स्थान सौंदर्य-स्नप्ता मौलिक साहित्यकारों के बीच में चिरकाल तक रहेगा, यद्यपि यह मानना पड़ेगा कि सौंदर्य-सृष्टि करने में अन्य देशों के श्रेष्ठ कवियों ने जिस सूक्ष्म दृष्टि और स्वायत्त शक्ति का परिचय दिया है, वह रीति काल के हिंदी कवियों में बहुत अधिक मात्रा में नहीं मिलती।

भाषा और छुंद आदि की दृष्टि से भी रीति काल के कवि बहुत नीचे नहीं गिरते। ब्रजभाषा का जो साहित्यिक रूप निर्मित हुआ था, उसमें अनुभूयमान कोमलता और सुकुमारता उन्हीं कवियों के प्रयास का फल था। इस प्रकार की कोमलता और सुकुमारता को हम सर्वथा हेय ही समझते हों, यह बात नहीं है। शंगाररस का पल्ला पकड़कर गार्हस्थ्य-जीवन के जैसे सुंदर और सुकुमार चित्र उन्हें उतारने थे, उसके उपशुक्त भाषा का स्वरूप स्थिर फरना कवियों की प्रतिभा का ही परिचायक है। इनके कारण छुंदों में भी अच्छी प्रौढ़ता और परिष्कृति आई है। विहारी ने दोहा छुंद को विकास की चरम सीमा तक पहुँचा दिया। देव और पद्माकर के कवित्य तथा मतिराम के सर्वैष गठन की दृष्टि से अद्वितीय हुए हैं। पीछे से छुंदों की भी रीति वैय गई और अन्य छुंदों में प्रायः कुछ भी रचना नहीं हुई। केशव आदि कुछ कवियों ने विविध छुंदों के प्रयोग की चेष्टा की, पर उन्हें माँजने में वे भी समर्थ नहीं हो सके।

ऊपर हमने घर्षित विषय और भाषा की दृष्टि से रीति काल के कवियों की जो समीक्षा की है, वह इन युग के आलोचकों को भले ही

रुचिकर हो अथवा वह व्यापक दृष्टि से साहित्य का विश्लेषण भले ही सप्रभी जाय, पर उससे रीति काल के कवियों ने जिन नियमों और आचार्यत्व प्रतिवर्ध्यों को स्वीकार कर कविता की थी तथा कान्य के संबंध में उनकी जो धारणा थी उनका परिचय नहीं मिलता। जब हम इस प्रकार अपनी कसौटी पर दूसरों को परस्त हैं तब हमारी कसौटी चाहे जितनी सरी हो, हम दूसरों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकते। इसका कारण स्पष्ट है। प्रत्येक देश और प्रत्येक काल के साहित्य की अलग अलग विशेषताएँ होती हैं। सामान्य रीति से यद्यपि साहित्य शब्द के अंतर्गत सार्वदेशिक्षिता और सार्वकालिकता की भावना रहती है, पर समयानुक्रम से आए हुए अनेक नियमों और काव्य रीतियों का पालन भी सभी देशों के साहित्यकारों के लिये आवश्यक हो जाता है। भारतवर्ष के मध्यकालीन संस्कृत कवियों पर संस्कृत के रीतिन्यायों का इतना अधिक प्रभाव पड़ा था कि हम उनकी विवेचना तभी कर सकते हैं जब अलंकार-शास्त्रों का अध्ययन करके हम उन कवियों की विशेषताओं को समझें। संस्कृत में काव्य-संबंधी इतने विभिन्न प्रकार के बाद प्रवाद चले और उनके अनुसार चलनेवाले कवियों ने उनका इतने कहरपन से पालन किया कि काव्य-समीक्षक को उन सभी कवियों की रचना-शैलियों आदि का अनुसंधान करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी हो जाता है। हिंदी के रीति काल के कवियों ने भी संस्कृत के अलंकार-शास्त्र का अनुसरण कर तथा थोड़ी बहुत स्पतंश उद्घावना कर दो रचनाएँ की हैं, उनको हम ठीक ठीक तभी समझेंगे जब संस्कृत के विभिन्न काव्यसमीक्षक संप्रदायों का अन्वेषण कर यह देख लेंगे कि हिंदी के किन कवियों ने किस संप्रदाय का किस सीमा तक अनुसरण किया है। नीचे अति संक्षेप में संस्कृत कविता के विकास के साथ काव्यसमीक्षा-संप्रदायों के विकास का भी इतिवृत्त लिया जाता है।

संस्कृत साहित्य में वाल्मीकीय रामायण सर्वसम्मति से आदि काव्य स्वीकार किया जाता है। उसकी रचना के पूर्ण यदि कविता

संस्कृत साहित्य-शास्त्र हुई होगी तो वह अप्राप्त नहीं है। वेदों को काव्य ग्रंथ नहीं कह सकते, भारतीय परंपरा के अनुसार वे काव्य ग्रंथ हैं भी नहीं। वाल्मीकि के उपरांत यदि हम संस्कृत के प्रधान कवियों का अनुसंधान करें तो भास, कालिदास, अश्वघोष, भारचि तथा माघ आदि मिलेंगे। इनमें से फुछ नाटककार तथा फुछ काव्यकार थे। नाटककार भी भारतीय

समीक्षा में कवि ही माने गए हैं, यद्यपि उनके स्वतंत्र पंथ का निर्देश अवश्य कर दिया गया है।

हम यदि वाल्मीकि की रामायण की तुलना पिछले कवियों की रचनाओं से करें तो प्रत्यक्ष अंतर देख पड़ेगा। उदाहरणार्थ यदि वाल्मीकीय रामायण को कालिदास के रघुवंश से मिलाकर देखें तो वाल्मीकि में कथा कहने की अधिक प्रवृत्ति, घटनाओं का अधिक उल्लेख, वर्णन की अधिक सरलता मिलेगी और कालिदास में उपमाओं की अधिक योजना, छंदों का अधिक सौष्ठुव और अलंकरण की अधिक प्रवृत्ति देख पड़ेगी। कालिदास का प्रत्येक छंद हीरे की कनी की तरह चमक उठता है, उनका समस्त काव्य सुंदर हार सा है। इसके विपरीत वाल्मीकीय रामायण वह वेगवती सरिता है जो स्वच्छंद तथा अप्रतिहत गति से वहती हुई उज्ज्वल देख पड़ती है। कालिदास से और आगे बढ़कर जब हम माघ के शिखुपालवध को देखते हैं तो उसमें कथा और घटना विलकुल गौण पाते हैं; केवल वर्णनसौंदर्य ही हमें आकृष्ट करता है। कविता अपना अलग उद्देश रखने लगी है, उसके अलग नियम बन गए हैं, अलग साज-वाज हो गए हैं। शैली चमत्कारपूर्ण हो गई है। अलंकार अपने अपने स्थान पर पहना दिए गए हैं और सब कुछ रीतिवद्ध सा हो गया है।

जब हम संस्कृत काव्य की इस क्रमोन्नति के कारणों की खोज करते हैं, तब काव्य-समीक्षा-संवंधी शाखों और अलंकार-ग्रंथों की शरण रस-संग्रहाय लेनी पड़ती है। संस्कृत में काव्य-समीक्षा का

सबसे प्राचीन तथा प्रतिष्ठित प्राप्त ग्रंथ भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है। यद्यपि इसके नाम से ही यह पता लगता है कि इसकी रचना नाट्यकला को ध्यान में रखकर हुई होगी, और इसमें रूपकों के विविध अंगों का विस्तृत वर्णन मिलता भी है, परं जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, संस्कृत में नाटक भी काव्य की ही एक शाखा-विशेष है, अतः काव्य के विवेचन के अंतर्गत ही नाटकों का विवेचन भी शाता है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का महत्व हम इतने ही से समझ सकते हैं कि उनके प्रतिपादित सिद्धांतों का नाट्य-साहित्य में तो अक्षरशः पालन किया गया है, अन्य काव्यों में भी उसके विधिनियेष माने गए हैं। उसके कहर से कहर विरोधी भी उसका उल्लेख करते हैं और प्रगृहितप्रणीत ग्रंथ की भाँति उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। आज भी नाट्यशास्त्र संसार के काव्य समीक्षक ग्रंथों में अपना प्रतिष्ठित स्थान रखता है।

नाट्यशास्त्र की “रस-शैली” जगत्प्रसिद्ध है। संपूर्ण भारतीय साहित्य में “रस” संवंधी उसकी विवेचना स्वीकृत की गई है। यदि

कहें तो कह भक्ते हैं कि नाट्यशास्त्र के रस-निष्पत्ति का मूल सूत्र “विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्वस्निष्पत्तिः” है। इसका अर्थ यह हुआ कि विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारिभाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस सूत्र को समझाने की देशा अनेक आचार्यों ने अपने अपने ढंग से की है। यहाँ हम घटुत संक्षेप में कुछ प्रधान बातें कहेंगे। हमारे चित्त में वासना रूप से अनेक स्थायी भाव अंतर्हित रहते हैं। कविता उन्हें उत्तेजित कर हमारे हृदय में एक प्रकार के अलौकिक आनंद का उद्गेक करती है। उत्तेजना के लिये विभाव, अनुभाव और संचारियों का उपयोग किया जाता है। नाटकों में अभिनय और शब्दों द्वारा तथा काव्य में केवल शब्दों द्वारा उत्तेजना का आयोजन किया जाता है। स्थायी भावों की संख्या नाट्य-शास्त्र में आठ या नौ मात्री गई है। रति, शोक, क्रोध, भय, उत्साह, झुगुण्सा, हास, विस्मय (और शम) इन्हीं से क्रमशः शृंगार, करण, रौद्र, भयानक, वीर, वीभत्स, हास्य, अद्भुत (और शांत) रसों की निष्पत्ति होती है। इन रसों का काव्य में या नाटक में इये नहीं प्रत्युत अङ्गेय रीति से विभाव अनुभाव आदि की अनुभूति या अनुगम से उसी प्रकार उद्गेक होता है जिस प्रकार चित्र के रंगों की सहायता से चास्तविकता की अनुरूपता उत्पन्न होती है। नाटकों में नायक नायिका तथा उनकी देष्टाएँ विभाव के अंतर्गत आती हैं। कुछ अनुभाव सात्त्विक भाव भी कहलाते हैं। सात्त्विक का अर्थ है धरीरजन्य। रोमांच, स्वेद, धैवर्य आदि शरीरधर्म हैं। संचारी या व्यभिचारी भाव अनेक हैं। वे क्षणिक होते हैं और स्थायी भावों को पुष्ट करने में सहायता पहुँचाते हैं। नाट्यशास्त्र में उनकी संरया तैरीस कही गई है, पर साधारणतः वे प्रायः अपरिमित हैं।

रस-पठति के संबंध में यह विवाद सबसे अधिक अनिर्णीत है कि रस-निष्पत्ति किसके आधार से होती है। अभिनवगुप्त आदि विद्वानों के विरुद्ध लोल्लट आदि का कथन है कि रस के आधार नायक और नायिका आदि हैं जो राम सीता आदि के रूप में अभिनय करते हैं। सामाजिकगण उन अभिनेताओं में राम और सीता की अनुकृति ही नहीं देखते—वे भावमन होकर उन्हें राम और सीता समझ लेते हैं। परंतु यह मत पिछले आलोचकों को स्वीकार नहीं है। वे सामाजिकों को ही रसग्राही मानते हैं, उन्हीं के हृदय में रस की निष्पत्ति स्वीकार करते हैं। इस दृष्टि से ‘विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्वस्निष्पत्तिः’ सूत्र भी ठीक बैठता है। रस ही काव्य की आत्मा है, यह भरत तथा उनके अनुयायियों का गत है। धनंजय आदि पीछे के

शाखकारों ने भरत के ही अनुकरण पर ग्रंथरचना की है और “रस” को काव्यात्मा प्रतिपादित किया है।

परंतु भरत के उपरांत अलंकारशास्त्रियों की नई नई शैलियाँ निकलीं जिनमें विभिन्न दृष्टियों से काव्य-समीक्षा की गई। समयानुक्रम से सबसे प्रथम भामह का काव्यालंकार ग्रंथ आता अलकार-संप्रदाय है। भामह ने अपने ग्रंथ में अलंकारों की जो

जो विशिष्टता प्रतिपादित की है उसे लेकर दंडी, रुद्रट आदि पीछे के आचार्यों ने अलंकारों को काव्यात्मा घतलाया और वे काव्य में अलंकार-संप्रदाय के प्रतिष्ठापक थे। इन आचार्यों ने यद्यपि रस-संप्रदाय का परिचय ग्रास किया था, पर वे रस-पद्धति को नाटकों के उपयुक्त समझते थे। सामान्य काव्य-ग्रंथों में वे अलंकारों को ही प्रधान स्थान देने के पक्ष में थे। उनकी सम्मति में रस आदि अलंकारों से गैण हैं; एवं ओज, प्रसाद, माधुर्य आदि गुण भी अलंकार ही हैं। इन ग्रंथों में प्रायः दो सौ अलंकारों का विवरण दिया गया है। कुछ विवेचकों ने भ्रमवश भामह को ध्वन्यभाववादी ठहराया है; पर यह निश्चित रीति से कहा जा सकता है कि न तो उन्होंने ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य आदि शब्दों का प्रयोग किया है और न वे प्रतीयमान शर्थ को काव्य की आत्मा मानते थे। वे ध्वनि को नहाँ किंतु वकोकि और अतिशयोक्ति को सब अलंकारों का मूल मानते थे। अलंकारवादियों के इस संप्रदाय का हिंदी के आचार्य कवि केशवदास पर बड़ा प्रभाव पड़ा था।

दंडी के उपरांत संस्कृत में एक नवीन समीक्षा-संप्रदाय के संस्थापक वामन हुए जिन्होंने रीति-पद्धति की स्थापना की। उनके

रीति-संप्रदाय ग्रंथ काव्यालंकार-सूचवृत्ति में दस शब्दगुणों तथा दस अर्थगुणों का उल्लेख है। गुणों का विवेचन बहुत पहले से हो चुका था, स्वयं भरत मुनि के नाट्यशाख तथा रुद्रदामन के शिलालेख में दस गुणों का उल्लेख है, पर उनमें गुणों को गौण स्थान ही मिला है। वामन ने गुणों को अलंकारों से अलग कर मानों दंडी के भ्रम का संशोधन सा किया। उसने रीति को काव्य की आत्मा घतलाया। रीति शब्दों के नियमित और संघटित प्रयोग को कहते हैं। गुणों के अस्तित्व से ही रीति की प्रतिष्ठा होती है। उसने वैदभी, गौडी तथा पांचाली रीतियों का विवरण दिया है और वैदभी रीति में दसों गुणों का समावेश माना है। अलंकार-संप्रदायवालों ने भ्रम में पड़कर अलंकारों को ही काव्य का सर्वस्व मान लिया था,

इस संवंध में रीति-संप्रदायवालों के अवश्य अधिक उचित तथा उन्नत विचार हैं। वे गुणों को काव्य की आत्मा मानते थे यद्यपि गुणों का तत्त्व वे वास्तविक रूप में नहीं समझ सके थे। वास्तव में गुण तो रससिद्धि के साधन हैं। यह चात पांछे से ध्वनि-संप्रदायवालों ने समझी। विभिन्न रसों के उपर्युक्त गुणों का घर्गीकरण और निर्धारण भी रीति-संप्रदाय के आचार्यों ने किया था।

इसी काल के लगभग वकोक्ति-संप्रदाय नामक एक नवीन समीक्षा-शैली की उत्पत्ति हुई जो बहुत कुछ अलंकार-संप्रदाय के अनुकरण पर थी।

उसे हम अलंकार-संप्रदाय के श्रंतर्गत ही मानना वकोक्ति-संप्रदाय उचित समझते हैं। वकोक्ति को द्वद्वट केवल शब्दालंकारमात्र मानते हैं और उसके कानु और श्लेष नामक दो विभाग करते हैं। ममट आदि भी उन्हीं का अनुकरण करते हैं पर द्वयक वकोक्ति को अर्थालिंकार बतलाते हैं। केवल वकोक्ति-जीवितकार कुंतल ने वकोक्ति को काव्य का सर्वस्व माना है। उनको सम्मति में वकोक्तिरहित साधारण कथन काव्य नहीं है। कवि वस्तुओं के संवंध का अभिव्यंजन जो कुछ चमत्कार और वक्तिपन के साथ करता है वही वकोक्ति है। कुंतल ने ध्वनि आदि काव्य के समस्त उपादानों को वकोक्ति में ही खपा दिया है। कहा जा सकता है कि वकोक्ति को काव्य की आत्मा ढहराना वकोक्ति-जीवितकार का वैसा ही आग्रह है जैसा अलंकार-संप्रदायवाली का अलंकार को काव्य का प्रधान स्वरूपाधारक बतलाना।

पंचम मुख्य संप्रदाय ध्वन्यालोककार का है। वास्तव में यह रस-संप्रदाय का ही एक व्यावहारिक रूप है जो अलंकारों, रीतियों, गुणों

ध्वनि-संप्रदाय आदि को उनके उचित स्थान पर नियुक्त करता है। इस प्रणाली का प्रयोग विशेषकर नाटकों के उपयुक्त है; क्योंकि रस-निष्पत्ति के लिये जिस लंबे प्रवंध की आवश्यकता होती है वह मुक्तक काव्य में नहीं मिल सकता। इस प्रकार फुटकर पदों में रसात्मकता की प्रतिष्ठा करने के लिये रस-संप्रदाय किसी पथ का निर्देश नहीं करता। ध्वनि-संप्रदाय के आविभाव का एक उद्देश यह भी था। ध्वन्यालोक के अनुसार सत्काव्य में चमत्कारपूर्ण व्यंग्यार्थ होता है। ध्वनि तीन प्रकार की होती है—रसध्वनि, अलंकारध्वनि और वस्तुध्वनि। रसध्वनि में तौ रस ही नहीं, सभी भाव और भावाभास आदि भी आ जाते हैं। वस्तुध्वनि द्वारा कोई वस्तु व्यंग्य होती है। अलंकारध्वनि भी वास्तव में वस्तुध्वनि है, केवल वह वस्तु अलंकार के रूप में होती है। ध्वनिकार स्पष्ट शब्दों में यह कह

देता है कि जिस काव्य से रससिद्धि नहीं होती वह निष्प्रयोजन है। इस प्रकार वह रस-संप्रदाय से अपना धनिष्ठ संवंध यतलाता है। साथ ही वह अलंकारों, गुणों आदि को रसोत्पादन में सहायक मात्र मानकर उनके गौण स्थान को स्पष्ट करता है। अब ध्वनि-संप्रदाय काव्य-समीक्षा की सर्वमान्य शैली हो गई है; पर हम पहले इसे अपनी स्थिति निर्धारित करने में प्रतिहारेंदुराज, कुंतल तथा महिमभृत आदि अनेक विद्वानों के कठिन विरोध का सामना करना पड़ा था।

हिंदी में जिस समय रीति-ग्रंथों का निर्माण प्रारंभ हुआ था, उस

समय संस्कृत के ये सभी संप्रदाय बन चुके थे और साहित्य के विद्या-

र्थियों के सामने थे। वास्तव में अलंकार-शास्त्रियों

हिंदी में रीति

ने काव्य संवंधी समीक्षा को अपने अपने सिद्धांतों के अनुसार वैज्ञानिक भित्ति पर खड़ा किया था, उसमें नवीन उद्भावना या भ्रमसंशोधन के लिये जगह नहीं थी। केवल रुचिविभेद के अनुसार साहित्यसेवियों को अपना अपना मार्ग ग्रहण करना और उस पर चलना था। मार्ग स्थापन का कार्य पहले ही हो चुका था। हिंदी में जो रीति-ग्रंथ लिये गए, उनमें से अधिकांश में संस्कृत रीति-ग्रंथों की नकल की गई। अधिकांश अलंकार-शास्त्रियों ने रस और ध्वनि संप्रदायों का अनुसरण किया, पर आचार्य केशवदास अलंकार-संप्रदाय के अनुयायी थे। रसों में शृंगार रस को ही प्रधानता मिली। यह तत्कालीन परिस्थिति का परिणाम था। शृंगार के आलंबन नायक-नायिका हुए जिनके अनेक भेद-विभेद किए गए। उहीपन के लिये पठन्त्रुत-वर्णन आदि की प्रथा चली। अतिशयोक्ति का आश्रय भी वहुत अधिक लिया जाने लगा। हिंदी के रीतिकारों की ये प्रधान विशेषताएँ हैं। परंतु इस काल के रीतिकारों में अनेक लोग सच्चा कविहृदय रखते थे, अतः उनके उद्गारों में हार्दिक अनुभूति की मर्मस्पर्शिता मिलती है जो केवल रीति की लीक पीटनेवालों में नहीं मिल सकती। ऐसे कवियों की सौंदर्य-सृष्टि विशेष प्रशंसनीय हुई है।

हिंदी की आचार्य-परंपरा जब से रीति की ओर झुकी तब से कविता वहुत कुछ रीति-सापेक्ष हो गई और उसके समझने-समझानेवाले भी रीति-ग्रंथों में विशेषज्ञ होने लगे। कविता की उत्तमता की कसौटी बदल गई। जिसमें अलंकारों का समावेश न हो वह कविता ही न रही। आचार्य केशवदास की रामचंद्रचंद्रिका इसी फेर में पढ़कर फुटकर छुंदों का संग्रह हो गई, जिसमें कहीं रामचंद्र अपनी माता कौशल्या को धैर्य संवंधी उपदेश देते हैं, कहीं पंचवटी की तुलना धूर्जटि से करते

हैं और कहाँ वेर-वृक्ष को प्रलययेलां के द्वादशादित्य घतलाते हैं। प्रछति के रम्य रूपों में कोई आकर्षण नहीं रह गया था, वे केवल अलंकार के डब्बे हो गए। चंद्रमा की सुपमा काव्य के भीतर ही रह गई। विहारी ने अतिशयोक्ति तथा वस्तुव्यंजना के सामने भावव्यंजना और रसव्यंजना की परंवाह नहीं की। तिथि जानने के लिये पत्रे की आवश्यकता न रह गई, गुलाब-जल की भरी शीशी जादू के से प्रभाव से धीर ही में खाली हो गई। अनुप्रास तथा रान्दाडंधर की अतिशयता के लिये पचाकर का नाम ले लेना पर्याप्त है। काव्यरीति के शाता ही कविता समझ सकते थे; फ्योर्कि “नीरभरी गगरी ढरकावे” का अर्थ समझने के लिये नायिकामेद के तथा ध्वनिव्यंजना के विशेषज्ञ की आवश्यकता स्पष्ट है। इस प्रकार काव्यधारा का स्वच्छुंद्र प्रवाह रुककर रीति की नालियों से बहने लगा। उस समय रीति-अंगों को इतना महत्व दिया जाता था कि कवि कहलाने के लिये उसी परिपाटी पर अंथ-रचना करना प्रायः अनिवार्य था। महाकवि भूपण का उदाहरण प्रत्यक्त है। जिस धीर कवि को जातीय उत्थान तथा धीरगुणगान की सच्ची लगत थी, उसे भी सामयिक प्रवाह में पड़कर, धीर-रस-समन्वित ही सही, रीति-अंथ लिखना ही पड़ा। नीचे रीति काल के फुल मुख्य कवियों तथा आचार्यों का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है।

यद्यपि समयविभाग के अनुसार केशवदास भक्तिकाल में पड़ते हैं और यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास आदि के समकालीन होने तथा

केशवदास रामचंद्रचंद्रिका आदि अंथ लिखने के कारण ये

कोरे रीतिवादी नहीं कहे जा सकते, परंतु उन पर पिछले काल के संस्कृत साहित्य का इतना अधिक प्रभाव पड़ा था कि अपने काल की हिंदी काव्यधारा से पृथक् होकर वे चमत्कारवादी कवि हो गए और हिंदी में रीति-अंगों की परंपरा के आदि आचार्य कहलाए। केशवदास ओडिषे के राजा इंद्रजीतसिंह के आश्रित दरवारी कवि थे। संस्कृत-साहित्य-मर्मेश पंडित-परंपरा में उत्पन्न होने के कारण इनकी प्रवृत्ति रीति-अंगों की ओर हुई थी। ये दंडी और रुद्धक आदि अलंकार-संप्रदाय के उन आचार्यों के मतानुयायी थे जो अलंकारों को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करते थे। केशवदास की रचनाओं पर इस संप्रदाय की गहरी छाप देख पड़ती है। रस-परिपाक की ओर इनका ध्यान घट्टत कम रहता है, कहाँ कहाँ अलंकारों के पीछे पड़कर ये इतनी जटिल और निर्धक पदरत्नना करते हैं कि सहृदयों को उत्त जाना पड़ता है। इनकी कृतियों के मिलए होने का कारण इनका काव्य के वास्तविक ध्येय को न

समझना ही है। हाँ, जहाँ कहीं हृदय की प्रेरणा से रचना की गई है, वहाँ न तो चिल्हिता है और न वाह्य चमत्कार। संस्कृत से पूर्ण परिचित होने के कारण इनको भाषा संस्कृतमिश्रित और साहित्यिक है। राजदरवार में रहने के कारण इनमें वार्गवैदग्रन्थ बहुत अधिक था, इसलिये इनके कथोपकथन अच्छे हुए हैं। वैभव और तेज़-प्रताप का धर्णन करने में इन्हें अद्वितीय सफलता मिली है। इनकी कृतियों में कविग्रिया, रसिकग्रिया, रामचंद्रचंद्रिका आदि मुख्य हैं। यद्यपि केशव के पहले भी छपाराम, गोप, मोहनलाल आदि ने रीति साहित्य के निर्माण का आरंभ किया था, पर उनकी रचनाएँ केशवदास के सर्वोत्तमुख प्रयास के सामने यकांगी हो गई हैं। रीति काल के इन प्रथम आचार्य केशवदास का स्थान हिंदी में बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण है। उन्हें हृदयहीन कहकर संयोगित करने में हम उनके प्रति अन्याय करते हैं; क्योंकि एक तो उनकी हृदयहीनता जानी समझी हृदयहीनता है, और फिर अनेक स्थलों में उन्होंने पूर्ण सहृदय होने का परिचय दिया है। जिस कवि की रसिकता बृद्धावस्था तक धनी रही, उसे हृदयहीन कहा भी कैसे जा सकता है? यह बात अवश्य है कि केशवदास उन कविपुंगवों में नहीं गिने जा सकते जो एक विशिष्ट परिस्थिति के निर्माता हैं। वे तो अपने समय की परिस्थिति द्वारा निर्मित हुए हैं और उसके प्रत्यक्ष प्रतिविष्ट हैं।

इनमें चितामणि, भूपण, मतिराम तथा जटाशंकर थे। कुछ लोगों की सम्मति में वे सब भाई नहीं थे, और विभिन्न कालों के कविताकार त्रिपाठी-वंधु थे; परंतु जनश्रुति के आधार पर शिवसिंह सेंगर आदि ने इन्हें सँगे भाई स्वीकार किया है। वास्तव में ये तिकर्वापुर (कानपुर) के निवासी कान्यकुञ्ज ग्रामण थे और समकालीन कवि तथा सगे भाई थे।

चितामणि सबसे बड़े थे। इन्होंने काव्यविवेक, कविकुलकल्पतरु, काव्यप्रकाश तथा रागायण आदि ग्रन्थ बनाय। नागपुर के तत्कालीन नृपति मकरंदशाह के दरवार में रहकर इन्होंने छुंदविचार ग्रन्थ की रचना की और उसे उन्हें हो समर्पित किया। चितामणि की रीति-रचना के संवर्धन में सबसे महत्त्व की थात यह है कि महाकवि आचार्य केशवदास ने हिंदी में जिस अलंकार-संप्रदाय का सुजन किया था, उसे छोड़कर इन्होंने सुंदर रसपूर्ण रचना की जिसमें अलंकारों को उपयुक्त स्थान दिया गया। इस प्रकार वे हिंदी के दूसरे प्रधान रीति-संप्रदाय के प्रायः सर्वप्रथम कवि ठहरते हैं। भाषा और भाव दोनों ही दृष्टियों से प्रशंसनीय कहे जा सकते हैं। तत्कालीन मुगल सम्राट् शाहजहाँ

ने इन्हें पुरस्कृत करके इनकी योग्यता तथा अपनी गुणग्राहिता का परिचय दिया था। इनके दूसरे भाई भूषण के संबंध में हम अन्यथ लिख चुके हैं।

हिंदी के रससिद्ध सच्चे कवियों में मतिराम अपनी कविता के फारण प्रसिद्ध हैं। हिंदी साहित्य के इतिहासकार मिश्रवंधुओं ने इन्हें

मतिराम हिंदी नवरत्न में स्थान दिया है और वास्तव में ये उस स्थान के अधिकारी भी हैं। इनकी रचनाओं

की सबसे बड़ी विशेषता इनका भाषा-सौष्ठुव है। मतिराम की सी प्रसाद-गुण-संपन्न सरल कोमल व्रजभाषा बहुत कम कवियों ने लिखी होगी।

इनकी पुस्तकों में रसराज और ललितललाम विशेष प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त छुंदसार, साहित्यसार और लक्षण-शृंगार नामक इनकी अन्य कृतियाँ भी हैं। इनका घनाघा, मतिराम सत्सई नामक शृंगार-

रस-विशिष्ट सात सौ दोहों का संग्रह भी कुछ समय पहले मिला है। यद्यपि इनकी सत्सई में विहारी-सत्सई की सी अलंकारयोजना नहीं है और यद्यपि उसकी प्रसिद्धि भी अधिक नहीं है, पर भाषा तथा भावों के सुंदर स्वाभाविक प्रवाह की दृष्टि से वह विहारी-सत्सई से कम नहीं है।

विहारी ने पेचीले मजमून वाँधकर और अतिशयोक्ति आदि हल्के अलंकारों से लादकर कविता-कामिनी की निसर्गसिद्ध श्री बहुत कुछ कम कर दी है। उसके अनुरागी चाहे उन अलंकारों पर ही मुग्ध चर्ने रहें, पर जहाँ हार्दिक अनुभूतियों के खोजी रसिक समीक्षा करेंगे, वहीं विहारी के अनेक दोहों को निम्न स्थान ही मिल सकेगा। मतिराम में भावपत्र का बहुत सुंदर विकास देख पड़ता है।

उनका रसराज और ललितललाम रीति कविता के विद्यार्थियों के लिये सरलतम और सर्वोपयुक्त ग्रंथ हैं। मतिराम को दृঁढ়ী के महाराज भावसिंह के यहाँ आथ्रय मिला था अतः उनकी स्तुति में इन्होंने अनेक छुंद कहे हैं, जिनमें कुछ यीर रस के हैं।

रीति काल के कवियों में प्रसिद्धि की दृष्टि से विहारी अन्यतम हैं। कुछ साहित्य-समीक्षक कवियों के उत्कर्पणकर्त्ता का निर्णय उनकी

विहारी कृतियों की प्रसिद्धि तथा प्रचार की दृष्टि से करते हैं; पर ऐसा करने में भ्रांति की संभावना रहती है।

जनता का रुचिनिर्माण करने में क्षणिक परिस्थितियाँ बहुत कुछ काम करती हैं, और उसकी साहित्यसमीक्षा संबंधी कसौटी कभी कभी विल-कुल अनुचित और अशुद्ध भी होती है। प्रसिद्धि तो बहुत कुछ संयोग से भी मिल सकती है। यह सब कहने का हमारा आशय यह

नहीं है कि कविवर विहारी की स्थाति में उनकी कविता की घास्तविक सुंदरता और उत्कृष्टता सहायत नहीं है। ही, यह अवश्य है कि इनकी अत्यधिक प्रसिद्धि का कारण साहित्य-संवंधी तत्कालीन अनोखी विचार-परंपरा भी है। विहारी उस श्रेणी के समीक्षकों में सबसे अधिक प्रिय हैं जो अलग अलग दोहों की कारीगरी पर मुग्ध होते और बात की करामात पसंद करते हैं। सौंदर्य और प्रेम के सुंदरतम चित्र विहारी ने खोचे हैं, पर अलंकरण की ओर उनकी प्रवृत्ति सबसे अधिक थी। उनकी कविता आवश्यकता से अधिक नपी-नुली हो जाने के कारण सर्वेव स्वाभाविकता-समन्वित नहीं है। विहारी ने घाट-याट देखने में जितना परिश्रम उठाया होगा, उतना वे यदि हृदय की टोह में करते तो हिंदी कविता उन्हें पाकर अधिक सौभाग्यशालिनी होती। यह सब होते हुए भी उनकी सतसई हिंदी की अमर कृति कहलायगी और श्रेणी-विशेष के साहित्य-समीक्षकों तथा काव्य-प्रेमियों के लिये तो वह सर्वश्रेष्ठ रचना है ही। दोहे जैसे छोटे छुंद में इतने अलंकारों की सफल योजना करने में विहारी की उन्नकर का कदाचित ही कोई कवि हिंदी में मिले।

ये इटावे के रहनेवाले कान्यकुञ्ज ब्राह्मण थे। इटावे के आस-पास सनात्यों की घस्ती होने के कारण उनके कान्यकुञ्ज होने में संदेह

देव हो सकता है; पर देव के वंशज अपने फौ कान्य-
कुञ्ज दुसरिहा (धोसरिया-देव) ब्राह्मण घटलाते हैं।

रीति-काल के ग्रन्थकारों में सबसे प्रचुर परिमाण में साहित्य का निर्माण करनेवाले देव ही थे; क्योंकि इनके लिखे ४२ या ७२ ग्रन्थों में से २६ का पता लग चुका है जिनकी छुंद-संख्या कई सहस्र होगी।

वाल्यावस्था से ही इन्होंने जो काव्य-चमत्कार दिखलाया, उससे उनका नैसर्गिक प्रतिभा से समन्वित होना सिद्ध होता है। इस प्रतिभा का उपयोग उन्होंने आश्रयदाता धनियों की मिथ्या प्रशंसाएँ न कर सत्कविता के क्षेत्र में किया था। देव का सम्मान तत्कालीन किसी नृपति ने नहीं किया। इसका कारण चाहे जो हो, पर परिणाम अच्छा ही हुआ। उत्कृष्ट काव्य की सृष्टि के लिये वंधनमुक्त होकर विचरण करना आवश्यक होता है, उपकार या प्रसिद्धि के बोझ से देव जाने से कविता का हास अवश्यंभावी है। जनसाधारण ने उनकी कविताओं का आदर उस समय नहीं किया इसका कारण उसकी विपथगमी स्थिति ही कही जायगी। उनके ग्रन्थों की टीकाएँ भी विहारी-सतसई की भाँति नहीं निकलीं। राजदरबार में अत्यधिक सभ्मानित होने के कारण

विहारी-सतसई के टीकाकारों को पुरस्कृत होने की आशा रहती थी। देव को वह सुविधा नहीं मिल सकी।

देव का काव्यक्रेत्र बड़ा व्यापक और विस्तृत था। रीति काल के कवियों में इतनी व्यापकता और कहाँ नहीं देख पड़ती। देव की सौंदर्य-विवृति सत्य अतः मर्मस्पर्शिणी है। परंतु देव के गायत्र का मुख्य विषय प्रेम है। उनका प्रेम यद्यपि लौकिक ही कहा जायगा परंतु उनकी तन्मयता के कारण उसमें उनके अंतर्रत्तम की पुकार सुन पड़ती है। यही पुकार साहित्य की उत्कृष्टता की सूचिका है। देव की प्रारंभिक रचनाओं में यौवन का उन्माद है, उनमें शृंगारिकता कूद कूदकर भरी है; पर प्रौढ़ावस्था में पहुँचकर उनको रचनाएँ बहुत कुछ संयत भी हुईं। उनकी दर्शनपञ्चीसियों में अधिकतर पूत भावनाएँ सञ्चित हैं। यह सब कहने का आशय इतना ही है कि देव की रचनाओं में जो क्रमिक विकास मिलता है, वह किसी सच्चे कवि के लिये परम आवश्यक है। रीति-काल के अन्य किसी कवि की कृतियों में अंतर की प्रेरणा से घटित क्रमिक परिवर्तन का इतना स्पष्ट पता नहीं लगता।

जिस कवि को भावों के व्यापक क्रेत्र में आना पड़ता है, उसे भाषा की शक्ति भी बढ़ानी पड़ती है, और कल्पना को भी बहुत कुछ विस्तृत करना पड़ता है। देव का शब्द-भांडार और कल्पना-कोप भी विकसित और समृद्ध था। हाँ, भाषा को अलंकार-समन्वित करने और शब्दों को तोड़ने-भरोड़ने की जो सामान्य प्रवृत्ति, कालदोप बनकर ब्रज-भाषा में व्याप हो रही थी, उससे देव भी बच नहीं सके हैं। उनकी कल्पना अधिकतर काव्योपयुक्त पर कहाँ कहाँ पैर्चीली और चक्करदार भी हो रही है।

रीति-काल के थोड़े से आचार्यों में देव की गणना की जाती है। रीति संवंधिनी उनकी कुछ स्वतंत्र उद्भावनाओं का उल्लेख मिथ्रवंधुओं ने किया है। पांडित्य की दृष्टि से रीति काल के समस्त कवियों में देव का स्थान आचार्य केशवदास से कुछ नीचे माना जा सकता है, कलाकार की दृष्टि से वे विहारी से निम्न ठहर सकते हैं, परंतु अनुभव और सूदप्रदर्शिता में उच्च कोटि की काव्यप्रतिभा का मिथ्रण करने और सुंदर कल्पनाओं की अनोखी शक्ति लेकर विकसित होने के कारण हिंदी काव्यक्रेत्र में सहृदय और प्रेमी कवि देव को रीतिकाल का प्रमुख कवि स्वीकार करना पड़ता है।

हाँगा, प्रतापगढ़ (अवध) के रहनेवाले कायस्थ कवि भिखारी-दास की रचनाओं में काव्यांगों का विवेचन अच्छे विस्तार से किया गया

है। उनका काव्यनिर्णय ग्रंथ अब भी रीति के विद्यार्थियों का प्रिय ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त उनकी रची छुंदार्णव-पिंगल, रससारांश, मिखारीदास शृंगारनिर्णय आदि अन्य पुस्तकें भी हैं। दासजी के आश्रयदाता प्रतापगढ़ के अधिपति पृथ्वीजीत-सिंह के भाई हिंदूपतिसिंह थे।

दासजी के आचार्यत्व की घड़ी प्रशंसा की जाती है और रीति के सब ग्रंथों का विवेचन करने के कारण उनकी कृतियाँ घड़े आदर से देखी जाती हैं। उनकी सुन्दर समीक्षाओं तथा मौलिक भावनाओं का उल्लेख भी किया गया है।

कविता की दृष्टि से दासजी की रचनाएँ बहुत ऊँची नहीं उठतीं। रीति काल के पूर्ववर्ती कवियों के भावों को लेकर स्वतंत्र विषय खड़ा करने में यद्यपि वे घड़े पट्ठे थे, पर भावों के निर्वाह की मौलिक शक्ति न होने के कारण उन्हें सफलता कम मिली है। अब ये रहकर शुद्ध चलती ग्रजभाषा लिख सकना तो बहुत कठिन है; पर दासजी की भाषा सामान्यतः शुद्ध और साहित्यिक है। इससे उनके ग्रजभाषा के विस्तृत अध्ययन का पता चलता है।

समीक्षा बुद्धि के अभाव के कारण रीति की लीक पर चलनेवाले अनेक कवियों से भिखारीदास का स्थान बहुत ऊँचा है, पर कवियों की बहुत ऊँची पंक्ति में उन्हें कभी स्थान नहीं दिया गया।

रीति काल के अंतिम चरण के ये सबसे प्रसिद्ध कवि हैं। ये तैलंग ग्राहण मोहनलाल भट्ट के पुत्र थे। पिता की प्रसिद्धि के कारण

पद्माकर अनेक राजदरयारों में इनका सम्मान हुआ था।

अब ये के तत्कालीन सेनाध्यक्ष हिम्मतवहादुर की स्तुति में इन्होंने हिम्मतवहादुर-विरदावली नामक पुस्तक लिखी। इनके मुख्य आश्रयदाता जयपुराधीश जगतसिंह थे जिनको इन्होंने अपना जगद्विनोद ग्रंथ समर्पित किया था। इनका अलंकार-ग्रंथ पद्माभरण भी जयपुर में ही लिखा गया था। प्रबोधपचासा और गंगालहरी इनकी अंतिम रचनाएँ थीं। सृत्यु के कुछ काल पहले से ये कानपुर में गंगा-तट पर निवास करने लगे थे।

पद्माकर की शृंगाररस की कविताएँ इतनी प्रसिद्ध हुईं कि इनके नाम पर कितने ही कविनामधारियों ने अपनी कुत्सित चासनाओं से सने उद्गारों को मनमाने ढंग से फैलाया। आज भी पद्माकर के नाम की ओट लेकर बहुत सी अश्लील रचनाएँ देहातों की कविमंडली में

सुनी सुनाई जाती हैं। पश्चाकर की कृतियों में यदि थोड़ा अश्लीलत्व है तो उनके अनुकरणकारियों में उसका दस्तगुना।

पश्चाकर की अनुप्रासप्रियता भी बहुत प्रसिद्ध है। जहाँ अनुप्रासों की ओर अधिक ध्यान दिया जायगा वहाँ भावों का नैसर्गिक प्रवाह अवश्य भंग होगा और भाषा में अवश्य तोड़-भरोड़ करनी पड़ेगी। संतोष की धात इतनी ही है कि उनके छुंदों में उनकी भावधारा को सरल स्वच्छुंद प्रवाह मिला है, जिनमें हावों की सुंदर योजना के बीच में सुंदर चित्र खड़े किए गए हैं। श्रृंगार की ओर अतिशयता से प्रवृत्त रहने के कारण इनका रामरसायन नाभक घालमीकि-रामायण का अनुवाद-ग्रंथ अच्छा नहीं बन पड़ा। वह युग प्रबंधकाव्य की पड़ती का था। मुक्तक रचनाओं में पश्चाकर ने अच्छा चमत्कार प्रदर्शित किया है। आयुनिक हिंदी के कुछ कवियों तथा सभीक्षकों की दृष्टि में पश्चाकर रीति काल के सर्वोत्तम कवि ठहरते हैं। जगद्विनोद और पश्चाभरण रीति का अध्ययन करनेवालों के लिये सरल ग्रंथ हैं। इनकी भाषा का प्रवाह बड़ा ही सुंदर और चमत्कारयुक्त है।

चरखारी के महाराज विक्रमसाहि के आथ्रय में अनेक सुंदर ग्रंथों की रचना करनेवाले प्रतापसाहि हिंदी के रीति काल के अंतिम

प्रतापसाहि **आचार्य और कवि हुए।** इनके “व्यंग्यार्थ-कौमुदी”, “काव्य-विलास” आदि ग्रंथों से इनके पांडित्य तथा कवित्य दोनों का पता चलता है। ग्रन्थ की शुद्ध भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था। ये पश्चाकर की भीति अनुप्रासप्रिय नहीं थे। व्यंग्यार्थ-कौमुदी में रीति-परंपरा की अत्यंत प्रीढ़ अवस्था के अनुरूप अनेक रुद्धिगत रचनाएँ हैं, फिर भी शुद्ध काव्य की दृष्टि से भी उसमें उत्तम स्थलों की कमी नहीं है। आचार्यल्य और काव्यत्व का ऐसा सुंदर संयोग बहुत थोड़े कवियों में देख पड़ता है। समस्यापूर्ति करने के अभ्यासी कवियों का सा भावशैयिल्य प्रतापसाहि में बहुत कम पाया जाता है, जिससे उनके सच्चे कवि हृदय का पता चलता है। रीति-काल की कविता में प्रतापसाहि के उपरांत कोई बड़ा कवि नहीं हुआ, हाँ श्रृंगार-रस के कुट्टकर पद्यों की रचना द्विजदेव आदि कुछ कवियों ने उनके बाद भी सफलतापूर्वक की।

रीति की परिपाटी के बाहर प्रेम-संवंधी सुंदर मुक्तक छुंदों की

घनानद, बोधा, डाकुर रचना करनेवालों में इन तीन कवियों का प्रमुख

स्थान है। रीति के भीतर रहकर धृंघे वृंधाप विमाय, अनुभाव और संचारियों के संयोग से, और परंपरा-ग्रचलित

उपमानों की योजना से काव्य का ढाँचा खड़ा करना कविकर्मी को विशेष उँचे नहीं पहुँचाता। प्रकृति के रम्य रूपों को सूक्ष्म दृष्टि से देखकर उन पर मुग्ध होना एक बात है और नायक-नायिका की विहार-स्थली को उद्दीपन के रूप में दिखाना दूसरी बात। एक में निसर्ग-सिद्ध काव्यत्व है, दूसरे में काव्यभास भाव। उसी भाँति अनेक नायक-नायिकाओं के विभेद दिखाते हुए, हावों आदि को जोड़-जाड़कर खड़ा कर देने में कवि की सहदयता का वैसा पता नहीं लग सकता जैसा तझीनता की अवस्था में प्रेम के मार्मिक उद्गुणों और स्त्री-पुरुष के मधुर संबंध के रमणीय प्रसंगों का स्वाभाविक चित्रण करने में। घनानंद, बोधा और ठाकुर (बुँदेलखण्डी) तीनों ही प्रेम की उम्मंग में मस्त सच्चे कवि हुए। यह ठीक है कि प्रेम का लौकिक पक्ष न ग्रहण करने के कारण उनकी कविता ऐकांतिक प्रेमसंबंधिनी अतः अलोको-पयोगी हो गई है; परंतु उस काल की वैधी परिपाठी से स्वतंत्र होकर मनोहर रचना करने के कारण ये तीनों ही कवि हिंदी में आदर की दृष्टि से देखे जायेंगे। घनानंद की भाषा भी ब्रज की टकसाली भाषा थी। उनकी जैसी भाषा रीति काल के कम कवियों ने व्यवहृत की है।

इस काल के अंतिम समय में यशवंतयशोचंद्रिका और यशवंत-चंद्रिका नाम के दो प्रसिद्ध ग्रंथ राजपुताने से प्रकाशित हुए और उनका बहुत कुछ आदर हुआ।

रीति काल में कवियों की ऐसी बाढ़ आई थी कि ऊपर के पृष्ठों में केवल प्रधान प्रधान धारावाही कवियों का उल्लेख ही हो सका है।

कुट्कर कविगण जिस देश में, जिस काल में कविकर्मी श्रुत्खलित, नियमित और रीतिवद्ध हो जाता है वहाँ उस काल में मध्यम श्रेणी के अलंकारप्रिय कवियों की स्वभावतः अधिक संख्या हुआ करती है। कविता जब प्रतिभा-सापेक्ष न रहकर बहुत कुछ अध्ययन-सापेक्ष हो जाती और बुद्धिवाद की ओर मुकती है तब कविगण पांडित्य-प्रदर्शन को काव्य का मुख्य उद्देश समझने लगते हैं। कविता अपना धास्तविक सौंदर्य खो देती और कृत्रिम बन जाती है। श्रीगरेजी साहित्य के इतिहास में पोप और डाइडेन की कविता बहुत कुछ ऐसी ही है। हिंदी में श्रीपति, कुलपति, सुखदेव मिश्र और महाराज जस-धंतसिंह कवि नहीं कहे जा सकते, अलंकार-ग्रंथ-निर्माता ही कहे जायेंगे। साहित्यिक विश्लेषण के अनुसार इन्हें साहित्य-समालोचकों की श्रेणी में स्थान मिलना चाहिए, कवियों की श्रेणी में नहीं। कविताकारों में उपर्युक्त नामों के अतिरिक्त वेणीप्रबीण, द्विजदेव आदि के नाम भी किसी

प्रकार आ जायँगे। तत्कालीन मुसलमान कवियों में आलम-शेख का जोड़ा प्रसिद्ध है। रसलीन और अलीमुहिय खाँ की रचनाएँ भी थोड़ा-बहुत मूल्य अवध्य रखती हैं।

यद्यपि रीति काल में हिंदी कविता की अंगपुष्टि बहुलता से हुई, पर साथ ही कलापक्ष की ओर जितना श्रधिक ध्यान दिया गया उतना भावपक्ष की ओर नहीं दिया गया। आचार्यत्व तथा कवित्व के मिश्रण ने भी ऐसी खिचड़ी पकाई जो स्वादिष्ठ होने पर भी हितकर न हुई। आचार्यत्व में संस्कृत की बहुत कुछ नकल की गई और वह नकल भी एकांगी हुई। सिद्धांतों को लेकर उन पर विवेचनापूर्ण ग्रंथों के निर्माण की ओर ध्यान नहीं दिया गया और केवल पुरानी लकीर को ही पोटते रहने की रुचि ने साहित्य के इस अंग की यथेष्ट पुष्टि न होने दी।

भ्यारहवाँ अध्याय

आधुनिक काल

पद्म

कविता का जो प्रवाह केशवदास और चिंतामणि आदि ने वहाया देख और विहारी के समय में वह पूर्णता को पहुँचकर जीए होने लगा।

रीति-धारा का अंत तथा पश्चाकर और प्रतापसाहि तक पहुँचते पहुँचते

उसकी गति प्रायः मंद पड़ गई। यह तो हम पहले

ही कह चुके हैं कि संपूर्ण रीति-काल में अधिकांश निम्नकोटि का साहित्य तैयार होता रहा, जिसका कारण तत्कालीन जनता तथा रईसों की अभियाचि थी। कविता का उच्च लक्ष्य भुला दिया गया था। जीवन-संवर्धिनी स्थायी तथा उच्च भावनाएँ लुप्त हो गई थीं और कविता गंदी घासनाओं की साधिका मात्र बन रही थी। यह ठीक है कि इस काल के कुछ प्रतिभाशाली कवियों ने कहाँ कहाँ गार्हस्थ्य जीवन के मधुर संवर्धों की बड़ी ही सुंदर अभिव्यञ्जना की है तथा प्रेम और सौंदर्य के छैटे छैटे रमणीक दृश्य मुक्कों में दिखाए हैं; पर ऐसे कवियों की संख्या बहुत अधिक न थी। अधिकांश कवि अलंकारों के पीछे पागल होकर धूम रहे थे और रीति के संकीर्ण धेरों के बाहर निकलने में असमर्थ थे। जिस देश की जिस काल में ऐसी साहित्यिक प्रगति होती है, वह देश उस काल में सामाजिक, राजनीतिक तथा नैतिक आंदि सभी दृष्टियों से पतित हो जाता है और कुछ समय के उपरांत उच्च लक्ष्य के संपन्न साहित्यकारों के प्रसाद से उसकी दशा का सुधार और संस्कार-हुआ करता है।

शृंगार काल के अंतिम चरण में पश्चाकर से घढ़कर कोई कवि नहीं हुआ। उन्हें हम इस समय का प्रतिनिधि कवि मान सकते हैं। शृंगारिक कविता में अश्लीलता का समावेश करके, अनुप्रासों की भरमार करके और समस्यापूर्ति की परंपरा का बीजारोपण करके उन्होंने जिस परिपाटी की पुष्टि की थी, आज भी वह थोड़ी-बहुत देखी जाती है। देहातों में कहाँ चले जाइए, पश्चाकर के सबसे अधिक कवित लोगों को कंठाम्र मिलेंगे, नवसिखुए, कवियों को उनका ही सहारा देख पड़ेगा और समस्यापूर्तियों का प्रचलन भी खूब मिलेगा। अर्थालंकारों की ओर उतना ध्यान न भी हो, पर अनुप्रासों की योजना

तो देहाती कवियों की विशेषता हो रही है। यह केवल एक श्रेणी के लोगों की वात है। जो लोग अभी सनातन परंपरा का पालन करते जा रहे हैं, जिन लोगों ने कविता को मनोरंजन और चमत्कार-प्रदर्शन का साधन बना लिया है, जिन्हें अब भी देहातों के बाहर निकलकर प्रगतिशील समाज की कृतियों को देखने का अवसर नहीं मिला है, और जो अब भी देश के कुछ कोनों में छिपे हुए चिलासी रईसों से यथासमय थोड़ा बहुत झटक लेने के फेर में रहते हैं, उनके लिये कविता कामिनी का बही रूप अब भी बना है जो भारतीय जन-समाज के उस अवनत युग में था। परंतु संतोष की वात इतनी ही है कि ऐसे लोगों की संख्या प्रतिदिन घटती जा रही है और अब साहित्यसंवर्धी व्यापक और उच्च विचारों का भी प्रचार होने लगा है।

कुछ लोगों का कथन है कि हिंदी की गुणात-परंपरा का अंत करके उसमें नवीन युग का आविर्भाव करनेवाले कारणों में सबसे प्रधान कारण अँगरेजों का भारतवर्ष में आगमन है। उनके मत से अँगरेजों ने इस देश में आकर यहाँ के लोगों को शिक्षित किया और उन्हें देश-प्रेम करना सिखलाया। यहाँ से देशप्रेम की भावना से समन्वित साहित्य को सुषिट हुई। इस बात को हम दूसरे रूप में स्वीकार करते हैं। यह ठीक है कि अँगरेजी राज्य के भारतवर्ष में प्रतिष्ठित होने पर हमारे हृदयों में जाति-प्रेम, देश-प्रेम आदि के भाव बढ़े, पर इसके लिये हम अँगरेजों के कृतज्ञ नहीं, उनकी कृट नीति के कृतज्ञ हों तो हैं। विदेशी शासन के प्रतिष्ठित होने पर विजयी देश की रीतिनीति और आचार-व्यवहार की छाप विजित देश पर अवश्य पड़ती है, पर जब विजेता अपने साहित्य और धर्म का प्रच्छन्न या प्रकट रीति से प्रचार करता और विजित के साहित्य आदि को अनुभ्रत बतलाता है, तब थोड़े समय के लिये उसका यह प्रपञ्च नीति भले ही सफल हो, पर जब उसकी पोल खुल जाती है और जब विजित देश अपने पूर्व-भौत्य का स्मरण कर जाग उठवा है तब सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक आदि प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिधात की प्रबल लहरें उठने लगती हैं, जिसके सामने विदेशी आक्रमणकारियों की प्रबंधना नहीं चल सकती। वह काल सर्वतोमुखी हलचल का होता है, क्योंकि उस काल में पराधीन देश अपनी संपूर्ण शक्ति से दासता की बेड़ियों को तोड़ फेकने की चेष्टा करता है और रुद्धियों के प्रतिकूल प्रबल आंदोलन करके सफलता प्राप्त करता है।

हिंदी की हासकारिणी शृंगारिक कविता के प्रतिकूल आंदोलन का थीगणेश उस दिन से समझा जाना चाहिए जिस दिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने “भारत-दुर्दशा” नाटक के प्रारंभ में भारतेंदु हरिश्चंद्र समस्त देशवासियों को संवेधित करके देश की गिरी हुई अवस्था पर उन्हें आँसू वहाने को आमंत्रित किया था। इस देश के श्रौत यहाँ के साहित्य के इतिहास में वह दिन किसी अन्य महापुरुष के जयंती-दिवस से किसी प्रकार कम महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। उस दिन शताधियों से सोते हुए साहित्य ने जागने का उपक्रम किया था, उस दिन रुद्धियों की अनिष्टकर परंपरा के विरुद्ध प्रबल क्रांति की घोषणा हुई थी, उस दिन छिन्न भिन्न देश को एक सूत्र में धाँधने की शुभ भावना का उदय हुआ था, उस दिन देश श्रौत जाति के प्राण एक सत्कवि ने सच्चे जातीय जीवन की झलक दिखाई थी श्रौत उसी दिन संकीर्ण प्रांतोंय मनोवृत्तियों का अंत करने के लिये स्वयं सरस्वती ने राष्ट्रभाषा के प्रतिनिधि कवि के कंठ में बैठकर एक राष्ट्रीय भावना उच्च्युक्तिसित की थी। मुक्तकेशिनी, युन्नवसना, परवशा भारत-माता की कहणेज्वल छुवि देश ने श्रौत देश के साहित्य ने उसी दिन देखी थी श्रौत उसी दिन सुनी थी दूर्दी-फूटी शृंगारिक वीणा के बदले एक गंभीर भंकार, जिसे सुनते ही एक नवीन जीवन के उल्लास में वह नाच उठा था। वह दिवस निश्चय ही परम भंगलमय था, क्योंकि आज भी उसका स्मरण कर हम अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। यदि सच पूछा जाय तो उसी दिन से साहित्य में एक नवीन चेतना हुई श्रौत उसी दिन से उसके द्विन किरे। आज हम जिस साहित्यिक प्रगति पर गर्व करते हैं, उसका बीजारोपण इसी शुभ दिवस में हुआ था।

राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि के उद्योग से सामाजिक, सांप्रदायिक, राजनीतिक तथा साहित्यिक क्षेत्रों में जो हलचल मची, उसके परिणाम-स्वरूप सबसे अधिक महत्वपूर्ण थात हुई जनतां में शिक्षा की अभिषेक्ति। संस्कृत तथा उद्दू-फारसी की श्रौत प्रवृत्त करनेवाली प्रेरणा स्वामी दयानंद से अधिक मिली श्रौत हिंदी अँगरेजी की पढ़ाई तो कुछ पहले से ही प्रारंभ हो चुकी थी। पढ़ास में होने के कारण उन्नतिशील बँगला भाषा की ओर भी कुछ लोगों का ध्यान लगभग उसी समय से खिंचा। इस प्रबल शिक्षाप्रचार का जो प्रभाव राजनीतिक अभिषेक्ता, सामाजिक जागर्ति श्रौत धार्मिक चेतना आदि के रूप में पड़ा, वह तो पड़ा ही, हिंदी साहित्य-क्षेत्र भी उसके शुभ-परिणाम-स्वरूप अनंत उर्ध्वर हो गया। सारा साहित्य नवीन

प्रकाश से परिपूर्ण होकर ज्योति की शत सहस्र किरणें विकीर्ण करने लगा। हमारी कविता भी सजग हो उठी। वह अपनी स्थविरता का परित्याग कर आगे बढ़ी और सामयिक प्रतुचियों के अनुकूल रूप-रंग घटल फर शिक्षित जनता के साहचर्य में आ गई। स्वयं देवी सरस्वती ने अपने अलोकिक कर-स्पर्श से कविता-कामिनी को सुवर्णमयी बना दिया था। फिर भला भक्ति-गदगद भाव से घर घर उसकी आरती क्यों न उतारी जाती, क्यों न उसकी यश प्रशस्ति अमिट अक्षरों से हमारे हृदय पट्टल पर अंकित कर दी जाती? उस काल की हिंदी कविता मुख्यतः देशप्रेम और जातीयता की भावना को लेकर उदित हुई थी, यद्यपि अन्य प्रकार की रचनाएँ भी योड़ी बहुत होती रहती थीं।

भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता हिंदी में नवीन प्रगति की एताहा लेकर आई थी। उस समय के अन्य कवियों ने सच्चे सैनिकों की भाँति अपने सेनापति का अनुगमन किया था। उन सभी कवियों पर भारतेंदु का प्रभाव स्पष्टतः देख पड़ता है। यहाँ हम हरिश्चंद्र की फुटकर रचनाओं की यात नहीं कहते जो चली आती हुई शृंगारिक कविता की श्रेणी की ही मानी जायेंगी। उनकी जो रचनाएँ जातीय भावनाओं से प्रेरित होकर लियी गईं, जिनमें देश की अवस्था और समाज की अवस्था आदि का वर्णन है, यहाँ उसी का विवेचन अभीष्ट है। हम यह स्पीकार करते हैं कि भारतेंदु में उत्कट देश-प्रेम और प्रगाढ़ समाज-हितेपिता के भाव थे, परंतु साथ ही हम यह भी मान लेते हैं कि उनका देशानुराग, जातिप्रेम आदि वाहा परिस्थितियों के फल-स्वरूप थे, उन्हें उन्होंने जीवन के प्रधाह के भीतर से नहीं देखा था। अनेक अवसरों पर तो राजा शिवप्रसाद आदि के विरोध में उन्होंने स्वदेशप्रेम का व्रत धारण किया था। इसी कारण उनकी तत्संबंधिनी रचनाएँ विशेष तम्मयता की सूचना नहीं देती, कहाँ कहाँ तो बैंगला आदि के अनुवादों के रूप में ही व्यक्त हुई है। क्षणिक परिस्थितियों के आधार पर निर्मित साहित्य के मूल में भावना की वह तीव्रता और स्थिरता नहीं होती जो स्थायी साहित्य के लिये अपेक्षित है। राजनीति और समाजनीति को जीवन के अविच्छिन्न अंग बनाकर जो रचनाएँ होंगी, काव्य की दृष्टि से उनका ही महत्तर होगा, उन्हें प्रचारक या उपदेशक की दृष्टि से देखने से कविकर्म में श्रवश्य वाधा पड़ेगी।

प्राकृतिक वर्णनों की जो परिपाठी रीति-न्यूथकारों ने चला रखी थी, वह बहुत अधिक संतुचित थी। कवियों ने प्रकृति के नाना रूपों को विविध अलंकारों की योजना के लिये ही रख द्वाड़ा था, वे भारों का

आलंयन न बनकर उदीपन मात्र रह गए थे। वाल्मीकि रामायण के वर्षा और शरदऋतु के वर्णनों में प्रकृति के विविध दश्य जिस संश्लिष्ट रूप में खींचे गए हैं, उससे कवि का सूदृश निरीक्षण तो भासित होता ही है साथ ही उसका प्रकृति के प्रति निसर्गसिद्ध अनुराग भी लक्षित होता है। उन वर्णनों में प्रकृति-आलंयन है और कवि आश्रय। उपमा, उत्पेक्षा आदि अलंकारों की सिद्धि के लिये अलंकार-वस्तुओं का उल्लेखमात्र करनेवाले कवियों और प्रकृति को सजीव सत्ता मानकर उससे अंतःकरण की आत्मीयता स्थापित करनेवाले कवियों में वड़ा अंतर होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रकृति-वर्णन यद्यपि विविध वस्तुओं की योजना की दृष्टि से रीतिकाल के कवियों से अधिक सुंदर और हृदयग्राही हुआ है; पर उसके साथ उनके भावों का संबंध विशेष गहन और अविच्छिन्न नहीं जान पड़ता। हरिश्चंद्र स्वयं नागरिक थे, प्रकृति की मुक्त विभूति का जो अनंत प्रसार नगरों के बाहर व्याप्त है, उसका साक्षात्कार उन्होंने कम किया था। इसके अतिरिक्त वे समाज-सुधारक आदि भी थे, जिसके कारण उन्हें अपनी दृष्टि मनुष्य के चनाए हुए सामाजिक घेरे में ही रख छोड़ने को बाल्य होना पड़ा था।

परंतु हिंदी कविता के उस परिवर्तनकाल में हरिश्चंद्र जैसे महान् व्यक्ति को देखकर हम चकित हुए बिना नहीं रह सकते। यह ठीक है कि शुद्ध काव्य-समीक्षा की दृष्टि से उनकी रचनाएँ सूर और तुलसी की कोटि को नहीं पहुँचतीं, और यह भी ठीक है कि कवीर, जायसी आदि कवियों की वाणी को समता भी वे नहीं कर सकते; पर इससे उनका महत्त्व किसी प्रकार कम नहीं होता। रीति-कविता की शताद्वियों से चली आती हुई गंदी गली से निकल शुद्ध वायु में विचरण करने का श्रेय हरिश्चंद्र को पूरा पूरा प्राप्त है। वे और उनके साथी वडे ही सह-दृष्टि व्यक्ति थे जिन्हें अपनी धुन में मस्त रहना आता था। मौलिक साहित्यकारों में हरिश्चंद्र का स्थान हिंदी में बराबर ऊँचा रहेगा। वे प्रेमी जीव थे, पर उनका देश-प्रेम भी अतिशय प्रबल था। यह स्वीकार करते हुए भी कि व्यापकता और स्थायित्व की दृष्टि से विशेष उत्कृष्ट श्रेणी के साहित्य की उन्होंने सृष्टि नहीं की। हमको यह मानना पड़ेगा कि मुक्तक रचना में जातीयता के भावों को सफलतापूर्वक भरकर उन्होंने हिंदी कविता का अपार उपकार किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का वास्तविक महत्त्व परिवर्तन उपस्थित करने में और साहित्य को शुद्ध मार्ग से ले चलने में है, उच्च कोटि की काव्य-रचना करने में उतना नहीं है। परिवर्तन उपस्थित करने का महत्त्व कितना अधिक होता है और इस

दृष्टि से हरिश्चंद्र का स्थान हिंदी-साहित्य में कितना ऊँचा है इसका अनुमान हम तभी कर सकेंगे जब उनके पीछे की साहित्यिक प्रगति में हम उनके प्रभाव का साक्षात्कार करेंगे और उनके समसामयिक भूमि कवियों में उनकी अभिन्न छाप देखेंगे। शृंगारिक कविता की प्रवल वेग से यहती हुई जिस धारा का अवगेध करने में हिंदी के प्रसिद्ध और कवि भूपण समर्थ नहीं हुए थे, भारतेंदु उसमें पूर्णतः सफल हुए। इससे भी उनके उच्च पद का पता लग सकता है।

हरिश्चंद्र के उपरांत हिंदी के कवियों की प्रवृत्ति अँगरेजी की लीरिक कविता के अनुकरण में छोटे छोटे गेय पद बनाने और उन्हें पन्नों

हरिश्चंद्र के उपरांत हिंदी के कवियों की प्रवृत्ति अँगरेजी की लीरिक कविता में प्रकाशित फरने की ओर हुई। लीरिक कविता में आत्माभिव्यञ्जन की प्रधानता रहनी चाहिए; पर हिंदी के तत्कालीन कविताकारों में यह धात कम देखी जाती है। न तो विषयों के उपयुक्त शुभाव की दृष्टि से और न तन्मयता की दृष्टि से उनकी रचनाएँ श्रेष्ठ लीरिक कविताओं में गिनी जा सकती हैं। यह स्पष्ट जान पड़ता है कि शिक्षा आदि विषयों पर कविता लिखनेवाले व्यक्ति में काव्य की सबी प्रेरणा कम होती है, निर्वंध-रचना का भाव अधिक होता है। हिंदी के उस काल के कवियों ने ऐसे ही विषयों पर कविता की, जिससे जन-समाज में जागरिति तो फैली, पर कविता का विशेष कल्याण न हो सका। काव्य के लिये निर्वंधों की सी धुद्दिगम्य विचारणाली की आवश्यकता नहीं होती, भावों को उच्च-घसित करना आवश्यक होता है। अनेक प्रमाणों को प्रक्रम कर पद्य का ढाँचा खड़ा करना कविता नहीं है, और चाहे जो कुछ हो। उस काल की हिंदी कविता में समाजसुधार और जातीयता का इतना दृढ़ प्रभाव पड़ चुका था कि उनके प्रभाव से मुक्त होकर रचना किसी कवि के लिये संभव नहीं था।

अब तक ब्रजभाषा ही कविता का माध्यम थी और कवित्त सबैया आदि छुंदों का ही अधिक प्रयोग होता था। पर इस समय के लगभग भाषा के माध्यम में परिवर्तन किया गया। ब्रजभाषा के घदले खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। इस समय तक खड़ी बोली हिंदी गद्य की प्रचलित भाषा हो चुकी थी, पर पद्य में अपनी कोमलता और सौंदर्य के कारण ब्रजभाषा ही व्यवहार में लाई जा रही थी। खड़ी बोली के पद्य-पातियों का सबसे घड़ा तर्क यही था कि बोलचाल की लो भाषा हो उससे विभिन्न भाषा का प्रयोग कविता में न होना चाहिए। यहाँ हम इस तर्क को उपयुक्ता पर कुछ भी नहीं कहेंगे। पर पढ़ी-लिखी जनता

की प्रवृत्ति खड़ी घोली की ओर अधिक हो रही थी, इसमें संदेह नहीं। छुंदों में भी अनेकरूपता आने लगी थी। नए नए छुंदों का इस काल में अच्छा आविष्कार हुआ। परंतु इस काल की सबसे महत्वपूर्ण वात है व्याकरण की प्रतिष्ठा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समसामयिक कवियों को जो मार्ग प्रशस्त करना था, उसमें व्याकरण के जटिल नियमों को स्थान नहीं दिया जा सकता था। हिंदी के उस कांति-युग में व्याकरण की व्यवस्था संभव भी नहीं थी। उस समय तो कविता को रीति की संकीर्णता से निकालना था, उसे खुलो हवा में लाकर स्वस्थ करना था, पर कुछ काल के उपरांत जब हिंदी गद्य कुछ उन्नत हुआ, तब भाषा-संस्कार आदि की ओर भी ध्यान दिया गया। यह सब होते हुए भी हमको इतना तो अवश्य स्वीकृत करना पड़ेगा कि उस काल की खड़ी घोली वड़ी कर्मशता लेकर आई थी, उसमें काव्योपयुक्त कोमलता नहीं थी। परंतु कर्मशता में कोमलता का समावेश करने और व्याकरण के नियमों से भाषा को शृंखलित करने की चेष्टा उस काल में अवश्य हुई थी।

स्वर्गीय पंडित श्रीधर पाठक और पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी खड़ी घोली की कविता के प्रथम लेखक और आचार्य हुए। पाठकजी पाठकजी और द्विवेदीजी ने गोल्डस्मिथ की कवितापुस्तकों का अनुवाद “ऊजड़ गाँव”, “एकांतवासी योगी” त्रैर “आंत पथिक” के नाम से किया और कुछ मौलिक कविताएँ भी कीं। द्विवेदी जी ने मराठी साहित्य की प्रगति से परिचित होकर हिंदी की सर्वथेष्ठ मासिक पत्रिका सरस्वती में छोटी छोटी रचनाएँ कीं और अनेक कवियों को प्रोत्साहन दिया। यदि पाठकजी में कवित्व द्विवेदीजी से अधिक है तो द्विवेदीजी में भाषा का मार्जन पाठकजी की अपेक्षा अधिक है। उस समय खड़ी घोली का जो अनिश्चित रूप प्रचलित था उसे सुधारकर काव्योपयुक्त बनाने की चेष्टा करने के कारण द्विवेदीजी का स्थान अधिक महत्वपूर्ण समझा जायगा। परंतु मराठी कविता की कर्मशता द्विवेदीजी की रचनाओं में भी देख पड़ी। कुछ काल उपरांत द्विवेदीजी ने कुमारसंभव आदि संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद कविता में किए, जो अपने ढंग के अनुपम हुए। पाठकजी ने ब्रजभाषा का पहला भी पकड़ा और वड़ी ही मधुर कविता का सूजन किया। द्विवेदीजी के अनुयायियों में आगे चलकर अनेक प्रसिद्ध कवि हुए, जिनमें वावू मैथिलीशरण गुप्त सबसे अधिक यशस्वी हैं। पाठकजी को प्रहृति की रम्य कीड़ाभूमि काश्मीर में तथा अन्य मनोहर पहाड़ी प्रदेशों में रहने का सुअवसर मिला था, जिसके फल-स्वरूप उनके रसिक हृदय ने

प्राकृतिक दृश्यों के साथ आंतरिक अनुराग प्राप्त कर लिया था। इस अनुराग की स्वरूप भलक उनकी रचनाओं में देख पड़ती है।

पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय और पंडित नाथूराम शंकर शर्मा हिंदी के उन प्रसिद्ध कवियों में हैं जिन्होंने द्विवेदीजी के प्रभाव के बाहर

उपाध्यायजी और रहकर काव्य-रचना की। अपने प्रारंभिक कविता-
नाथूरामजी काल में उपाध्यायजी वर्जमापा में कविता करते

थे; पर आगे चलकर उन्होंने संस्कृत पदाघली का आश्रय लेकर संस्कृत वृत्तों में प्रियप्रवास की रचना की। प्रियप्रवास में उपाध्यायजी की कवित्य-शक्ति बड़ी सुंदर देख पड़ी थी और उसके कुछ स्थलों में काव्यत्व उच्च कोटि का मिलता था, जिसे देखकर उनके उच्चवल भविष्य की कल्पना की गई थी, परंतु प्रियप्रवास की रचना के उपरांत उन्हें काव्य में मुहावरों का चमत्कार दिखाने तथा उपदेशों और व्यंग्यों द्वारा समाजसुधार करने की भुन सत्त्वार हुई। कवि न बनकर वे समाजसुधारक, उपदेशक और मुहावरों के संग्रहकार बन गए। यह ठीक है कि उनकी ढेर की ढेर रचनाओं में कुछ छोटी छोटी कृतियाँ अंतः-करण की अकृतिम प्रेरणा से लिखी जाने के कारण अच्छी बन पड़ी हैं, पर अधिकांश कविताएँ बनावटी और परिथ्रमपूर्वक गढ़ी हुई जान पड़ती हैं। प्रियप्रवास में भी संस्कृत छंदों का आश्रय लेने के कारण उनको भाषा और उसके व्याकरण की तोड़-मरोड़ करनी पड़ी है। इससे प्रसाद गुण का अभाव हो गया है। अब भी यदि उपाध्यायजी कविता के उच्च लक्ष्य की ओर ध्यान देकर प्रियप्रवास की ओर फिरे तो उनसे हिंदी का गौरव घढ़ सकता है। यह प्रायः देखा जाता है कि प्रौढ़ता की ओर अग्रसर होते हुए लेखक या कवि में भावों की प्रचुरता तथा शब्दों की संकीर्णता हो जाती है। इसके कहने का यह तात्पर्य है कि थोड़े थोड़े शब्दों में गूढ़ से गूढ़ भावों का व्यंजन किया जाता है। उपाध्यायजी इस नियम के अपवाद देख पड़ते हैं। पंडित नाथूरामजी शर्मा चिलक्षण शब्दनिर्माता और कवि हैं। आर्यसमाजी होते हुए भी उनकी सब कविताएँ सांश्रदायिक नहीं हो गई हैं और कुछ में तो उच्चम कोटि के कवित्य की झलक मिलती है। श्रुंगार-रस के पञ्चाकरी कवियों की माँति भी इन्होंने कुछ कविताएँ की, पर वे उनके योग्य नहीं कही जा सकतीं।

वावू मैथिलीशरणजी गुप्त आधुनिक खड़ी बोली के सबसे प्रसिद्ध मैथिलीशरणजी गुप्त और प्रतिनिधि कवि हैं। पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी के प्रभाव में रहकर उन्होंने अपनी भाषा का बड़ा ही सुंदर और परिमार्जित रूप खड़ा किया। द्विवेदीजी की ही

भाँति उनकी भाषा में संक्षिप्त का पुट रहता है पर “प्रियग्रवास” की भाँति वह अतिशय संस्कृतगमित नहीं होता। उर्दू के बहुत ही थोड़े शब्दों को ग्रहण करने के कारण वे पंडित गयाप्रसाद “सनेही” जी की उर्दू-मिश्रित कविताशैली से भी विभिन्न रूप में हमारे सामने आते हैं। भाषा की दृष्टि से उनका मध्यम मार्ग ही कहा जायगा। उनकी पहली रचना भारत-भारती अथ भी अनेक देशप्रेमी नवयुवकों का कंठहार हो रही है, और कितने नवसिरखुप कवि अथ भी उसका अनुकरण करते देखे जाते हैं। पर काव्य की दृष्टि से उसका विशेष महत्व नहीं है। काव्य की दृष्टि से उनका जय-द्रथवध खंड-काव्य उत्कृष्ट हुआ है। उसमें धीररस का पूर्ण परिपाक और वीच वीच में करुणरस के सुंदर छोड़े देखकर मन रसमग्न हो जाता है। अपनी “हिंदू” शोर्पक कविता-पुस्तक में गुप्तजी उपदेशक घनकर “गीता” का अनुकरण करते देखे जाते हैं; पर सामयिक प्रवाह में पड़कर ऐसी कविता की सृष्टि करने के लिये हम उन्हें दोप नहीं देसकते। आधुनिक रचनाओं में पंचवटी सर्वश्रेष्ठ है। उसमें लक्ष्मण का चरित्र बड़ा ही उज्ज्वल चित्रित हुआ है और पूरी पुस्तक में सुंदर पद्यों की अनोखी छटा देख पड़ती है। मैथिलीशरण गुप्तजी ने ‘साकेत’, ‘यशोधरा’ और ‘द्वापर’ नामक काव्यों की भी रचना की है। साकेत महाकाव्य है। उसमें साकेत (अयोध्या) को केंद्र यना कर रामकथा का, वर्णन किया गया है। कवि राम-लक्ष्मण-सीता के साथ घन नहीं जाता; भरत, शत्रुघ्न, मांडवी, श्रुतिकीर्त, उर्मिला आदि के साथ अयोध्या ही का वर्णन करना अपना उद्देश्य बनाता है। विशेषतया उर्मिला के चरित्र से कवि अधिक अपनाव दिखलाता है। इस महाकाव्य में स्थल स्थल पर कवि की प्रतिभा खूब घमकी है। किंतु अधिकांश स्थल विशेषकर आंभ के, शिथिल और शुष्क हैं। फिर भी इसमें संदेह नहीं कि यह ग्रन्थ आधुनिक कवियों में उन्हें उच्च आसन प्रदान करता है। यशोधरा में गुद्ध-वैराग्य के बाद यशोधरा का वर्णन है। यह करुण रस का सुंदर काव्य है, किंतु स्थल स्थल पर व्यर्थ के बाग्निस्तार ने काव्य के प्रभाव को छोण कर दिया है। द्वापर नण ढंग का काव्य है जिसमें गुण-कथा से संवंध रखनेवाले पात्र अपने अपने मुँह से एक प्रकार से अपनी अपनी जीवन-कथा कहते हैं। ढंग सर्वथा मौलिक है और गुप्तजी की उपज को सिद्ध करता है। गुप्तजी का आधुनिक समय का प्रतिनिधि कवि होना इसी धात से सिद्ध होता है कि उनकी छायावाद के ढंग की रचनाएँ भी उस श्रेणी के कवियों की प्रशंसा पा चुकी हैं। गुप्तजी की कविता में कहाँ रुचिमता नहीं देख पड़ती परंतु इसमें भी संदेह

नहीं कि उनका अधिकांश काव्य पद्यमय गद्य है। इन्होंने बँगला के प्रसिद्ध कवि माइकेल मधुसूदन दत्त के “मेघनादवध”, “बीरांगना”, “विरहिणी प्रजांगना” तथा नवीनचंद्र सेन के “पलासीर युद्ध” का भी हिंदी में अनुवाद किया है। इन अनुवादों में गुसजी को अद्भुत सफलता मिली है। इनसे उनकी विलक्षण क्षमता का पता तो चलता ही है, खड़ी घोलों की शब्द-शक्ति भी प्रकट होती है।

पंडित गयाप्रसाद शुक्ल सनेही और लाला मगवानदीन उद्धू-मिली भाषा में कविता करते हैं। दोनों ही राष्ट्रीयता के भाव को लेकर आप हीं श्रीर देनों की रचनाएँ ओजस्विनी हुई हैं।

सनेहीजी और दीनजी अंतर इतना ही है कि सनेहीजी ने आधुनिक समाज को अपनी कविता का लक्ष्य बनाया और दीनजी महाराणा प्रताप, शिवाजी आदि धीर नृपतियों की प्रशंसितियाँ तिखने में लगे रहे। राष्ट्रीय कवियों को साहित्य की क्षिए भाषा लेकर नहीं चलना पड़ता, उन्हें तो जनता की प्रचलित भाषा का आश्रय लेना पड़ता है। इस दृष्टि से सनेहीजी और दीनजी दोनों ने ही भाषा का उपयुक्त चुनाव किया है। राष्ट्रीय कवियों को पूरी सफलता तभी मिल सकती है जब वे राष्ट्रीय अंदोलन में स्वयं सम्मिलित हों और उत्साहपूर्वक जनता को मुक्ति का पथ दिखलावें। चंद, भूपण आदि धीर कवियों ने ऐसा ही किया था। हिंदी के आधुनिक राष्ट्रीय कवियों में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी और पंडित वाल्मीण शर्मा का कार्य इस दृष्टि से ग्रंथसनीय कहा जायगा। सनेहीजी की कुछ शृंगारिक रचनाएँ अच्छी नहीं हुई हैं, पर वे उनकी प्रारंभिक कृतियाँ हैं।

पंडित रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्धि उत्तुष्ट गद्यलेखक और समालोचक की दृष्टि से है, उनकी कविताएँ उन्हें अधिक सम्मानित नहीं कर सकती हैं। बुद्धचरित के अतिरिक्त उनकी अन्य शुक्लजी

रचनाएँ इधर-उधर विखरी पड़ी हैं, संगृहीत नहीं

हुई हैं। शुक्लजी हिंदी के विद्वान् और दार्शनिक आलोचक हैं, परंतु उनकी सहृदयता भी विशेष उल्लेखनीय है। वन्य प्रकृति के उजाड़ और सूने स्वरूप के प्रति भी उनका जितना अनुराग है उतना वारीचौं में खिले हुए शुलाव के फूल के प्रति नहीं। सौंदर्य को बढ़े ही व्यापक रूप में देखने की अंतर्दृष्टि हिंदी में शुक्लजी को मिली है। उनके प्राकृतिक वर्णन बुद्धचरित के सर्वश्रेष्ठ अंश हैं। उनसे उनका सूदा निरीक्षण प्रतिभासित होता है। “हृदय के मधुर भार” शीर्षक उनके फुटकर पद्यों में कहाँ ध्यंग और कहाँ भीठी खुटकियों के द्वारा

मानव-समाज की अक्षता, दुर्वलता और अहंकारिता का नग्न रूप दिखाया गया है।

पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने हिंदी में “मिलन”, “पर्यंक” तथा “स्वप्न” नामक तीन खंड-काव्यों की रचना की है। उनकी भाषा में

त्रिपाठीजी संस्कृत का सौंदर्य दर्शनीय है। यद्यपि उनमें

भावों की प्रचुरता नहीं है, पर एक ही वस्तु को बड़ी सुंदरता से कई बार दिखाने में उन्हें बड़ी सफलता मिली है। राष्ट्रीयता की भावना उनकी पुस्तकों में भरी पड़ी है। इसी से राजनीतिक क्षेत्र के घड़े घड़े व्यक्तियों ने उनकी प्रशंसा की है, यद्यपि उनकी राजनीति कहाँ कहाँ उनकी कविता में वाधक हो गई है। “विद्वा का दर्पण” शीर्षक उनकी एक मुक्तक रचना, हिंदी में उनकी अब तक की कृतियों में उच्च स्थान की अधिकारिणी है। त्रिपाठीजी की “अन्येषण” आदि अन्य छोटी छोटी रचनाएँ भी बड़ी ही सुंदर बन पड़ी हैं।

ब्रजभाषा में कविता करनेवालों में हरिश्चंद्र के उपरांत प्रेमघन और श्रीधर पाठक श्रेष्ठ कवि हुए। इनका उस्खेख ऊपर किया जा चुका

ब्रजभाषा के आधुनिक कविताने वाले हैं। इनके उपरांत पंडित सत्यनारायण शर्मा कविरत्न और धावू जगन्नाथदास रत्नाकर का नाम उस्खेखनीय है। कविरत्नजी ब्रजमंडल के रहनेवाले

ब्रजपति के अनन्य भक्त, घड़े ही रसिक और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी रचनाओं में ब्रज की माधुरी लवालव भरी है। स्वदेश-नुराग को सधी भलक दिखलानेवाले थोड़े कवियों में इनकी गणना होगी। “रत्नाकरजी” ब्रजभाषा के आधुनिक सर्वोत्कृष्ट कवि हैं। इनका “हरिश्चंद्र काव्य” सुंदर हुआ है, पर “गंगावतरण” नामक नवीन रचना में इनकी सधी काव्य-प्रतिभा चमक उठी है। इस ग्रंथ में रत्नाकरजी ने प्रकृति के नाना रूपों के साथ अपने हार्दिक भावों का सामंजस्य दिखा दिया है। रत्नाकरजी की भाषा-शैली पशाकरी कही जा सकती है और अनुभावों के प्रस्तुत करने में उन्होंने आधुनिक मंनो-विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग किया है। ब्रजभाषा के आधुनिक कवियों में वियोगी हरिजी की भी अच्छी प्रसिद्धि है। ये भक्त हैं, दार्शनिक हैं और धीररस की कविता करनेवाले हैं। यद्यपि यह युग ब्रजभाषा का नहीं है तथापि उपर्युक्त कवियों की रचनाएँ उत्कृष्ट भी हुई हैं और पठित जनता में उनका प्रचार भी हुआ है। आधुनिक काल के ब्रजभाषा के कवियों में रत्नाकरजी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है।

इस युग के अन्य कवियों में पंडित रूपनारायण पांडेय, धावू सियारामशरण गुप्त, पंडित अनूप शर्मा, पंडित गिरिधर शर्मा, पंडित अन्य कविगण कामताप्रसाद गुरु, पंडित रामचरित उपाध्याय, पंडित लोचनप्रसाद पांडेय आदि भी उल्लेख योग्य हैं।

रूपनारायणजी की भाषा चलती हुई खड़ी बोली है, उनकी कविता में पूरी रसात्मकता है। हिंदी की लीरिक कविताओं में उनकी 'घन-विहंगम' शीर्पक रचना उत्कृष्ट है। सियारामशरणजी ने सामाजिक कुरीतियों पर इतनी तीव्र व्यंग्यमयी और करण कविता की है कि चित्त पर स्थायी प्रभाव पढ़े विना नहीं रहता। समाजनीति को काव्योपयोगी घनाने की विधि हिंदी में सियारामशरणजी को सबसे अधिक आती है। इस क्षेत्र में उनकी सफलता प्रायः अद्वितीय है। धीररस की फड़कती हुई कविता करने के कारण पंडित अनूप शर्मा को कुछ लोग आधुनिक भूपण कहते हैं। यास्तव में उनकी अनेक रचनाएँ अपूर्व ओजस्विनी हुई हैं। पंडित गिरिधर शर्मा "नवरत्न" संस्कृत के विद्वान् और हिंदी के अच्छे कवि हैं। इन्हें गुजराती और बँगला की कविता-पुस्तकों के अनुवाद में अच्छी सफलता मिली है। गुरुजी की कविताओं में व्याकरण के नियमों की अच्छी रक्षा हुई है। पंडित रामचरित उपाध्याय और पंडित लोचनप्रसाद पांडेय को आचार्य महाधीरप्रसाद द्विवेदीजी ने प्रोत्साहित कर कवि बनाया था। उपाध्यायजी की रामचरितचितामणि अपने ढंग की सुंदर पुस्तक है। पांडेयजी की छाटी छाटी रचनाएँ अच्छी हुई हैं। इन कवियों के अतिरिक्त स्वर्गीय पंडित मन्नन द्विवेदी और पंडित माखनलाल चतुर्वेदी आदि की कविताएँ भी महत्त्व रखती हैं।

हिंदी की काव्यधारा का सामान्य परिचय ऊपर दिया गया है। अब थोड़े समय से हिंदी कविता में रहस्यवाद या छायावाद की खण्डि हो छायावाद रही है। कुछ लोग रहस्यवाद या छायावाद को

आध्यात्मिक कविता बतलाते हैं और पाश्चात्य देशों के उदाहरण द्वारा यह सिद्ध करते हैं कि धर्मगुरुओं और शानियों ने ही रहस्यवाद की कविता की है। इंग्लैंड के अनेक रहस्यवादी कवि सांप्रदायिक कवियों की श्रेणी में आवेंगे, फ्योर्म्स की उनकी कविता में लोक-सामान्य भावों का समावेश नहीं है, विभिन्न संप्रदायों की विचारपरंपरा के अनुसार उसकी रचना हुई है। परंतु रहस्यवाद की कविता सांप्रदायिक आधार को ग्रहण किए बिना भी लिखी जा सकती है। इंग्लैंड के ब्लैक, फारस के उमर खैयाम और भारत के जायसी आदि कवियों ने बहुत कुछ ऐसी ही कविता की है। यह ठीक है कि उनकी काव्यगत

अनुभूतियाँ सामान्य अनुभूतियों से विभिन्न हैं; पर वे सत्य हैं, अतः उनमें रसात्मकता पूरी मात्रा में पाई जाती है। हिंदी के कवि जायसी ने प्रकृति के विविध रूपों में अनंत विच्छेद और अनंत संयोग की जो भलक दिखलाई है, उसका उन्होंने स्वतः अनुभव किया था, केवल सूक्षी संप्रदाय की किंवदंती के आधार पर वह अवलंबित नहीं है। (हिंदी की आधुनिक रहस्यवाद की कविता में थोड़ी बहुत सांप्रदायिकता अवश्य घुस आई है। छायावाद की कविता में सबसे खटकनेवाली धारा उसके भावों की अप्रासादकता है। इस संसार के उस पार जो जीवन है उसका रहस्य जान लेना सबके लिये सुगम नहीं है। दार्शनिक सिद्धांतों की अनुभूति भी सबका काम नहीं है। यह मान लेना कि जो सुगमता से दूसरों की समझ में न आ सके अथवा जिसमें विभिन्न या विपरीत भावों के द्योतक शब्दों का साहचर्य स्थापित किया जाय ऐसी कविता प्रतिभा का एकमात्र द्योतक है, कहाँ तक अनुचित या असंभव है, इसके कहने की आवश्यकता नहीं है। पर इस कारण निराश होने की आवश्यकता नहीं है। समय के प्रभाव और विद्या के प्रसार से जब यह प्रवाह संयत प्रणालियों में चलने लगेगा तब हिंदी कविता का यह नया विकास यड़ा ही मनोरम होगा।

यहाँ पर यह कह देना भी बहुत आवश्यक जान पड़ता है कि हिंदी के रहस्यवादी कवियों में जिनकी गणना होती है, वे सब के सब रहस्यवादी नहीं हैं। उनमें से कुछ ने तो रहस्यवाद की

छायावाद के कवि एक भी कविता नहीं लिखी और गेजी लीरिक कविता के ढंग पर रचना करनेवाले कितने ही नवीन कवि रहस्यवादी कहलाने लगे हैं, जिन्होंने प्रसाद कुछ पहले से ही रहस्यवाद की रचनाएँ करने लगे थे। उनमें कविता में सूक्षी कवियों का ढंग अधिकतर पाया जाता है, यद्यपि और्गेजी कविता की पालिश भी उनमें कम नहीं है। प्रसादजी ने संस्कृत साहित्य का भी अच्छा अध्ययन किया है और उनकी कविता की भाषा न्यूस्कृत-प्रधान होती है। जयशंकर प्रसादजी अत्यंत भावुक हृदय हैं। उनकी कविता भी अत्यंत भावुकता-मयी है। (सूदम लाक्षणिकता और भावनामय आभ्यंतर जीवन का स्पष्टोकरण उनकी विशेषता है। वे आर्य जाति के अतीत के बड़े उपासक हैं।) उसका पुनर्निर्माण कर वे अपने नाटकों और काव्यों के रूप में जगत् के सामने रख रहे हैं। उनके नाटक या तो भावनाओं से संबंध रखते हैं या भारत के अतीत काल से। अज्ञातशब्द, राज्यश्री, संद्रगुप्त, जनमेजयंज्ञा नाग यश, चंद्रगुप्त आदि नाटक सब प्राचीन भारत से संबंध रखते हैं और

कहाँ कहाँ आज का गार्ग निर्दिष्ट करते हैं, जैसे स्कंदगुप्त में। प्रत्येक नाटक में सुंदर गीत स्थल स्थल पर विखरे हुए हैं जिनमें काव्य का उत्कर्ष दिखलाई देता है, यद्यपि भाषा-शैली तथा भावों की सूक्ष्मता के कारण सामान्य पाठकों के लिये उनमें दुरुहता आ गई है।

अभी उनका 'कामायनी' नामक महाकाव्य प्रकाशित हुआ है, जिसमें उन्होंने भारतीय इतिहास के अखण्डोदय अर्थात् मनु-काल का पुनर्निर्माण किया है। और अपनी कल्पना और खोज के द्वारा उस युग का एक चित्र प्रस्तुत किया है जहाँ पुरातत्त्ववेत्ताओं की भी दृष्टि अच्छी तरह प्रवेश नहीं कर पाई है।

भारतीय अद्वैतवाद को लेकर काव्यक्षेत्र में आनेवाले कवियों में पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' मुख्य हैं।

निरालाजी ने प्रकृत कवि की सहज भावुकता के साथ साथ काव्य-क्षेत्र में दार्शनिक दृष्टिकोण का प्रवेश किया है। उनकी रचनाओं को यही दार्शनिकता सूत्र रूप से बेधती चली जाती है और कहाँ कहाँ तो स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती है। उनकी भावुकता उसे ऐसा बाना पहना लेती है जिससे वह काव्य के क्षेत्र में शब्दकनेवाली वस्तु नहीं रह जाती। शब्दों के द्वारा त्रिपाठी-निर्माण में निराला वहुत निपुण हैं। उनमें स्वतंत्रता की प्रवृत्ति वहुत तीव्र रूप में विद्यमान है। छुंद के बंधन से कविता को मुक्त करने का उन्होंने बहुत प्रयत्न किया है। वे घुंधा मुँके क छुंद में ही अपनी कविताएँ रचा करते हैं। परंतु उनके ये मुक्त छुंद भी नाद-साँदर्भ से हीन नहीं हैं। उनकी अपनी गति है। कविता के आधार पर उनका निर्माण हुआ है जिससे वे हिंदी की प्रकृति के विरुद्ध नहीं पड़ते। निराला की शब्दावली घुंधा संस्कृत-गर्भित होती है, किंतु वे इस विषय में कट्टरता के पक्षपाती नहीं। परंतु कभी कभी संस्कृत के ऐसे अप्रचलित शब्दों का प्रयोग कर बैठते हैं कि घहुत सामान्य भाव भी दुरुह हो जाता है।

निराला तथा पंडित सुमित्रानंदन पंत ने पश्चिमीय शैली का अधिक प्रश्रय लिया है और रवींद्रनाथ की भाँति वैष्णव कविता की भी सहायता ली है।

सुमित्रानंदन पंत हलकी लाक्षणिकता को लेकर कोभलता की शक्ति का निर्दर्शन करने काव्य-क्षेत्र में अवतरित हुए हैं। उनके भाव सुकुमार, भाषा मधुर और कल्पना कोमल है। विशेषकर प्रकृति के नाना रूपों से उनके हृदय का सामंजस्य घटित हुआ है और उनके दर्शन से ग्राम आहाद का उन्होंने अपने काव्य में चर्णन किया है। इसके अनंतर

मोनव-प्रकृति की विभिन्न कोमल दशाओं और अंतर्देशाओं ने भी उनके हृदय को ध्वनि-पूर्ण किया है। पल्लव में उनकी कविताएँ बहुधा प्रकृति से ही संबंध रखती हैं। अंथि प्रेम की और अग्रसर हुई है। धीणा और गुंजन में अन्य नाना प्रकार की सुख-दुःख की अनुभूतियों ने गीतों का रूप धारण किया है। सुमित्रानंदन पंत में कर्ल्पना का चमत्कार, भादुकतामय प्रगल्भतों और शब्द-लॉलित्य प्रचुर मात्रा में पाप जाते हैं। खड़ी बोली के रुखेपन को दूर कर उसमें काव्योपयोगी मधुरता लाने में उनका सबसे आधिक हाथ है।

उनकी रचनाओं में खड़ी बोली बहुत कुछु कोमल होकर आई है। इनके अतिरिक्त पंडित मोहनलाल महतो की रचनाओं में भी रहस्यवाद की छाप है। र्घ्योद्रनाथ को काव्यगुरु स्वीकार करनेवाले ये ही हैं, यद्यपि र्घ्योद्र की कविता की थोड़ी बहुत छाया सबमें मिलती है। श्री महादेवी चर्मा में भी रहस्य भावना का आधिक्य है। जिस कसक और अंतर्वेदन से प्रेरित होकर उनका संगीत फूट पड़ता है, वह सांसारिक अभाव से जनित नहीं, किसी जगद्याह्य वासना से उद्भूत है। उनकी कविता निस्संदेह हृदय पर चोट करनेवाली होती है।

अब तक की कविता का ऊपर जो विवरण दिया गया है, उससे यह तो प्रकट होता है कि कविता की अनेकमुखी प्रगति इस युग में हो

हिंदी कविता का रही है, पर साथ ही यह भी प्रकट होता है कि भविष्य विशेष अंतर्दृष्टि-संपन्न महान् कवियों का अभ्युदय अब तक नहीं हुआ है। यह युग हिंदी के सर्वतो-

मुख विकास का है। पश्चिमीय शैलियों का ग्रहण इस युग की प्रधान विशेषता है। साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति हो रही है। फिर भी अब तक परिवर्तन का ही युग चल रहा है। परिवर्तन के युग में जीवन की महान् और चिरकालीन भावनाओं को लेकर काव्यरचना करना प्रायः असंभव होता है। साहित्यकारों का लक्ष्य जब तक परिवर्तन की ओर से हटकर जीवन की ओर नहीं जाता, तब तक उत्कृष्ट साहित्य की सृष्टि नहीं हो सकती। परन्तु इस समय देश की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। प्रतिभाशाली अनेक व्यक्ति साहित्यक्षेत्र से अलग फाम करते हैं। अब तक साहित्य जीवन की गहनता के बाहर का दिखलाऊ नंदन-निकुञ्ज बना हुआ है। इसलिये सच्चे कर्मनिष्ठ उस ओर से विरक्त रहते हैं। साहित्य के लिये यह दुर्भाग्य की बात है। रूस और फ्रांस के उत्कृष्ट साहित्यकार प्रबल कांतियों के भीतर से उत्पन्न हुए थे, तमाशा देखनेवालों के अंदर से नहीं। भारत में भी कांति का दैसा ही

युग आया हुआ है। आशा की जाती है कि निकट भविष्य में ही इस सर्वतोत्तमात्मा हलचल के बीच में किसी दिव्यात्मा का उदय होगा जिससे हिंदूं कविता को कल्याण-साधना होगी और जिससे अखिल भारतीय जनसमाज को श्रेयमार्ग मिलेगा।

समस्यापूर्ति की प्रथा बहुत पुरानी है पर उसका इतना घाहल्य कभी नहीं हुआ था जितना आजकल है। पहले पहल किसी भाषा में

समस्यापूर्ति कविता करने की अभिव्यक्ति उत्पन्न करने के लिये

समस्यापूर्ति का सहारा लेना लाभकारक हो सकता है। यह साधनमात्र है, इसे साध्य का स्थान देना उचित नहीं।

“समस्यापूर्ति से पूर्तिकारों की कवित्य-दर्प की वृत्ति भले ही तुष्ट हो जाय और कविसमेलनों के सभापतियों की यथोलिष्ठा की पूर्ति भले ही हो जाय, पर उससे कविता का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि समस्यापूर्ति की प्रथा नई कविता को जन्म नहीं दे सकती। किसी पदांश या चरण को लेकर उस पर जोड़ तोड़ लगाकर एक ढाँचा खड़ा कर देना कविता की अधूरी नकल हो सकती है, पर कविता नहीं किया जा सकता। जब तक किसी विषय में कवि की वृत्ति. न रमेगी, वह उसमें तझीन न होगा, तब तक उसके उद्गार नहीं निकल सकते। तुष्टि के सौंदर्य का अनुभव करके कवि जो शानंद पाता है, उसका विस्तार जब इतना हो जाता है कि वह उसे अपने हृदय में नहीं रोक सकता तब उसका अज्ञन प्रवाह फूट पड़ता है। विना इस प्रवाह को रास्ता दिए उसके हृदय को चैन नहीं मिलता। तुलसीदासजी के ‘स्वांतःसुखाय’ का अर्थ इसी वेचैनी को दूर करना है। रामचंद्रजी के रूप, शक्ति और शील के जिस सौंदर्य को वे अनुभव कर रहे थे उसका शानंद दूसरों को वाँटकर देने के लिये वे विहळ हो रहे थे, कवि बनने के सुख की प्राप्ति के लिये नहीं। यह विहळता क्या कभी उस समस्यापूर्ति-फार में हो सकती है, जिसे कल किसी कविसमेलन में जाकर कविता सुनाने की बड़ी उत्कंठा है और जो इसी लिये आधी रात रक सिर पर हाथ रखे थैठा है और यशप्राप्ति के लिये विहळ है। कविता की जननी स्वार्थ नहीं, त्याग है। कविता में त्याग ही स्वार्थ है। रीतिकाल के केशव आदि कवि क्यों नहीं सफल हुए? इसी लिये कि उनमें यह त्याग नहीं था, यह विहळता नहीं थी; उन्होंने पैसे के लिये, अपने आश्रयदाताओं की रक्षा की तुष्टि के लिये, उनकी चाढ़ुकारी के लिये काव्य लिखे

थे; आजकल के समस्यापूर्तिकार पैसे को इच्छा से नहीं, अपने कवित्य-दर्प की तुष्टि के लिये काव्य करते हैं।

इस विह्वलता के मूल में कवि का संदेश है। कवि अपने जीवन की अनुभूतियों के निष्कर्ष को संसार के सम्मुख रखना चाहता है, चाहे उससे कोई लाभ उठावे या न उठावे। क्या यह संदेश समस्यापूर्तिकार दे सकता है? उसके पास वह अनुभूति से भरा हृदय कहाँ? उसे तो अपनी दिमागी कसरत का भरोसा रहता है, वह पद्योत्पादक हृदयहीन मशीन है जो बाहर से कोई पेच दबाने से चलती है, उसका परिचालन भीतर से नहीं होता। इसी से उसका काव्य भी निध्राण होता है। वह दूसरे के हृदय में सीधे पहुँचकर वह उथल-पुथल नहीं मचा सकता जो हृदय से निकली हुई सजीव स्पंदन करती हुई कविता कर सकती है।

यही नहीं, उसका काव्य जाति के सामने कोई आदर्श भी नहीं रख सकता। नीति का तो उसके लिये प्रश्न ही नहीं उठ सकता। अतएव उसका मूल्य कितना हो सकता है, यह स्पष्ट ही है।

कविता चरित्र-निर्माण के लिये सबसे अधिक प्रभावोत्पादक साधन है, क्योंकि वह मस्तिष्क के द्वारा नहीं, हृदय के द्वारा शिक्षा देती है। कवि अपने ही आप शिक्षक और शिष्य तथा नेता और अनुयायी होता है; वह लोगों के उपर खुदा के कहर की तरह नहीं गिर पड़ता, वह उनको गालियाँ नहीं देता, उनके आगे नरक का भय नहीं रखता, प्रत्युत उनके मन में बुरे कार्यों से झानि उत्पन्न करता है और भले कार्यों के लिये प्रेम। यह कवि का बहुत बड़ा महत्व है। अब यदि यह काम ऐसे लोगों के हाथ पड़ गया जिनमें कुछ भी तच्च नहीं है, केवल पापंड है, यशोलिप्सा है, दिखावट है, तो जाति का क्या उपकार हो सकता है?

हिंदी भाषा की कविता के भविष्य को सुधारने के लिये यह आवश्यक है कि उसमें इस प्रकार के काँच के नकली मणियों का आदर न हो और उसका प्रवाह भूठे छायावाद, पापंड और समस्यापूर्ति की प्रवृत्ति की ओर से हठाकर किसी नए उद्देश्य की ओर मोड़ा जाय। हिंदी भाषा के भारतीय राष्ट्रभाषा होने के कारण यह और भी आवश्यक हो जाता है।”

[एक अप्रकाशित लेप से]

वारहवाँ अध्याय

आधुनिक काल

गद्य

आधुनिक युग की सबसे बड़ी विशेषता है खड़ी बोली में गद्य का विकास। इस भाषा का इतिहास बड़ा ही रोचक है। यह भाषा मेरठ गद्य का विकास के चारों ओर के प्रदेश में बोली जाती है और पहले वहाँ तक इसके प्रचार की सीमा थी, बाहर इसका यहुत कम प्रचार था। पर जब मुसलमान इस देश में चस गए और उन्होंने यहाँ अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब दिल्ली में मुसलमानी शासन का केंद्र होने के कारण विशेष रूप से उन्होंने उसी प्रदेश की भाषा खड़ी बोली को अपनाया। यह कार्य एक दिन में नहीं हुआ। अर्थ, फारस और तुर्किस्तान से आए हुए सिपाहियों को यहाँ बालों से यातचीत करने में पहले खड़ी कठिनता होती थी। न ये उनकी अरबी, फारसी सभक्ति थे और न ये इनकी हिंदी। पर यिन धार्यवहार के काम चलना असंभव था, अतः दोनों ने दोनों के कुछ कुछ शब्द सीखकर किसी प्रकार आदान प्रदान का मार्ग निकाला। यों मुसलमानों की उदूँ (छावनी) में पहले पहल एक खिचड़ी पकी जिसमें दाल चावल सब खड़ी बोली के थे सिर्फ नमक आगंतुकों ने मिलाया। आरंभ में तो वह निरी बाजार बोली थी, पर धीरे धीरे व्यवहार घड़ने पर और मुसलमानों को यहाँ की भाषा के ढाँचे का ठीक ठीक शान हो जाने पर इसका रूप कुछ स्थिर हो चला। जहाँ पहले शुद्ध, अशुद्ध बोलनेवालों से सही गलत बोलवाने के लिये शाहजहाँ को “शुद्धौ सहीह इत्युक्तौ ह्यशुद्धो गलतः स्मृतः” का प्रचार करना पड़ा था वहाँ अब इसकी रूपा से लोगों के मुँह से शुद्ध-अशुद्ध न निकलकर सही गलत निकला, करता है। आजकल जैसे त्रिंगरेजी पढ़े-लिखे भी अपने नाकर से एक ग्लास पानी न माँगकर एक ग्लास ही माँगते हैं, वैसे उस समय मुख-मुख उच्चारण और परस्पर बोध-सौकर्य के अनुरोध से वे लोग अपने ओजवेक का उज्ज्वल, कुतका का कोतका कर लेने देते और स्वयं करते थे, परं ये लोग बेरहमन मुनकर भी नहीं छौंकते थे। वैसधाड़ी हिंदी,

चुंदेलखंडी हिंदी, पंडिताऊ हिंदी और यावू इँगलिश की तरह यह उस समय उदूँ हिंदी कहलाती थी, पर पीछे भेदक उदूँ शब्द स्वयं भेद घनकर उसी प्रकार उस भाषा के लिए प्रयुक्त होने लगा जिस तरह संस्कृत वाक् के लिये केवल संस्कृत शब्द। मुसलमानों ने अपनी संस्कृति के प्रचार का सवसे बड़ा साधन मानकर इस भाषा को शुद्ध उन्होंने किया और जहाँ जहाँ फैलते गए, वे इसे अपने साथ लेते गए। उन्होंने इसमें केवल फारसी तथा अरबी के शब्दों की ही उनके शुद्ध रूप में अधिकता नहीं कर दी, यद्यकि उसके व्याकरण पर भी फारसी अरबी व्याकरण का रंग चढ़ाया। इस अवस्था में इसके दो रूप हो गए, एक तो हिंदी कहलाता रहा और दूसरा उदूँ नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोनों के प्रचलित शब्दों को ग्रहण करके, पर व्याकरण का संबद्धन हिंदी के ही अनुसार रखकर, अँगरेजों ने इसका एक तीसरा रूप हिंदुस्तानी बनाया। अतएव इस समय खड़ी घोली के तीन रूप वर्तमान हैं— (१) शुद्ध हिंदी जो हिंदुओं की साहित्यिक भाषा है और जिसका प्रचार हिंदुओं में है, (२) उदूँ जिसका प्रचार विशेषकर मुसलमानों में है और जो उनके साहित्य की और यिए मुसलमानों तथा कुछ हिंदुओं की घर के बाहर की बोलचाल की भाषा है, और (३) हिंदुस्तानी जिसमें साधारणतः हिंदी उदूँ दोनों के शब्द प्रयुक्त होते हैं और जिसका बहुत से लोग बोलचाल में व्यवहार करते हैं। इसमें अभी साहित्य की रचना बहुत कम हुई है। इस तीसरे रूप के मूल में राजनीतिक कारण है।

भ्रमवश हिंदी में खड़ी घोली गद्य के जन्मदाता लल्लूजी लाल माने जाते हैं। यह भ्रम उन अँगरेजों के कारण फैला है जो अपने आने के पहले गद्य का अस्तित्व हिंदी में स्थीकार ही नहीं करते। परंतु यह ब्रात असत्य है। अक्यर यादशाह के यहाँ संघर् १६२० के लगभग गंग भाट था। “उसने चंद छंद घरनन की महिमा” खड़ी घोली के गद्य में लिखी है। उसके पहले का फोई प्रामाणिक गद्य लेप न मिलने के कारण उसे खड़ी घोली का प्रथम गद्यलेखक मानना चाहिए। इसी प्रकार १६८० में जटमल ने “गोरा यादल की कथा” भी इसी भाषा के तत्कालीन गद्य में लिखी है। लल्लूजीलाल हिंदी को आधुनिक रूप देनेवाले भी नहीं हैं। उनके और पहले का मुंशी सदासुख का विद्या हुआ भागवत का हिंदी अनुवाद सुखसागर वर्तमान है। इसके अनंतर इंशाउल्ला साँ, लल्लूजी लाल तथा सदल मिथ का समय आता है। इंशाउल्लाखाँ की रचना में शुद्ध तद्देव शब्दों का प्रयोग है। उनकी

भाषा सरल और सुंदर है पर वाक्यों की रचना उदूँ ढंग की है। इसी लिये 'कुछ लोग उसे हिंदी का नमूना न मानकर उदूँ का पुराना नमूना मानते हैं'। (लल्लूजी लाल के प्रेमसागर से सदल मिश्र के नासिकेतोपाठ्योंन की भाषा अधिक पुष्ट और सुंदर है। प्रेम-सागर में मिश्र मिश्र प्रयोगों के रूप स्थिर नहीं देख पड़ते। करि, करिके, बुलाय, बुलाय करि, बुलाय करिके, बुलाय कर, आदि अनेक रूप अधिकता से मिलते हैं। सदल मिश्र में यह बात नहीं है। सारांश यह है कि यद्यपि फोर्टविलियम कालेज के अधिकारियों, विशेष-कर डा० गिलकिस्ट, की कृपा से हिंदी गद्य का प्रचार बढ़ा और उसका भावी मार्ग प्रशस्त तथा सुव्यवस्थित हो गया पर लल्लूजी लाल उसके जन्मदाता नहीं थे। जिस प्रकार मुसलमानों की कृपा से हिंदी का प्रचार और प्रसार बढ़ा उसी प्रकार अँगरेजों की कृपा से हिंदी गद्य का रूप परमार्जित और स्थिर होकर हिंदी साहित्य में एक नया युग उपस्थित करने का मूल आधार अथवा प्रधान कारण हुआ।

उपर्युक्त चार लेखकों ने हिंदी की पहले पहले प्रतिष्ठा की और उसमें ग्रंथ-रचना की चेष्टा की। इनमें मुश्शी सदासुख और सदल मिश्र की भाषा अधिक उपयुक्त ठहरती है। इनमें सदासुख को अधिक सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि ये कुछ पहले भी हुए और इन्होंने अधिक साधु भाषा का व्यवहार भी किया। इनके उपरांत विदेशों से आई हुई क्रिएचियन मत का प्रचार करनेवाली धर्मसंस्थाओं अथवा मिश्नों ने हिंदी में अपने कुछ धर्मग्रंथों, विशेषकर वाइविल का अनुवाद किया। वाइविल का अनुवाद भाषा की दृष्टि से बड़ा महस्वपूर्ण है। यह देश के विस्तृत भू-भाग में फैली हुई खड़ी योली की सामान्यतः साधु भाषा में किया गया है। पता चलता है कि राजनीतिक दर्विपेंच को पहले से ही जानने और प्रयोग करनेवाले अँगरेजों ने मुसलमानों की उदूँ को कच्छहरियों में जगह दी थी, पर वे भली भाँति जानते थे कि उदूँ यहाँ के जनसमाज की भाषा कदापि नहीं; नहीं तो वाइविल के अनुवाद के शुद्ध हिंदी में होने का कोई कारण नहीं। उदूँ पन उससे बहुत दूर रखा गया। उसकी भाषा का रूप सदासुख और लल्लूजीलाल की भाषा की ही भाँति है, पर विदेशीय रचनायैली के कारण थोड़ा बहुत अंतर अवश्य देख पड़ता है। लल्लूजी लाल की भाषा में ग्रज की योली मिली हुई है, पर उपर्युक्त अनुवाद ग्रंथों में उसका वहिष्कार कर मानो खड़ी योली के आगामी प्रसार की पूर्व सूचना सी दी गई है। जब ईसाइयों की धर्म-

पुस्तकें निकल रही थीं तब छापने की कल इस देश में आ चुकी थी, जिससे पुस्तकों के प्रचार में बड़ी सहायता मिली।

छापेखानों के फैल जाने पर हिंदी की पुस्तकें शीघ्रता से घढ़ चलीं। इसी समय सरकारी अँगरेजी स्कूल भी खुले और उनमें हिंदी उर्दू का भगड़ा खड़ा किया गया। मुसलमानों की ओर से सरकार को यह समझाया गया कि उर्दू को छोड़कर दूसरी भाषा संयुक्त प्रांत में है ही नहीं। कच्चहरियों में उर्दू का प्रयोग होता है, मदरसों में भी होना चाहिए। परंतु सत्य का तिरस्कार बहुत दिनों तक नहीं किया जा सकता। देवनागरी लिपि की सरलता और उसका देशव्यापी प्रचार अँगरेजों की हाधि में आ चुका था। लिपि के विचार से उर्दू की खिल-एता और अनुपयुक्तता भी आँखों के सामने आती जा रही थी। परंतु नीति के लिये सब कुछ किया जा सकता है। अँगरेज समझकर भी नहीं समझना चाहते थे। इसी समय युक्त प्रांत में स्कूलों के इंस्पेक्टर हिंदी के पढ़ापाती काशी के राजा शिवप्रसाद नियुक्त 'किए गए। राजा साहब के प्रयत्न से देवनागरी लिपि स्वीकार की गई और स्कूलों में हिंदी को स्थान मिला। राजा साहब ने अपने अनेक परिचित मित्रों से पुस्तकें लिखवाईं और स्थयं भी लिखीं। उनकी लिखी हुई कुछ पुस्तकों में अच्छी हिंदी मिलती है, पर अधिकांश में उर्दू प्रधान भाषा ही उन्होंने लिखी। ऐसा उन्होंने समय और नीति को देखते हुए अच्छा ही किया। इसी समय के लगभग हिंदी में संस्कृत के शकुंतला नाटक आदि का अनुवाद करनेवाले राजा लद्दमण्णसिंह हुए जिनकी कृतियों में सर्वत्र शुद्ध संस्कृत-विशिष्ट खड़ी वोली प्रयुक्त हुई है। दोनों राजा साहबों ने अपने अपने ढंग से हिंदी का महान् उपकार किया था इसमें कुछ भी संदेह नहीं।

भारतेंदु हरिश्चंद्र के कार्य-क्षेत्र में आते ही हिंदी में समुद्धति फा युग आया। अब तक तो खड़ी वोली गद्य का विकास होता रहा और गद्य के क्षेत्र में भारतेंदु पाठशालाओं के उपयुक्त छोटी छोटी पुस्तकें लिखी और उनके समकालीन जाती रहीं, पर अब साहित्य के अनेक अँगों पर ध्यान दिया गया और उनमें पुस्तक-रचना का प्रयत्न किया गया। भारतेंदु ने आपने वंगाल-भ्रमण के उपरांत थँगला के नाटकों को अनुवाद किया और मौलिक नाटकों की रचना की। कविता में देशप्रेम के भावों का प्रादुर्भाव हुआ। पत्र-एत्रिकाएँ निकलीं। हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र पत्रिका भारतेंदुजी के पत्र थे। छोटे नियंत्र भी लिखे जाने लगे। उनके लिखनेवालों में हरिश्चंद्र के

अतिरिक्त पंडित वालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रतापनारायण मिश्र, पंडित बद्रीनारायण चौधरी, डाकुर जगमोहनसिंह आदि थे। नाटककारों में शीनिवासदास और राधाकृष्णदास का नाम उल्लेखनीय है। “परीक्षा-गुह” नामक एक अच्छा उपन्यास भी उस समय लिखा गया। (आर्य-समाज के कार्यकर्ताओं में स्वामी दयानंद के उपरांत सबसे प्रसिद्ध पंडित भीमसेन शर्मा हुए जिन्होंने आर्यसमाज का अच्छा साहित्य तैयार किया। पंडित अंविकादत्त व्यास भी उस काल के मौलिक लेखकों में से थे। अख्यार-नवीकर्त्तों में वाबू वालमुकुंद गुप्त सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार हम देखते हैं कि गद्य के विभिन्न अंगों को लेकर वड़े ही उत्साहपूर्वक उनमें मौलिक रचनाएँ करनेवाले हिंदी के ये उत्तायक वड़े ही शुभ अवसर पर उदय हुए थे। इनकी वाणी में हिंदी के वाल्य-काल की झलक है, पर यौवनागम की सूचना भी मिलती है। देशप्रेम और जातिप्रेम की भावनाओं को लेकर साहित्यकेन्द्र में आने के कारण इन सबकी रचनाएँ हिंदी में अपने ढंग की अनोखी हुई हैं।

भारतेंदु की नाटक-रचना शैली में भारतीय शैली और पश्चात्य शैली का सम्मिश्रण हुआ है। (भारतीय शैली के शंकों और गर्भांकों तथा विष्कंभक आदि को घटलकर बँगला के ढंग पर अंक और दृश्य की परिपाठी चली, पर संस्कृत के सूत्रधार नटी प्रस्तावना आदि ज्यों के त्यों बने रहे।) चरित्रों का चित्रण करने में भारतेंदु ने संस्कृत के वर्गीकरणों का अनुसरण किया, पात्रों की वैयकिक विशेषताओं की ओर ध्यान नहीं दिया। यद्यपि उनके अनेक नाटक अनुवादित नाटक ही हैं और उनके मौलिक अधिकांश नाटकों में भी कथानक का निर्माण उन्हें नहीं करना पड़ा है, पर कुछ नाटकों में उन्होंने अपनी कथानक-निर्माण की शक्ति का अच्छा परिचय दिया है। सत्य हरिश्चंद्र में सत्य का उच्च आदर्श दिखाया गया है। अन्य नाटकों में प्रेम की पवित्र धारा बही है। भारत-दुर्दशा में स्वदेशानुराग, चमक उठा है। भारतेंदु की परिमार्जित गद्य-शैली का व्यवहार उनके सभी नाटकों में देख पड़ता है, हाँ, विषय और प्रसंग के अनुसार भाषा सरल अथवा जटिल हो गई है। लाला शीनिवासदास के “रणधीर प्रेममोहिनी”, “संयोगता स्वयंवर” आदि नाटक तथा वाबू राधाकृष्णदास का “महाराणा प्रताप नाटक” साहित्यिक दृष्टि से अच्छे हैं, यद्यपि रंगशाला के उपयुक्त नहीं। प्रेमघनजी का “भारत सौभाग्य” नाटक भी अच्छा है, पर बहुत बड़ा ही गया है। राय देवीप्रसाद पूर्ण का “धंद्रकला भानुकुमार नाटक” गद्य काव्य की शैली में लिखी गई सुंदर लृति है।

हिंदी साहित्य का यह विकास वड़ा ही आशाप्रद और उत्साह-वर्द्धक था। थोड़े समय की यह साहित्यिक प्रगति उस काल के लेखकों

नागरी-प्रचारिणी के मनोयोग और कृति-शीलता की परिचायक हुई सभा और सरस्वती है। इस काल के उपरांत साहित्य के सभी शंगों की बड़ी सुंदर उन्नति हो चली और प्रत्येक लेख में अच्छे अच्छे लेखकों का अभ्युदय हुआ। साहित्य के सौभाग्य से उसी समय काशी नागरी-प्रचारिणी सभा की नीब डाली गई और सरस्वती जैसी उच्च कोटि की मासिक पत्रिका निकली। (पेंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी जैसे श्रेष्ठ पत्रकार और व्याकरणविद् विद्वान् के हाथों में जाकर "सरस्वती" ने भाषासंस्कार का जो अभूतपूर्व कार्य किया उसका सब श्रेय उसके संपादक को है। भाषा को काट-छाँटकर दुरुस्त करने, व्याकरण के नियमों की प्रतिष्ठा करने, नवीन लेखकों में उत्साह बढ़ाने और शैंगरेजी की ओर भुके हुए अनेक नवयुवकों को हिंदी की ओर खाँचने का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण कार्य द्विवेदीजी ने किया।

भारतेंदु हरिश्चंद्र के गोलोकवास के आठ वर्ष के उपरांत हिंदी भाषा और नागरी लिपि के प्रचार, प्रसार तथा उन्नति के उद्देशं से संवत् १९५० में काशी नागरी-प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। इस सभा ने अब तक हिंदी भाषा और नागरी लिपि की अमूल्य और गौरव-प्रद सेवा की है। हिंदी के प्राचीन शंथों का अनुसंधान करने और उन्हें छापकर प्रकाशित करने का मूल्यवान् कार्य इस संस्था की प्रसिद्धि का कारण हुआ है। प्राचीन साहित्यिक खोज संविधिनी "नागरी-प्रचारिणी पत्रिका" में वहे ही मार्मिक और गंभीर लेखों की शृंखला चली। यह पत्रिका विद्वन्मंडली में वहे आदर की दृष्टि से देखी जाती है। हिंदी में विज्ञानसंबंधी शब्दों की रचना कर वैज्ञानिक कोष का निर्माण सभा ने कराया और पारितोरणिक देकर उच्च साहित्य के निर्माण की प्रेरणा की। हिंदी शब्दसागर से प्रामाणिक, उपयोगी और महत्त्वपूर्ण कोश का प्रकाशन कर सभा धन्य हुई है।

"काशी नागरी-प्रचारिणी सभा से हिंदी भाषा तथा साहित्य के इतिहास का नया परिच्छेद प्रारंभ होता है। हिंदी-संसार में आज सर्वत्र जो स्पष्ट युगांतर दिखाई दे रहा है उसके श्रेय की सबसे अधिक-अधिकारिणी यह सभा ही है। विगत ३०-४० वर्षों के धीर हिंदी की उन्नति के जितने वहे वहे काम हुए हैं या तो खुद उसके अपने प्रयत्न से हुए हैं, या उसकी प्रेरणा, प्रमाण अथवा उदाहरण से हुए हैं। कार्यों के महत्त्व का ऐसे लोगों के लिये ठीक अनुमान करना भी कठिन है जिन्हें

सभा के कार्यक्रम में आने के पहले की हिंदी की शब्दस्था को प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है। उस समय हिंदी हर तरह दीन-हीन थी। उस समय उसके पास न अपना कोई इतिहास था, न कोश, न व्याकरण; साहित्य का खजाना खाली पड़ा था। याहर की कौन कहे, खास अपने घर में भी उसकी पूछ और आदर न था। कच्चहरियों में चह अबूत थी, कालेज में घुसने न पाती थी, स्कूलों में भी एक कोने में दबकी रहती थी, हिंदू विद्यार्थी भी उससे दूर दूर रहते थे, अँगरेजी उर्दू को युद्ध लिखने बोलने में असमर्थ हिंदी-भाषी भी उसे अपनाने में अपनी दुर्याई समझते थे। सभा-सभाजों की कौन कहे घर के काम-काज, हिसाब-फिताव, चिट्ठी-पत्री में भी प्रायः उसका वहिप्कार ही था। पर आज इन सभी बातों में विलकुल दूसरा ही युग दिखाई दे रहा है। आज की हिंदी उस समय की हिंदी से हर बात में भिन्न है और इतनी भिन्न है कि पुराने परिचितों के लिये भी उसका पहचानना कठिन हो गया है। जिस भाषा को २५—३० साल पहले, बहुतों के विचार से, भाषा का पद भी प्राप्त न था आज उसका राष्ट्रभाषा पद प्रायः सर्वभान्य है। जिस भाषा में बातचीत और पत्र-व्यवहार करने में मिडिल के विद्यार्थी की भी हेठी होती थी उसे न बोल सकने के लिये आज बड़े बड़े अहिंदी-भाषी नेता तथा विद्वान् भी लज्जित होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने के लिये आज हिंदी का ज्ञान एक आवश्यक शुण समझा जाता है। प्रचार का यह हाल है कि मद्रास और आसाम जैसे प्रांतों में भी आज हिंदी का ढंका बज रहा है। साहित्य की भी आज़ने कम से कम ऐसी स्थिति अवश्य है कि अन्य उन्नत प्रांतीय भाषाओं से हिंदी मजे से नजर मिला सके, बल्कि उसके पकाघ अंग में वह उनसे आगे भी निकल गई है। हिंदी भाषा की यह प्रगति संभवतः भाषाओं के विकास के इतिहास में अभूतपूर्व घटना है। इतने काल में इतनी दिशाओं में इतनी अधिक उन्नति शायद ही किसी और भाषा की हुई हो और जो संस्था इस संपूर्ण प्रगति का अप्रत्यक्ष तथा आंशिक कारण भी मानी जा सकती हो वह निःसंदेह धन्य है।"

[“आज” ६-११-८५]

सारांश यह कि ‘सरस्वती’ पत्रिका के प्रकाशन और काशी की नागरी-च्चारिणी सभा की स्थापना के उपरांत हिंदी गद्य की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगी। भाषा में प्रौढ़ता और शक्ति आई तथा कितनी ही सुंदर शैलियों का आविर्माव हुआ। जिस प्रकार उर्दू में लखनऊ और देहली के दो केंद्र भाने जाते थे, और उनकी अलग अलग

शैली चली थी, उस प्रकार हिंदी में स्थानमेद के अनुसार शैलीमेद तो नहीं हुआ पर व्यक्तिगत कितनी ही शैलियाँ निकलीं जो आगे चलकर घर्गवद्ध शैलियाँ बन गईं। स्थान का भी प्रभाव पड़ा। काशी के अधिकांश लेखक संस्कृत-प्रधान भाषा लिखते हैं, कानपुर और लखनऊ के साहित्यिकों पर द्विवेदीजी की भाषा का प्रभाव पड़ा है। प्रयाग में दोनों श्रेणी के लेखक मिलते हैं। देहली केंद्र के लेखकों में पंडित पश्चासिंह शर्मा अपनी चटपटी शैली के लिये प्रसिद्ध हैं। हास्यविनोद, यहस-मुवाहसा, व्यंग्य, व्याख्यान आदि के उपयुक्त कितनी ही शैलियाँ का आविर्भाव हुआ और हो रहा है। अँगरेजी के विद्वानों के हिंदी की ओर भुक्तने के कारण अँगरेजी रचनाप्रणाली का प्रभाव भी विशेष पड़ा। इस प्रकार हिंदी में कितनी ही शैलियों का जन्म और विकास हुआ। मासिक पत्रिकाओं के निकलने से सामयिक साहित्य की अच्छी ओवृद्धि हुई। राजनीतिक आंदोलन के फल-स्वरूप हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का उद्योग किया जा रहा है। हिंदी-साहित्य-सम्मेलन ने हिंदी के प्रचार में अच्छा योग दिया है। राजनीतिक आंदोलन और शिक्षा की उन्नति के साथ ही पत्र-पत्रिकाएँ बढ़ती जा रही हैं। साहित्य के सब अंग भर रहे हैं। विश्वविद्यालयों में हिंदी उच्चतम कक्षाओं में पढ़ाई जाने लगी है। विविध विषयों की महत्त्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं।

‘पहले हम हिंदी कविता की अव तक की प्रगति का संक्षिप्त विवरण दें चुके हैं, गद्य के विविध अंगों का आधुनिक-काल में जो विकास हुआ है अब उसका दिग्दर्शन कराते हैं—’

भारतेंदु हरिष्चंद्र के समय से ही साहित्यिक समालोचना होने लगी थी, पर पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी के समय से उसका स्वरूप समालोचना निश्चित हुआ। द्विवेदीजी की समालोचनाएँ अधिकांश निर्णयात्मक होती थीं। सरस्वती में पुस्तकों की भी और संस्कृत तथा हिंदी के कुछ कवियों की भी द्विवेदीजी ने समालोचनाएँ लिखीं। द्विवेदीजी की चलाई हुई पुस्तक-समीक्षा की संक्षिप्त प्रणाली का अनुसरण अव तक मासिक पत्रिकाओं में हो रहा है। द्विवेदीजी की समालोचनाएँ भाषा की गड़वड़ी को दूर करने में यहुत सहायक हुईं, साथ ही आलोचना में संयत होकर लिखने का ढंग भी प्रतिष्ठित हुआ। द्विवेदीजी के समकालीन समालोचकों में मिथ-घंघुओं का स्थान विशेष महत्त्वपूर्ण है। उनका हिंदी-साहित्य का इतिहास ग्रंथ अपने ढंग की पहली रचना होने के कारण यड़ी भूल्यवान् घस्तु हुई। हिंदी-नवरत्न में कवियों की समालोचना का सूत्रपात्र हुआ।

उनकी आलोचनाओं के संबंध में विद्वानों में मतभेद ही सकता है और है भी, पर समालोचना का कार्य आरंभ करने के कारण मिश्रवंधुओं का हिंदी साहित्य पर छाए है और उसे स्वीकार न करना छूटन्नता माना जायगा। यह सच है कि अनेक विद्वानों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से उनके हिंदी नवरत्न तथा मिश्रवंधुविनोद की आलोचना की, पर मतभेद का होता जीवन का लक्षण और उन्नति का सूचक है और इसलिये हम उसका स्वागत करते हैं। इस बात का बिना ध्यान रखे कि सब बातों में क्रमिक विकास होता है, पूर्व कृतियों को तुच्छ मानना जहाँ अनुचित है वहाँ इस बात का भी ध्यान रहना चाहिए कि हमारे ज्ञान तथा अनुभव की वृद्धि निरंतर होती रहती है, इसलिये साहित्य के विद्यार्थियों, समालोचकों तथा निर्माताओं का अपने अपने मतों को वेदवाक्य मान बैठना, नवाविष्णुत तथ्यों की अवहेलना करना तथा मिन्न मत रखने वालों को हेय समझना साहित्य के भावी विकास और उन्नति के लिये हितकर न सिद्ध होगा।

मिश्रवंधुओं के उपरांत हिंदी के कवियों पर आलोचनात्मक लेख और पुस्तकें लिखनेवालों में पंडित पश्चसिंह[✓] शर्मा और पंडित कृष्ण-चिह्नारी मिश्र के नाम उल्लेखनीय हैं। मिश्रजी की भाषा शर्मजी की भाषा से अधिक साधु और शिष्ट है और उनकी विवेचन-पद्धति भी अधिक गंभीर है। शर्मजी की समालोचनाशैली बड़ी ही व्यंग्यमयी हो-गई है और उसमें कवियों की प्रशंसा में बाह बाह कहने का उद्दृढ़ ढंग पकड़ा गया है। यदि शर्मजी कुछ अधिक गंभीरता और शिष्टता साथ लिए रहते तो अच्छा होता। कदाचित् उनकी उछुलती, कृदती, कुदकती हुई भाषाशैली के लिये यह संभव न था।

(अँगरेजी ढंग की गंभीर आलोचनाएँ लिखनेवालों में पंडित राम-चंद्र शुक्ल प्रमुख हैं।) जायसी, तुलसी, सूर आदि कवियों पर उनके निवंध सुंदर विश्लेषणात्मक आलोचना के रूप में लिखे गए हैं, जिनसे कवियों के मानसिक और कलात्मक विकास पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। विश्वविद्यालयों की उच्च अण्डियों में पढ़ाई जाने योग्य समालोचनाओं में शुक्लजी की समालोचनाएँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण हुई हैं। यादू पदुमलाल बदशी ने भी दो एक समालोचनात्मक पुस्तकें लियकर [✓] हिंदी के विकासक्रम को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। मासिक पत्रिकाओं में समालोचनाएँ लिखने का ढंग अधिक उपयुक्त और प्रशंसनीय होता जा रहा है। पहले की अपेक्षा व्यक्तिगत आकृपों की बहुत कुछ कमी हो गई है। कदाचित् यह कह देना अनुचित न होगा कि

समालोचना का काम बहुत महस्त्वपूर्ण है और उसे सफलतापूर्वक करना सबका काम नहीं है।

अन्य सभी साहित्यों में नाटकों का विवेचन रंगशाला के नियमों प्रतिवंधों आदि को लेकर होता है। अँगरेजी के अनेक विद्वान् समानाटक लोचक तो रंगशाला के अनुपयुक्त नाटकों को

नाटक कहते ही नहीं। उन देशों में रंगशालाएँ बहुत अधिक विकसित हो चुकी हैं, और प्रत्येक नाटककार उनके नवीनतम विकास से परिचित होना आवश्यक समझता है। नवीन विकास के कारण जो पुरानी नाटकीय रचनाएँ आधुनिक रंगमंच के अनुपयुक्त हो गई हैं, अथवा पिछड़ी हुई देख पड़ने लगी हैं, उनको निम्न स्थान दिया जाता है। स्वयं शेषसंपियर के नाटक भी रंगमंच को दृष्टि से पुराने हो गए हैं अतः कम खेले जाते हैं, अथवा उधारकर खेले जाते हैं। हिंदी के लिये यह बड़ी लज्जा की बात है कि अब तक वह पारसी रंगमंच के ही हाथों में पड़ी है, उसकी अपनी रंगशालाएँ या तो ही नहीं, अथवा मृतक सी हैं। व्यावसायिक रंगमंच तो हिंदी में कदाचित् एक भी नहीं। हम लोग अब तक नाटक खेलने को तुच्छ नदों का काम समझते हैं। अनेक आधुनिक नाटककार घर पर कल्पना के द्वारा नाटकीय प्रतिवंधों पर विचार करते हैं, रंगशालाओं में जाकर नाटक देखकर या खेलकर अपने अनुभव की वृद्धि नहीं कर पाते। पारसी रंगमंच अपने पुराने अव्युगुणों को लिए हुए चला जा रहा है। वही अलंकरणाधिक्य, वही अस्वाभाविक भाषा और वही अस्वाभाविक भाषण ! हिंदी की जो दो एक नाटकमंडलियाँ हैं, वे तिथि-त्योहारों पर कुछ खेल खेलकर ही संतोष कर लेती हैं। यह स्थिति बड़ी ही शोचनीय है। बँगला, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं के रंगमंच विशेष उपनाम हैं और प्रतिदिन उन्नति करते जाते हैं। ऐसी अवस्था में राष्ट्रभाषा हिंदी पर गर्व करनेवालों का मस्तक अवश्य नीचा होता है। हिंदीभाषी रहस्यों को चाहिए कि यथासंभव शोब्र नाट्यमंडलियों को सहायता दें, और हिंदीभाषी विद्वानों को चाहिए कि वे यथासंभव शोब्र अभिनय-कार्य को अपने हाथ में लें, उसे नदों का काम ही न समझे रहें। साथ ही हिंदीभाषी जनता को चाहिए कि वह हिंदी नाट्यमंडलियों के नाटक देखकर उन्हें प्रोत्साहन दे।

आधुनिक नाटककारों में वावू जयशंकर प्रसाद, पंडित यदरीनाथ भट्ट, पंडित गोविंदबल्लभ पंत आदि प्रसिद्ध हैं। वावू प्रेमचंद्रजी ने संग्राम और कर्वला नाम के दो नाटक लिये हैं जिनमें उन्हें सफलता

शक्ति प्रेमचंदजी को मिली है। इस कार्य में वे संसार के बड़े बड़े उपन्यासकारों के समकक्ष हैं। प्रेमचंदजी के उपन्यासों में आंदर्शवाद की ओर अधिक ध्यान दिया गया, तथ्यवाद का उतना विचार नहीं रखा गया। दोनों का उपयुक्त सम्मिश्रण कदाचित् उनके उपन्यासों के महत्व को और भी बढ़ा देता। कहाँ कहाँ विशेषकर रंगभूमि में आवश्यकता से अधिक विस्तार किया गया है। यह उपन्यास दो भागों में न होकर एक ही भाग में समाप्त हो जाता तो अधिक रुचिकर होता। दूसरा भाग तो जबरदस्ती बढ़ाया गया जान पड़ता है।

हम नहीं कह सकते कि उपन्यास लिखने के कार्य में जयशंकर प्रसादजी को कहाँ तक सफलता प्राप्त होगी। “कंकाल” नामक उपन्यास का निर्माण उसके नाम के अनुकूल हुआ है। समस्त उपन्यास के पढ़ जाने पर हमें उसके समाज के नीति चित्र का उद्घाटन रुचिकर नहीं हुआ। चरित्रचित्रण में प्रसादजी ने अच्छा कौशल दिखाया है। इनमें मंगलदेव और यमुना (तारा) के चित्र बड़ी निपुणता से चित्रित किए गए हैं। पढ़ते पढ़ते एक के प्रति आंतरिक धूला और दूसरी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न होती है। एक यदि रँग हुआ सियार है तो दूसरी युवावस्था के उद्देश से मार्गच्युत होकर जन्म भर आत्मसंयम से काम लेकर अपने निर्दिष्ट ग्रण पर ढ़ढ़ रहनेवाली है।

आधुनिक हिंदी की आख्यायिकाएँ संस्कृत के हितोपदेश अथवा राजतरंगिणी के ढंग पर नहीं लिखी गईं, अङ्गरेजी की छोटी कहानियों

आख्यायिका की शैली पर लिखी गई हैं। घटनाओं की सहा-

यता से पात्रों की व्यक्तिगत विशेषताओं को चित्रित करना आजकल की कहानियों का मुख्य लक्ष्य हो रहा है। समाज की कुर्तृतियों के प्रदर्शनार्थ भी कहानियाँ लिखी जाती हैं, पेतिहासिक तत्वों पर प्रकाश डालने की दृष्टि से भी कहानियाँ लिखी जाती है, और दार्शनिक-कहानियाँ भी लिखी जाती हैं। कहानियों में न तो घटनाओं का क्रम अधिक जटिल होता है और न जीवन के बड़े बड़े चित्र दिखाय जाते हैं। हिंदी में आख्यायिकाओं का आरंभ करनेवाले गिरिजाकुमार घोष नामक सज्जन थे। उनके उपरांत यादू जयशक्ति प्रसाद, श्रीज्ञालालादत्त, श्रीप्रेमचंदजी, कौशिकजी, सुदर्शनजी, हृदयेशजी आदि कहानी-लेखक हुए। प्रसादजी की आख्यायिकाएँ कवित्वपूर्ण होती हैं, उन्हें एक बार पढ़कर कई बार पढ़ने की इच्छा होती है। उनकी कुछ कहानियों में प्राचीन इतिहास की खोई हुई बातों की खोज की गई है, कुछ में मन-

स्तरव की सूचम समस्याएँ समझाई गई हैं और कुछ में व्यक्ति का व्यक्तित्व स्पष्ट किया गया है। प्रेमचंदजी की कहानियों में सामाजिक समस्याओं पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। उनकी भाषा-शैली कहानियों के बहुत उपयुक्त हुई है, और उनके विचार भी सब पढ़े लिखे लोगों के विचारों से मिलते-जुलते हैं। यही कारण है कि प्रेमचंदजी की कहानियाँ सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। प्रेमचंदजी और जयशंकर प्रसादजी की आख्यायिकाओं में बड़ा भारी अंतर यह है कि एक में घटनाओं की प्रधानता रहती है और दूसरी में भावों की। प्रेमचंदजी के भाव घटनाओं के आधित रहते हैं और जयशंकर प्रसादजी की घटनाएँ भावों के आधित रहती हैं। अतएव हम कह सकते हैं कि एक घटनात्मक है और दूसरी भावात्मक है। कौशिकजी को कहानियों में पारिवारिक जीवन के बड़े ही मार्मिक और सच्चे चित्र हैं। उनका क्षेत्र सीमित है, पर अपनी सीमा के भीतर वे अद्वितीय हैं। ऐसा जान पड़ता है कि सुदर्शनजी ने पाश्चात्य कथा-साहित्य का अच्छा अध्ययन किया है। भारतीय आदर्शों की रक्षा करने की उनकी चेष्टा प्रशंसनीय है। हृदयेशजी की कहानियों में फवित्व है पर उनकी भाषा अत्यधिक अलंकृत तथा उनके भाव कहाँ कहाँ नितांत कल्पित हो गए हैं। उनकी कल्पना में वास्तविकता कम मिलती है। अन्य कहानी-लेखकों में “अंतस्तल” के लेखक श्री चतुरसेन शास्त्री, श्री राय कृष्णदास, श्री विनोदशंकर व्यास आदि हैं। उप्रजी की वे कहानियाँ अच्छी हैं जिनमें उन्होंने अश्लीलता नहीं आने दी है। उनकी भाषा धड़ी सुन्दर होती है। हिंदी की छोटी कहानियों या गल्पों का भविष्य बड़ा उज्ज्वल जान पड़ता है, योड़े ही सभ्य में इस क्षेत्र में धड़ी उन्नति हुई है।

हिंदी में अब तक नियंधों का युग नहीं आया है। समालोचनात्मक नियंधों के अतिरिक्त हिंदी के अन्य सभी नियंध साधारण कोटि नियंध के हैं। पंडित चालहृष्ण मह और पंडित प्रताप-नारायण मिथ के नियंध हिंदी की पाल्यावस्था के हैं। उनमें विनोद आदि चाहे जो कुछ हो, वे साहित्य की स्थायी संपत्ति नहीं हो सकते। पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदीजी के नियंधों में विचारों की योजना कहाँ कहाँ विस्तृत हो गई है। द्विवेदीजी को संपादन-कार्य में इतना व्यस्त रहना पड़ता था कि उनके स्वतंत्र नियंधों को देखकर हमें आश्चर्य ही होता है। भावात्मक नियंध लिखनेवालों में सरदार पूर्णसिंह का स्थान सबसे अधिक महत्व का है, पर अब तो सरदारजी हिंदी को छोड़कर अँगरेजी की ओर झुक गए हैं। शोयुत

गुलाबराय और थीयुत कनोमल के दर्शनिक निवंध भी साधारणतः अच्छे हुए हैं। निवंधों के क्षेत्र में पंडित रामचंद्र शुक्ल का सबसे अलग स्थान है। मानसिक विश्लेषण के आधार पर उन्होंने कहा, क्रोध आदि मनोवेगों पर अनेक अच्छे निवंध लिखे हैं। विवरणात्मक निवंधलेखकों ने यात्रा, भ्रमण आदि पर जो कुछ लिखा है, वह सब मध्यम श्रेणी का है। सारांश यह कि निवंधों की ओर अभी विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। हिंदी साहित्य के इस अंग की पुष्टि की ओर सुलेखकों का ध्यान जाना चाहिए।

यां तो गद्य का विकास बहुत प्राचीन काल में हुआ था, परंतु तारतम्य उस समय से आरंभ हुआ जिस समय मुंशी सदासुखलाल, ईशाउल्ला खाँ, सदल मिश्र और ललूजी लाल ने अपनी रचनाएँ कीं। उस समय की शैली की अवस्था वही थी जो बस्तुतः आरंभिक काल में गद्य शैली का विकास होनी चाहिए। जिन लोगों ने बस्तु का आधार संस्कृत से लिया, उनकी भाषा में भी संस्कृत की छाप लग गई। इस काल में कथा कहानी की ही रचनाएँ हुईं। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि यह आरंभिक काल था। न तो भाषाशैली में बल का संचार हुआ, न उसका कोई संयत रूप स्थिर हुआ और न पाठकों में इतनी शक्ति उत्पन्न हुई थी कि गवेषणात्मक रचनाओं का अध्ययन कर सकें। इन लेखकों में भी दो दल स्पष्ट दिखाई पड़ते थे। एक ने तो संमयतः प्रतिज्ञा कर ली थी कि उदूपन—उदू ढंग की व्याक्य-रचना एवं शब्द-योजना—का पूर्ण विविधकार किया जाय, और दूसरे ने उदूपन लेकर शैली को चमत्कारपूर्ण बनाने की चेष्टा की। अभी तक न तो शब्दों का रूप ही स्थिर हुआ था और न भाषा का परिभार्जन ही हो सका था। व्याकरण की ओर तो आँख उठाना ही अस्वाभाविक या अनावश्यक ज्ञात होता था। मुहावरों के प्रयोग से कुछ चमत्कार अवश्य उत्पन्न हो रहा था। जिन लोगों ने मुहावरों और उदूपन का एकदम विविधकार किया उनकी भाषा गंभीर भले ही रही हो परंतु उसका आकर्षण और चमत्कार अवश्य नष्ट हो गया था। इस समय के प्रायः सभी लेखकों में प्रांतीयता स्पष्ट झलकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि यह आरंभिक काल था तो वे सभी अवस्थाएँ रचना-शैली में उपस्थित थीं जो स्वाभाविक रूप में उस समय होनी चाहिए थीं।

इसके उपर्युक्त लगभग 'पचास वर्षों' तक हिंदी का कार्य भारत-घर्ष के धर्म-प्रचारक ईसाइयों के हाथ में था। उस समय की रचनाओं को देखने से चिदित होता है कि इन ईसाइयों ने उदूपन का घोर विरोध

किया और सभी रचनाओं में पूर्ण रूप से हिंदीपन का ही निर्वाह किया। न तो शब्द-योजना ही में उद्दूपन दिखाई पड़ता है और न वाच्यविन्यास ही में। आवश्यकता पड़ने पर इन लोगों ने ग्रामीण शब्दों तक का व्यवहार किया परंतु उद्दूपन के शब्दों का नहीं। यह स्पष्ट विदित होता है कि इन लोगों ने सचेष्ट होकर, उद्दूपन को दूर रखकर, भाषा का रूप शुद्ध रखा।

(इधर राजा शिवप्रसाद और राजा लक्ष्मणसिंह के गद्य-क्षेत्र में आते ही पुनः हिंदी और उद्दूपन का ढंद आरंभ हुआ।) साधारण रूप से विचार करने पर तो यही कहा जा सकता है कि उस समय तक न तो व्याकरण के नियमों का ही निर्वाह दिखाई पड़ता था और न भाषा का ही कोई रूप स्थिर हो सका था। रचना का विकास अवश्य हो रहा था और पठन-पाठन के विस्तार से अनेक विषयों में गद्य की पहुँच आरंभ हो गई थी, और कितने ही विषयों पर पुस्तकें लिखी जा रही थीं। हिंदीगद्य का रूप कुछ व्यापक अवश्य हो रहा था। उसमें अब भावद्योतन का क्रमशः विकास होने लगा था। इस समय प्रधान बात हिंदी उद्दूपन घुसेड़ने की धुन समाई थी। उनको विश्वास था—संभव है ऐसा विश्वास करने के लिये वे वाच्य किए गए हैं—कि यदि उद्दूपन का वहिष्कार किया जायगा तो भाषा की व्यावहारिकता नए हो जायगी और उसमें भावद्योतन का चमत्कार और बल न आ सकेगा। यह विचार राजा लक्ष्मणसिंह को ढीक न ज़चा। अतः उन्होंने इसके विरोध में, अपनी रचनाओं में भाषा का रूप पूर्ण शुद्ध ही रखा। ऐसा करके उन्होंने यह स्पष्ट दिखा दिया कि उद्दूपन से दूर रहकर भी भाव बड़ी सहस्रता से प्रकाशित किए जा सकते हैं, ऐसी अवस्था में भी चमत्कार उपस्थित किया जा सकता है। विना उद्दूपन का सहारा लिप ही सुंदर से सुंदर रचनाएँ की जा सकती हैं।

इस ढंद का निरीक्षण यावृहरिश्चंद्र मली भाँति कर रहे थे। सोच-विचार करने के उपरांत उन्होंने मध्यम मार्ग के अवलंबन का निश्चय किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में भाषा का बड़ा व्यावहारिक रूप रखा। न उद्दूपन का पूर्ण वहिष्कार ही किया और न उद्दूपन के पक्षपाती ही घने। जहाँ उन्होंने उद्दूपन के शब्दों का व्यवहार किया वहाँ उनका तद्देव रूप ही रखा। इस काल में अनेक पत्र प्रकाशित होने लगी थीं। हिंदी का व्यवहार-क्षेत्र अब अधिक व्यापक होने लगा था। भारतेंदुजी के अनेक सहयोगी तैयार हो गए थे। वे सभी दक्ष पत्र-संपादक और लेखक थे। इन लोगों के हाथों से

भाषा का रूप यहुत कुछ परिमार्जित हो गया। पंडित यालकृष्ण भट्ट श्रौर पंडित प्रतापनारायण मिथ्र की रचनाओं में भावव्यंजना की सुंदर श्रौर चमत्कारपूर्ण प्रणाली का अनुसरण हुआ। इनकी शैलियों में चलतेपन श्रौर व्यावहारिकता का बड़ा ही आकर्षक सामंजस्य उपस्थित हुआ। पंडित वद्रीनारायण चौधरी श्रौर पंडित गोविंदनारायण मिथ्र की लेखनी से इस प्रकार की रचनाएँ निकलीं जो इस बात की घोषणा करती थीं कि अब भाषा में किसी प्रकार केवल भावप्रकाशन की ही शक्ति नहीं है बरन् उसमें आलंकारिक रूप से उत्कृष्ट रचना भी की जा सकती है। इस प्रकार के लेखकों में व्यावहारिकता अवश्य नष्ट हुई है परंतु भाषा का एक शक्तिशाली स्वरूप दिखाई पड़ा। इतना होते हुए भी सतर्क पाठक यह देख सकता है कि इस काल में भी व्याकरण की अवहेलना की गई। भाषा का मार्ग निश्चित तो हो गया, परंतु उसमें सौषुप्त अभी तक न आ सका था। इस समय भी ऐसे लेखक उपस्थित थे जो विरामादिक चिह्नों का प्रयोग ही नहीं करते थे श्रौर इस कारण उनकी रचनाओं में व्यर्थ ही अस्पष्टता आ जाती थी। संक्षेप में यदि हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि भाव-व्यंजना की कई शैलियाँ इस समय अवश्य गद्य-क्षेत्र में उपस्थित हुईं श्रौर उनमें एक शक्तिशाली रूप अवश्य दिखाई पड़ा, परंतु भाषा का सम्यक् परिमार्जन न हो सका श्रौर व्याकरण-विहित शुद्ध रचनाएँ न की जा सकीं।

जो कभी इस समय रह गई थी उसकी पूर्ति आधुनिक काल में हुई। पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी प्रभृति लेखकों की सतर्कता एवं चेष्टा से व्याकरण संबंधी त्रुटियों का सुधार हुआ। शब्दों का वास्तविक शुद्ध प्रयोग श्रौर व्यवहार इस काल की विशेषता है। इस समय अनेक विषयों पर सुंदर श्रौर पुष्ट रचनाएँ की गईं। यों तो भारतेंदु हरिश्चंद्रजी के ही काल में नाटक, उपन्यास, निवंध इत्यादि लिखने का अभ्यास हो चुका था; परंतु इन विषयों के लेखन में न तो अनेक प्रकार की शैलियों का रूप ही निश्चित हुआ था श्रौर न भली भाँति उनमें सूक्ष्म मानसिक भावनाओं के प्रकाशन की प्रणाली का ही निर्वाह हुआ था। इस काल में इन विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया। फल-स्वरूप शैली में भी भाव-धौतन की मनोवैज्ञानिक शक्ति का संचार हो गया है। वावू प्रेमचंद श्रौर वावू जयशंकर प्रसाद की शैली में चरित्र-चित्रण की मनन-शील श्रौर गंभीर योजना इस बात की साक्षी है। कमशः जिस प्रकार विचार करने की शक्ति का विकास होता गया उसी प्रकार भाषा में भी भावव्यंजनात्मक शक्ति की उद्घाति होती गई। श्राज जितने प्रकार की

शैलियाँ उपस्थित हैं, उनसे यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि गृह से गृह भावनाओं के प्रकाशन में भाषा समर्थ है।

भाव और भाषा की तादात्म्य-ग्रासि शैली के उत्कर्ष की परम सीमा है। लेकिं इस दिशा में भी पदन्यास कर रहे हैं। राय कृष्णदास की 'साधना', प्रद्याल और छायापथ, श्री वियोगी हरि की भावना और अंतर्नाद, श्री चतुरसेन शास्त्री के अंतस्तल में इसी प्रकार के तादात्म्य का उन्मेष स्थान स्थान पर हुआ है।

धनुसरण कथन की एक विशिष्ट प्रणाली का विचित्रतापूर्ण और व्यावहारिक रूप यावू प्रेमचंद की रचनाओं में दिखाई पड़ता है। दूसरी ओर भावात्मक तथा उन्मादपूर्ण भाव व्यंजना का एक रूप-विशेष "प्रसाद" जी की शैली में दिखाई पड़ता है। बाद विवाद और तार्किक कथन का ओजपूर्ण रूप भी इस काल में विशेषतः प्रयुक्त होने लगा है। इस प्रकार की शैलियाँ आज देखने में आ रही हैं जिनमें भाषण के गुणों की प्रधानता रहती है। एक ही विषय को घार घार दुहराकर कहना और भाव-भंगी की एक विचित्रतापूर्ण और चमत्कारयुक्त शैली का अनुसरण इस युग में विशेष चुनिंदा रहा है। यों तो इने गिने आलोचनात्मक लेख भारतेंदु हरिश्चंद्र ही के काल में लिखे जाने लगे थे, परंतु आधुनिक काल में पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी की विशेष चेष्टा से इस विषय का अधिक प्रचार घड़ा और क्रमशः इधर लोगों की प्रभृति भी होने लगी। फलतः आज पंडित रामचंद्र शुक्ल सरीखे गौरवपूर्ण आलोचना-लेखक उपस्थित हैं। आलोचना का सौषधवपूर्ण गंभीर विवेचन जो शुक्लजी ने आरंभ किया है उससे विश्वास होता है कि शीघ्र ही आलोचना की यह चमत्कारपूर्ण, मनोवैज्ञानिक तथा तर्कनायुक्त शैली दृढ़ होकर एक विशेष रूप स्थिर करेगी।

तुलनात्मक आलोचना की शैली का पंडित पद्मसिंह शर्मा ने आविष्कार किया। वह वस्तुतः एक नई चीज़ थी। पंडित कृष्ण-विहारी मिश्र प्रभृति ने इस विषय को आगे बढ़ाया। शर्मा जी की शैली का अनुसरण अन्य लोगों ने न किया हो यह दूसरी बात है, परंतु यह शैली दृढ़ हो रही है। अभी तक गंभीर तुलनात्मक आलोचना पर कोई ऐसा सुंदर ग्रंथ नहीं प्रकाशित हुआ जिसे आधार माना जा सके। इसके अतिरिक्त आज अनेक विषयों पर अनेक ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। इन विविध विषयों की शैलियों के विषय में अभी अधिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे परिपक्वावस्था को नहीं प्राप्त हुई हैं।

सारांश यह कि क्या कला-पक्ष और क्या भाव-पक्ष दोनों में अभी पूर्ण परिपक्षता नहीं आई है, पर हिंदी दोनों की ओर दृढ़तापूर्वक उपचार अप्रसर हो रही है। सच बात तो यह है कि

हिंदी भाषा और साहित्य का वर्तमान रूप बड़ा चमत्कारपूर्ण है। इसमें भावी उन्नति के बीज वर्तमान हैं जो सभ्य पाकर अवश्य पल्लवित और पुण्यित होंगे। परिवर्तन काल में जिन गुणों का सब बातों में होना स्वाभाविक है वे सब हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में स्पष्ट देख पड़ते हैं और काल का धर्म भी पूर्णतया प्रतिविंशित हो रहा है। इस अवस्था में जीवन है, प्राण है, उत्साह है, उमंग है, और सबसे बढ़कर बात यह है कि भविष्योन्नति के मार्ग पर दृढ़तापूर्वक अग्रसर होने की शक्ति और कामना है। जिनमें ये गुण हैं वे अवश्य उन्नति करते हैं। हिंदी में ये गुण वर्तमान हैं और उसकी उन्नति अवश्य भावी है। हिंदी और उसके साहित्य का भविष्य बड़ा ही उज्ज्वल और सुंदर देख पड़ता है। आदर तथा सम्मान के पात्र वे महानुभाव हैं जो अपनी कृतियों से इसके मार्ग के कंटकों और भाड़-भाँखाढ़ों को दूर कर उसे सुगम्य, प्रशस्त और सुरम्य बना रहे हैं।